दश माला, खंड 5, अंक 19

मंगलवार, 18 अप्रैल, 2000
29 चैत्र, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 19, मंगलवार, 18 अप्रैल, 2000/29 चैत्र, 1922 (शक)

विषय	कालम
यूरोपीय संसद के दक्षिण एशिया शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 344	2–34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 345 से 360	34–76
अतारांकित प्रश्न संख्या 3659 से 3888	76–431
सभा पटल पर रखे गए पत्र	431–433
विशेषाधिकार समिति	
पहला प्रतिवेदन	433
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	433
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	434
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	434
समितियों के लिए निर्वाचन	435–439
(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का शासी निकाय	435
(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	436
(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर	436
(चार) इंडियन स्कूल आफ माइन्स की सामान्य परिषद, धनबाद	437
(पांच) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट	438
(छः) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	439

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
विधेयक पुरःस्थापित	475–476
(एक) सूती वस्त्र (निरसन) विधेयक	475
(दो) सूती वस्त्र उपकर (निरसन) विधेयक	475
नियम 377 के अधीन मामले	476–480
(एक) मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को पेंशन राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामानंद सिंह	476
(दो) खाद्य तेलों के आयात संबंधी नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	476
इन्दौर–महू को कोटा से जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री थावर चन्द गेहलोत	477
(चार) पूर्व रेलवे के लालगोला–सियालदाह सेक्शन पर सियालदाह और लालबाग के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता	
श्री मोइनुल हसन	477
(पांच) बिहार में सीतामढ़ी को पर्यटक स्थल घोषित करने और इसके विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	478
(छह) डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. चिन्नासामी	479
(सात) पड़ौसी देशों द्वारा निरुद्ध किए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री तिरूनावकरसु	480
(आठ) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बाह और सागर नदियों पर बांधों के निर्माण को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवराज सिंह चौहान	480
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	482–618
श्री सोमनाथ चटर्जी	482
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	500
श्री पी.एच. पांडियन	509
श्री राम नगीना मिश्र	518

विषय	कालम
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	524
श्री प्रभुनाथ सिंह	537
श्री अमर राय प्रधान	545
कुंवर अखिलेश सिंह	549
श्री अनादि साहू	556
कुमारी मायावती	565
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	569
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	572
श्री आदि शंकर	576
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	580
श्री त्रिलोचन कानूनगो	586
श्री पवन कुमार बंसल	590
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	595
श्री अधीर चौधरी	596
श्रीमती श्यामा सिंह	599
श्री सुन्दर लाल तिवारी	602
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	604
श्री मोहन रावले	607
श्रीमती प्रेनीत कौर	611
डा. जयन्त रंगपी	615

लोक सभा

मंगलवार, 18 अप्रैल, 2000/29 चैत्र, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

यूरोपीय संसद के दक्षिण एशिया शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से और इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे यूरोपीय संसद के दक्षिण एशिया शिष्टमंडल के चेयरमैन श्री गेरार्ड कालिन्स और श्रीमती हिलेरी कालिन्स तथा दक्षिण एशिया शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, जो हमारे सम्माननीय अतिथि के रूप में भारत भ्रमण पर हैं।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं:

1. श्री जीन-क्लाड फ्रूटो
2. श्री थॉमस मान
3. श्री पेड्रो अपैरिसिओ सांचेज
4. श्री कार्ल हींज फ्लोरेन्ज
5. सुश्री एरीन एककार्थी
6. सुश्री मारिया मारटेन्स
7. श्री ओलीवियर ड्यूपिंस
8. सुश्री एरिका मान।

यह शिष्टमंडल 15 और 16 अप्रैल, 2000 को दिल्ली पहुंचा। इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम यूरोपीय संघ को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक विकास हेतु धनराशि

***341. श्रीमती रीना चौधरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फोरम आफ एस.सी./एस.टी. पार्लियामेंटेरियन्स" ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में धनराशि का आबंटन/नियतन किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) और नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में मंत्रालय की कुल मांगों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु उनके मंत्रालय ने कुल कितनी धनराशि की मांग की है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित/निर्धारित की गई धनराशि और वास्तव में उपयोग में लाई गई धनराशि तथा मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुल धनराशि की तुलना में इसका प्रतिशत कितना है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति असमानताओं को दूर करने तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े सामाजिक वर्गों खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समान रूप से शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल देती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण भारत को शामिल किया

गया है तथा इनमें पिछले सामाजिक वर्गों खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर यथोचित बल दिया गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एस सी पी) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप योजना (टी एस पी) के संबंध में योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आबादी के अनुपात के आधार पर अपने बजट से एस.सी.पी. तथा टी.एस.पी. के तहत धनराशि निर्धारित करता है। जिस तरह शैक्षिक सुविधाएं तथा आधारभूत सुविधाएं समाज के सभी वर्गों के लिए समेकित रूप से उपलब्ध कराई जाती है उसी तरह निर्धारित धनराशि का उपयोग भी समेकित रूप से किया जाता है।

आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1999-2000 तक) के दौरान विशेष घटक योजना (एस सी पी) तथा आदिवासी उप योजना (टी एस पी) के तहत आवंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न उपाबंध में दिया है।

उपाबंध

(रु. करोड़ में)

	वर्ष	योजनागत आबंटन	विभाज्य परिव्यय	एस.सी.पी. को प्रदत्त राशि	टी.एस.पी. को प्रदत्त राशि
आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि	1992-97	7443.00	5483.88	857.21 (15.63)	512.10 (9.33)
नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि	1997-98 से 1999-2000	12840.28	10504.62	1690.04 (16.09)	944.53 (9.00)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एस.सी.पी. तथा टी.एस.पी. के लिए विभाज्य परिव्यय के निधी प्रवाह के प्रतिशत को बताते हैं।

श्रीमती रीना चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा जानना चाहा था। आवंटित धनराशि का ब्यौरा तो दे दिया गया है लेकिन उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि आवंटित राशि और उपयोग की गई राशि के अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः महोदय, इस राशि का व्यय समेकित रूप से किया जाता है। यहां से हम राशि जनसंख्या के अनुपात में देते हैं और उसके बाद राज्य सरकारें इसका उपयोग करती हैं। यह राशि समूचे स्कूल के सभी बच्चों पर जो खर्च की जाती है, उसमें अलग-अलग हिसाब रखना मुश्किल है। इसलिए यह कहना कि पूरे रूप में कितना खर्चा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर हुआ, उसका आना पाई का हिसाब लगाना मुश्किल होता है। हम इतना ही कर सकते हैं कि यहां से जनसंख्या के अनुपात में पैसा दें और सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि वह इसी अनुपात में इस खर्च को करे। कई बार यह खर्चा ज्यादा भी हो जाता है। कई बार यह खर्चा आबंटित राशि की तुलना में ज्यादा भी होता है, इसलिए उसका अलग-अलग हिसाब रखने में जनजाति में कितना हुआ, अनुसूचित जाति में कितना हुआ, यह सम्भव नहीं होता। हमने यह आदेश दिये हुए हैं कि इस बारे में मानीटरिंग और अनुश्रवण किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि जितना खर्चा दिया गया है, उसमें जनजाति और अनुसूचित जाति पर अलग-अलग कितना खर्च किया गया, उसकी राशि का भी हिसाब दिया जाये, लेकिन आज यह सम्भव नहीं है।

श्रीमती रीना चौधरीः यह जो धनराशि आबंटित की जाती है, इसकी वर्षवार जो अनुपयोगिता है, जो धनराशि आगे के वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड की जाती है या नहीं और यदि हां उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इस वर्ग के लोगों का विकास कैसे होगा और क्या सरकार आगे ऐसा नियम बनाने पर विचार कर रही है?

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः वर्षवार ब्यौरा है। आपने पंचवर्षीय योजना के हिसाब से उत्तर मांगा है, इसलिए वह उत्तर दे दिया

गया है। आप इसमें यह देख रहे हैं कि 1992 से 1997 की आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के लिए जो धनराशि दी गई थी, वह 857 करोड़ रुपये थी, जो कुल खर्च की 15.63 प्रतिशत थी। वही राशि नवीं पंचवर्षीय योजना के इन तीन वर्षों में बढ़कर 1690 करोड़ रुपये हो गई और जनजातियों के लिए जो राशि 512 करोड़ रुपये की थी, वह बढ़कर 944 करोड़ रुपये की हो गई। इसलिए कोशिश से स्पष्ट है कि राशि में वृद्धि की जा रही है और जैसे-जैसे हमारे आबंटन में वृद्धि होती है, हम उसकी राशि जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाकर देते हैं।

श्रीमती रीना चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल क्या किया है और मंत्री महोदय ने जवाब क्या दिया है। मैंने यह पूछा था कि जो पैसा बच जाता है, उसे कैरीफारवर्ड किया जाता है या नहीं और अगर किया जाता है तो उसका ब्यौरा क्या है। जिस साल पैसा उपयोग नहीं हो पाता, उस पैसे को अगले वर्ष में इस्तेमाल किया जाता है या नहीं, मेरा प्रश्न यह था, वह पैसा लैप्स तो नहीं होता, मैं यह जानना चाहती हूं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: ये खर्चे राज्य सरकारों के माध्यम से होते हैं और हमारी चेष्टा यह रहती है कि खर्चे पूरे-पूरे उसी वर्ष में हो जायें। यदि कोई राज्य सरकार उपयोग नहीं कर पाती है तो वह उसका दोष रहता है। केन्द्र सरकार की तरफ से लैप्स नहीं होता, क्योंकि केन्द्र सरकार पूरा खर्चा दे देती है।

श्री राजो सिंह: इसका हिसाब-किताब तो रखना चाहिए न।

[अनुवाद]

श्री समीक लाहिड़ी: किस प्रकार की निगरानी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैंने बताया कि मोनेटरिंग के आदेश दिये गये हैं, लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना के हिसाब से या पिछले वर्षों में हमारे आने के पहले के हिसाब हमारे पास नहीं हैं, सरकार ने नहीं रखे हैं। लेकिन आगे की दृष्टि से वह रखे जायें, यह व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकारों के क्या खर्चे हुए हैं, क्या उनके बजट हैं, यह इस पर निर्भर करता है। हमारी तरफ से केन्द्र सरकार की ड्यूटी यह है कि हम पूरे पैसे जितने जनसंख्या के अनुपात में देने हैं, वह दें। वह हम दे रहे हैं। इसके आगे हम कोशिश करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: इसमें आपकी जवाबदेही कुछ नहीं है? इसका जवाबदेही आपकी है।

[अनुवाद]

श्री समीक लाहिड़ी: किन्तु कुछ निगरानी रखी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: हमारी तरफ से आदेश है कि ये फंड्स लैप्स नहीं होंगे। ...*(व्यवधान)* इसमें राज्य सरकारों से सहयोग की जरूरत है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकारियां नहीं मिलती हैं। हमारी तरफ से आदेश है कि फंड्स लैप्स नहीं होंगे, लेकिन राज्य सरकारें उसी वर्ष में पैसे का उपयोग कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, यह उन पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। मैंने श्री संतोष मोहन देव का नाम पुकारा है।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, यह सच है कि यद्यपि भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए धन देती है किन्तु यह धन न तो पर्याप्त है और न ही यह उन लोगों तक पहुंच पाता है जिनके लिए यह दिया जाता है। संसद सदस्य के रूप में आपकी कृपा से हमें प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अधिकतर विद्यालय 'एल.पी. वेन्वर' विद्यालय हैं। महोदय, आपके दिशा-निर्देश हमें उस धन को ऐसे विद्यालयों को देने की अनुमति नहीं देते हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: कौन से विद्यालय?

श्री संतोष मोहन देव: 'वेन्वर विद्यालय', जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं अन्य भागों को नहीं जानता, असम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है। जब तक उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती तब तक हम उन्हें धन नहीं दे सकते हैं। अतः क्या आप कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सहयोग से ऐसा करने का प्रयास करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां भी सहायता प्राप्त कर सकें ताकि सरकार

द्वारा दी गई निधि के अलावा हम भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अपनी निधि में से पैसा दे सकें?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: जो विद्यालय राज्य सरकारों के द्वारा चलते हैं अथवा जो विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं उनके पास पैसे जाते हैं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमें उसमें नतीजे मिल रहे हैं, क्योंकि एनरोलमेंट में वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के नामांकन में वृद्धि हो रही है ...*(व्यवधान)*। मैं उस बात को मेरा कहना है कि राज्य सरकारों को हम जो आवंटन केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों को दिया जाना चाहिए। क्या आप मुझसे यह कहलवाना चाहते हो कि यह अन्य विद्यालयों को भी दिया जाए? ...*(व्यवधान)* यह अन्य विद्यालयों को नहीं दिया जाएगा...*(व्यवधान)*। यदि राज्य सरकारें उन विद्यालयों को मान्यता नहीं देती तो यह धन आवंटित नहीं किया जा सकता है। हम किसी विद्यालय को मान्यता प्रदान नहीं करते ...*(व्यवधान)*। यह धन मान्यता प्राप्त संस्थाओं को जाएगा। यदि संस्थाएं मान्यता प्राप्त न हों और यदि यह अन्य संस्थाओं को भी दिया जाए तो फिर कोई भी आकर कहेगा कि यह विद्यालय है और हमें धन दीजिए ...*(व्यवधान)*। यह संसद है और आप कानून बना सकते हैं ...*(व्यवधान)*

डा. मन्दा जगन्नाथ: मंत्री जी कह रहे थे कि केन्द्र सरकार धन आवंटित करती है और यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे कोई भेदभाव न करें और एक खाता बनाएं कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से आवंटित धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई है या नहीं, जिसके लिए यह आवंटित की गई थी। अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि निधियों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है किंतु शैक्षणिक सुविधाएं जनसंख्या के सभी वर्गों को समेकित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं अत: आवंटित निधियों का उपयोग भी समेकित रूप से किया जाता है।

यह एक आशंका पैदा करता है कि लोगों के लिए एक विशेष सुविधा के रूप में आवंटित निधि का अन्यत्र उपयोग किया जाता है। उस स्थिति में आप विकास की अपेक्षा कैसे करते हैं? मेरा प्रश्न यह है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? क्या बजट आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: जैसा मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि अब तक इस राशि के व्यय पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र हीं है। हमने आदेश दिए हैं कि अब इस पर निगरानी रखी जाए। मुझे आशा है कि अगले वर्ष से हमें अपेक्षित सूचना मिलेगी किंतु पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से इस पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

डा. मन्दा जगन्नाथ: वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? क्या बजट आवंटन उस आधार पर किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दो।

डा. मुरली मनोहर जोशी: जैसा मैंने पहले कहा है कि हम धन का आवंटन जनगणना से लिए गए जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर 16 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के अनुपात में करते हैं। जब नयी जनगणना होगी तभी हमें अनुसूचित जातियों व जनजातियों की अद्यतन जनसंख्या की जानकारी मिलेगी। उस आधार पर हम धन आवंटन में वृद्धि करेंगे। आज तक हम जनसंख्या के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर धन का आवंटन कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, धन्यवाद। अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र द्वारा आवंटित धन के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र नहीं है दूसरी ओर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहता है कि इस पर निगरानी रखी जा रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या इस पर उनके मंत्रालय द्वारा या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जा रही है। यदि इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निगरानी रख रहा है तो क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित धन का समुचित उपयोग हो और वह तंत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध हो? यह कैसे हो सकता है कि एक मंत्रालय कहे कि इस पर निगरानी रखी जा रही है और दूसरा मंत्रालय कहे कि उसके पास ऐसी निगरानी रखने का कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। यह विचित्र बात है। क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इस धन का व्यय व उपयोग किया जाएगा और यह व्यर्थ बर्बाद नहीं किया जाएगा?

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए व्यय करता है। हम राज्य सरकारों के माध्यम से शिक्षा पर व्यय करते हैं मैंने यह स्पष्ट किया है कि हम क्या कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों को धन देते हैं। अब तक हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि जो बताए कि यह धन उसी अनुपात में व्यय किया गया है या नहीं। किंतु अब हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा है कि इस सरकार ने इस पर निगरानी रखने का आदेश दिया है। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि हम ईमानदारी से इसे लागू कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी: समस्या यह है कि इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: इसका उपयोग किया जाएगा। यह व्यपगत होने वाला धन नहीं है। इसका उपयोग केवल इस क्षेत्र में किया जाएगा न कि किसी अन्य क्षेत्र में।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इनके मंत्रालय ने जो मेधावी दलित छात्र हैं, उनको विदेशों में हाई एजुकेशन देने के लिए कोई फंड निर्धारित किया है और क्या देश के विभिन्न कोनों में दलित छात्रों के लिए बड़े स्तर पर हॉस्टल बनाने के लिए कोई राशि मुकर्रर की है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: किसी भी छात्र को विदेशों में शिक्षा देने के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: कोई स्कीम भी है या नहीं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: कोई राशि नहीं है और कोई स्कीम नहीं है। लेकिन जहां तक दलित छात्रों का सवाल है, पिछले वर्षों में जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, उससे काफी प्रगति हुई है। जैसे आई.आई.टीज. और आई.आई.एम्ज. में जहां पहले 20 प्रतिशत छात्र आ पाते थे, जितना उनका कोटा होता था, अब दो वर्षों से 100 प्रतिशत छात्र आ रहे हैं और इस तरह से वहां हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। वहां न्यूनतम अंकों में भी छूट दे रहे हैं। तैयारी कोर्स आई.आई.टीज. में तैयार किया जा रहा है। वे बच्चे वहां आकर बैठते हैं। अगर थोड़े से अंक कम रह जाते हैं तो उसके लिए अलग से तैयारी कोर्स चलाया गया है। उसका नतीजा यह हुआ है कि शत-प्रतिशत कोटा भरा जा रहा है, साथ ही अच्छे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से यू.जी.सी. ने नेशनल इन्नेवेलिटी टैस्ट होता है, उसमें भी पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। 415 संस्थाओं में जो उच्च शिक्षा की हैं, वहां रिमेडियल कोचिंग दी जा रही है। 103 विश्वविद्यालयों में एस.सी. और एस.टी. के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए सेल्स की स्थापना की गई है। यू.जी.सी. में भी सेल बनाया गया है, जो दलित छात्रों तथा जनजातीय छात्रों के लिए विशेषरूप से व्यवस्था करेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे अनुदानों से जुड़ी मुख्य समस्या यह है कि वे साल भर जारी नहीं किये जाते हैं। अधिकांश धनराशि मार्च के माह में जारी की जाती है जब वह व्यपगत होने वाली होती है और वर्ष के शेष महीनों में विद्यालय अनुदानों के बिना चलते हैं। जब हम मंत्रालयों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि कुछ समस्याएं हैं किंतु अन्ततः वे धनराशि जारी कर देते हैं, अतः धन का दुरुपयोग और उत्पन्न समस्याओं का कारण यह है कि अनुदान विस्तवार और आपके दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं दिए जाते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका मंत्रालय कोई ऐसा तरीका ढूंढेगा कि अनुदान तिमाही आधार पर जारी किये जाएं ताकि उन्हें ठीक से व्यय किया जा सके। अध्यापकों को वर्ष भर वेतन नहीं मिलता है। अनेक आश्रम विद्यालयों में छात्रों को भोजन नहीं मिलता है क्योंकि धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। मैं मंत्री जी से इसका पता लगाने और हमें जानकारी देने का अनुरोध करती हूँ कि क्या वे धन के उपयोग से अधिक निगरानी धनराशि के जारी होने पर रखेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी: यदि माननीय सदस्या मुझे राज्यों के बारे में कुछ विशेष सूचना दे तो मैं निश्चित तौर पर इसकी जाँच करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: महोदय, यह ठीक उत्तर नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हर कोई जानता है कि ऐसा हो रहा है ...*(व्यवधान)* नब्बे प्रतिशत अनुदान मार्च के अन्त में जारी किया जाता है ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: कृपया मुझे बताएं कि इस राज्य या इन राज्यों में ऐसा हो रहा है।

[हिन्दी]

इन विद्यालयों को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अगर वहां से कोई शिकायत आएगी या आप बताएं इस राज्य में शिकायत है तो इसकी पूरी जांच करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं आपको ऐसे 100 से अधिक विद्यालयों की सूची दूंगी।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: उसकी पूरी जांच करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: महोदय अधिकतर सदस्यों ने धनराशि पर निगरानी और उपयोग का उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: पायलट जी, बीस सालों में इसका नहीं था। हम उसके लिए कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: मुझे अपनी बात पूरी करने दो। यह लम्बे समय से चली आ रही समस्या है। हर किसी का मानना है कि धनराशि का उपयोग और उस पर निगरानी समुचित नहीं है पालतः धनराशि सही लोगों तक नहीं पहुंचती है। क्या माननीय मंत्री वार्षिक रिपोर्ट के बजाए तिमाही रिपोर्ट पर सहमत होंगे? यह नियंत्रण रखने का कार्य करेगा।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: जानकारी राज्य सरकारों से नहीं मिलेगी, तो हम नहीं दे सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: आप एक नीति बना सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: हम बार-बार आग्रह करते हैं, लेकिन जानकारी नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट: यदि सरकार और सभा सहमत हो। तो हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के बजाए तिमाही रिपोर्ट ले सकते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेश पायलट: सरकार इस बारे में निर्णय ले सकती है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेश पायलट: महोदय, मंत्री जी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में तिमाही रिपोर्ट के लिए सहमत हो गए हैं।

कश्मीर और पंजाब के प्रवासियों हेतु आवास योजना

***342. श्री +अनन्त नायक:**
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कश्मीर और पंजाब के प्रवासियों हेतु दिल्ली में एक आवास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या अन्य राज्यों से दिल्ली में आने वाले व्यक्तियों के लिए भी इसी प्रकार की योजनाएं शुरू करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पंजाब के प्रवासियों के पुनर्वास की एक विशेष स्कीम की घोषणा की गई है और यह स्कीम 30-4-2000 तक खुली है। कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास हेतु स्कीम के ब्यौरे की घोषणा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही की जाएगी।

(ख) पंजाब के प्रवासियों के पुनर्वास के लिए आवास स्कीम 3,661 परिवारों/व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है जिन्होंने पंजाब से प्रवास किया है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार के निर्धारित 7 शरणार्थी कैम्पों में रह रहे हैं। इस स्कीम के अधीन द्वारका, नरेला और रोहिणी में किराया-खरीद आधार पर एक कमरे (एक रसोईघर/छोटी रसोईघर और शौचालय व स्नानघर) वाले फ्लैट आबंटित किये जाएंगे। प्रस्तावित आबंटियों से निर्माण लागत की वसूली निम्नलिखित अनुसार किए जाने का प्रस्ताव है:

(1)	चरण-1	10,000 रुपये—आवेदन शुल्क
(2)	चरण-2	50,000 रुपये—कब्जे से पूर्व
(3)	चरण 3	1,20,000 रुपये—1500 रुपये प्रति माह की समान 180 मासिक किस्तों में जिस पर ब्याज घटक 12.75% होगा।

(ग) ब्रोशर में दिए गए निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार स्कीम के अंतर्गत दिए गए फ्लैटों का उपयोग केवल रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जाना है और आबंटी को रिहायशी यूनिट को अलग (सबडिवाइड) करने या किसी भी अन्य रिहायशी यूनिट के साथ मिलाने अथवा डी.डी.ए. की पूर्व अनुमति के बिना कोई संरचनात्मक परिवर्धन/परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।

आबंटन के पश्चात यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि फ्लैटों का दुरुपयोग हुआ है तो आबंटन रद्द किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त नायक: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कश्मीर और पंजाब के प्रवासियों के लिए आवास योजना शुरू की है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, इस योजना की आखिरी तारीख को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है? यदि कोई योजना है, तो कब तक और मकान कब तक ले पायेंगे?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदय, पंजाब और काश्मीर माइग्रेन्ट्स के लिए स्पेशल स्कीम निकाली गई है। पंजाब माइग्रेंट्स द्वारा एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। उसके बाद उनके मकान देने के, एलाट करने के लिए तैयार है, लेकिन काश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्कीम्स फार्मुलेट करनी है, जो एक-दो सप्ताह के अन्दर एनाउन्स करेंगे।

श्री अनन्त नायक: महोदय, पंजाब से आए प्रवासियों के लिए जैसी स्कीम बनाई है, क्या मंत्री महोदय, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों से महाचक्रवात अथवा किन्हीं अन्य कारणों से जो शरणार्थी आए हैं, उनके लिए भी स्कीम बनाने के लिए विचार करेंगी?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदय, मैंने बताया, काश्मीर और पंजाब से माइग्रेंट्स विचित्र परिस्थिति में आए हैं। ला-एंड-आर्डर के कारण, डिस्टर्ब कंडीशन के कारण उनका माइग्रेशन हुआ है। दिल्ली के आस-पास के राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार, से माइग्रेशन गरीबी के कारण हुआ है और बेरोजगारी के कारण लोग आ रहे हैं। मैंने जवाब दिया है कि उनके लिए हमारे पास कोई विशेष स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक: महोदय, यह प्रश्न कश्मीर के संबंध में है। मैं भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप इस अनुपूरक प्रश्न के बाद पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह: महोदय, जहां तक कश्मीर प्रवासियों का सवाल है, सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए योजना बनाई है। विगत दस वर्षों में देश के सामने जो दिक्कत आई है और जैसा जवाब आया है, कश्मीर प्रवासियों के पुनर्वास हेतु योजना की घोषणा दिल्ली विकास प्राधिकरण शीघ्र ही करेगा। पिछले दस वर्षों से इस ब्यौरे की घोषणा हो रही है, लेकिन अपर हाउस संसद में इसकी पूरी सूचना अभी तक नहीं आई है।

दूसरा सवाल, कश्मीरी प्रवासियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकान दिए गए हैं, जिनको पावर आफ एटार्नी के जरिए एग्रीमेंट करके बेच दिया है और वे दूसरी जगहों पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे हैं। इससे दिल्ली में फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण मकान बनाकर दे और देने के बाद बेचकर, फिर झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहने लगे, इससे समस्या वहीं की वहीं रहेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि क्या सरकार कोई टाइम बाउन्ड ऐसी योजना बनाएगी कि वह सर्टेन पीरियड में एग्रीमेंट न कर सके, बेच न सके?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: योजना कश्मीर माइग्रेंट्स से संबंधित है, जो 14 कैम्प्स में, 237 लोग कम्युनिटी हाउस में रह रहे हैं, झुग्गी-झोपड़ी में नहीं रह रहे हैं। यह हमारे पास रिपोर्ट है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा, पहले झुग्गी-झोंपड़ी में थे, बाद में मकान दिया गया, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। उनके लिए एल आई जी स्कीम बनाई है और हायर परचेज की स्कीम भी तैयार कर रहे हैं, जो उनके लिए लागू करेंगे।

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, मैं अपना प्रश्न दो भागों में पूछना चाहता हूं। यह बात यही है, जो फ्लैट्स एलाट किए गए हैं, उनमें कुछ दलालों और गड़बड़ी करने वालों ने मसयूज किया है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आपने बताया है कि पंजाब से करीब 3,661 फैमिलीज आई हैं। पंजाब और कश्मीर का मामला डिफ्रेंट है, पंजाब में तो अब अमन है। मैं आपसे और होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, तथा श्री ढिंडसा, जो पंजाब राज्य से हैं, रिसपैक्टफुल्ली निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, पंजाब के मुख्य मंत्री आकर इन परिवारों को पंजाब में बसाने की बात करें। लाखों की तादाद में लोग आए थे, लेकिन अब तो पंजाब पीसफुल स्टेट है, वे लोग वापिस जा सकते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार ऐसा कोई कार्यक्रम बनाने जा रही है, आप खुद, पंजाब के मुख्य मंत्री, होम मिनिस्टर और हाउसिंग मिनिस्टर वहां जायें और उनसे रक्वैस्ट करें कि वे अपने स्टेट में वापिस जायें, पंजाब में वह माहौल नहीं है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदय, हम लोगों का विचार है और प्रयास रहा है कि जो लोग पंजाब से आए हैं, वे पंजाब में जाकर बसें। पंजाब के लोग सात कैम्प्स में 3,661 परिवार हैं। उन्होंने ह्युमन राइट्स कमीशन को एक एप्लीकेशन दी है और कहा है कि हम पंजाब जाना नहीं चाहेंगे, हम दिल्ली में ही रहना चाहते हैं। हमको वहीं पर रहने दिया जाए, ऐसा उन्होंने रिप्रजेंटेशन दिया है। इस पर ह्युमन राइट्स कमीशन ने हमें निर्देश दिया है कि उनको दिल्ली में ही रिसैटल करें। इसलिए हमने इस स्कीम को एनाउन्स किया है। हमारा अभी भी प्रयास है और उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो अभी भी पंजाब में जाना चाहें, जा सकते हैं। इसके साथ ही जैसा आपने कहा, होम मिनिस्टर, ढिंडसा जी और मुख्य मंत्री से बात करके, जो पंजाब जाना चाहता है, उसको खुशी से पंजाब में रिहैबिलिटेट करेंगे।

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी कहा गया, इस प्रश्न के दो हिस्से हैं—एक पंजाब और दूसरा कश्मीर। पंजाब के लिए आप योजना दे रहे हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पंजाब में अब नार्मेल्सी है। अब सवाल कश्मीरी माइग्रेंट्स का है। ये अपने ही देश में शरणार्थी बनकर दस सालों से रह रहे हैं। ये लोग दिल्ली में फैले हुए हैं और मेरे क्षेत्र में भी हैं और नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

एक छोटे से कमरे में आठ-आठ लोग रहते हैं। वहीं माता-पिता, जवान बेटी और बहू-बेटा दस साल से रह रहे हैं। उनका पारिवारिक जीवन समाप्त हो रहा है। सौ-सौ लोगों के लिए एक पानी का टेप है, 50 लोगों के लिए एक लैट्रीन है। दस साल से जो लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं। आपकी सरकार को यह योजना बनानी चाहिए थी, जो दस साल से बनाई ही नहीं। ...*(व्यवधान)* आज जैसे कहा गया कि 237 या पता नहीं कितने लोग कम्युनिटी सेंटर्स में ही रह रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको आप जगह देने वाले हैं आपने पंजाब के तीन हजार लोगों को फ्लैट दे दिए। दिल्ली में हजारों लोग कश्मीरी हैं। यह ठीक है कि कम्युनिटी सेंटर्स में इतने लोग रह रहे हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनको आप मंथली आर्थिक सहायता देते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि आधार क्या है? यह बताया जाए कि कहां जमीन ली गई है। ...*(व्यवधान)* मेरा प्रश्न यह है कि जैसे पंजाब के 3661 लोगों को जगह दी गई, आप जिन कश्मीरी माइग्रेंट्स को जगह देने वाले हैं उनकी संख्या क्या है? कितनों के लिए योजना बन रही है, किस स्टेज पर है और जो योजना है उसमें उसके लिए कहां भूमि ली गई है? मेरी जहां तक जानकारी है, अभी योजना केवल कागजों पर है और अभी काफी समय लगेगा। मेरा यह कहना है कि योजना टाइम-बाउंड होनी चाहिए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया था कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हाउसिंग स्कीम में योजना है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: कितनों के लिए है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: 237 परिवारों के लिए है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: जिनको ये आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उनकी संख्या हजारों में है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदय, माइग्रेंट्स का जो आइडेंटिफिकेशन है, जो लोकल रेवेन्यू डिविजनल आफिसर है, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट है वह माइग्रेंट्स को सर्टिफिकेट देगा, वही हमें लिस्ट देगा। उसी के अनुसार हम मकान लागू कर सकते हैं। इसलिए जो लोकल अथोरिटी है, जो माइग्रेंट्स को सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से इंकवायरी करके सर्टिफिकेट में जो आएंगे उन्हीं को हमने मकान देने का निर्णय किया। उनके लिए स्कीम तैयार है। मैंने कहा था कि पंजाब या कश्मीर के लिए कई सालों तक इसे रखने का हमारा विचार नहीं है, हम इसे तुरंत करेंगे। अभी पंजाब के लोगों के लिए मकान तैयार हैं। द्वारका और रोहिणी में भी मकान तैयार हैं। इसलिए कश्मीरियों के लिए भी मैंने कहा है कि इनके लिए भी हम जल्दी ही कुछ करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक: मैं हुकूमत से यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर कट पालिसी है,

[अनुवाद]

जो प्रवासी जम्मू-कश्मीर राज्य से आए हैं उन्हें पाकिस्तान के षडयंत्र जो अल्पसंख्यकों को राज्य से निकालने के संबंध में है, को असफल बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाएगी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद अपने फैसले को बदलती है तो इसके क्या वजहात हैं। क्योंकि वहां सरकार का यह निर्णय है कि इन सभी लोगों को घाटी में पुन: बसाया जाए। वह घाटी के हैं। वह घाटी का हिस्सा हैं और उन्हें वहां पुन: बसाया जाएगा। सरकार कुछ दिनों बाद अपना निर्णय क्यों बदल रही है? इसका क्या कारण है?

[हिन्दी]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदय, यह केवल दिल्ली के माइग्रेंट्स के लिए सवाल है। अभी जो कश्मीर में आ रहे हैं, उनके लिए हमारा सवाल नहीं है। जो केवल दिल्ली में आकर आठ-दस साल से बसे हुए हैं, उनके बारे में यह विचार हुआ है।

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक: वह मुम्बई में हैं, वह दिल्ली में हैं, वे चण्डीगढ़ में हैं, वे जम्मू और कश्मीर तथा अन्य राज्यों में भी हैं।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह: मेरा यह प्रश्न है कि यह जो मकान दिए जा रहे हैं, इन मकानों की कीमत कितनी है और इसमें से कितनी कीमत सरकार सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी और उनसे कितनी वसूल करेगी? दूसरा प्रश्न यह है कि ये मकान कहां-कहां पर हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि इनको जो हुडको से 50,000 रुपए कर्जा दिलवाने की बात है, क्या उसके लिए कुछ इंतजाम किया गया है या नहीं?

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदय, इन मकानों पर 2 लाख 30 हजार रुपए का खर्चा है। इसमें 10,000 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी है, लैंड ओनिंग एजेंसी तथा दूसरी जो एजेंसियां हैं, जिनकी लैंड पर ये लोग बसे हुए हैं, उनका 40,000 रुपया है। 50,000 रुपए गवर्नमेंट की सब्सिडी है। जब हम ये मकान देंगे उस समय उन्हें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद 1 लाख 80 हजार रुपए बचेंगे। ...*(व्यवधान)* 15 साल के अंदर एक इंस्टालमेंट 1500 रुपए प्रति माह देने का हमने उन लोगों को मौका दिया है।

[अनुवाद]

प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी सुविधाएं

***343. श्री के. मुरलीधरन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करने एवं उन्हें सुदृढ़ करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्राथमिक स्कूलों को मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की है। प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रदान की जा रही सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार ने आपरेशन ब्लैकबोर्ड शिक्षक शिक्षा की पुन: संरचना तथा पुनर्गठन और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं भी आरंभ की हैं।

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत 30 सितम्बर, 1986 की यथास्थिति के अनुसार विद्यमान सभी प्राथमिक स्कूलों को अध्ययन-अध्यापन सामग्री प्रदान करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक शिक्षक वाले प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किए गए अतिरिक्त शिक्षकों को वेतन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आपरेशन ब्लैकबोर्ड की विस्तारित योजना के अंतर्गत, 100 से अधिक बच्चों के नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों में तृतीय शिक्षक की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक स्कूल के भवन के महत्व को ध्यान में रखकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना) की बचत से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण के लिए भी जारी की जाती हैं।

शिक्षक शिक्षा की पुन: संरचना तथा पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए शैक्षिक आयोजन करने

तथा उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इस समय 15 राज्यों के 219 जिलों में कार्यान्वित हैं जिसका वित्तपोषण अंशदान का अनुपात भारत सरकार तथा राज्यों के बीच क्रमशः 85:15 है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के साथ-साथ ब्लाक संसाधन केन्द्र एवम् कलस्टर संसाधन केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान है ताकि प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जा सके। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए नए स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति और बच्चों के नामांकन में वृद्धि होने के फलस्वरूप ...दा स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों के लिए भी वित्तीय सहायता करता है। पठन-पाठन सामग्री तथा उपभोग्य सामग्री के लिए प्रति शिक्षक 500 रु. का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्कूल की सुविधाओं में सुधार करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के जरिए प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष 2000 रु. का अनुदान दिया जाता है।

(ग) जहाँ तक आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का संबंध है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रस्ताव में प्रत्याशित आवश्यकताओं के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। इस तरह के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। नौवीं योजना के दौरान, दिनांक 31 मार्च, 2000 तक प्राथमिक स्कूलों के लिए 48153 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अभी हाल ही में उड़ीसा में आए भीषण समुद्री तूफान से प्रभावित हुए 12,633 प्राथमिक स्कूलों को अध्ययन अध्यापन सामग्री की विशेष सहायता देने के लिए प्रत्येक स्कूल को दस-दस हजार रु. की धनराशि जारी की गई है। नौवीं योजना के दौरान अब तक स्वीकृत किए गए 451 जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करने पर ध्यान दिया जाएगा। जहाँ तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का संबंध है, परियोजना की अवधि 5-7 वर्ष की होती है और इसे पंचवर्षीय योजनाओं के साथ नहीं जोड़ा गया है। परियोजना अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत नए तथा वर्तमान स्कूलों के लिए 34984 स्कूल भवनों के निर्माण, 38832 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण 29266 स्कूल भवनों की मरम्मत तथा 90520 स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था एवं पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य 3412 ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा 17616 क्लस्टर संसाधन केन्द्रों की स्थापना करना है।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन: मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर शिक्षा आरम्भ करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्यों को किसी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर ऊपर तक कम्प्यूटर शिक्षा कम्पलसरी करने की कोई स्कीम नहीं है, लेकिन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा पढ़ाई जाए, इसकी योजना है और उसके लिए सरकार पैसा खर्च करती है।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन: वर्ष 1998-99 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए केरल राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई थी और केरल सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई थी?

डा. मुरली मनोहर जोशी: मुझे इस अनुपूरक प्रश्न के लिए एक पृथक नोटिस की आवश्यकता है।

श्री समीक लाहिड़ी: प्राथमिक शिक्षा स्तर पर केन्द्र द्वारा अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। लेकिन जब हम पिछले वर्ष का निष्पादन बजट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आबंटित धनराशि का सभी योजनाओं के लिए सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया है जिनका माननीय मंत्री जी द्वारा उल्लेख किया गया था। क्या मैं धनराशि का कम उपयोग किये जाने के कारण जान सकता हूँ और वे किस तरह से स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इस वर्ष भी कम धनराशि का उपयोग होने की आशंका है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय क्या कार्यवाही करने जा रहा है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: राज्य सरकारों को धनराशि का आवंटन करना हमारी जिम्मेवारी है। इन सब योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है बशर्ते आबंटित धनराशि के सही उपयोग की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की न हो। धनराशि का सही तरीके से उपयोग हुआ है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि अनेक राज्य सरकारों ने धनराशि का कम उपयोग किया है।

श्री समीक लाहिड़ी: पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में काफी अन्तर है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: मेरे विचार में माननीय मंत्री महोदय माननीय सदस्यों द्वारा उठाए जा रहे सभी प्रश्नों का एक जैसा उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों को धनराशि आबंटित कर दी गई है और मानीटरिंग प्रणाली यहाँ उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार मानीटरिंग प्रणाली में इच्छुक नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा दो प्रासंगिक प्रश्न पूछे गए थे। जहाँ पैसे का उपयोग हो रहा है, यदि वहाँ नहीं, तो कम से कम जहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ तो यह देखने के लिए निगरानी प्रणाली होनी चाहिए कि क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि को तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर नियमित रूप से जारी किया जा रहा है ताकि वे निगरानी की एक बेहतर प्रणाली विकसित कर सकें। यह मेरे प्रश्न का प्रथम भाग है।

दूसरा भाग यह है कि उन्होंने अनके योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान की है। यहाँ आपरेशन ब्लैक-बोर्ड अध्यापक शिक्षा की पुन:संरचना और पुनर्गठन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाएँ हैं। भारत सरकार द्वारा पर्याप्त वृद्धि किए जाने पर विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इन योजनाओं द्वारा कोई मूल्यांकन अध्ययन किया है। क्या शिक्षा के स्तर में कोई सुधार हुआ है अथवा क्या साक्षरता में कोई वृद्धि हुई है तथा प्राथमिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। अत: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन अध्ययन किया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके कार्यान्वयन और उसके प्रभाव का मूल्यांकन एन.सी.ई.आर.टी. और आपरेशन रिसर्च ग्रुप, ओ आर जी, नई दिल्ली, जी.बी. पन्त सोशल साइन्सिज डैवलपमेन्ट, हैदराबाद और अनुसंधान, जयपुर जैसी चार अन्य बाह्य एजेंसियों द्वारा किया गया था। इस अध्ययन में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड का मूल्यांकन किया जा चुका है। अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए अब, एन.आई.पी.ए., अन्य संस्थान को भेज दिया गया है ताकि हमारी ओर से समय-समय पर मूल्यांकन किया जा सके।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि की निगरानी के प्रश्न के संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि राज्यों द्वारा नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट देने के लिए मार्ग निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हमें रिपोर्ट मिलती नहीं है। हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। हम उनसे केवल अपील कर सकते हैं। हम उनसे केवल अनुरोध कर सकते हैं। कभी-कभी हम अपने अधिकारियों को भेजते हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: आपको इसकी निगरानी रखनी है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि हमें सूचना कहाँ से प्राप्त होगी। हम अपने अधिकारी भेजते हैं। हमें राज्य सरकारों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। उन्हें सूचना प्राप्त नहीं होती है। वे अनेक मामलों में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। अत: हम निगरानी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमें राज्य स्तर पर एक बहुत ही मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। हम एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की एक संयुक्त निगरानी प्रणाली हो। लेकिन इस प्रणाली द्वारा की जाने वाली निगरानी में कठिनाईयां हैं। मैंने इस संबंध में पहले उल्लेख कर दिया है ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या आप इसे नियमित रूप से जारी कर रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा कि क्या धनराशि जारी करने के स्तर पर कोई निगरानी तंत्र है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं कह रहा था कि हमारे क्षेत्रीय अधिकारी नियमित रूप से उन राज्यों का दौरा करते हैं और जितनी सूचना मिल सके उतनी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सीधे ही स्कूलों में जाकर सभी स्कूलों से सूचना एकत्रित नहीं कर सकते हैं। आठ लाख स्कूल हैं। मेरे लिए अथवा केन्द्र में किसी भी सरकार के लिए आठ लाख स्कूलों से सूचना एकत्रित करना संभव नहीं है। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि हमारे क्षेत्रीय अधिकारी वहां भेजे जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें संरक्षण प्रदान करें। थोड़ी सी गलतफहमी है। एक मित्र प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष जी, विगत में लगातार कई सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा पर अपना ध्यान फोकस किया है। सारे देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए जिस बुनियादी ढांचे की जरूरत है उसकी पूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। केन्द्र ने इस संबंध में निर्देश राज्य सरकारों को भेजे हैं और उनको लागू करने में वित्तीय बोझ उन पर आ रहा है। स्वाभाविक रूप से केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह भी इसमें भागीदारी करे। मैं, दो चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता

हूं। पहली बात यह है जो प्राथमिक शिक्षा पर फोकस होने के कारण अतिरिक्त विद्यार्थियों की भर्ती हुई है, लेकिन एक ओर तो ग्रामीणशालाओं में शिक्षकों की भारी कमी और दूसरी ओर नयी शालाओं को नये मापदंडों के आधार पर खोले जाने के कारण अनेक जगह पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, भवनों की वहां व्यवस्था नहीं है तथा बरसात के दिनों में चार महीनों तक तो पूरी तरह से शिक्षण कार्य ग्रामीण अंचलों में बंद हो जाता है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती के लिए और ऐसे स्थानों पर जहां नयी शालाएं खोली गयी हैं और भवन नहीं हैं, उन जगहों पर भवन बनाये जाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो कितना और कब तक?

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में विद्यालयों की, भवनों की बहुत कमी है और इस अगर विचार किया जाये तो इतनी धनराशि की आवश्यकता है जैसे तापस मजुमदार कमेटी ने 13700 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष का आकलन किया। आज भी देश में आठ लाख स्कूल हैं जिनमें दो करोड़ बच्चे प्रति वर्ष हमारे पास नए आते हैं। मानकों के हिसाब से अगर और अतिरिक्त व्यय डाले जायें तो राशि शायद 13700 करोड़ रुपये से भी बढ़ जायेगी। इसके बाद मुही राम सेकिया कमेटी ने आंकलन किया और उन्होंने भी इसको घटाने की बहुत कोशिश की लेकिन आठ-साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रतिवर्ष से आगे नहीं बढ़ सके। अगर आप इसमें भवन निकाल दें तो कुछ शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है। इस पर देश को विचार करना चाहिए कि क्या भवनों के अभाव में बच्चों को बिल्कुल अनपढ़ छोड़ दें या पेड़ के नीचे या कम्युनिटी हॉल में कहीं कुछ पढ़ाकर अध्यापक की व्यवस्था कराकर, टीचर लर्निंग ऐड देकर, उनको कुछ पढ़ाया जाये, कुछ डिस्टेंट लर्निंग के हिसाब से इंतजाम किया जाये। इस समस्या पर देश को विचार करना पड़ेगा। हमने इस पर विचार करके राज्यों से बात की है और बहुत से राज्यों ने जैसी व्यवस्था आप बता रहे हैं वह की है। हमने भी एक एजुकेशन गारंटी स्कीम की व्यवस्था की है। इसके अंदर उद्देश्य यह है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को हम 2003 वर्ष तक हम स्कूल के सिस्टम में ले आएं। अगर यह एजुकेशन गारंटी स्कीम वाला 2003 तक प्रोग्राम चल सके तो हम उसे अपनी पूर्णकालिक जो व्यवस्था है उसमें भी शामिल कर सकेंगे क्योंकि अतिरिक्त फंड का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। मैं सदन से यह जरूर मांग करूंगा कि आप यह 8000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने में मदद करें तो हम बहुत जल्दी से इस काम को करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: समस्या यह है कि जब स्कूल के भवन ही नहीं होंगे तो शिक्षा का क्या होगा? आपकी सरकार है, आप अपने वित्त मंत्री से, प्रधान मंत्री जी से बात करें।

डा. मुरली मनोहर जोशी: समस्या यही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सन 2003 तक इस देश के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को हम स्कूली सिस्टम के अंदर सीमित साधनों के बावजूद ले आयेंगे। लेकिन अगर आप यह चाहें कि उनके लिए मानक के भवन बनाए जा सकें तो यह संभव नहीं होगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: जोशी जी, आप जहां भी कहें हम इस बात को कहने के लिए तैयार हैं लेकिन सवाल यह है कि सरकार आपकी है, फैसला तो आपकी सरकार और आपके वित्त मंत्री को ही करना है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: धन्यवाद। लेकिन यह अभी तक जो कुछ देश में हुआ है यह उसी का नतीजा है और उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। आज हम कुल शिक्षा पर जो केन्द्रीय सरकार की है प्राथमिक शिक्षा पर उसका 65 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। इसको करने में जरा देर लगेगी। मैं इस मामले में पक्ष और विपक्ष की बात करना नहीं चाहता क्योंकि यह सवाल मेरी दृष्टि में बहुत गंभीर है। इस देश में इन 50 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा की जो उपेक्षा की गयी है, अगर आप आंकड़ें देखें तो चौथे प्लॉन, पांचवें प्लॉन, छठे प्लॉन, सातवें प्लान, आठवें प्लॉन तक निरंतर शिक्षा की मात्रा में और प्राथमिक शिक्षा के लिए दिये गये वजट में कमी आई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कई अन्य माननीय सदस्य भी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, 1995 में कई बैठकों में और कई फोरम्स में और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आश्वस्त किया गया था कि भारत की कटिबद्धता शिक्षा पर 6 प्रतिशत जी.डी.पी. का खर्च किया जायेगा। इस टार्गेट की ओर हम योजनाबद्ध तरीके से बढ़ेंगे ताकि 2000-2001 तक 6 प्रतिशत तक वे आंकड़े पहुंचें। उस समय जी.डी.पी. का 3.8 प्रतिशत खर्च हो रहा था। हमारा प्लॉन था कि प्रत्येक वर्ष पाइंट 3, पाइंट 4 से बढ़ाते-बढ़ाते 2000-2001 तक 6 प्रतिशत तक हम पहुंचें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज की स्थिति में कुल जी.डी.पी. का कितने परसैंट खर्च किया जा रहा है? सन 2000-2001 का जो टारगेट 6 परसैंट था, उसे कहां तक बढ़ाया गया है? मैं माननीय मंत्री जी की कठिनाई को समझता हूं क्योंकि 60 परसैंट शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है, वह स्टेट्स से आता है। लेकिन योजना आयोग द्वारा कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, दबाव डाला जा सकता है कि स्टेट्स अपने प्लान्स में क्रमानुसार,

योजनाबद्ध तरीके से अपना बजट भी बढाए। उस ओर कोई कदम और ठोस प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है या नहीं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह बात सच है कि जी.डी.पी. का 6 परसैंट शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। उस समय यह खर्च निश्चित रूप से 3.8 परसैंट के आसपास था। मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकारी और गैर-सरकारी खर्च मिला कर आज भी 6 परसैंट के लगभग खर्च हो रहा है।

श्री माधवराव सिंधिया: सरकारी खर्च के बारे में बताएं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: सरकारी खर्च 6 परसैंट नहीं है। अगर उसे 6 परसैंट कर दिया जाए तो शिक्षा की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: वह कब होगा?

डा. मुरली मनोहर जोशी: वह 3.8 परसैंट से ज्यादा बढ़ा नहीं है लेकिन राशि बढ़ी है। अब्सोल्यूट टर्म में पैसा बढ़ा है लेकिन परसैंट में पैसा नहीं बढ़ा है। यह एक सच्चाई है। इसका नतीजा यह हुआ है...*(व्यवधान)* मैं आंकड़े दे सकता हूं। 3.89 परसैंट 1997 के आंकड़े हैं। वह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। उसे बढ़ाने में कठिनाइयां आ रही हैं। मैं इस बात से सहमत हूं और इससे आगे बढ़ कर कहता हूं कि अगर देश को उच्चतम शिक्षा का विचार करना है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह इनफर्मेशन टैक्नॉलाजी तथा नई-नई शिक्षा की प्रणालियां आ रही हैं तो 6 प्रतिशत सरकारी खर्चा और लगभग तीन-साढ़े 3 प्रतिशत गैर-सरकारी खर्चा यानी जब तक साढ़े नौ प्रतिशत खर्चा अपनी शिक्षा पर नहीं करेंगे, भारत आगे जाकर पिछड़ जाएगा। यह बहुत आवश्यक है।

श्री माधवराव सिंधिया: आप योजना आयोग पर दबाव डाल सकते हैं। आप स्टेट्स में अनिवार्य कर दें कि वे क्रमानुसार इतना बढ़ा दें।

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर आप सदन में गम्भीर चर्चा कराएं।

अनेक माननीय सदस्य: इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: एच.आर.डी. की डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स आ रही हैं। हम उस पर चर्चा करेंगे ।

[अनुवाद]

आर.एन.टी.सी.पी. को विश्व बैंक सहायता

***344. श्री +दिनशा पटेल :**
श्री अकबर अली खांदोकर :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विशेषकर गुजरात और पश्चिम बंगाल को दी गई विश्व बैंक की सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आर.एन.टी.पी.सी. को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया और प्रत्येक राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने प्रतिशत लोग शामिल किए गये;

(च) क्या 24 मार्च, 2000 को विश्व क्षयरोग दिवस के रूप में मनाया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ज) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ज) विश्व बैंक सहायता प्राप्त संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में परियोजना के अधीन कवर किए गए जिलों को केन्द्रीय रूप से प्राप्त की गई क्षयरोगी रोधी औषधों और बायनोकुलर सूक्ष्मदर्शियों के 100 प्रतिशत सप्लाई के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यकलाप चलाने हेतु राज्य और जिला क्षयरोग सोसायटियों के माध्यम से संवितरित सहायता अनुदान

दिया जाता है। गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को दिए गए नकद अनुदान (सहायता अनुदान) के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला उपाबंध संलग्न है। 31.3.2000 तक विभिन्न राज्यों को औषधों और वायनोकुलर सूक्ष्मदर्शियों के संबंध में 36.68 करोड़ रुपये तक की वस्तुगत सहायता भी दी गई है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में 5 वर्षों में 271.21 मिलियन जनसंख्या को कवर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जिसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षित उपचार लघु कोर्स (डॉट्स) के रूप में जाने जानी वाली संशोधित कार्यनीति, जिसने इस रोग को व्यापक रूप से नियंत्रित करने में प्रभावकारिता सिद्ध की है, का उपयोग किया गया है। तथापि, इस कार्यनीति की सफलता इसकी तकनीकी और आपरेशनल गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो अन्य बातों के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाली सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से बेहतर कोटि के निदान और प्रशिक्षण, मानीटरिंग और पर्यवेक्षण पर बल देने जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए इस कार्यक्रम के विस्तार की प्रगति इन गतिविधियों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करेगी।

भूभागीय पहुंच, विजातीय जनसंख्या आदि की बाधाओं के बावजूद पिछले 3 वर्षों के दौरान मार्च, 2000 तक लगभग 180 मिलियन जनसंख्या कवर करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। अब 2002 तक 400 मिलियन जनसंख्या कवर करने का प्रस्ताव है।

इस कवरेज के अतिरिक्त क्रमशः डी.एफ.आई.डी. और डेनिडा से द्विपक्षीय वित्त पोषित परियोजनाओं द्वारा आंध्र प्रदेश की 100 मिलियन अतिरिक्त जनसंख्या और उड़ीसा के 14 जिलों में भी कवर किया गया है।

राज्यों, जिनमें संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण परियोजना चल रही है, के नामों और कवर की जाने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता उपाबंध-II पर दी गई है।

24 मार्च विश्व क्षयरोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक वर्ष भारत में क्षयरोग की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। क्षयरोग की प्रमुख बातों, जिनके बारे में जनता को जागरूक होना चाहिए, को देश के प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। संदेश में इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्षयरोग साध्य है यदि उपचार का पूरा कोर्स लिया जाता है और क्षयरोग रोधी औषधों सहित नैदानिक और उपचार सुविधाएं सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर क्षयरोग रोगियों को मुफ्त प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत सूचना शिक्षा प्रचार गतिविधियां समुदाय के लाभ के लिए नियमित रूप से चलाई जाती हैं।

उपबांध-I

विश्व बैंक सहायता प्राप्त संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों को 31.3.2000 तक दिया गया नकद अनुदान

राज्य	जारी की गई राशि रुपये लाखों में कुल
आंध्र प्रदेश	71.17
असम	34.94
बिहार	357.98
दिल्ली	413.2
गुजरात	697.13
हरियाणा	95.36
हिमाचल प्रदेश	143.58
कर्नाटक	300.37
केरल	491.40
मध्य प्रदेश	101.56
महाराष्ट्र	394.3
मणिपुर	32.733
राजस्थान	432.83
तमिलनाडु	537.33
उत्तर प्रदेश	350.17
पश्चिम बंगाल	1132.59
कुल	5586.631

उपाबंध-II

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण परियोजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता

राज्य का नाम	कवर की जाने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता
1	2
दिल्ली	100
केरल	75

1	2
राजस्थान	51
हिमाचल प्रदेश	46
गुजरात	45
मणिपुर	40
पश्चिम बंगाल	33
तमिलनाडु	25
महाराष्ट्र	21
उड़ीसा	19
हरियाणा	12
कर्नाटक	9
आंध्र प्रदेश	8
बिहार	7
असम	5
मध्य प्रदेश	4
उत्तर प्रदेश	4

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल : अध्यक्ष महोदय, देश में कितने लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं? इसमें कितने लोग ज्यादा इनफैक्शन वाले हैं? साल भर में ऐसे कितने लोगों की मृत्यु होती है? साल भर में इसकी संख्या में कमी हुई है या बढ़ोत्तरी हुई है? इस रोग की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और इसके निदान के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आपने पिछली बार कहा था कि हैल्थ मिनिस्टर तैयारी करके आएं। उन्होंने तो यहां आना ही बन्द कर दिया।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, यह बात सही नहीं है। आज दुर्भाग्य से हैल्थ मिनिस्टर को कहीं काम से जाना पड़ा इसलिए उनके बिहाफ पर मैं उत्तर दे रहा हूं। यह बात सही है कि ट्यूबरक्लोसिज एक बड़ी समस्या बन गई है। विश्व में जितने ट्यूबरक्लोसिज पेशंट पाए जाते हैं उसमें से कम-से-कम 25 प्रतिशत हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारा एस्टिमेट है कि 14 मिलियन लोग इससे पीड़ित हैं। हर साल हाफ-ए-मिलियन लोग मारे जाते हैं। हमारी कोशिस रही है कि इस रोग को फैलने से रोका जाए। हमने समस्या को कब्जे में लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक मास्टर कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस बारे में पूरी जानकारी सवाल के जवाब में दी है। हमें पूरा विश्वास है कि हम आज तक जिस कार्यक्रम को अमल में ला रहे थे, उससे जो नतीजे मिले, उससे भी अच्छे नतीजे इस कार्यक्रम से मिलने की उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि 1997 में जब से हमने इस कार्यक्रम की शुरूआत की है तब से देखा है कि इसके जो परिणाम निकले हैं, पहले से नेशनल टी.बी. प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो नतीजा मिला है, बहुत अच्छा है और हमें विश्वास है कि अगले आने वाले पांच साल में ये प्रोग्राम पूरे देश में लागू करेंगे जिनसे अच्छा लाभ मिलेगा।

श्री दिन्शा पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, 1993-94 में बजट प्रोवीजन 37.50 करोड़ का था जिसमें से 17.19 करोड़ खर्च किया गया, 1994-95 में 46.13 करोड़ में से 39.75 करोड़, 1995-96 में 39.17 करोड़ में से 27.97 करोड़ खर्च किया गया, 1996-97 में 80 करोड़ में से 32.5 करोड़ खर्च किया गया और 1998-99 के 125 करोड़ में से फिगर्स नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें 50 प्रतिशत से कम खर्च किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतना कम खर्च करने के क्या कारण हैं? उसमें विश्व बैंक ने कितना पैसा दिया और जो बजट प्रोवीजन दिया गया है, उससे कम खर्च करने के क्या कारण हैं? गुजरात और प. बंगाल में जो रकम दी गई है, उसमें कितना खर्च किया गया है और उसकी मानिटरिंग कौन करता है?

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो यह है कि 1962 से नेशनल टी.बी. प्रोग्राम चल रहे हैं जिसका विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि आज तक जिस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके नतीजे संतोषजनक नहीं मिल रहे हैं। उसके तहत हमने जो प्रोग्राम बदले हैं, उसके लिये विश्व बैंक से लोन मांगा है और वह हमें मिला है। तब से जिस तरह का बजट प्रावधान किया गया है, यह सही है कि वह कम था लेकिन आज हमने एक नया प्रावधान किया है कि हर स्टेट के के लिये एक स्टेट टी.बी. प्रोग्राम कमेटी बनाई है और हर डिस्ट्रिक्ट के लिये टी.बी. प्रोग्राम कमेटी बनायी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट को टी.बी. प्रोग्राम इंपलीमेंट करने के लिये केन्द्र सरकार से राशि दी जाती है। इसके लिये प. बंगाल को 11.32 करोड़ रुपये की राशि मिली है। गुजरात और प. बंगाल में पूरे का पूरा कवर करेंगे। इसमें कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कँवर किये जाने हैं, उसकी जानकारी दी हुई है। यदि आप दुबारा जानना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि सदन का समय इस काम के लिये न लिया

जाये। यह बात भी सही है कि प. बंगाल में जिस तरह से इंपलीमेंटेशन होना चाहिये था, वैसा नहीं हुआ। उसके लिये इसकी वजह देना चाहूंगा लेकिन यह नहीं चाहूंगा कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट की क्या कमियां पाई गई हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि इन सब के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट को जिस तरह से कोआप्रेट करना चाहिये था, उसकी संभावना नहीं मिलने के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने इसका प्रावधान किया है कि हम वहां जाकर उनकी कमियां देखें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सिर्फ कवरेज बढ़ाने के लिये टी.बी. प्रोग्राम बढ़ायेंगे तो हमने देखा है कि टी.बी. को यदि पार्शियली प्रोग्राम कवर करते जैसा हमने देखा कि पूरे प्रोग्राम होते हैं। यदि एक पेशेंट ट्रीटमेंट का पूरा पीरियड कवर न करके बीच में छोड़ देता है तो उसके अंदर एक बात डेवलेप होती है जिससे सीरियस मल्टीपल रजिसटैंट डिसीज़ होती है, उसे क्योर करने की उम्मीद कम है। इसलिये हमने यह तय किया है कि जो भी प्रीलमनरी बातें हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कहा है। स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है जैसेकि कपैसिटी बिल्डिंग होने की जरूरत है, वह होगी और उसके लिए फंड्स रिलीज़ करें। मैं यह बताना चाहूंगा कि फंड्स की कोई कमी नहीं है। इसलिये जिस स्टेट गवर्नमेंट की कमियां हैं, केन्द्र सरकार उनको दूर करने की कोशिश कर रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

डा. गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास आंकड़े हैं कि जिन राज्यों में वर्ल्ड बैंक की स्कीम शुरू हुई, उसके बाद वहां रोगियों की संख्या बढ़ी है अथवा घटी है। हमारे आंकड़ों के अनुसार यह संख्या बढ़ी ही है, क्योंकि दुर्भाग्य से राजस्थान उन राज्यों में आता है जिन राज्यों को सहायता मिली है। लेकिन सहायता के बावजूद वहां रोगियों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे आंकड़े दूसरे राज्यों के भी हैं। आप कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी। लेकिन इतना पैसा राज्य सरकारों को देने के बावजूद भी क्षय रोगियों की संख्या गुजरात, तमिलनाडु, वैस्ट बंगाल या राजस्थान की तरह अन्य राज्यों में भी बढ़ रही है, उसका क्या कारण है। क्या मॉनीटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो रही है, दवाओं का वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और क्या अवेयरनैस प्रोग्राम सरकार को इस प्रोग्राम के साथ करना चाहिए, क्या वह कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है?

श्री सुरेश प्रभु : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि टुबरकुलोसिस के कितने पेशेंट्स हैं, इस तरह का नेशनल सर्वे कराने की जरूरत थी, वह सर्वे नहीं किया गया। लेकिन अभी जो नया प्रोग्राम हम वर्ल्ड बैंक की सहायता से पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को सौ देशों में वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से इस प्रोग्राम को अपने देश में चलाया था। एक प्रोग्राम के और पहले आने वाले प्रोग्राम में जिस तरह के चेंजिज हमने देखे, उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम सिर्फ एक्स-रे देखते थे, एक्स-रे के माध्यम से विजुअल इम्पैक्ट की तरह से हम देख पाते हैं और फिर हमें मालूम पड़ता था कि यह टी.बी. पेशेन्ट है या नहीं। लेकिन जिस तरह से हमने डी.ओ.टी.एस. प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें हमने देखा है रोग के पता चलने की प्रतिशतता पूर्व कार्यक्रम से अधिक बेहतर है। वह कार्यक्रम बहुत अधिक वैज्ञानिक नहीं था। यह कार्यक्रम वास्तव में काफी वैज्ञानिक है। इसलिए हमने आज जिस तरह का प्रोग्राम देखा उससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि संख्या घटी है या बढ़ी है। लेकिन जिस तरह का सर्वे करना चाहिए था वह नहीं किया गया। लेकिन राजस्थान स्टेट को हम इस प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से कवर करेंगे। आज पूरी स्टेट को कवर नहीं किया गया है, लेकिन वह पूरी स्टेट कवर होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इस प्रोग्राम को पूरी तरह से इम्पलीमेंट किया जाए तो जिस तरह के टी.बी. पेशेन्ट्स आज पाये जा रहे हैं, उनमें हम जरूर कमी महसूस करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विभिन्न राज्यों में क्षयरोग के मामले पुनः प्रकाश में आने की बात को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का उन राज्यों में पुनः सर्वेक्षण करवाने का विचार है जहां क्षय रोग के मामले पुनः प्रकाश में आए हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि पांच वर्ष में 271.21 मिलियन जनसंख्या को कवर करने के लिए वर्ष 1997 में आर.एन.टी.सी.पी. का आरम्भ किया गया था। तीन वर्ष समाप्त हो चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य में कितनी जनसंख्या कवर की गई है।

इसके अतिरिक्त क्षय रोग के मामलों के इलाज के लिए बहु औषधि की कमी है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार राज्य सरकार को बहु औषधि की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ताकि यह बहु औषधि रोगियों को दी जा सके।

श्री सुरेश प्रभुः पूरे वैस्ट बंगाल को कवर किया जा रहा है। प्रथम वर्ष में, छः जिलों में यह योजना आरम्भ की गई है। हमने पहले ही यह देख लिया है कि इन छः जिलों में से कुछ जिलों में निदान अच्छी तरह से नहीं होता है। निदान संबंधी मार्ग निर्देशों

का पालन नहीं किया जा रहा है। द्वितीय वर्ष में प्रबंध में काफी विलम्ब किया है। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक विलम्ब हुआ है। इन सात जिलों में से किसी भी जिले में आज तक योजना आरम्भ नहीं हो सकी है जिनमें कि पहले ही यह योजना आरम्भ हो जानी चाहिए थी। एक डी.टी.ओ. के पद, अर्थात एक पूर्णकालिक पद की वास्तव में बहुत आवश्यकता है क्योंकि कार्मिक कार्यक्रम की सफलता की कुंजी होता है।

अतः राज्य तथा जिला स्तर पर उपयुक्त प्रशिक्षित कर्मचारी की अनुपस्थिति में कार्यक्रम की गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी जा सकती है। अतः हम भी इन पदों के लिए व्यक्तियों को ढूँढने और इन पदों के भरे जाने को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में हैं। अतः पश्चिम बंगाल में, हालांकि इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी जिले कवर किए जाने थे, आज प्रथम वर्ष में, केवल छः जिले कवर किए जा सके हैं और सात जिलों में प्रगति अभी भी बहुत धीमी है जिनको कि द्वितीय वर्ष में कवर कर लिया जाता है। हम इसे थोड़ा तेजी से कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, आपने एक सही पूछा है। आपने बहु औषधि थेरेपी के संबंध में एक प्रश्न उठाया है। आपने इस कार्यक्रम की विलक्षणता को देखा है। यदि एक बार हमें टी.बी. के रोगी का पता चल जाए तो हम रोगीवार औषधियों का पैकेज तैयार कर लेते हैं जो कि उसे देना होता है। हम यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि रोगी आवधिक आधार पर टी.बी. सैन्टर में आए। यदि वह नहीं आता है तो कर्मचारी उसके घर जाता है और उसे यह सुनिश्चित करने के लिए टी.बी. सैन्टर लाता है कि आवश्यक दवा उसे दे दी गयी है। अतः यह उसके लिए एक बहुत ही अद्वितीय और विशेष कार्यक्रम है। लेकिन इन कार्यक्रमों का सही तरीके से पालन न होने पर जो प्रश्न उत्पन्न होगा, वह यही है। टी.बी. के लिए चार औषधियाँ हैं और यदि किसी व्यक्ति को किसी खास दवा का असर नहीं होता है, तो वही समस्या उत्पन्न होती है जिसका आपने पहले ही उल्लेख कर दिया है। वह इलाज उसके लिए जहर का काम करता है। बहु-औषधि थैरेपी में इलाज बहुत महंगा है। इसमें कम से कम एक लाख का खर्चा आता है और इलाज बहुत विषाक्तपूर्ण होता है। हमने कुछ रोगियों को इन दवाओं के साथ आत्महत्या करते हुए भी देखा है। लेकिन हमारा जोर यही होता है कि बहु-औषधि प्रतिरोधकों द्वारा ही इलाज किया जा सके जिसकी विश्व बैंक के कार्यक्रमों के अन्तर्गत गारंटी दी जा रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: नए सिरे से सर्वेक्षण करवाने के बारे में आप क्या कह रहे थे? आपने नए सिरे से सर्वेक्षण करवाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया है।

श्री सुरेश प्रभु: हम इस मामले पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, कृपया एक सटीक प्रश्न पूछिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पश्चिम बंगाल के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सबसे अधिक धनराशि आवंटित किए जाने के बावजूद भी उनका कार्य निष्पादन सबसे खराब है। इस विवरण के अनुसार पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता की सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है जो कि उन राज्यों को दी गई संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। हालांकि वे सबसे अधिक धनराशि प्राप्त कर रहे हैं, फिर देश में उनका कार्य सबसे खराब है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि यह धनराशि जो कि राज्य सरकार को दी जा रही है उसका बंटवारा किया गया है अथवा नहीं मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कोई निगरानी की गई है अथवा नहीं और क्या सरकार को किसी धनराशि के बंटवारे के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार का इतना बुरा कार्य-निष्पादन क्यों है?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, धनराशि के बँटवारे की संभावना नहीं है क्योंकि यह धनराशि जिला स्तर पर दी जाती है और यह धनराशि सीधे जिला क्षय रोग सोसायटी को दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न काल समाप्त हो गया है। आप उनके पास जवाब भेज सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु: जिस समस्या का सामना हम कर रहे, हैं वह यह है कि कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए कार्मिक प्रशिक्षण, अवसंरचना का सृजन करने के पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए हैं। वह उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वनांचल विधेयक

*345. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू सत्र में वनांचल विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछली लोक सभा में वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों की स्थापना से संबंधित विधेयकों के व्यपगत हो जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000, जिसमें पृथक वनांचल राज्य के सृजन की व्यवस्था है, राष्ट्रपति द्वारा 12.5.2000 तक, उस पर बिहार राज्य विधान मंडल के विचार जानने के लिए उन्हें वापस भेजा गया है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में अपेक्षित है। राज्य विधान मंडल के मत की जांच करने के बाद इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों के सृजन से संबंधित विधेयक, जिन्हें दिसम्बर, 1998 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, 26.4.1999 को 12वीं लोक सभा के भंग हो जाने के साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 107(5) के अनुसार व्यपगत हो गए थे।

जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमले

***346. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्तिः**
श्री दलपत सिंह परस्तेः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सशस्त्र आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में छत्तीसिंहपुरा गांव में एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खुफिया एजेंसियां इस हमले के बारे में पहले से सुरक्षा बलों को सचेत करने में असफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अपराधियों को पकड़ने और राज्य में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) मृतक लोगों के परिवारजनों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने और बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) 20-21 मार्च के बीच की रात के दौरान लगभग 2200 बजे अधुनातम हथियारों से लैस आतंकवादी अनन्तनाग जिले में सिख बाहुल्य वाले छत्तीसिंहपुरा गांव में घुसे और सिख समुदाय से संबंधित 35 व्यक्तियों को मार डाला।

(घ) और (ङ) जब से जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद शुरू हुआ है तब से अप्रभावित सिख समुदाय को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने के बारे में कोई विशिष्ट आसूचना नहीं थी।

(च) इस नरसंहार में संलिप्त आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने तुरन्त अभियान चलाए। हत्याकाण्ड में शामिल होने के लिए छत्तीसिंगपुरा के एक स्थानीय निवासी को गिरफ्तार किया गया था और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपने के अड्डों पर छापे मारे जिसके परिणामस्वरूप बहुत से आतंकवादी, जिन पर इस घटना में शामिल होने का आरोप है, मारे गए। अन्य बातों के साथ-साथ, सुरक्षा पिटकों की व्यवस्था करके घाटी में सिख बाहुल्य वाले गांवों में सुरक्षा प्रबंध पहले ही सुदृढ़ कर दिए गए हैं। ऐसे गांवों, जहां पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक उपलब्ध हैं, में ग्राम सुरक्षा समितियां गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।

(छ) निर्धारित मानदण्डों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद संबंधी हिंसा के कारण मारे गए सिविलियनों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रही अदायगी की जा रही है।

(ज) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

युवा कार्यक्रम

***347 श्री पुन्नू लाल मोहलेः** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा युवकों के लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे इन कार्यक्रमों के बारे में देश के युवकों को जानकारी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी युवक इन कार्यक्रमों से अवगत हों और लाभान्वित हों, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा युवाओं के लिए कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य युवा छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करना है। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना 175 विश्वविद्यालयों और 22 वरिष्ठ माध्यमिक परिषदों में चलाई जा रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना में दो प्रकार के कार्यक्रम हैं जो इसके स्वयंसेवकों द्वारा आरंभ किये जाते हैं; ये हैं नियमित गतिविधियां और विशेष शिविर कार्यक्रम। इस योजना से छात्रों को समुदाय की विभिन्न समस्याओं को जानने के लिए अत्यधिक शैक्षिक मूल्य का अनुभव प्राप्त होता है।

(ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.):

नेहरू युवा केन्द्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। एन.वाई.के.एस. लगभग 1.6 लाख कार्यक्रम आधारित युवा क्लबों के संजाल के माध्यम से 8 मिलियन से अधिक ग्रामीण युवाओं के माध्यम से काम करता है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्वैच्छिक कार्यवाही पर बल देते हुए गाँवों में सामाजिक, आर्थिक विकास कार्य के लिए ग्रामीण युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें इस कार्य के लिए जुटाने की कार्य नीति अपनाता है। एन.वाई.के.एस. द्वारा युवाओं से संबधित कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं हैं: व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वैच्छिक श्रमदान के माध्यम से कार्य शिविर, ग्रामीण खेल और साहस, राष्ट्रीय एकीकरण, परंपरागत और लोक कला तथा संस्कृति आदि का संवर्धन।

(ग) युवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना:

इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना है। स्वैच्छिक संगठनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता दी जाती है ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) युवाओं के प्रशिक्षण की योजना:

इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और प्रतिभाओं पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सहभागिता के माध्यम से जानकारी का प्रसार करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना है। स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, नेहरू युवा केन्द्रों और राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

(ङ) पिछड़ी जनजातियों के युवाओं के बीच युवा गतिविधियों के संवर्धन के लिए विशेष योजना:

इस योजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के विकास तथा साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर और सामान्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करके पिछड़ी जनजातियों के युवाओं का भी विकास करना है।

(च) युवाओं के लिए प्रदर्शनी की योजना:

इस योजना का उद्देश्य सहनशीलता, सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता के सिद्धान्तों और शांतिपूर्ण प्रगति को प्रदर्शनी के माध्यम से सक्रियता और ऊर्जस्विता से प्रचारित करना है। कार्यक्रमों/गतिविधियों में लोक नृत्यों, लोकगीतों, चित्रकला, कला एवं शिल्प, पुस्तकों पर प्रदर्शनी और विभिन्न विकासपरक एवं युवा संबंधी योजनाएं शामिल हैं।

(छ) राष्ट्रीय एकीकरण का विकास:

यह योजना देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के बीच और अधिक आदान-प्रदान तथा आपसी सूझबूझ की भावना जागृत करने तथा शिविरों, अंतर-राज्यीय दौरों, सेमिनारों, सम्मेलनों, अनुसंधान प्रकाशनों, क्षेत्रीय तथा आंचलिक महोत्सवों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषाई कट्टरवाद तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए, राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की अधिक सहभागिता के लिए ढांचा प्रदान करती है।

(ज) साहस का संवर्धन:

इस योजना का उद्देश्य युवाओं में जोखिम लेने, मिलकर टीम कार्य करने, सहनशीलता तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहसिक कार्यकलापों जैसे पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, रोईंग, राफ्टिंग, हाईकिंग, आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अन्वेषण, पर्वतों, रेगिस्तान तथा समुद्रों में वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं के बारे में अध्ययन; तटीय नौकायन आदि के लिए युवाओं में शीघ्रता, तत्परता और प्रभावी प्रतिक्रिया का सृजन तथा विकास करना तथा ऐसे कार्यकलापों को शुरू करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना भी है।

(झ) युवा छात्रावासों का निर्माण:

योजना का उद्देश्य युवा छात्रावासों का निर्माण करके जो युवा गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, युवा यात्रा तथा युवा गतिविधि कार्यक्रमों का संवर्धन करना है। केन्द्रीय सरकार युवा छात्रावासों की निर्माण लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार निःशुल्क भूमि, पानी तथा बिजली कनेक्शन, पहुँच मार्ग तथा स्टाफ क्वार्टर्स उपलब्ध कराती है और छात्रावासों की प्रारंभिक प्रचालन संबधी लागत भी वहन करती है।

(ज) युवा क्लब तथा खेल क्लब को सहायता हेतु योजना:

इस योजना के तीन घटक हैं:

(1) उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार:

योजना का उद्देश्य युवा क्लबों के योगदान को मान्यता देना तथा राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना है। पुरस्कार जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर दिये जाते हैं।

(2) खेल क्लबों को वित्तीय सहायता:

इस योजना का उद्देश्य चरणबद्ध रूप में प्रत्येक ब्लाक में एक, प्रमुख स्वैच्छिक खेल क्लब/खेल केन्द्रों का संवर्धन करना है।

(3) युवा क्लबों को वित्तीय सहायता:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य नवस्थापित युवा क्लबों को प्रोत्साहित करना तथा सहायता देना है ताकि वे राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में कारगर ढंग से भाग ले सकें और पूरे देश में संगठित युवा क्लब आंदोलन का संवर्धन करना है।

(ट) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना (एन.एस.वी.एस.):

इस योजना का उद्देश्य सामान्यतः उन छात्रों को अवसर प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्रथम डिग्री पूर्ण कर ली है ताकि वे स्वयं किसी विशेष अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में स्वैच्छिक आधार पर शामिल हो सकें। योजना से लाभ प्राप्त करने वालों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत स्काउट्स तथा गाइड, युवा क्षेत्रों में काम कर रहे चयनित गैर-सरकारी संगठन तथा राज्य सरकारें शामिल हैं।

(ठ) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी (एन.आर.सी.):

एन.आर.सी. योजना जून, 1999 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में दो वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर देश के 80 चुनिन्दा पिछड़े जिलों में प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मैट्रिक पास युवाओं को अवसर प्रदान करना है।

(ड) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) प्रशिक्षण केन्द्र योजना:

योजना का उद्देश्य 14 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन प्रशिक्षणार्थियों का उनके द्वारा चयनित विधाओं में मूल्यांकन किया जाता है और अंत में भा.खे.प्रा. के विभिन्न केन्द्रों में आवासीय प्रशिक्षण के लिए इनका चयन किया जाता है। इस समय, इन केन्द्रों में जो 17 खेल विधाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, वे हैं: एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबाल, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साईक्लिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, हैंडबाल, जूडो, तैराकी, कबड्डी, वालीबाल, कुश्ती, भारोत्तोलन, कैनोइंग और क्याकिंग तथा रोइंग।

(ढ) खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना:

योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना है। छात्रवृत्ति तीन श्रेणियों के लिए दी जाती है:

1. राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 450 रु. प्रतिमाह अर्थात 5400 रु. प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

2. राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 600 रु. प्रतिमाह अर्थात 7200 रु. प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तरीय छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 750 रु. प्रतिमाह अर्थात 9000 रु. प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

शिक्षा विभाग

(क) प्रौढ़ शिक्षा:

देश भर से निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अभियान का आदर्श मुख्य नीति के रूप में अपनाया है। साक्षरता अभियान क्षेत्र विशेष, समयबद्ध हैं और स्वेच्छावाद, किफायत

और परिणामोन्मुखी तरीकों के माध्यम से चलाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है ताकि वर्ष 2005 तक 75% के स्तर तक साक्षरता को बनाए रखने की शुरूआत की जा सके।

(ख) छात्रवृत्तियाँ:

शिक्षा विभाग भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों को चलाता है ताकि वे भारत तथा विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आगे अध्ययन/अनुसंधान कर सकें। इनमें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विदेशों द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण:

योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार को बढ़ावा देना, कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के अन्तर को कम करना तथा बिना किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करना है। कक्षा 9 तथा 10 के छात्रों को सरल बाजारोन्मुखी कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निचले माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना भी है ताकि उनमें व्यावसायिक रुचि का विकास किया जा सके और छात्रों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को एक विकल्प बनाने में छात्रों को सुविधासम्पन्न बनाना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.):

इस योजना का उद्देश्य पूर्व जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) का पुनर्गठन कर ग्राम स्तर पर ग्रामीण अवस्थापना का विकास करना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य समुदाय द्वारा ग्रामीण अवस्थापना की मांग के सृजन सहित गांवों में गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का द्वितीय उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीब व्यक्तियों के लिए मजदूरी वाले रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित युवाओं को भी लाभ होता है।

(ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.):

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) पूर्व कार्यक्रमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ग्रामीण कलाकारों को बेहतर औजार किटों की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुओं योजना को मिलाकर तथा समन्वित कर अप्रैल 1, 1999 से प्रारंभ की गई थी। योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उपक्रम स्थापित करना है ताकि 3 वर्षों में उन सभी परिवारों को, जिन्हें सहायता दी गई है, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। ग्रुप (एस.एच.जी.) दृष्टिकोण, जो कि इस योजना में केन्द्रीय स्थान रखता है, को ग्रामीण युवा स्व-रोजगार और आय सृजन के लिए अपना सकते हैं।

(ग) रोजगार आश्वासन योजना:

योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे ग्रामीण युवाओं के लिए मजदूरी का रोजगार न मिलने की अवधि में शारीरिक कार्य के अवसर प्रदान करके अतिरिक्त मजदूरी के अवसरों का सृजन करना है। दूसरा उद्देश्य रोजगार और विकास के लिए टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। योजना सभी गरीब ग्रामीण युवाओं सहित उन युवाओं के लिए है जिन्हें मजदूरी वाले रोजगार की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त (लघु उद्योग):

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) 2 अक्टूबर, 93 को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

18-35 वर्ष के आयु वर्ग (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 18-40 वर्ष) के उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रु. प्रति वर्ष (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 40,000 रु. प्रतिवर्ष) तक है, को एक लाख रु. तक के स्व-रोजगार उद्यमों के लिए, प्रत्यक्ष कृषि कार्य के अलावा सभी आर्थिक व्यवहार्य कार्यकलापों में व्यापारिक कार्यकलापों के लिए (2 लाख रु. तक अन्य सेवा संबंधी कार्यकलापों के लिए) सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत 10 लाख रु. तक की साझेदारी वाली परियोजनाएँ आती हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(क) युवा वैज्ञानिकों के लिए अवसर

इस योजना का उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान तथा विकास (आर. एंड डी.) के कार्य को जीविका के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना तथा उन्हें जोखिमपूर्ण और

नवीन अनुसंधान के विचारों में लगे रहने, परस्पर विचार-विमर्श तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर वैज्ञानिक समुदायों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के अवसर प्रदान कर विज्ञान के क्षेत्र में लगाये रखना तथा राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की विकासात्मक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बनाए रखना है।

(ख) किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना:

योजना का लक्ष्य स्कूल तथा कालेज/एम.एस.सी. स्तर पर युवा वैज्ञानिक छात्र हैं। योजना के अंतर्गत उन छात्रों को ट्यूशन फीस, छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए उन विभिन्न मानव संसाधन विकास कार्यकलापों जिनमें अभिविन्यास दौरे तथा अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं/उद्योगों/गैर-सरकारी संगठनों में गर्मियों में प्रशिक्षण, अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रमों में सहभागिता, ...रों और रिपोर्टों का प्रकाशन, पुस्तकों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि की आवधिक पत्रिकाओं की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।

(ग) सामाजिक कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक:

योजना का लक्ष्य युवा वैज्ञानिकों को समाज के कमजोर वर्गों की रोजमर्रा की समस्याओं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामना करने के लिए तथा स्वयंसेवी क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए नवीन अनुसंधान के विचारों को प्रोत्साहन देना है।

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय

(क) मद्यनिषेध तथा मादक वस्तुओं के दुरूपयोग की रोकथाम:

मद्य-निषेध तथा मादक वस्तुओं के दुरूपयोग से निपटने के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने तीन सूत्री कार्यनीति तैयार की है जिसके घटक निम्नलिखित हैं:-

1. मादक वस्तुओं के दुरूपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा लोगों को शिक्षित करना।
2. अभिप्रेरण, परामर्श, उपचार, रोगमुक्त व्यसनियों के अनुपालन तथा सामाजिक पुन: एकीकरण के सुव्यवस्थित कार्यक्रम के जरिए व्यसनियों से निपटना।
3. मादक वस्तुओं के दुरूपयोग के नियंत्रण प्रचालकों के शिक्षित संवर्ग के निर्माण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवकों को पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान करना।

शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

(क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना:

तीन शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाएं, नामत: गरीबों के लिए शहरी मूल सेवाएं (यू.बी.एस.पी.), नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) तथा प्रधानमंत्री जी का समेकित शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम (पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी.), योजना में सम्मिलित हैं। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उद्यमों तथा मजदूरी रोजगार के प्रावधान की स्थापना को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगारों अथवा रोजगाराधीन व्यक्तियों को सार्थक रोजगार प्रदान करना है। शहरी गरीब युवा भी इस योजना के अंतर्गत संभावित लाभार्थी हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग

(क) किशोर लड़कियों की योजना:

यह योजना 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोर लड़कियों के लिए है जिसका उद्देश्य उनके आत्म विकास, पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा, साक्षरता, मनोरंजन तथा कौशल निर्माण की विशेष जरूरतों को पूरा करना है।

(ख) कामकाजी महिला छात्रावास:

इन योजनाओं का उद्देश्य उन कामकाजी महिलाओं, एकल, तलाकशुदा, विवाहित तथा विधवाओं को सुरक्षित तथा सस्ते छात्रावासीय मकान उपलब्ध कराना है जो कस्बों और शहरों में पलायन कर जाती हैं जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

(ग) प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एस.टी.ई.पी.):

योजना का उद्देश्य कृषि, रेशम उत्पादन, दस्तकारी, मत्स्य पालन, डेरी, मुर्गी पालन आदि के परंपरागत क्षेत्रों में गरीब तथा संपत्तिहीन महिलाओं को उनके उत्पादन को बढ़ाने और आय उत्पन्न करने के लिए नए उन्नत कौशल उपलब्ध कराना है।

(घ) राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.):

यह अनौपचारिक क्षेत्रों में गरीब तथा जरूरतमंद महिलाओं को उधार सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय उधार निधि है।

(ङ) इंदिरा महिला योजना (आई.एम.वाई.):

योजना का उद्देश्य एकत्रित होकर, विश्लेषण करके तथा विद्यमान विभागीय कार्यक्रमों के जरिए उनकी जरूरतों को पूरा करने हेतु महिलाओं के लिए संगठनात्मक आधार सृजित करके महिलाओं को आदर्शवादी अधिकार प्रदान करना है।

श्रम मंत्रालय

श्रम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम:

विभिन्न स्तरों पर उद्योग को कुशल श्रम शक्ति की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत बहुत सी प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, दस्तकार प्रशिक्षण योजना तथा शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर:

1948 में एक संसदीय अधिनियम के द्वारा सृजित की गई राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) पूर्णतया युवा छात्रों के लिए एक योजना है। यह एक अंतर-सेवा संगठन है जिसमें थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना की इकाईयां हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं:-

(1) नेतृत्व, चरित्र, सहयोग भावना, खेल भावना के विचार तथा सेवा के आदर्श का विकास, (2) अनुशासित तथा प्रशिक्षित श्रमशक्ति की सेना का सृजन जो राष्ट्रीय आपातकाल में देश के लिए सहायक हों; तथा (3) छात्रों को प्रशिक्षण का प्रावधान जिसका उद्देश्य उनमें अफसरों जैसे गुण विकसित करना है तथा उनको सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना है।

एन.सी.सी. में नामांकन तीन डिवीजनों में किया जाता है नामत: जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन तथा लड़कियों की डिवीजन। लड़कियों की डिवीजन में स्कूलों में जूनियर विंग और कालेजों में सीनियर विंग समाहित हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही बहुत सी योजनाओं में सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी.) के आंतरिक अंश निहित हैं जिनमें योजना के बारे में जागरूकता सृजित करने की व्यवस्था है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन से संबद्ध युवा क्लब तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयां भी विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करती हैं जो युवा लोगों को प्रभावित करते हैं।

जहानाबाद में नक्सलियों द्वारा हमले

***348. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री अरूण कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नक्सली हिंसा में वृद्धि हुई है और उसका प्रसार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) बिहार के जहानाबाद में हाल ही में मारे गए लोगों की संख्या और अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) मारे गए लोगों के परिवारों को कब तक मुआवजे का भुगतान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) हाल के वर्षों में देश में नक्सलवादी हिंसा की घटनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

बिहार में नक्सलवादी हिंसा में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। पहले से प्रभावित जिलों नामत: जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना, पलामू, गढवा, छतरा, रोहतास और नालान्दा के अलावा नक्सलवादी गतिविधियां रांची, लोहारदग्गा, कैमूर, नवादा, गुमला, हजारीबाग और सिवान जिलों में भी फैल गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष अर्थात् 2000 के दौरान जहानाबाद जिले में वामपंथी उग्रवादी घटनाओं में 15 व्यक्ति मारे गए। इस बारे में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(1) 17.1.2000 को पी.डब्ल्यू. उग्रवादी ने गांव कुमवा में एक रामविजय पासवान की गोली मार कर हत्या कर दी।

(2) 25.1.2000 को गांव बादोपुर में एम.सी.सी. के साथ झगड़े में एक पी.यू. उग्रवादी मारा गया।

(3) 3.3.2000 के कचनामा में पुलिस के साथ गोलीबारी में 11 पी.यू. उग्रवादी मारे गए। इस घटना में 2 पुलिस कार्मिक भी मारे गए।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित घटनाओं के संबंध में बिहार को कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया था।

(ङ) से (ज) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, रामविजय पासवान की हत्या के मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और मुआवजे के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। 3.3.2000 को कचनामा में मुठभेड़ में मारे गए दो पुलिस कार्मिकों के संबंध में मुआवजा देने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है। 3.3.2000 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 11 पी.यू. उग्रवादियों के मामले में कोई मुआवजा देय नहीं है क्योंकि वे प्रतिबन्धित संगठन से संबंधित थे। इसी प्रकार 25.1.2000 को गांव बादोपुर में मारे गए पी.यू. उग्रवादी के मामले में भी कोई मुआवजा देय नहीं है।

विवरण

नक्सलवादी हिंसा की घटनाएं

राज्य	1997	1998	1999	2000 (मार्च तक)
आन्ध्र प्रदेश	863(234)	736(205)	602(151)	129(40)
बिहार	470(325)	373(206)	481(378)	136(81)
मध्य प्रदेश	102(14)	179(59)	95(47)	37(28)
महाराष्ट्र	35(9)	43(13)	40(15)	12(2)
उड़ीसा	24(-)	11(5)	5(-)	7(1)
अन्य	7(2)	9(1)	23(7)	8(2)

कोष्ठकों में दिखाए गए आंकड़े मृत्यु के हैं।

सुरक्षा व्यवस्था समाप्त करना

***349. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैनात किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) और अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.वी.आई.पी.) को प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था में कमी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं तथा ऐसे कितने व्यक्तियों के सुरक्षा कवच को हटाने अथवा कम करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस संबंध में सार्वजनिक घोषणा करने का औचित्य क्या है; और

(घ) इस सार्वजनिक घोषणा को करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) आम नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें धमकियां मिलती रही हों, को समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार वैयक्तिक सुरक्षा की तैनाती की निरन्तर समीक्षा करती रहती है तथा खतरे की संभावना के आधार पर अपेक्षित आवश्यक परिवर्तन करती है ताकि बल का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित हो सके। संरक्षितों की सुरक्षा की हाल ही की पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में एन.एस.जी. की सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है।

इस मंत्रालय ने हाल ही में इस विषय पर अपनी नीति की व्यापक पुनरीक्षा की है। नई नीति की मुख्य-मुख्य बातें 7/2/2000 को एक प्रेस सम्मेलन के द्वारा रिलीज की गई थीं जिससे कि आम जनता को इस विषय पर मंत्रालय के स्पष्ट दृष्टिकोण की जानकारी मिल सके। इस प्रैस सम्मेलन में किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया गया था।

भूकम्प प्रवण क्षेत्र

***350. श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री विजय हान्दिक :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूकम्प-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र बार-बार भूकम्प के हल्के झटके महसूस करता रहता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) देश के किन राज्यों में हाल ही में भूकम्प के बड़े झटके महसूस किए गए;

(च) क्या देश में इस संबंध में लोगों को पूर्व चेतावनी देने के लिए कोई कारगर तंत्र उपलब्ध है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) भूकम्पनीय सम्बन्धी आंकड़ों तथा विभिन्न भौगोलिक एवं भूभौतिकीय पैरामीटरों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को पांच भूकम्पनीयता वाले अंचलों में विभाजित किया है। पांचवां अंचल अति भूकम्प सक्रिय क्षेत्र है तथा पहला अंचल सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। मोटे तौर पर, पांनवें अंचल में समूचा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार तथा अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं। चौथे अंचल में सिक्किम, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार के बाकी हिस्से, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात के हिस्से और पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र का एक छोटा हिस्सा शामिल है। तीसरे अंचल में केरल, गोआ, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्से, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के हिस्से आते हैं। पहले तथा दूसरे अंचल में देश के बाकी बचे हुए सभी हिस्से शामिल हैं।

(ग) जी, हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बार-बार भूकम्प में झटके आते रहते हैं।

(घ) समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र पांचवें अंचल के अंतर्गत आता है। पिछले सौ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में आए 7.00 से अधिक तीव्रता वाले कुछ भूकम्प इस प्रकार हैं: 8 जुलाई, 1918, 2 जुलाई, 1930, 23 अक्तूबर, 1943 को असम में आए भूकम्प, 15 अगस्त, 1950 को अरूणाचल प्रदेश - चीन सीमा पर आया भूकम्प तथा 6 अगस्त, 1988 को मणिपुर-म्यांमार सीमा पर आया भूकम्प।

(ङ) पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रचण्ड भूकम्प महसूस किये गये। इनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

दिनांक	स्थान	परिमाण
20 अक्तूबर, 1991	उत्तरकाशी (उत्तर प्रदेश)	6.6
30 सितम्बर, 1993	लाटूर-उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)	6.3
22 मई, 1997	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	6.0
29 मार्च, 1999	चमोली (उत्तर प्रदेश)	6.8

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) विश्व में कहीं भी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे लोगों को भूकम्प के आने के स्थान, समय एवं तीव्रता के बारे में पर्याप्त परिशुद्धता के साथ पूर्वानुमान/पूर्व चेतावनी दी जा सके। भूकम्प का अनुवीक्षण करने तथा भूकम्प के पश्चात् राहत कार्यों के लिए सहायता प्राधिकारियों को भूकम्प के पैरामीटरों के बारे में त्वरित जानकारी उपलब्ध कराना सम्भव है और देश में ऐसा किया जा रहा है।

(झ) भूगर्भ में होने वाली भूकम्प न प्रक्रिया को समझने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक अध्ययन कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

उर्वरक क्षेत्र से नियंत्रण समाप्त करना

***351. श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री मोहम्मद अनवारुल हक:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक क्षेत्र से नियंत्रण पूरी तरह समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में दिनांक 9 दिसम्बर, 1999 के "दि बिजनेस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ङ) सरकार को 10 दिसम्बर, 1999 को "दि बिजनेस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। आर्थिक उदारीकरण तथा सुधार की नीति के अनुरूप यूरिया को छोड़कर अन्य सभी किस्म के उर्वरकों पर से मूल्य, संचलन तथा वितरण नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है। सरकार का इरादा सभी तीनों किस्म के उर्वरकों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटासिक में एक ओर तो अपनी

राजकोषीय क्षमता तथा दूसरी ओर कृषकों को मुनासिब मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने को ध्यान में रखने के पश्चात् एक नियंत्रणमुक्त योजना की व्यवस्था की ओर बढ़ने का है। एक दीर्घावधि नीति तैयार करके सरकार के इरादे को एक ठोस कार्रवाई योजना में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक नीति पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के उन निर्णयों को शामिल किया जाएगा जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या

***352. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्री अब्दुल हमीद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों की तुलना में भारत में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा नेत्रहीन व्यक्तियों के उपचार हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संगठनों द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार भारत में विश्व में अनुमानित 450 लाख दृष्टि विहीन व्यक्तियों में से 3/60 से कम की दृष्टि तीक्ष्णता वाले 60 लाख व्यक्ति हैं। विभिन्न क्षेत्रों/देशों में दृष्टिहीनता की व्याप्तता दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पिछले 3 वर्षों में नेत्र परिचर्या सुविधाओं की स्थापना/विस्तार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनावर्ती अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा नेत्र बैंकों को जारी किये गये अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

अन्य योजनाओं के लिए जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को धन प्रदान किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों को जारी किए गए सहायतानुदान का ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता के लिए योजनाओं का ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

विवरण I

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यथानुमानित विभिन्न क्षेत्रों/देशों में दृष्टिहीनता की व्याप्तता-दर दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र	दृष्टिहीनता की व्याप्तता-दर (प्रतिशत)
उत्तरी अमेरिका	0.4
यूरोप	0.4
आस्ट्रेलिया	0.4
दक्षिणी अमेरिका	0.4+0.6
चीन	0.4+0.6
दक्षिण-पूर्व एशिया	0.6+1
खाड़ी देश	0.6+1
उत्तरी अफ्रीका	0.6+1
केन्द्रीय और दक्षिणी अफ्रीका	1
इन्डोनेशिया	1
पाकिस्तान	1
अफगानिस्तान	1

दक्षिण-पूर्व एशिया में दृष्टिहीनता की व्याप्तता दर और दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

देश	दृष्टिहीनता की व्याप्तता-दर	अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति
1	2	3
बंगला देश	1.00	12.40
भूटान	0.80	0.05
डी.पी.आर. कोरिया	0.40	0.96

1	2	3
भारत	0.70	67.27
इंडोनेशिया	1.47	29.49
मालद्वीव	0.80	0.02
म्यांमार	0.90	4.42
नेपाल	0.80	1.80
श्रीलंका	0.50	1.91
थाईलैंड	0.31	1.84

*दृष्टिहीनता जिसे 3/60 से कम दृष्टि वाले लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है, की व्याप्तता दर

स्रोत: विजन 2020 दस्तावेज, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1999

विवरण II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1997-2000 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को अनावर्ती अनुदान विवरण

वर्ष	क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	जारी किए गए सहायतानुदान की राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1997-98	1.	राजावल्ली राधेराम लायन्स नेत्र अस्पताल, पालकोल, आंध्र प्रदेश	17.75
	2.	रोटेरी नेत्र (विज़ाग मिड टाउन चैरीटेबल ट्रस्ट, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश	17.75
	3.	लायन्स क्लब आफ सूर्यपेट नेत्र अस्पताल, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	17.75
	4.	बिथेस्डा अस्पताल सोसाइटी, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश	17.75
	5.	रोटेरी मिशन अस्पताल, सागर, मध्य प्रदेश	6.5
	6.	जबलपुर डायोसेसन सोशियल सर्विस सोसाइटी, मांडला, मध्य प्रदेश	17.75
	7.	क्रिश्चियन अस्पताल मुंगेली, बिलासपुर, मध्य प्रदेश	0.0
	8.	सेवा सदन नेत्र अस्पताल ट्रस्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश	17.75
	9.	इन्नाना प्रभोदीनी मेडिकल ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र	17.75
	10.	महात्मा गांधी मिशन अस्पताल, नई मुंबई, महाराष्ट्र	4.50
	11.	तेलेगांव जनरल अस्पताल और स्वास्थ्य लाभ गृह, पुणे, महाराष्ट्र	17.75
	12.	रोटेरी नेत्र केयर ट्रस्ट, संग्मनेर, अहमदनगर, महाराष्ट्र	12.50
	13.	अन्तोद्या चेतना मंडल, मयूरभंज, उड़ीसा	17.75
	14.	निसादरी धैरीयलान, उड़ीसा	17.75
	15.	सर्विसेज सेंट्रल आफर दी विकलांग संघ केन्द्र, तितिलागढ़, बोलनगीर, उड़ीसा	17.70
	16.	मुरादाबाद धर्मार्थ न्यास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	17.75
	17.	खैराताबाद नेत्र अस्पताल, कानपुर, उत्तर प्रदेश	17.75
1998-99		शून्य	
1999-2000	18.	के.जी. नेत्र अस्पताल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	14.50
	19.	करूणा ट्रस्ट चमराजनगर, कर्नाटक	8.875

विवरण III

पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वैच्छिक क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्र बैंक को सहायतानुदान

(जारी की गई राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	नेत्र बैंकों के नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	स्विच गोना बैंक, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश		200,000	45,150

1	2	3	4	5
2.	शंकर नेत्र बैंक ट्रस्ट, कांचीपुरम, तमिलनाडु	50,000	200,000	50,000
3.	लायन्स नेत्र बैंक ट्रस्ट, एग्मोर, तमिलनाडु	50,000	50,000	–
4.	नेत्र बैंक एसोसिएशन, अंगामल्ली, केरल	50,000	50,000	50,000
5.	धामपुर नेत्र बैंक, धामपुर, उ.प्र.	50,000	50,000	–
6.	शंकर नेत्र सोसाइटी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	50,000	50,000	50,000
7.	श्री कांची कामाकोटी मेडिकल ट्रस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	50,000	50,000	50,000
8.	बेहाला बालानंदा ब्रह्मचारी अस्पताल, कलकत्ता, प. बंगाल	25,000	50,000	–
9.	डा. मोहनलाल स्मारक गांधी नेत्र अस्पताल, अलीगढ़	50,000	50,000	50,000
10.	रोटेरी नेत्र इंस्टीट्यूट, नावासारी गुजरात	200,000	50,000	50,000
11.	वैन्यु नेत्र इंस्टीट्यूट, दिल्ली	50,000	50,000	50,000
12.	मेडिकल केयर सेन्टर ट्रस्ट, वड़ोदरा, गुजरात	25,000	73,500	31,000
13.	बंगलौर पश्चिम लायन्स नेत्र अस्पताल और कोरनिया ग्राफटिंग सेंटर, बंगलौर	28,000	–	–
	कुल धनराशि:	678,000	923,500	426,150

विवरण *IV*

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों को सहायतानुदान

(लाख रुपये में)

राज्य	के दौरान सहायता अनुदान			कुल सहायता अनुदान
	1997–98	1998–99	1999–2000	1997–2000
1	2	3	4	5
विश्व बैंक परियोजना राज्य				
आंध्र प्रदेश	257.00	364.00	275.15	896.15
मध्य प्रदेश	455.00	408.00	517.31	1,380.31

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	313.00	362.00	312.13	987.13
उड़ीसा	204.00	220.00	291.00	715.00
राजस्थान	243.00	289.00	191.68	723.68
तमिलनाडु	219.00	316.00	547.64	1,082.64
उत्तर प्रदेश	564.00	599.50	471.00	1,634.50
उप-योग	2,255.00	2,558.50	2,605.91	7,419.41
अन्य राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	5.00	4.00	9.00	18.00
असम	85.50	57.50	51.00	194.00
बिहार	167.50	184.50	136.00	488.00
दिल्ली	11.50	13.50	26.88	51.88
गोवा	3.50	0.15	3.00	6.65
गुजरात	125.50	114.15	89.00	328.65
हरियाणा	54.50	63.50	49.00	167.00
हिमाचल प्रदेश	29.50	49.50	28.00	107.00
जम्मू व कश्मीर	19.00	39.50	18.00	76.50
कर्नाटक	159.00	196.00	176.95	531.95
केरल	54.50	75.50	106.70	236.70
मणिपुर	8.50	9.15	0.00	17.65
मेघालय	17.50	15.15	15.00	47.65
मिजोरम	5.00	9.15	17.00	31.15
नागालैंड	2.50	7.15	3.00	12.65
पंजाब	52.50	51.50	78.00	182.00
सिक्किम	0.00	12.00	12.00	24.00
त्रिपुरा	12.50	13.15	18.00	43.65
प. बंगाल	54.00	135.50	117.00	306.50
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	3.00	4.00	0.00	7.00
चंडीगढ़	3.00	7.00	0.00	10.00
दा. एवं न. हवेली	3.00	3.00	0.00	6.00

1	2	3	4	5
दमण एवं दीव	0.00	4.00	0.00	4.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	3.00	3.00
पांडिचेरी	0.00	3.00	0.00	3.00
उपयोग	876.50	1,071.55	956.53	2,904.58
कुल योग:	3,131.50	3,630.05	3,562.44	10,323.99

विवरण V

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता के लिए योजनाएं

दृष्टिहीन व्यक्तियों पर मोतियाबिन्द के निःशुल्क आपरेशन करने क लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायतानुदान: पारम्परिक तरीके से की जाने वाली प्रत्येक मोतियाबिन्द शल्य-चिकित्सा के लिए प्रति शल्य-चिकित्सा के लिए 400 रुपये तक का सहायतानुदान प्रदान किया जाता है। इन्ट्रा-आकूलर लेन्सों (आई.ओ.एल.) के प्रत्यारोपण के लिए प्रत्येक शल्य-चिकित्सा के लिए 600 रुपये प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के लिए जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से धन प्रदान किया जाता है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

संगठक	राशि (रुपये में)
1. औषध एवं दवाइयां	150
2. ऐनक	75
3. सीवन	50
4. परिवहन	75
5. संगठनात्मक ऊपरी खर्च	50
पारम्परिक शल्यचिकित्सा के लिए कुल धनराशि	400
6. इन्ट्राआकूलर लैन्स और उपभोज्य	200
आई.ओ.एल. शल्य चिकित्सा के लिए कुल धनराशि	600

2. *आदिवासी, अल्पसेवित अथवा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या एककों के विस्तार अथवा उन्नयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनावर्ती सहायतानुदान:* यह अनुदान आपरेशन थियेटर और नेत्र वार्ड के निर्माण और सज्जित करने, नेत्र परिचर्या उपकरणों, वाहनों आदि नेत्र परिचर्या उपकरणों, वाहनों इत्यादि की अधिप्राप्ति के लिए जारी किया जाता है। यह योजना 50:50 की भागीदारी के आधार पर है। प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन के लिए जारी किया गया अधिकतम सहायतानुदान 17.75 लाख रुपये है। यह एक मुश्त अनुदान है।

3. *स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंकों की स्थापना अथवा इनको सुदृढ़ करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायतानुदान:* वाहनों और उपकरणों की खरीद के लिए 5 लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान अनावर्ती अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात् उपभोज्यों, परिवहन पर व्यय और प्रचालनात्मक व्ययों को पूरा करने के लिए नेत्र बैंक को एकत्र की गई 500 रुपए प्रति नेत्र की दर से आवर्ती सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

***353. श्री आर.एल. भाटिया:**
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन" के तहत विभिन्न लाभ तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्तियों की पात्रता के लिए 'स्वतंत्रता सेनानी' की परिभाषा के लिए मानदण्ड क्या हैं;

(ख) 'स्वतंत्रता सेनानी' को उपलब्ध सुविधाओं, विशेषाधिकारों तथा रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के समक्ष अभी भी पेंशन संबंधी कोई दावे लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन तथा अन्य सुविधाओं में कितनी वृद्धि की गई है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): (क) "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980" के अधीन पेंशन प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति का अर्थ है:

(1) ऐसा व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, कम से कम छ: माह की कैद भोगी हो। पेंशन प्राप्ति के लिए भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिक भी पात्र हैं यदि उन्होंने भारत के बाहर छ: महीने या अधिक की कैद/निरुद्धि की सजा भोगी है। तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों में, पेंशन की पात्रता के लिए कैद की न्यूनतम अवधि तीन माह है।

(2) वह व्यक्ति जो छह माह या उससे अधिक तक भूमिगत रहा हो, बशर्ते कि–

- वह घोषित अपराधी रहा हो:
- जिसकी गिरफ्तारी/सिर पर कोई इनाम घोषित किया गया है; अथवा
- जिसकी निरुद्धि आदेश जारी तो हो गए हों परन्तु तामील न हुए हों।

(3) ऐसा व्यक्ति जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा छह माह अथवा अधिक की अवधि के लिए नजरबंद रखा गया हो अथवा जिले से निष्कासित किया गया हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त अथवा कुर्क की गई हो और बेच दी गई हो।

(5) ऐसा व्यक्ति जो गोली-बारी अथवा लाठी चार्ज के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो।

(6) ऐसा व्यक्ति जिसकी सरकारी नौकरी (स्थानीय निकायों में रोजगार समेत) राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से चली गई हो।

(7) ऐसा व्यक्ति जिसे 10 बेंत/कोड़ों/चाबुक मारने की सजा दी गई हो।

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार द्वारा अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:

(1) एक परिचारक सहित मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/ए.सी. 2-टीयर स्लीपर)। स्वतंत्रता सैनानी की विधवा भी इस सुविधा की पात्र हैं।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और सरकारी उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं भी उपलब्ध करायी गयी हैं।

(3) किराये की आधी राशि की अदायगी पर, व्यवहारिक होने पर टेलीफोन की सुविधा।

कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में रिहायशी आवास भी उपलब्ध कराये गये हैं। उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा, भूतपूर्व अंडमान राजनैतिक कैदी और उनकी विधवाएं निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र हैं:

- वर्ष में एक बार एक साथी के साथ पोर्ट ब्लेयर की मुफ्त यात्रा की सुविधा।
- वर्ष में एक बार एक साथी के साथ चैन्नई/कलकत्ता से, पोर्ट ब्लेयर के लिए मुफ्त हवाई यात्रा।
- एक साथी के साथ शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा की सुविधा।

(ग) ऐसा कोई भी मामला लम्बित नहीं पड़ा है जो हर प्रकार से पूर्ण हो और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पेंशन का पात्र हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) 1997 में, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर, पेंशन की राशि दुगुनी कर दी गयी और पेंशन को मूल्य सूचकांक से जोड़ने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(च) ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि 31.3.1998, 31.3.1999 और 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत की गई है, क्रमशः 1,63,711, 1,64,244 और 1,64,329 है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	31.3.1998 की स्थिति के अनुसार	31.3.1999 की स्थिति के अनुसार	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11,179	11,226	11,254
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	4,346	4,436	4,436
4.	बिहार	24,779	24,818	24,819
5.	गोवा	911	911	911
6.	गुजरात	3,575	3,576	3,580
7.	हरियाणा	1,671	1,676	1,676
8.	हिमाचल प्रदेश	598	603	603
9.	जम्मू और कश्मीर	1,803	1,806	1,806
10.	कर्नाटक	10,000	10,005	10,008
11.	केरल	2,825	2,852	2,875
12.	मध्य प्रदेश	3,351	3,359	3,360
13.	महाराष्ट्र	16,536	16,540	16,543
14.	मणिपुर	62	62	62
15.	मेघालय	86	86	86
16.	मिजोरम	4	4	4
17.	नागालैंड	3	3	3
18.	उड़ीसा	4,179	4,181	4,182
19.	पंजाब	6,914	6,982	6,986
20.	राजस्थान	795	800	800
21.	तमिलनाडु	4,080	4,085	4,086

1	2	3	4	5
22.	त्रिपुरा	886	886	886
23.	उत्तर प्रदेश	17,965	17,976	17,977
24.	पश्चिम बंगाल	22,410	22,438	22,443
25.	अ. और नि. द्वीप समूह	2	3	3
26.	चंडीगढ़	89	89	89
27.	दमन और दीव	33	33	33
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2,038	2,040	2,040
29.	पांडिचेरी	313	315	315
30.	आजाद हिन्द फौज (आई.एन.ए.)	22,278	22,453	22,463
	कुल	1,63,711	1,64,244	1,64,329

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में समझौता ज्ञापन

*354. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) रूस भारत को किन-किन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा;

(घ) क्या वर्ष 2000 में समाप्त हो रहे 12 वर्ष पुराने कार्यक्रम का नवीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) जुलाई, 1987 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के बीच शीर्ष स्तर पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समेकित दीर्घकालिक सहयोग कार्यक्रम (आई एल टी पी) को अंतिम रूप दिया गया था जिसे वर्ष 2000 तक कार्यान्वित किया जाना था। रूसी परिसंघ की स्थापना के बाद अप्रैल, 1992 में आई एल टी पी का नाम बदल कर इसे भारत तथा रूस के बीच विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समेकित दीर्घकालिक सहयोग कार्यक्रम कर दिया गया।

आई एल टी पी का इस वर्ष के दौरान किसी समय नवीकरण किये जाने की सम्भावना है तथा दोनों ही सरकारों द्वारा किये जाने वाले समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

आई एल टी पी के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जिन क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है, वे हैं: जैव प्रौद्योगिकी व प्रतिरक्षा विज्ञान, सामग्री विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (इंजीनियरी सामग्री) इलैक्ट्रानिक्स के लिए सामग्री तथा प्रौद्योगिकी, लेजर विज्ञान व प्रौद्योगिकी, उत्प्रेरण, अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान, त्वरित्रों की प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोग, जल प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रानिक्स, जैव चिकित्सा विज्ञान व प्रौद्योगिकी, रेडियो इलैक्ट्रोनिक्स, महासागर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, गणित, सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, भू विज्ञान, रेडियो भौतिकी तथा ताराभौतिकी, पारिस्थितिकी व पर्यावरण, रसायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इस समय आई एल टी पी के अंतर्गत 130 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं का उद्देश्य रूसी वैज्ञानिक तथा उत्पादन संस्थानों द्वारा उद्योग क्षेत्र को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना है।

जनगणना

***355. श्री रतन लाल कटारिया:**
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनगणना-2001 में विकलांगता संबंधी सूचना को शामिल न करने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जनगणना करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या जनगणना 2001 हेतु आंकड़े एकत्र करने के कार्यक्रम में जाति/समुदाय संबंधी मद को शामिल करने की कोई मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) 2001 की जनगणना के दौरान अशक्तता से संबंधित सूचना एकत्र किए जाने के मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्या 37) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। यह प्रत्येक दस वर्षों में एक बार की जाती है।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) सरकार ने जनगणना 2001 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जाति/समुदाय के प्रश्न को शामिल न करने का निर्णय लिया है।

शहरी अकादमी की स्थापना

***356. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में शहरों का समुचित विकास करने के लिए शहरी अकादमी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस समय शहरों के हो रहे अनियोजित विकास के कारण बुनियादी ढांचे संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(च) यदि हाँ, तो शहरी अकादमी से विभिन्न शहरों में अवसंरचनात्मक ढांचे संबंधी सुविधाओं में कितना सुधार होने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त अकादमी को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (छ) एक शहरी अकादमी की स्थापना पर विचार करने का प्रस्ताव है। इसका ब्यौरा तैयार करने के लिए एक छोटे दल का गठन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जनजातीय समुदायों की स्थिति

***357. श्री रामदास आठवले:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न योजनाओं को लागू किये जाने के बावजूद, जनजातीय लोगों की दशा लगातार खराब बनी हुई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर, 1999 के "जनसत्ता" में इस संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा शुरू की गई जनजातीय कल्याण योजनाओं और उनसे प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से देश में आदिवासियों की सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दशा में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास रहा है कि भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और सामाजिक अन्याय और सभी अन्य प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा की जाए।

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान सरकार द्वारा आदिम आदिवासियों के विकास की नई योजना आरंभ की गई। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं, इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के नाम तथा वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्धियां					
		1997-98		1998-99		1999-2000	
		वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक
1.	आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	329.61	-	380.00	-	400.00	-
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	75.00	-	75.00	-	100.00	-
3.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	3.77	57	7.69	60	3.93	7
4.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास	3.53	51	8.30	60	6.98	70
5.	आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	4.67	12	9.39	17	5.32	55
6.	स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	7.00	113	11.24	191	15.00	400
7.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	2.87	-	3.92	-	1.78	-
8.	ट्राइफेड में निवेश	23.00	-	6.00	-	0.25	-
9.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	1.00	-	4.00	-	2.97	-
10.	राज्य आदिवासी विकास निगम को सहायता अनुदान	8.23	-	6.87	-	9.05	-
11.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	2.20	20	3.71	24	1.84	20
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	3.45	70	4.71	75	3.75	75
13.	ग्रामीण अन्न बैंक	1.80	281	3.00	460	1.00	-
14.	आदिम आदिवासी समूहों का विकास	-	-	4.94	-	6.63	-

मलिन बस्ती क्षेत्र में वृद्धि

***358. श्री शंकर सिंह वाघेला:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में आवास की भारी कमी के कारण शहरों में मलिन बस्ती क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय कुल शहरी जनसंख्या में, राज्यवार मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ते हुए मलिन बस्ती निवासों की संख्या के स्थायी समाधान के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा क्या है; और

(ङ) शहरी क्षेत्रों में आवास इकाइयों की वर्तमान कमी को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में आने से शहरों में स्लम क्षेत्र लगातार बढ़ रहे हैं और देश के शहरी क्षेत्रों में समुचित आवास की कमी के कारण प्रवासी लोग अनौपचारिक अधिवासों में रह रहे हैं। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन, 49वें चक्र की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित स्लमों और स्लम परिवारों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 1972 में शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ईआईयूएस) की केन्द्रीय स्कीम शुरू की गई थी ताकि बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं मुहैया कराके स्लम वासियों की जीवन दशाओं को सुधारा जा सके। 1974 में ई आई यू एस का कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया और स्कीम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अभिन्न भाग बनाया गया तथा अप्रैल, 1974 में राज्य सेक्टर को हस्तांतरित कर दिया गया। शहरी स्लमों में सुधार के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) मुहैया कराने के लिए अगस्त, 1996 में एक स्कीम अर्थात राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एनएसडीपी) शुरू किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत जारी एसीए का उपयोग वास्तविक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, बरसाती पानी नालियां, सामुदायिक अवस्थापना, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुविधाएं जैसे स्कूल पूर्व शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सुविधा और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा आदि मुहैया करने के लिए किया जा सकता है। इसमें आश्रम उन्नयन का भी प्रावधान है।

(ङ) सरकार ने शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के जरिए "सभी के लिए मकान" को एक प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया है और आम लोगों, विशेषकर गरीबों और दीनहीनों की आवास जरूरतों पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए एजेंडा में प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकान (7 लाख शहरी क्षेत्रों में और 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में) बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक वर्ष 20 लाख मकान कार्यक्रम के कार्यान्वयन से यह अपेक्षा की जा सकती है आवास की कमी चरणबद्ध रूप से दूर हो जाएगी।

विवरण

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमानित स्लमों और स्लम परिवारों की संख्या

क्षेत्र: शहरी

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	सैंपल स्लमों की संख्या			स्लमों की अनुमानित संख्या			परिवारों की अनुमानित संख्या		
	घोषित	अघोषित	कुल	घोषित	अघोषित	कुल	घोषित स्लमों में	अघोषित स्लमों में	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	18	60	78	1494	4950	6443	3657	4205	7862
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
असम	—	8	8	—	274	274	—	220	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	1	18	19	140	2265	2404	66	1856	1922
गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गुजरात	12	17	29	1241	1348	2590	949	1151	2100
हरियाणा	5	10	15	220	1045	1265	263	961	1224
हिमाचल प्रदेश	—	1	1	—	23	23	—	32	32
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	15	20	35	4685	1322	6007	4743	1152	5895
केरल	—	5	5	—	481	481	—	252	252
मध्य प्रदेश	12	21	33	1447	1356	2803	1661	1331	2993
महाराष्ट्र	54	67	121	4829	6375	11204	6550	8046	14595
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	5	—	5	105	—	105	98	—	98
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	7	20	27	133	1602	1735	425	969	1394
पंजाब	6	6	12	220	307	526	291	160	451
राजस्थान	6	7	13	183	567	750	356	555	911
सिक्किम	1	1	2	7	7	14	22	9	31
तमिलनाडु	8	49	57	594	3471	4065	1767	2822	4589
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	10	18	28	1072	2008	3080	972	1499	2471
प. बंगाल	19	63	82	1498	6330	7828	1461	6417	7878
अंडमान व निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	1	—	1	25	—	25	91	—	91
दादर नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दमन व दीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	14	11	25	2474	2204	4678	2696	1624	4320
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	2	2	—	12	12	—	12	12
अखिल भारत	194	404	598	20364	35946	56311	26067	33273	59340

स्रोत: एन एस एस ओ 49वीं चक्र रिपोर्ट, सितम्बर, 1997

[अनुवाद]

चीन में बने हथियारों को देश में भारी मात्रा में लाया जाना

***359. डा. रमेश चंद तोमर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में बने हथियार भारी मात्रा में देश में लाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में, विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में हथियारों की तस्करी से तनाव पैदा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में चीनी हथियारों की इस तस्करी को रोकने हेतु रणनीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारी मात्रा में लाए जाने का ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) परश्न नहीं उठते हैं।

कालेजों को स्वायत्तता

***360. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के कारण महाविद्यालयों के शुल्क ढांचे प्रभावित होंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ख) ये सभी बातें कालेजों के लिए लाभदायक होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्त कालेज योजना के तहत किसी कालेज को उस विश्वविद्यालय द्वारा जिससे वह स्थायी रूप से सम्बद्ध है, संबंधित राज्य सरकार की सहमति से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाता है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किसी स्वायत्त कालेज को अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं, संबंधित राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश नियम निर्धारित करने, छात्रों के कार्य का मूलयांकन करने के वास्ते पद्धति विकसित करने, परीक्षाओं का आयोजन और परिणामों की अधिसूचना तथा उच्चतर मानकों और व्यापक सृजनात्मकता हासिल करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधुनिक यंत्रों का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है। मार्गदर्शी सिद्धांत कालेज के शासी निकाय को वित्त समिति की सिफारिशों पर छात्रों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क और अन्य देयों को निर्धारित करने की भी शक्ति प्रदान करते हैं बशर्ते संबंधित कालेज के उपनियमों और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों में ऐसा प्रावधान हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वायत्त कालेजों को धनराशि का आवंटन सामान्य आवंटन से अधिक होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे कालेजों को उनकी अतिरिक्त और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

बिस्तरों की उपलब्धता

3659. श्री साहिब सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और एन.सी.आर. में केन्द्रीय सरकार दिल्ली सरकार के अस्पतालों और गैर-सरकारी अस्पतालों/नर्सिंग होम के प्रत्येक अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने संचारी रोगों के लिए आरक्षित हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रति हजार की जनसंख्या पर संचारी बीमारियों के लिए मान्य मानक मानदण्डों की तुलना में कितने बिस्तर हैं;

(घ) इन सभी प्रकार की बीमारियों के लिए अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दिल्ली में क्षय रोग के प्रबंधन संबंधी मार्च, 1996 से आरंभ की गई विश्व बैंक योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में जनता के लिए उपलब्ध पलंगों की संख्या इस प्रकार है:

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	-	937
सफदरजंग अस्पताल	-	1531
सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल अस्पताल	-	1227

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी रीजन में दिल्ली सरकार के और प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में संचारी रोगों के लिए कोई पलंग आरक्षित नहीं हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी रीजन में दिल्ली सरकार के और प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होमों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आदिवासी दुकानें

3660. श्री विजय गोयल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक राज्य-वार कितनी आदिवासी दुकानें खोली गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी दुकानों में राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार मिला; और

(ग) क्या यह सभी दुकानें मुनाफा कमा रही है अथवा उनको राजसहायता प्रदान की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) बंगला नं. 9, महादेव रोड, नई दिल्ली में मात्र एक दुकान खोली गई है।

(ख) इस दुकान में ट्राइफेड की वर्तमान जनशक्ति से लिए गए 12 कर्मचारियों की तैनाती की गई है तथा उन 5 व्यक्तियों को छोड़कर, जो दैनिक मजदूरी आधार पर लिए गए हैं, कोई नई भर्ती नहीं की गई है।

(ग) इस दुकान ने मात्र एक वर्ष पूर्ण किया है और दुकान के लिए कोई अलग तुलन-पत्र नहीं बनाया गया है क्योंकि यह ट्राइफेड के कार्यों का एक भाग है। तथापि, इस मंत्रालय ने ट्राइफेड को जनजातियों की दुकान संबंधी गतिविधियों के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में 60 लाख रुपए प्रदान किए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

3661. श्री राजो सिंह:
श्री राजैया मल्याला:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और बिहार में अनुदान सहायता प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी/गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उन्हें कौन-कौन सी योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान इन संगठनों में से प्रत्येक संगठन को कितनी सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महिला बन्दीगृह

3662. श्रीमती शीला गौतम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में महिला कैदियों के लिए अलग बन्दीगृहों की व्यवस्था है;

(ख) क्या सरकार को बन्दीगृहों में महिला कैदियों के यौन शोषण की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, केरल, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में महिला कैदियों के लिए अलग जेलों की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सभी मामलों को कठोरता और शीघ्रता से निपटाए जाने की आवश्यकता है। तथापि, चूंकि 'जेल'' राज्य का विषय है, अतः जेल प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

[अनुवाद]

समझौता एक्सप्रेस के माध्यम से तस्करी

3663. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समझौता एक्सप्रेस तस्करी और अवैध गतिविधियों का साधन बनती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार/दंडित किया गया है;

(ग) क्या इस ट्रेन के माध्यम से हो रही तस्करी और अवैध गतिविधियों पर काबू पाने में सुरक्षा/गुप्तचर एजेन्सियां नाकाम रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) समझौता एक्सप्रैस के माध्यम से जाली मुद्रा, शस्त्र, गोला-बारूद और स्वापकों की तस्करी के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1999 से इस संबंध में 12 पाकिस्तानी, 12 भारतीय और 2 अफगान गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

(ग) और (घ) सुरक्षा और आसूचना एजेन्सियां चौकस हैं। अटारी पर यात्रियों के सामान की पूर्णतः जांच की जा रही है। सवारी आपरेटरों की गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ने अटारी पर ट्रालियां उपलब्ध कराई हैं तथा कुलियों को हटाने के आदेश दिए हैं।

पेंशन का संवितरण

3664. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कोषागार से पेंशन का संवितरण बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उत्तरांचल विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र के बड़ी संख्या में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व कार्मिकों को पिछले छः महीनों से पेंशन नहीं मिली है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और इस समस्या को सुलझाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निदेशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त, 1999 में अपने अनुदेशों को दोहराया है कि केन्द्रीय सेवा के पेंशनरों को राज्य कोषागारों द्वारा पेंशन वितरित करने संबंधी मौजूदा प्रणाली के बजाए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान करें। इससे केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों समेत कुछ पेंशनरों को पेंशन का भुगतान करने में कुछ कठिनाईयां उत्पन्न हुईं। महालेखाकार, इलाहाबाद के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पेंशन संबंधी कागजातों का हस्तांतरण हो जाने के साथ ही यह समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगी।

तरणतालों को बन्द किया जाना

3665. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकार अस्पतालों से संबंधित कुछेक तरणतालों को बंद कर दिया गया है जिससे हाइड्रोथेरेपी (जल चिकित्सा) का उपचार करा रहे लोगों के लिए समस्या पैदा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हाइड्रोथेरेपी का उपचार करा रहे लोगों के लिए तरणतालों को खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं संकाय के सदस्यों के उपयोग के लिए एक-एक तरणताल है। जहां तक अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। शेष केन्द्र सरकारी अस्पतालों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन अस्पतालों में कोई तरणताल नहीं है। तथापि, जले हुए रोगियों के हाइड्रोथेरेपी उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल के जलन एवं प्लास्टिक विभाग में एक फंक्शनल सेलाइन बाथ टब उपलब्ध है।

राष्ट्रगान

3666. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 19 दिसम्बर को 'दमन दीव दिवस' के अवसर पर दीव में उनकी उपस्थिति में ही राष्ट्रगान का अपमान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें लिप्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में विवरण क्या है; और

(ग) दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्। 19-12-1999 को दमन एवं दीव के मुक्ति दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया गया था। गृह मंत्री को "राष्ट्रीय सलामी" देते समय, संघ राज्य-क्षेत्र की प्रचलित परंपरा के अनुसार राष्ट्रगान के पूरे रूपांतर की बजाए, लघु रूपांतर गाया गया था। दमन एवं दीव के प्रशासन को ऐसे अवसरों पर उचित पद्धति का अनुसरण करने के संबंध में सलाह दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

बलात्कारियों और उत्पीड़कों को सजा

3667. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलात्कारियों या उत्पीड़कों को सजा देने के लिए कानून में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) बलात्कार के अपराध के लिए एक दंड के रूप में मृत्यु दंड देने संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस संबंध में निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

केरला पिपुल्स पुलिस स्कीम

3668. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरला पिपुल्स पुलिस स्कीम शुरू करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) केरल सरकार से मिली सूचना के अनुसार, राज्य सरकार का प्रस्ताव एक नयी योजना, नामतः "केरल पीपुल्स पोलिसिंग स्कीम" शुरू करने का है जिसका उद्देश्य पुलिस-पब्लिक सहयोग में सुधार करना है। योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए, राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसमें प्रधान सचिव (गृह विभाग), सचिव (विधि विभाग), और पुलिस महानिदेशक, शामिल हैं। समिति ने स्कीम का एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया है। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि मसौदा योजना को अंतिम रूप समाज के सभी वर्ग के लोगों के सुझावों/विचारों पर विचार करने के बाद ही दिया जाएगा, जिसके लिए समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

खारे पानी का बढ़ता स्तर

3669. **श्री शीशराम सिंह रवि:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी के द्वारका उप-नगर की नींव खारे पानी के बढ़ते स्तर के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या द्वारका उप-नगर की नींव को खारे पानी से बचाने के लिए सरकार ने कोई उपाय खोजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि द्वारका उप-नगर की नीवों के खारे पानी के बढ़ते स्तर के कारण प्रभावित होने जैसी कोई बात उनकी जानकारी में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

शहरों का विकास

3670. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

1. *छोटे एवं मझौले कस्बों का समेकित विकास (आई.डी. एस.एम.टी.)*

गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त चालू और नए कस्बों के प्रस्तावों और दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पेटलाद, सावरकुण्डला और बोर्साद के तीन चालू कस्बों पर तभी विचार किया जाएगा जब बाद की किस्तों को जारी करने हेतु शर्तों को पूरा कर लिया गया हो और धनराशि भी उपलब्ध हो।

2. *त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.)*

वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान कार्यक्रम के अधीन कोई स्कीम मंजूर नहीं की गई। वर्ष 1999-2000 के दौरान 1395.28 लाख रुपये की लागत की 7 स्कीमें मंजूर की गई। मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु कोई स्कीम लम्बित नहीं है।

3. *हडको द्वारा शहरी अवस्थापना का वित्तपोषण*

गत तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा मंजूर की गई स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:-

(1) वर्ष 1997-98 के दौरान 15614.39 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत की 7 स्कीमें मंजूर की गई। 10788.91 लाख रुपये के ऋण घटक में से 4522.00 लाख रुपये जारी किए गए।

(2) वर्ष 1998-99 के दौरान 35212.85 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत की स्कीमें मंजूर की गई। 23898.97 लाख रुपये के ऋण घटक में से 7303.25 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(3) वर्ष 1999-2000 के दौरान 31294.57 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत की स्कीमें मंजूर की गई 21904.71 लाख रुपये के ऋण घटक में से 3000.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा 87577.71 लाख रुपये की परियोजना लागत की 4 स्कीमें मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

(4) मैगा सिटी स्कीम

राज्य सरकार ने मैगा शहरों में अवस्थापना विकास हेतु केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अधीन अहमदाबाद शहर को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। स्कीम में शामिल करने के लिए अहमदाबाद पात्र नहीं है चूंकि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इस शहर की आबादी 4 मिलियन से कम है।

(5) शहरी परिवहन (यू.टी)

राज्य सरकार ने अहमदाबाद शहर के लिए इन्टीग्रेटिड पब्लिक ट्रान्जिट स्टडी हेतु केन्द्रीय अनुदान सहायता के लिए मई, 1999 में प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय ने सितम्बर, 1999 में राज्य सरकार को और जांच के लिए विचारार्थ विषय का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा था। राज्य सरकार से इस बारे में और कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान गुजरात राज्य को आई.डी.एस.एम.टी. के अधीन दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	रोताड	31.00	-	-
2.	वाधवन	24.00	-	-

1	2	3	4	5
3.	नाडियाड	50.00	-	-
4.	पलितान	24.00	-	23.48
5.	रावला	19.00	11.00	-
6.	इदार	20.00	-	25.00
7.	आनन्द	44.00	26.00	-
8.	जामनगर	57.00	-	90.00
9.	भावनगर	57.00	-	73.00
10.	द्वारका	16.00	-	30.00
11.	अम्बाजी	7.55	5.95	-
12.	माण्डवी	13.00	15.50	-
13.	बोर्साद	-	22.00	-
14.	पैटलाद	-	7.50	-
15.	सावर कुण्डला	-	58.00	-
16.	मोडासा	-	16.00	-
17.	डाकोर	-	-	72.76
18.	नाडियाड	-	-	14.93
19.	धोराजी	-	-	36.00
20.	पादरा	-	-	22.00
21.	धोल्का	-	-	22.00
22.	अंजर	-	-	22.00
23.	उना	-	-	22.00
24.	उमरेठ	-	-	22.00
	कुल	362.55	167.95	453.17

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित उद्यान

3671. श्री प्रभुनाथ सिंहः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरोजनी नगर और उसके आसपास के क्षेत्र आर.के. पुरम, नई दिल्ली जैसी रिहायशी कालोनियों में विकसित किए गए उद्यान अब उपेक्षा के शिकार हैं:

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली की रिहायशी कालोनियों में उगी घास और उचित प्रकार की हरी बाड़ लगाने में भी उपेक्षा बरत रही है;

(ग) यदि हां, तो उद्यानों की उपेक्षा और अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) आर.के. पुरम और सरोजनी नगर में कच्चे पानी की कमी के कारण इन क्षेत्रों के पार्कों के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विगत वर्षों में भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे चला गया है जिससे पार्कों में पेड़-पौधों की वृद्धि प्रभावित हो रही है। जहां कहीं बागवानी के कार्य के लिए जल-आपूर्ति उपलब्ध है, वहां पार्कों, घास, बाड़ों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण का काम संतोषप्रद रहा है।

(ग) और (घ) पार्कों के रख-रखाव में के.लो.नि.वि. के कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और इसलिए उसके कारण किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

औषधि खरीद संबंधी समिति

3672. डा. गिरिजा व्यास: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी स्टोरों के लिए औषधियों की खरीद हेतु निगरानी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पद्धतिवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक पद्धति के अंतर्गत औषधियों की जांच करने के लिए कितना समय लिया जाता है; और

(घ) औषधियों की जांच पूरी होने के बाद आवश्यक अन्य औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) यूनानी, आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक पद्धतियों की अनुवीक्षण समितियों के नाम क्रय सलाहकार समिति, व्यवस्था समिति और निरीक्षण समिति हैं।

(ग) लगभग दो माह।

(घ) आयुर्वेदिक पद्धति के मामले में औषधालयों/यूनिटों/अस्पतालों को दवाइयां जारी करने से पूर्व वाले चिकित्सकों का पैनल प्रत्येक दवाई की थोक सप्लाई की जांच-पड़ताल करता है। तथापि, स्वर्ण/अफीम/भांग से युक्त दवाइयां पी.एल.आई.एम., गाजियाबाद में प्रयोगशाला-जांच से पुष्टि के लिए भेजी जा रही हैं।

यूनानी पद्धति के मामले में, यूनानी दवाइयों की जांच करने वाली आर्गनोलेप्टिक विधि है जिससे दवाइयों के विशिष्ट गुणों से उनके भौतिक परीक्षण का बोध होता है और आज तक प्रयोगशाला में उनकी जांच सुविधा उपलब्ध नहीं है। वरिष्ठ यूनानी चिकित्सकों की समिति तत्काल परीक्षण कर लेती है।

परीक्षण कार्य पूरा होने के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नई दिल्ली में कार्यरत यूनानी औषधालयों/यूनिटों की जरूरतों के अनुसार नियमित और हस्तगत इन्डेंटिंग प्रणाली द्वारा मासिक अथवा अत्यावश्यक आधार पर उन दवाइयों को निर्गत किया जाता है।

होमियोपैथिक पद्धति के मामले में, दवाइयों की जांच पूरी हो जाने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के गाजियाबाद स्थित होमियोपैथिक भेषजकोश प्रयोगशाला एक रिपोर्ट देती है। जांचशुदा दवाइयां चार्ज पर लेकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जरूरत वाले होमियोपैथी औषधालयों/यूनिटों को सप्लाई कर दी जाती हैं।

डी.डी.ए. पार्किंग

3673. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष जनता/ठेकेदारों को कितने पार्किंग स्थलों का आबंटन किया;

(ख) प्रत्येक स्थान पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को कितने पार्किंग स्थल आबंटित किए;

(ग) क्या कुछ स्थानों पर अधिकांश पार्किंग स्थल एक ही व्यक्ति को आबंटित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमशः 22, 14 और 18 पार्किंग स्थल आबंटित किए गए।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आबंटित पार्किंग स्थल निम्नलिखित अनुसार हैं:–

1997–98	1.	पंचशील पार्क, एन ब्लाक में पार्किंग स्थल।
1998–99	1.	भीकाजी कामा प्लेस में बेसमेन्ट में पार्किंग।
	2.	विकास मिनार, डीडीए बिल्डिंग में पार्किंग स्थल।
1999–2000	1.	जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर में डेक पार्किंग प्लाट सं. 1 और 2
	2.	कमल सिनेमा के समीप सफदरजंग, बी ब्लाक में स्थल सं. 35

(ग) से (ङ) सभी पार्किंग स्थलों का ठेका प्राप्त उच्च टेण्डर के आधार ही दिया जाता है।

निम्नलिखित व्यक्तियों को नीचे दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार एक से अधिक पार्किंग स्थल आबंटित किए गए हैं:–

1. कुमारी निर्मल

(1) राजिन्द्र प्लेस में प्लाट सं. 7 एवं 12 के बीच प्लाट सं. 11 के सामने पार्किंग स्थल ग्रुप-II

(2) राजिन्द्र प्लेस में सिनेमा बिल्डिंग के समीप पार्किंग स्थल ग्रुप V लाट ए।

2. श्री धर्मबीर सिंह

(1) राजिन्द्र प्लेस में प्लाट सं. 4, 5 एवं 6 के सामने पार्किंग स्थल ग्रुप VII

(2) भीकाजी कामा प्लेस में सैन्ट्रल शापिंग कार पार्किंग।

(3) रोहतक रोड ट्रान्सपोर्ट सैन्टर में साइकल स्कूटर स्टैण्ड।

3. लैफ्टिनेन्ट कर्नल के.आर. जसवाल

(1) भीकाजी कामा प्लेस में पी.एन.बी. और एम.टी.एन.एल. बिल्डिंग के मध्य प्लाट सं. 6, 7, 8 एवं 9 के बीच पार्किंग।

(2) भीकाजी कामा प्लेस में ईस्ट एण्ड कार पार्किंग।

4. कुमारी प्रीति

(1) नेहरू प्लेस में पारस सिनेमा के समीप प्लाट सं. 14 से 16 में ग्रुप III ए।

(2) नेहरू प्लेस में प्लाट सं. 92 से 95 के पीछे ग्रुप III बी

5. श्री किरपाल सिंह

(1) नेहरू प्लेस में प्लाट सं. 78 से 88 के पीछे ग्रुप IV

(2) विकास मिनार, डीडीए बिल्डिंग में पार्किंग स्थल।

दिल्ली के अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी

3674. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मैनपावर शार्टेज इग्नोर्ड इन दिल्ली गवर्नमेंट्स अपग्रेडिड हास्पिटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों, नर्सों और पराचिकित्सीय कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति हेतु दिल्ली सरकार के कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) ये प्रस्ताव कब से लंबित पड़े हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्लान और नान-प्लान दोनों में समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के पदों के सृजन की शक्तियां गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ङ) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के 1216 स्वीकृत पदों में से 1067 पदों को भर लिया गया है। शेष पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मदरसों का दुरूपयोग

3675. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और उत्तर प्रदेश में आई.एस.आई. की सहायता से अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहित करने हेतु मदरसों की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.एस.आई. असंतुष्ट तत्वों को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन मदरसों का गुप्त रूप से वित्त पोषण कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो आई.एस.आई. के इस प्रकार के दुष्टतापूर्ण षड्यंत्रों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): *(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।*

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाओं का उत्थान

3676. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा बिहार में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के लिए इस अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या ऐसी योजनाओं को आरम्भ करने के लिए विशिष्ट मानदण्ड हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान चलायी गयी सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्कीम/वर्ष-वार निर्मुक्त अनुदान की राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के माध्यम से पात्र संस्थाओं से प्राप्त पूर्ण आवेदन-पत्रों के आधार पर अनुदान की स्वीकृति की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलायी गई विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	निर्मुक्त वर्ष-वार अनुदान		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (ड्वाकरा)	226.76	*620.08	11918.05*
2.	रोजगार-सह-आयोत्पादन-सह-उत्पादन एककों की स्थापना (नोराड)	9.57	6.68	2.75
3.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)	कुछ नहीं	103.00	कुछ नहीं

*ड्वाकरा स्कीम का 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना में विलय कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 40 प्रतिशत लाभ महिलाओं को मिलेंगे।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए आवास योजना

3677. **डा. जसवंत सिंह यादव** : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिए कोई आवास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिकों तथा विधवाओं के लिए कोई आवास योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ग) विस्थापित व्यक्तियों, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेन्ट्रल सेक्टर की कोई आवास योजना नहीं है।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सी.आई.एस.एफ. द्वारा परामर्शी सेवाएं

3678. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सी.आई.एस.एफ. टू ऑफर कंसलटेंसी सर्विसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सी.आई.एस.एफ. ने विमानपत्तन सुरक्षा के क्षेत्र में प्रवेश की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितने विमानपत्तनों के इसके अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है;

(ङ) इस उद्देश्य हेतु क्या विस्तृत रणनीति तैयार की गई है; और

(च) परामर्शी सेवाओं के कब तक शुरू करने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 1999 के अधिनियम संख्या 40 द्वारा संशोधित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, प्राईवेट सेक्टर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए, प्राईवेट सेक्टर में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तकनीकी परामर्शी सेवाओं संबंधी मसौदा नियमों पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। जैसे ही परामर्शी सेवाओं पर नियम तैयार कर लिए जाएंगे तथा लिए जाने वाले शुल्क की दरों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, प्राईवेट सैक्टर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परामर्शी सेवा देना शुरू कर देगा।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सभी घरेलू अपरेशनल एयरपोर्टों को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु तैनात किया जाएगा। अब तक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 11 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारियों से संबंधित हवाई अड्डे के निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैनाती का निर्धारण किया जाता है। ड्यूटी पर भेजने से पहले, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों और कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

(च) इस संबंध में नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने पर, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू कर देगा।

जम्मू और कश्मीर में शहरों का विकास

3679. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर ने इस वर्ष विभिन्न शहरों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु योजना-वार और शहर-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या विश्व बैंक इस उद्देश्य हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। तथापि 1999-2000 के दौरान सम्बा नगर के लिए 305.70 लाख रुपए की परियोजना लागत की एक जल-आपूर्ति स्कीम अनुमोदित की गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनमत सर्वेक्षण

3680. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी लोकप्रियता का पता लगाने के लिए 10 लाख रुपये की भारी लागत पर जनमत सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को जन सहयोग संगठन बनाने और इसकी छवि सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि भारत सरकार, लोक शिकायत निदेशालय के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि डी.डी.ए. की शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे में जनसाधारण की राय जानने हेतु एक मत सर्वेक्षण कराया जाए। इस मामले में अभी किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) पिछले कुछ वर्षों में डी.डी.ए. ने निम्नलिखित कदम उठाकर लोगों की शिकायतें दूर करने, कार्य प्रणाली की त्रुटियां हटाने, अपनी कार्य विधि में पारदर्शिता लाने का संयोजित प्रयास किया है:-

(1) डीडीए के साथ किए जाने वाले विभिन्न लेनदेनों के लिए समय सारणी दर्शाते हुए एक नागरिक चार्टर बनाना;

(2) ऐसी पुस्तिकाओं का प्रकाशन जिनमें विभिन्न लेनदेनों के लिए डीडीए को प्रस्तुत किए जाने वाले अलग-अलग दस्तावेजों के नमूने दिए गए हैं;

(3) सूचना सुविधा काउंटर/परामर्श सेवा उपलब्ध कराना जहां से दस्तावेजों की प्रस्तुति, नियमों व विनियमों, कार्यविधि इत्यादि के बारे में मुक्त रूप से सूचना उपलब्ध करायी जाती है;

(4) लोक शिविरों का आयोजन करके लंबित शिकायतों को दूर किया जाता है;

(5) लोक शिकायत निदेशालय से प्राप्त मामले को मॉनिटर करना;

(6) डीडीए के उच्चाधिकारियों द्वारा जन सुनवाई करना।

वृक्षों की देखभाल

3681. श्री राशिद अलवी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 2000 के "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "नो प्लेस फॉर ट्रीज इन दिस कांक्रीट जंगल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम की कार्यशैली से पूरे राजधानी क्षेत्र में कांक्रीट जंगल के कारण वृक्ष नष्ट हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या देश की राजधानी के इस अंधानुकरण में अन्य राज्य भी यही प्रवृत्ति अपना रहे हैं और इससे भारी पर्यावरणीय क्षति और भूमिगत जल की कमी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) स्थानीय निकायों के पेड़ों के आसपास भरान (फिलिंग करने और कंक्रीट आदि न बिछाने की सलाह दी गई है। जहां कहीं भी पेड़ों के पास कंक्रीट भाग था वहां उसे हटा दिया गया है ताकि पेड़ों का विकास/बने रहना सुनिश्चित हो सके। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा पहले एक सर्वेक्षण किया गया था और पुराने पेड़ों के बने रहने की स्थिति में सुधार के लिए उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। पेड़ों की नेलिंग भी हटा दी गई है। केबल डालने, सीवर लाइन, भूमिगत मार्गों के निर्माण, सड़क चौड़ा करन आदि के लिए खुदाई का काम करने वाली एजेंसियों को अपना कार्य करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होती है ताकि पेड़ों की जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। उचित

और समयानुसार खाद तथा पानी दिया जा रहा है। कीटनाशक और जीवनाशक का नियमित उपयोग किया जा रहा है। मृत और सूखे पेड़ों के स्थान पर उद्यानकृषि स्टाफ द्वारा स्वस्थ और पर्याप्त ऊंचाई वाले पौधे मुहैया कराए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) आवश्यक और बेकार भवन निर्माण कार्यकलापों के कारण पर्यावणीय क्षति को रोकने के लिए सरकार ने नगरपालिका एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक समिति गठित की है।

[हिन्दी]

हिन्दी शिक्षा का स्तर

3682. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मार्च, 2000 के "हिन्दुस्तान" में "कम्प्यूटर के आने से वर्तनी में आए बदलाव" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण के लिए मानक निर्धारित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार इस विषय में उचित कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

भेषज क्षेत्र का विकास

3683. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भेषज क्षेत्र के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के तर्ज पर कृतिक दल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक दल के गठन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भेषज क्षेत्र में सुधार हेतु कृतिक दल का किस सीमा तक सहायक होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी हां, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का कार्य दल गठित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) नई प्रक्रियाओं के साथ वैज्ञानिक लाइन तथा नवीनतम तकनीकों के साथ उत्पादन लाइन पर भेषज क्षेत्र का विकास करना तथा अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के साथ समुचित संपर्क स्थापित करना तथा उपयुक्त पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का अंगीकरण।

(ग) राज्य सरकार को आशा है कि विशेषज्ञों तथा औद्योगिक प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए यह कार्य दल, भेषज क्षेत्र में सुधार के लिए सहायक होगा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय

3684. श्री रामानन्द सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस.) से 10+2 पाठ्यक्रम आरंभ करने के राज्यवार और स्थान-वार कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और इनमें उक्त पाठ्यक्रम कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक सत्र 2000-2001 से केन्द्रीय विद्यालयों के स्तरोन्नयन हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं और कक्षा-10 के परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही कोई साफ तस्वीर उभर कर आएगी। चूंकि कक्षा-10 के परिणाम घोषित होने के बाद ऐसे और कई अनुरोध प्राप्त हो सकते हैं। स्तरोन्नयन की अनुमति तभी दी जाती है बशर्ते कि विद्यालयों के पास बजट प्रावधान, किसी विषय हेतु पात्र छात्रों की पर्याप्त संख्या तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों। जहां तक नवोदय विद्यालय समिति का संबंध है, एक नीतिगत मामले के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा-6 से शुरू किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष एक कक्षा की वृद्धि की जाती है। सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक स्तरोन्नत किया जाता है, बशर्ते कि आधारिक सुविधाएं उपलब्ध हों।

दिल्ली में पुलिस बल

3685. श्रीमती निवेदिता माने : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'आबादी के हिसाब से दिल्ली में पुलिस बल कम : आडवानी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस में रिक्त पदों को कब तक भरे जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। यह समाचार, गृह मंत्री द्वारा 14 मार्च, 2000 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न के उत्तर में दिए गए उत्तर पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ, कहा था कि दिल्ली की जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिक पुलिस बल की आवश्यकता है।

(ग) दिल्ली पुलिस का यह प्रयास रहेगा कि वर्तमान रिक्तियों को यथासंभव शीघ्र भरा जाये। तथापि, कोई निश्चित समय सीमा बताना कठिन है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल को धनराशि का आवंटन

3686. श्री सुनील खां : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल को जनजातियों के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को जनजातियों के विकास हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) इस मंत्रालय ने आदिवासियों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को निधियों का प्रावधान किया है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं है। संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा पहले निर्मुक्त किए गए अनुदानों के उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने पर धनराशि निर्मुक्त की जाती है। पश्चिम बंगाल को वर्तमान वर्ष 2000-2001 के लिए कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई है क्योंकि प्रस्तावों की प्रतीक्षा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को आदिवासियों के विकास के लिए निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल को निर्मुक्त निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1600.39	2222.10	1759.40
2.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	399.25	578.50	556.75
3.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	-	15.65	37.34
4.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	22.44	23.78	50.02
5.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम योजना के अंतर्गत अनुदान	100.00	-	0.50
6.	गैर-सरकारी संगठन की योजना	29.38	65.97	103.17

रामटेक में संस्कृत विश्वविद्यालय

3687. श्री सुबोध मोहिते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 14.3.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2832 के उत्तर के **संबंध** में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामटेक, महाराष्ट्र में संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू किए गए पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान उक्त विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितना अनुदान दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरंभ किये हैं:-

1. आयुर्वेद में डिप्लोमा
2. वास्तुशास्त्र में डिप्लोमा
3. ज्योतिष विज्ञान में डिप्लोमा
4. कम्प्यूटर में डिप्लोमा
5. पर्यावरण विज्ञान में डिप्लोमा
6. योग विद्या में डिप्लोमा
7. नृत्य में डिप्लोमा
8. संगीत में डिप्लोमा
9. भारतीय संस्कृति में डिप्लोमा
10. आगम
11. साधना
12. विशारद।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 2(ङ) के अन्तर्गत रखी गई विश्वविद्यालयों की सूची में इस विश्वविद्यालय को 16.2.2000 को शामिल किया गया था। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) में निर्धारित नियमों के अनुसरण में इसे अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली सहायता सहित केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

3688. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यह योजना किस तारीख से शुरू की गई;

(ख) इस उद्देश्य हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(ग) क्या इस संबंध में मानदंड में परिवर्तन करने के लिए समन्वय समिति की बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) संशोधित मानदंड को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या ये मानदंड लागू न करने के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों को कम धनराशि मिल रही है; और

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में कितनी धनराशि बकाया है और यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है और यह 1952 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सेवा प्रदान करने वाले विभिन्न केन्द्रों में तैनात किए जाने वाले स्टाफ किराये की रकम और आकस्मिकताओं आदि के संबंध में मानक निर्धारित हैं। ये सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर समान रूप से लागू हैं।

(ग) से (ङ) मानदंडों में परिवर्तन करने के लिए कोई समन्वय समिति नहीं है। तथापि, व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किए गए मानदंडों में संशोधन करने हेतु एक प्रस्ताव आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

(च) और (छ) राज्यों द्वारा कम रकम प्राप्त करना कार्यक्रम के अल्प वित्त पोषण के कारण हैं और न कि किसी मानदंड को कार्यान्वित न करने के कारण। तथापि, राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से राज्य महालेखाकार से व्यय के अंकेक्षित विवरण प्राप्त होने पर की जाती है। आज की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को बकायों के रूप में स्वीकार्य देय रकमों का भुगतान परिवार कल्याण विभाग में अंकेक्षित व्यय विवरण प्राप्त होने के कारण कर दिया गया है।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य योजनाएं

क्र.सं.	योजनाओं का नाम
1	2
1.	प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम/मातृ एवं बाल स्वास्थ्य
2.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण और पोलियो का उन्मूलन
3.	गर्भनिरोधकों का संवितरण
4.	कोल्डचेन उपकरणों का प्रापण
5.	क्षेत्रीय परियोजनाएं/भारत जनसंख्या परियोजनाएं
6.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
7.	बंध्यीकरण और आई.यू.डी. निवेशन
8.	परिवहन
9.	अनुसंधान संस्थान
10.	बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल
11.	ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना
12.	यू.एस.ए.आई.डी. सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश परियोजना
13.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों का अनुरक्षण
14.	उपकेन्द्रों का अनुरक्षण
15.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का अनुरक्षण
16.	शहरी स्तर के संगठनों का पुनरूद्धार
17.	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो और राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो का अनुरक्षण
18.	प्रसवोत्तर केन्द्र

[अनुवाद]

शिक्षा संबंधी समझौते

3689. श्री ए. नरेन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों ने कुछ देशों के साथ शिक्षा संबंधी समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन देशों के साथ ये समझौते किए गए हैं उनके नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौतों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया था कि उच्च शिक्षा सम्पर्क योजना के अन्तर्गत चार भारतीय विश्वविद्यालयों का यूनाइटिड किंगडम के विश्वविद्यालय के साथ सम्पर्क कार्यक्रम है। ब्यौरे

नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	भारतीय विश्वविद्यालयों के नाम	यूनाइटिड किंगडम के विश्वविद्यालयों के नाम
1.	अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास	लिसेस्टर विश्वविद्यालय (यू.के.)
2.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	थामस बेली विश्वविद्यालय (यू.के.)
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	(क) मेनचेस्टर विश्वविद्यालय (यू.के.)
		(ख) रिसर्च स्कूल आफ अर्थ साइंस, विश्वविद्यालय कालेज, लन्दन (यू.के.)
4.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	यू.एम.आई.एस.टी. मेनचेस्टर

[हिन्दी]

लड़कियों की शिक्षा

3690. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के संबंध में कोई वास्तविक या व्यापक सर्वेक्षण कराया है या सर्वेक्षण कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने तथा और प्रोत्साहन देने के संबंध में निजी क्षेत्र/खुले विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

"क्लास" परियोजना हेतु निधियां

3691. श्री जी.एस. बसवराज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित "क्लास" परियोजना 1995-96 से कर्नाटक में लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने 1997-98 की रख-रखाव लागत जारी नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से वर्ष 1998-99 की रख-रखाव कीमत के लिए 449.10 लाख रुपये जारी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य को राशि शीघ्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां।

(ख) 'क्लास' परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार को कम्प्यूटरों के रख-रखाव हेतु 1997-98 के उनके लम्बित बिलों को निपटाने के लिए 1,55,24,000/- रु. की राशि संस्वीकृत की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) वित्त मंत्रालय केवल 1997-98 तक योजना के अंतर्गत लम्बित बिलों को निपटाने के लिए निधियां जारी करने के लिए सहमत है।

रक्त की कमी

3692. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यावसायिक रक्तदाताओं पर प्रतिबंध लगाये जाने के परिणामस्वरूप रक्त की अत्यधिक कमी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) देश में रक्त का कुल मिलाकर अभाव नहीं है तथापि, देश के विभिन्न भागों में रक्त का आवर्तक और अनियमित अभाव हो सकता है। रक्ताधान हेतु रक्त की जरूरतों का जायजा लेने के लिए मानदंड भिन्न-भिन्न हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड में प्रति अस्पताली पलंग पर प्रतिवर्ष रक्त की 7 यूनिटों का उल्लेख है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार हमें 42.00 लाख रक्त यूनिटों की प्रति वर्ष जरूरत पड़ेगी जबकि अनुमान है कि देश में लगभग 30.00 लाख रक्त यूनिट प्रति वर्ष एकत्र किया जाता है। तथापि, देश में अत्यन्त बड़ी संख्या में अस्पताली पलंगों द्वारा 7 यूनिट रक्त का प्रतिवर्ष उपयोग करने की असंभावना पर विचार करने से रक्त का अभाव गंभीर नहीं है।

स्वैच्छिक रक्त दान कार्यक्रम के जरिए रक्त का पर्याप्त एकत्रण करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं; जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार-पत्रों के जरिए प्रचार के माध्यम से अभियान चलाना, सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री को एक से एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तैयार करना; प्रत्येक वर्ष पहली अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाना; रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने पर चिकित्सकों को प्रोत्साहन देना और स्वैच्छिक रक्त दान कार्यों में सहयोग करने के लिए जनता को जानकारी देने वाले विशेष अभियान चलाना।

एन.एफ.एल., भटिण्डा का निजीकरण

3693. श्री भानसिंह भौरा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भटिंडा अपनी स्थापना के बाद से संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एन.एफ.एल. के कामगारों और अधिकारियों ने सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफ.एल.) का भटिण्डा संयंत्र 1.10.1979 को आरम्भ हुआ। विभिन्न बाधाओं एवं अस्थिर विद्युत आपूर्ति के कारण आरम्भ में यह अपने अमोनिया संयंत्र की 67.02 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोगिता प्राप्त कर सका। वर्ष 1989 में कैप्टिव पावर संयंत्र के आरम्भण के साथ, इस एकक ने 1991-92 में 100 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता प्राप्त कर ली तथा वर्तमान में अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक पर कार्य कर रही है। तथापि, यह एकक मुख्यत: जटिल एवं पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण हानि उठा रही है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की अधिक खपत हुई है, मरम्मत एवं रख-रखाव की अधिक लागत आई है तथा संयंत्रों का पूर्णत: ह्रास होने के कारण अल्प पूंजीगत प्रभार हुए हैं।

(ख) से (ङ) सरकार ने सरकार द्वारा धारित नेशनल फर्टिलाइजर लि. (एन.एफ.एल.) के साम्य के कुल 51 प्रतिशत का विनिवेश प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ अनुकूल क्रेता को अनुकूल बिक्री के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। यह कार्यवाही सभी गैर-अनुकूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के साम्य को 26 प्रतिशत तक अथवा कम करने के लिए सरकार की घोषित नीति के अनुरूप है। एन.एफ.एल. के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एन.एफ.एल. में भारत सरकार के साम्य के प्रस्तावित विनिवेश के विरोध में अभ्यावेदन दिया है। विनिवेश की नीति एक बहुत सोची-समझी नीति है जिसमें कर्मचारियों के हितों को पूर्णत: सुरक्षित रखना शामिल है।

राष्ट्रीय शहरी कार्यक्रम संस्थान द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान/अध्ययन

3694. श्री राजैया मल्याला : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शहरी कार्यक्रम संस्थान ने आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कोई अनुसंधान/अध्ययन अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में "अर्बन सैक्टर प्रोफाइल: आन्ध्र प्रदेश" नामक शीर्षक का एक अनुसंधान अध्ययन और शहरी अवस्थापना वित्त पोषण, नगरपालिका वित्त और लेखांकन, शहरी सेवाओं के प्रबंध और शहरी पर्यावरण के प्रबंध के क्षेत्रों में पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

(ग) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्र की रूपरेखा में किए गए अनुसंधान अध्ययन से सुधारों के लिए विशेष आवश्यकताओं के साथ राज्य के शहरी क्षेत्र में कार्यात्मक हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान के समर्थ होने की संभावना है। जहां तक संस्थान द्वारा रीजनल सैन्टर फार अर्बन एण्ड एन्वाइरोगेन्टल स्टडीज, ओसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध है, इसमें राज्य के नगरपालिका शासन और शहरी अवस्थापना एजेन्सियों के करीब 100 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य के शहरी क्षेत्र के प्रबंध हेतु उन्हें अभिनव संकल्पनाओं, तकनीकों और साधनों से अवगत कराया गया। ऐसे और अन्य समान प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य के शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए शहरी क्षेत्रों में कुछ अभिनव परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

उग्रवादी संगठनों से वार्ता

369ऽ **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 2000 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में ''गवर्नमेंट्स ओलाइव ब्रांच में नाट वर्क इन कश्मीर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उग्रवादियों के साथ वार्ता आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर जनता/उग्रवादी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्, सरकार को मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) से (ङ) 26-27 जुलाई, 1997 को अपनी जम्मू एवं कश्मीर यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राज्य के उन गुमराह युवकों से, जो कि उग्रवादी गिरोहों में शामिल हो गए हैं, अपील की थी कि वे बन्दूकें त्याग दें और कहा था कि सरकार उनके साथ बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है ताकि वे मुख्य धारा में पुनः शामिल हो सकें। सरकार संविधान के ढांचे के अंतर्गत उक्त वार्ता की पेशकश के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

3696. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हरियाणा सरकार से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) जी, नहीं।

तथापि, 'महिलाओं के लिए रोजगार-सह-आयोत्पादन एककों की स्थापना' स्कीम के अंतर्गत हरियाणा राज्य महिला विकास निगम, चण्डीगढ़ से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 840 लाभार्थियों के लिए 22,65,500/- रुपये (बाइस लाख पैंसठ हजार छः सौ रुपये मात्र) की अनुमानित लागत से हथकरघा बुनाई और ब्यूटी कल्चर व्यवसायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए इस परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है।

कारागार संबंधी रिकार्ड

3697. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 2000 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में 'आफ्टर 37 इयर्स इन जेल विदाउट ट्रायल फ्रीडम मीन्स नथिंग लेफ्ट टु लूज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विगत में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या से संबंधित स्थिति की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या विगत में भी ऐसी कोई समीक्षा की गई थी; और

(छ) यदि हां, तो इसमें क्या टिप्पणियां की गई और इस संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, समाचार में उल्लिखित कैदी विक्षिप्त व्यक्ति था और न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उसे जेल में सुरक्षित हिरासत के रूप में रखा गया था और उसका चिकित्सा उपचार किया जा रहा था। उसे 30.4.96 को चिकित्सा उपचार के लिए अन्तराग्राम मनोचिकित्सा केन्द्र में स्थानांतरित किया गया था। 20.1.2000 को उसे जेल से रिहा किया गया और भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में कलकत्ता के नजदीक कांचरापड़ा में, ओल्ड एज होम आफ मिशनरीज आफ चैरिटी में स्थानांतरित किया गया।

(ग) से (छ) जेलों में भीड़-भाड़, जो मुख्य रूप से बड़ी संख्या में विचारणाधीन कैदियों की उपस्थिति के कारण है, के बारे में सरकार और न्यायपालिका, दोनों ही चिन्तित हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने तारीख 19.11.1999 के पत्र के तहत उच्च न्यायालयों को लिखा है कि प्रत्येक चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या उस क्षेत्र के चीफ ज्यूडीसियल मजिस्ट्रेट, जिसमें जिला जेल पड़ती है, उन विचारणाधीन कैदियों, जो छोटे-छोटे अपराधों में संलिप्त हैं और अपना अपराध स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, के मामलों की सुनिवाई के लिए कार्यभार की निर्भरता पर, महीने में एक या दो बार अपना न्यायालय जेलों में लगाएं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आगे सुझाव दिया है कि इस प्रकार के कैदियों की मदद करने के लिए और उनकी तरफ से आवेदन, पेश करने जिनके आधार पर चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट, जांच एजेन्सियों को पुलिस रिपोर्ट फाईल करने के कार्य में तेजी लाने का निदेश दे सकें, जेलों में "लीगल एंड काउन्सल" तैनात किए जाएं।

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.डी. उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में 13.10.1999 और 7.12.1999 को पारित आदेशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने भी, देश के विभिन्न जेलों में बंद पड़े विचाराधीन कैदियों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लिखा है।

अधिकांश राज्य सरकारों ने छोटे-मोटे आपराधिक मामलों के निपटान के लिए विशेष न्यायिक/मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए हैं।

हुडको की परियोजनाएं

3698. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हुडको से सहायता हेतु भेजे गये/अनुवर्तिता प्रस्तावों/परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रस्ताव/परियोजनाएं मंजूर की गई हैं तथा हुडको द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना/प्रस्ताव के अंतर्गत कितनी सहायता जारी की गई है; और

(ग) शेष प्रस्तावों/परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) हडको में पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आवास तथा शहरी विकास योजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं:-

वर्ष	कुल योजनाएं	करोड़ रुपए में ऋण राशि
1996-97	20	120.03
1997-98	56	229.31
1998-99	38	1009.81

जो योजनाएं स्वीकृत नहीं की जाती, उनके स्थान-वार ब्यौरे हडको द्वारा नहीं रखे जाते।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत योजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं:-

वर्ष	कुल योजनाएं	ऋण राशि
1996-97	19	70.16
1997-98	58	229.24
1998-99	38	1010.29

स्थान स्वीकृत तथा प्रदान की गई ऋण राशि के योजना-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) फिलहाल राज्य की 41 आवास योजनाएं तथा 19 शहरी अवस्थापना योजनाएं हडको को प्रस्तुत की गई हैं। इन योजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है तथा इन्हें स्वीकृत किए जाने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

1996-97 के दौरान महाराष्ट्र में स्वीकृत योजनाओं की सूची

योजना का नाम	ऋण राशि	प्रदत्त राशि
1	2	3
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस नया निर्माण	49.92	49.92
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस नया निर्माण	49.92	49.92
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस नया निर्माण	49.92	49.92
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस नया निर्माण	49.92	49.92
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस नया निर्माण	49.92	49.92
* उ. आगपुर में भुगतान एवं उपयोग शौचालयों का निर्माण	0.00	—
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस मरम्मत तथा नवीकरण	49.97	49.97
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस मरम्मत तथा नवीकरण	49.97	49.97
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस मरम्मत तथा नवीकरण	49.97	49.97
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस मरम्मत तथा नवीकरण	49.97	49.97
* ढुल जिले में ई डब्ल्यू एस मरम्मत तथा नवीकरण	49.97	49.97
* एस आर पी एस ग्रुप-। के लिए 650 क्वार्टरों का निर्माण	1473.64	54.57
* शोलापुर नगर निगम द्वारा शोलापुर जल आपूर्ति योजना	1042.07	1042.07
* जलगांव में मुख्य सड़कों का निर्माण तथा उन्नयन	1196.00	1196.00
* जलगांव पार्ट-I में मुख्य सड़कों का निर्माण तथा उन्नयन	615.00	615.00
* न्यू औरंगाबाद में एम आई जी-I पी एन ओ-11, आर-38 के तहत 6 टी एस का निर्माण	785	785
* भोला भाई चौक में विपणन केन्द्र का निर्माण	102.03	—

1	2	3
* शोलापुर में पुलिस के लिए 486 क्वार्टरों का निर्माण	1299.03	1293.68
* डुल में 24 अधिकारी क्वार्टरों तथा 356 क्वार्टरों का निर्माण	780.64	—
* न्यू नासिक में 249 एम आई जी टी/एस का निर्माण	224.10	224.10
* सी टी एस संख्या 18348 में एम आई जी के तहत 16 टी/एस का निर्माण	18.98	—
* न्यू औरंगाबाद में 439 एम आई जी टी/एस का निर्माण	570.70	570.70
* हींगन घाट जिले में पी एम आई यू पी ई पी के अंतर्गत आश्रम उन्नयन योजना	23.20	—
* कवाया में जी यू सी संख्या 80 पर 60 एल आई जी टी/एस का निर्माण	30.59	30.59
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	00	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	37.78	—
आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	74.25	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	47.89	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	41.37	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	3.44	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	2.47	—
* क्र.सं. 386 तथा 387 में 97 एल आई जी टी/एस का निर्माण	50.84	32.55
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	16.91	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	20.13	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	2.47	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	3.38	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	2.47	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	0.00	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	4.95	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	3.17	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	2.47	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	6.63	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	27.84	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	14.29	—

1	2	3
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	12.69	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	1.68	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	0.00	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	88.31	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	17.26	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	38.74	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	68.10	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	20.61	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	48.74	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	2.09	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	13.68	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	3.63	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	1.74	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	11.63	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	11.19	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	15.26	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	0.76	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	4.63	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	13.48	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	24.69	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	17.97	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	1.73	—
* क्रम संख्या 3 टीपी III पर नगर निगम स्टाफ के लिए किराया आवास	331.50	
* क्रम संख्या 3 टीपी III पर नगर निगम स्टाफ के लिए किराया आवास	217.28	—
* सीटी क्रमांक संख्या 28721 औरंगाबाद में दुकानों का निर्माण	116.28	48.28
* क्रम संख्या 527(पी) पर 25 टी/एस एल आई जी तथा 15 टी/एस एम आई जी का निर्माण	24.04	—
* सर्वोदय कोपरेटिव सोसाटी	14.00	—
* जलगांव शहर के लिए जल आपूर्ति योजना चरण-1	5000.00	2698.00
* नेरूल नवी मुम्बई में सीवुड एस्टेट (एन आर-1 प्रोजेक्ट)	10000.00	—

1	2	3
* आई एल सी एस कार्यक्रम के अन्तर्गत नए शौचालयों का निर्माण	0.00	—
* हेतवाने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट (अतिरिक्त ऋण) योजना 18368	5455.53	5455.53
* अचलपुर में आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	124.85	—
* आई एल सी एस कार्यक्रम के तहत नए शौचालयों का निर्माण	0.00	—
योग	22924.33	—

1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 की अवधि के दौरान स्वीकृत योजनाएं

(लाख रु.)

योजना का नाम	ऋण राशि	प्रदत्त राशि
1	2	3
· रातेगांव, बोइसर, तालुका-पालग में 33 बंगले का निर्माण	50.00	50.00
* पुणे के लिए जल आपूर्ति सीवरेज योजना चरण-1	10000.00	—
* कपिल नाग में 320 एल सी आवास टी/एस तथा 90 दुकानों का निर्माण	327.70	280.00
* बान में सी एम सी स्टाफ के लिए रिहायशी भवन का निर्माण	334.02	—
* बंजरी, नागपुर में 696 टी/एस एल आई जी आवास का निर्माण	438.48	438.48
* नागुपर में ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी श्रेणी के लिए शहरी आवास योजना	775.40	—
* मुकुंद में एल आई जी, एम आई जी-I और एम आई जी-II मकानों का निर्माण	1061.90	—
* बुलबुल गांव में ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी आवास का निर्माण	102.49	—
* मुखेद में ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी आवास का निर्माण	151.41	—
* क्रम संख्या 105 पर 108 ई डब्ल्यू एस टी/एस तथा 49 एल आई जी टी/एस का निर्माण	81.53	8.31
* क्रम संख्या 105 पर 200 ई डब्ल्यू एस टी/एस तथा 200 एल आई जी टी/एस का निर्माण	226.22	14.24
* क्रम संख्या 300 पर 88 ई डब्ल्यू एस टी/एस तथा 100 एल आई जी टी/एस का निर्माण	93.32	4.45
* 16 अधिकारी तथा 44 (784) कांस्टेबुल क्वार्टरों का निर्माण	1931.91	-
* क्रम संख्या 521, फुकात में एल आई जी के तहत 380 टी/एस का निर्माण	266.00	-
* 40 गांव रोड पर क्रम संख्या 471, 477 तथा 478 पर निर्माण	119.60	23
* थाणे, महाराष्ट्र में एल आई जी टी/एस का निर्माण	1874.68	-

	1	2	3
*	कराड़ में रेगासे बेस्ड को-जेनेरेशन प्रोजेक्ट	3494.38	-
*	ई डब्ल्यू एस आवास योजना	140.00	140.00
*	नागपुर, महाराष्ट्र में भुगतान तथा उपयोग शौचालय योजना	0.00	-
*	महिंडाले शिव में एस आर पी एफ रोड-5 के 437 क्वार्टरों का निर्माण	2334.38	-
*	सांगली में रेगासे बेस्ट को जेनेरेशन प्रोजेक्ट	1647.82	-
*	ई डब्ल्यू एस (यू) श्रेणी के तहत सी एल योजना मरम्मत तथा नवीकरण	49.00	49.00
*	ई डब्ल्यू एस (यू) श्रेणी के तहत सी एल योजना, मरम्मत तथा नवीकरण	49.00	49.00
*	ई डब्ल्यू एस (यू) श्रेणी के तहत सी एल योजना मरम्मत तथा नवीकरण	48.75	48.75
*	ई डब्ल्यू एस (यू) श्रेणी के तहत सी एल योजना मरम्मत तथा नवीकरण	48.75	48.75
*	क्रम संख्या 425, 558 पर एल आई जी के तहत 1616 टी/एस का निर्माण	1131.28	234.15
*	पिंपराला गेट नं. 1 में एल आई जी के तहत 1912 टी/एस का निर्माण	1338.40	369.15
*	आर संख्या 42, 139 पर एल आई जी के तहत 916 टी/एस का निर्माण	641.20	199.30
*	क्रम संख्या 465 समता पर एल आई जी के तहत टी/एस का निर्माण	1638.83	526.86
*	पिंपराला में एल आई जी के तहत 2234 टी/एस का निर्माण	1525.96	357.66
*	क्रम संख्या 32, 33, 34 में एल आई जी के तहत 688 टी/एस का निर्माण	460.90	149.40
*	क्रम संख्या 337/3ए/3बी पर एल आई जी के तहत 888टी/एस का निर्माण	565.60	242.63
*	आर संख्या 142, जी नं. 1 में एल आई जी के तहत 480 टी/एस का निर्माण	336.00	118.35
*	वाशी रेलवे स्टेशन चरण-1	12841.11	6962.41
*	बेलापुर डबल लाइन चरण-1	8304.03	5173.67
*	नेरूल (बेलापुर से शहरी फेस-1)	15428.78	384.88
*	पालिका कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना	1170.00	-
*	स्लम पुनर्वास योजना	3000.00	3000.00
	कुल	101028.73	-

[हिन्दी]

सामाजिक-आर्थिक आंकड़ा

3699. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने विभिन्न समुदायों से संबंधित आंकड़े सावधिक रूप से सरकार को प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, जब कभी आवश्यक हुआ, समुदायों के संबंध में मानवजाति संबंधी सामग्री प्रस्तुत करता है जिसमें उत्पत्ति, आवास, भोजन तथा भोजन संबंधी आदतों, सामाजिक विभाजनों, परिवार, महिलाओं का दर्जा, जीवन शैली, धार्मिक अनुष्ठानों, आर्थिक कार्यकलापों, सामाजिक नियंत्रण तंत्र, कला एवं शिल्प, अंतर-सामुदायिक सहलग्नताओं आदि संबंधी ब्यौरे बताए जाते हैं।

[अनुवाद]

नवीनतम वैक्सीन

3700. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "न्यू बेनेबेशन वैक्सीन एण्ड डाइग्नास्टिक्स इनफेक्शियस डिजीजेज" के विकास पर ध्यान देने के लिए किसी मिशन का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई वैक्सीन को तैयार करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई पीढ़ी की वैक्सीनों के विकास संबंधी राष्ट्रीय जय विज्ञान साइंस और प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। छह वैक्सीनों अर्थात हैजा, रेबीज, जापानी एनसेफलाइटिस, क्षयरोग, मलेरिया और मानव प्रतिरक्षा अल्पता वाइरस की इस मिशन के अधीन पहचान की गई है।

इस कार्यक्रम की तीन श्रेणियां हैं:

* श्रेणी "क": क्षमता अनुसंधान लीड्स उपलब्ध हैं लेकिन नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं अथवा करने अपेक्षित हैं अर्थात हैजा रेबीज।
* श्रेणी "ख": अपेक्षित जन्तु प्रयोग अर्थात जापानी एनसेफलाइटिस वाइरस, मलेरिया।
* श्रेणी "ग": सतत अनुसंधान और विकास प्रयास अपेक्षित हैं अर्थात् मानव प्रतिरक्षा अल्पता वाइरस, क्षयरोग और जापानी एनसेफलाइटिस वाइरस।

चालान पुस्तिकाओं में विसंगति

3701. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंतरिक लेखापरीक्षा दल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली यातायात पुलिस की दो जिलों की चालान पुस्तिकाओं के संबंध में गत वर्ष के दौरान 1.5 करोड़ रुपये की विसंगति का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य जिलों की लेखापरीक्षा भी पूरी की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मामले में जिम्मेवार पाये गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली पुलिस की आन्तरिक लेखापरीक्षा पार्टी ने, पश्चिम जिले के ट्रैफिक खाते में 1.51 करोड़ रु. और उत्तर-पश्चिम जिले के ट्रैफिक खाते में 66.15 लाख रु. की विसंगतियां बताई हैं जो समायोजन की प्रक्रिया में है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पश्चिमी जिले और उत्तरी-पश्चिमी जिले से संबंधित लेखों में पायी गयी विसंगतियां अनंतिम प्रकार की हैं और वास्तविक स्थिति, समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही, सामने आयेगी। अत: इस समय किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का कोई आधार नहीं है।

[हिन्दी]

समेकित मूलभूत ढांचा स्थापित करना

3702. श्री मोहन रावले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों और शहरों में समेकित मूलभूत ढांचा स्थापित करने के लिए योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जवाहर रोजगार योजना की रूपरेखा में परिवर्तन करने एवं उसे सुचारू बनाने का निर्णय किया है। चूंकि पुनर्स्थापना कार्यक्रम केवल ग्राम स्तर पर ही लागू किया जाएगा, इसलिए मंत्रालय द्वारा इसका नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रखने का निर्णय किया गया। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्णतः ग्राम पंचायतों द्वारा ही क्रियान्वित की जाएंगी। इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल, 1999 से आरंभ किया गया है।

शहरों और छोटे तथा मझौले कस्बों में शहरी अवस्थापना में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं:- छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास, मेगासिटी स्कीम और त्वरित शहरी जल-आपूर्ति कार्यक्रम, शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार, राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम, स्थानीय निकायों को अधिकार देने हेतु 73वां और 74वां संविधान संशोधन, शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन, राष्ट्रीय आवास नीति और आवास तथा शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए साधन जुटाने हेतु निजी क्षेत्र को भी शामिल करना।

राजभाषा समिति

3703. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बार-बार अनुस्मारक दिये जाने के बाद भी संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिन्दी समिति और विभागीय हिन्दी परामर्शदात्री समिति का गठन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन हो चुका [illegible] केन्द्रीय हिन्दी समिति का पुनर्गठन कार्य अग्रिम स्तर पर है। [illegible] मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 23.4.2000 [illegible] है। इसका पुनर्गठन करवाने के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर [illegible] गई है।

सांविधिक विकास बोर्ड

3704. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने [illegible] कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण क्षेत्र हेतु एक स्वायत्तशासी सांविधिक विकास बोर्ड स्थापित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) इस संबंध में एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) कोंकण क्षेत्र के लिए एक अलग सांविधिक बोर्ड की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते समय, यह पता लगाना उपयुक्त समझा गया कि राज्य में तीन वर्तमान विकास बोर्ड, संविधान में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। तदनुसार, योजना आयोग से एक व्यापक अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था। अध्ययन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस मामले की आगे जांच की जाएगी।

[अनुवाद]

मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना

3705. **श्री लक्ष्मण सेठ:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हेतु मंजूरी देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य हेतु क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद, जो क्रमशः तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा संबंधी सांविधिक विनियामक निकाय हैं, प्राइवेट तथा सरकारी, दोनों क्षेत्रों में, इंजीनियरी तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करते हैं।

(ख) ऐसे अनुमोदन हेतु नियम और शर्तें इन निकायों द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों में उल्लिखित हैं।

तकनीकी संस्थाएं

3706. **श्री ए. कृष्णास्वामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी शैक्षिक संस्थाएं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) जी नहीं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोई विशेष व्यावसायिक/तकनीकी, शैक्षिक संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों की फीस में वृद्धि

3707. डा. वी. सरोजा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्कूलों की फीस में वृद्धि किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस वृद्धि से प्रभावित होने के कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों द्वारा शिक्षा दिलाने की असमर्थता के संबंध में विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (घ) जी, नहीं। शिक्षा समवर्ती सूची में है तथा स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऊपर है। शुल्क ढांचे या अन्य प्रभारों में बढ़ोत्तरी के बारे में निर्णय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लिया जाता है। भारत सरकार इन मामलों में दखल नहीं देती।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो

3708. डा. सी. कृष्णन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), दिनांक 11.3.1986 के सरकारी संकल्प के तहत पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

(1) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराधियों सहित अपराध और अपराधियों के संबंध में सूचना के क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना, ताकि अपराध को अपराध करने वालों से जोड़ने में जांच-पड़ताल करने वालों और अन्य की मदद की जा सके;

(2) अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के संबंध में सूचना स्टोर करना, उसका समन्वय करना और प्रसार करना;

(3) राष्ट्रीय स्तर पर अपराध आंकड़े एकत्रित करना और प्रोसैस करना;

(4) दाण्डिक और सुधार करने वाली एजेंसियों से आंकड़े प्राप्त करना और उन्हें आंकड़े भेजना;

(5) राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कार्य में समन्वय करना, उनका मार्गदर्शन करना और मदद करना;

(6) अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान करना; और

(7) अपराध रिकार्ड ब्यूरो का मूल्यांकन करना, विकास करना तथा आधुनिकीकरण करना।

हवाला मामला

3709. श्री रूपचन्द पाल:
श्री अजय चक्रवर्ती:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री इन्द्रजीत गुप्त:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिर्दिष्ट अदालत ने जैन हवाला मामले में सभी भियुक्तों को बरी कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उभर कर आ रहे नये प्रमाणों/तथ्यों । देखते हुए इस मामले पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव है; ार

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): क) और (ख) पदनामित न्यायालय ने कुछ अभियुक्त व्यक्तियों खिलाफ आरोप तैयार किये थे लेकिन कुछ को दिल्ली उच्च ायालय ने आरोपमुक्त कर दिया था। भारत के उच्चतम न्यायालय समक्ष इसका विरोध किया गया। उच्चतम न्यायालय ने . 2.3.1998 के अपने फैसले में कहा कि हालांकि केन्द्रीय जांच ूरो द्वारा जैनों से जब्त की गयी एक डायरी में दर्ज प्रविष्टियां, रतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अनुज्ञेय है फिर । तथाकथित धन प्राप्ति के आरोप लगाने के लिए वे तब तक र्याप्त नहीं हैं जब तक उनके द्वारा कथित राशि की प्राप्ति के बारे स्वतंत्र साक्ष्य न हो। स्पेशल न्यायाधीश की अदालत, दिल्ली च्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय ने तथाकथित ाला मामले में दायर संबंधित आरोप-पत्रों की जांच करते हुए चारण/पुनरीक्षण अपील के दौरान तथाकथित प्राप्तकर्त्ताओं के नामों सामने डायरी में रिकार्ड की गयी राशि की प्राप्ति को सिद्ध ो वाले कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं पाए और अतः इस मामले में । अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया।

(ग) और (घ) ऐसे कोई नये साक्ष्य/तथ्य पता नहीं चले हैं ासे नये सिरे से जांच करने की आवश्यकता हो।

न्दी]

विकलांगों के लिए शिक्षा

3710. श्री रामशकल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने लिए विशेष धनराशि निर्धारित करने हेतु राज्य सरकारों से ाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) भारत सरकार विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (आई ई डी सी) चला रही है जो सामान्य स्कूल प्रणाली में विकलांग बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है ताकि प्रणाली में उनके अवधारण और समेकन को सुकर बनाया जा सके। इस योजना के तहत विकलांग बच्चों को सुविधाओं, संसाधन शिक्षकों और सहायकों के वेतन तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों तथा योजना के तहत दिये गये मानदंडों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई राशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि (योजनागत) 1999-2000
1	2
1. आंध्र प्रदेश	29.57
2. अरुणाचल प्रदेश	-
3. असम	-
4. बिहार	-
5. गुजरात	323.44
6. हरियाणा	86.38
7. हिमाचल प्रदेश	96.63
8. जम्मू और कश्मीर	-
9. कर्नाटक	116.74
10. केरल	236.27
11. मध्य प्रदेश	55.19
12. मणिपुर	45.17
13. महाराष्ट्र	-
14. मिजोरम	15.50
15. नागालैंड	5.75

1	2
16. उड़ीसा	109.73
17. पंजाब	–
18. राजस्थान	–
19. तमिलनाडु	62.18
20. त्रिपुरा	23.31
21. उत्तर प्रदेश	24.82
22. पश्चिम बंगाल	12.00
23. अंडमान व निकोबार द्वीप	16.62
24. चंडीगढ़	–
25. दिल्ली	29.42
दमन व दीव	0.26
27. दादरा व नगर हवेली	–
28. पांडिचेरी	1.04
कुल	1290.02

नोट: अन्य राज्यों से योजना के तहत अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

वृन्दावन में विधवाएँ

3711. श्री तूफानी सरोज:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 2000 को 'द सन्डे टाइम्स' (टाइम्स ऑफ इंडिया) में ''वाटर हैज बीन फ्लोविंग फार लोंग इन वृन्दावन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वृन्दावन में विधवाओं की दशा के संबंध में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वाराणसी में रह रही विधवाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो वृन्दावन और वाराणसी में रह रही विधवाओं के मानव अधिकारों का सम्मान करके तथा उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने हेतु उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हाँ।

(ख) से (च) उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने 1998 में एक सर्वेक्षण किया था और इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि वृन्दावन में 5000 से अधिक और वाराणसी में 1000 से अधिक विधवाएं रह रही हैं।

केन्द्र सरकार ने वृन्दावन की उपेक्षित महिलाओं के पुनर्वास के लिए और केन्द्रीय स्कीमों के लाभों के लक्ष्य वर्ग तक पहुंचने का प्रबोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के संगठनों के प्रयासों को समन्वित करने हेतु महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है। केन्द्रीय समिति की पिछली बैठक 2 मार्च, 2000 को हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दो शरण गृह स्थापित किये हैं और इन गृहों में रहने वाली संवासिनों की डाक्टरी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने वृन्दावन में एक महिला पुलिस कक्ष भी स्थापित किया है। इन महिलाओं के पुनर्वास के लिए और अधिक शरण गृह स्थापित करने के लिए राज्य सरकार गैर-सरकारी संगठनों को भी राजी कर रही है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार की महिलाओं के लिए स्व-रोजगार की विभिन्न स्कीमें हैं, जैसे महिलाओं के लिए रोजगार-सह-आयोत्पादन एककों की स्थापना (नोराड), प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप), इन्दिरा महिला योजना, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जिनके अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार की उपेक्षित महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय महिला कोष भी कुछ ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें उपेक्षित महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्व-रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीम जैसी स्कीमों के अंतर्गत इस प्रकार की वृद्ध और उपेक्षित महिलाओं को पेंशन तथा पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

जब्त हथियारों का निपटान

3712. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों या गैर-कानूनी रूप से हथियार रखने वाले व्यक्तियों से जब्त हथियार तथा गोला-बारूद पृथक कक्ष में रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे हथियारों के निपटान संबंधी सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या लाइसेंसी हथियार धारक इन हथियारों को नीलामी या अन्य तरीकों से खरीदते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) उग्रवादियों/आतंकवादियों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों से जब्त किए गए अथवा बरामद किए गए अग्नेयास्त्रों को सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त कर लेने के बाद राज्य द्वारा अधिहरण और अपवर्तित वस्तु समझा जाता है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को जब्त किए गैर-निषिद्ध बोर वाले अग्नेयास्त्रों को ऐसे उन पात्र व्यक्तियों को आबंटित करने के अधिकार दिए गए हैं जिनके पास वैध लाईसेंस हों। मूल्य निर्धारण समिति द्वारा संस्तुत मूल्य के अनुसार, किसी शस्त्र का मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा ऐसा आवंटन इस शर्त के आधार पर किया जाता है कि आवंटी उस शस्त्र को अपने जीवन काल के दौरान किसी को न तो बेचेगा, न तोहफा देगा, न हस्तांतरित करेगा अथवा न ही किसी को सौंपेगा।

हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन

3713. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए हाल ही में ओमान में आयोजित हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो बैठक में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस बैठक में हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हाँ। माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार ने 22-23 जनवरी, 2000 को मस्कट ओमान में क्षेत्रीय सहयोग हेतु हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की असाधारण बैठक में भाग लिया था।

(ख) और (ग) बैठक में अन्य मुद्दों के साथ-साथ नीचे लिखे मुद्दों पर चर्चा हुई—स्वीकृति के दस्तावेज, मुख्यालयों के अनुबंध, प्रक्रिया के नियम, सदस्यता आवेदन और एसोसिएशन के अन्य प्रपत्र, शब्दचिन्ह (लोगों), हिन्द महासागर अध्ययन का अध्यक्ष और सहायक सहयोगी।

पुलिस प्रतिष्ठानों में पदोन्नति कोटा

3714. श्री अनंत गुढ़े:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों में डी.आई.जी. ने संयुक्त निदेशक के वरिष्ठ रैंकों में पदोन्नति कोटा कितना है;

(ख) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सी.आर.पी.एफ. और सम्बद्ध संगठनों में विशेषकर वरिष्ठ रैंकों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संगठनों में इस संबंध में वास्तविक स्थिति की तुलना में सीधी भर्ती गैर-प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों के लिए पदोन्नति का वर्तमान कोटा कितना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण वरिष्ठ रैंकों में कुंठा और रुद्धता से बचने के लिए की गई सिफारिश के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक और महानिरीक्षक के स्तर पर पदोन्नति का कोटा निम्न प्रकार से है:

(1)	उप महा निरीक्षक के रैंक में पदोन्नति के लिए कोटा	- 60%
(2)	महानिरीक्षक के रैंक में पदोन्नति के लिए कोटा	- $33^1/_3$%

(ख) से (घ) 5वें वेतन आयोग ने पैरा 70.41 और 70.42 में अपनी सिफारिश में यह संस्तुत किया था कि संवर्ग अधिकारियों के लिए उच्च स्तरों पर, अधिक संख्या में पद उपलब्ध कराए जायें और इन सभी बलों में पदोन्नति के कोटे का प्रतिशत एक समान होना चाहिए।

चारों अर्ध सैनिक बलों नामतः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भा. तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप-महानिरीक्षक और महानिरीक्षक के स्तर पर पदोन्नति का वर्तमान कोटा पहले ही बढ़ाकर क्रमशः 60% और $33^1/_3$% कर दिया गया है। उप-महानिरीक्षक और महा निरीक्षक स्तर पर पदोन्नति/भा. पु. सेवा/भूतपूर्व सैनिक कोटे और इस समय कार्यरत पदोन्नत/भा.पु. सेवा/भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पदोन्नति/भा.पु. सेवा कोटे का विवरण

बल का नाम	कुल	निर्धारित कोटा			कार्यरत		
		पदोन्नति	भा.पु.से.	सेना	पदोन्नत	भा.पु.से.	सेना
[उप-म]हानिरीक्षक							
[के]न्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	37	22 (60%)	13 (35%)	2 (5%)	21	6	2
सीमा सुरक्षा बल	51	31 (60%)	15 (30%)	5 (10%)	38	3	5
भा. तिब्बत सीमा पुलिस	7	4 (60%)	3 (40%)	-	4	2	-
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	21	13 (60%)	9 (40%)	-	9	11	-
महानिरीक्षक							
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	17	6 ($33^1/_3$%)	11 ($66^2/_3$%)	-	6	11	-
सीमा सुरक्षा बल	17	6 ($33^1/_3$%)	11 ($66^2/_3$%)	-	6	11	-
भा.ति.सी. पुलिस	2	1 ($33^1/_3$%)	1 ($66^2/_3$%)	-	1	1	-
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	5	2	3	-	2	3	-

राजधानी में हरित क्षेत्र का विस्तार

3715. श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "द हिन्दु" में दिनांक 3 मार्च, 2000 को "कैपिटल्स ग्रीन कवर हैज एक्सपेन्डेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं?

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ित क्षेत्र के रखरखाव और विकास दर पर कितनी राशि खर्च की र दिल्ली विकास प्राधिकरण इस संबंध में कौन सी विशाल योजना शुरू करने जा रहा है;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली के होटल मालिकों द्वारा डीडीए भूमि के दुरुपयोग के कुछ मामलों की जानकारी मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई/ तावित है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): क) जी, हां।

(ख) डी डी ए ने सूचित किया है कि दिल्ली के हरित क्षेत्र विस्तार हुआ है और इसका 19% हरित क्षेत्र अन्य महानगरों तुलना में सबसे अधिक है। खुले स्थल, पार्क, खेलकूद परिसर, र वन सभी शहर के हरित विकास के अंग हैं। डी डी ए वृहत ित क्षेत्र और शहरी वन के रूप में मनोरंजनात्मक स्थलों, खेलकूद िसर, डिस्ट्रिक्ट पार्कों, प्ले-फील्ड्स, फिटनेस ट्रेल्स आदि के कास में लगातार प्रयास करता है।

(ग) वर्ष 1999-2000 में हरित क्षेत्र के रखरखाव और कास में डी डी ए द्वारा 103.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस ोजन के लिए वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान में 91.36 रोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रिंग रोड, निजामुद्दीन में लेनियम पार्क, तुगलकाबाद ग्रीन, जसोला पार्क, द्वारका और हेणी फेज-3 में पार्क, गोल्फ कोर्स लाडो सराय फेज-2, भलस्वा गोल्फ कोर्स, धीरपुर और शास्त्री प्लेस में पार्क और आई एस टी, सराय काले खां के सामने लोटस गार्डन डी डी ए द्वारा कसित/शुरू की गई कुछ मुख्य परियोजनाएं हैं।

(घ) से (च) होटल मालिकों द्वारा डी डी ए भूमि के ुपयोग का ऐसा कोई मामला आज की तारीख तक जानकारी में हीं आया है।

विशेषज्ञ समितियों/कृतिक बलों का गठन

3716. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या रसायन और र्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषध, रसायन और उर्वरक विनिर्माताओं द्वारा झेली जा रही प्रमुख समस्याओं पर गौर करने के लिए हाल में विशेषज्ञ समितियों/कृतिक बल गठित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है और उनमें की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) औषध निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों के लिए भारत को इस प्रयोजनार्थ विश्व मंजिल के लिए तैयार की गई नई-नई नीतियों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) (1) सरकार ने मार्च, 1999 में औषध मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करने और वैकल्पिक उपायों, यदि कोई हों, का सुझाव देने, मूल्य नियंत्रण की कठिनाइयों को कम करने जहां वे प्रति-उत्पादक बन गए थे, के उद्देश्य से एक औषध मूल्य नियंत्रण समीक्षा समिति की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(2) सरकार ने मार्च, 1999 में देश में भेषज उद्योग की अनुसंधान और विकास क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा स्वदेशी अनुसंधान और विकास कार्यों को करने के लिए भारतीय भेषज कम्पनियों द्वारा अपेक्षित सहायता का पता लगाने के लिए भेषज अनुसंधान और विकास समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट सरकार के पास है।

(3) नवम्बर, 1999 में सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत में भेषज उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए और उद्योग को विश्व का नेतृत्व करने लायक बनाने के लिए अपेक्षित लक्ष्यों का पता लगाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में भेषज और ज्ञान पर आधारित उद्योगों से संबंधित एक कार्य-बल का गठन किया था।

(4) उर्वरक के उत्पादन के लिए फीडस्टाक के रूप में देश में पर्याप्त कोल रिजर्व के प्रयोग पर विचार करने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा एक कार्य-बल गठित किया गया था।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

3717. श्री हरपाल सिंह साथी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के सभी विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% पद आरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और उसके समकक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मानित विश्वविद्यालयों और इससे जुड़े शैक्षिक संस्थानों में प्रोफेसरों और इनके कितने पद हैं तथा 1.1.96 की तिथि के अनुसार इन पदों पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति कार्यरत थे और कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या था;

(ङ) 1.1.1997 के बाद इन पदों पर कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे और कुल नियुक्तियों में उनका प्रतिशत क्या था; और

(च) इन पदों पर व्यक्तियों का चयन करने के लिए समितियों/ बोर्डों की रचना क्या है और इन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शामिल करने के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (च) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, लेक्चरर के स्तर तक शिक्षण पदों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों में 15% और 7.5% स्थान आरक्षित हैं। समिति/बोर्ड की संरचना केन्द्रीय/मानित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों द्वारा की जाती है।

कुपोषण

3718. श्री नवल किशोर राय:
श्री मोहन रावले:
श्री अरूण कुमार:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री साहिब सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुपोषण से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण पीड़ित व्यक्तियों की संख्या राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी है;

(ग) क्या अस्पतालों में उपचार के एक अनिवार्य अंग के रूप में पोषक आहार प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा डाक्टरों और जनता के बीच भी पोषाहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा 1-5 वर्ष के आयु समूह में बार-बार किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि अल्प पोषण के गंभीर स्तरों की व्यापकता 1975-79 में 15 प्रतिशत से घट कर 1996 में 6.2 प्रतिशत रह गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। गंभीर किस्म के पोषण वाले बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में 4200 से अधिक ब्लाकों में एकीकृत बाल विकास योजना के अधीन पूरक आहार मिलता है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को भी पूरक आहार मिलता है। कुछ बच्चों, जो संक्रमणों से ग्रस्त होते हैं, को अस्पतालों में भर्ती किया जाता है और उन्हें उनकी पौषणिक स्थिति में सुधार करने हेतु चिकित्सीय आहार मिलता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारत सरकार ने वर्ष 1993 में एक ''राष्ट्रीय पोषण नीति' तैयार की है और पोषण संबधी एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। इसके अलावा, सरकार युवा बच्चों और गर्भवती तथा स्तन्यदा महिलाओं जो जनसंख्या का अत्यधिक संवेदनशील भाग हैं, की समग्र पौषणिक स्थिति में सुधार करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा, विटामिन ''ए'' आयरन और फालिक एसिड पूरक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। डाक्टरों तथा जनता को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करना देश में कार्यान्वित किये जा रहे सभी स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घटक है।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटिड की जमीन की बिक्री

3719. श्री रिजवान जहीर: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड की जमीन को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने कंपनी के कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या योजना बनाई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) इस संबंध में सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत आबंटन

3720. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से उनके राज्यों में एकीकृत बाल विकास योजनाओं (आई.सी.डी.एस.) के लिए आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या संसाधनों की कमी के कारण पूर्व में उड़ीसा राज्य के कुछ ब्लाक आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत कवर नहीं किये गये थे; और

(घ) यदि हाँ, तो उन राज्यों को आवंटन बढ़ाने, विशेषकर सभी ब्लॉकों और संपूर्ण चक्रवात-प्रभावित क्षेत्रों को कवर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हाँ।

(ख) 130 नयी परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) उड़ीसा के लिए 29 नयी परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं (27 परियोजनाएं मार्च, 2000 में + 2 इससे पूर्व दिसम्बर, 1999 में)।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च, 2000 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	1
2.	हरियाणा	2
3.	जम्मू व कश्मीर	8
4.	मध्य प्रदेश	36
5.	मणिपुर	2
6.	नागालैण्ड	5
7.	पंजाब	32
8.	उड़ीसा	27
9.	प. बंगाल	17
	कुल	130

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड को बेचना

3721. डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड हल्दिया को भारतीय तेल निगम को बेचे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की सेवा के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, नहीं। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने केवल हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की हल्दिया उर्वरक परियोजना की खाली जमीन में रुचि दिखाई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी.डी.जी. (टी.बी.) द्वारा विदेश यात्रा

3722. डा. बलिराम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 के दौरान उपमहानिदेशक (क्षयरोग) द्वारा कितने विदेशी दौरे किए गए;

(ख) इनके क्या उद्देश्य थे और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या उप महानिदेशक ने अपने विदेशी दौरों के संबंध में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) वर्ष 1999 के दौरान उप महानिदेशक (क्षयरोग) ने 29 मई से 16 जून, 1999 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अल्पकालिक परामर्शदाता के रूप में डी पी आर कोरिया का दौरा किया और उन्हें भारत सरकार द्वारा 27-29 अक्टूबर, 1999 को नौवें सार्क क्षयरोग शासी बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

कोरिया और नेपाल के दौरे का खर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। भारत सरकार द्वारा नेपाल के दौरे के लिए लगभग 15000 रुपये का खर्च किया गया था।

उप महानिदेशक (क्षयरोग) ने अपनी डी पी आर कोरिया दौरे की रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने डाट्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन; उनके द्वारा किए गए क्षेत्रीय दौरों के अपने निष्कर्षों, सूचना देने की पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए विकसित किए गए दिशा-निर्देशों के बारे में कोरिया में स्थैतिक विश्लेषण का एक संक्षिप्त सारांश और प्रशिक्षण योजना की एक विस्तृत रूपरेखा दी। उप महानिदेशक (क्षय रोग) ने काठमाण्डू, नेपाल में आयोजित सार्क की बैठक में भाग लेने संबंधी अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को प्रस्तुत की है।

राष्ट्रीय महिला कोष

3723. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष से देश की महिलाओं को प्रति वर्ष राज्य-वार कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई;

(ख) क्या सरकार ने इसके फलस्वरूप देश की महिलाओं के जीवन-स्तर पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में महिलाओं को राष्ट्रीय महिला कोष से राज्यवार और वर्षवार संवितरित कुल ऋण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला कोष ने 1997-98 में अपने कार्यकरण का मूल्यांकन और उसके प्रभाव पर अध्ययन प्रायोजित किये थे। 7 विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संगठनों के माध्यम से आयोजित किये जाने वाले अध्ययन हेतु राष्ट्रीय महिला कोष से सम्बद्ध 14 गैर-सरकारी संगठनों की लघु सूची बनायी गयी थी। इन अनुसंधान संगठनों की रिपोर्ट का महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा समन्वय किया गया और इनके द्वारा जुलाई, 1998 में समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में ऋण लेने वालों पर ऋण के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया गया, परन्तु इसमें यह भी कहा गया कि इन ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण लिये इतना समय नहीं गुजरा है, जिससे इन पहलुओं का पता लगाया जा सके कि ऋण प्राप्तकर्ताओं को हुई आमदनी का उन्होंने किस प्रकार उपयोग किया है, उन्होंने अपने और अपने परिवार के पोषण स्तर में कितना सुधार किया है, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता के मामले में उनकी स्थिति क्या है?

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संवितरित कुल ऋण

(रुपये लाखों में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	635.13	515.30	635.25	1785.68
असम	—	1.50	4.00	5.50

1	2	3	4	5
बिहार	20.00	3.00	7.00	30.00
दिल्ली	—	2.00	15.32	17.32
गुजरात	40.50	10.00	3.00	53.50
हरियाणा	—	—	1.50	1.50
हिमाचल प्रदेश	20.00	25.98	26.90	72.88
कर्नाटक	25.00	35.00	27.99	87.99
केरल	122.00	38.50	61.25	221.75
मध्य प्रदेश	3.50	3.50	27.00	34.00
महाराष्ट्र	47.00	104.08	33.00	184.08
मणिपुर	26.00	1.00	8.50	35.50
नागालैण्ड	—	1.00	—	1.00
उड़ीसा	18.00	20.50	60.00	98.50
पाण्डिचेरी	—	—	0.50	0.50
राजस्थान	60.00	16.00	17.00	93.00
तमिलनाडु	278.38	243.50	287.03	808.91
उत्तर प्रदेश	41.38	51.00	64.50	156.88
प. बंगाल	58.50	76.64	104.90	240.04
कुल	1395.39	1148.50	1384.64	3928.53

हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों का रोपण

3724. श्री सुरेश चंदेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विलासपुर में औषधीय पौधों के रोपण हेतु 26.34 लाख रुपए स्वीकृत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) कतिपय पादपों हेतु कृषि तकनीकें विकसित करने के लिए सहायता के संबंध में हिमाचल प्रदेश से प्राप्त एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

एकतरफा युद्ध विराम

3725. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकतरफा युद्ध विराम करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सरकार शान्ति बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है और उन सभी को जो मैत्री के पथ से भटक गए हैं, संविधान के दायरे के भीतर बातचीत के लिए आमंत्रित करती है। तथापि, पूर्वोत्तर में बहुत से उग्रवादी ग्रुपों ने बताए गए दायरे के भीतर बातचीत करने के आमंत्रण का कोई उत्तर नहीं दिया है।

"पेप" चिकित्सा

3726. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास "पेप" उपचार की सुविधा है;

(ख) आज की तारीख तक एड्स की रोकथाम हेतु पूर्ण सावधानी के रूप में राज्यवार कितने लोगों का पेप-उपचार किया गया है; और

(ग) इस पर राज्यवार कितनी राशि खर्च हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में पी ई पी-उपचार की सुविधा है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया, जहां पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेकसिस उपचार प्रदान किया गया हो। तथापि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी सरकारी अस्पतालों में नीडल स्टिक इंजरी और पी ई पी उपचार संबंधी रिकार्ड रखने के निर्देश दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी सरकारी अस्पतालों में पी ई पी औषधें उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा का निजीकरण

3727. श्री रामपाल सिंह:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्रीमती रानी नरह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा, विशेषत: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो निजी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में किस सीमा तक भागीदारी के लिए सहमत हुआ है; और

(घ) इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (घ) चूंकि शिक्षा एक राष्ट्रीय प्रयास है, सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता इसकी सफलता के लिए आवश्यक होगी। इस संबध में निजी क्षेत्र के अंतर्गत परामर्शी तन्त्र तैयार किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए अद्यतन दिशा-निर्देशों से उच्चतर शिक्षा में निजी क्षेत्रों की और अधिक सहभागिता सुकर हो सकेगी।

लंबित अदालती मामले

3728. श्रीमती कान्ति सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** लंबित अदालती मामले के बारे में 21.12.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3248 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे विशिष्ट न्यायिक मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि विवादों के निपटान हेतु व्यक्तियों अथवा अन्य पार्टियों के विरुद्ध विभिन्न अदालतों में मामलों को दर्ज किया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए इन मामलों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डी डी ए ने सूचित किया है कि कुछ मामलों, जिनमें दावेदारी विवादित है अथवा जिनमें उनके खिलाफ निर्णय दिया गया है, उनमें डी डी ए अपनी दावेदारी के लिए विभिन्न न्यायालयों में गया है। ऐसे मामलों का कोई अलग लेखा-जोखा/रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) निर्णय के पाठ की जांच और निर्णय में पक्ष तथा विपक्षी दोनों पहलुओं की जांच के पश्चात निर्णय लेने के बाद डीडीए न्यायालय में आदेश को चुनौती देता है।

राजस्थान सीमा से आईएसआई की गतिविधियाँ

3729. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री राम जीवन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और राजस्थान की पश्चिमी सीमा आई एस आई की गतिविधियों की सुरक्षित आश्रय स्थली/अड्डा बन गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार को इस क्षेत्र में आई.एस.आई. की इन गतिविधियों का पता चला है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने आई एस आई की इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) यद्यपि पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा पश्चिमी सीमा से शस्त्रों/विस्फोटकों की तस्करी कराने के प्रयासों में कोई कमी नहीं देखी गई है, फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि गुजरात और राजस्थान में पश्चिमी सीमा, आई.एस.आई. के क्रियाकलापों का एक सुरक्षित अड्डा बन गई है।

बदलते रहने वाले रेतीले टीलों के एक छोटे टुकड़े को छोड़कर राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से प्रकाश व्यवस्था और बाड़ लगा दी गई है। इससे काफी हद तक अवैध रूप से सीमा पार करने को रोकने में मदद मिली है। गुजरात सीमा पर सुरक्षा बाड़ का निर्माण करने तथा फ्लड लाईट लगाने का कार्य भी शुरू किया जा चुका है तथा यह लगभग 5 वर्ष के समय में पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करना, सीमा-निगरानी बुर्जों का निर्माण करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ और अन्य विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिक चौकसी रखने के लिए सुरक्षा बलों को नाईट-विजन डिवाईसिज जैसे विशिष्ट उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है।

राजस्थान में साक्षरता दर

3730. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि का उपयोग विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिले में पूर्ण रूप से कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) संपूर्ण साक्षरता अभियान हेतु जारी धनराशि का किस प्रकार से व्यय किये जाने की तथा किस तरह से संपूर्ण साक्षरता प्राप्त किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए राज्यवार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए राजस्थान को निम्नवत निधियां जारी की गई हैं:

वर्ष	जारी की गई निधियां (लाख रु. में)
1997-98	105.76
1998-99	15.00
1999-2000	शून्य

(ख) अब तक संपूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए राजस्थान सरकार को जारी की गई धनराशि में 31 मार्च, 1999 तक 1230.40 लाख रु. की धनराशि अप्रयुक्त है। फरवरी, 2000 तक

संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों को जारी की गई निधियां तथा उनका उपयोग निम्नवत है:

(लाख रु. में)

	बाड़मेर	जैसलमेर
जारी की गई निधियां	565.18	91.13
व्यय	282.46 (50 प्रतिशत)	89.39 (98 प्रतिशत)

(ग) प्रारंभिक तौर पर शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित निरक्षर व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के आधार पर संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए निधियां स्वीकृत की जाती हैं। फिर भी, कार्यान्वयन के दौरान सर्वेक्षण के बाद अभिनिर्धारित शिक्षार्थियों की संख्या तथा नामांकित किए गए शिक्षार्थियों की संख्या और अधिक कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप व्यय में बचत हुई है। कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे इन निधियों का उपयोग उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के लिए करें, ऐसा न करने पर उन्हें निधियां केन्द्र सरकार को वापस करनी होंगी।

(घ) ये निधियां सर्वेक्षण, वातावरण निर्माण, प्रशिक्षण, अध्ययन/अध्यापन सामग्री, मानीटरिंग और मूल्यांकन आदि जैसे अनुमोदित किए गए विभिन्न कार्यकलापों पर खर्च की जाती है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 1998 के सर्वे के अनुसार वर्ष 1991 से राजस्थान की साक्षरता दर 16.5 प्रतिशत बढ़ी है जो हिन्दी भाषी राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि हैं।

[हिन्दी]

मोतियाबिन्द हेतु सुविधाएं

3731. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषरूप से मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोतियाबिन्द के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) मोतियाबिन्द के उपचार के लिए देश के ज्यादातर भागों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य रूप में नेत्र परिचर्या और विशेष रूप में मोतिया का उपचार प्रदान करने के लिए 11 क्षेत्रीय नेत्र रोग विज्ञान संस्थानों, 445 जिला अस्पतालों, 421 मोबाइल यूनिटों और 5633 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन किया गया है। नेत्र परिचर्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 520 जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियां स्थापित की गई। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्र शल्य चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और आई ओ एल शल्य चिकित्सा के लिए उपस्करों की सप्लाई की जा रही है। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मौजूदा नेत्र परिचर्या सुविधाएं

राज्य	क्षेत्रीय नेत्र रोग विज्ञान संस्थान	उन्नयन किए गए मेडिकल कालेज	उन्नयन किए गए जिला अस्पताल	मोबाइल नेत्र यूनिट	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
मध्य प्रदेश	1	6	45	45	623
उत्तर प्रदेश	1	6	68	71	860
बिहार	1	3	31	21	216
महाराष्ट्र	0	5	36	33	612

[अनुवाद]

खेलों को बढ़ावा देने हेतु योजना

3732. श्री पी. सी. थामस: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेल-कूद को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कई भागों में नए खेल परिसर की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल में मुन्नार में नए खेल परिसर के प्रस्ताव को लागू किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(छ) केरल में कौन सी अन्य केन्द्रीय योजनाओं के शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढ़िंडसा): (क) जी, हाँ।

(ख) देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है—

(1) *ग्रामीण खेल कार्यक्रम:* इस योजना के अंतर्गत, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के अन्यथा उपेक्षित क्षेत्रों में खेलकूद को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा छिपी हुई प्रतिभा का पता लगाने जो वहां पर प्रचुरता में उपलब्ध है, के लिए केन्द्र सरकार उत्तरी-पूर्वी राज्यों में बारी-बारी से प्रत्येक वर्ष उत्तर-पूर्व खेल महोत्सव का आयोजन कर रही है।

(2) *स्कूलों में खेल-कूद का संवर्धन:* इस योजना के अंतर्गत, जिला और राज्य स्तरीय स्कूल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(3) *महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप:* इस योजना के अंतर्गत, भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न राज्यों में महिला खिलाड़ियों के लिए खेल महोत्सवों का आयोजन किया जाता है।

(4) *खेल छात्रवृत्ति योजना:* इस योजना के अंतर्गत, खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, विश्वविद्यालय तथा कालेज स्तर पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना में महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति देने की भी व्यवस्था है।

(5) उल्लिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अलावा, निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, खेल अवस्थापना के सृजन हेतु भी किसी राज्य की सहायता की जा सकती है:-

(क) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालयों/कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान;

(ग) सिंथेटिक खेल सतहें बिछाने के लिए अनुदान।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) चूंकि, मुन्नार में एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता का पात्र नहीं था, अतः केरल सरकार को मुन्नार में एक राज्य स्तरीय खेल परिसर स्थापित करने के लिए दिनांक 27.4.1998 को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। दिनांक 31.8.1998 को अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी कोई संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) जी, नहीं। उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित सभी योजनाएं देश के अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों सहित केरल में भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

एच आई वी से संक्रमित लोगों की संख्या

3733. श्री एम. के. सुब्बा:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में 31 दिसम्बर, 1999 तक रक्त के कितने नमूने एकत्र किए गए और उनमें से कितने लोग एच.आई.वी. पाजीटिव पाए गए;

(ख) देश में एच आई वी को फैलने से रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) एच.आई.वी. के मामलों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) मणिपुर में एच आई वी पाजीटिव लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो एच आई वी पाजीटिव घोषित किए गए लोगों की संख्या और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और देश के अन्य राज्यों से संबंधित तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या 3572144 थी और उनमें से 92312 व्यक्ति एच आई वी पाजीटिव पाए गए।

(ख) भारत में एच आई वी/एड्स के प्रसार के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम केंद्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीम के रूप में इस समय समग्र देश में चलाया जा रहा है। इसके मुख्य घटक हैं:-

* लक्षित जनसंख्या का पता लगाकर और पीयर काउंलिंग, कंडोम संवर्धन, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार द्वारा उच्च जोखिमपूर्ण समूहों में एच आई वी का फैलाव कम करना।
* सूचना, शिक्षा व संचार और जागरूकता अभियान, ऐच्छिक परीक्षण और परामर्श निरापद रक्ताधान सेवाओं की व्यवस्था और व्यवसायिक प्रभाव की रोकथाम से आम जनता के लिए निवारक उपचार करना।
* घर और समुदाय-आधारित परिचर्या प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
* राष्ट्रीय, राज्य और नगरी स्तरों पर प्रभावकारिता और तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय अविच्छिन्नता को सुदृढ़ करना।

(ग) एच आई वी संक्रमित व्यक्ति 5-7 वर्षों के लिए अलक्षणी रहता है जिसके दौरान वह संक्रमण फैलाता है। इसके अतिरिक्त एच आई वी/एड्स के लिए कोई उपचार नहीं है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर से संक्रमण का उन्मूलन कर सके।

(घ) जी हां,। मणिपुर एच आई वी संक्रमण की उच्चतर प्रतिशतता वाले राज्यों में से एक है।

(ङ) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार मणिपुर राज्य में एच आई वी पाजिटिव घोषित किए गए व्यक्तियों की संख्या 63257 है, इस संबंध में देश के राज्यों और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

एच आई वी संक्रमण के लिए सीरो-निगरानी
(रिपोर्ट की अवधि: 31 मार्च, 2000 अनंतिम)
(पूर्वोत्तर राज्य)

क्र.सं.	नाम	जांच किए गए	पाजिटिव	प्रति एक हजार पर सीरो पाजिटिविटी दर
1.	असम	17310	251	14.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	495	0	0.00
3.	नागालैंड	9156	469	51.22
4.	मणिपुर	43435	7041	162.10
5.	मिजोरम	44053	140	3.18
6.	मेघालय	14250	60	4.21
7.	सिक्किम	616	12	19.48
8.	त्रिपुरा	5613	4	0.71

एच आई वी संक्रमण के लिए सीरो निगरानी

रिपोर्ट की अवधि: (31 मार्च, 2000 अनंतिम)

क्र.सं.	नाम	जांच किए गए	पाजिटिव	प्रति एक हजार पर सीरो पाजिटिव दर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	74566	704	9.44
2.	असम	17310	251	14.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	495	0	0.00
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15452	129	8.35
5.	बिहार	10194	41	4.02
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	56906	266	4.67
7.	दिल्ली	335594	1545	4.60
8.	दमन और दीव	250	8	32.00
9.	दादर और नगर हवेली	160	1	6.25
10.	गोवा	74962	2642	35.24
11.	गुजरात	454372	1767	3.89
12.	हरियाणा	172408	661	3.83
13.	हिमाचल प्रदेश	5953	133	22.34
14.	जम्मू और कश्मीर	8981	40	4.45
15.	कर्नाटक	417503	6067	14.53
16.	केरल	44547	215	4.83
17.	लक्षद्वीप	1211	8	6.61
18.	मध्य प्रदेश	112350	1052	9.36
19.	महाराष्ट्र	445417	50925	114.33
20.	उड़ीसा	93750	192	2.05
21.	नागालैंड	9156	469	51.22
22.	मणिपुर	43435	7041	162.10
23.	मिजोरम	44053	140	3.18
24.	मेघालय	14250	60	4.21

1	2	3	4	5
25.	पांडिचेरी	92896	3479	37.45
26.	पंजाब	1523	65	42.68
27.	राजस्थान	23197	573	24.70
28.	सिक्किम	616	12	19.48
29.	तमिलनाडु	768872	15394	20.02
30.	त्रिपुरा	5613	4	0.71
31.	उत्तर प्रदेश	123356	1572	12.74
32.	पश्चिम बंगाल	163991	649	3.96
	कुल	3633339	96105	26.45

-दी]

"बुक-प्रोमोशन डिपार्टमेन्ट"

3734. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को प्रोत्साहन देने में उनके मंत्रालय के अंतर्गत "बुक प्रोमोशन डिपार्टमेन्ट" की क्या भूमिका है तथा इसकी अन्य गतिविधियाँ क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस डिपार्टमेन्ट द्वारा हासिल किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पुस्तक-प्रोन्नति संबंधी कार्यकलाप अधिकांशत: सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा शुरू किए जाते हैं जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ लोगों को सस्ती कीमत पर अच्छा साहित्य तैयार करके उपलब्ध कराना और लोगों को पुस्तक प्रेमी बनाना है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास लोगों में पठन आदतें पैदा करने के लिए पुस्तक मेले एवं प्रदर्शनियों को आयोजित करना है, विश्व पुस्तक एवं कापीराईट दिवस मनाता है और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करने के अलावा राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन करता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में सस्ती कीमत पर बच्चों के लिए पुस्तकों तथा नव-साक्षरों के लिए पठन सामग्री सहित लोगों की विविध आवश्यकताएं पूरी करने के लिए व्यापक प्रकार के विषय शामिल हैं।

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

(1) 485 हिन्दी, 80 अभी, 44 बंगाला, 6 मीली, 5 गारो, 97 गुजराती, 185 कन्नड़, 5 कोंकणी, 37 मलयालम, 66 मराठी, 4 मेइती, 4 मिजो, 1 नेपाली, 40 उड़िया, 43 पंजाबी, 5 संथाली, 46 तमिल, 28 तेलुगू और 27 उर्दू की पुस्तकों का प्रकाशन।

(2) नवसाक्षरों के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 451 पुस्तकों का प्रकाशन।

(3) 13वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भारतीय भाषा सहभागियों को विशेष छूट।

(4) पुस्तक-प्रकाशन में अल्प कालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(5) भारतीय भाषाओं में प्रकाशन और ग्रामीण पाठकों के लिए प्रकाशन पर सम्मेलनों का आयोजन।

(6) नव साक्षरों के लिए पुस्तक विकास के वास्ते कार्यशालाओं का आयोजन।

(7) पुस्तक मेलों में भाग लेना और देश के विभिन्न भागों में पुस्तक परिक्रमाएं आयोजित करना।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दिया जाना।

3735. श्री चिंतामन वनगा:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित ातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दिए जाने संबंधी कोई ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भूमिहीन जनजातीय व्यक्तियों के भूमि की खरीद किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातिय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) मंत्रालय के अधीन भूमिहीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित ातीयों को भूमि उपलब्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दी]

जम्मू और कश्मीर में मुठभेड़

3736. श्री बाबूभाई के. कटारा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों, पुलिस सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ें थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ऐसी मुठभेड़ का ब्यौरा क्या है तथा क मुठभेड़ में कितने लोग मारे गये, कितने आतंकवादी गिरफ्तार गये;

(ग) जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य अशांत क्षेत्रों में आतंवाद से निपटने के लिए कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार:

	1999	जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक
सुरक्षा बलों के प्रति हिंसक घटनाएं	1209	265
मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	356	82
मारे गए सिविलियन	821	199
गिरफ्तार किए गए उग्रवादी/संदिग्ध व्यक्ति	744	154

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बलों के साथ-साथ सीमा प्रबन्धन का सुदृढीकरण, भीतरी क्षेत्र में उनके विरुद्ध प्रतिकारक कार्रवाई करके उग्रवादियों की योजना को विफल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर यू.एच.क्यू. के आप्रेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और हथियार शामिल है। सीमा पर चौकसी, दोनों ओर से की जा रही घुसपैठ की रोकथाम के लिए भीतरी क्षेत्रों में और नाका पार्टियों, और पिकेटों की स्थापना, गहन गश्त और व्यापक घेराबन्दी और तलाशी अभियान सहित आतंकवादियों को बाहर खदेड़ने और घुसपैठ की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य योजना

3737. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हाँ।

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग ने निम्नलिखित कार्य योजनाएं तैयार की हैं;

1. राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 1992
2. बालिका दक्षेस दशक (1991-2000 ई.) हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
3. महिलाओं तथा बच्चों के देह-व्यापार तथा व्यावसायिक यौन शोषण को रोकने के लिए योजना, 1998

(ग) उक्त को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की जल संवर्धन पेयजल योजनाएं

3738. श्री थावर चन्द गेहलोत:
श्री लक्ष्मण सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा किन-किन शहरों के संबंध में जल संवर्धन योजना से संबंधित प्रस्तवों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है;

(ख) मार्च, 2000 तक उनमें से कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी;

(ग) शेष योजनाओं को स्वीकृति प्रदाने करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित/प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बीस हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों में पेयजल प्रदान करने की योजना भी भेजी है;

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त योजना को कब तक मंजूर कर दिये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए लागू है तथा केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के समान आधार पर धनराशि मुहैया कराई जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 98 जल आपूर्ति योजनाएं प्रस्तुत की थी जिसमें से 91 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

कस्बों के नाम संलग्न विवरण में दिया गए हैं। अब तक प्राप्त 98 जल आपूर्ति योजनाओं में से 47 कस्बों की जल आपूर्ति योजनाएं पिछले तीन वर्षों में प्राप्त की गई हैं। इन 47 योजनाओं में से 40 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं तथा 7 योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है तथा मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण इन्हें अभी अनुमोदित नहीं किया गया है। इन सात लम्बित योजनाओं का अनुमोदन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने पर, निर्भर है।

विवरण

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

अनुमोदित योजनाएं (31.3.2000 की स्थिति)

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत (रुपये लाख में)	स्वीकृत किए जाने का महीना/वर्ष
1	2	3	4	5
1.	भाभरा	झबुआ	43.00	मार्च, 94
2.	बामोना	झबुआ	34.00	मार्च, 94
3.	बरनावार	धार	56.00	मार्च, 94

2	3	4	5
धरमापुरी	धार	51.00	मार्च, 94
धमनोड	धार	163.00	मार्च, 94
पांसेमल	खारगांव	49.00	मार्च, 94
गोतमपुरा	इंदौर	56.50	मार्च, 94
सांवेर	इंदौर	49.50	मार्च, 94
करनावाड़	देवास	45.60	मार्च, 94
होतपिपलिया	देवास	86.00	मार्च, 94
कूटाफोड़	देवास	39.50	मार्च, 94
सोहागपुर	होशंगाबाद	62.60	मार्च, 94
बबई	होशंगाबाद	42.00	मार्च, 94
खिरकिया	होशंगाबाद	63.60	मार्च, 94
तिमरानी	होशंगाबाद	37.30	मार्च, 94
सुलतानपुर	रायसीन	45.00	मार्च, 94
उदयपुरा	रायसीन	54.00	मार्च, 94
सीतामऊ	मंदसौर	62.00	मार्च, 94
भरगांव	रायपुर	56.00	मार्च, 94
बागबेहड़ा	रायपुर	56.00	मार्च, 94
पिथौरा	रायपुर	51.00	मार्च, 94
गरियाबंद	रायपुर	42.00	मार्च, 94
अहीवाड़ा	दुर्ग	56.00	मार्च, 94
डोंगरगांव	राजनंदगांव	63.00	मार्च, 94
राघोगढ़	गूना	89.66	मार्च, 94
खानियांदना	शिवपुरी	34.70	मार्च, 94
गंडई-पंडानया	राजनंदगांव	55.00	मार्च, 94
बड़ौदा	मोरेना	21.55	मार्च, 94
बामोरा	मोरेना	49.90	मार्च, 94
बिजयपुर	मोरेना	60.00	मार्च, 94
बुधनी	सछोर	46.80	जनवरी, 95

1	2	3	4	5
32.	लातेरी	विदिशा	65.00	जनवरी, 95
33.	कुरूड़	रायपुर	61.20	जनवरी, 95
34.	बारघाट	सेओनी	44.70	जनवरी, 95
35.	हुंडी	खांडवा	58.80	जनवरी, 95
36.	भीकनगांव	खारगोन	48.00	जनवरी, 95
37.	पाछोर	राजगढ़	211.00	मार्च, 96
38.	जोबाट	झबुआ	57.00	मार्च, 96
39.	बांदा	सागर	123.20	मार्च, 96
40.	अमरवाड़ा	छिंदवाडा	119.90	मार्च, 96
41.	चौराई	छिंदवाडा	140.50	मार्च, 96
42.	भैंसदेही	बेतुल	195.80	मार्च, 96
43.	तिरोड़ी	वालाघाट	68.70	मार्च, 96
44.	हराई	छिंदवाड़ा	74.90	मार्च, 96
45.	निवारी	टीकमगढ़	47.00	मार्च, 96
46.	नालखेड़ी	देवास	125.80	मार्च, 96
47.	मोहगांव	छिंदवाड़ा	48.60	मार्च, 96
48.	कतगी	जबलपुर	98.90	मार्च, 96
49.	शाहपुरा	जबलपुर	48.50	मार्च, 96
50.	मंझोली	जबलपुर	77.00	मार्च, 96
51.	लखानदोन	सिओनी	69.10	मार्च, 96
52.	कासरवाड़	खारगांव	133.40	जुलाई, 97
53.	लोदीखेंड़ा	छिंदवाड़ा	32.00	नवम्बर, 97
54.	सोनसार	छिंदवाड़ा	17.19	नवम्बर, 97
55.	शाहपुरा	खांडवा	70.16	दिसम्बर, 98
56.	सैलाना	रतलाम	43.95	दिसम्बर, 98
57.	बेतामा	इंदौर	47.52	फरवरी, 99
58.	पाटन	दुर्ग	94.24	फरवरी, 99
59.	सुतालिया	राजगढ़	85.53	फरवरी, 99

1	2	3	4	5
60.	चंदेरी	गुना	214.84	मार्च, 99
61.	देवेन्द्र नगर	पन्ना	61.51	मार्च, 99
62.	बालोड़	दुर्ग	131.61	मार्च, 99
63.	पेन्डारा	विलासपुर	55.06	मार्च, 99
64.	खातेगांव	देवास	322.51	अप्रैल, 99
65.	कुक्शी	धारत	184.91	अप्रैल, 99
66.	चाकघाट	रीवा	52.43	अप्रैल, 99
67.	गोविन्दगढ़	रीवा	58.96	अप्रैल, 99
68.	कानोद	देवास	151.43	मई, 99
69.	रतनपुर	विलासपुर	71.18	मई, 99
70.	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़	76.20	मई, 99
71.	बैंकठपुर	सरगुजा	38.30	मई, 99
72.	अन्जाद	खारगांव	79.30	गई, 99
73.	साकती	बिलासपुर	125.34	मई, 99
74.	पथारिया	दामोद	113.14	जून, 99
75.	विजयराघवगढ़	कतनी	27.35	फरवरी, 2000
76.	बराही	जबलपुर	59.30	फरवरी, 2000
77.	बैकुंठपुर	रीवा	80.94	फरवरी, 2000
78.	सियोदा	दतिया	46.87	फरवरी, 2000
79.	कोतार	सतना	81.17	फरवरी, 2000
80.	मांगवन	रीवा	108.40	फरवरी, 2000
81.	नसरूल्लागंज	सेहोर	91.06	फरवरी, 2000
82.	बारोड़	शाप्तपुर	96.58	फरवरी, 2000
83.	तारीचरकला	टीकमगढ़	35.73	फरवरी, 2000
84.	ईसागढ़	गुना	71.62	फरवरी, 2000
85.	रेहती	सेहोर	64.11	फरवरी, 2000
86.	तालेन	राजगढ़	151.46	फरवरी, 2000

1	2	3	4	5
87.	शिओरी नारायण	बिलासपुर	72.69	फरवरी, 2000
88.	घारघोरा	रायगढ़	46.75	फरवरी, 2000
89.	बोड़ा	राजगढ़	65.14	फरवरी, 2000
90.	सोयेतकलां	शाजापुर	83.98	फरवरी, 2000
91.	सारंगढ़	रायगढ़	42.53	मार्च, 2000
		जोड़	72.51	

योजनाएं जिनकी तकनीकी संवीक्षा की जा रही है

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला
1.	बैहार	बालाघाट
2.	मौगंज	रीवा
	कोठी	सतना
4.	खुजनेर	राजगढ़
5.	भोनपुरा	मंदसौर
6.	जीरापुर	राजगढ़
7.	नारायनगढ़	मंदसौर

हिमाचल प्रदेश में खेल-कूद का विकास

3739. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामान्यत: समस्त हिमलाचल प्रदेश में तथा विशेषकर शिमला में, इनके सामरिक महत्व तथा भोगोलिक प्रकृति के कारण वहां साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की संभावनाओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में विशेषकर शिमला में खेल-कूद परिसर तथा स्टेडियमों के विकास हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) इस संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्यों में खेल परिसर और स्टेडियम समेत खेल अवस्थापना के सृजन हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष राज्य-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर, "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार ने शिमला में राज्य स्तरीय खेल परिसर के लिए 2.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी थी जिसका निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति

3740. **डा. संजय पासवान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान तपेदिक, डेंगू, मलेरिया, अधपन और एड्स से पीड़ित रोगियों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्ष के दौरान इनके तुलनात्मक आंकड़े क्या थे;

(ख) क्या इन बीमारियों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निधियों के समुचित उपयोग के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान डेंगू, मलेरिया, क्षयरोग और एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित है, सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। जहां तक दृष्टिहीनता का संबंध है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1986-89) के आधार पर देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या लगभग 1.2 करोड़ है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम दोनों के अंतर्गत जरूरत के आधार पर औषधियों और बायनोकुलर सूक्ष्मदर्शिकी जैसे उपस्करों के रूप में राज्य सरकारों को वस्तुगत सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वस्तुगत सहायता भी मुहैया कराई जाती है।

स्पूटम निगेटिव रोगियों के लिए क्षयरोग रोधी औषधियों के प्रापण हेतु राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नगद सहायता दी जाती है। स्टाफ प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों, प्रयोगशाला की उपभोज्य वस्तुओं, संविदात्मक पर्यवेक्षी स्टाफ आदि जैसे प्रयोजनों के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग के नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला क्षयरोग सोसायटियों को निधियां भी प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/जिला कार्य योजना के आधार पर और सीधे जिला सोसायटियों को निधियां जारी की जाती हैं ताकि भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य योजना के अनुसार एड्स के प्रबंधन हेतु उन्हें निधियां प्रदान की जाती हैं।

ये कार्यक्रम चलते रहने वाले कार्यकलाप हैं और निधियां सीधे राज्य सरकारों/जिला सोसायटियों को जारी की जाती हैं जो विभिन्न प्रकार की विशिष्ट गतिविधियां चलाने के लिए उनका उपयोग करती हैं। किसी खास वर्ष में उपयोग में न लाई गई धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में ला दी जाती है। तथापि संबंधित राज्य/जिला सोसायटियों से पहले जारी हुई निधियों के विषय में अंकेक्षित लेखा-विवरणों/समुयोजन प्रमाणपत्रों के प्राप्त हो जाने पर निधियों की अगली निकासी की जाती है। तिमाही रिपोर्टों और राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं तथा जिला सोसायटियों के साथ आवधिक समीक्षात्मक बैठकों के जरिए निधियों के समुपयोजन कार्य का नियमित अनुवीक्षण किया जाता है।

विवरण

रोग का नाम	1997	1998	1999
डेंगू II	1177	707	861*
मलेरिया	26,60,057	22,22,789	18,65,874*
एड्स	5,145	6,693	9,966

*आंकड़े अनंतिम हैं।

	1997-98	1998-99	1999-2000
क्षयरोग	13,09,000	12,49,000	13,00,000 (लगभग)

सस्ती भवन निर्माण सामग्री

3741. **श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सस्ती भवन निर्माण सामग्री को लोकप्रिय बनाने और गरीबों के लिए कम कीमत के घरों के विकास और क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कार्यों को लागू करने के लिए कोई विशेष रूप से प्रशिक्षित तकनीकी कायक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और अभी इस दिशा में क्या कार्य किए गये हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी हां।

(ख) लागत प्रभावी, नवीनतम तथा कचरे से बनी भवन सामग्रियों के विकास, उत्पादन और बड़े पैमाने पर उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् नामक एक संगठन की स्थापना की गई है। पर्यावरण के लिए हानि-रहित इन भवन सामग्रियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने में क्वालिटी से समझौता किए बिना अधिक सुविधाजनक व सुरक्षित कम लागत आवास को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद् ने अनेक उपाय किये हैं। इन सामग्रियों में क्ले फ्लाई एश बर्नर ईंट, फ्लाई एश/सैंड लाइम ईंट, फ्लाई-एश-लाइम जिप्सम (फाल-जी) उत्पाद दीवारों और छतों के लिए फ्लाई एश आधारित हलके वजन वाले एयरेटेड कंक्रीट ब्लाक, पूर्वनिर्मित एयरेटेड/

सेल्युलर कंक्रीट बालिंग, सीमेंट से जुड़ी फाइबर रूफिंग शीट, माइक्रो कंक्रीट रूफिंग टाइलें, फेरोसमेंट/फ्यूनीकुलर रूफिंग सीमेंट से जुड़ी काम्पोजिट पैनलिंग, जिप्सम बेस्ड सीलिंग टाइलें, पैनल ब्लाक, दरवाजे/खिड़को के शटर आदि शामिल हैं। कचरे से बनी भवन सामग्रियों के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है जैसे फ्लाई एश आधारित भवन सामग्रियों तथा पूर्वनिर्मित भागों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में छूट तथा महत्वपूर्ण मशीनरी/उपकरणों के आयात पर सीमाशुल्क में छूट। फ्लाई ऐश ईंटों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुसूचि में शामिल किया गया है ताकि निर्धनों के लिए कम लागत आवास की निर्माण परियोजनाओं में इनका प्रयोग किया जा सके। अनेक राज्य सरकार कम लागत की तथा कचरे से बनी भवन सामग्रियों के उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दे रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) हडको के सारे देश में कार्य कर रहे निर्मित केन्द्र तथा राष्ट्रीय निर्माण प्रबंध तथा अनुसंधान संस्थान (एन आई सी एम ए आर), मानव बसाव प्रबंध संस्थान (एच एस एम आई) तथा हैबीटाट पोलीटेक्नीक जैसे अन्य संस्थान कम लागत की इन भवन सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकी का निर्धनों के लिए कम लागत आवास के निर्माण कार्य में व्यावहारिक तथा उपयुक्त प्रयोग करने के लिए कारीगरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। मानव बसाव प्रबंध संस्थान (एच एस एम आई) शहरी विकास अधिकारियों, इंजीनियरों, वास्तुकारों तथा प्रोमोटरों के लिए नियमित रूप से अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। अब तक निर्मित केन्द्रों के माध्यम से 158000 कारीगरों, एच एस एम आई के माध्यम से 754 परियोजना प्रबंधकों तथा हैबीटाट पोलीटेक्नीक के माध्यम से 521 मिस्त्रियों को विभिन्न लागत प्रभावी निर्माण क्रियाकलापों में प्रशिक्षित किया गया है। हडको ने सूचित किया है कि स्थापित निर्मित केन्द्रों की राज्य-वार सूची, निर्मित उत्पादों तथा किए गए निर्माण कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I तथा II में दिए गए हैं।

विवरण 1

निर्मित केन्द्रों की प्रगति

11.4.2000 की स्थिति के अनुसार

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जिले	लाभान्वित जिले	कुल स्वी. निर्मित केन्द्र	जो कार्य कर रहे हैं	कुल स्वी. अनुदान	प्रदत्त अनुदान	प्राप्त उप प्रमाण-पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	23	23	46	43	147.60	111.50	95.10
2.	अंडमान नि. द्वीप	1	1	1	1	2.00	2.00	2.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	1	2	2	10.00	5.50	2.00
4.	असम	23	16	23	17	93.00	59.50	37.44
5.	बिहार	55	41	52	33	236.00	111.66	60.17
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
7.	दिल्ली	1	1	4	4	8.00	8.00	7.50
8.	गोवा	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
9.	गुजरात	19	10	12	9	44.00	28.00	17.50

2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	19	11	14	6	59.00	27.00	13.95
हिमाचल प्रदेश	12	8	12	5	52.00	19.50	8.00
जम्मू व कश्मीर	14	9	14	5	61.00	21.50	11.00
कर्नाटक	25	25	30	29	120.00	86.50	64.03
केरल	14	14	28	27	67.50	57.00	49.00
लक्षद्वीप	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	46	41	55	38	241.50	154.67	92.75
महाराष्ट्र	31	16	30	19	93.00	64.00	37.24
मणिपुर	9	6	7	6	30.00	21.00	13.00
मेघालय	7	6	6	5	26.00	15.50	10.00
मिजोरम	8	2	3	2	14.00	9.50	6.00
नागालैंड	8	6	11	4	53.00	15.00	3.00
उड़ीसा	30	29	35	28	98.00	72.00	53.50
पांडिचेरी	1	1	3	2	15.00	7.50	5.00
पंजाब	17	8	12	6	52.00	34.00	17.50
राजस्थान	31	31	37	35	77.00	70.00	68.50
सिक्किम	4	4	1	1	5.00	3.50	2.00
तमिलनाडु	31	28	37	33	115.50	78.50	59.00
त्रिपुरा	4	4	8	4	25.00	16.00	7.00
उत्तर प्रदेश	83	55	76	27	362.00	116.81	53.26
पं. बंगाल	18	16	24	17	96.00	61.30	35.90
जोड़	548	410	583	410	2205.10	1271.94	831.34

णी:

)–2001 के दौरान

ृत	:	1
कार्य कर रहे हैं	:	0
प्रदान राशि	:	0.00 लाख रु.
प्राप्त उपयोगिता पत्र	:	0.00 लाख रु.

विवरण II

निर्मित केन्द्रों के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से निष्पादित कार्य/ निर्मित उत्पादों के राज्य-वार विवरण

11.4.2000 की स्थिति के अनुसार
(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निष्पादित निर्माण कार्य	उत्पादन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1925.25	4193.98
2.	अंडमान व निकोबार	0.00	4.50
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00
4.	असम	19.72	1.03
	बिहार	3741.74	37.67
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00
7.	दिल्ली	1794.08	7.97
8.	गोवा	0.00	0.00
9.	गुजरात	0.00	0.00
10.	हरियाणा	275.85	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	24.00	0.00
12.	जम्मू व कश्मीर	85.49	17.93
13.	कर्नाटक	3797.67	612.75
14.	केरल	11477.32	3519.45
15.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	548.27	399.37
17.	महाराष्ट्र	628.33	292.49
18.	मणिपुर	17.51	0.18
19.	मेघालय	64.68	3.75
20.	मिजोरम	2.82	0.00
21.	नागालैंड	0.00	0.50
22.	उड़ीसा	133.55	410.55
23.	पांडिचेरी	13.23	7.02
24.	पंजाब	10.00	1.50
25.	राजस्थान	18379.40	3902.15
26.	सिक्किम	0.00	0.00
27.	तमिलनाडु	7051.41	852.22
28.	त्रिपुरा	5.70	0.00
29.	उत्तर प्रदेश	283.42	793.84
30.	प. बंगाल	334.35	130.52
	जोड़	50613.79	15189.38

दवाइयों के मूल्य

3742. श्री नरेश पुगलिया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 2000 के 'नवभारत टाइम्स' में "दवा के लेबलों पर निर्धारित से ज्यादा मूल्य छापकर मरीजों को लूट रहे हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण नियमावली, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय औषधीय मूल्य प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) इस समाचार का संबंध अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ दवाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक कीमतों पर बेचे जाने से है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा यह मामला हरियाणा सरकार को छानबीन के लिए सौंप दिया गया है।

सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं

3743. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के लिए सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार हेतु बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य-केन्द्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राष्ट्र-स्तरीय परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि और निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) दृष्टिहीनता, एड्स, मलेरिया, क्षयरोग और कुष्ठ के नियंत्रण के लिए सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां जारी राज्यों करती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रदान करने के लिए नकद और नैदानिक उपस्कर, उपभोज्य, औषधें दवाएं आदि जैसी वस्तुगत सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) विवरण-I और II संलग्न हैं।

विवरण I

(रुपये करोड़ों में)

कार्यक्रम	आवंटित निधियां		
	1997-98	1998-99	1999-2000
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	70.00	75.00	85.00
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	80.00	125.00	95.00
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	100.00	111.00	140.00
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	75.80	76.78	79.80
राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	190.00	287.00	240.00

विवरण II

(रुपये लाखों में)

कार्यक्रम	निर्धारित लक्ष्य		
	1997-98	1998-99	1999-2000
दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (मोतियाबिन्द ऑपरेशन)	28.00	30.00	33.00
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (पहचान/उपचार किए गए/नये रोगी)	13.63	12.75	12.77
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	323640 (संख्या)	323640 (संख्या)	286365 (संख्या)
राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	-	-	-

लक्ष्यः रक्त स्मीयर जांच द्वारा मलेरिया के लिए 10% जनसंख्या की न्यूनतम जांच।

राज्य स्वास्थ्य परियोजनाओं के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता

3744. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता हेतु उड़ीसा से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक किन-किन राज्यों के लिए विश्व बैंक सहायता को स्वीकृति दी गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक सहायता प्राप्त उड़ीसा स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना 18.9.1998 से पांच वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई हैं। अनुमानित परियोजना लागत 415.57 करोड़ रुपये है।

(ग) द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य पद्धति में सुधार करने/उसका उन्नयन करने के उद्देश्य से विश्व बैंक सहायता से चलाई जाने वाली राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजनाएं निम्नलिखित राज्यों

में कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

राज्य का नाम	परियोजना अवधि	परियोजना परिव्यय (करोड़ रुपये में)
आन्ध्र प्रदेश	1.3.95 से $6^1/_2$ वर्ष के लिए	608.00 रुपये
पश्चिम बंगाल	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	698.00 रुपये
कर्नाटक	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	546.00 रुपये
पंजाब	27.6.96 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	425.00 रुपये
महाराष्ट्र	14.2.99 से $5^1/_2$ वर्ष के लिए	727.00 रुपये

जनजातीय विश्वविद्यालय

3745. श्रीमती हेमा गमांग: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, उड़ीसा के रायगडा में एक सरकार वित्तपोषित जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ल्युटिन जोन में सरकारी बंगले

3746. श्री भीम दाहाल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान ल्युटिन जोन में विभिन्न राजनैतिक दलों के कब्जे में कितने सरकारी बंगले हैं;

(ख) क्या सरकार ने राजनीतिक दलों को सरकारी बंगलों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ राजनीतिक दलों का अधिक सरकारी बंगलों पर कब्जा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे राजनीतिक दलों से अतिरिक्त सरकारी बंगलों को खाली कराने के लिए कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) लुटियन जोन में कुल मिलाकर 12 बंगले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कब्जे में हैं।

(ख) और (ग) राजनीतिक पार्टियों को सरकारी आवास के आबंटन के बारे में दिशा-निर्देशों को सरकार ने हाल ही में संशोधित किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार जहां कहीं अपेक्षित है राजनीतिक पार्टियों को बंगलों सहित "सरप्लस" यूनिटों को खाली/वापस करने के लिए पत्र जारी किए गए हैं।

विवरण

राजनीतिक पार्टियों को सरकारी वास आबंटन के बारे में संशोधित दिशानिर्देश

(1) राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों, जिन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऐसी मान्यता मिली है, वे दिल्ली में अपने कार्यालय के लिए एफ आर-45क अर्थात सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क के तहत अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने पर सामान्य पूल से एक वास यूनिट रख सकेंगी/आबंटन ले सकेंगी।

(2) इस प्रकार का आवास तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। जिसके दौरान पार्टी सांस्थानिक क्षेत्र में कोई भूमि का प्लाट लेगी और पार्टी कार्यालय के लिए वास का निर्माण करेगी।

(3) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को एक रिहायशी आवास आबंटित किया/रखने दिया जाएगा यदि पार्टी अध्यक्ष के पास दिल्ली में अपना या सरकार द्वारा उन्हें किसी भी अन्य रूप में आवंटित मकान न हो।

(4) भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों को भी कार्यालय सुविधा दी जाएगी बशर्ते कि कैबिनेट की आवास समिति की राय में संसद में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और उनका मामले को कैबिनेट की आवास समिति द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर आबंटन के लिए अनुमोदित किया जाए।

(5) किसी भी राजनीतिक पार्टी को आबंटित या उनके कब्जे वाले अन्य भवनों को रद्द कर दिया गया है तथापि, पार्टी को वैकल्पिक व्यवस्था करने और सरकारी आवास खाली करने के लिए छह माह की अवधि या किए गए आबंटन की समयावधि तक, जो भी पहले हो, तक का समय दिया जाएगा।

गुजरात का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

3747. श्री जी.जे. जावीया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार से राज्य में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तकनीकी शिक्षा निदेशालय, गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात सरकार का इरादा राज्य में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का है। अतः जैसाकि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है आयोग ने अपने दिनांक 11 अप्रैल, 2000 के पत्र द्वारा नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति निदेशक, तकनीकी शिक्षा, गुजरात सरकार को सूचनार्थ और मार्गदर्शन हेतु भेजी है।

राष्ट्रीय पुनर्गठन कोर द्वारा इकाइयों की स्थापना

3748. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पुनर्गठन कोर ने सभी राज्यों में अपनी इकाइयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर राज्यवार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) ऐसी इकाइयों को स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशपन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी जून, 1999 में देश के 80 पिछड़े जिलों में औपचारिक रूप से प्रारम्भ की गई थी जो गोवा को छोड़कर सभी राज्यों को कवर करती है। तथापि, अभी तक किसी भी राज्य में कोई प्रचालन इकाई स्थापित नहीं की गई है।

पलानी में स्टेडियम

3749. श्री पी. कुमार सामी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पलानी में एक स्टेडियम का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बाल रोग शल्य चिकित्सा

3750. श्री तरूण गोगोई:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस समय बाल रोग शल्य चिकित्सकों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में बाल रोग शल्य चिकित्सकों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में 125 मेडिकल कालेजों में से 22 मेडिकल कालेजों में ही बाल रोग शल्य चिकित्सा को पढ़ाने की सुविधा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा कालेजों में बाल रोग शल्य चिकित्सा के शिक्षण का विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (च) सरकार द्वारा देश में बाल शल्य चिकित्सकों की संख्या के बारे में सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार, देश में बाल शल्य चिकित्सा पाठ्यक्रम 17 चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं में उपलब्ध है। किसी भी संस्था में अतिविशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू करना उस संस्था में विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम और उसके अधीन बने विनियमों के प्रावधान के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनिवार्यता प्रमाणपत्र के आधार पर बाल शल्य चिकित्सा सहित अनेक अतिविशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करती रही है।

असम में विद्रोह

3751. **श्री संतोष मोहन देव:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने राज्य में विद्रोह की समस्या से [illegible] हेतु कोई प्रस्ताव आगे भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) असम सरकार ने समय-समय पर, राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

इसमें शामिल हैं, राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण, केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करना, कतिपय उग्रवादी ग्रुपों पर प्रतिबन्ध लगाना, राज्य को विक्षुब्ध क्षेत्र के रूप में घोषित करना, उग्रवादी ग्रुपों के साथ वर्ता शुरू करना, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगाना, असम के आर्थिक विकास में तेजी लाना इत्यादि। भारत सरकार और राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया है और ये राज्य में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रायोगिक परियोजना

3752. **श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी.बी.एस.ई. और सी आई आई के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत कितने स्कूलों को शामिल किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 50 स्कूलों में फिक्की के सहयोग से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई है। परियोजना के ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल सी आई आई के साथ मिलकर ऐसी ही परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सी.ई.ई.आर.आई. की परियोजनाएं

3753. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, पिलानी ने वर्ष 1991-96 के दौरान परियोजना के लिए संस्थान से ही ऋण लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान द्वारा इस परियोजना को रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संस्थान की कुछ अन्य परियोजनाएं अलाभकारी सिद्ध हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं, संस्थान ने 1991-96 के दौरान किसी भी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी प्रकार का घरेलू (इन हाऊस) ऋण नहीं लिया।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोगियों को वित्तीय सहायता

3754. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके विवेकाधीन निधियों से गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार कितने रोगियों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि रखी गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए/मंजूर किए गए/स्वीकृत किए गए;

(घ) आवेदनों को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रोगियों को मंजूर अनुदानों को रद्द भी कर दिया जाता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) शेष आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) पिछले तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान से दिए गए अनुदान के मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार आवंटित निधि इस प्रकार है:-

वर्ष	आवंटित निधि
1997-98	47.00 लाख रुपये
1998-99	50.00 लाख रुपये
1999-2000	50.00 लाख रुपये
2000-2001	50.00 लाख रुपये

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त/स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत
1997	1216	778	246
1998	1160	122	370
1999	1969	627	708
2000	237	16	68

(घ) आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारण निम्नलिखित हैं:

(1) पहले से ही किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करना जो नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है।

(2) आवर्ती व्यय वाला दीर्घकालीन उपचार जो नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं है।

(3) सामान्य स्वरूप का मामला जहां उपचार खर्चीला नहीं है।

(4) क्षयरोग के मामले जिसके लिए राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त उपचार उपलब्ध है।

(5) केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारी नियमावली के अधीन अनुदान के पात्र नहीं हैं।

(6) बजटीय तंगी।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि संस्वीकृत अनुदान उन मामलों में अस्पताल को रिलीज नहीं किया जाता जहां अस्पताल प्रमाणित करता है कि चुकाने के लिए बकाया देय राशि नहीं है।

(छ) वित्तीय सहायता हेतु अपूर्ण अनुरोध प्राप्त होने पर तुरन्त रोगी को आवश्यक सूचना/कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान से दिए गए अनुदान के मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	-	11	2	शून्य
असम	3	2	2	-तदेव-

1	2	3	4	5
बिहार	62	64	57	शून्य
चण्डीगढ़	–	1	–	–तदेव–
दिल्ली	37	23	24	–तदेव–
गुजरात	–	–	1	–तदेव–
हरियाणा	15	21	11	–तदेव–
हिमाचल प्रदेश	1	–	1	–तदेव–
जम्मू व कश्मीर	2	3	1	–तदेव–
कर्नाटक	1	–	8	–तदेव–
केरल	1	7	5	–तदेव–
मध्य प्रदेश	13	7	4	–तदेव–
महाराष्ट्र	–	8	3	–तदेव–
पुर	–	1	1	–तदेव–
ड़ीसा	5	4	5	–तदेव–
पंजाब	7	1	–	–तदेव–
राजस्थान	5	28	32	–तदेव–
तमिलनाडु	2	9	28	–तदेव–
त्रिपुरा	–	–	–	–तदेव–
उत्तर प्रदेश	86	50	43	–तदेव–
पश्चिम बंगाल	60	25	42	–तदेव–
कुल	300	265	270	शून्य

[अनुवाद]

तारामंडल की स्थापना

3755. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कन्याकुमारी में तारामंडल की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बचीसिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के विभिन्न भागों में तारामंडलों की स्थापना के लिए इस समय भारत सरकार की कोई योजना या एजेन्सी नहीं है। विद्यमान तारामंडलों की स्थापना सरकारों, नगर पालिकाओं और/अथवा निजी न्यासों द्वारा की गई है।

[हिन्दी]

जाली चिकित्सा डिग्री

3756. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वघोषित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की जा रही चिकित्सा डिग्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस गलत काम को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने लोगों को पकड़ा गया और कितनों को दण्डित किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

3757. श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को इस समय मानदेय का भुगतान किस दर पर क्रिया जा रहा है;

(ख) क्या वे सरकारी कर्मचारियों के रूप में घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन्हें कब तक सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके लिए वेतनमान निर्धारित करने और/अथवा उनके कार्य करने की दशाओं में सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 438/- रुपये से 563/- रुपये के बीच और सहायिकाओं को प्रतिमाह 260/- रुपये मानदेय दिया जाता है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) से (ङ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अवैतनिक कार्यकर्ता हैं, अतः उनके लिए वेतनमान निर्धारित नहीं हैं। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

मुम्बई में आवास सुविधा

3758. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर मुम्बई में पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने प्रतिवर्ष किस हद तक लक्ष्य की प्राप्ति की है;

(ग) लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) चूंकि आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारें अपने राज्य योजना परिव्यय में से विभिन्न आय-वर्गो के लिए विभिन्न सामाजिक स्कीमें बनाने और लागू करने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। इन्हें संस्थागत वित्त मुहैया कराया जाता है। आवासों के निर्माण के लिए कोई स्कीम नहीं है।

आवास और शहरी विकास निगम (हडको) राज्य सरकारों/ एजेंसियों को ऋण देकर आवासों के निर्माण को सुचारू बनाता रहा है। हडको द्वारा 31.3.2000 तक मुम्बई शहर में स्वीकृत स्कीम का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्कीमों की सं.	:	273
परियोजना लागत	:	809.36 करोड़ रु.
स्वीकृत किया गया ऋण	:	568.23 करोड़ रु.
स्वीकृत किए गए रिहायशी एकक	:	103661
स्वीकृत किए गए प्लॉट	:	4089

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान मुम्बई शहर में स्वीकृत की गई आवास स्कीमों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विभिन्न स्कीमों को स्वीकृति दिए जाने के बाद इनको वास्तविक रूप से लागू करने और लक्ष्यों की प्राप्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

(घ) सरकार ने 20 लाख आवास स्कीम आरंभ की है जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासों के निर्माण का प्रस्ताव है, इसमें से 7 लाख अतिरिक्त आवास शहरी क्षेत्र में होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र जिसमें मुम्बई भी शामिल हैं, के इसलिए 0.72 लाख एककों का लक्ष्य रखा गया है और उसमें से हडको का लक्ष्य 0.44 लाख आवासों के निर्माण में सहायता करना है।

विवरण I

1.4.1998 से 31.3.1999 तक की अवधि के दौरान मुम्बई के लिए स्वीकृत की गई स्कीमों की सूची

(लाख रुपये)

सं.	स्कीम का नाम	ऋण की राशि	रिहायशी एकक
1.	बांद्रा में सी.एम.डी. स्टाफ के लिए रिहायशी भवन का निर्माण	334.02	20
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आवास स्कीम	140.00	700
3.	स्लम पुनर्वास स्कीम	30000.00	12000

विवरण II

1.4.1999 से 31.3.2000 तक की अवधि के दौरान मुम्बई के लिए स्वीकृत किए गए स्कीमों की सूची

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	ऋण की राशि	रिहायशी एकक
1.	भरोल, अंधेरी में 762 क्वार्टरों का निर्माण	3726.1	762
2.	वर्ली, मुम्बई में रिहायशी भवन का निर्माण	690.00	69
3.	वर्ली, मुम्बई में रिहायशी भवन का निर्माण	750.00	75

रसायन और जैव रसायन

3759. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी:**
श्री मोइनुल हसन:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने जैव रसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए रसायनों और जैव रसायनों के आयात हेतु राष्ट्रीय सुविधा देना शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रसायनों की कितनी मात्रा का आयात किया गया और इसकी कीमत (डालर में) कितनी है;

(ग) क्या डीबीटी का प्रयोग स्वदेशी जैव रसायन उत्पाद में किया गया;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और वर्गवार उत्पादित जैव रसायनों की मात्रा, वितरित की गई मात्रा और इनकी बिक्री से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त जैव रसायनों का उत्पादन बंद कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हाँ। सूक्ष्म रसायनों के आयात और वितरण के लिए राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना अप्रैल, 1987 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और सीएसआईआर के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत जैव रसायन केन्द्र (जिसे अब जैव रसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र के नाम से जाना जाता है) में इस उद्देश्य से की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जैविक अनुसंधान में आवश्यक सूक्ष्म रसायनों और जैव रसायनों को केन्द्रीकृत आयात और वितरण नेटवर्क के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।

(ख) विभिन्न जैव रसायनों के लिए विभिन्न परिमाणात्मक मानदंड उपयोग में लाए जाते हैं जिनकी कुल मात्रा का निर्धारण

नहीं किया जा सकता, पिछले तीन वर्षों में आयातित जैव रसायनों की कीमत नीचे तालिका में दी गई है।

कीमत डालरों में

वर्ग वर्ष	1996-97	1997-98	1998-99
आण्विक जैविक	64,683	95,284	52,949
पार्थक्य उत्पाद	38,229	19,538	18,532
कोशिका संवर्धन उत्पाद	34,611	10,821	10,590
कार्बनिक जैव रसायन	22,128	24,347	21,180
सामान्य जैव रसायन	76,882	77,550	66,187
अनुसंधान व विकास के नये क्षेत्रों जैसे जीनोमिक्स आदि के लिए जैव रसायन	47,094	73,041	95,309
कुल कीमत यू.एस. डॉलर	2,83,627	3,00,581	2,64,747
जिन प्रयोगशालाओं में इनका उपयोग किय गया उनकी संख्या	657	778	852

(ग) और (घ) सीबीटी अनुसंधान व विकास तथा नैदानिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक कुछ जैवरसायनों का उत्पादन व वितरण करता है। सीबीटी द्वारा वितरित जैवरसायनों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

कीमत लाखों में

वर्ग वर्ष	1996-97	1997-98	1998-99
नैदानिक और चिकित्सा प्रयोजन के लिए छह जैव रसायन तथा निष्कर्षण	5.0	4.1	4.2

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं और टीकाकरण की समीक्षा

3760. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं, टीके से उपचारयोग्य बीमारियों हेतु कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यक्रमों की सफलता की दर क्या है;

(घ) इन बीमारियों का उन्मूलन अब तक न हो पाने के क्या कारण हैं,

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और मार्च, 2000 तक शुरू की गई योजनाओं का निर्धारित लक्ष्य और उसके अन्तर्गत हासिल की गई उपलब्धियों का राज्यवार, वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) 2000-2001 के लिए कार्यनीति का ब्यौरा क्या है साथ ही राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र को कितनी अनुमानित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(छ) महाराष्ट्र से हाल ही में वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) (क) जी, हां।

(ख) छह वैक्सीन निवार्य रोगों के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की राज्यों के साथ नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। राज्य कार्यक्रम अधिकारियों और राज्य परिवार कल्याण सचिवों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(ग) व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के फलस्वरूप छह वैक्सीन निवार्य रोगों के कारण पड़ने वाले रोग भार में महत्वपूर्ण कमी हुई है। 1998 के मुकाबले 1987 में सूचित किए गए रोगियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

रोग	निम्नलिखित वर्षों में सूचित किए गए रोगी		प्रतिशत कमी
	1987	1998	
डिफ्थीरिया	12952	2725	79%
पर्टुसिस	163786	36717	78%
नवजात टेटनस	11849	4490	62%
खसरा	247519	38982	84%
पोलियो	28257	4320	85%

(घ) छह रोगों की जानपदिक रोग विज्ञान स्थिति के आधार पर पोलियो का केवल निकट भविष्य में उन्मूलन करना संभव है। सरकार ने हर वर्ष मुख सेव्य पोलियो वैक्सीन के दो दौर आयोजित करके 1995 से पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को 1999-2000 के चार राष्ट्रव्यापी दौर और असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में दो उप राष्ट्रीय दौर आयोजित करके और पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के दो दिन बाद घर-घर जाकर टीकाकरण करके तेज कर दिया गया है।

(ङ) नवजात टेटनस के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

(च) और (छ) प्रत्येक राज्य की जरूरतों के अनुसार वैक्सीन, कोल्ड चेन उपकरण, सिरिंजें, सूईयां केन्द्र से प्रदान की जाती हैं। ...क्षण कार्यक्रम को समग्र प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भाग के रूप में कार्यान्वित किया जाता है और निधियां प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य के अधीन प्रदान की जाती है जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार और आकस्मिकताओं के लिए निधियां प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रदान की जाती है। कोल्ड चेन के अनुरक्षण के लिए निधियां भी राज्यों को प्रदान की जाती है। प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 2000-2001 के दौरान 1106.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य से अब तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

जनजातीय वर्ग के लोगों हेतु शिक्षा तथा छात्रावास की सुविधा

3761. **श्री भाल चन्द्र यादव:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में जनजातीय वर्ग के लोगों हेतु शिक्षा तथा छात्रावास सुविधाओं की राज्यवार किस हद तक व्यवस्था की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं:-

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावास
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास
3. आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल
4. आदिवासी क्षेत्र में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर।
5. आवासीय स्कूल
6. गैर-आवासीय स्कूल
7. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के आवासीय स्कूल

राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लड़कों के छात्रावास	लड़कियों के छात्रावास	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	आवासीय स्कूल	गैर-आवासीय स्कूल	अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आवासीय स्कूल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	32	64	40	57	11	1	6
2.	असम	126	91	2	0	0	1	2
3.	गुजरात	31	25	45	5	0	0	4
4.	हिमाचल प्रदेश	4	4	-	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	दमन व दीव	1	3	1	0	0	0	0
6.	दादर और नगर हवेली	5	5	-	0	0	0	0
7.	केरल	1ह	16	22	0	0	0	2
8.	मध्य प्रदेश	31	59	162	21	6	0	17
9.	मणिपुर	8	5	2	0	13	1	1
10	मेघालय	25	23	-	0	1	47	2
11.	उड़ीसा	57	83	28	24	19	0	4
12.	राजस्थान	65	63	2	17	0	0	7
13.	तमिलनाडु	7	8	21	0	2	0	1
14.	त्रिपुरा	21	10	9	2	0	0	3
15.	उत्तर प्रदेश	6	4	20	11	6	1	1
16.	पश्चिम बंगाल	13	10	-	0	8	0	5
17.	जम्मू व कश्मीर	7	2	-	0	7	0	1
18.	कर्नाटक	7	5	5	0	2	1	2
19.	महाराष्ट्र	15	6	145	6	1	0	4
20.	बिहार	3	3	0	5	4	0	4
21.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	1	6	1	1
22.	मिजोरम	0	0	0	0	3	0	1
23.	नागालैंड	0	0	0	0	4	0	1
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1
	कुल	482	489	504	149	94	53	71

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग कालेजों का उन्नयन

3762. डा. मन्दा जगन्नाथः
श्री के.पी. सिंह देवः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ इंजीनियरिंग कालेजों का स्तर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्तर तक सुधारने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस हेतु कौन से कालेजों का चयन किया गया है; और

(ग) इनका उन्नयन कब तक हो जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने अनुशंसा की है कि आई.आई.टी. स्तर के उच्चतर शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता संबंधी संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए और कुछ ऐसे अग्रणी इंजीनियरी संस्थानों, जिनके पास पहले से ही अच्छी सुविधाएं हैं, को स्तरोन्नत करने हेतु विचार किया जाना चाहिए। सलाहकार समिति ने क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेजों सहित कुछ इंजीनियरिंग कालेजों के नाम भी सुझाए हैं, जिनके स्तरोन्नयन हेतु विचार किया जा सकता है।

सलाहकार समिति के सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उर्वरक बिक्री केन्द्रों और किसान सेवा केन्द्रों का खोला जाना

3763. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या रसायन और उर्वरक यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार विशेषकर बिहार में इफको और कृभको की कितने उर्वरक बिक्री केन्द्रों और किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) प्रस्तावित बिक्री केन्द्र और सेवा केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) इफको और कृभको ज्यादातर उर्वरकों की बिक्री अपनी सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से करते हैं। इसके अतिरिक्त, इफको और कृभको ने संलग्न विवरण में दिये गए ब्यौरे के अनुसार 167 और 62 कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना की है। इफको और कृभको की बिहार सहित किसी भी राज्य में कोई भी अतिरिक्त कृषक सेवा केन्द्र खोलने की कोई तत्काल योजनाएं नहीं हैं। तथापि, कृभको की चालू वर्ष में अतिरिक्त प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 30 बिक्री केन्द्रों तक बढ़ाने की योजना है।

विवरण

इफको और कृभको की सदस्य सहकारी समितियों और कृषक सेवा केन्द्रों (31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार) की राज्य-वार संख्या

राज्य	सदस्य सहकारी समितियां		कृषक सेवा केन्द्र	
	इफको	कृभको	इफको	कृभको
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1903	1540	2	—
कर्नाटक	1942	1200	—	2
केरल	327	—	—	—
तमिलनाडु	2638	310	—	—
पाण्डिचेरी	2	—	—	—
गुजरात	4308	1722	—	—
मध्य प्रदेश	4118	3489	6	—
महाराष्ट्र	1557	1800	5	—
राजस्थान	3573	1917	1	—
गोवा	9	—	—	—

1	2	3	4	5
हरियाणा	2060	1260	35	13
पंजाब	3188	1450	41	10
उत्तर प्रदेश	5567	7140	62	37
हिमाचल प्रदेश	261	21	5	—
जम्मू और कश्मीर	25	—	—	—
दिल्ली	19	6	—	—
चण्डीगढ़	1	—	—	—
बिहार	2729	195	2	—
उड़ीसा	327	—	2	—
प. बंगाल	1058	—	6	—
असम	12	—	—	—
मेघालय	1	—	—	—
त्रिपुरा	1	—	—	—
अरूणाचल प्रदेश	1	—	—	—
योग	35627	22050	167	62

[अनुवाद]

टापू में आप्रवासन

3764. श्री विष्णु पद राय: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अनेक विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक टापू की वर्तमान आबादी निर्वहन क्षमता को पहले ही पार कर चुकी है, जिससे नागरिक सुविधा चरमरा जाने की स्थिति में है इससे निपटने के लिए सरकार का बेरोक-टोक आप्रवासन पर कुछ विशेष प्रतिबन्ध लगाने का है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंडमान लैंड रेगुलेशन ऑफ ब्रिटिश विंटिज को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मतदाता पहचान-पत्र अंडमान के प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य पहचान बन गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) इस द्वीप में जनता के अनियंत्रित आप्रवासन को नियंत्रित करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, बाहरी मजदूरों के आगमन पर प्रतिबन्ध लगाना, द्वीपवासियों और गैर-द्वीपवासियों के लिए पानी के जहाज का अलग-अलग किराए की शुरूआत करना, पंचायत स्तर पर यहां के निवासियों के ब्यौरों का रजिस्ट्रर रखना और अतिक्रमण को हटाना शामिल है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। यह प्रस्ताव, किसी दखलकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, जो यहां का मूल आवादकार या निवासी नहीं है, को भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगाने से संबंधित है।

(ङ) और (च) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी वास्तविक निवासियों को द्वीप निवासी पहचान-पत्र, जो द्वीपवासियों की पहचान के लिए मूल दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा, जारी करने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में एक प्लान स्कीम सम्मिलित की है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों की अनुपलब्धता

3765. श्री राम टहल चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच कारवाई गई है/करवाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लोगों को इन औषधियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) एन.पी.पी.ए. औषधों की उपलब्धता की नियमित रूप से मानीटरिंग करता है। किसी औषध की अनुपलब्धता के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा आय की घोषणा

3766. श्री किरीट सोमैया: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने स्वैच्छिक आय घोषणा के जरिए अपने आय ब्यौरों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड से इस मामले की जांच करने को कहा गया है कि उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में भारतीय क्रिकेट कण्ट्रोल बोर्ड द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) इस विभाग के पास भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा स्वैच्छिक आय घोषणा की योजना के अंतर्गत घोषित आय का विवरण नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

जनजातियों के लिए स्वरोजगार योजनाएं

3767. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जनजातियों विशेषकर दक्षिण भारत की लंबाडी जनजाति के जीवन-स्तर में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में जनजातियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु कोई नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में विभिन्न जनजातीय समुदायों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है तथा वे कितने क्षेत्र में बसे हुए हैं और उनके जीवन-स्तर को उठाने हेतु लागू विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न प्रकार की जनजातियों के वर्गीकरण हेतु भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट ही सिर्फ अधिकृत स्रोत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

जन्म से ही हृदय रोगी बच्चे

3768. श्री कोलुर बसवनागौड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार प्रतिदिन हृदयरोग से पीड़ित औसतन कितने बच्चे पैदा होते हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे बच्चों के इलाज के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण ऐसे रोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारों का कार्य है। तथापि, 1955-56 में के.ए.पी. सर्वेक्षण, बी.पी. और लिपिड प्रोफाइल मापने के लिए कार्डियो वैस्कुलर रोग कार्यक्रम पर एक प्रायोगिक परियोजना पांच राज्यों में शुरू की गई थी। 1998-99 में संगठित क्षेत्र में कार्डियो-वैस्कुलर रोगों से संबंधित कार्यकलापों को चलाने हेतु 48.94 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को प्रदान की गई थी। इसके अलावा, अखिल भारतीय, आयुर्विज्ञान संस्थान, पी.जी.आई. चण्डीगढ़ जैसे संस्थान ऐसे मामलों के लिए तृतीयक स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान

3769. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य की इक्यावन परियोजनाओं के लिए धनराशि की दूसरी किश्त जारी कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार सरकार ने 27 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए दूसरी किस्त जारी की है। एक जिला अर्थात जबलपुर में यह परियोजना पहली किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि से ही पूरी हो गई थी।

शेष जिलों को दूसरी किस्त जारी न करने के जो कारण हैं उनमें व्यय की धीमी गति, संपूर्ण साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन की प्रगति में कमी और लेखा/उपयोगिता प्रमाण-पत्र न भेजना शामिल है।

विवरण

जिले का नाम	धनराशि (लाख रुपये में)	दिनांक
1	2	3
1. भोपाल	15.00	मई, 95
2. राधगढ़	21.00	अक्टूबर, 95
3. विदिशा	13.90	मार्च, 96
4. रायसेन	20.00	अप्रैल, 95
5. ग्वालियर	15.00	अक्टूबर, 94
6. भिण्ड	30.63	जनवरी, 98
7. मुरैना	20.00	जनवरी, 98
8. शिवपुरी	10.00	जून, 97
9. झाबुआ	40.00	मार्च, 97
10. खरगौन	75.00	फरवरी, 97
11. उज्जैन	30.00	अगस्त, 98
12. रतलाम	10.00	मई, 91
13. सिवोनी	25.00	जनवरी, 96
14. छिन्दवाड़ा	99.00	मई, 95
15. नरसिंगपुर	20.00	दिसम्बर, 90
16. सागर	64.43	मार्च, 95
17. पन्ना	10.00	अप्रैल, 98
18. छतरपुर	56.33	अक्टूबर, 96
19. टीकमगढ़	44.18	मई, 95

1	2	3
20. रीवा	66.25	मई, 96
21. सतना	54.33	जून, 94
22. सिधी	65.50	मई, 96
23. बिलासपुर	104.00	जनवरी, 90
24. सरगुजा	10.00	मार्च, 98
25. राजगंदगाव	12.51	जून, 97
26. क - बस्तर I	43.73	मई, 95
ख - बस्तर II	90.00	अप्रैल, 96
27. दुर्ग	0.65	जून, 91

[अनुवाद]

अन्डर वर्ल्ड के अपराधियों की आपराधिक गतिविधियां

3770. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों से अन्डर वर्ल्ड अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने अपराधी गिरफ्तार किये गये/दंडित किए गये/मारे गए; और

(घ) सरकार द्वारा देश में अन्डर वर्ल्ड अपराधियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भेजषों के निर्यात में गिरावट

3771. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मंत्रालय के पास अनापत्ति प्रमाणपत्र के लंबित होने के कारण भेषजों के निर्यात में 200 करोड़ रुपये की गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) निर्यात में गिरावट बहुत से कारकों से हो सकती हैं और इस संबंध में किसी एक कारक को निर्दिष्ट करना कठिन होगा। फार्मेस्यूटिकलों के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। इस विषय में कोई विचाराधीनता नहीं है जिससे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विचाराधीन कैदी

3772. श्री राधा मोहन सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली. कनाट प्लेस गोली चलाये जाने की घटना और यूरिया घोटाले में शामिल अभियुक्त सहित लगभग दो दर्जन विचाराधीन कैदियों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रंगीन टी.वी. आरामदायक गद्दे, रसोई गैस, फ्रिज, समाचार पत्र आदि विलासिता की वस्तुये प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कैदियों को विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये सुविधाएं जेल नियमावली के खिलाफ उक्त कैदियों को प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में रखे गए किसी भी कैदी को, संगत नियमों के प्रतिकूल कोई भी सुविधा नहीं दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों का दूसरे देशों को पलायन

3773. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से दूसरे देशों को पलायन कर चुके प्रख्यात वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) उसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) बर्हिगमन को कम करने के तथा विदेश में बसे हुए वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों को भारत लौटने के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बावजूद, कुछ भारतीय वैज्ञानिक विभिन्न कारणों, जिनमें वित्तीय तथा शैक्षिक लाभ शामिल हैं, से दूसरे देशों में पलायन करते रहे है किन्तु इनके परिमाणात्मक आंकड़ों को निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है।

मानव-खोपड़ियों का पकड़ा जाना

3774. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 2000 के 'दैनिक जागरण में प्रकाशित' "भारत नेपाल सीमा पर नरमुंडों की तस्करी जारी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष जून माह में पटना जंक्शन पर मानव-खोपड़ियां पकड़ी गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में गिरफ्तार किए गए अथवा लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) भारत सरकार को भारत-नेपाल सीमा पर नर-मुण्डों की तस्करी के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

चूंकि लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, अतः ऐसे मामलों के संबंध में सूचना/ब्यौरे संबंधित राज्य सरकार द्वारा रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय इतिहास कांग्रेस

3775. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इतिहास कांग्रेस को सरकार और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् से अनुदान प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कांग्रेस को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या अब इस अनुदान को बंद अथवा कटौती कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान कालीकट में हुए भारतीय इतिहास कांग्रेस के 60वें सत्र की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य मुद्दे क्या हैं; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय इतिहास कांग्रेस को संस्वीकृत राशि निम्न प्रकार है:-

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग (रुपये लाख में)

1997-98	-	2.00
1998-99	-	1.00
1999-2000	-	1.37

(2) भारतीय इतिहास अनुसंसाधन परिषद (रुपये लाख में)

1997	
बंगलौर में 58वां सत्र	1.25

1998	
पटियाला में 59वां सत्र	1.00
1999	
कालीकट में 60वां सत्र	0.45

(ग) और (घ) भारतीय इतिहास कांग्रेस को अनुदान नहीं रोका गया है। प्रत्येक वर्ष संस्वीकृत की गई राशि प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव और सरकार/भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के पास निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होती है।

(ङ) और (च) भारतीय इतिहास कांग्रेस के कालीकट में आयोजित 60वें सत्र की रिपोर्ट एकत्र की जा रही है।

खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण

3776. **श्री वैको:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के मानक निर्धारित करने हेतु प्राधिकरण गठित करने की मांग हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर खाद्य तथा औधिधि नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) (क) और (ख) वर्तमान में खाद्य वस्तुओं के मानकों का विनियमन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है और औषधों व दवाओं का विनियमन औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस समय इन दोनों अधिनियमों को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा साथ-साथ लागू किया जा रहा है। समय-समय पर खाद्य विनियामक प्राधिकरण और राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण का स्थापना सहित प्रवर्तन तंत्र की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए मौजूदा विनियामक ढांचे को सरल और कारगर बनाने संबंधी सुझाव प्राप्त होते रहते हैं।

(ग) खाद्य और औषध प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) केन्द्र में स्थित औषध नियंत्रण तंत्र के संवर्धन और राज्य स्तरीय औषध नियंत्रक संगठनों को औषध जांच सुविधाओं और प्रबन्ध सूचना पद्धति के संवर्धन के लिए निधियां प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत उपस्करों के प्रापण के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशालाओं को निधियां प्रदान की जाती हैं;

(2) विश्व स्वास्थ्य संगठन सहायता के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य प्रयोगशालाओं को उपस्कर भी प्रदान किए जाते हैं;

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कार्यान्वयन में शामिल कार्मिकों, अर्थात स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारियों, जन विश्लेषकों/कैमिस्टों और खाद्य निरीक्षकों के लिए नियमित अभिविन्यास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

वाहन चोरी के मामले

3777. **डा. अशोक पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुराने वाहनों की खरीद के बारे में शक के तौर पर निपटाये जाने वाले चुराये गये वाहनों की रिपोर्टों तथा नौकरों के सत्यापन की सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सेवा वेबसाइट पर कब तक आरंभ कर दी जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के माध्यम से मोटर वाहनों के खो जाने/बरामदगी के बारे में आंकड़ों का रख-रखाव और समन्वय करता है। ये आंकड़े इन्टरनेट पर उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों, नौकरों के सत्यापन के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 16.2.2000 को अपनी वेबसाईट शुरू की है और चुराए गए और लावारिस वाहनों का सत्यापन इन्टरनेट पर उपलब्ध है। नौकर का सत्यापन संबंधी प्रपत्र भी इन्टरनेट पर उपलब्ध है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा इन्टरनेट पर इस प्रकार की कोई सेवा शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाराणसी में स्टेडियम का निर्माण

3778. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम के विस्तार की कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ धनराशि आवंटित की है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कब तक पूरा हो जायेगा?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चम्बल लिफ्ट परियोजना

3779. श्री बहादुर सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित चम्बल लिफ्ट पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की प्राक्कलित लागत कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(घ) उससे कितने गांवों के लाभान्वित होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में विश्वविद्यालयों के भवनों के नवीकरण हेतु निधियां

3780. श्री अनादि साहू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चक्रवात के कारण उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों और कालेजों को हुए नुकसान का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुनरूद्धार कार्यों के उद्देश्य हेतु कोई निधियां जारी की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग को पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ''तूफ़ान राहत'' के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में उत्कल विश्वविद्यालय, बरहामपुर विश्वविद्यालय और उड़ीसा सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए थे। इस मामले पर आयोग द्वारा 28 मार्च, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था और वि.अ.आ. ने उड़ीसा के तीन विश्वविद्यालयों और अठारह कालेजों को ''तूफान राहत'' के रूप में 4.58 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। 1999-2000 के दौरान इन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वि.अ.आ. द्वारा 4.58 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि जारी की गई है। इस संबंध में इन विश्वविद्यालयों और कालेजों को वि.अ.आ. द्वारा जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में तूफान से प्रभावित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को तूफान राहत अनुदान

संस्थाओं का नाम	संस्वीकृत राशि
1	2
(क) विश्वविद्यालय	
1. उत्कल विश्वविद्यालय	150 लाख रुपये
2. बहरामपुर विश्वविद्यालय	100 लाख रुपये
3. श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	50 लाख रुपये
महाविद्यालय	
1. रादेनशा महाविद्यालय, कटक	40 लाख रुपये
2. स्टेवार्ट विज्ञान महाविद्यालय, कटक	10 लाख रुपये
3. शैलीपुर महाविद्यालय, शैली	10 लाख रुपये
4. एस.वी.एम. महाविद्यालय, जगतसिंहपुर	10 लाख रुपये
5. इरासमा महाविद्यालय, इरासमा	10 लाख रुपये
6. कुजांग महाविद्यालय, कुजांग	10 लाख रुपये
7. स्वामी सरूपानन्द नेशनल कालेज ऑफ एजुकेशन और टेक्नालॉजी, जगतसिंहपुर	10 लाख रुपये
8. सरला महाविद्यालय, रहम्मा	10 लाख रुपये
9. एनसी. कालेज, जयपुर	5 लाख रुपये
10. साधु गौरेश्वर कालेज, कानीकपाडा, जयपुर	3 लाख रुपये
11. नीमपारा कालेज, नीमपारा	5 लाख रुपये
12. मंगला महाविद्यालय, कटकपुर, जि. पुरी	5 लाख रुपये
13. पुरी चतुर्वेद धाम, पीजी कालेज, पुरी	5 लाख रुपये
14. तुलूना कालेज, तुलूना	5 लाख रुपये
15. मोदावरीश महाविद्यालय, कानपुर	5 लाख रुपये
16. केन्द्रपाडा कालेज, केन्द्रपाडा	5 लाख रुपये
17. एसएसपी कालेज, कालेज महाकालपरा	5 लाख रुपये
18. पाटामुण्डई कालेज, पाटामुण्डई	5 लाख रुपये
कुल	458 लाख रुपये

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

3781. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कटक के निकट 'सी.एस.आई.एफ.' प्रशिक्षण केन्द्र हेतु कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और निर्माण हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा इस संबंध में वर्ष-वार कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या पारादीप स्थित वर्तमान 'सी.एस.आई.एफ.' प्रशिक्षण केन्द्र को देवरा, राजस्थान स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस कदम के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र के लिए **मुन्डाली (चक्रधरपुर) कटक (उड़ीसा) में 100 एकड़ भूमि अधिगृहित की गयी है। वर्ष-वार आवंटित राशि और खर्च** की गयी राशि निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	आवंटित राशि	किया गया व्यय
1996-97	42,000/-रु.	-
1997-98	4,20,000/-रु.	77,524/-रु.
1998-99	36,62,800/-रु.	9,09,917/-रु.
1999-2000	84,00,000/-रु.	34,00,000/-रु. (लगभग)

(ख) से (ङ) हाल के भयंकर तूफान के कारण पारादीप में अस्थायी स्थान में प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंचने के कारण केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पहले प्रशिक्षार्थियों को स्थायी रूप से देयोली, राजस्थान में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया था ताकि प्रशिक्षण जारी रहे। तथापि, आर.टी.सी. के लिए स्थायी स्थान कटक (उड़ीसा) के समीप मुण्डाली (चक्रधरपुर) में पहले ही तय किया जा चुका है, जहां, निर्माण कार्य चल रहा है प्रस्तावित स्थानान्तरण पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनके उत्तर दे दिए गए हैं और संसद प्रश्न भी पूछे गए जिनके उत्तर, 20.12.99 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3038 और 15.12.99 को उत्तरित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 के उत्तर में दिए गए। तथापि, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र को पारादीप से दियोली (राजस्थान) में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र को जल्द ही मण्डाली, कटक में इसके स्थायी स्थान पर स्थानान्तरित किया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थानान्तरण संबंधी दिशा-निर्देश

3782. **श्री मनोज सिन्हा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों/समूहों के लिए स्थानान्तरण संबंधी दिशा-निर्देशों को जुलाई, 1998 में केन्द्रीय विद्यालयों के शासी बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जुलाई में 1998 के दिशा-निर्देशों हाल ही में पुनः संशोधित किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसमें किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है और उनका क्या औचित्य है;

(घ) क्या हाल ही की अपनी बैठक में शासी बोर्ड द्वारा इन संशोधनों को प्रभावी बनाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) से (ङ) स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा घोषित दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है जो अपना निर्धारित कार्यकाल समाप्त करने के पश्चात अपनी पसंद के क्षेत्र में स्थानांतरण चाहते हैं। उन कर्मचारियों के लिए भी यही प्रावधान है जो अपनी अरूचि के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक से कार्यरत हैं।

2. स्थानांतरण की प्राथमिकता सूची तैयार करने में संयुक्त महत्व का पता लगाने के लिए संगठनात्मक कारणों के साथ-साथ व्यक्तिगत आवश्यकताओं और कार्य निष्पादन के संदर्भ में पात्रता मुद्दे रखे गए हैं।

3. पति/पत्नी की मृत्यु से संबंधित मामलों और मान्यता प्राप्त चिकित्सा आधारित मामलों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों का आकलन करने तथा उन्हें और संतुष्ट करने हेतु योग्यता/कार्यनिष्पादन संबंधी घटक को पैरामीटर के रूप में विचार करने की दृष्टि से ये संशोधन किए गए थे।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर निगरानी

3783. **श्री रामजीवन सिंह:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल मेडिकल आफ कमीशन ने भोपाल गैस त्रासदी में बचे हुए लोगों के पुनर्वास हेतु उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर निरंतर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा त्रासदी से बचे हुए व्यक्तियों के बच्चों में असमानताओं को रोकने हेतु नियमित अंतराल पर इस प्रकार के जांच अध्ययन कराये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राजधानी में बम विस्फोट

3784. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पहाड़गंज क्षेत्र में एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस विस्फोट में कितने व्यक्ति मारे गये/घायल हुए तथा इससे कितनी क्षति हुई;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक शहर में कितने बम विस्फोट हुए तथा इनमें से कितने मामले हल किए गए; और

(घ) वर्तमान घटना की जांच के परिणाम क्या है तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 27 फरवरी, 2000 को पहाडगंज क्षेत्र में एक गेस्ट हाऊस में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें 7 व्यक्ति घायल हो गए और गेस्ट हाऊस की पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:-

	1998	1999	2000
1. बम विस्फोट	2	2	3
2 सुलझाए गए मामलों की संख्या	-	2	1

(घ) इस संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

3785. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति में शोध और प्रयोग कार्यों की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पद्धति को सुचारू रूप से कार्यरत बनाने हेतु विशेषज्ञों के एक आयोग का गठन करने का है;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान आधुनिक दवाइयों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधियों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) सरकार अपनी अनुसंधान परिषदों के माध्यम से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान और प्रायोगिक कार्य में पहले ही मदद कर रही है। तथापि समय-समय पर विशेषज्ञों की सुविज्ञता और सलाह यह देखने के लिए प्राप्त की जाती है कि अनुसंधान के परिणाम आम जनता और उभरती समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अप्रैल, 1999 से दिसम्बर, 1999 के दौरान देश में आयातित परिष्कृत फार्मूलेशन लगभग 450 करोड़ रुपये के थे।

(घ) विदेश व्यापार महानिदेशक ने सूचित किया है कि 1999-2000 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

अन्तरराष्ट्रीय अम्पायर के साथ दुर्व्यवहार

3786. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के "दि इंडियन एक्सप्रैस" में नेशनल स्टेडियम में पंजाब पुलिस हाकी टीम के खिलाड़ियों द्वारा एक अन्तरराष्ट्रीय हॉकी अम्पायर के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए दोषी खिलाड़ियों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस, आल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा पुलिस टीम में अनुशासनहीनता की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्री प्रदूषण

3787. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समुद्र में प्रदूषण में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ते हुए समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) तटीय क्षेत्रों के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या और तीव्र औद्योगिक वृद्धि के कारण कुछ चुनिंदा स्थानों पर समुद्र में प्रदूषण का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है।

(ख) समुद्र की स्थिति के निर्धारण हेतु महासागर विकास विभाग 1990-91 से एक समुद्री प्रदूषण प्रबोधन कार्यक्रम अर्थात तटीय समुद्री प्रबोधन एवं भविष्यवाणी प्रणाली (कोमैप्स) कार्यान्वित कर रहा है। समुद्री प्रदूषण की जाँच करने के लिए अन्य उपायों के साथ साथ किए जा रहे कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार से हैं:

* एक निश्चित समय में प्रदूषण स्तरों के आंकड़े एकत्र करना और देश की तटीय रेखा के चुने हुए क्षेत्रों के साथ-साथ प्रदूषण स्तरों का सुव्यवस्थित प्रबोधन;

* सम्बन्धित क्षेत्रों के सागरों की स्थिति का गहन प्रबोधन और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिन पर तत्काल और दीर्घकालिक उपचारी कार्रवाई आवश्यक है;

* केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे सम्बद्ध प्राधिकरणों को उपचारी कार्रवाई हेतु सजग करना, जहाँ पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण चिन्ता का विषय हो सकता है;

* राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा प्रदूषकों के स्रोतों की सूची तैयार करना।

कृषि भूमि का दुरूपयोग

3788. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या विकास मंत्री कृषि भूमि के दुरूपयोग के बारे में 7.3.2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 1869 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अंतर्गत सरकारी कामकाज और लंबित पड़े मामलों के निपटान में कार्यकुशलता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) स्वामित्व के वारंट को शीघ्रता से पूरे न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके निपटान में विलम्ब से दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 का प्रयोग करने का उद्देश्य ही समाप्त नहीं हो जाता;

(घ) यदि हाँ, तो राजस्व सहायक अदालतों के कार्यकरण में कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व लाने और कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें दिये गये आदेशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) आज की तिथि तक कार्यकारी अधिकारियों के पास ऐसे कितने मामलें लंबित पड़े हैं जिनमें राजस्व सहायकों ने निर्णय दिये हैं; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि बिना ठोस कारणों के मामले को स्थगित न करने की नीति है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामले में अनावश्यक विलम्ब न हो। अन्यथा कानून अपना कार्य करेगा मामले न्यायिक कल्प प्रकृति के हैं इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ख) स्वामित्व का वारंट यथा समय कार्यान्वित किया जाता है जब गांव सभा राजस्व सहायक के न्यायालय जाती है।

(ग) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 में धारा के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर ग्राम सभा में भूमि निहित किए जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा न्यायिक मामले के लम्बन के दौरान कोई और उल्लंघन को रोकने के लिए दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन अवरोध (रिस्ट्रेन्ट) आदेश भी जारी किए जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त ''क'' के अनुसार

(ङ) कार्यकारी अधिकारियों के पास 571 मामले लम्बित हैं।

(च) निष्पादन के लिए व्यापक स्तर पर डिमोलीशन अपेक्षित है जिसमें पुलिस, दिल्ली नगर निगम, पंचायत विभाग, कृषि एवं बाढ़ विभाग, आदि का समन्वय शामिल है।

ग्रामीण स्वास्थ्य संदर्शिका योजना

3789. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पूर्व ग्रामीण स्वास्थ्य संदर्शिका योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण स्वास्थ्य संदर्शिका योजना के मूल्यांकन के लिए समिति द्वारा कितने गांवों का दौरा किया गया है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) अब तक इनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं और कितनी सिफारिशें लागू करने की प्रक्रिया में हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) योजना के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए समिति ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों का दौरा किया। समिति ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मामले में उनके विचार मांगने हेतु एक विस्तृत प्रश्नावली भी भेजी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति की महत्वपूर्ण सिफारशें हैं: (1) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना का मूल उद्देश्य अधिकतर पूरा नहीं हुआ ही रहा है। समुदाय और स्वास्थ्य परिचर्या पद्धतियों के बीच एक कार्यात्मक संपर्क स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ; (2) अधिकांश राज्य सरकारों, जो इस योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, ने इसमें अपना विश्वास खो दिया है; (3) समिति का यह भी मान्य विचार है कि इस अवस्था में मौजूदा योजना को पुनः सक्रिय करना और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु इसे उपयोगी बनाना संभव नहीं हो सकता है। (4) समिति ने नोट किया है कि राज्य अपने राज्य में ग्राम स्वास्थ्य गाइड की मौजूदगी की उपेक्षा करने के लिए प्रवृत्त हैं और उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया है; (5) पंचायती राज संस्थाएं भी ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की सेवाओं का एक सार्थक तरीके से इस्तेमाल करने में अभी तक समर्थ नहीं रही हैं।

इन कारणों से समिति ने सिफारिश की है कि इस योजना को यथाशीघ्र बन्द कर दिया जाना चाहिए।

समिति ने यह भी नोट किया है कि एक या दो राज्य अभी भी इस योजना को एक आशोधित अवस्था में जारी रखने की सिफारिश कर रहे हैं। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि योजना को जारी रखने अथवा भंग करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना राज्यों पर छोड़ देना चाहिए; लेकिन इसे एक केन्द्रीय योजना के रूप में नहीं चलाया जाना चाहिए।

(ङ) समिति की रिपोर्ट की इस समय अन्य मंत्रालयों से परामर्श करके जांच की जा रही है। इसके बारे में सरकार समुचित स्तर पर शीघ्र ही निर्णय लेगी।

एड्स के उपचार के लिए अनुसंधान कार्यक्रम

3790. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एड्स/एच आई वी के इलाज के लिए किये गए औषध अनुसंधान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान किया गया;

(ग) क्या सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में एड्स के इलाज के लिए आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा हेतु सरकार द्वारा कोई अनुसंधान प्रायोजित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से एच आई वी/एड्स के उपचार हेतु आयुर्वेदिक और सिद्ध औषधियों पर औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम इन्स्टीट्यूट ऑफ थोरासिक मेडिसीन, तम्बरम, चेन्नई में चलाए जा रहे हैं। इनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की प्रतीक्षा है। मुम्बई में केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद होमियोपैथी औषधियों का डबल ब्लाइन्ड परीक्षण कर रही है जिसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक और यूनानी औषधियों पर अनुसंधान कराने के लिए सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

पाकिस्तान नागरिकों की गिरफ्तारी

3791. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत छः माह के दौरान कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को आर.डी.एक्स. के साथ गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, इस संबंध में सूचना केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने संबंधी नीति

3792. श्री साहिब सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए अंतिम व्यापक नीति किस वर्ष स्वीकृत की गई थी;

(ख) तब से लेकर अब तक कितनी नई कालोनियां बसी हैं और उनमें कितने मकानों को नियमित किया गया है;

(ग) प्रत्येक नई अनधिकृत कालोनी में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितिक दृष्टि से मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की स्थिति क्या है; और

(घ) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए नई नीति की कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) 1977

(ख) भारत सरकार द्वारा 1977 में लिए गए निर्णय के अनुसार 567 कालोनियों को नियमित किया गया। तब से किसी भी अनधिकृत कालोनी को नियमित नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 31.3.1993 तक बनी हुई 1071 कालोनियों की सूची नियमितीकरण के लिए भेजी है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि सी.पी.डब्ल्यू. सं. 4771/93 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31.3.1993 तक या इससे पहले बनी और जो निजी भूमि पर स्थित अनधिकृत कालोनियों में पूर्णत: स्वच्छता और स्वास्थ्य आधारों पर सड़कों/नालियों का निर्माण करने की अनुमति दी है। न्यायालय के आदेश के अनुसार ऐसी कालोनियों को बिजली और पानी के कनैक्शन भी मुहैया कराए जा रहे हैं।

(घ) सी.पी.डब्ल्यू. सं. 4771/93 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.10.1993 के अपने आदेश में अगला आदेश होने तक दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कालोनी को नियमित करने के लिए प्रतिवादी पर रोक लगा दी है। मामला न्यायाधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में कोयले के डिपो

3793. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या शहरी विकास मंत्री डी.डी.ए. कालोनियों के कोयले डिपो संबंधी 9.7.98 के अतारांकित प्रश्न सं. 3425 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन कोयला डिपो आवंटियों ने अप्राधिकृत दुकानों का निर्माण किया है और मूल रूप से आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अनधिकार कब्जा कर लिया है तथा उक्त दुकानों को किराए पर लगाया हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस कोयला डिपो का ब्यौरा क्या है और इनके लिए पट्टा/लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किस-किस तारीख तक किया गया है;

(ग) क्या कुछ आवंटियों को आवंटित स्थलों का उपयोग अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयला डिपो के लिए आवंटित स्थलों के दुरूपयोग के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई शुरू की है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जिन कोयला डिपो ने अनधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण किया है और उन्हें मूल रूप से आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है तथा जिस तारीख तक के लीज/अनुज्ञप्ति शुल्क का उन्होंने भुगतान किया है उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) डीडीए ने सूचित किया है कि अन्य वाणिज्यिक उपयोग के लिए दो स्थलों के संबंध में अनुमति दी गई है।

(ङ) और (च) (क) तथा (ख) में दिए गए उत्तर के अनुसार।

(छ) जी, हाँ।

(ज) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कोयला डिपो के ब्यौरे

(1) जी-I नारायण में, श्री के.सी. सेठी को आबंटित।

(क) 13.1.82 तक दिया गया अनुज्ञप्ति शुल्क/भूमि कर

(ख) अनधिकृत निर्माण एवं दुरूपयोग: भवन निमार्ण उपनियमों और आबंटन नोटिस की शर्तों एवं निबन्धनों का उल्लंघन पाया गया। अनधिकृत एवं दुरूपयोग के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं।

(ग) मूल रूप से आबंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण: शून्य

(2) श्री प्रदीप मोहन को नारायणा रिहायशी क्षेत्र, फेज-I में आबंटित कोयला डिपो

(क) लाइसेंस फी/भूमि कर: 21.08.86 तक अदा किया गया।

(ख) अनधिकृत निर्माण एवं दुरूपयोग: भूमि विवादास्पद है। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है।

(ग) मूल रूप से आबंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण: शून्य

(3) श्री अशोक अहलूवालिया को आबंटित डी-II, विवेक विहार

(क) अदा की गई लाइसेंस फी/भूमि कर: दिनांक 14.01.2000 तक भूमि कर के रूप में 31,474.65 रुपये और ब्याज के रूप में 9,433 रुपये देय हैं। उपर्युक्त धनराशि के लिए मांग पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है।

(ख) अनधिकृत निर्माण एवं दुरूपयोग। शून्य

(ग) मूल रूप से आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण: शून्य

(4) युसुफ सराय में कोयला डिपो

(क) लाइसेंस फी/भूमि कर: 20.01.90 तक अदा किया गया।

(ख) अनधिकृत निर्माण एवं दुरूपयोग: शून्य

(ग) मूल रूप से आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण: शून्य

(5) श्री उप्पल कोल कंपनी को नारायणा में आवंटित एफ-I/ए

(क) अदा की गई लाइसेंस फी/भूमि कर: भूमिकर/प्रीमियम अदा नहीं किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश।

(ख) अनधिकृत निर्माण एवं दुरुपयोग। शून्य

(ग) मूल रूप से आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण: शून्य

(6) श्री शहरावत कोल कंपनी को नारायणा में आबंटित एफ-I/बी

(क) अदा की गई लाइसेंस फी/भूमिकर: भूमिकर/प्रीमियम अदा नहीं किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश।

(ख) अनधिकृत निर्माण एवं दुरूपयोग: प्लाट के दुरूपयोग का पता चला। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण कारण बताओं नोटिस नहीं जारी किया गया।

(ग) मूल रूप से आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण: शून्य

(7) श्री रमेश चन्द्र शर्मा को हौज खास में आवंटित टी सी/24

(क) अदा की गई लाइसेंस फी/भूमि कर: भूमिकर अदा नहीं किया गया। अभी तक आवंटन का निर्माण नहीं हुआ है।

(ख) अनधिकृत निर्माण एवं दुरूपयोग: भवन निर्माण उपनियमों और आवंटन नोटिस की शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन का पता चला है। अनधिकृत निर्माण एवं दुरूपयोग के कारण कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

(ग) मूल रूप से आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का अतिक्रमण: शून्य

सुरक्षित मातृत्व

3794. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "भारत में सुरक्षित मातृत्व" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि गर्भावस्था संबंधित जटिलताओं के कारण प्रत्येक पांच मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से देश में प्रतिवर्ष लाखों महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारत्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) भारत में मातृ मृत्यु दर से संबंधित नियमित और विश्वसनीय अनुमान नहीं है। तथापि नमूना पंजीयन प्रणाली (1997) से प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्युदर का अनुपात 408 जाहिर होता हैं। इसका अर्थ है कि गर्भावस्था से संबंधित कारणों से प्रत्येक वर्ष करीब एक लाख महिलाओं का निधन हो जाता है अथवा प्रत्येक 5 मिनटों में एक महिला का निधन हो जाता है।

उच्च माह मृत्यु दर सामाजिक और चिकित्सीय कारणों के संयोजन से है। सामान्य चिकित्सीय कारण हैं: रक्तस्राव, रक्ताल्पता, गर्भपात, टाक्सिमिया, संक्रमण और अवरूद्ध प्रसव। सामाजिक कारण हैं: निरक्षरता, निर्धनता और महिलाओं को निम्न सामाजिक दर्जा

परिवार कल्याण विभाग ने मातृ मृत्यु दर और रुग्णता दर में गिरावट लाने के लिए अक्तूबर, 1997 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया। अनिवार्य और आपातकालीन प्रसूति परिचर्या, निरापद और सांस्थानिक, प्रसवों का संवर्धन, निर्धन परिवारों के लिए लिए आवाजाही की व्यवस्था, विधिक गर्भपात सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन पथ संक्रमणों के लिए उपचार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

अमरीकी एजेंसी द्वारा कार्यालय खोला जाना

3795. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीकी एजेंसी एफ.बी.आई. को हमारे देश में अपना कार्यालय खोलने और कार्य शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अनुमति दिए जाने के आधार का ब्यौरा क्या है तत्संबंधी शर्तें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) अमरीकी दूतावास को, एक लीगल एटेची आफिस, जिसमें एफ.बी.आई. के दो अधिकारी तैनात होंगे, खोलने के लिए दिल्ली में अपनी संख्या शक्ति में बढ़ोत्तरी करने के अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। वाशिंगटन में हमारे दूतावास में भी भारत सरकार के इतने ही प्रतिनिधि हैं।

इस आशय का निर्णय, आतंकवाद को रोकने के संबंध में भारत-अमरिका के बीच बढ़ते हुए द्विपक्षीय सहयोग के संदर्भ में लिया गया है। लीगल अटेची आफिस के खोलने से हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक प्रभावी समन्वय संभव हो सकेगा। और इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और सीमा पार से सक्रिय उग्रवादी ग्रुपों पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, लीगल, एटेची आफिस, हमारी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ सम्पर्क रखेगा, विशेष रूप से वित्तीय अपराधों और आतंकवाद से संबंधित मामलों, में जिन पर अमरीका और भारत संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, अमेरिका स्वतंत्र जांच-पड़ताल नहीं करेगा।

पीलिया से हुई मौतें

3796. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान, 31 मार्च, 2000 तक पीलिया से कितनी मौतें हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पीलिया की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पोलियों टीकाकरण अभियान की तरह पीलिया टीकाकरण अभियान शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वर्ष 1998 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पीलिया के कारण 991 मौतें हो चुकी हैं।

(ख) पीलिया हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, और जी के कारण उत्पन्न होता है। विषाणुज हेपेटाइटिस ए और ई संदूषित जल, खाद्य पदार्थ और अपर्याप्त वैयक्तिक स्वच्छता से संचारित होती है। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए किए जाने वाले नियंत्रण उपाय स्वच्छ जलापूर्ति करने, पर्यावरणिक स्वच्छता, खाद्य और वैयक्तिक स्वच्छता में सुधार करने पर लक्षित है। दूसरे प्रकार के हेपेटाइटिस आन्त्रेतर तथा यौन मार्ग के जरिए और माता से बच्चों में संचारित होते हैं। रक्त वहित हेपेटाइटिस संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

* रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य रूप से जांच करना।
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निरापद यौन व्यवहार को बढ़ावा देने वाले स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलाप।
* प्रत्येक अन्तःक्षेपण के लिए अलग-अलग निर्जीवाणुक सिरिंज और सूई का इस्तेमाल करने हेतु स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं।
* केन्द्र सरकार के अस्पतालों में उच्च जोखिम वाले कार्मिकों को रोग प्रतिरक्षित करना। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे ही कदम उठाएं।

(ग) से (ङ) हेपेटाइटिस "बी" और "सी" के टीकाकरण पर आने वाले बड़े व्यय को देखते हुए/यह सरकार के व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

पेसमेकर बैंक

3797. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "पेस मेकर" बैंकों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) सरकार का कोई पेस मेकर बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेस मेकर सहज रूप से उपलब्ध हैं और देश में भी निर्मित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

3798. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इसकी स्थापना पश्चात से अब तक पुलिस ज्यादतियों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 1993 में इसकी स्थापना से लेकर और 31.03.2000 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त पुलिस ज्यादतियों से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या लगभग 68,690 है।

(ख) "पुलिस" राज्य का विषय है। तथापि, जब कभी भी पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के मामले ध्यान में आते हैं, संबंधित अधिनियमों और नियमों में निर्धारित यथोचित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के पश्चात, संबंधित सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

डाक्टरों की लापरवाही

3799. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जनवरी, 2000 और 14 मार्च, 2000 को दि इंडियन एक्सप्रेस में "डाक्टर्स इन दि डाक एण्ड नेगलिन्स काण्ड आबरशन डेथ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(च) सरकार द्वारा दोषी चिकित्सकों को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां, "डॉक्टर्स इन दि डॉक" शीर्षक से छपा समाचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जी.बी. पंत अस्पताल तथा दिल्ली चिकित्सा परिषद से संबंधित हैं। तथ्य एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे। दि इंडियन एक्सप्रेस में 14 मार्च, 2000 को "नेगलिजेंस काण्ड एबॉर्शन डेथ" शीर्षक से छपा समाचार मृतिका मोनिता भारद्वाज की शव-परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित है, जिसकी सफदरजंग अस्पताल में 10.3.2000 को मृत्यु हो गयी थी। शव-परीक्षण सफदरजंग अस्पताल से बाहर करवाया गया और मामले की जांच उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

(ग) से (च) सरकारी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

आई.एम.डी.टी. अधिनियम को समाप्त किया जाना

3800. **श्री अब्दुल हमीद:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में लागू अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 (आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 1983) को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) असम सरकार से भारत सरकार ने आई.एम. (डी.टी.) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने की सिफारिश की है।

(ग) आई.एम. (डी.टी.) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने के संबंध में सरकार विचार कर रही है।

आदिवासियों के लिए कल्याण योजना

3801. **डा. गिरिजा व्यास:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के विकास हेतु कोई विशेष योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी पासपोर्ट और वीसा

3802. **श्रीमती रीना चौधरी:**
श्री रामशकल:
श्री मनीभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री सी.पी. राधाकृष्णन:
श्री शिवाजी माने:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राममोहन गाड्डे:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फर्जी पासपोर्ट और वीसा जारी करने वाले गिरोह कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस संबंध में राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) इनमें लिप्त एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्ति गिरफ्तार/दंडित किए गए;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए पासपोर्ट के दुरूपयोग के कोई मामले प्रकाश में आये हैं;

(ङ) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पासपोर्ट कर्मचारियों और ट्रेवेल एजेंसियों की मिलीभगत को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर परिषद

3803. श्री राजैया मल्याला: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने पूर्वोत्तर परिषद के प्रस्तावित गठन पर आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी, हां, श्रीमान्

(ख) असम, और अरूणाचल प्रदेश राज्यों ने सुझाव दिया है कि राज्यपाल सदस्यों के रूप में बने रह सकते हैं।

(ग) चालू योजना 2000-2001 के दौरान, पूर्वोत्तर परिषद के लिए बजट अनुमान 450 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आई.एस.आई. एजेंटों की गिरफ्तारी

3804. श्री आर.एल. भाटिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "9800 डालर सीज्ड फ्रोम आई.एस.आई. एजेन्ट्स वाइफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुम्बई में पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ स्थानों पर मारे गए छापों के परिणामस्वरूप मुम्बई पुलिस ने एक आईशा, पत्नी गोपाल मान समेत 30.12.1999 को 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तदनुसार, इन व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 342, 452, 394, 397 और 34 के अधीन थाना बोरीवली में मामला संख्या सी.आर. 338/99 दर्ज किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों से पुलिस द्वारा कुछ मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद तथा अभियुक्त आईशा, पत्नी गोपाल मान से 9,800 अमरीकी डालर बरामद किए गए।

तदोपरान्त, पूछताछ/जांच-पड़ताल के बाद दो और आपराधिक मामले दर्ज किए गए जिनमें 23 और व्यक्तियों को जाली पासपोर्ट तैयार करने तथा पासपोर्ट बनाने से संबंधित जाली दस्तावेज रखने के लिए गिरफ्तार किया गया। दर्ज किए गए मामलों की आगे जांच पड़ताल जारी है।

निर्धन व्यक्तियों हेतु "शेड्स"

3805. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन माह के दौरान शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडे के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्धन व्यक्तियों को ठंडे से बचाने के लिए "शेड्स" का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (घ) गरीबों के लिए शेड निर्माण के लिए कोई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम नहीं है। तथापि मैट्रोपोलिटन शहरों और कस्बों में खराब मौसम जैसे वर्षा, सर्दी के कारण शहरी फुटपाथ निवासियों द्वारा उठाई जा रही परेशानियों को कम करने की दृष्टि से शहरी क्षेत्रों में रैन बसेरा और फुटपाथ निवासियों के लिए स्वच्छता सुविधाएं नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 1988-89 से चल रही है। स्कीम को अगस्त, 1992 में फिर संशोधित किया गया ताकि जहां कहीं भी फुटपाथ निवासियों अथवा बेघर लोगों की बहुलता है, उन सभी शहरी केन्द्रों को इसमें शामिल किया जा सके। स्कीम, राज्य सरकारों अथवा नगर निकायों अथवा अन्य राज्य प्रायोजित/संस्तुत एजेंसियों जिसमें स्वैच्छिक संस्थाएं शामिल हैं, द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं:-

(1) सामुदायिक रैन बसेरों और सामुदायिक शौचालयों/स्नानघरों का निर्माण। इस घटक के तहत 1000/- रुपए की केन्द्रीय सब्सिडी और 4000/- रुपये का हडको ऋण (वैकल्पिक) मुहैया कराया जाता है।

(2) बेघरों के लिए केवल सामुदायिक पैसा दो प्रयोग करो शौचालयों/स्नानघरों का निर्माण। इस घटक के अन्तर्गत 350/- रुपये प्रति प्रयोक्ता प्रति सीट की केन्द्रीय सब्सिडी मुहैया कराई जाती है।

स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मूल सेवाएं

3806. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1996 में हुए मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित न्यूनतम मूल सेवाओं की उपलब्धता को लेकर राज्यों के बीच बढ़ रही असमानताओं को कम करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996 से विभिन्न राज्यों के लिए नियत की गई तथा प्रदान की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्यों को दी गयी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (संयुक्त) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों/संघ क्षेत्रों को आधारभूत न्यूनतम सेवाएं कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(करोड़ रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
(क) गैर-विशेष श्रेणी			
1. आंध्र प्रदेश	140.52	170.59	179.61
2. बिहार	225.67	364.07	383.32
3. गोवा	1.55	1.55	1.63
4. गुजरात	52.58	72.58	76.42
5. हरियाणा	19.08	19.08	20.09
6. कर्नाटक	59.40	99.42	104.68
7. केरल	69.64	78.69	82.85
8. मध्य प्रदेश	144.09	210.00	221.10
9. महाराष्ट्र	96.79	132.23	139.22
10. उड़ीसा	79.26	147.45	155.25
11. पंजाब	25.59	25.59	26.94

1	2	3	4
12. राजस्थान	87.63	132.98	140.01
13. तमिलनाडु	82.36	119.80	126.13
14. उत्तर प्रदेश	317.33	456.84	480.99
15. प. बंगाल	150.00	203.57	214.33
उपयोग	1551.48	2234.44	2352.57
(ख) विशेष श्रेणी			
1. आन्ध्र प्रदेश	62.18	62.18	65.47
2. असम	154.14	163.80	172.46
3. हिमाचल प्रदेश	64.41	64.41	67.82
जम्मू व कश्मीर	156.52	156.52	164.80
5. मणिपुर	44.30	44.30	46.64
6. मेघालय	37.03	37.03	38.99
7. मिजोरम	36.87	36.87	38.82
8. नागालैंड	37.53	37.53	39.51
9. सिक्किम	25.65	25.65	27.01
10 त्रिपुरा	46.37	46.37	48.82
उपयोग	665.00	674.66	710.34
(ग) संघ क्षेत्र			
1. अंडमान व निकोबार	8.00	13.19	13.89
2. चण्डीगढ़	3.72	5.87	6.18
3. दादर नगर हवेली	1.08	1.71	1.80
4. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	9.00	14.20	14.95
5. दमन व द्वीव	0.86	1.36	1.43
6. पांडिचेरी	3.90	6.13	6.45
7. लक्षदीप	1.44	2.27	2.39
उपयोग	28.00	44.73	47.09
कुल योग (क+ख+ग)	2244.48	2953.83	3110.00

खाद्य सामग्री और दवाओं में मिलावट

3807. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रघुनाथ झा:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री रिज़वान जहीर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1999 के दैनिक जागरण में खाद्य सामग्री में मिलावट के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या देश में दवाओं, खाद्य सामग्री और खाद्य तेलों में मिलावट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) संरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ऐसी मिलावट को रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चिकित्सीय अपशिष्ट संबंधी समिति

3808. **श्री रामदास आठवले:**
श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. वी. सरोजा:
श्री अधीर चौधरी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सीय अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु दहाकों का प्रयोग करने के संबंध में सरकार और गैर-सरकारी अस्पतालों के बीच उत्पन्न गतिरोध को सुलझाने के लिए कोई समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अस्पतालों द्वारा चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु दाहकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिसके कारण "हैपटाइटिस-बी" तपेदिक और एड्स इत्यादि जैसे संक्रमण रोग फैल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार रोगों को फैलने पर नियंत्रण लगाने हेतु दाहकों के उपयोग को अनिवार्य बनायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) सरकार अस्पताल अपशिष्टों के उपयुक्त निपटान हेतु दाहकों के प्रयोग पर केन्द्रीय सरकारी तथा निजी अस्पतालों के बीच किसी गतिरोध के बारे में अवगत नहीं है।

(ग) और (घ) सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के निपटान के लिए दाहकों का प्रयोग कर रहे हैं।

(ङ) और (च) अस्पतालों के लिए दाहकों का प्रयोग अनिवार्य बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1998 में अस्पताल अपशिष्टों के प्रबंधन और निपटान के लिए कई विकल्प हैं। अस्पताल दाहकों के प्रयोग सहित किसी भी निपटान पद्धति को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

कम लागत वाली आवासीय योजनाएं

3809. **श्री अनन्त नायक:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झुग्गी-वासियों के लिए कम लागत वाली आवासीय योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य महानगरों में भी ऐसी योजनाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अभी तक सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रमुखत: शहरी गरीबों के लिए कम लागत के आवास हेतु कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली सामाजिक आवास कारपोरेशन गठित करने का निर्णय किया है। दिल्ली सरकार ने यह भी सूचित किया है कि प्रस्तावित निगम संयुक्त उद्यम कंपनी होगी जिसमें दिल्ली सरकार की 49 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी होगी तथा शेष राशि वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक निर्गमों द्वारा लगाई जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एड्स की महामारी

3810. श्री दिन्शा पटेल:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में एड्स की महामारी तपेदिक के मामलों को बढाकर प्रतिवर्ष 2,00,000 कर देगी;

(ख) क्या गुजरात देश के उन कुछेक राज्यों में से है जहां 60 प्रतिशत एड्स रोगी तपेदिक से मरते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इस रोग में से हो रही वृद्धि की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एड्स के मामले में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम जैसी कोई योजना लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा कोई अनुमान नही दिया है।

(ख) और (ग) तपेदिक उन आम अवसरवादी संक्रमणों में से एक है जो एच आई वी/एड्स रोगियों में होता है। गुजरात सहित पूरे देश मे एड्स के विश्लेषण से पता चला है कि 60 प्रतिशत एड्स रोगी तपेदिक से पीड़ित हैं। अनुमान है कि करीब 40 प्रतिशत लोगों में तपेदिक का संक्रमण सुसुप्तावस्था में है। एच आई वी से ग्रसित लोगों में रोग प्रतिरोध प्रणाली के नष्ट हो जाने से यह सुसुप्त तपेदिक संक्रमण परिलक्षित हो जाता है।

(घ) से (च) भारत में एच आई वी एड्स को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए इस समय देश भर में (गुजरात सहित) केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

- जिन लोगों में यह रोग हो रहा है उनका पता लगाकर और अभिजात (पीयर) परामर्श, कण्डोम का उपचार प्रदान करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच आई वी की वृद्धि को कम करना।
- सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (डाई ई सी) और जागरूकता अभियान स्वैच्छिक परीक्षण एवं परामर्श, सुरक्षित रक्ताधान सेवाओं की व्यवस्था और पेशेवर प्रदर्शन की रोकथाम द्वारा आम लोगों के लिए निवारक कार्यकलाप।
- अवसरवादी संक्रमणों परिवार एवं समुदाय आधारित परिचर्या हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय राज्य और नगरपालिका स्तरों पर तकनीकी प्रबंधकीय, वित्तीय स्थिति और प्रभावकारिता को सुदृढ़ करना।
- सार्वजनिक निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

[हिन्दी]

बिहार में नवोदय विद्यालय

3811. श्री ब्रजमोहन राम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के गढ़वा जिले में नवोदय विद्यालय के लिए एक भवन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(ग) क्या बिहार सरकार 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पहले ही कर चुकी है और अन्य 10 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रयासरत है;

(घ) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य अभी तक शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह काम कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) गढ़वा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थायी रूप से स्थापना करने के लिए बिहार सरकार ने अन्नराज नावडिह गाँव में 34.31 एकड़ की भूमि प्रदान की है। प्रस्तावित भूमि को अभी तक समिति के नाम हस्तान्तरित किए जाने के बाद तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

अपराध दर में वृद्धि

3812. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री भीम दाहाल:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री जितेन्द्र प्रसाद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की आधुनिकतम रिपोर्ट के अनुसार विशेषरूप से महिलाओं के प्रति देश के बड़े शहरों और महानगरों में अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अपराध शीर्ष-वार व राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या राजधानी में अपराध दर को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रशासन को चुस्त-दुरूस्थ बनाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का "क्राईम इन इंडिया 1998" नामक प्रकाशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को प्रकट करता है:-

(1) देश में 1998 के दौरान 61,80,996 संज्ञेय अपराध सूचित किए गए, जबकि इससे पहले के दौरान इस प्रकार के अपराधों की संख्या 64,11,259 थी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

वर्ष	भा.द.स.	विशेष कानून	कुल
1997	17,19,820	46,91,439	64,11,259
1998	17,79,111	44,01,885	61,80,996

(2) वर्ष 1998 के दौरान शहरों से संबंधित संज्ञेय मामले, भा.द.स. के अन्तर्गत 2,66,599 और विशेष कानूनों के अन्तर्गत 21,33,193 थे।

(3) 1997 के दौरान महिलाओं के प्रति सूचित किए 1,21,265 मामलों की तुलना में 1998 के दौरान सूचित किए गए इस प्रकार के मामलों की संख्या 1,31,338 थी। अपराध-वार और राज्य-वार ब्यौरे उक्त प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

(ग) भारत के संविधान के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय है अतः अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच पड़ताल करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों के संबंध में निवारात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वास संबंधी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य सरकारों को समय-समय पर लिखती रही है। केन्द्र सरकार, इस समय बलात्कार के अपराध के लिए मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ सक्रिय अपराधियों को निष्क्रिय करने के लिए निवारात्मक उपाय करना, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत सुरक्षा कार्यवाहियां शुरू करना, अपराधियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारना, बीट गश्त और सतर्कता को गहन करना, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना और जन सहयोग प्राप्त करना इत्यादि शामिल है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों की नीलामी

3813. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात सरकार ने ऐतिहासिक साबरमती जेल की नीलामी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्वाधीनता आन्दोलन के इस महान स्मारक को नीलामी से बचाने के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(ग) देश की आजादी से जुड़े अब तक नीलाम हुए अन्य ऐतिहासिक स्मारकों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार साबरमती जेल की नीलामी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

रोगियों के लिए शाकाहारी आहार

3814. श्री पी.एस. गढ़वी:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड तथा अमेरिका इंस्टीट्यूट फार कैंसर रिसर्च की रिपोर्टों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इनमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) मांसाहारी आहार से होने वाली बीमारियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे फास्ट फूड के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए शाकाहारी भोजन को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा चिकित्सालयों में रोगियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक शाकाहारी आहार आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) भारतीय पोषण प्रतिष्ठान ने खाद्य पोषण और कैंसर का निवारण, एक वैश्विक परिदृश्य के बारे में वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड तथा अमेरिकन इंस्टीट्यूट फार कैंसर रिसर्च की संयुक्त रिपोर्ट जारी कर दी है। यह रिपोर्ट खाद्य पदार्थों अधिमानतः शाकाहारी खाद्य पदार्थों के उपयोग के बारे में है। ये खाद्य पदार्थ फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होते हैं जिनके कैंसर की रोकथाम करने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) किसी विशेष प्रकार के आहार प्रदान करने के बजाय लोगों को उपयुक्त और पर्याप्त पोषण प्रदान करना सरकार की मुख्य चिन्ता है हमारे देश में मांसाहारी भोजन का उपभोग कम है।

अस्पताल के आहार सामान्य तौर पर शाकाहारी होते हैं। अस्पताल विभिन्न रोगों के दाखिल रोगियों की अपेक्षाओं के अनुसार विशिष्ट आहारों की योजना बनाते हैं और उनको प्रदान करते हैं। बहिरंग रोगियों को आहार संबंधी परामर्श और परहेज भी बताया जाता है। जो उनके रोग के उपचार के लिए यथाआवश्यक होता है।

[हिन्दी]

मेडीकल कॉलेज, जयपुर को राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज का दर्जा देना

3815. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेडिकल कालेज को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जयपुर मेडिकल कॉलेज इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गयी सभी शर्तों को पूरा करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार ने मेडिकल कालेज जयपुर को राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज का दर्जा प्रदान करने हेतु क्या निर्णय लिए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) देश में मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय दर्जा के लिए केन्द्र सरकार की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) से (घ) एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

दुरई समिति

3816. **श्री अनंत गुढे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुरई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें की हैं;

(ग) इन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सदन के भीतर इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दुराई समिति की रिपोर्ट सरकार का एक गोपनीय दस्तावेज होने के कारण इसे सार्वजनिक करना उपयुक्त नहीं होगा। अत: प्रश्न के इस भाग पर लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 41(2) (XXI) लागू होता है।

(ग) दुराई समिति की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक संयुक्त निदेशक को भारी दण्ड देने हेतु उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। तथापि अधिकारी, ने आरोपपत्र के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकार, कलकत्ता पीठ में एक मूल याचिका दायर की, जिसे माननीय न्यायाधिकरण ने रद्द कर दिया। न्यायाधिकरण द्वारा मूल याचिका (ओ.ए.) को रद्द किए जाने से खिन्न तथाकथित अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 29.4.1998 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को रद्द कर दिया। सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

शिशु मृत्यु दर

3817. **श्री रतन लाल कटारिया:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
डा. ए.डी.के. जयशीलन:
डा. वी. सरोजा:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री माधवराव सिन्धिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री अकबर अली खांदोकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में शिशु मृत्यु दर (5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर) अभी भी बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1991, 1981, 1971 और 1951 के संबंध में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की राज्य-वार अधिक मृत्यु दर जारी रहने के क्या कारण हैं;

(घ) 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर के संबंध में विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस आपदा का सामना करने के लिए बड़े व्यापारिक घरानों/संगठनों से कोई दान लेने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या विभिन्न राज्यों में शिशु मृत्युदर में काफी भिन्नता है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इनमें काफी भिन्नता होने का क्या कारण है;

(ट) क्या सरकार का विचार शिशु मृत्युदर के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति शिशु मृत्यु दर और बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर के आंकड़े प्रदान करती है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर शिशुओं (0-1) की मौतों की संख्या के रूप में निर्धारित की जाती है। बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर प्रति हजार जनसंख्या पर 0-4 वर्ष के आयु वर्ग में मौतों की संख्या के रूप में निर्धारित की जाती है पिछले 3 वर्षों के ब्यौरे और 1991, 1981, 1971 और 1951 के इन दरों के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:-

	शिशु मृत्यु दर	बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर
1994	74	23.9
1995	74	24.2
1996	72	23.9
1997	71	अनुपलब्ध
1998	72	अनुपलब्ध
1991	80	26.5
1981	110	41.2
1971	129	51.9
1951	148	अनुपलब्ध

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू 5 एम आर) जन्म और सही 5 वर्ष की आयु के बीच मरने वाले बच्चों की संभाव्यता के रूप में निर्धारित की जाती है। 1992-93 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु-दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 109.3 थी।

(ग) बच्चों में उच्च मृत्युदर के प्रमुख कारणों में न्यूमोनियम, अतिसार सहित अपक्वता, तीव्र श्वसनीय संक्रमण शामिल हैं। अपर्याप्त मातृ पोषण, जन्म के समय कम भार, अनाक्षरता और निर्धनता के कारण होने वाला मातृ रक्ताल्पता के कुछेक महत्वपूर्ण सहायक घटकों में से हैं।

(घ) "विश्व के बच्चों की स्थिति" के बारे में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 191 देशों, जिनकों 1998 में उनकी अनुमानित यू 5 एम आर के लिए अवरोही क्रम में रखा गया है, में से भारत 49वें स्थान पर था।

(ङ) भारत के महापंजीयक राज्यों में शिशु मृत्यु दर और बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए हर वर्ष नमूना पंजीयन पद्धति के अंतर्गत नमूना सर्वेक्षण करता है।

(च) हाल ही के 3 वर्षों, के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर और बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर राज्य-वार ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं।

(छ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) और (ञ) राज्यों में शिशु मृत्यु दर में काफी अन्तर-राज्यकीय अन्तर हैं। 1998 के दौरान, केरल की शिशु मृत्यु-दर सबसे कम 16 थी जबकि उड़ीसा की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक 98 थी। 1998 के दौरान असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 72 की राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। राज्य-वार शिशु मृत्यु दरें संलग्न विवरण में दी गयी है। इसके मुख्य कारण सामाजिक आर्थिक स्थितियों, महिला साक्षरता, जल्दी विवाह, कम रोग प्रतिरक्षण कवरेज और लोगों में जागरूकता में राज्य-वार अन्तर हैं।

(ट) और (ठ) सभी राज्यों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ बाल जीवन में वृद्धि करना और बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलापों में वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के विरुद्ध रोग प्रतिरक्षण, अतिसार और तीव्र श्वसनीय संक्रमणों के कारण मौतों को रोकने, विटामिन ए की कमी से होने वाले दृष्टिहीनता और पोषणिक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोग निरोधन करना शामिल है। यूनिसेफ की सहायता से देश के 16 राज्यों में पता लगाए गए जिलों में हर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए विशेष प्रयासों को नियोजित किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	शिशु मृत्यु दर			बाल मृत्यु दर (0-4)		
		1996	1997	1998	1994	1995	1996
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रमुख राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	65	63	66	17.0	19.1	17.8
2.	असम	74	78	78	24.7	24.7	24.0
3.	बिहार	71	71	67	24.9	28.3	27.9
4.	गुजरात	61	62	64	22.2	19.9	20.4
5.	हरियाणा	68	68	69	22.3	22.7	23.4
6.	कर्नाटक	53	53	58	18.6	18.2	16.6
7.	केरल	14	12	16	3.4	4.3	3.8
8.	मध्य प्रदेश	97	94	97	34.8	33.0	33.5
9.	महाराष्ट्र	48	47	49	14.4	14.9	13.1
10.	उड़ीसा	96	96	98	31.6	32.2	30.6
11.	पंजाब	51	51	54	15.7	14.9	15.2
12.	राजस्थान	85	85	83	27.4	29.3	31.4
13.	तमिलनाडु	53	53	53	13.4	14.5	12.6
14.	उत्तर प्रदेश	85	85	85	33.0	30.8	31.4
15.	प. बंगाल	55	55	53	19.8	18.6	18.1
	अन्य राज्य						
1.	अरूणाचल प्रदेश	54	47	44			
2.	गोवा	15	19	23			
3.	हिमाचल प्रदेश	62	63	64	16.0	17.2	17.6
4.	जम्मू व कश्मीर	अनु.	अनु.	45			
5.	मणिपुर	28	30	25			
6.	मेघालय	48	54	52			
7.	मिजोरम	25	19	23			
8.	नागालैंड	अनु.	अनु.	अनु.			
9.	सिक्किम अनु.	47	51	52			
10.	त्रिपुरा	49	51	49			

1	2	3	4	5	6	7	8
	संघ क्षेत्र						
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	27	33	30			
2.	चंडीगढ़	45	40	32			
3.	दादर एवं नगर हवेली	71	63	61			
4.	दमन एवं दीव	43	38	51			
5.	दिल्ली	44	35	36			
6.	लक्षद्वीप	36	36	30			
7.	पांडिचेरी	25	22	21			
	अखिल भारत	72	71	72	23.9	24.2	23.9

स्रोत- नमूना पंजीयन पद्धति
भारत के महापंजीयक
अनु.- अनुपलब्ध

मल व्ययन प्रणाली को बेहतर बनाया जाना

3818. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन में मल व्ययन प्रणाली को बेहतर बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इससे संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और साथ ही, इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी) दमन और दीव ने सूचित किया है कि दमन नगरपालिका के अंतर्गत कोई सीवरेज प्रणाली नहीं है और अतः दमन नगरपालिका के अंतर्गत सीवरेज व्यवस्था की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा 7.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर "दमन अंडर ग्राउंड सीवरेज प्रोजेक्ट" नामक एक परियोजना निर्धारण रिपोर्ट तैयार की गई थी और यह फरवरी, 1997 में प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट की इस मंत्रालय में तकनीकी रूप से समीक्षा की गई। विकास आयुक्त गोवा संघ क्षेत्र प्रशासन से अप्रैल, 1997 में संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और इस मंत्रालय को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया ताकि इस पर तकनीकी रूप से स्वीकृति दी जा सके। संघ क्षेत्र प्रशासन से अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतिथि गृहों के लिए लाइसेंस

3819. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के आवासी क्षेत्रों में अतिथि गृह चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, हां। शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 7.5.96 की अधिसूचना सं. एच-11017/7/91 – डीडी 1 बी के द्वारा

दिल्ली 2001 के मास्टर प्लान संशोधित की है जिसमें रिहायशी क्षेत्रों में गेस्ट हाउसों, होटलों, बैंकों आदि को अनुमत्य किया गया है। तथापि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से दिशानिर्देशों को संशोधित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम

3820. **श्री सुनील खां:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "सभी के लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत आरम्भ की गयी योजना क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्य-वार कितना धन आवंटित किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) "सबके लिए स्वास्थ्य" जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है। सबके लिए स्वास्थ्य देश की स्वास्थ्य नीति का समग्र लक्ष्य है और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, विशेषकर गरीबों और वंचितों हेतु स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए आम लक्ष्य बनी हुई हैं। प्रत्येक राज्य सरकार अपनी जनता के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वयन, स्वास्थ्य ढाँचे के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण और चिकित्सा मानवशक्ति के संवर्द्धन के जरिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल करने की अपेक्षा करती है।

(ग) 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि तथा चालू वर्ष के दौरान वृहत् राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संदर्भ में राज्यों/संघ क्षेत्रों को धनराशि के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष (1996-97, 1997-98 1998-99) के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता राज्य/संघ क्षेत्र वार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	634.63	617	482.93
अरूणाचल प्रदेश	126.9	297.5	186.61
असम	1660.83	2618	2170.42
बिहार	206.76	348.98	403.05
गोवा	3.46	5.18	7.72
गुजरात	471.75	726.77	611.11
हरियाणा	327.77	291.08	260.39
हिमाचल प्रदेश	118.33	90.84	51.47
जम्मू व कश्मीर	120.62	78.62	72.57
कर्नाटक	853.62	568.62	264.47

1	2	3	4
केरल	53.65	63.6	102.73
मध्य प्रदेश	769.35	1072.77	454.49
महाराष्ट्र	2405.71	1028.44	260.26
मणिपुर	303.28	273.91	377.34
मेघालय	222.93	196.98	231.55
मिजोरम	106.07	132	172.53
नागालैंड	122.45	212.62	183.34
उड़ीसा	248.15	233.43	385.14
पंजाब	282.79	183.26	290.67
राजस्थान	2025.35	1799.74	1994.15
सिक्किम	39.34	1.77	8.47
तमिलनाडु	150.39	204.88	240.72
त्रिपुरा	300.67	414.05	356.97
उत्तर प्रदेश	941.71	505.73	1121.92
पश्चिम बंगाल	772.7	125.71	330.9
संघ क्षेत्र			
अण्डमान निकोबार	94.04	93.83	155.68
चण्डीगढ़	46.33	48.53	44.3
दादर व नगर हवेली	12.73	24.75	24.9
दमन व दीव	8.8	12.37	10.08
दिल्ली	117.88	66.04	37.21
लक्षदीव	2.1	3.48	5.24
पांडिचेरी	16.12	12.48	6.15
योग	13567.21	12353.94	11305.5

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

अनुमोदित बजट अनुमान 1999-2000 का राज्य-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय म. रोधी का. (ग्रामीण)			रा.म. रो. का.(शहरी/ रा.फ.नि. कार्य)			कालाअजार		
		नकद	सामग्री	योग	नकद	सामग्री	योग	नकद	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	256.19	256.19	0.00	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	108.04	195.23	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1063.00	1191.33	2254.33	4.01	8.67	12.68	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	467.22	467.22	0.00	14.13	14.13	0.00	869.76	869.76
5.	गोवा	0.00	4.18	4.18	0.00	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	424.52	424.52	0.00	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	235.04	235.04	0.00	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	46.73	46.73	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	599.58	599.58	0.00	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	57.75	57.75	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	851.50	851.50	0.00	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	213.00	213.00	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	99.53	297.02	396.65	4.69	1.71	6.40	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	108.03	198.67	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	74.75	234.81	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	92.53	143.73	237.26	1.86	1.71	3.57	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	288.17	288.17	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	263.12	263.12	0.00	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	1120.02	1120.02	0.00	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	193.19	193.19	0.00	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	त्रिपुरा	141.20	228.08	359.28	3.91	2.70	6.61	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	545.50	545.50	0.00	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	253.48	253.48	0.00	42.88	42.88	0.00	130.24	130.24
26.	दिल्ली	5.00	31.78	36.78	0.00	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00
27.	पांडिचेरी	1.00	2.46	3.46	0.00	6.86	6.85	0.00	0.00	0.00
28.	अण्डमान व निकोबार	91.18	20.61	111.79	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	6.54	8.82	15.46	16.00	15.79	31.79	0.00	0.00	0.00
30.	दादर व नगर हवेली	15.21	10.73	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन व द्वीव	8.47	3.28	11.75	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षदीप	4.50	0.50	5.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00
	योग	1820.18	8446.00	10266.18	30.47	913.00	943.47	0.00	1000.00	1000.00

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम जारी किया गया नकद अनुदान

(लाख रुपये में)

राज्य	नकद अनुदान				कुल अनुदान
	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000*	1996-2000
1	2	3	4	5	6
विश्व बैंक परियोजना राज्य					
आन्ध्र प्रदेश	38.44	204.34	88.50	159.25	452.09
मध्य प्रदेश	405.07	138.40	568.67	223.50	930.57
महाराष्ट्र	117.80	99.27	87.00	352.75	539.02
उड़ीसा	67.18	312.20	331.08	129.25	772.53
राजस्थान	78.62	46.60	35.50	122.50	204.60
तमिलनाडु	106.54	444.47	551.00	462.18	1,457.65
उत्तर प्रदेश	725.97	138.28	207.25	318.32	663.85
उप-योग	1,539.62	1,383.56	1,869.00	1,767.75	5,020.31
अन्य राज्य					
अरूणाचल प्रदेश	3.82	4.04	4.50	6	14.54

1	2	3	4	5	6
असम	1.82	4.54	49.65	24.75	78.94
बिहार	0.00	7.44	19.50	18	44.94
दिल्ली	0.00	1.25	11.20	12.52	24.97
गोवा	0.00	5.25	63.00	11.5	79.75
गुजरात	7.24	4.01	39.99	268.52	312.52
हरियाणा	0.00	2.97	37.50	115.27	155.74
हिमाचल प्रदेश	3.71	2.97	34.03	55.25	92.25
जम्मू व कश्मीर	0.00	20.66	52.50	22.75	95.91
कर्नाटक	40.97	11.78	62.01	175.25	249.04
केरल	76.58	6.84	16.07	107.24	130.15
मणिपुर	8.10	1.77	16.76	7	25.53
मेघालय	0.00	4.56	11.60	9	25.16
मिजोरम	5.27	1.54	16.60	9.5	27.64
नागालैंड	11.30	3.85	56.95	11	71.80
पंजाब	0.00	4.15	5.10	121.61	130.86
सिक्किम	3.83	7.92	26.30	6.25	40.47
त्रिपुरा	11.46	7.77	37.74	17.39	62.90
पश्चिम बंगाल	9.71	3.25	6.20	77.1	86.55
अण्डमान व निकोबार समूह	5.74	4.00	3.80	10.67	18.47
चण्डीगढ	2.00	4.00	3.60	10.24	17.84
दादर व नगर हवेली	1.50	4.00	3.70	2.5	10.20
दमन व दीव	1.50	4.00	3.70	9.4	17.10
लक्षदीव	1.50	7.04	17.70	2.72	27.46
पांडिचेरी	1.30	4.00	2.30	20.82	27.12
उपयोग	197.35	133.60	602.00	1,132.25	1,867.85
कुल योग	1,736.97	1,517.16	2,471.00	2,900.00	6,888.16

* अनन्तिम

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

व्यय (राज्य/संघ क्षेत्रों को जारी किया गया)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.61	172.01	198.62
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.69	1.45	1.66
3.	असम	42.87	44.2	51.03
4.	बिहार	141.59	258.76	298.79
5.	गोवा	6.63	1.8	2.07
6.	गुजरात	11.74	86.23	99.58
7.	हरियाणा	0.12	44.86	51.8
8.	हिमाचल प्रदेश	5.11	7.84	9.06
9.	जम्मू व कश्मीर	0.19	21.15	24.42
10.	कर्नाटक	15.06	102.93	118.85
11.	केरल	118.02	38.48	44.43
12.	मध्य प्रदेश	152.17	174.33	201.3
13.	महाराष्ट्र	23.24	171.76	198.34
14.	मणिपुर	4.01	0.28	0.32
15.	मेघालय	10.64	4.88	5.63
16.	मिजोरम	6.16	1.97	2.28
17.	नागालैंड	3.21	1.57	1.81
18.	उड़ीसा	0.08	73.69	85.09
19.	पंजाब	18.78	54.41	62.83
20.	राजस्थान	13.03	107.62	124.27
21.	सिक्किम	2.85	1.08	1.24
22.	तमिलनाडु	13.61	138.22	159.61
23.	त्रिपुरा	3.01	7.57	8.75
24.	उत्तर प्रदेश	59.48	349.35	403.39

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	86.17	133.56	154.22
26.	दिल्ली	15.28	56.69	2.77
27.	पांडिचेरी	2.15	3.31	1.82
28.	अण्डमान व निकोबार	1.43	14.27	0.82
29.	चण्डीगढ़	1.06	39.67	2.27
30.	दादर व नगर हवेली		7.7	0.44
31.	दमन व दीव		5.51	0.32
32.	लक्षदीव		2.85	0.16
	एक्सरे रोलों हेतु			82
	एच एस सी सी को भुगतान			35.55
बी	मुख्यालय से क्षयरोग कक्ष	47.66	47.5	118
सी-	क्षय रोग सोसाइटियों को सहायतानुदान	539.82	1023.36	2602
डी-	सामाग्रीगत अनुदान			2066
	योग	1363.47	3200.86	7221.54

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	नकद सहायता ई ए सी की धनराशि	सामान्य संघटक	कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	190.14	292.62	482.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	2.54	2.54
3.	बिहार	660.82	393.91	1,054.73
4.	गुजरात	1,148.95	54.93	1,203.88
5.	हरियाणा	0.00	79.13	79.13
6.	हिमाचल प्रदेश	126.24	7.40	133.64
7.	जम्मू व कश्मीर	0.00	37.30	37.30
8.	कर्नाटक	562.32	139.03	701.35
9.	केरल	869.04	16.65	885.69

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	115.33	302.84	418.17
11.	मेघालय	0.00	8.60	8.60
12.	मिजोरम	0.00	3.48	3.48
13.	उड़ीसा	202.61	122.77	325.38
14.	सिक्किम	0.00	1.90	1.90
15.	त्रिपुरा	0.00	13.36	13.36
16.	उत्तर प्रदेश	300.49	597.08	897.57
17.	पश्चिम बंगाल	2,012.39	70.79	2,083.18
18.	अण्डमान व निकोबार	0.00	1.25	1.25
19.	चण्डीगढ़	0.00	3.47	3.47
	दादर व नगर हवेली	0.00	0.67	0.67
21.	लक्षदीव	0.00	0.25	0.25
22.	असम	36.16	77.97	114.13
23.	दमन व दीव	0.00	0.48	0.48
24.	गोवा	0.00	3.17	3.17
25.	महाराष्ट्र	549.85	302.98	852.53
26.	मणिपुर	31.17	0.49	31.66
27.	नागालैंड	0.00	2.77	2.77
28.	पांडिचेरी	0.00	2.78	2.78
29.	पंजाब	0.00	95.98	95.98
30.	राजस्थान	215.70	181.70	397.40
31.	तमिलनाडु	478.78	181.70	660.48
	कुल	7,500.00	3,000.00	10,500.00

1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्र की जिला कुष्ठ सोसाइटियों को दी गई और जारी की गई नकद सहायता

क्र.सं.	राज्य	नकद	सामग्री	जिला	योग
1	2	3	4	5	6
1996-97					
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.00	236.29	129.94	566.23
2.	अरूणाचल प्रदेश	16.00	1.74	144.46	162.20

	2	3	4	5	6
3.	असम	20.00	16.56	117.04	153.60
4.	बिहार	112.00	262.90	58.62	433.52
5.	गोवा	0.45	3.94		4.39
6.	गुजरात	16.00	45.11	19.24	80.35
7.	हरियाणा	6.80	1.85	14.56	23.21
8.	हिमाचल प्रदेश	6.80	—	33.49	40.29
9.	जम्मू व कश्मीर	4.45	2.21	10.50	17.16
10.	कर्नाटक	100.00	20.70	64.32	185.02
	केरल	76.00	35.55	96.20	207.75
	मध्य प्रदेश	135.00	157.54	233.94	526.48
	महाराष्ट्र	14.00	255.31	191.26	460.57
	मणिपुर	3.50	2.47	99.82	105.79
	मेघालय	8.00	2.65	17.50	28.15
	मिजोरम	16.00	0.24	30.62	46.86
	नागालैंड	7.00	3.49	39.24	49.73
	उड़ीसा	150.00	26.40	236.36	412.76
	पंजाब	21.00	3.49	17.68	42.17
	राजस्थान	29.00	50.98	35.00	114.98
	सिक्किम	20.00	0.24	14.00	34.24
	तमिलनाडु	114.00	404.98	130.74	649.72
	त्रिपुरा	19.00	3.99	13.62	36.61
	उत्तर प्रदेश	187.00	293.43	478.68	959.11
	पश्चिम बंगाल	95.00	196.15	243.70	534.85
	अण्डमान व निकोबार	6.50	0.33	10.00	16.83
	चण्डीगढ़	0.50	0.63	—	1.13
	दादर व नगर हवेली	0.50	0.96	—	1.46
	दमन व दीव	4.50	1.79	3.50	9.79
	दिल्ली	0.50	5.00	—	5.50
	लक्षद्वीव	2.00	0.14	—	2.14
	पांडिचेरी	2.50	1.00	16.16	19.66
	योग	1394.00	2038.06	2500.19	5932.25

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98				1998-99				1999-2000			
		नकद	सामग्री	वितरण	कुल	नकद	सामग्री	वितरण	कुल	नकद	सामग्री	वितरण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	207.83	101.00	331.24	640.07	189.10	48.50	102.00	339.60	172.00	68.10	202.11	442.21
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.00	0.42	27.00	47.42	20.25	0.42	142.84	163.51	20.50	0.00	39.36	59.86
3.	असम	21.00	42.00	271.65	334.65	16.50	42.00	224.00	282.50	5.00	41.27	189.30	235.57
4.	बिहार	119.93	371.45	335.28	826.66	200.70	511.45	293.00	1005.15	222.05	509.67	622.39	1354.11
5.	गोवा	1.45	0.48	7.35	9.28	2.00	0.48	8.00	10.48	0.49	1.01	0.00	1.50
6.	गुजरात	19.00	242.16	177.27	438.43	19.15	127.16	101.00	247.31	19.00	111.23	100.14	230.37
7.	हरियाणा	8.00	0.80	14.57	23.37	5.00	0.08	15.00	20.08	1.00	4.89	37.35	43.24
8.	हिमाचल प्रदेश	8.00	6.76	10.00	24.76	10.50	6.76	91.27	108.53	9.97	0.16	44.37	54.50
9.	जम्मू व कश्मीर	84.83	12.89	5.00	102.72	46.00	12.89	95.00	153.89	20.00	8.82	34.79	63.61
10.	कर्नाटक	96.00	33.15	283.01	412.16	115.50	71.48	169.00	355.98	64.50	15.04	161.94	241.48
11.	केरल	77.50	10.00	121.74	209.24	94.40	10.00	137.00	241.40	10.00	16.89	120.41	147.30
12.	मध्य प्रदेश	138.00	316.33	511.77	968.10	138.30	150.00	458.83	747.13	148.00	150.81	495.54	794.35
13.	महाराष्ट्र	39.99	74.43	351.16	465.58	34.50	126.56	364.00	525.06	45.00	88.60	267.44	401.04
14.	मणिपुर	5.22	3.05	30.00	38.27	12.00	3.05	117.86	132.91	2.00	0.00	93.71	95.71
15.	मेघालय	9.00	2.59	10.00	21.59	3.50	2.59	66.22	72.31	1.74	4.16	39.10	45.00
16.	मिज़ोरम	19.00	0.34	42.00	61.34	30.00	0.34	45.43	75.77	30.00	1.62	19.60	51.22
17.	नागालैंड	8.00	1.20	120.49	129.69	7.50	1.20	41.00	49.70	8.00	0.00	98.09	106.09
18.	उड़ीसा	168.00	250.94	276.65	695.59	153.10	230.94	169.00	553.04	170.00	129.86	277.67	577.53
19.	पंजाब	30.00	3.96	7.00	40.96	30.00	3.96	101.00	134.96	34.94	6.87	63.52	105.33
20.	राजस्थान	30.00	22.00	5.00	57.00	60.00	22.00	425.51	507.51	61.00	0.00	87.37	148.37
21.	सिक्किम	21.00	1.00	27.40	49.40	22.00	1.00	42.00	65.00	22.00	0.00	49.36	71.36
22.	तमिलनाडु	117.00	136.56	0.00	253.56	125.00	64.43	160.00	349.43	92.50	122.11	138.68	353.29
23.	त्रिपुरा	20.00	1.50	—	21.50	24.00	1.50	50.35	75.85	23.80	0.00	24.18	47.98

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	उत्तर प्रदेश	143.25	250.86	636.70	1030.81	182.00	303.36	426.00	911.36	164.40	290.46	1147.14	1602.00
	पश्चिम बंगाल	98.00	242.85	299.81	640.66	113.80	207.85	139.00	460.65	109.11	215.31	335.22	659.64
	अण्डमान व निकोबार	6.50	—	0.00	6.50	6.50	—	—	6.50	2.00	4.63	0.00	6.63
	चण्डीगढ़	0.50	—	—	0.50	1.00	—	5.00	6.00	2.00	5.58	7.21	14.79
	दादर व नगर हवेली	0.50	—	5.96	6.46	1.00	—	—	1.00	1.00	0.17	0.00	1.17
	दमन व दीव	4.50	—	0.00	4.50	9.50	—	0.00	9.50	0.50	0.00	0.00	0.50
	दिल्ली	0.50	—	—	0.50	1.50	—	51.15	52.65	1.00	2.38	10.00	13.38
	लक्षद्वीप	2.00	—	—	2.00	2.00	—	9.53	11.53	1.00	0.36	0.00	1.36
	पांडिचेरी	3.50	—	12.95	16.45	1.85	—	0.00	1.85	9.50	0.00	0.00	9.50
	कुल	1528.00	2130.72	3921.00	7579.72	1678.15	1950.00	4049.99	7678.14	1474.00	1800.00	4705.99	7979.99

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम धनराशि की निकासी – राज्य और संघ क्षेत्रवार

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1996-97 निर्गत अनुदान	1997-98 निर्गत अनुदान	1998-99 निर्गत अनुदान
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	425.00	425.00	650.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	80.00	25.00	30.00
3.	असम	100.00	100.00	100.00
4.	बिहार	25.00	50.00	110.00
5.	गोवा	25.00	50.00	35.00
6.	गुजरात	300.00	250.00	230.00
7.	हरियाणा	130.00	75.00	160.00
8.	हिमाचल प्रदेश	115.00	225.00	115.00
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	25.00	25.00
10.	कर्नाटक	350.00	175.00	335.00

1	2	3	4	5
11.	केरल	225.00	100.00	65.00
12.	मध्य प्रदेश	425.00	150.00	315.00
13.	महाराष्ट्र	900.00	950.00	800.00
14.	मणिपुर	200.00	150.00	245.00
15.	मेघालय	35.00	25.00	30.00
16.	मिजोरम	150.00	100.00	100.00
17.	नागालैंड	190.00	155.00	227.00
18.	उड़ीसा	50.00	75.00	100.00
	पंजाब	225.00	75.00	150.00
20.	राजस्थान	375.00	225.00	100.00
21.	सिक्किम	50.00	50.00	50.00
22.	तमिलनाडु	1700.00	2000.00	800.00
23.	त्रिपुरा	50.00	50.00	20.00
24.	उत्तर प्रदेश	450.00	495.00	200.00
25.	पश्चिम बंगाल	600.00	100.00	350.00
26.	पांडिचेरी	400.00	0.00	40.00
27.	अण्डमान व निकोबार	7.00	31.09	20.00
28.	चण्डीगढ़	45.91	28.00	60.00
29.	दादर व नगर हवेली	46.93	16.00	0.00
30.	दमन व दीव	17.00	24.22	15.00
31.	दिल्ली	19.00	25.00	110.00
32.	लक्षद्वीव	16.71	15.42	0.00
33.	मुम्बई एम सी	—	—	350.00
34.	अहमदाबाद एम सी	—	—	5.00
	योग	7752.55	6239.73	5942.00

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित कार्य योजना 1999-2000
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1498.05
2.	अरूणाचल प्रदेश	381.23
3.	असम	448.66
4.	बिहार	—
5.	गोवा	196.68
6.	गुजरात	968.20
7.	हरियाणा	417.47
8.	हिमाचल प्रदेश	395.58
9.	जम्मू व कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	1067.70
11.	केरल	458.44
12.	मध्य प्रदेश	714.62
13.	महाराष्ट्र	1695.57
14.	मणिपुर	470.50
15.	मेघालय	235.58
16.	मिजोरम	196.70
17.	नागालैंड	380.78
18.	उड़ीसा	470.73
19.	पंजाब	400.72
20.	राजस्थान	646.63
21.	सिक्किम	123.84
22.	तमिलनाडु	1571.99
23.	त्रिपुरा	115.50
24.	उत्तर प्रदेश	1010.91
25.	पश्चिम बंगाल	724.97
26.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	638.84
27.	पांडिचेरी	126.87
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	102.82
29.	चण्डीगढ़	185.15
30.	दादर व नगर हवेली	—
31.	दमन व दीव	93.40
32.	लक्षद्वीप	32.32
33.	एमडीएमसीएस मुम्बई	541.38
34.	अहमदाबाद एम सी	160.05
35.	चिन्नई एम सी	—
	कुल	16471.88*

*1999-2000 के दौरान धन की उपलब्धता के अनुसार सीमित किया जायेगा।

सहायता अनुदान (नकद एवं सामग्री) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बकाये सहित

(लाख रुपये में)

	1996-97			1997-98			1998-99		
	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	14781.23	2398.43	17179.56	8838.71	2387.25	11225.96	11652.79	2994.01	14646.80
अरूणाचल प्रदेश	146.82	33.86	180.68	147.73	89.65	237.38	144.06	76.21	220.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. असम	2233.69	824.06	3057.75	3284.70	1165.61	4450.31	3260.31	1190.77	4451.22
4. बिहार	5506.62	2851.93	8358.55	9894.51	2727.31	12821.82	8792.62	4093.61	12886.23
5. गोवा	141.81	53.24	195.05	168.13	38.70	206.83	184.83	59.33	244.19
6. गुजरात	3408.15	1057.01	5305.16	9446.00	1877.12	11323.12	10503.85	2132.19	12636.04
7. हरियाणा	1439.48	850.68	2299.14	3521.84	722.46	4244.30	2746.01	918.55	3664.58
8. हिमाचल प्रदेश	1613.92	204.88	1908.80	1123.72	307.30	1431.02	1973.97	402.01	2375.98
9. जम्मू व कश्मीर	863.14	268.35	1131.49	1873.62	264.16	2137.78	1600.73	400.50	2061.23
10. कर्नाटक	7599.98	1784.70	9384.68	5185.49	1275.84	8481.33	7691.02	2133.24	9814.26
11. केरल	2456.74	735.58	3192.32	2981.48	873.70	3955.16	4190.43	1323.95	5514.38
12. मध्य प्रदेश	5089.22	4066.67	9755.80	8765.52	3227.78	9993.30	8566.08	4636.08	13202.16
13. महाराष्ट्र	8383.02	3351.69	11734.71	8289.64	2388.04	10677.68	11164.04	3922.03	15086.07
14. मणिपुर	418.72	56.61	475.33	452.05	132.00	585.85	622.26	109.88	732.14
15. मेघालय	300.07	87.40	387.47	300.91	96.13	397.04	328.75	142.00	470.75
16. मिजोरम	197.57	45.85	243.42	221.30	74.08	200.04	239.11	60.10	308.21
17. नागालैंड	211.63	47.62	259.25	209.05	59.19	268.24	247.96	91.27	339.23
18. उड़ीसा	2960.32	1149.21	4109.53	4821.63	1337.46	6159.09	4710.89	1794.84	6505.73
19. पंजाब	1958.20	776.12	2734.32	2451.93	1117.79	3500.72	2558.65	1135.56	3094.20
20. राजस्थान	7094.85	3084.52	10179.17	7209.73	2176.96	9476.69	8402.29	2725.34	11217.63
21. सिक्किम	237.71	22.25	259.96	218.87	46.00	264.87	307.72	41.91	349.63
22. तमिलनाडु	6636.80	2077.61	8714.41	10835.89	1924.08	12759.97	9197.30	2609.13	11808.43
23. त्रिपुरा	998.50	100.96	1099.46	411.50	161.28	572.78	1781.61	195.18	1976.79
24. उत्तर प्रदेश	11436.91	7721.73	19158.64	19276.48	5797.10	25073.58	42482.52	8001.54	51384.06
25. पश्चिम बंगाल	7046.22	1909.65	6955.90	5201.99	2505.16	7707.15	11122.85	3206.74	14329.59
कुल राज्य	93761.13	36559.62	130320.75	113223.36	32873.65	146097.01	154552.79	45384.99	199047.78
विधान मंडल वाले संघ क्षेत्र									
1. पांडिचेरी	93.61	33.66	127.27	138.53	35.49	174.02	137.85	54.55	192.40
2. दिल्ली	1475.25	388.14	1863.39	719.82	435.59	1155.41	1012.59	473.35	1485.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिना विधान मंडल वाले संघ क्षेत्रों के लिए परिव्यय									
1. अण्डमान व निकोबार	90.20	16.12	106.32	100.34	22.06	122.40	104.60	19.00	123.60
2. दादर व नगर हवेली	29.47	6.02	35.49	34.41	5.55	39.96	59.31	9.98	69.29
3. चण्डीगढ	93.50	26.12	119.52	96.25	17.08	113.33	131.33	57.72	189.05
4. लक्ष द्वीप	11.75	2.77	14.52	13.25	5.91	19.16	30.05	5.01	35.06
5. दमन व दीव	32.55	6.25	38.80	32.25	12.15	44.40	43.50	8.55	52.05
कुल (संघ क्षेत्र)	1626.33	479.08	2305.41	1134.85	538.83	1668.68	1519.23	628.16	2147.39

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम वर्ष, 1999-2000 में राज्य-वार आवंटन

(लाख रुपये में)

1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	7804.63
2. अरूणाचल प्रदेश	196.16
3. असम	4616.85
4. बिहार	11998.32
5. गोवा	231.13
6. गुजरात	6410.38
7. हरियाणा	2388.33
8. हिमाचल प्रदेश	1907.43
9. जम्मू व कश्मीर	1808.23
10. कर्नाटक	7044.40
11. केरल	4949.72
12. मध्य प्रदेश	10477.16
13. महाराष्ट्र	10531.82
14. मणिपुर	793.29
15. मेघालय	531.73
16. मिजोरम	320.16
17. नागालैंड	337.37
18. उड़ीसा	5790.58
19. पंजाब	2657.25
20. राजस्थान	7802.67
21. सिक्किम	285.20
22. तमिलनाडु	8447.25
23. त्रिपुरा	663.85
24. उत्तर प्रदेश	18251.21
25. पश्चिम बंगाल	8011.18
26. दिल्ली	782.12
27. पांडिचेरी	129.74
28. अण्डमान व निकोवार द्वीप समूह	158.60
29. चण्डीगढ़	180.30
30. दादर व नगर हवेली	67.55
31. लक्षदीप	31.10
32. दमन व दीव	71.00

सुपर कम्प्यूटर सौदा

3821. श्री शिवाजी माने:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौसम की भविष्यवाणी करने वाली अपनी एजेंसी के लिए सुपर कम्प्यूटर की आपूर्ति करने में होने वाले विलम्ब को लेकर कड़ा रवैया अपनाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने सुपर कम्प्यूटरों के लिए अमरीका के साथ हुए सौदे के अंतर्गत की गई 2 मिलियन डालर की संविदात्मक बाध्यताओं के उल्लंघन की पुनरीक्षा करने का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल में अमरीकी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान इस संबंध में उनके साथ कोई चर्चा की थी; और

(घ) यदि हां, तो उससे क्या नतीजा निकला है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) संविदात्मक बाध्यताओं की ऐसी कोई भी अवहेलना नहीं हुई है जिसके कारण प्रक्रिया की औपचारिक समीक्षा करनी पड़े।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू के कारण मौतें

3822. श्री मोहम्मद अनवारुल हक:
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे विश्व में तम्बाकू पीने और खाने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं जिससे असामयिक मौतें हो रही हैं।

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में इससे होने वाली मौतों की दर क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू पर प्रतिबंध होने के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में सिगरेट बनाने और तम्बाकू के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में सिगरेटों के आयात, पर विचार किया जा रहा है या पहले से ही आयात किया जा रहा है, और

(च) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी हां। तम्बाकू विश्व भर में जन स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या है और यह हर वर्ष लगभग 3-5 से 4 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार है। भारत में किए गए कुछ समुदाय आधारित सर्वेक्षणों ने तम्बाकू के इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों और इसका इस्तेमाल न करने वाले व्यक्तियों में मृत्यु दरों का हिसाब लगाया है तथा इन अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारत में हर वर्ष 8 लाख मौतें तम्बाकू के इस्तेमाल के कारण हो सकती हैं।

(ग) से (च) उत्पाद शुल्क छूट जिसे उत्तर-पूर्वी राज्यों तक बढ़ा दिया गया है, के पैकेज के भाग के रूप में तम्बाकू उत्पादों को भी उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है।

जहां, तक आयात नीति का संबंध है, सिगरेटों को लाइसेंस के सिवाय अथवा सार्वजनिक सूचना की अपेक्षाओं के अनुसार आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है। सिगरेटें उन मदों की सूची के अन्तर्गत है, जो 31.3.2000 को प्रोगात्मक प्रतिबन्धों के अन्तर्गत शामिल की जाती हैं।

साक्ष्य अधिनियम

3823. श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.एन.ए. अंगुलिछाप नैदानिक केन्द्र ने सरकार से डी.एन.ए. अंगुलिछाप को ग्राह्य साक्ष्य मानने के लिए साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) साक्ष्य अधिनियम को संशोधित करने के लिए सरकार के विचाराधीन अन्य परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टीआईएफएसी द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

3824. श्री पवन कुमार बंसल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टैक्नोलॉजी इन्फार्मेशन फोर कास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउन्सिल (टीआईएफएसी) ने कुछ नयी परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जयविज्ञान मिशन के अंतर्गत किन-किन राज्यों को सम्मिलित किया गया है और इनके द्वारा अब तक कौन-कौन से काम शुरू किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') (क) और (ख) जी, हां।

टाइफैक द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों पर केन्द्रित प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित होती हैं। ये परियोजनाएं शर्करा उद्योग में प्रौद्योगिकी का उन्नयन, सड़कों, निर्माण से लेकर कृषि तक के विभिन्न अनुप्रयोगों में उड़ान राख के उपयोग, परिवहन, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि में उन्नत यौगिकों के उपयोग के साथ साथ स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं जैसे कृषि जनित कचरे से ब्रिकेटिड कोयले का उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी आदि का प्रयोग लैक्टिन एसिड तथा उसके यौगिकों के उत्पादन से संबंधित हैं।

इनमें से कुछ परियोजनाओं का सम्बन्ध कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, दूध की गुणवत्ता तथा उत्पादन में सुधार लाने, सड़क परिवहन, विद्युत शक्ति आदि से है।

(ग) जयविज्ञान मिशन परियोजनाओं को 10 वैज्ञानिक एजेन्सियों द्वारा अभिज्ञात नोडल संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिनमें भिन्न भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों को शामिल किया जाता है। जयविज्ञान मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जाता है: (1) घरेलू भोजन तथा पौष्टिक सुरक्षा जो इन पर केन्द्रित है (क) आदिवासी, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, और (ख) दलहनों की उत्पादकता को बढ़ाना, (2) काफी में सुधार लाने के लिए जैव प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण, (3) रिमोट सैन्सिंग तथा जी आई एस का उपयोग करते हुए फसल प्रणाली का अध्ययन, (4) आपदा प्रबन्धन (5) वहनीय पादप जननिक संसाधन संरक्षण रणनीतियां: एक्स सीटू आन-फार्म संरक्षण को जोड़ना, संस्थागत प्रक्रियाओं को सम्पूरक बनाना, (6) औषधि के क्षेत्र में नाभिकीय प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, (7) नई पीढ़ी के टीकों का विकास व उत्पादन करना तथा संक्रामक रोगों के लिए नैदानिकी का विकास करना, (8) जड़ी बूटियों से बनने वाली बस्तुओं का विकास करने की दिशा में जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण अपनाना, (9) जीनोमिक अनुसंधान कार्यों के लिए मिरर साइटों की स्थापना करना, (10) हल्के परिवहन विमानों (एलटीए) का डिजाइन कर उनका विकास, निर्माण तथा उड़ान भरने से संबंधित परीक्षण कार्य करना, (11) नोएडा वनस्पति उद्यान की स्थापना करना, (12) भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना, (13) ब्रेल साक्षरता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, (14) कैंसर के उपचार के लिए स्वदेश में विकसित समेकित चिकित्सा एल आई एन ए सी का विकास करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, (15) महासागर ताप ऊर्जा का संरक्षण (16) थैलसिमिया की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम (17) आमवातिक ज्वर/आमवातिक हृदय रोगों से बचाव के लिए जयविज्ञान राष्ट्रीय मिशन, (18) दृष्टिहीनों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, (19) प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के विशेष सन्दर्भ में हिमालयी भू विज्ञान के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, (20) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के लिए क्षेत्र विकास मिशन, और (21) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जय विज्ञान स्वास्थ्य परियोजना।

[हिन्दी]

मकानों का निर्माण

3825. श्री नवल किशोर राय: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि, हां तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान देश में राज्य-वार कितने मकानों का निर्माण किया गया?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शासन एजेण्डे के भाग के रूप में सरकार का उद्देश्य प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासीय एककें ग्रामीण मुहैया कराना है। इनमें से 7 लाख एककें शहरी क्षेत्र में तथा 13 लाख एककें ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तथा कम आय वर्ग के क्षेत्रों के लिए होगीं इससे आवासीय एककों की कमी को पूरा किया जाएगा। 120 लाख आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों और प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1998-99 शहरी (आंकडों लाख में)

	लक्ष्य	प्राप्ति/स्वीकृतियां
हडको	4.00	4.30
सहकारी समितियां	1.00	1.48
आवास वित्त संस्थाएं	1.50	1.36
अन्य	0.50	0.17
जोड़	7.00	7.31

1998-99 ग्रामीण (आंकड़े लाख में)

	लक्ष्य	प्राप्ति/स्वीकृतियां
1	2	3
हडको	6.00	6.35
इंदिरा आवास योजना(ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यथा सूचित)	9.87	8.36

1999-2000 शहरी (आंकड़े लाख में)

	लक्ष्य	स्वीकृतियां
हडको	4.00	4.60
आवास वित्त संस्थाएं	2.00	-
सहकारी समितियां	1.10	0.58
अन्य	0.25	
जोड़	7.35	

1999-2000 ग्रामीण (आंकड़े लाख में)

	लक्ष्य	प्राप्ति/स्वीकृतियां
हडको	6.00	4.28
इंदिरा आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यथा सूचित)	12.72	6.00

वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान हडको सरकारी आवास फेडरेशनों और इंदिरा आवास योजना द्वारा राज्य-वार और शहरी/ग्रामीण वार प्राप्तियां विवरण I-VI में दी गयी है।

विवरण-I

हडको द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग के लिए पूरी की गई/निर्माणाधीन रिहायशी एककों का राज्य-वार ब्यौरा-शहरी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99				1999-2000 (29.2.2000 की स्थिति)			
		ई डब्ल्यू.एस		एल.आई.जी.		ई डब्ल्यू.एस		एल.आई.जी.	
		पूरे किए गए एकक	निर्माणाधीन	पूरे किए गए एकक	निर्माणाधीन	पूरे किए गए एकक	निर्माणाधीन	पूरे किए गए एकक	निर्माणाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	4161	12674	—	—
2.	असम	—	—	—	—	—	926	—	265
3.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	बिहार	—	45	—	—	45	—	—	—
10.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—
.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	2710
.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	गुजरात	—	—	—	—	—	6332	—	—
7.	दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	कर्नाटक	1451	389	—	—	31792	6171	—	—
0.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—
1.	केरल	—	26485	—	—	2645	73080	4858	—
2.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	1535	—	5667
25.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	48	—	—
26.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	तमिलनाडु	—	—	—	—	9120	5896	3000	—
28.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	4300	4500	—	—
31.	पं. बंगाल	10000	—	—	—	10000	—	—	—
32.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़	11451	26919	—	—	62063	111162	7858	8642

विवरण II

20 लाख आवास कार्यक्रम

वर्ष 1998-99 के दौरान शीर्ष सहकारी, आवास फेडरेशनों द्वारा प्राप्तियों का राज्य-वार और शहरी/ग्रामीण-वार विस्तृत ब्यौरा

क्र.सं.	शीर्ष फेडरेशन	निर्मित/वित्त पोषित आवास एककों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	127	590	717
2.	असम	780	536	1316
3.	बिहार	—	1985	1985
4.	चंडीगढ	—	9	9
5.	दिल्ली	—	546	546
6.	गोवा	—	223	223
7.	गुजरात	—	—	—
8.	हरियाणा	—	160	160
9.	हिमाचल प्रदेश	10	123	133
10.	जम्मू व कश्मीर	—	22	22
11.	कर्नाटक	137	412	549
12.	केरल	—	7348	7348
13.	मध्य प्रदेश	—	2100	2100
14.	महाराष्ट्र	—	693	693
15.	मणिपुर	66	3	69
16.	मेघालय	—	—	—
17.	उड़ीसा	4	427	431
18.	पांडिचेरी	70	97	167
19.	पंजाब	3880	145	4025
20.	राजस्थान	—	411	411
21.	तमिलनाडु	95554	24757	120311
22.	उत्तर प्रदेश	—	6500	6500
23.	पश्चिम बंगाल	—	129	129
	जोड़	100628	47216	147844

विवरण III

20 लाख आवास कार्यक्रम

वर्ष 1999 के दौरान सहकारी क्षेत्र की वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	1.4.1999 से 30.11.1999 के दौरान निर्मित/वित्तपोषित आवास एककों की संख्या		
		शीर्ष फेडरेशन	अन्य सहकारी समितियां	जोड़
1.	अण्डमान व निकोबार	—	—	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	—	12	12
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—
5.	चंडीगढ़	—	—	—
6.	दिल्ली	—	894	894
7.	गोवा	165	2207	2372
8.	गुजरात	—	1000	1000
9.	हरियाणा	249	—	249
10.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
11.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—
12.	कर्नाटक	—	1263	1263
13.	केरल	5519	20	5539
14.	मध्य प्रदेश	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	74	2501	2575
16.	मणिपुर	148	28	176
17.	मेघालय	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	—
19.	पांडिचेरी	104	—	104
20.	पंजाब	—	782	782
21.	राजस्थान	92	12	104
22.	तमिलनाडु	42000	780	42780
23.	त्रिपुरा	—	13	13
24.	उत्तर प्रदेश	—	298	298
25.	पश्चिम बंगाल	—	23	23
	जोड़	48351	9833	58184

विवरण IV

वर्ष 1998-99 के दौरान हडको द्वारा 20 लाख आवास कार्यक्रम का राज्य-वार कार्य निष्पादन (ग्रामीण)

राज्य	1998-99		
	लक्ष्य		स्वीकृतियां/प्राप्तियां
	रिहयाशी एककें	ऋण राशि	रिहायशी एककें
आन्ध्र प्रदेश	44069		249378
असम	35436		0
अरूणाचल प्रदेश	1026		0
मिजोरम	4044		0
नागालैंड़	3984		0
मेघालय	5494		0
त्रिपुरा	4407		0
मणिपुर	5373		0
बिहार	33806		0
चंडीगढ़	906		0
पंजाब	13402		0
हरियाणा	9176		0
हिमाचल प्रदेश	2475		10941
जम्मू व कश्मीर	7968		0
दिल्ली	11772		0
गुजरात	40809		4011
दमन व दीव	121		0
दादर व नगर हवेली	60		0
कर्नाटक	35859		149808
गोवा	1449		0
केरल	18110		98075
लक्षद्वीप	60		0
मध्य प्रदेश	47570		0
महाराष्ट्र	65345		0
उड़ीसा	18594		11700
राजस्थान	37609		0
तमिलनाडु	50679		37725
पांडिचेरी	1026		0
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	241		0
उत्तर प्रदेश	61455		0
पश्चिम बंगाल	36282		75000
सिक्किम	423		0
जोड़	600000	0.00	634638

विवरण V

चालू वर्ष के दौरान (29.2.2000 की स्थिति) 20 लाख आवास कार्यक्रम का राज्य-वार कार्य निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कीमों की संख्या	ईडब्ल्यूएस (ग्रामीण)	
			यूनिट लक्ष्य	यूनिट स्वीकृति
1	2	3	4	5
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	241	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	44069	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	1026	0
4.	असम	0	35436	0
5.	बिहार	0	33806	0
6.	चंडीगढ	0	906	0
7.	दमन व दीव	0	121	0
8.	दिल्ली	0	11772	0
9.	दादर व नगर हवेली	0	60	0
10.	गोवा	0	1449	0
11.	गुजरात	3	40809	0
12.	हिमाचल प्रदेश	0	2475	0
13.	हरियाणा	3	9176	0
14.	जम्मू व कश्मीर	0	7968	0
15.	केरल	33	18110	23200
16.	कर्नाटक	7	35859	9811
17.	लक्षद्वीप	0	60	0
18.	मेघालय	0	5494	0
19.	महाराष्ट्र	1	66345	0
20.	मणिपुर	0	5373	0
21.	मध्य प्रदेश	0	47570	0
22.	मिजोरम	0	4044	0
23.	नागालैंड	0	3984	0
24.	उड़ीसा	4	18594	137688

1	2	3	4	5
25.	पांडिचेरी	0	1026	0
26.	पंजाब	0	13402	0
27.	राजस्थान	0	37609	0
28.	सिक्किम	0	423	0
29.	तमिलनाडु	25	50649	32704
30.	त्रिपुरा	6	4407	0
31.	उत्तर प्रदेश	0	61455	0
32.	पश्चिम बंगाल	2	36282	225000
	जोड़	85	600000	428403

विवरण VI

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान लक्ष्य और निर्मित आवासों की संख्या

(संख्या)

राज्य	1998-99		1999-2000	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	73645	61430	88288	51090
अरूणाचल प्रदेश	1046	470	5867	780
असम	28576	20937	121765	18927
बिहार	171378	125082	308784	111058
गोवा	130	482	544	308
गुजरात	19692	21820	25944	14627
हरियाणा	10690	10043	9368	5640
हिमाचल प्रदेश	4879	3674	3870	2770
जम्मू व कश्मीर	7699	5400	4644	4831
कर्नाटक	39505	37369	47184	29685
केरल	17726	9452	28416	14091

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	103652	102901	73464	48969
महाराष्ट्र	78092	54532	84680	32444
मणिपुर	1911	1125	5208	0
मेघालय	2409	734	7944	356
मिजोरम	472	519	1954	1434
नागालैंड	2050	2290	4907	5097
उड़ीसा	67684	50671	73232	42942
पंजाब	5630	3831	5960	2438
राजस्थान	35599	32955	25864	25158
सिक्किम	784	543	917	508
तमिलनाडु	46258	68207	46768	47807
त्रिपुरा	4519	3235	10769	0
उत्तर प्रदेश	188051	181274	187629	96235
पश्चिम बंगाल	74594	36246	96127	43017
अण्डमान व निकोबार	202	6	727	6
दादर व नगर हवेली	309	6	414	52
दमन व द्वीव	14	0	162	3
लक्षद्वीप	17	40	17	34
पांडिचेरी	257	290	402	147
जोड़	987466	835764	1271618	600454

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

3826. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री रघुनाथ झा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 30 नवम्बर, 1999 के तारांकित प्रश्न संख्या 247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में और केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा की गई है और कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान स्थान-वार नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) जहाँ तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की समग्र नीति का संबंध है इसमें और अधिक विश्वविद्यालयों के गठन के स्थान पर विद्यमान विश्वविद्यालयों में एकीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है और मिजोरम विश्वविद्यालय के मामले में हाल ही में किए समझौता वचनबद्धताओं का संरक्षण करता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त पद

3827. डा. बलिराम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद विषय-वार रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और उन्हें कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

सुरक्षा कारणों से सरकारी आवास

3828. श्री मानसिंह पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ लोगों को सुरक्षा कारणों से आवास प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और आज की तारीख के अनुसार उनके नाम क्या हैं;

(ग) सुरक्षा आधारों पर सरकारी आवास प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन मानदण्डों की पुनरीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) जिन व्यक्तियों को सुरक्षा कारणों से सामान्य पूल सरकारी वास आबंटित किया गया है, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सुरक्षा कारणों से सामान्य पूल सरकारी आवास के आवंटन से संबंधित दिशानिर्देश संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके इन दिशा निर्देशो की समीक्षा की गई है तथा अब सुरक्षा कारणों से आवंटन, यदि कोई हो, तो संशोधित मानदण्डों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

विवरण I

उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें सुरक्षात्मक कारणों से सामान्य पूल आवास का आवंटन किया गया है

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	आवास सं.
1.	एच.के.एल. भगत	सी-1/26 पंडारा पार्क
2.	के.पी.एस. गिल	11, तालकटोरा रोड
3.	एम.एस. बिट्टा	14, तालकटोरा
4.	श्रीमती अकबर जहां बेगम	सी-1/29 पंडारा पार्क
5.	महन्त सेवा दास	21, महादेव रोड
6.	सज्जन कुमार	15, जी.आर.जी. रोड,
7.	जगदीश टाइटलर	10, लोदी एस्टेट
8.	श्रीमती प्रियंका गांधी बडेरा	35, लोदी एस्टेट
9.	ओ.पी. शर्मा	डी-II/7 पंडारा रोड
10.	अश्वनी कुमार	34, लोदी एस्टेट
11.	मकबूल डार	ए-77 नानकपुरा
12.	मातंग सिंह	10, टी.एम. लेन

विवरण II

सुरक्षा आधार

सुरक्षा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन निम्न शर्तों के आधार पर किए जाएंगे:-

(1) सामान्य पूल के आवास केवल जेड+ (जेड प्लस) अथवा उससे ऊंची सुरक्षा श्रेणी धारक व्यक्तियों को आबंटित किए जाएंगे।

(2) ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पूल आवास के आबंटन के औचित्य हेतु इसका जनहित से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। गृह मंत्रालय प्रत्येक मामले में जांच करेगा कि जैड+ तथा उच्चतर सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति को सरकारी आवास का आबंटन जनहित में है तथा पूर्व में उसके द्वारा अपने सरकारी पदों पर की गई डयूटी के कारण उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। गृह मंत्रालय यह मत भी व्यक्त करेगा कि संबंधित व्यक्ति को दिल्ली में आवास उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है।

(3) संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा आधार पर सरकारी आवास के आबंटन का अनुरोध प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय यह पता लगाएगा कि क्या जैड+ सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति का स्वयं का अथवा उसके पति/पत्नी के नाम दिल्ली में कोई आवास है और क्या उसी आवास में सुरक्षा प्रबंध किए जा सकते हैं।

(4) सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति को दिल्ली में सरकारी आवास उपलब्ध कराने की आगे की कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर संपदा निदेशालय द्वारा की जाएगी। आबंटन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे खतरे की आशंका, जिसकी गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा करेगा, के आधार पर अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पर सी. सी.ए. के संतुष्ट होने पर एक बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) सुरक्षा पाने वाले इन व्यक्तियों को टाईप-6 उच्चतर टाइप का आवास नहीं दिया जाएगा, वरन प्रत्येक मामले में खतरे की आशंका के आधार पर यह निम्नतर भी हो सकता है।

(6) आवेदन अग्रिम रूप से बाजार दर/विशेष लाइसेंस फीस का भुगतान करने की अपनी इच्छा/क्षमता की पुष्टि करेगा तथा लगातार तीन माह अथवा अधिक बार भुगतान में चक्र होने पर उन्हें बेदखल किया जा सकेगा।

(7) सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को आबंटित सरकारी आवास के लिए बाजार दर पर लाइसेंस फीस प्रभारित की जाएगी। यदि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का दिल्ली में मकान है तो वह उस मकान को सरकारी आवास के अपने दखल की अवधि के दौरान सरकार को समर्पित करेगा। ऐसे मामलों में सरकारी आवास के दखल की अवधि के लिए बाजार दर स्थान पर विशेष लाइसेंस फीस प्रभारित की गई है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में फीस

3829. **डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू जी सी पैनल टू डिसाइड ऑन फी स्ट्रकच्चर फार सेल्फ फाइनेन्स कोर्सिज इन कॉलेजेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यू.जी.सी. ने अपने द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में फीस संबंधी ढांचे को निर्धारित करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित संस्थाओं के लिए फीस लाभ और वाणिज्यकरण का स्रोत न बनें, क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एच.आई.वी./एड्स रोगियों को बीमा सुविधा

3830. **श्री रामपाल सिंह:**
डा. अशोक पटेल:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एड्स रोगियों को बीमा सुविधा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) (क) से (ग) इस समय बीमा कम्पनियां एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्रदान नहीं करती । इस संबंध में 19 अप्रैल 2000 को बीमा कम्पनियों के साथ एक बैठक बुलाई गई है।

[अनुवाद]

तपेदिक का इलाज

3831. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तपेदिक का समुचित रूप से पता लगाने और व्यापक स्तर पर इसके उपचार की व्यवस्था करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बीमारी से निपटने के लिए इसी तर्ज पर पीलियो रोधी अभियान के रूप में कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(घ) यदि नहीं तो देश में इस रोग के अत्यधिक फैलने के प्रति उदासीन रवैया अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में तपेदिक से निपटने के लिए व्यापक अभियान चलाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम): (क) से (ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.) का उद्देश्य तपेदिक मामलों का प्रारम्भिक दौर में पता लगाना और उनका कारगर उपचार करना है। इस कार्यक्रम को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ा गया है और देश भर में 446 जिला तपेदिक केन्द्रों, 330 तपेदिक क्लिनिकों और कई बाह्य स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तपेदिक के लिए 47,600 बैड हैं। भारत सरकार तपेदिक रोधी औषधों की शत प्रतिशत आवश्यकता को भी पूरा करती है।

वर्ष 1992 में तपेदिक कार्यक्रम की समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने एक संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) तैयार किया। इसका उद्देश्य पॉजीटिव स्पूटम वाले मामले में से 85 प्रतिशत को रोग मुक्त करना और इन मामलों के कम से कम 70 प्रतिशत का पता लगाना है। यह कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता वाले स्पूटम माइक्रोस्कोपी और उपचार पर आधारित है जो प्रत्यक्ष देखरेख में किया जाता है। ताकि रोगी द्वारा पूरा उपचार कराया जाना सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निदान की गुणवत्ता अच्छी रही है और स्पूटम परिवर्तन की दर 87% पर उच्च है। इस समय इस कार्यक्रम में 180 मिलियन लोगों को कवर किया गया है और सन 2002 तक 400 मिलियन लोगों को कवर किया जाना प्रत्याशित है।

राजघाट क्षेत्र की उपेक्षा

3832. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजघाट क्षेत्र, जिसमें "गांधी समाधी" भी स्थित है, की पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए/उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि राजघाट का अनुरक्षण और उसका विकास इसकी महत्ता के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के स्तर पर नहीं किया गया है।

(ग) यह निर्णय लिया गया कि मुख्य समाधि और समाधि की ओर अति विशिष्ट व्यक्तियों की पहुंच मार्ग को छोड़कर बचा हुआ शेष भाग, जिसे राजघाट समाधि समिति द्वारा प्रबंधित/अनुरक्षित किया जाना जारी रखा जाएगा, शेष क्षेत्र प्रभावी पुनर्विकास और क्षेत्र में सुधार लाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा इसका अनुरक्षण किया जाएगा।

वकीलों द्वारा हड़ताल

3833. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी के वकील लाठी चार्ज के दोषियों को निलम्बित करने की मांग को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। 24 फरवरी, 2000 को संसद मार्ग पर वकीलों के प्रदर्शन पर जिन कारणों से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, उन कारणों की जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है।

आयोग की जांच हो जाने तक, उन कुछ पुलिस अधिकारियों को, जिन्हें प्रथम दृष्टया अनावश्यक रूप से बल प्रयोग करने में वैयक्तिक रूप से लिप्त पाया गया था, निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा, दो सहायक पुलिस आयुक्तों का स्थानांतरण जिले के बाहर कर दिया गया है।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) द्वारा श्वेत पत्र

3834. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री मोइनुल हसन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "टूवर्डस फ्रीडम" परियोजना से संबंधित विवादों को देखते हुए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) का विचार शीघ्र ही श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्वेत पत्र में परियोजना के उद्देश्यों से संबंधित सभी बिंदु शामिल होंगे;

(ग) यदि हां, तो क्या इन खण्डों की पाण्डुलिपियों के समीक्षार्थ एक समीक्षा समिति गठित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति द्वारा अपनी सिफारिशों को कब तक प्रस्तुत किए जाने का अनुमान है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ङ) जी, हां। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का "टूवर्डस फ्रीडम" परियोजना से सम्बन्धित स्थिति पत्र तैयार करने का प्रस्ताव है। एक समिति का गठन किया गया है और शीघ्र ही वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

3835. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री तरूण गोगोई:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में भी ऐसी सिफारिशें प्राप्त होती रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अतिक्रमण गतिविधियों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारणों की जांच करने के लिए कोई निर्णय किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस स्थिति में निपटने के लिए क्या कारगर उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (छ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षिणी दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के औषधालय

3836. श्री मोहन रावले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 5000 से भी अधिक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों वाली दक्षिण दिल्ली की उन सरकारी कालोनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें अब तक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है;

(ख) इस संबंध में सरकार के विचाराधीन कौन सा प्रस्ताव है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) दक्षिण दिल्ली में वसंत बिहार नामक एक सरकारी कॉलोनी है जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 5000 से अधिक लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सुलभ नहीं है। तथापि वसंत बिहार क्षेत्र की आवश्यकता को इस समय आर.के. पुरम III तथा आर.के पुरम IV स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा पूरा किया जाता है

वित्तीय कमी तथा एस.आई.यू. रिपोर्ट का कार्यान्वयन न हो पाने के कारण फिलहाल कोई नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोल पाना संभव नहीं है।

जल प्रदूषण

3837. **श्री पी.सी. थामस:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा और जल प्रदूषण के कारण बहुत सी बीमारियों की सूचना मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ङ) विभिन्न राज्यों द्वारा खासकर इसी उद्देश्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं सहित केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाएं

3838. **श्री सुबोध मोहिते:**
श्री चिंतामन वनगा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और गुजरात के विशेषकर विदर्भ क्षेत्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रहीं विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में कोई स्वयंसेवी एजेंसी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) गुजरात और महाराष्ट्र के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. उप केन्द्र योजना
2. ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र
4. सहायक नर्स धात्री प्रशिक्षण योजना
5. बहुउद्देश्य कार्यकर्ता (पुरुष) प्रशिक्षण
6. ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड योजना
7. प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

इन योजनाओं के अलावा, गुजरात में एकीकृत जनसंख्या विकास (आईपीडी) परियोजना को प्रजनन को स्वास्थ्य सेवाओं पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने, कर्मचारियों की प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि लाने, सामुदायिक भागीदारी तथा शिक्षा के जरिए सेवाओं की मांग पैदा करने और कार्यक्रम कार्यकलापों की विकेन्द्रित योजना प्रदान करने के उद्देश्य से पांच जिलों नामतः साबरकांठा बनासकंठ, दाहोद, सुरेंद्रनगर और कच्छ में यूएनएफपीए की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है परियोजना की कुल लागत 30.8 करोड़ रुपये है और सूचित व्यय 1.88 करोड़ रुपये है। विश्व बैंक समर्थित प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना का भी प्रजनन ए

बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने, जननमार्गीय संक्रमण/यौनसंचारित संक्रमण की रोकथाम करने तथा प्रभावी रेफरल सेवाओं की स्थापना करने के उद्देश्य से बडोदरा जिले मे कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 10.61 करोड़ रुपये है और 82 लाख रुपये का व्यय सूचित किया गया है।

यू.एन.एफ.पी.ए. सहायता प्राप्त एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के चार आदिवासी जिलों नामत: थाने, धुले, गडचिरोली और चन्द्रपुर तथा शहरी मलिन बस्तियों में कार्यान्वित की जा रही है इस परियोजना की कुल लाकत 33.67 करोड़ रुपये और सूचित व्यय 61 लाख रुपये है। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यू.एन. एफ.पी.ए. सहायता प्राप्त एक प्रजनन स्वास्थ्य परियोजना विदर्भ जिले में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की कुल लागत 178.43 लाख रुपये है जबकि राज्य द्वारा सूचित व्यय 1.26 करोड़ रुपये है जर्मन से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य परियोजना महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग, पुणे एवं रायगढ़ आदिवासी जिलों सहित चार जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जिसका विशिष्ट उद्देश्य परिवार स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में लोगों को शामिल करना सेवा सुविधा लाना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का उन्नयन करना स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण एवं सुधार करना, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के जरिये प्रबंधन सूचना प्रणाली में सुधार लाना तथा परिवार स्वास्थ्य सेवाओं की मांग सृजित करना है। इस परियोजना की कुल लागत 47.40 करोड़ रुपये है राज्य सरकार ने 1.88 करोड़ रुपये की व्यय की सूचना की है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना नासिक जिले में कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य आवश्यक प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना है। इस परियोजना की कुल लागत 13.78 करोड़ रुपये है जिसमें से 1.57 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अधिकांश स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। कुछ स्वैच्छिक एजेन्सियां भी कुछ स्कीमों के प्रबंधन में सहायता प्रदान कर रही हैं। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दो मदर गैर-सरकारी संगठन नामत: स्वास्थ्य शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पोषण केन्द्र अहमदाबाद एवं गुजरात स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, अहमदाबाद गुजरात में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में सेवाधाम, ट्रस्ट, पुणे, सोसवा, पुणे, प्रवर मेडिकल ट्रस्ट अहमदनगर और गोदावरी फाउण्डेशन जलगांव प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु मदर गैर-सरकारी संगठनों के रूप में कार्य कर रहे हैं यू.एन. एफ.पी.ए. सहायता प्राप्त एक प्रमुख प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इस समय गुजरात में बानसकांथा, अहमदाबाद, खेरा, कच्छ. सुरेन्द्रनगर बडोदरा (बडौदा), साबरकांथा, मेहसना और गांधीनगर जिलों में सेवा (एस ई डब्ल्यू ए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात तथा महराष्ट्र को किये गये आबंटन का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

योजना	गुजरात			महाराष्ट्र		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
उप-केन्द्रों का रखरखाव	1390	1818.50	2807	1992	2607	4024
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	9.21	12.19	16.10	15.70	20.77	27.50
सहायक नर्स धात्रियों/महिला स्वास्थ्य पर्यवीक्षिकाओं के लिए आधारभूत प्रशिक्षण	60	102	162	120	203	322
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों का रखरखाव और सुदृढ़ीकरण	26	29.24	41	52	58.48	83
बहु उद्देश्य कार्यकर्त्ता (पुरूष) के लिए आधारभूत प्रशिक्षण	—	—	—	70	75	105
ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना	9.01	9.01	9.01	111.19	112.19	112.19
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	2027.15	2478.84	2404.22	2731.84	3749.79	4372.92

[हिन्दी]

खेलों के लिए धनराशि का आवंटन

3839. श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश और बिहार में लागू की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खेल गतिविधियों के लिए राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं मध्य प्रदेश तथा बिहार सहित समूचे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

(2) विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान

(3) सिंथेटिक खेल परत बिछाने हेतु अनुदान

(4) स्कूलों में खेल कूद का संवर्धन

(5) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप

(6) ग्रामीण खेल कार्यक्रम

(7) खेल छात्रवृत्ति योजना

(ख) और (ग) राज्य-वार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों/अनुरोधों के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक प्रयोगशालाओं हेतु वित्त

3840. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक दवाओं के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य हेतु वित्तीय सहायता के लिए अब तक राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त/मंजूर किए गए हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) राज्य सरकारों को उनकी प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार करने का एक प्रस्ताव है। संबंधित मंत्रालयों आदि से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होना अभी बाकी है।

हिन्दी को बढ़ावा देना

3841. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत शुरू किए गये कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों में हिन्दी माध्यम के स्कूलों और कालेजों की स्थापना को प्रोत्साहन देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार आंध्र प्रदेश सहित सभी अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी की प्रोन्नती के लिए निम्नलिखित मुख्य योजनाएं कार्यान्वित करती है:-

(1) अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण।

(2) पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी अध्यापन।

(3) अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों के लिए पुरस्कार योजना।

(4) अहिन्दी भाषी राज्यों में नव हिन्दी लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना।

(5) हिन्दी में पुस्तकों के प्रकाशन और खरीद के लिए हिन्दी भाषी राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता योजना।

आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्कीमों/पुरस्कारों/कार्यशालाओं आदि के संबंध में वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000, तीन वर्षों के लिए आंकड़े संलग्न हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/निजी प्रबंध समितियों द्वारा सामान्यत: स्कूलों और कालेजों की स्थापना, उस विशेष क्षेत्र में स्कूलों और उच्च शिक्षा की आवश्यकता तथा उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण	-	-	-
2.	पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी का अध्ययन (पाठ्यक्रमों की संख्या)	1	4	2
3.	अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों के लिए पुरस्कार योजना (पुरस्कारों की संख्या)	2	2	अभी घोषणा की जानी है।
4.	अहिन्दी भाषी राज्यों में नव हिन्दी लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना (कार्यशालाओं की संख्या)	1	1	1
5.	हिन्दी में पुस्तकों के प्रकाशन और खराद के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता योजना (संगठनों की संख्या)	23	24	19

क्षयरोग

3842. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 2000 के इंडियन एक्सप्रेस में "रिवाइन्ड टीबी प्लान मे सेव 10,000 लाइव्स मंथली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार क्षयरोग जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) जी हां, यह समाचार भारत में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन मे भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त समीक्षा मिशन के निष्कर्षों का उल्लेख करता है।

यह रिपोर्ट समीक्षा मिशन टिप्पणियों पर ध्यान देती है। डोट्स (सीधी निगरानी में उपचार, अल्पाक्रम) जिसके अन्तर्गत रोगियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सीधी निगरानी में दवाइयां लेनी होती है, को देश में संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने 80 प्रतिशत से अधिक रोगमुक्ति दर प्राप्त कर ली है और अब तक 40,000 से अधिक जानों को बचाया है।

संशोधित कार्यक्रम की प्रभावकारिता को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2000 तक 400 मिलियन जनसंख्या को कवर करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार जारी रखने का निर्णय लिया है।

(घ) से (च) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1993-94 में संशोधित कार्यानीति के प्रायोगिक परीक्षण के पश्चात् कम से कम 85 प्रतिशत नये स्पूटम पाजिटिव रोगियों को रोग मुक्ति दिलाने और कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य से 1997 में शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्मीयर सूक्ष्म-दर्शको से रोग निदान की अच्छी गुणवत्ता, औषधों की निर्बाध आपूर्ति, व्यवस्थित मानीटरिंग और मूल्यांकन उपचार की कारगर निगरानी सुनिश्चित की जाती है। चूंकि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। इसलिए क्षयरोग का सामना करने के लिए किसी पृथक राष्ट्रीय मिशन को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षा

3843. श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार और अन्य राज्यों को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इन पर कितना धन व्यय हुआ और इन केन्द्रों द्वारा कितने लोगों को साक्षर बनाया गया; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बिहार सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अन्य राज्यों की शहरी मलिन बस्तियों, पर्वतीय, रेगिस्तानी तथा जनजातीय क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-1999 के दौरान, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार स्वीकृत की गई धनराशि तथा सम्मिलित किए गये बच्चों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रदान की गई निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्टों, परीक्षित लेखाओं, उपयोगिता प्रमाण पत्रों, समीक्षाओं और दौरों के माध्यम से की जाती है। निधियां जारी करने की कार्रवाई पहले से जारी की गई निधियों के उपयोग पर निर्भर करती है।

विवरण

अनौपचारिक शिक्षा

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान शिक्षार्थियों की संख्या तथा जारी की गई अनुदान की राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97		1997-98		1998-99	
		शामिल किए गए शिक्षार्थियों की संख्या	जारी की गई अनुदान की राशि (लाख रुपये में)	शामिल किए गए शिक्षार्थियों की संख्या	जारी की गई अनुदान की राशि (लाख रुपये में)	शामिल किए गए शिक्षार्थियों की संख्या	जारी की गई अनुदान की राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,31,125	546.25	10,79,250	3,128.96	10,91,125	1,604.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	2,500	—
3.	असम	3,56,575	1,012.15	3,59,075	528.53	3,01,750	824.59

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	13,38,250	2,790.74	13,41,000	3,793.24	13,67,625	1,543.97
5.	गुजरात	37,000	83.84	37,000	66.04	51,375	131.48
6.	जम्मू और कश्मीर	69,275	21.99	73,025	75.35	58,025	165.04
7.	मध्य प्रदेश	8,99,000	2,819.28	9,33,500	2,554.21	9,33,500	3,078.91
8.	मणिपुर	1,00,300	295.09	1,00,300	311.26	1,02,800	195.55
9.	मेघालय	—	—	12,500	17.35	12,500	7.70
10.	मिजोरम	5,300	8.70	5,000	8.70	6,500	8.29
11.	उड़ीसा	8,27,600	1,912.84	8,83,350	1,205.48	8,90,225	1,280.16
12.	राजस्थान	4,81,150	1,423.47	4,89,275	1,544.01	5,95,900	2,065.51
13.	तमिलनाडु	81,500	212.49	1,00,875	254.94	1,23,500	279.91
14.	त्रिपुरा	—	—	7,550	13.49	7,550	5.07
15.	उत्तर प्रदेश	16,29,525	4,303.46	16,56,400	4,252.50	16,79,525	4,223.26
16.	चण्डीगढ़	2,625	5.65	2,625	0.14	3,000	3.02
17.	दादर और नगर हवेली	2,500	4.55	2,500	5.06	2,500	5.31
18.	हरियाणा	16,000	48.01	15,375	54.69	22,875	87.04
19.	हिमाचल प्रदेश	8,750	12.00	8,750	22.16	8,750	17.10
20.	कर्नाटक	20,675	33.76	39,925	46.43	39,925	57.08
21.	महाराष्ट्र	54,125	153.84	78,400	163.38	78,400	160.60
22.	पश्चिम बंगाल	25,250	103.36	25,250	140.46	32,750	138.44
23.	दिल्ली	6,250	23.38	6,250	105.09	6,250	56.02
24.	पंजाब	—	—	—	—	2,250	—
25.	नागालैंड	—	—	—	—	5,000	10.36
26.	केरल	—	—	1,250	3.28	—	—
	कुल	69,92,475	15,814.85	72,58,425	18,294.75	74,26,100	15,949.37

[अनुवाद]

भारतीय विमान का अपहरण

3844. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री आर.एल. भाटिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जनवरी, 2000 के 'हिन्दू' में "हरकत बिहाइन्ड हाइजैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आईसी-814 के अपहरणकर्ताओं को जाली पासपोर्ट जारी करने के लिए मुम्बई में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (घ) भारत सरकार को आई सी-814 के अपहरण में हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एच.यू.एम.) की संलिप्तता के बारे में मालूम है। इस संबंध में आगे ब्यौरे, केन्द्रीय जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के पश्चात ज्ञात हो सकेंगे।

(ग) मुंबई पुलिस ने इस संबंध में 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

मलिन बस्तियों का विकास

3845. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने पर की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय के विभाजन के बाद रोजगार के अवसरों गरीबी उपशमन के उपायों और मलिन बस्तियों के विकास की स्थिति सुधरी है;

(ख) यदि हां, तो नए मंत्रालय शहरी रोजगार आवास और शहरी गरीबी उपशमन हेतु किस सीमा तक नीति निर्माण में सक्षम हुआ है;

(ग) क्या इस संदर्भ में जनवरी, 2000 में राज्यों के शहरी रोजगार मंत्रियों और सचिवों की बैठक बुलाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस बैठक में किस कार्यसूची पर विचार-विमर्श किया गया और कौन-कौन से निर्णय लिए गए;

(ङ) क्या सरकार ने देश में रोजगार के लक्ष्य की उपलब्धि और शहरी क्षेत्रों से गरीबी हटाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है और लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) शहरी गरीबों के हित के लिए यह मंत्रालय अखिल भारतीय आधार पर 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) नामक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को स्वरोगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहन देकर, अथवा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार प्रावधान के जरिए उन्हें लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वे शहरी गरीब हैं जो नौवीं कक्षा तक पढ़े लिखे हैं और समय समय पर यथा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए इसके दिशानिर्देशों की समीक्षा करने हेतु संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप गठित किया गया है जिसमें योजना आयोग के प्रतिनिधि और कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

स्लमों के सुधार के लिए इस मंत्रालय ने अप्रैल, 1999 में एक ड्राफ्ट राष्ट्रीय स्लम नीति तैयार की है और इसे दिसम्बर 1999 में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों और चार मैट्रोपोलिटन शहरों को ड्राफ्ट नीति पर उनके विचार/टिप्पणियों के लिए भेजा है। अनेक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों विभागों के विचार/टिप्पणियां अभी आनी बाकी है।

20 लाख मकान कार्यक्रम 1998-99 में शुरू की गई एक सतत् नीति है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 7 लाख अतिरिक्त मकान बनाए जाएगें जिसमें स्लम निवासियों सहित शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। स्कीम के दिशानिर्देशों और लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार स्कीम के तहत लक्ष्य निर्धारित करने का मामला राज्य सरकारों पर छोड दिया गया है। स्कीम के प्रचलन में प्रर्याप्त लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भेज दिया गया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सामुदायिक कार्य, परिवेशी समूह तैयार करने और समुदाय विकास समितियों के जरिए गरीबी के उन्मूलन के लिए एक ठोस योजना की रूपरेखा बताती है।

उर्वरकों का आयात/निर्यात

3846. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात और निर्यात किए गए उर्वरकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में उर्वरकों की मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए कोई नए प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर सांविधिक मूल्य और संचलन नियंत्रण है तथा जिसके आयात वार्षिक आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकारी खाते में किए जाते हैं। डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. नामक अन्य दो प्रमुख उर्वरकों जिनका आयात किया जाता है को अगस्त, 1992 में अनियंत्रित कर दिया गया था और इसका आयात निजी व्यापार खाते में किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान इन उर्वरकों के आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(आंकड़े लाख मी. टन में)

क्र. सं.	फर्टिलाइजर	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनंतिम)
1.	यूरिया	23.89	5.56	5.33
2.	डीएपी*	14.60	21.05	32.68
3.	एमओपी*	19.00	25.70	28.98

*जैसा सूचित किया गया है।

नेपाल को यूरिया का निर्यात देशानुदेश आधार पर तथा नेपाल सरकार के विशेष अनुरोध पर किया गया है। बंगलादेश तथा नेपाल को सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) के निर्यात की अनुमति देश में अधिक क्षमता उपलब्धता के कारण दी गयी है। आर.सी.एफ. द्वारा वर्ष 1998-99 में एन.पी.के. ग्रेड उर्वरकों की कुछ छोटी मात्राओं का निर्यात किया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के निर्यात इस प्रकार हैं:-

(आंकड़े लाख मी. टन में)

क्र.सं.	फर्टिलाइजर	1997-98	1998-99	1999-2000(अनंतिम)
1.	यूरिया	0.20	0.40	0.01
2.	एसएसपी*	0.37	0.88	अनुपलब्ध

(ख) और (ग) सरकार की नीति आयातों से पूरा करने के लिए केवल सीमान्त मात्राओं को छोडकर देश के स्वयं के फीड स्टाक के उपयोग के आधार पर नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों में अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही है। इसके अनुसरण में देश 1999-2000 में नाइट्रोजन के मामले में लगभग 92.1 प्रतिशत की सीमा तक आत्मनिर्भर हो गया है यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से इसके आयातों में कमी हुई है। निम्नलिखित यूरिया पुनरूद्वार/विस्तार परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं:-

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समिति का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रुपये करोड़)	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपोरेशन की नामरूप पुनरूद्वार परियोजना	नामरूप, आसाम	350	3.28
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. का विस्तार संयंत्र	नांगल, पंजाब	135.13	1.48

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों ने ढेर से बचने की दृष्टि से भविष्य में एक चरणबद्ध तरीके से देश में यूरिया की लगभग 31 मी. टन अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समिति का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रुपये करोड़)	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (तीसरी स्ट्रीम अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना)	हजीरा, गुजरात	1318	7.68
2.	कृभको (एफ.सी.आई. के विद्यमान स्थल पर नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र)	गोरखपुर उत्तर प्रदेश	1536	7.68
3.	इंडियन फार्मर्स फटिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) (ग्रासरूट परियोजना)	नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश	1736	7.68
4.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर.सी.एफ.) (अमोनिया यूरिया विस्तार परियोजना)	थाल महाराष्ट्र	1332	7.68

देश की फास्फेटिक उर्वरकों की लगभग 66 प्रतिशत आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जाता है शेष की पूर्ति आयातों से की जाती है। देश में डी.ए.पी./एन.पी.के. की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित स्वदेशी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

क्र.सं.	कम्पनी	उत्पाद	स्थान	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)
1.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फटिलाइजर्स लि.	डीएपी/एनपीके/एनपी	पारादीप, उडीसा	3.20
2.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.	डीएपी	काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश	2.80
3.	गुजरात स्टेट फटिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.	डीएपी	वड़ोदरा, गुजरात	3.69
4.	इण्डो गल्फ कार्पोरेशन लि.	डीएपी	दहेज, गुजरात	4.00
5.	कोरोमण्डल फटिलाइजर्स लि.	एनपीके	विजाग, आन्ध्र प्रदेश	1.25

देश में एम ओ पी के वाणिज्यक रूप से दोहन योग्य भण्डार न होने के कारण सम्पूर्ण आवश्यकता को आयातों द्वार पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध

3847. श्री बाबूभाई के. कटारा:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 मार्च, 2000 को पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में कुछ अपराधी मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में सक्रिय ऐसे अपराधियों, गुण्डो की संख्या कितनी है;

(घ) ऐसे गुण्डों और अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या ठोस कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, आज तक कितने गुण्डे और अपराधी पकड़े गये, घायल हुए या मारे गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। एक हताश सरगना, जिसकी उत्तर प्रदेश. राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की पुलिस को तलाश थी और उसके दो साथी 26 मार्च, 2000 को दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। उनके पास 21 इस्तेमाल किए हुए तथा 11 सक्रिय कारतूस सहित एक ए.के 56 राइफल, एक 0.455 बोर की रिवाल्वर और एक 0.45 पिस्तौल बरामद किए गए।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सन्देह है कि ऐसे ग्यारह गिरोह राष्ट्रीय राजधानी, क्षेत्र दिल्ली में काम कर रहे हैं।

(घ) ऐसे खतरनाक और कट्टर सरगनाओं को पकड़ने हेतु किए गए उपायों में शामिल हैं: सूचना/आसूचना के आदान प्रदान के लिए राज्य पुलिस और केन्द्रीय पुलिम संगठनों के बीच बातचीत; दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अंतर्गत एक विशेष अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ की स्थापना करना; और उन संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखना जिन्होंने ऐसे अपराधियों को पहले पनाह दी है।

(ङ) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	पकड़े गए	घायल हुए	मारे गये
1997	6	-	1
1998	38	3	3
1999	71	7	2
2000	37	1	3
कुल	152	11	9

[अनुवाद]

भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन

3848. श्री अमर राय प्रधान: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनवरी/फरवरी, 2000 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अन्य देशों की तुलना में भारत के विश्व खेलों में ऊपर न उठ पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय क्रिकेट टीम के स्तर को ऊपर उठाने और उसके प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाने का विचार है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन, इसके आस्ट्रेलियाई दौरे की अवधि के दौरान असंतोषजनक था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने क्रिकेट के खेल के संवर्धन हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारियों तथा खेल से संबंधित अन्य व्यक्तियों के साथ 27 अप्रैल, 2000 को एक बैठक सुनिश्चित की है।

रक्त बैंक

3849. श्री भर्तृहरि महताब: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे रक्त बैंकों की संख्या कितनी है जो सरकार के साथ पंजीकृत हैं और उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है तथा इनकी राज्य-वार संख्या कितनी है,

(ख) क्या सभी रक्त बैंकों का स्तर सुधारने के लिए इन्हें कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में रक्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने और उनके कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) 30.10.99 की औषध महानियंत्रक (भारत) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 1455 लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों काम कर रहे हैं। इन रक्त बैंकों के बारे में राज्य-वार सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने देश में सरकारी और धर्मार्थ क्षेत्र के 615 रक्तबैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

वित्तीय सहायता का पैर्टन इस प्रकार है:-

(1) रक्त घटक पृथक्करण एकक:

- उपस्कर 27.69 लाख रुपये (एक बार)
- उपभोज्य 12.00 लाख रुपये प्रति वर्ष
- दो तकनीकी सहायकों का वेतन 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष
- आकस्मिक व्यय 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष

(2) प्रमुख रक्त बैंक

- उपस्कर 3.19 लाख रुपये (एक बार)
- उपभोज्य 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष
- एक तकनीकी सहायक का वेतन 0.60 लाख रुपये प्रति वर्ष

(3) जिला स्तरीय रक्त बैंक

- उपस्कर 1.25 लाख रुपये (एक बार)
- उपभोज्य 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष
- दो तकनीकी सहायकों का वेतन 0.60 लाख रुपये प्रति वर्ष

(घ) सरकार ने देश भर में विनियामक तंत्र को सुदृढ़ कर दिया है और रक्त बैंकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। औषध नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन बैंकों के कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सीएलएए द्वारा अनुमोदन हेतु राज्यों से प्राप्त आवेदनों की संख्या					सीएलएए द्वारा अनुमोदित किए गए आवेदनों (लाइसेंसों) की संख्या				
		स.	स्वै.	प्रा. अ.	नि. वा.	योग	स.	स्वै.	प्रा. अ.	नि. वा.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	59	8	20	44	131	55	8	19	39	121
2.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	2	—	—	—	2	2	—	—	—	2
3.	असम	16	2	9	4	31	15	2	8	4	2S
4.	अरूणाचल प्रदेश	3	1	—	—	4	2	1	—	—	3
5.	बिहार	21	4	8	18	51	20	3	7	10	40
6.	चंडीगढ (संघ क्षेत्र)	3	—	-	—	3	3	—	—	—	3
7.	दिल्ली	15	1	12	8	36	15	1	12	8	36
8.	गोवा	4	—	1	2	7	4	—	1	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	गुजरात	33	29	26	74	162	23	28	17	56	124
10.	हरियाणा	17	2	3	4	26	17	2	3	4	26
11.	हिमाचल प्रदेश	12	—	—	—	12	12	—	—	—	12
12.	जम्मू व कश्मीर	11	—	1	—	12	9	—	1	—	10
13.	कर्नाटक	32	31	25	9	97	32	31	23	8	94
14.	केरल	31	1	68	8	108	29	1	67	8	105
15.	मध्य प्रदेश	40	6	11	43	100	35	6	10	17	68
16.	महाराष्ट्र	79	45	42	101	267	63	40	36	81	222
17.	मेघालय	2	—	1	—	3	2	—	1	—	3
18.	मणिपुर	3	—	—	—	3	3	—	—	—	3
19.	मिजोरम	5	—	2	—	7	5	—	2	—	7
20.	नागालैंड	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1
21.	उड़ीसा	7	42	3	—	52	7	38	3	—	48
22.	पांडिचेरी	5	—	2	—	7	5	—	2	—	7
23.	पंजाब	32	3	17	1	53	30	3	16	1	50
24.	राजस्थान	47	—	2	—	49	47	—	2	—	49
25.	सिक्किम	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1
26.	तमिलनाडु	84	7	22	51	174	76	7	30	51	164
27.	त्रिपुरा	5	—	—	—	5	5	—	—	—	5
28.	उत्तर प्रदेश	77	2	13	37	129	77	2	13	36	128
29.	पश्चिम बंगाल	71	3	9	15	98	68	2	9	8	87
	योग	738	187	307	419	1631	663	175	284	333	1455

क्र.सं.	राज्य का नाम	दोषपूर्ण पाए गए मुद्रिकरण हेतु राज्यों को भेजे गए आवेदनों की संख्या					जांच के बाद सी.एल.ए.ए. द्वारा अस्वीकृत किए आवेदनों की संख्या				
		स.	स्वै.	प्रा. अ.	नि. वा.	योग	स.	स्वै.	प्रा. अ.	नि. वा.	योग
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	2	2	4	—	1	3	8
2.	अ. एवं. नि. द्वी. समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
4.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
5.	बिहार	—	—	—	1	1	1	1	1	7	10
6.	चंडीगढ (संघ क्षेत्र)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	गुजरात	—	—	—	—	—	10	1	9	18	38
10.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	जम्मू व कश्मीर	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
13.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
14.	केरल	1	—	1	—	2	1	—	—	—	1
15.	मध्य प्रदेश	—	—	—	4	4	5	—	1	22	28
16.	महाराष्ट्र	—	—	—	2	2	16	5	4	15	43
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	उड़ीसा	—	1	—	—	1	—	3	—	—	3
22.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	पंजाब	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
24.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	तमिलनाडु	5	—	2	—	7	3	—	—	—	3

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
27.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
29.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	3	1	—	7	11
	योग	8	1	3	9	21	47	12	18	78	155
	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या			1631	738	187	307	419			
	जारी किए गए लाइसेंस की संख्या			1455	663	175	284	333			
	शुद्धिकरण हेतु लाइसेंस की संख्या			21	8	1	3	9			
	वापस किए गए लाइसेंस की संख्या			155	47	12	18	78			

• सं.—सरकारी, स्वै-स्वैच्छिक, प्रा. अ. प्राइवेट अस्पताल, नि.वा.—निजी वाणिज्यिक

परिवार नियोजन कार्यक्रम

3850. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1997-98 के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को भारी राशि के बकाया की प्रतिपूर्ति करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार को 1997-98 की अवधि के लिए देय 8204.82 लाख रुपये की बकाया राशि की 1998-2000 के दौरान पूर्णत: प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को अनुदान

3851. श्री रामशकल:
श्री साहिब सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से "अपर्याप्त वित्तीय अनुदान" के बारे में शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान राशि में वद्धि करने और उन्हें वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकताओं और निधियों की कुल उपलब्धता के आधार पर वित्तीय आबंटन प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर, शैक्षिक क्षेत्रक में निधियों की कमी है जिसका असर उच्चतर शिक्षा पर भी होता है तथापि उच्चतर शिक्षा सम्पूर्ण आवंटन आठवीं योजना में 800 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ाकर नौवीं योजना में 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिससे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहतर हो जाएगी।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विद्यालय

3852. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय विद्यालय के निर्माण हेतु उसकी आधारशिला रख दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संस्था पर कितना खर्च आएगा और यह पैसा किन-किन स्रोतों से जुटाया जाएगा; और

(घ) इस विद्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और यह कब तक कार्य करने लगेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (घ) केन्द्र सरकार की हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्कूल स्थापित करने की न तो कोई योजना है और न ही इस संबंध में इसे अनुमोदन/सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए सांविधिक मंजूरी प्रदान करती है, को भी हैदराबाद में इस प्रकार का व्यापार स्कूल शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रमुख चाय उत्पादकों को असम युवा परिषद की धमकी

3853. श्री संतोष मोहन देव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम युवा परिषद ने असम में सभी प्रमुख उत्पादकों को राज्य के भीतर अपने मुख्य कार्यालयों को अन्यत्र ले जाने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) चाय कम्पनियों को इस प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

3854. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान औषधि की होम्योपैथिक प्रणाली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रवेश के मानदंड, निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि और योजना क्या है; और

(ग) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान होम्योपैथी में स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की एक योजना है लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाए, यह आवश्यक नहीं।

(ख) होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1989 के अनुसार स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्षों की है और विशेष विषय होम्योपैथिक फिलासफी, मैटेरिया मेडिका तथा रिपर्टरी हैं।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

शिक्षा नीति की पुनरीक्षा

3855. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा नीति की पुनरीक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एड्स परीक्षण केन्द्र

3856. डा. सी. कृष्णन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थानवार कितने एड्स परीक्षण केन्द्र हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों में एलिसा और मेम्ब्रेन एलिसा दोनों परीक्षणों की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस काम में अत्यधिक जोखिम होने के कारण चिकित्सा और अर्द्धचिकित्सा दोनों ही कर्मचारियों को अपने खर्च पर बीमाकृत करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या पूरे देश में एड्स परीक्षण केन्द्रों पर कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई अन्य कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) देश में एच.आई.वी. परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए 135 रक्त परीक्षण केन्द्र हैं। परीक्षण केन्द्रों की राज्य-वार और स्थानवार सूची का एक ब्यौरा संलग्न है। इन केन्द्रों में एलीसा और मेंब्रेन एलीसा, दोनों परीक्षण सुविधाएं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एच.आई.वी./एड्स के उपचार में ऊंचे जोखिम के कारण चिकित्सकीय और अर्द्ध-चिकित्सकीय कर्मचारियों को बीमा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एचआईवी/एड्स के उपचार में लगे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावित हो जाने के बाद रोगनिरोधन (पोस्ट एक्सपोजन प्रोफैलेक्सिस) तथा व्यापक सुरक्षा सावधानी पूर्व जैसे महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं।

विवरण

वर्ष 1998-99 में स्वीकृत स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	सं.	स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	(1)	आंध्रा मेडिकल कालेज, विशाखापतनम
	आन्ध्र प्रदेश	(2)	कांगरवा मेडिकल कालेज, काकीनाड्ा
	आन्ध्र प्रदेश	(3)	गुंटुर मेडिकल कालेज, गुंटूर
	आन्ध्र प्रदेश	(4)	सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयावाड़ा
	आन्ध्र प्रदेश	(5)	उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद
	आन्ध्र प्रदेश	(6)	गांधी मेडिकल कालेज, सिकन्दराबाद
	आन्ध्र प्रदेश	(7)	काकीतिया मेडिकल कालेज, वारंगल
	आन्ध्र प्रदेश	(8)	कूरनूल मेडिकल कालेज, कुरनूल
	आन्ध्र प्रदेश	(9)	एस.वी. मेडिकल कालेज, तिरूपति
2.	असम	(1)	गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी
	असम	(2)	सिलचर मेडिकल कालेज, सिलचर
	असम	(3)	असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़
3.	बिहार	(1)	दरभंगा मेडिकल कालेज, लेहरिया सराय
	बिहार	(2)	एस.के. मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर
	बिहार	(3)	पटना मेडिकल कालेज, पटना
	बिहार	(4)	राजेन्द्रा मेडिकल कालेज, रांची
	बिहार	(5)	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, जमशेदपुर
	बिहार	(6)	पाटिलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनवाद

1	2	3	4
	बिहार	(7)	मेडिकल कालेज, भागलपुर
	बिहार	(8)	मग्ध मेडिकल कालेज, गया
	बिहार	(9)	नालंदा मेडिकल कालेज, पटना
4.	दिल्ली	(1)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
	दिल्ली	(2)	एम.ए.एम.सी., नई दिल्ली
	दिल्ली	(3)	यू.सी.एम.एस., नई दिल्ली
	दिल्ली	(4)	सुचेता कृपलानी मेडिकल कालेज, दिल्ली
5.	गोवा	(1)	गोवा मेडिकल कालेज, पणजी
6.	गुजरात	(1)	बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
	गुजरात	(2)	म्युनिसीपल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
	गुजरात	(3)	मेडिकल कालेज, बड़ौदा
	गुजरात	(4)	एम.पी. शाह मेडिकल कालेज, जामनगर
	गुजरात	(5)	सरकारी मेडिकल कालेज, सूरत
7.	हरियाणा	(1)	सरकारी मेडिकल कालेज, रोहतक
8.	हिमाचल प्रदेश	(1)	आई.जी.एम.सी. शिमला
9.	जम्मू व कश्मीर	(1)	सरकारी मेडिकल कालेज, श्रीनगर
	जम्मू व कश्मीर	(2)	सरकारी मेडिकल कालेज, जम्मू
	जम्मू व कश्मीर	(3)	शेरे-कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, श्रीनगर
10.	कर्नाटक	(1)	मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर
	कर्नाटक	(2)	बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर
	कर्नाटक	(3)	कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली
	कर्नाटक	(4)	मेडिकल कालेज, बेल्लेरी
	कर्नाटक	(5)	मेडिकल कालेज, मंगलौर
11.	केरल	(1)	मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम
	केरल	(2)	टी.डी. मेडिकल कालेज, अल्लेप्पी
	केरल	(3)	मेडिकल कालेज, कालीकट
	केरल	(4)	मेडिकल कालेज, त्रिचूर
	केरल	(5)	मेडिकल कालेज, कोट्टायम

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	(1)	सरकारी मेडिकल कालेज, जबलपुर
	मध्य प्रदेश	(2)	सरकारी मेडिकल कालेज, ग्वालियर
	मध्य प्रदेश	(3)	एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इंदौर
	मध्य प्रदेश	(4)	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल
	मध्य प्रदेश	(5)	एस.एस. मेडिकल कालेज, रेवा
	मध्य प्रदेश	(6)	पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, रायपुर
13.	महाराष्ट्र	(1)	ग्रान्ट मेडिकल कालेज, मुम्बई
	महाराष्ट्र	(2)	सेठ जी.एस. मेडिकल कालेज, मुम्बई
	महाराष्ट्र	(3)	टी.एन. मेडिकल कालेज, मुम्बई
	महाराष्ट्र	(4)	एल.टी.एम. मेडिकल कालेज, मुम्बई
	महाराष्ट्र	(5)	बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे
	महाराष्ट्र	(6)	ए.एफ.एम.सी., पुणे
	महाराष्ट्र	(7)	मिराज मेडिकल कालेज, शोलापुर
	महाराष्ट्र	(8)	डा. वी.एम. मेडिकल कालेज, शोलापुर
	महाराष्ट्र	(9)	सरकारी मेडिकल कालेज, औरंगाबाद
	महाराष्ट्र	(10)	एस.आर.टी.आर. मेडिकल कालेज, अम्बाजोगी
	महाराष्ट्र	(11)	मेडिकल कालेज, नागपुर
	महाराष्ट्र	(12)	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर
	महाराष्ट्र	(13)	सरकारी मेडिकल कालेज, नानदेड
14.	उड़ीसा	(1)	एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक
	उड़ीसा	(2)	वी.एस.एस. मेडिकल कालेज, बुरला
	उड़ीसा	(3)	एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज, बेरहामपुर
15.	पांडिचेरी	(1)	जे.आई.पी.एम.ई.आर.
16.	पंजाब	(1)	मेडिकल कालेज, अमृतसर
	पंजाब	(2)	मेडिकल कालेज, पटियाला
	पंजाब	(3)	मेडिकल कालेज, फरीदकोट
17.	राजस्थान	(1)	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर
	राजस्थान	(2)	एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर
	राजस्थान	(3)	आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर

1	2	3	4
	राजस्थान	(4)	डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर
	राजस्थान	(5)	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर
18.	तमिलनाडु	(1)	चेन्नई मेडिकल कालेज, चेन्नई
	तमिलनाडु	(2)	स्तेनली मेडिकल कालेज, चेन्नई
	तमिलनाडु	(3)	किलपाक मेडिकल कालेज, चेन्नई
	तमिलनाडु	(4)	श्री रामाचन्द्रा मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
	तमिलनाडु	(5)	थंजावूर मेडिकल कालेज, थंजावूर
	तमिलनाडु	(6)	मेडिकल कालेज, कोयम्बटूर
	तमिलनाडु	(7)	मदुरै मेडिकल कालेज, मुदरै
	तमिलनाडु	(8)	तिरूनवेली मेडिकल कालेज, तिरूनवेली
	तमिलनाडु	(9)	मेडिकल कालेज, चिंगलपेट
19.	उत्तर प्रदेश	(1)	एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा
	उत्तर प्रदेश	(2)	एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
	उत्तर प्रदेश	(3)	जे.एन. मेडिकल कालेज, अलीगढ़
	उत्तर प्रदेश	(4)	इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज, कानपुर
	उत्तर प्रदेश	(5)	सी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर
	उत्तर प्रदेश	(6)	एम.आई.बी. कालेज, लखनऊ
	उत्तर प्रदेश	(7)	के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ
	उत्तर प्रदेश	(8)	बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, सिलीगुड़ी
20.	पश्चिम बंगाल	(1)	सरकारी मेडिकल कालेज, कलकत्ता
	पश्चिम बंगाल	(2)	आर.जी. कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता
	पश्चिम बंगाल	(3)	एन.आर.एस. मेडिकल कालेज, कलकत्ता
	पश्चिम बंगाल	(4)	नेशनल मेडिकल कालेज, कलकत्ता
	पश्चिम बंगाल	(5)	बी.एस. मेडिकल कालेज, बंकुरा
	पश्चिम बंगाल	(6)	नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुडी
21.	चंडीगढ़	(1)	पी.जी.आई. आफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ
22.	मणिपुर	(1)	रिजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल

पहले से ही मौजूद स्वैच्छिक रक्त जाँच केन्द्र

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	सं.	स्वैच्छिक रक्त परीक्षण केन्द्र का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, उस्मानिया कालेज, हैदराबाद
	आन्ध्र प्रदेश	2.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, एस.वी. मेडिकल कालेज, तिरूपति
	आंध्र प्रदेश	3.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रोबायोलाजी, आंध्र प्रदेश मेडिकल कालेज, विशाखापटनम
	आंध्र प्रदेश	4.	सरवायलेंस सेन्टर, इंस्टी.आफ प्रिवे. मेडिसिन, हैदराबाद
	आंध्र प्रदेश	5.	सरवायलेंस सेन्टर, इंडियन नावल शिप आस्पिटल, कल्याणी, विशाखापटनम
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.	सरवाइलेंस सेन्टर, डिस्ट्रीक आस्पिटल, ईटानगर
3.	असम	7.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, गुवाहाटी, मेडिकल कालेज, गुवाहाटी
4.	बिहार	8.	राजेन्द्रा मैमेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पटना
5.	गोवा	9.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, गोवा, मेडिकल कालेज, पर्णजी
6.	गुजरात	10.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
7.	हरियाणा	11.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, मेडिकल कालेज, रोहतक
8.	हिमाचल प्रदेश	12.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला
9.	जम्मू व कश्मीर	13.	डिपार्टमेंट आफ इम्मयूपैथो, शेरे-कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज, श्रीनगर
	जम्मू व कश्मीर	14.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, रोहतक जम्मू
10.	कर्नाटक	15.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर
	कर्नाटक	16.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल
	कर्नाटक	17.	सरवाइलेंस सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोसर्जरी, बंगलौर
11.	केरल	18.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम
	केरल	19.	सरवाइलेंस सेंटर, इंडियन नवल शिप हास्पिटल, कोचीन
12.	मध्य प्रदेश	20.	डिपार्टमेंट आफ पैथोलाजी, गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल
	मध्य प्रदेश	21.	रिजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर फार ट्राइबल हेल्थ, जबलपुर
	मध्य प्रदेश	22.	छियोत्रम हास्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, इन्दौर
13.	महाराष्ट्र	23.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, सेठ सी.एस. मेडिकल कालेज, मुम्बई
	महाराष्ट्र	24.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, जे.जे. हास्पिटल, मुम्बई

1	2	3	4
	महाराष्ट्र	25.	सियोन हास्पिटल, मुम्बई
	महाराष्ट्र	26.	बी.वाई.एन.नायर हास्पिटल, मुम्बई
	महाराष्ट्र	27.	
	महाराष्ट्र	28.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, बी.जे मेडिकल कालेज, पुणे
	महाराष्ट्र	29.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर
	महाराष्ट्र	30.	सरवाइलेंस सेन्टर, सिविल हास्पिटल, कोठापुर
	महाराष्ट्र	31.	सरवाइलेंस सेन्टर, डिस्ट्रीक हास्पिटल, चन्द्रपुर
	महाराष्ट्र	32.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, मिराज
	महाराष्ट्र	33.	सरवाइलेंस सेन्टर, इडियन नवल शिप हास्पिटल, अश्वनी, मुम्बई
	महाराष्ट्र	34.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, आरमड फोर्स मेडिकल कालेज, पुणे
14.	मणिपुर	35.	सरवाइलेंस सेंटर, जे.एनं. हास्पिटल, इम्फाल
15.	मेघालय	36.	सरवाइलेंस सेंटर, सिविल हास्पिटल, शिलांग
16.	मिजोरम	37.	सरवाइलेंस सेंटर, सिविल हास्पिटल, एजवाल
17.	नागालैंड	38.	सरवाइलेंस सेंटर, नागा हास्पिटल, कोहिमा
	नागालैंड	39.	सरवाइलेंस सेंटर, डिस्ट्रीक हास्पिटल, दीमापुर
18.	उड़ीसा	40.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, एस.सी.बी. मेडिकल कालेज, कटक
	उड़ीसा	41.	सरवाइलेंस सेंटर, रिजनेबल मेडिकल रिसर्च सेंटर, भुवनेश्वर
19.	पंजाब	42.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, अमृतसर
20.	राजस्थान	43.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, एस.एम.एस. हास्पिटल
21.	सिक्किम	44.	सरवाइलेंस सेन्टर, एस.टी.एन.एम. हास्पिटल, गंगटोक
22.	तमिलनाडु	45.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हेल्थ एंड हास्पिटल फार चिल्ड्रेन
	तमिलनाडु	46.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, मदुरै मेडिकल कालेज, मदुरै
	तमिलनाडु	47.	सरवाइलेंस सेन्टर, मेडिकल कालेज, चेन्नई
23.	त्रिपुरा	48.	सरवाइलेंस सेन्टर, डिस्ट्रीक हास्पिटल, अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	49.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ
	उत्तर प्रदेश	50.	सरवाइलेंस सेन्टर, सेन्ट्रल जालमा इंस्टट्यूट फार लेपरोसी, आगरा
	उत्तर प्रदेश	51.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, इंस्टीट्यूटी आफ मेडिकल साइंसेस, वाराणसी

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश	52.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, जे.आई.एन. मेडिकल कालेज, अलीगढ़
	उत्तर प्रदेश	53.	सरवाइलेंस सेंटर, कमला नेहरू मैमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद
25.	पश्चिम बंलाग	54.	सवाइलेंस सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइजिन एंड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता
26.	दिल्ली	55.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेस, शाहदरा दिल्ली
	दिल्ली	56.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बयोलाजी, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली
	दिल्ली	57.	सरवाइलेंस सेन्टर, आर्मड फोर्स कामान्ड हास्पिटल, दिल्ली कैन्ट
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	58.	सरवाइलेंस सेन्टर, जीबी होस्पिटल, पोर्ट ब्लेयर
28.	चंडीगढ	59.	डिपार्टमेंट आफ इम्यूनोपैथोलाजी, पीजीआई, चंडीगढ
29.	लक्षद्वीप	60.	सरवाइलेंस सेंटर, गर्व. हास्पिटल, कावारत्ती
30.	पांडिचेरी	61.	सरवाइलेंस सेंटर, गर्व. जनरल हास्पिटल, पांडिचेरी
	पांडिचेरी	62.	डिपार्टमेंट आफ माइक्रो-बायोलाजी, जिपमेर, पांडिचेरी

महिला उन्मुखी खेल

3857. श्रीमती निवेदिता माने : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महिला समुदाय को खेलोन्मुखी और अधिक सक्रिय बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में जूडो-कराटे खेल को भी प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कुल कितनी राशि आवंटित की गई?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय जूडो व कराटे परिसंघ जो कि मुख्य रूप से अपनी-अपनी खेल-विधाओं के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सहभागिता के लिए इन परिसंघों को खेल उपस्कर, वैज्ञानिक समर्थन, विदेशों में प्रदर्शन आदि का अवसर भी दिया जाता है।

(घ) राज्य-वार धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान जूडो व कराटे परिसंघों को निम्नलिखित अनुदान मंजूर किए गए थे:-

वर्ष	जारी किए गए अनुदान
1997-98	38.67 लाख रुपये
1998-99	22.74 लाख रुपये
1999-2000	28.76 लाख रुपये

रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन

3858. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलवे स्टेशनों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके नामों में गत तीन वर्षों के दौरान परिवर्तन किया गया है;

(ख) क्या शेगांव, जिला बुलधाना रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) तीन रेलवे स्टेशनों, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रत्येक में एक-एक के नाम अप्रैल, 1997 से मार्च, 2000 तक की अवधि के दौरान बदले गए हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में नागरिकों को प्रशिक्षण

3859. प्रो. रासा सिंह रावत :
वैद्य विष्णुदत्त शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर ग्राम रक्षा समिति स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में वी.डी.सी. को मजबूत बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में खुफिया तंत्र अर्द्ध-सैनिकों और अर्द्ध-सैनिक बलों की सीमा चौकियों को मजबूत बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों के लगातार बढ़ने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को सीमा पार के उग्रवादी प्रशिक्षण शिविरों और उग्रवादी संगठनों की जानकारी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) ऐसे उग्रवादी संगठनों और उनकी गतिविधियों को रोकने में वांछित सफलता न मिल पाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं तथा ग्राम सुरक्षा समितियां जैसी योजनाएं, राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार गठित की जाती हैं। भारत सरकार के स्तर पर इस संबंध में सम्पूर्ण देश के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जहां तक जम्मू व कश्मीर राज्य का संबंध है, जम्मू व कश्मीर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की ग्राम सुरक्षा समितियां नामक एक योजना है। ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्य स्वयं सेवक होते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा शस्त्र व गोला-बारूद उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, नागालैण्ड के दो जिलों में ग्राम गार्डस के रूप में ऐसे ही संस्थान मौजूद हैं। अपने-अपने राज्यों में किसी ग्राम सुरक्षा समिति को शुरू करने का निर्णय लेना राज्य सरकारों का कार्य है।

(ग) जम्मू व कश्मीर में ग्राम सुरक्षा समितियों को न केवल उनकी संख्या बढ़ा कर मजबूत बनाया गया है बल्कि प्रत्येक ग्राम सुरक्षा समितियों की संख्या शक्ति में 3 स्पेशल पुलिस अधिकारी शामिल करके तथा उन्हें बेहतर हथियार और संचार उपकरण उपलब्ध करवा कर मजबूत बनाया गया है।

(घ) आसूचना और सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) कारगिल चरण के उपरान्त जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है, तब भी 1999 के दौरान घटी 3072 घटनाओं में, 1998 की 2932 घटनाओं की तुलना में केवल थोड़ी बहुत ही अधिक रही है। तथापि, यह संख्या वर्ष 1990 से पूर्ववर्ती किसी भी अन्य कलेन्डर वर्ष की तुलना में काफी कम रही है। वर्ष 1998 में मारे गए सिविलियनों की संख्या 867 की तुलना में वर्ष 1999 में यह संख्या कम होकर 821 रही जो कि वर्ष 1994 (820) के बाद न्यूनतम है।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान्। आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए सीमा पार बड़ी संख्या में प्रशिक्षण शिविर हैं। सीमा पार के कुछ प्रमुख आतंकवादी संगठन ये हैं:-

1. हिजबुल-मुजाहिदीन।
2. हरकत-उल-मुजाहिदीन।
3. लश्कर-ए-तोएबा।
4. अल-बदर।

(ज) जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को सीमा पार से प्रायोजित किया जाता है। सुरक्षा बल सतर्क हैं तथा आतंकवाद को काबू करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं। वर्ष 1999 के दौरान, 1082 उग्रवादी मारे गए हैं। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन को, भारत सरकार उचित रूप से तथा प्रभावकारी ढ़ंग से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की जानकारी में लायी है।

प्राथमिक शिक्षा

3860. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा में छात्रों और छात्राओं के नामांकन में वृद्धि की वार्षिक दर कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार प्रति नामांकन व्यय में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) प्रत्येक राज्य विशेषकर बिहार में सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत लाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है; और

(घ) बिहार और अन्य राज्यों के लिए राज्यवार वार्षिक कितना आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) उपर्युक्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, राज्यवार प्रति नामांकन में बढ़े हुए खर्च के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती हैं।

(ग) यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाले विशेषज्ञों के दल ने राष्ट्रीय स्तर पर 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीन बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है लेकिन राज्यवार कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(घ) राज्यवार कोई वार्षिक आबंटन नहीं किया जाता है। विशिष्ट योजनाओं के लिए राज्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और उनके लिए सहायता की मांग करते हैं।

विवरण

वार्षिक वृद्धि दर 1996-97

क्र.सं.	राज्य	I—IV लड़के			I—IV लड़कियां			कुल		
		1995-96	1996-97	वृद्धि दर %	1995-96	1996-97	वृद्धि दर %	1995-96	1996-97	वृद्धि दर %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4105438	4190966	2.08	3534964	3707515	4.88	7640402	7898481	3.38
2.	अरूणाचल प्रदेश	78782	81259	3.14	63122	66417	5.22	141904	147676	4.07
3.	असम	2024781	2024781	0.00	1791822	1791822	0.00	3816603	3816603	0.00
4.	बिहार	5875144	6115557	4.09	3211216	3511298	9.34	9086360	9626855	5.95
5.	गोवा	66082	65642	-0.67	60927	60784	-0.23	127009	126426	-0.46
6.	गुजरात	3571059	3274447	-8.31	2627671	2531735	-3.65	6198730	5806182	-6.33
7.	हरियाणा	1019107	1069789	4.97	894735	912204	1.95	1913842	1981933	3.56
8.	हिमाचल प्रदेश	387620	387620	0.00	341250	341250	0.00	728870	728870	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जम्मू और कश्मीर	492080	519196	5.51	337133	373809	12.87	823253	893005	8.47
10.	कर्नाटक	3450182	3497244	1.36	3058299	3073631	0.50	6508481	6570875	0.96
11.	केरल	1461062	1437466	-1.61	1385666	1356832	-2.08	2846728	2794298	-1.84
12.	मध्य प्रदेश	5186227	5596963	7.92	3783534	4017723	6.19	8969761	9614686	7.19
13.	महाराष्ट्र	6084787	6168455	1.38	5461111	5517143	1.03	11545898	11685598	1.21
14.	मणिपुर	146270	123170	-15.79	129730	107060	-17.47	276000	230230	-16.58
15.	मेघालय	148366	150868	1.69	146913	149093	1.48	295279	299961	1.59
16.	मिजोरम	61641	65302	5.94	55440	58360	5.27	117081	123662	5.62
17.	नागालैंड	115201	138329	20.08	105871	133603	26.19	221072	271932	23.01
18.	उड़ीसा	2279000	2313000	1.49	1608000	1632000	1.49	3887000	3945000	1.49
19.	पंजाब	1097346	1096018	-0.12	984212	985947	0.18	2081558	2081965	0.02
20.	राजस्थान	4049000	4285000	5.83	2183000	2371000	8.61	6232000	6656000	6.80
21.	सिक्किम	42415	42878	1.09	40146	40535	0.97	82561	83413	1.03
22.	तमिलनाडु	4389141	3521355	-19.77	3806531	3274503	-13.98	8195672	6795858	-17.08
23.	त्रिपुरा	232170	236263	1.76	194740	197880	1.61	426910	434143	1.69
24.	उत्तर प्रदेश	10053991	10063991	0.00	6200706	6200706	0.00	16264697	16264697	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	5302000	5302000	0.00	4815000	4815000	0.00	10117000	10117000	0.00
26.	अं. और निकोबार द्वीप समूह	22463	21893	-2.54	20572	20083	-2.38	43035	41976	-2.46
27.	चंडीगढ़	22558	32042	42.04	19918	27970	40.43	42476	60012	41.28
28.	दा. और न. ह.	12953	13155	1.56	9042	9416	4.14	21996	22571	2.62
29.	दमन और दीव	7255	7556	4.15	6648	6975	4.92	13903	14531	4.52
30.	दिल्ली	509247	600754	17.97	447845	545937	21.90	957092	1146691	19.81
31.	लक्षद्वीप	4763	4846	1.74	4010	4169	3.97	8773	9015	2.76
32.	पांडिचेरी	52621	53852	2.34	49726	49349	-0.76	102347	103201	0.83
	कुल	62360752	62501657	0.23	47373540	47891749	1.09	109734292	110393406	0.60

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1998-99

वार्षिक वृद्धि दर 1997-98

क्र.सं.	राज्य	I—IV								
		लड़के			लड़कियां			कुल		
		1996-97	1997-98	वृद्धि दर %	1996-97	1997-98	वृद्धि दर %	1996-97	1997-98	वृद्धि दर %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4190966	4389148	4.73	3707515	3980334	7.36	7898481	8369482	5.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	81259	82406	1.41	66417	67313	1.35	147676	149719	1.38
3.	असम	2024781	2024781	0.00	1791822	1791822	0.00	3816603	3816603	0.00
4.	बिहार	6115557	6445313	5.39	3511298	3821676	8.84	9626855	10266989	6.65
5.	गोवा	65642	65075	-0.86	60784	60642	-0.23	126426	125717	-0.56
6.	गुजरात	3774447	3377545	3.15	2531735	2533228	0.06	5806182	5910773	1.80
7.	हरियाणा	1069789	1109713	3.73	912204	986393	8.13	1981993	2096106	5.76
8.	हिमाचल प्रदेश	387620	351856	-9.23	341250	342556	0.38	728870	694412	-4.73
9.	जम्मू और कश्मीर	519196	519196	0.00	373809	373809	0.00	893005	893005	0.00
10.	कर्नाटक	3497244	3312514	-5.28	3973631	3076892	0.11	6570875	6389406	-2.76
11.	केरल	1437466	1418935	-1.29	1356832	1330600	-1.93	2794298	2749535	-1.60
12.	मध्य प्रदेश	5596963	5864390	4.78	4017723	4296879	6.95	9614686	10161269	5.68
13.	महाराष्ट्र	6168455	6243780	1.22	5517143	5636119	2.16	11685598	11879899	1.66
.	मणिपुर	123170	126735	2.89	107060	110185	2.92	230230	236920	2.91
.	मेघालय	150868	151777	0.60	149093	150741	1.11	299961	302518	0.85
.	मिजोरम	65302	71359	9.23	58360	62732	7.49	123662	134091	8.43
.	नागालैंड	138329	103575	-25.12	133603	100114	-25.07	271932	203689	-25.10
1.	उड़ीसा	2313000	2313000	0.00	1632000	1632000	0.00	3945000	3945000	0.00
9.	पंजाब	1096018	1108845	1.17	985947	1012465	2.69	2081965	2121310	1.89
0.	राजस्थान	4285000	4148099	-3.19	2371000	2712526	14.40	6656000	6860625	3.07
1.	सिक्किम	42878	43193	0.73	40535	41793	3.10	83413	84986	1.89
2.	तमिलनाडु	3521355	3518971	-0.07	3274503	3295068	0.63	6795858	6814039	0.27
3.	त्रिपुरा	236263	239958	1.56	197880	200928	1.54	434143	440886	1.55
4.	उत्तर प्रदेश	10063991	8638647	-14.16	6200706	5068995	-18.25	16264697	13707742	-15.72
5.	पश्चिम बंगाल	5302000	4862688	-8.29	4815000	4045048	-15.99	10117000	8907736	-11.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	अं. और निकोबार द्वीप समूह	21893	20920	-4.44	20083	19047	-5.16	41976	39967	-4.79
27.	चंडीगढ़	32042	35223	9.93	27970	30755	9.96	60012	65978	9.94
28.	दा. और न. ह.	13155	14430	9.69	9416	10573	12.29	22571	25003	10.77
29.	दमन और दीव	7556	7762	2.73	6075	7106	1.88	14531	14868	2.32
30.	दिल्ली	600754	660830	10.00	545937	600529	10.00	1146691	1261359	10.00
31.	लक्षद्वीप	4846	4511	-6.91	4169	3851	-7.63	9015	8362	-7.24
32.	पांडिचेरी	53852	53969	0.22	49349	49829	0.97	103201	103798	0.58
	कुल	62501657	61329244	-1.88	47891749	47452548	-0.92	110393406	108781792	-1.46

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1998-99

वार्षिक वृद्धि दर 1998-99

क्र.सं.	राज्य	I—IV								
		लड़के			लड़कियां			कुल		
		1996-97	1997-98	वृद्धि दर %	1996-97	1997-98	वृद्धि दर %	1996-97	1997-98	वृद्धि दर %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4389148	4575227	4.24	3980334	4222435	6.08	8369482	8797662	5.12
2.	अरूणाचल प्रदेश	82406	82918	0.62	67313	69103	2.66	149719	152021	1.54
3.	असम	2024781	2107200	4.07	1791822	1719815	-4.02	3816603	3827015	0.27
4.	बिहार	6445313	6516777	1.11	3821676	3956475	3.53	10266989	10473252	2.01
5.	गोवा	65075	65386	0.48	60642	60775	0.22	125717	126161	0.35
6.	गुजरात	3377545	3489728	3.32	2533228	2656553	4.87	5910773	6146281	3.98
7.	हरियाणा	1109713	1106249	-0.31	986393	985913	-0.05	2096106	2092162	-0.19
8.	हिमाचल प्रदेश	351856	356605	1.35	342556	348530	1.74	694412	705135	1.54
9.	जम्मू और कश्मीर	519196	519196	0.00	373809	373809	0.00	893005	893005	0.00
10.	कर्नाटक	3312514	3394910	2.49	3076892	3105290	0.96	6389406	6501200	1.75
11.	केरल	1418935	1367536	-3.62	1330600	1292849	-2.84	2749535	2660385	-3.24
12.	मध्य प्रदेश	5864390	6114205	4.26	4296879	4658794	8.42	10161269	10772999	6.02
13.	महाराष्ट्र	6243780	6184794	-0.94	5636119	5711305	1.33	11879899	11898099	0.14
14.	मणिपुर	126735	137230	8.28	110185	119440	8.40	236920	256670	8.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	151777	157302	3.64	150741	156676	3.94	302518	313978	3.79
16.	मिजोरम	71359	70869	-0.69	62732	63901	1.86	134091	134770	0.51
17.	नागालैंड	103575	106150	2.49	100114	99136	-0.98	203689	205286	0.78
18.	उड़ीसा	2313000	2391000	3.37	1632000	1689000	3.49	3945000	4080000	3.42
19.	पंजाब	1108845	1133698	2.24	1012465	1034374	2.16	2121310	2168072	2.20
20.	राजस्थान	4148099	4658000	12.29	2712526	2546000	-6.14	6860625	7204000	5.01
21.	सिक्किम	43193	44025	1.93	41793	39050	-6.56	84986	83075	-2.25
22.	तमिलनाडु	3518971	3441765	-2.17	3295068	3226939	-2.07	6814039	6669704	-2.12
23.	त्रिपुरा	239958	245780	2.43	200928	206641	2.84	440886	452421	2.62
24.	उत्तर प्रदेश	8638747	8746714	1.25	5068995	5108954	0.79	13707742	13855668	1.08
25.	पश्चिम बंगाल	4862688	4872054	0.19	4045048	4076623	0.78	8907736	8948677	0.46
26.	अं. और निकोबार द्वीप समूह	20920	20905	-0.07	19047	19245	1.04	39967	40150	0.46
27.	चंडीगढ़	35223	33059	-6.14	30755	30654	-0.33	65978	63713	-5.43
28.	दा. और न. ह.	14430	14475	0.31	10573	10967	3.73	25003	25442	1.76
29.	दमन और दीव	7762	7928	2.14	7106	7315	2.94	14868	15243	2.52
30.	दिल्ली	660830	693870	5.00	600529	630556	5.00	1261359	1324426	5.00
31.	लक्षद्वीप	4511	4545	0.75	3851	3822	-0.75	8362	8367	0.06
32.	पांडिचेरी	53969	53708	-0.48	49829	49853	0.05	103798	103561	-0.23
	कुल	61329244	62714808	2.26	47452548	48281792	1.75	108781792	110996600	2.04

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1998-99

*हिमाचल प्रदेश - चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े के प्रकाशन के बाद प्राप्त प्राथमिक स्कूल के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। संशोधित आंकड़े इस विवरण में उपयुक्त किए गए हैं।

केन्द्रीय मनोरोग चिकित्सालय, रांची का आधुनिकीकरण

3861. श्री राम टहल चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रांची में केन्द्रीय मनोरोग चिकित्सालय, कांके का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका आधुनिकीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची के पास रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के लिए अपेक्षित आधुनिक प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा, मशीनरी के अनुरक्षण तथा उन्नयन के लिए नियमित बजटीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड का विनिवेश

3862. श्री किरीट सोमैया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) का विनिवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक विशेषकर 1998-99 के दौरान अप्रैल, 1999 तक यू.टी.आई. के द्वारा आई.पी.सी.एल. के कितने शेयर बेचे गए हैं, और उन्हें किन दरों पर बेचा गया है;

(ग) क्या इन शेयरों को उनके बाजार मूल्य से कहीं कम दर पर बेच दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ये शेयर किन बोली कर्ताओं को बेचे गए;

(च) क्या सरकार का इस संबंध में जांच कराने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (छ) विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर दिसम्बर, 1998 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रबन्ध नियंत्रण के हस्तान्तरण सहित आई.पी.सी.एल. की 25% इक्विटी का विनिवेश करके विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए किसी सशक्त क्रयकर्ता को दिया जाए। उस निर्णय के परिणामस्वरूप, विनिवेश प्रक्रिया आरम्भ हुई तथा यह अभी पूरी नहीं हुई है। विनिवेश के निर्णय के परिणामस्वरूप आई.पी.सी.एल. में लगा सरकार का कोई भी शेयर बेचा नहीं गया है। यू.टी.आई. द्वारा शेयरों की बिक्री विनिवेश प्रक्रिया का भाग नहीं है।

मानव अधिकार प्रकोष्ठ

3863. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक प्रत्येक राज्य से प्राप्त की गई मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की संख्या कितनी है तथा वे किस तरह की हैं;

(ख) उन शिकायतों की राज्यवार संख्या क्या है जिन पर कार्यवाही की गई थी/लम्बित थी और खारिज कर दी गयी थी;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्यों से मानव अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की संख्या, उन मामलों की संख्या जिनमें कार्रवाई की गयी, आरम्भ में ही खारिज किए गए और विचार करने हेतु लंबित पड़े मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण I, से III में दी गई हैं। जहां तक वर्ष 1999-2000 के दौरान निपटाए गए मामलों के ब्यौरों का संबंध है, ये ब्यौरे संकलित किए जा रहे हैं। ये शिकायतें आम तौर पर, हिरासत में हुई मौतों/हिरासत में हुए बलात्कार, जबरन गायब कर देना, अवैध रूप से निरूद्ध करना, झूठे मामलों में फंसाना, अन्य पुलिस ज्यादतियां, पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार इत्यादि से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान्। सभी राज्यों ने अपने-अपने पुलिस मुख्यालयों में मानवाधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

विवरण I

वर्ष 1997-1998 के दौरान पंजीकृत किए गए, कार्रवाई किए गए, आरम्भ में ही खारिज किए गए और लम्बित मामलों की राज्य-वार सूची

राज्य	1.4.1997 को विचारार्थ लम्बित मामले	पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें कार्रवाई शुरू की गई है	आरम्भ में ही खारिज किए मामलों की संख्या	कुल 4+5	31.3.1998 को विचारार्थ लम्बित पड़े मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	73	811	201	483	684	200
अरूणाचल प्रदेश	3	29	13	8	21	11

1	2	3	4	5	6	7
असम	13	198	68	62	130	81
बिहार	441	3127	894	1423	2317	1251
गोवा	6	41	23	14	37	10
गुजरात	14	422	124	199	323	113
हरियाणा	131	1081	363	406	769	443
हिमाचल प्रदेश	14	166	46	93	139	41
जम्मू व कश्मीर	91	400	129	99	228	263
कर्नाटक	41	398	136	155	291	148
केरल	89	490	163	204	367	212
मध्य प्रदेश	139	2555	709	1357	2066	628
महाराष्ट्र	155	1730	488	720	1208	677
मणिपुर	23	48	26	9	35	36
मेघालय	1	14	5	7	12	3
मिजोरम	3	18	12	2	14	7
नागालैण्ड	3	27	14	3	17	13
उड़ीसा	207	725	212	380	592	340
पंजाब	57	592	226	196	422	227
राजस्थान	283	1898	489	813	1302	879
सिक्किम	3	5	3	1	4	4
तमिलनाडु	359	1311	399	510	909	761
त्रिपुरा	6	33	10	16	26	13
उत्तर प्रदेश	1421	17638	8749	4448	13197	5862
पश्चिम बंगाल	107	732	154	438	592	247
संघ शासित क्षेत्र	327	2302	763	824	1587	1042
कुल	4010	36791	14419	12870	27289	13512

विवरण II

वर्ष 1998-1999 के दौरान पंजीकृत किए गए, कार्रवाई किए गए, आरम्भ में ही खारिज किए गए और लम्बित मामलों का राज्य-वार सूची

राज्य	1.4.1998 को विचारार्थ लम्बित मामले	पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें कार्रवाई शुरू की गई है	आरम्भ में ही खारिज किए मामलों की संख्या	कुल 4+5	31.3.1999 को विचारार्थ लम्बित पड़े मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	200	527	230	486	716	11
अरूणाचल प्रदेश	11	21	10	17	27	5

1	2	3	4	5	6	7
असम	81	157	58	178	236	2
बिहार	1251	4080	1674	3640	5314	17
गोवा	10	25	14	20	34	1
गुजरात	113	479	203	389	592	0
हरियाणा	443	1282	862	862	1724	1
हिमाचल प्रदेश	41	156	25	166	191	6
जम्मू व कश्मीर	263	269	136	356	492	40
कर्नाटक	148	382	165	350	515	15
केरल	212	400	208	392	600	12
मध्य प्रदेश	628	2065	899	1712	2611	82
महाराष्ट्र	677	1463	829	1301	2130	10
मणिपुर	36	42	19	47	66	12
मेघालय	3	22	18	7	25	0
मिजोरम	7	26	11	21	32	1
नागालैण्ड	13	9	6	13	19	3
उड़ीसा	340	532	214	642	856	16
पंजाब	227	557	354	412	766	18
राजस्थान	879	1833	857	1848	2705	7
सिक्किम	4	4	1	7	8	0
तमिलनाडु	761	962	502	1202	1704	19
त्रिपुरा	13	17	6	17	23	7
उत्तर प्रदेश	5862	22043	12286	15458	27744	161
पश्चिम बंगाल	247	851	285	803	1088	10
संघ शासित क्षेत्र	1042	2520	1667	1826	3493	69
कुल	13512	40724	21539	32172	53711	525

विवरण III

वर्ष 1999-2000 के दौरान पंजीकृत किए गए, कार्रवाई किए गए, आरम्भ में ही खारिज किए गए और लम्बित मामलों का राज्य-वार सूची

राज्य	1.4.1999 को विचारार्थ लम्बित मामले	पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें कार्रवाई शुरू की गई है	आरम्भ में ही खारिज किए मामलों की संख्या	कुल 4+5	31.3.2000 को विचारार्थ लम्बित पड़े मामलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	11	614	संकलित किया जाना है	संकलित किया जाना है	संकलित किया जाना है	संकलित किया जाना है
अरूणाचल प्रदेश	5	42	/	/	/	/
असम	2	178	/	/	/	/
बिहार	17	4409	/	/	/	/
गोवा	1	42	/	/	/	/
गुजरात	0	533	/	/	/	/
हरियाणा	1	1661	/	/	/	/
हिमाचल प्रदेश	6	120	/	/	/	/
जम्मू व कश्मीर	40	209	/	/	/	/
कर्नाटक	15	659	/	/	/	/
केरल	12	297	/	/	/	/
मध्य प्रदेश	82	2189	/	/	/	/
महाराष्ट्र	10	2178	/	/	/	/
मणिपुर	12	43	/	/	/	/
मेघालय	0	22	/	/	/	/
मिजोरम	1	1	/	/	/	/
नागालैण्ड	3	19	/	/	/	/
उड़ीसा	16	641	/	/	/	/
पंजाब	18	851	/	/	/	/
राजस्थान	7	1946	/	/	/	/
सिक्किम	0	6	/	/	/	/
तमिलनाडु	19	1321	/	/	/	/
त्रिपुरा	7	53	/	/	/	/
उत्तर प्रदेश	161	28598	/	/	/	/
पश्चिम बंगाल	10	804	/	/	/	/
संघ शासित क्षेत्र	69	3198	/	/	/	/
कुल	525	50634	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अन्तर्गत बंगलौर में अस्पताल

3864. श्री कोलुर बसवनागौड़: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत बंगलौर में कौन-कौन से अस्पताल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत बंगलौर में अन्य अस्पतालों को भी शामिल करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए सभी राज्य सरकार अस्पताल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त, नैदानिक केन्द्रों सहित 16 प्राइवेट अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के उपचार के लिए मान्यता प्रदान की गई है। ऐसे अस्पतालों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अन्तर्गत निजी अस्पतालों और वैधानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने हेतु नई निविदाएँ जारी करने का निर्णय लिया है। इसलिए सरकार द्वारा जब नई निविदा जारी की जाए तो बंगलौर के प्राइवेट अस्पताल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, बंगलौर के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों की सूची:-

1. चिन्मय मिशन अस्पताल, प्रथम चरण, इंदिरा नगर, बंगलौर-38.
2. एम.एस. रमैया मेडिकल शिक्षण अस्पताल, गोकुल एक्सटेन्सन, बंगलौर-51
3. चर्च ऑफ साउथ इण्डिया होस्पीटल, 2, कोल हिल रोड़, बंगलौर-51
4. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड, 55 इन्फेन्ट्री रोड. बंगलौर-27
5. के.आई.एम.एस. अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, वी.वी. पुरम, के.आर. रोड़ बंगलौर-4
6. येलेहामा, दसप्पा अस्पताल, 27 एण्ड्री रोड़, शांति नगर, बंगलौर-27
7. पी.डी. हिन्दूजा सिन्धी अस्पताल, सम्पांगीराम बंगलौर-25
8. रिपब्लिक हॉस्पिटल, लॉग फोर्स गार्डन, बंगलौर-25
9. बंगलौर बेप्टिस्ट अस्पताल, बेल्लारी रोड़, बंगलौर-25
10. सेवाक्षेत्र अस्पताल, 81 बी.टी. रोड़, बंगलौर-19
11. मैलिज मेडिकल केन्द्र, 31/32, क्रेसेन्ट रोड़ बंगलौर-1
12. सेन्ट जॉन्म मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जॉन नगर, कोरमंगल, बंगलौर-34
13. मल्लया अस्पताल, सं.-2 वेटेल मल्लाया रोड़ बंगलौर-1
14. मनिपाल अस्पताल, 98 रूस्तम बाग, एयरपोट रोड़ बंगलौर-17
15. वोचखार्ड अस्पताल और हर्ट इन्स्टीच्यूट, 14, कनिंधम रोड़, बंगलौर-52
16. बंगलौर अस्पताल/सुश्रुता मेडिकल एड एण्ड रिसर्च अस्पताल लिमिटेड, 202, आर.वी.रोड़, बंगलौर-4

आई.डी.पी.एल. को नुकसान

3865. श्री जी.एस. बसवराज: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का नुकसान गत वर्ष के अंत तक 1200 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हाँ। आई.डी.पी.एल. को 31.3.2000 तक संचित घाटा 1421 करोड़ रुपये (अनन्तिम) हुआ है। कम्पनी को 1974-75 से 1978-79 तक पांच वर्षों की अल्पावधि को

छोड़कर इसके प्रारम्भ से ही घाटा होता रहा है। कार्यशील पूंजी के अभाव के कारण आई.डी.पी.एल. के सभी संयंत्रों में प्रपुंज औषध विनिर्माण से संबंधित प्रचालन अक्तूबर, 1996 से ठप्प हो गया है।

रसायन और उर्दरक संयंत्र

3866. श्रीमती शीला गौतम:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने रसायन और उर्वरक संयंत्र चल रहे हैं और इकाईवार उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) इनमें से सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अलग-अलग कितने संयंत्र हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संयंत्रों में इकाई-वार रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये संयंत्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उन संयंत्रों के नाम क्या हैं जो अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनकी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने और उत्पादन क्षमता को बढाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति के उदारीकरण के परिणामस्वरूप रसायन उत्पादों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और उद्यमियों को उद्योग मंत्रालय में केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) दायर करना होता है। केन्द्र सरकार देश में रसायन संयत्रों की राज्य-वार सूची नहीं रखती। तथापि, रसायन क्षेत्र में हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. और हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइट लि. नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है। विवरण II में पाइराइट्स फास्फेट्स कैमिकल्स लि. (पीपीसीएल) के संयंत्र के अलावा अन्य एसएसपी संयंत्रों के सिवाय क्रियाशील उर्वरक सयंत्रों उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता, 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में पोषक के रूप में उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोग से संबंधित जानकारी दी गई है।

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइटस लि. के बारे में क्षमता उपयोग में अन्तर मुख्यतः डीडीटी उत्पादन के कारण है जो एन.एम.ए.पी./स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए ऑर्डरों के आधार पर किया जाता है।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. के बारे में कंपनी पर ऋणों पर उच्च ब्याज भार है और इसे मिलाकर सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 1997-98 तथा 1998-99 में हानि हुई। कंपनी द्वारा फिनॉल, एसीटॉन, और एनीलीन नामक मुख्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है जो कुल कारोबार का 65% बैठतें हैं। इन उत्पादों के लिए कम मूल्य प्राप्ति कंपनी द्वारा उठाई जा रही हानियों का मुख्य कारण है। सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही के परिणामस्वरूप फिनॉल और एसीटोन, दोनों पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई।

उर्वरकों में, सरकार यूरिया के उत्पादन पर निगरानी रखती है क्योकि यह एक मात्र उर्वरक है जिस पर सरकार का मूल्य, संचलन और वितरण नियंत्रण है। कुछ यूरिया संयंत्र निरंतर रूप से 100% क्षमता उपयोग प्राप्त नहीं कर पाते है। जैसा कि विवरण-II से स्पष्ट है। मुख्य कारण औद्योगिक रुग्णता, गैस आपूर्ति में बाधा और उपकरण समस्या आदि रहे हैं।

(च) उर्वरक उद्योग ने उर्वरक उत्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों के संबंध में बीआईएफआर के अनुमोदन सहित पुनर्वास/पुनरूद्धार स्कीम कार्यान्वयन।

(2) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों रेट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार।

(3) तरल प्राकृतिक गैस के आयात की संभावनाओं का पता लगाकर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं पर काबू पाना। मौजूदा संयंत्रों में दोहरे ईंधन/फीडस्टॉक सुविधाओं की स्थापना करना; तथा

(4) उन देशों में, जहाँ कच्चा माल बहुतायत में एवं सस्ता है, संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं

(1) सामान्यतः उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(2) मौजूदा एककों के नये संयंत्रों/नवीनीकरण के लिए पूंजी मालों के आयात पर नाममात्र का मूल सीमा शुल्क।

(3) उर्वरक परियोजनाओं हेतु पूंजी मालों के स्वदेशीय आपूर्तिकर्ताओं निर्यात समलाभ बशर्ते कि यह आपूर्तियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी नीलामियों की प्रक्रिया के तहत की जाती हों।

(4) उर्वरक कच्चे मालों उप-उत्पादों के आयात पर मामूली ड्यूटी।

विवरण I

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में रसायन संयंत्रों से संबंधित सूचना

1. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.

	1997-98	1998-99	1999-2000
स्थापित क्षमताएं*	29,652 मी. ट.	29,657 मी. ट.	29,657 मी. ट.
उत्पादन	19,176 मी. ट.	15,705 मी. ट.	16,518 मी. ट.
क्षमता उपयोग	64.7%	53.0%	55.7%

2. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.

	1997-98	1998-99	1999-2000
स्थापित क्षमता**	3,78,035 मी. ट.	4,02,925 मी. ट.	अनुपलब्ध
उत्पादन	3,53,325 मी. ट.	3,40.713 मी. ट.	अनुपलब्ध
क्षमता उपयोग	93.5%	84.5%	अनुपलब्ध

*तकनीकी श्रेणी के कीटनाशी और उनके अनुपात की।

**आर्गेनिक रसायनों का।

विवरण II

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान बडे रसायन उर्वरक एककों की एककवार स्थापित क्षमता, पोषकों के रूप में उत्पादन तथा प्रतिशतता क्षमता उपयोगिता

('000 मी. टन)

नाइट्रोजन

	क्षेत्र/एककों का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	उत्पादन			प्रतिशतता क्षमता उपयोगिता		
			1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. सार्वजनिक क्षेत्र								
एन.एफ एल नंगल-I		80.0	43.9	55.5	38.8	54.9	69.4	48.5
एन.एफ एल नंगल II		151.8	186.9	178.8	158.7	123.1	117.8	104.5

1 2	3	4	5	6	7	8	9
एनएफएल भटिंडा	235.3	261.0	231.7	249.9	110.9	98.5	106.2
एनएफएल पानीपत	235.3	258.7	246.4	245.1	109.9	104.7	104.2
एनएफएल विजयपुर	334.0	391.6	393.2	374.1	117.2	117.7	112.0
एनएफएल विजयपुर	334.0	372.7	396.5	415.4	111.6	118.7	124.4
जोड़ (एनएफएल)	1370.4	1514.8	1502.1	1482.0	110.5	109.6	108.1
फैक्ट उद्योग मंडल	77.0	63.6	69.3	87.6	82.6	90.0	113.8
फैक्ट कोचीन I	151.8	126.1	84.2	122.1	83.1	55.5	80.4
फैक्ट कोचीन II	96.6	103.6	116.0	118.0	107.2	120.1	122.2
जोड़ (फैक्ट)	325.4	293.3	269.5	327.7	90.1	82.8	100.7
आर.सी.एफ ट्रोम्बे	90.5	49.8	53.2	61.6	55.0	58.8	68.1
आर.सी.एफ ट्रोम्बे IV	75.1	51.1	50.0	64.9	68.1	66.7	86.4
आर.सी.एफ ट्रोम्बे V	151.8	145.8	123.8	139.4	96.0	81.6	91.8
आर.सी.एफ थाल	683.1	644.8	650.0	684.8	94.4	95.2	100.2
जोड़ (आर.सी.एफ)	1000.5	891.5	877.0	950.6	89.1	87.7	95.0
एफ.सी.आई. सिन्दरी	151.8	95.9	102.6	140.8	69.2	67.6	92.8
एफ.सी.आई. गोरखपुर	131.1	0.0	0.0	0.0	—	—	—
एफ.सी.आई. रामागुडम	151.8	46.6	42.2	0.00	30.7	27.8	—
एफ.सी.आई. तालचर	151.8	46.0	31.6	0.0	30.3	20.8	—
जोड़ (एफ.सी.आई.)	586.5	188.5	176.4	140.8	32.1	30.1	24.0
एच.एफ.सी. नामरूप I	21.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—
एच.एफ.सी. नामरूप II	87.4	0.0	0.0	0.0	—	—	—
एच.एफ.सी. नामरूप III	151.8	90.6	52.8	56.3	59.7	34.8	37.1
एच.एफ.सी. दुर्गापुर	79.6	1.5	0.0	0.0	1.9	—	—
एच.एफ.सी. बरौनी	84.6	18.6	11.6	0.0	22.0	13.7	—
जोड़ (एच.एफ.सी.)	424.4	110.7	64.4	56.3	26.1	15.2	13.3
एनएफएल चेन्नई	254.3	106.4	243.8	317.3	52.7	96.0	124.8
सेल राउरकेला	120.0	23.7	23.1	9.1	19.7	19.3	7.6
एनएलसी नेवेली	70.0	47.3	31.2	7.9	67.6	44.6	11.3
पी.पी. एल पारादीप	129.6	142.5	140.4	135.5	110.0	108.3	104.6

1 2	3	4	5	6	7	8	9
II. संयुक्त क्षेत्र							
इफको-कलोल	251.2	177.7	225.6	204.7	79.9	89.9	81.5
इफको-कांडला	199.8	184.7	193.8	274.0	155.3	163.0	158.6
इफको-फूलपुर	227.7	259.9	261.7	233.5	114.0	114.8	102.5
इफको-फूलपुर वि.	334.0	105.4	384.3	370.2	126.2	115.1	110.8
इफको-आवला	334.0	387.0	381.7	340.3	115.9	117.3	101.9
इफको-आंवला वि.	334.0	382.2	385.5	388.2	114.4	115.4	116.2
कुल (इफको)	1680.7	1496.9	1842.6	1810.9	113.3	115.2	109.5
कृभको- हजीरा	667.9	814.9	637.6	716.4	122.0	104.4	107.3
III. निजी क्षेत्र							
जी.एस.एफ.सी. बडोदरा	236.2	237.5	229.3	247.9	100.6	97.1	105.0
सी.एफ.एल विजाग	83.8	81.4	83.6	88.4	97.1	99.8	105.5
एस एफ सी कोटा	151.8	180.6	180.9	186.1	119.0	119.2	122.6
डी आई एल-कानपुर	310.5	337.5	337.1	319.7	108.7	108.6	103.0
जीआईएल-गोवा	240.0	264.1	189.1	242.1	133.4	95.5	100.9
एसपीआईसी-तुती	310.2	367.4	375.0	408.3	118.4	120.9	131.6
एम सी एफ मंगलौर	181.2	153.6	194.9	162.8	84.8	107.6	89.8
ई.आई.डी. पैरीइनौर	27.0	30.8	33.1	37.2	128.3	122.6	137.8
जीएनएफसी भरूच	341.6	364.2	372.3	346.5	106.6	109.0	101.4
डीएफपीसीएल तलौर	52.9	41.2	40.7	45.1	77.9	76.9	85.3
टीएसी-तुतीकोरीन	16.0	14.9	15.8	21.7	93.1	98.8	135.6
पीएनएफ नांगल	16.0	12.7	0.0	0.0	79.4	—	—
एचएलएल: हल्दिया	121.5	52.2	41.5	60.4	189.1	83.0	49.7
आई जी सी एल जगदीशपुर	334.0	429.5	469.2	479.3	128.6	140.5	143.5
जीएसएफसी सिक्किम	58.7	104.8	94.4	109.2	178.5	160.8	186.0

1 2	3	4	5	6	7	8	9
एनएफसीएल काकीनाडा I	227.7	317.3	316.8	295.0	137.0	139.1	129.6
एनएफसीएल काकीनाडा II	227.7	—	240.9	301.8	—	105.8	132.5
जीएफसीएल काकीनाडा III	85.1	96.1	115.8	127.0	133.3	136.1	149.2
सीएफसीएल गडेपन I	341.6	446.0	440.1	435.4	130.6	128.8	127.5
सीएफसीएल गडेपन II	356.5	—	—	163.0	—	—	109.7
टीसीएल बाबराला	341.6	469.7	404.1	451.9	137.5	118.3	132.3
ओसी एफ शांहजहापुर	334.0	427.8	409.7	401.0	128.1	122.7	120.1
फास्फेट							
I. सार्वजनिक क्षेत्र							
फैक्ट-उद्योगमंडल	29.7	24.8	31.6	38.9	83.5	106.4	131.0
फैक्ट-कोचीन II	102.2	103.7	116.0	118.0	101.5	113.5	115.5
योग-(फैक्ट)	131.9	128.5	147.6	156.9	97.4	111.9	119.0
आर.सी.एफ.-ट्राम्बे	45.0	49.8	53.2	61.6	110.7	118.2	136.9
आर.सी.एफ.-ट्राम्बे IV	75.1	51.1	50.0	64.9	68.1	66.7	86.4
योग (आर.सी.एफ.)	120.1	100.9	103.2	126.5	84.1	86.0	105.3
एम.एफ.एल.-चेन्नई	142.8	83.3	133.8	143.3	68.1	93.6	100.4
पी.पी.एल.-पारादीप	331.2	364.6	359.7	347.0	110.1	108.6	104.8
एच.सी.एल. खेत्री	30.1	2.6	1.0	0.0	8.6	3.3	—
पीपीसीएल.-अमझौर	42.2	32.8	13.7	0.8	77.7	32.5	1.9
पीपीसीएल. सलादीपुरा	15.8	10.7	6.5	1.4	67.7	41.1	8.9
योग सार्वजनिक -क्षेत्र	826.9	728.0	769.5	779.8	90.3	93.0	94.3
II. सहकारी क्षेत्र							
इफको कांडला	519.2	477.7	500.2	709.0	154.6	161.9	157.9
III. निजी क्षेत्र							
जीएसएफसी -बड़ोदरा	49.7	54.1	76.6	73.5	108.9	154.1	147.9
सीएफएल विजाग	104.1	110.3	112.2	129.0	106.0	107.8	123.9
जैडआईएल-गोवा	195.0	115.2	75.0	77.0	103.8	67.6	39.5
स्पिक-तुतीकोरीन	190.9	211.9	261.4	189.1	111.0	136.9	99.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एमसीएफ-बगलौर		63.5	69.8	78.7	77.5	109.9	123.9	122.0
ईआईडी पैरी-इन्दौर		34.0	38.5	41.4	46.5	127.3	121.8	136.8
जी.एन.एफ.सी.-बहरूच		32.8	31.1	30.2	31.2	94.8	92.1	95.1
डीएफवीसीएल, तलोजा		52.9	41.2	40.7	45.1	77.7	76.8	85.3
एचएलएल-हाल्दिया		310.5	133.4	106.2	171.5	189.0	83.6	55.2
जीएसएफसी-सिक्का		150.0	267.7	241.1	279.0	178.5	160.7	186.0
जीएफसीएल-काकीनाडा		217.4	245.5	287.6	302.6	133.2	132.3	139.2

भारतीय सुरक्षाकर्मी

3867. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक भारतीय सुरक्षाकर्मियों को हमारे ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा मार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं और प्रत्येक मामले की परिस्थितियां तथा मारे गए कर्मियों की संख्या और विवरण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ऐसे मामलों के ब्यौरे संक्षिप्त रूप से संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दोषी पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों में, सशस्त्र सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा अपने ही बल के कर्मिकों पर गोलियां चलाने की 56 घटनाएं सूचित की गई हैं इन घटनाओं में 93 कर्मी मारे गए। इन घटनाओं के ब्यौरे संक्षिप्त रूप से नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	घटना की तारीख	घटना के ब्यौरे/परिस्थितियां	मारे गए कर्मी
1	2	3	4
वर्ष 1997			
सशस्त्र बल			
1.	10.1.1997	10 जनवरी को, स्कॉऊट प्रशिक्षण के अभ्यास के दौरान, कैप्टन मनीष तिवारी ने अभ्यास में घायल हुए व्यक्ति को वहां से हटाने से मना करने पर लांसनायक सतेन्द्र पाल को फटकारा। इससे क्रोधित होकर, एनसीओ ने अपने व्यक्तिगत हथियार से उन पर गोली चला दी। अधिकारी की इस घटना में मृत्यु हो गई।	1
2.	15.1.1997	रात्रिभोज के दौरान, सिपाही पी. विंसेंट की अपनी ही यूनिट के लांसनायक के. जलेन्द्र के साथ हाथापाई हो गई। उस व्यक्ति के क्रोध में आकर गोली चला दी और 3 अन्य रैंकों को मार दिया।	3

1	2	3	4
3.	22.1.1997	नायक कामपाप्ना बलोबल द्वारा ड्यूटी में लापरवाही करने पर उच्च अधिकारी द्वारा फटकार लगाने पर, क्रोध में उसने अपने हथियार से गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप एक अधिकारी की मृत्यु हो गई।	1
4.	17.5.1997	सिपाही पप्पू सिंह को ड्यूटी न करने पर उसके उच्च अधिकारी ने फटकार लगाई। इससे क्रोधित होकर, उसने अपने हथियार से गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप 2 अधिकारियों की मृत्यु हो गई।	2
5.	15.6.1997	हवलदार मोहिंदर लाल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और 5 व्यक्तियों को मार दिया। हवलदार मोहिंदर लाल मर गया।	6
6.	12.7.1997	ए.एल.ओ. राकेश कुमार ने अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे एक अन्य रैंक की मृत्यु हो गई।	1
7.	12.8.1997	14 गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन गंभीर सिंह ने अंधाधुध गोलीबारी करके 3 अन्य रैंकों को मार दिया।	3
8.	10.8.1997	लांसनायक/एम.एस.डबल्यू बीर सिंह ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और अपने हथियार से गोली बारी करके 2 अन्य रैंकों को मार दिया ।	2
9.	20.8.1997	सिपाही ध्यान सिंह, जिसका मानसिक रोग का इलाज चल रहा था, ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिसके परिणामस्वरूप 3 अन्य रैंकों को मृत्यु हो गई।	3
असम राइफल्स			
10.	17.5.1997	राइफलमैन जदीश सिंह का राइफलमैन किशन चंद के साथ झगड़ा हो गया था उसके पश्चात् जगदीश सिंह ने अपने हथियार से किशन चंद को गोली मार दी और स्वयं को भी गोली मार ली।	2
11.	22.8.1997	राइफलमैन दिपन चंद्र बोरा और राइफलमैन छोटे लाल यादव में शाम को कहा-सुनी हो गई। बाद में दिपन चन्द्र बोरा ने नशे की हालत में छोटे लाल यादव की गर्दन पर खुकरी से हमला कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।	
सीमा सुरक्षा बल			
12.	22.1.1997	कान्सटेबल चैलेया, जो पंड़ित पोस्ट, टाउन हाल, सोपोर में संतरी ड्यूटी पर तैनात थे, को कान्सटेबल नरेन्द्र सिंह ने शराब के नशे में, गोली मार दी।	1

1	2	3	4
13.	8.5.1997	उप निरीक्षक सुरेश सिंह ने कान्सटेबल सुन्दर लाल को उप निरीक्षक के बक्से से नगदी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, कान्सटेबल सुन्दर लाल ने उप निरीक्षक की गला घोंट कर हत्या कर दी।	1
14.	20.8.1997	कान्सटेबल युमन सिंह और हैड कान्सटेबल नर सिंह के बीच कहा सुनी होने के कारण, कान्सटेबल युमन सिंह ने हैड कान्सटेबल नर सिंह को गोली मार दी, हैड कान्सटेबल को मारने के बाद, उसने अपने व्यक्तिगत हथियार से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।	2
15.	30.9.1997	कान्सटेबल खुशी मोहम्मद जब भैरों कुण्ड पर ड्यूटी पर तैनात था तो उसने कान्सटेबल मनोज कुमार को जारी की गई एस.एल.आर. से एक राऊन्ड गोली चलायी जो कान्सटेबल जगदीश को लगी और वह घटनास्थल पर ही मारा गया। उसके बाद कान्सटेबल खुशी मोहम्मद ने अपने पेट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली।	2
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल			
16.	6.8.1997	नायक पी.सी. बरूआ ने नशे की हालत में 3 राऊन्ड गोली चलायी जिसके परिणामस्वरूप जल वाहक श्री किशन की मृत्यु हो गयी।	1
17.	17.8.1997	नशे की हालत में लांसनायक एस.के. मिश्रा ने एक अन्य लांसनायक एल.एस. प्रकाश को गोली मार दी।	1
18.	11.9.1997	कान्सटेबल प्रमोद कुमार ने बिना किसी उकसावें के कान्सटेबल देशपाल सिंह को गोली मार दी।	1
19.	3.9.1997	कान्सटेबल मो. असीम ने कान्सटेबल किशन मुरारी गुप्ता को गोली मार दी।	1
20.	20.9.1997	लांसनायक राम किशन की जलवाहक, देव बहादुर और एस/के. मालाराम के साथ कहासुनी हुई और अन्ततः दोनों कार्मिक जख्मी हो गए बाद में जल-वाहक, देव बहादुर ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया।	1
21.	24.9.1997	कान्सटेबल एम.बी. गंगाधारप्पा ने अकारण निरीक्षक जसवन्त सिंह पर गोली चला दी और उसे मार गिराया।	1
22.	6.10.1997	बातों-बातों में गरमा-गरमी के बाद कान्सटेबल लालिन धारा के कान्सटेबल एस.के. माने को गोली मार दी।	1
23.	20.11.1997	बताया जाता है कि कान्सटेबल बाबू लाल को उसके एक साथी ने गोलियां दी, उसने अंधाधुंध गोलियां चलायी और 3 व्यक्तियों को मार गिराया।	3

1	2	3	4
24.	22.11.1997	कहासुनी के बाद, कान्सटेबल एस. अजीवानन्दन ने हैड कान्सटेबल रमेश चन्द्र और कान्सटेबल शिव कुमार पर गोलियां चलाई जिसका उत्तर दिया गया और सभी तीनों व्यक्ति मारे गए।	3
1998			
सशस्त्र सेना			
25.	27.4.1998	अपनी निजी वस्तुओं के साथ छेडछाड़ करने के लिए अपने साथियों पर क्रोधित राईफलमैन एम.डी.थापा ने अपने एक साथी को गोली मार दी।	1
26.	17.5.1998	नायक मान सिंह राव, जो गार्ड ड्यूटी पर थे, की अपने सहयोगियों के साथ बहस होने पर, उसने 2 अन्य रैंकों को गोली मार दी।	2
27.	30.8.1998	सिगनल मैन मनीष कुमार जब आफीसर्स मैस के गेट पर गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे तो उसके शस्त्र में गोलियां न होने पर उसके जे.सी.ओ. ने उसे डांटा। जब जे.सी.ओ. ऊपर की ओर मुड़ा तो उसने गोली चला कर मार दिया।	1
28.	30.8.1998	सुबेदार शिवराम सिंह, यूनिट के वरिष्ठ जे.सी.ओ., ने जी.डी.आर. नरेश कुमार मीणा को बिना शस्त्र होने पर फटकारा। इस पर क्रोधित नरेश कुमार ने जे.सी.ओ. पर गोली चला कर उसे मार दिया।	1
असम राईफल्स			
29.	1998	राईफलमैन उत्पल सैकिया को हवलदार एल. काशीपरी और रूद्र बहादुर के साथ बातों-बातों में अधिक गर्मा-गर्मी हो जाने पर उन दोनों ने अपने व्यक्तिगत हथियार से मार डाला।	2
सीमा सुरक्षा बल			
30.	5.1.1998	कान्सटेबल संदीप कुमार, पूर्व बी.ओ.पी. मधुसूदन जिस समय उस क्षेत्र में आपरेशन ड्यूटी पर थे तो उसने सी.जे. कपूर सिंह को जो आपरेशन ड्यूटी पर थे, गोली मार दी।	1
31.	27.1.1998	बी.ओ.पी. बरगांव पर तैनात कांस्टेबल शम्भू राम ने हैड कान्सटेबल पूरण सिंह की सी एम से 6 राउण्ड गोली चला कर हैड कांस्टेबल शकी मोहम्मद को मार डाला।	1
32.	8.7.1998	कान्सटेबल हर गोविन्द सिंह ने अपनी व्यक्तिगत एस.एल.आर. शस्त्र से गोली चला कर कांस्टेबल पूरन सिंह को उस समय मार डाला जब दोनों बी.ओ.पी. अमर से गश्त लगा कर लौट रहे थे।	1

1	2	3	4
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल			
33.	11.1.1998	अपने व्यक्तिगत शस्त्र से अकारण और अंधाधुंध गोलियां चला कर हैड कान्सटेबल मामन सिंह ने एक कान्सटेबल और स्वयं को मार डाला।	2
34.	15.4.1998	लांस नायक राम भजन सिंह ने अपने एसएलआर से बैरक के अंदर गोली चला कर एक हैड कांस्टेबल को मार डाला तथा फिर स्वयं को भी गोली मार ली।	2
35.	13.6.1998	दोनों में झगड़ा होने के बाद कांस्टेबल विनय कुमार ने कांस्टेबल दया किशन को, गोली चला कर मार डाला।	1
36.	7.10.1998	कांस्टेबल सुरेन्द्र यादव ने 60 राउण्ड गोलियां चलाई और उप निरीक्षक एन.एन. पाण्डे को मार डाला।	1
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल			
37.	23.4.1998	कांस्टेबल पी.के. पंचोली ने रात्रि के दौरान आई.ओ.सी. जी.आर. बड़ोदा में लांस नायक ई. योहानन की हत्या कर दी।	1
38.	1.9.1998	कांस्टेबल बी. पात्रा ने पी.टी.पी.एल. पत्रातु में हैड कांस्टेबल एस.आर. प्रसाद की गोली मार कर हत्या करने के बाद, आत्महत्या कर ली।	2
1999			
सशस्त्र सेना			
39.	5.3.1999	ग्रेनेडियर श्री निवासुलु डोडी की स्वीपर आर.बालु के साथ गर्मागर्मी हो गई। उसे कैप्टन अजय प्रसाद वरिष्ठ अधिकारी, जिसे मामले की रिपोर्ट दी गई थी, ने फटकार लगाई। ग्रेनेडियर डोडी ने कैप्टन अजय पर दो गोलियां चलाकर उसे मार दिया और ए.के. 47 राईफल से स्वीपर आर.बालु को भी मार डाला।	2
40.	14.7.1999	नायक/राईफलमैन सतीश कुमार ने आपसी झगड़े में नायक/ड्राईवर एस. गोविन्द पर अपने व्यक्तिगत हथियार से गोली चलाई।	1
41.	15.7.1999	सिपाही हरबिन्दर सिंह ने फुरसत में सिपाही देवेन्द्र सिंह के साथ अनैतिक कार्य करने की कोशिश की, बाद में देवेन्द्र सिंह ने हरिजिन्दर सिंह को गोली मार दी।	1
42.	20.7.1999	सेवामुक्ति से पूर्व मानसिक रोग का इलाज करवा रहे लांसनायक स्टालिन ने हैड कांस्टेबल/आपरेटर सुरेन्द्र सिंह को गोली चलाकर मार डाला।	1

1	2	3	4
43.	26.8.1999	हवलदार सुरेन्द्र कुमार, जोकि कम्पनी लोकेशन का गार्ड कमाण्डर था, ने एक जे.सी.ओ. और 4 एन.सी.ओ. को गोली चलाकर मार डाला।	5
44.	6.9.1999	नायक/सुबेदार रामा शंकर ने बिना किसी कारण के उसी यूनिट के 2 अन्य रैंकों को गोली से मार डाला।	2
45.	5.11.1999	जी.डी.आर. रजिन्द्र सिंह द्वारा अपनी एस एल आर से सतपाल सिंह पर गोली चलाई जोकि घटनास्थल पर ही मारा गया।	1
असम राईफल्स			
46	13.8.1999	राईफलमैन हीरा लाल ने अपने सर्विस हथियार से 13 राण्उड फायर किए परिणामत: 2 अन्य रैंकों को मार डाला।	2
सीमा सुरक्षा बल			
47.	30.1.1999	कांस्टेबल राजेश कुमार, जो मधुगिरी सीमा निगरानी पोस्ट पर तैनाती था, ने कांस्टेबल पी.के. झा. जो सन्तरी ड्यूटी पर था, को अपने व्यक्तिगत हथियार से मार डाला।	1
48.	10.8.1999	सीमा निगरानी पोस्ट, शेरपुर पर तैनात कांस्टेबल पी. खोंगसोई और कांस्टेबल अजमेर सिंह अस्थायी बाड़ के अन्दर निगरानी डयूटी पर थे। कास्टेबल पी. खोंगसोई ने अपने व्यक्तिगत हथियार से एक राउण्ड गोली चलाई और हैड कांस्टेबल विवेकानन्द, जोकि बाड़-गश्त पर था, को मार डाला।	1
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल			
49.	5.1.1999	लांस नायक गुरदेव सिंह ने हैड कांस्टेबल फुलवारी लाल को गोली से मार डाला और बाद में स्वयं को गोली मार ली।	2
50.	6.4.1999	कांस्टेबल खुर्शीद लाल की उसके घर पर कांस्टेबल के. हुसैन द्वारा हत्या कर दी गई।	1
51.	26.5.1999	बताया जाता है कि लांस नायक वेद प्रकाश को हैड कांस्टेबल गोकुल चन्द ने गोलियां दी। जिसके परिणामस्वरूप उसने गोकुल चन्द को गोली मार दी।	1
52.	1.11.1999	हैड कांस्टेबल अमी लाल का नशे की हालत में हैड कांस्टेबल दीप चन्द के साथ झगड़ा हुआ और उसके पश्चात् उसने उसे गोली मार दी।	1
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल			
53.	8.7.1999	सी.सी.डब्ल्यू.ओ. धनबाद में उसके सहयोगियों ने हैड कांस्टेबल एस.सी. होटो को पीट-पीट कर मार डाला।	1

1	2	3	4
2000			
सीमा सुरक्षा बल			
54.	11.2.2000	हैड कांस्टेबल (बीएचएम) मोहम्मद खान जब टैक. हैडक्वार्टर के स्टैंड की चैकिंग कर रहा था तो कांस्टेबल राजेश कुमार, जिसने चोरी-छिपे शराब पी ली थी, ने उसे गोली चलाकर मार दिया और उसने स्वयं को भी गोली मार दी।	2
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल			
55.	7.1.2000	हैड कांस्टेबल मान सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की जिसके परिणामस्वरूप 3 अन्य रैंकों की मृत्यु हो गई और उसने स्वयं को भी गोली मार दी।	4
56.	23.1.2000	कांस्टेबल राजकुमार को असम पुलिस कमांडो के हैड कांस्टेबल नईबुद्दीन अहमद ने गोली से मार दिया।	1

किस्मत से बच गये

3868. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 फरवरी, 2000 के 'दैनिक जागरण' में ''किस्मत से बच गये वर्ना हालात तो नहीं थे'', शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी उपक्रमों से विस्तार और विविधीकरण के प्रस्ताव

3869. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी उपक्रमों में नई इकाइयों की स्थापना, मौजूदा इकाइयों की क्षमता का विस्तार/विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार परियोजना-वार तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सरकारी उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा नई इकाईयों की स्थापना, विद्यमान इकाईयों की क्षमता के विस्तार/विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत मुख्य निवेश प्रस्तावों का विवरण संलग्न पत्र में दिया गया है।

विवरण

सरकारी उपक्रमों/सहकारी उपक्रमों द्वारा सरकार को प्रस्तुत मुख्य निवेश प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	सरकारी/सहकारी उपक्रम की परियोजना का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजीगत लागत (करोड़ रु.)	अपेक्षित उत्पादन	
				उत्पाद	क्षमता (लाख एम.टी.पी.ए.)
1	2	3	4	5	6
1.	हजीरा में कृषक भारती को. ली. (कृभको) की अमोनिया/यूरिया विस्तार परियोजना का तीसरा चरण	हजीरा गुजरात	1318	यूरिया	7.68

1	2	3	4	5	6
2.	गोरखपुर में एफ.सी.आई. के वर्तमान स्थल पर कृभको का नया अमोनिया/यूरिया संयंत्र	गोरखपुर यू.पी	1536	यूरिया	7.68
3.	नेलोर में इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) ग्रासरूट परियोजना	नेलोर आन्ध्र प्रदेश	1736	यूरिया	7.68
4.	थाल में राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आर.सी.एफ.) की अमोनिया/यूरिया विस्तार परियोजना	थाल महाराष्ट्र	1332	यूरिया	7.68
5.	ओमान आयल कं. के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में ओमान में इफको/कृभको की ओमिफथा परियोजना	ओमान	969 मिलियन अमेरिकी डालर	यूरिया	16.52
6.	केमाटर, इन्जिनियरिंग स्वीडन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में रायगढ़ में हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) की मीथेन डाई-आईसो साइनेट (एम.डी.आई.) परियोजना	रसायनी जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	400	एम.डी.आई	0.20

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पॉलीटेक्नीक कालेज

3870. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पन्ना, मांडला देवास, पिपरिया आदि स्थानों पर पालीटेक्नीक कालेज स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो परिषद ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) उन स्थानों पर ये कालेज कब तक खोल दिये जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) 1998-99 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने देवास, पन्ना, खानगढ़ ठाकरपुर, दतिया, नरसिंहपुर रायसेन, शाजापुर, सिहोर, शिवपुरी, भिंड, राजनंदगांव और छिंदवाड़ा में 13 पालिटेकनीक स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के पास प्रस्ताव भेजे थे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 1998-99 में सभी प्रस्तावों के संबंध में व्यवहार्यता पत्र जारी किए थे। राज्य सरकार के प्रत्युत्तर के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देवास, दतिया, रायसेन और शाजापुर को छोड़कर ऊपर उल्लिखित स्थानों पर 9 पालिटेकनिकों की स्थापना के लिए अनुमोदन जारी कर दिया है।

[अनुवाद]

मणिपुर में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय खोलना

3871. **श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर सरकार ने राज्य में और केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) से (ग) नवोदय विद्यालय समिति का यही प्रयास है कि मणिपुर सहित देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोला जाए, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार से समुचित प्रस्ताव प्राप्त हों तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। मणिपुर स्थित 9 जिलों में से 8 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने शेष जिले अर्थात इम्फाल (पश्चिम) में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला

3872. डा. रांजय पासवान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायिकरण को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उन संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जी.जी.एस.आई.पी. विश्वविद्यालय, दिल्ली उन संस्थानों में से एक है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु इन संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा ली जा रही प्रवेश परीक्षा के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के आधार पर इन संस्थानों/विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला से संबंधित कोई नीति तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो इस नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दिल्ली में दोनों विश्वविद्यालयों में एम सी ए/बी.एड./बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों में छात्रों को अधिकतम संख्या में दाखिला देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील): (क) और (ख) यद्यपि निजी क्षेत्रक में शिक्षा में सहभागिता होनी है तथापि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं होगा।

(ग) दिल्ली विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

(घ) से (छ) विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में दाखिला नीति तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों का अपना सांविधिक तंत्र है।

[हिन्दी]

भारतीय विज्ञान प्रयोगशालाओं पर लगाए गए प्रतिबंध

3873. श्री विजय गोयल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 1998 के दौरान किए गए परमाणु-परीक्षण के पश्चात् विभिन्न देशों द्वारा भारतीय विज्ञान-प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन प्रतिबंधों को भारत और अमरीका के बीच संबंधों में बदलाव आने के कारण छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन प्रतिबंधों की वजह से हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(च) सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) मई, 1998 के दौरान किए गए परमाणु परीक्षण के पश्चात् कुछ देशों ने मुख्य तौर पर विदेशी सहायता (ऋण तथा अनुदान) में निलम्बन/विलम्ब के रूप में प्रतिबन्ध लगाये। जून, 1998 में संयुक्त राज्य अमरीका ने प्रतिबन्धात्मक आर्थिक कार्रवाई की घोषणा की, जिसके बाद जून 1998 में विशेष कार्रवाई की अधिसूचना जारी की। नवम्बर 1998 में संयुक्त राज्य अमरीका ने 200 अधीनस्थ इकाइयों के साथ 40 भारतीय इकाइयों को अधिसूचित किया, जिन पर निर्यात प्रतिबन्ध लगाये जाने थे। दिसम्बर, 1999 में 51 अधीनस्थ इकाइयों को ऐसी इकाइयों की सूची से हटा लिया गया है।

(घ) से (च) इन प्रतिबन्धों की वजह से हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति पर कोई अवगम्य प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत का मानना है कि भारत के विरुद्ध एक तरफा प्रतिबंध अनुचित है तथा इनका प्रतिकूल परिणाम होगा और इन्हें पूरी तरह से हटा लिया जाना चाहिए। हमारे संस्थान स्वदेशी विकास तथा वैकल्पिक स्रोतों से खरीद के द्वारा प्रतिबन्धों से निपटने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना

3874. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश के युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के वास्ते क्या कार्रवाई करने का विचार हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) जी, नहीं। अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए और युवा वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैरियर के रूप में अपनाए जाने को प्रेरित करने के लिए विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित अनेकों कार्यक्रम जो विशेष तौर पर युवा वैज्ञानिकों के लिए हैं, चलाये जा रहे हैं। युवा वैज्ञानिकों तथा छात्रों को बढ़ावा देने के लिए हाल के कुछ प्रयासों में, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, स्वर्ण जयन्ती अध्येतावृत्तियां, जैव प्रौद्योगिकी अध्येतावृत्तियां, राष्ट्रीय महिला जीव वैज्ञानिक पुरस्कार, ग्रीष्म अनुसंधान अध्येतावृत्तियां, एकीकृत विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रस्ताव और विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु निधि (फिस्ट) शामिल हैं।

रक्त बैंक संबंधी समिति

3875. श्री पी. कुमारसामी:
श्री सुरेश चन्देल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार रक्त बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्त बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) 30 अक्तूबर, 1999 की स्थिति के अनुसार देश में लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों की कुल संख्या 1455 है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

30.10.99 की स्थिति के अनुसार सीएलएए द्वारा अनुमोदित किए गए और अस्वीकृत किए गए रक्त बैंक के आवेदनों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सीएलएए द्वारा अनुमोदन हेतु राज्यों से प्राप्त आवेदनों की संख्या					सीएलएए द्वारा अनुमोदित किए गए आवेदनों (लाइसेंसों) की संख्या				
		सर.	स्वै.	प्राइ. अ.	नि. वा.	योग	सर.	स्वै.	प्रा. अ.	नि. वा.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	59	8	20	44	131	55	8	19	39	121
2.	अ. एवं नि. द्वी. समूह	2	—	—	—	2	2	—	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	16	2	9	4	31	15	2	8	4	29
4.	अरूणाचल प्रदेश	3	1	—	—	4	2	1	—	—	3
5.	बिहार	21	4	8	18	51	20	3	7	10	40
6.	चंडीगढ (संघ राज्य)	3	—	-	—	3	3	—	—	—	3
7.	दिल्ली	15	1	12	8	36	15	1	12	8	36
8.	गोवा	4	—	1	2	7	4	—	1	2	7
9.	गुजरात	33	29	26	74	162	23	28	17	56	124
10.	हरियाणा	17	2	3	4	26	17	2	3	4	26
11.	हिमाचल प्रदेश	12	—	—	—	12	12	—	—	—	12
12.	जम्मू व कश्मीर	11	—	1	—	12	9	—	1	—	10
13.	कर्नाटक	32	31	25	9	97	32	31	23	8	9[illegible]
14.	केरल	31	1	68	8	108	29	1	67	8	1[illegible]5
15.	मध्य प्रदेश	40	6	11	43	100	35	6	10	17	68
16.	महाराष्ट्र	79	45	42	101	267	63	40	38	81	222
17.	मेघालय	2	—	1	—	3	2	—	1	—	3
18.	मणिपुर	3	—	—	—	3	3	—	—	—	3
19.	मिजोरम	5	—	2	—	7	5	—	2	—	7
20.	नागालैंड	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1
21.	उड़ीसा	7	42	3	—	52	7	38	3	—	48
22.	पांडिचेरी	5	—	2	—	7	5	—	2	—	7
23.	पंजाब	32	3	17	1	53	30	3	16	1	50
24.	राजस्थान	47	—	2	—	49	47	—	2	—	49
25.	सिक्किम	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1
26.	तमिलनाडु	84	7	22	51	174	76	7	30	51	164
27.	त्रिपुरा	5	—	—	—	5	5	—	—	—	5
28.	उत्तर प्रदेश	77	2	13	37	129	77	2	13	36	128
29.	पश्चिम बंगाल	71	3	9	15	98	68	2	9	8	87
	योग	738	187	307	419	1631	663	175	284	333	1455

क्र.सं.	राज्य का नाम	दोषपूर्ण पाए गए और मुद्रिकरण हेतु राज्यों को भेजे गए आवेदनों की संख्या					जांच के बाद सी.एल.ए.ए. द्वारा अस्वीकृत किए आवेदनों की संख्या				
		सर.	स्वै.	प्राइ. अ.	नि. वा.	योग	सर.	स्वै.	प्रा. अ.	नि. वा.	योग
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	2	2	4	—	1	3	8
2.	अ. एवं नि. द्वी. समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
4.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
5.	बिहार	—	—	—	1	1	1	1	1	7	10
6.	चंडीगढ (संघ क्षेत्र)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	गुजरात	—	—	—	—	—	10	1	9	18	38
10.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	जम्मू व कश्मीर	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
13.	कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
14.	केरल	1	—	1	—	2	1	—	—	—	1
15.	मध्य प्रदेश	—	—	—	4	4	5	—	1	22	28
16.	महाराष्ट्र	—	—	—	2	2	16	5	4	18	43
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	उड़ीसा	—	1	—	—	1	—	3	—	—	3
22.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	पंजाब	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3
24.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	तमिलनाडु	5	—	2	—	7	3	—	—	—	3
27.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
28.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
29.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	3	1	—	7	11
	योग	8	1	3	9	21	47	12	18	78	155
	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या			1631	738	187	307	419			
	जारी किए गए लाइसेंस की संख्या			1455	663	175	284	333			
	शुद्धिकरण हेतु लाइसेंस की संख्या			21	8	1	3	9			
	वापस किए गए लाइसेंस की संख्या			155	47	12	18	78			

*स.-सरकारी, स्वै-स्वैच्छिक, प्रा.अ.-प्राइवेट अस्पताल, नि.वा.-निजी वाणिज्यिक, योग

मद प्रदर्शन बोर्ड पर दवाओं की उपलब्धता

3876. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दवाओं की उपलब्धता संबंधी सूचना मद प्रदर्शन बोर्ड पर दर्शाने के लिए सभी अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे मरीजों को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे दिशा-निर्देश सभी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को भी जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए भी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में उपलब्ध दवाओं सहित निम्नलिखित वस्तुएं औषधालयों के बोर्ड पर दर्शाई जाती है:-

काम नहीं करने वाले उपस्कर की स्थिति, विभिन्न जांच-पड़तालों का प्रभार, शिकायत निदान अधिकारी के नाम एवं दूरभाष और बाह्य रोगी विभाग की समय-सारणी—डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबंद्ध अस्पतालों के नागरिक चार्टर के भाग के रूप में।

(ग) ऐसे उपायों से रोगियों को अस्पतालों में दवाओं सहित सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी में सहायता मिलने की संभावना होती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मेडिकल स्टोर डिपो दवाइयों की उपलब्धता/दवाइओं की नई खेप और औषधों/गैर-औषधों केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम औषधालयों हेतु दवाओं के आयात के बारे में अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित दैनिक स्टोर सूचना बुलेटिन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के सभी जोनों के जरिए जारी की जानी है।

(च) से (ज) वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देकर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त दवाओं की आपूर्ति के लिए अलग पंक्ति और काउन्टर की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

मलेरिया से मौतें

3877. **श्री पी.आर. खूंटे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1999 में मध्य प्रदेश में सारंगनाथ के पिछड़े क्षेत्रों में मलेरिया के कारण बड़ी संख्या में लोग मरे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मलेरिया उन्मूलन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या इस धनराशि का समुचित उपयोग किया गया;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं के होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को मांग के आधार पर और तकनीकी अपेक्षा के अनुसार सामग्री सहायता प्रदान करती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है:

वर्ष	(लाख रुपए में)
1997-98	1072.77
1998-99	454.79
1999-2000	1953.82

राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सामग्रीगत सहायता का उपयोग कर लिया गया है।

(ङ) मलेरिया के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये:-

- उपयुक्त कीटनाशकों और वैकल्पिक तथा एकीकृत वेक्टर नियंत्रण संबंधी विधियों से चयनात्मक छिड़काव के लिए क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण के माध्यम से वेक्टर नियंत्रण संबंधी उपाय तेज करना।
- तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार चयनात्मक प्रयोग के लिए संश्लिष्ट पायरेथोरिडों जैसे अपेक्षाकृत नए कीटनाशकों को शुरू करना।
- जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यकलापों को तेज करना।
- सभी स्तरों पर गहन पुनराभिविन्यास कार्यक्रमों और सूक्ष्म प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई.एफ.) के माध्यम से संस्थागत और प्रबंध क्षमता निर्माण, जनशक्ति विकास।

  सितम्बर, 1997 से राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से एक उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना (ई.एम.सी.पी.) का कार्यान्वयन। यह परियोजना इन सारे उपायों के माध्यम से अतिरिक्त निवेशों के जरिए मलेरिया नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप तेज करने के लिए मलेरिया के उच्च स्थानिकमारी वाले 7 प्रायद्वीपीय राज्यों के 100 आदिवासी बाहुल्य वाले जिलों, मध्य प्रदेश के 25 जिलों और मध्य प्रदेश में भोपाल सहित 19 शहरों/कस्बों को कवर करती है।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. संक्रमण

3878. श्री रघुनाथ झा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्सी प्रतिशत एच.आई.वी. संक्रमण अत्यधिक लोगों से यौन संबंध स्थापित करने से होता है; और

(ख) यदि हां, तो "कंट्री सिनेरियो" 1998-99 में यथा प्रकाशित के इस अध्ययन का आधार क्या है कि पीड़ितों में सिर्फ इक्कीस प्रतिशत महिलाएं हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) आंकड़े विभिन्न रक्त परीक्षण केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों तथा देश भर के अस्पतालों में भर्ती किए गए रोगियों पर आधारित हैं। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि कुल दर्ज रोगियों में से 21 प्रतिशत महिलाएं हैं।

पीड़ितों को मुआवजा

3879. श्री वैको : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु प्रावधान करने की दृष्टि से अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 पर अपनी 154वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की है कि आपराधिक कानून में अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने के मौजूदा प्रावधानों की कमजोरियों को देखते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नई धारा (धारा 357-क) को जोड़ना आवश्यक है। भारत के विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके जांच की जा रही है।

एच.एन.एल.एफ.

3880. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेघालय के भूमिगत हाईन्नियुट्रीप नेशनल लिबरेशन फ्रंट (एच.एन.एल.एफ.) ने राज्य में गतिविधियां तेज कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेघालय सरकार ने भूमिगत एच.एन.एल.सी. पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) हाईन्नियुट्रीप नेशनल लिबरेशन कांउसिल (एच.एन.एल.सी.) द्वारा वर्ष 1999 में हिंसा में वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें दो पुलिस कर्मियों समेत 10 व्यक्ति, 17 हिंसक घटनाओं में मारे गए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1997 में 10 घटनाएं (2 नागरिक मारे गए) तथा 1998 में 3 घटनाएं (1 सिविलियन मारा गया) हुई थीं। चालू वर्ष के दौरान, अब तक (31 मार्च तक) इसने 3 घटनाओं में 2 हत्याएं (1 पुलिस कार्मिक समेत) की हैं। एच.एन.एल.सी. मुख्यतः शिलांग के गैर-आदिवासी व्यापारियों से धन ऐंठने में भी लिप्त है।

(ग) मेघालय सरकार ने विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन एच.एन.एल.सी. को प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है।

(घ) इस समय, भारत सरकार एच.एन.एल.सी. को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं है।

हेरोइन

3881. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजैक्शन द्वारा हेरोइन और एक ही सुई को कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के परिणामस्वरूप भारत और दक्षिण एशिया के देशों में एच.आई.वी./एड्स के मामलों में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस खतरे को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) भारत के केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुई लगाने और एक ही सुई को कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के जरिए एच.आई.वी. संक्रमण सीमित है।

(ख) 31 मार्च, 2000 तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को कुल 11251 एड्स के रोगियों की सूचना दी गई है जिसमें से 596 रोगी (5.3 प्रतिशत) नशे का इन्जेक्शन लेने के कारण हैं।

(ग) भारत में एच.आई.वी./एड्स को फैलने से रोकने के लिए देश-भर में इस समय एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके मुख्य संघटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- लक्षित जनसंख्या की पहचान और जोड़ों को परामर्श प्रदान करके, कण्डोम को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच.आई.वी. के फैलने की घटनाओं को कम करना।
- सूचना, शिक्षा और संचार और जागरूकता अभियान से सामान्य जनता के लिए निवारक उपचार, स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श, सुरक्षित रक्ताधान सेवाओं की व्यवस्था, और व्यावसायिक खुलाव (आकूपेशनल इक्सपोजर) की रोकथाम करना।
- अवसरवादी संक्रमणों, गृह और सामुदायिक आधारित परिचर्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्तरों पर प्रभावकारिता और तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय सम्पोषणीयता सुदृढ़ करना।
- सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।

सुरक्षा एजेंसियों का बदला जाना

3882. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6.4.2000 को 'द ट्रिब्यून' में "आई.बी. में रीपलेस कॉप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं, तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीमा-पार से तस्करी को रोकने में इसके किस सीमा तक सहायक सिद्ध होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) लाहौर और अटारी के बीच चल रही समझौता एक्सप्रैस से यात्रा कर रहे कुछ यात्रियों के जाली भारतीय मुद्रा और अन्य निषिद वस्तुओं की जब्ती और अटारी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के मूल्यांकन को देखते हुए, इस गाड़ी के द्वारा निषिद वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय करने का निर्णय लिया गया है। इन उपायों में सामान की शत प्रतिशत मैन्युल चैकिंग, सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना, प्लेटफार्म को साफ-सुथरा रखना और कुलियों की सेवा का हटाना और अटारी रेलवे स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों की मिली भगत को रोकने के लिए सतर्कता तंत्र का सुदृढ़ीकरण। समुची योजना के हिस्से के रूप में यह भी प्रस्ताव है कि आप्रवास ब्यूरो अटारी रेलवे स्टेशन, बाघा लैंड चेकपोस्ट और अमृतसर में राजा सासी हवाई अड्डे पर आप्रवास का कार्य अपने हाथ में लेगा। इससे राष्ट्र-विरोधी तत्वों और सीमा पार से तस्करों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी क्योंकि आप्रवास ब्यूरो के कार्मिक ऐसे कार्यों में बेहतर प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं।

झूठ पकड़ने वाली मशीन से परीक्षण

3883. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस बात की अनेक शिकायतें मिली है कि अभियुक्तों को एक विशेष प्रकार की दवा पिलाने के बाद ही झूठ पकड़ने वाली-मशीन से उनका परीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से इस तरह के परीक्षण वकील की उपस्थिति में किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की बात कही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि शिकायत कर्ता को नशीली दवाएं दी गयी और उसकी मर्जी के बगैर उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बैठाया गया।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बैठाने से संबंधित दिशा निर्देश तैयार किए हैं और इस बात पर विचार करने के लिए कि इस प्रकार की जांच, अभियुक्त व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद की जाए, उन्हें भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

3884. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में वैद्य सहित कितने कर्मचारी और कमरे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा संस्थान को कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या संस्थान की ज्वलंत समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समस्याओं के समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में वैद्यों सहित 377 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदानों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	योजनेत्तर	योजना
1997-98	400.00 लाख	163.00 लाख
1998-99	500.00 लाख	396.00 लाख
1999-2000	525.00 लाख	347.50 लाख

(ग) से (ङ) ऐसी कोई समस्याएं नहीं हैं। अत: जब कभी प्रशासनिक तथा वित्तीय मुद्दे उठते हैं तो उनका निराकरण किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय सेना के विरुद्ध आक्रामक भाव

3885. श्री आर.एल. भाटिया :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पाक अल्ट्राज प्लान फाइनल अफेन्सिव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा सीमा पार की गतिविधियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्। सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) सरकार सतर्क है।

(ग) सीमा पार से चलाई जा रही गतिविधियों से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन मजबूत करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी प्रदेश में प्रतिकारक कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्क्रिय बनाना, सभी स्तरों पर यू.एच.क्यू. के आपरेशन ग्रुपों का वृहत् कार्यात्मक ढांचा तैयार करना, सुरक्षा बलों के लिए बेहतर तकनीक, हथियार और उपस्कर देना, सीमा पर कड़ी निगरानी रखना, दोनों ओर से घुसपैठ रोकने के लिए भीतरी क्षेत्र में और नाका पार्टियां, अधिक पिकेटें स्थापित करना, गहन गश्त तथा व्यापक घेराबंदी तथा तलाशी अभियान चलाना, शामिल है।

रेल पथ पर विस्फोट

3886. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के असम दौरे के पूर्व संध्या पर वहां रेल पटरियों को उड़ा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे में ऐसी कितनी घटनायें हुई थीं; और

(घ) उग्रवादियों के हाथों से रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की जान माल सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) 19 जनवरी, 2000 को बोकाजन और चुंगाजन रेलवे स्टेशनों के बीच एक बम विस्फोट हुआ जिसके कारण एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) रेलवे ट्रैक्स पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। रेलवे गैंगमैन, होमगार्डों और जी.आर.पी. कार्मिक संयुक्त रूप से रेलवे ट्रैक्स की गश्त पर तैनात किए गए हैं। स्टेटिक पुलिस और आर्मी गार्डों को राज्य में समस्त महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर ड्यूटी पर लगाया गया है। राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल कार्मिक तथा होमगार्डों को सभी यात्री/माल गाड़ियों पर तैनात किया गया है। सुरक्षा प्रबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

1997

1. रांगिया जी.आर.पी.एस. के अन्तर्गत गोरेस्वर-खोंडिकार रेलवे स्टेशन के बीच में रेलवे पुल पर।

2. रांगिया जी.आर.पी.एस. के अन्तर्गत साकूपेटा और बारपेटा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर।

3. उत्तरी लखीमपुर जी.आर.पी.एस. के अन्तर्गत कैथलपुखुरी और सिलानीबारी रेलवे स्टेशन के बीच में रेलवे ट्रैक पर।

4. बोंगईगांव जी.आर.पी.एस. के अन्तर्गत कोकराझार रेलवे स्टेशन ट्रैक पर।

5. बोंगईगांव जी.आर.पी.एस. के अन्तर्गत बसाऊगांव और सलाकटि के बीच रेलवे ट्रैक पर।

1998

1. रांगिया जी.आर.पी.एस. के अंतर्गत सारुपेटा और बारपेटा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर।

2. बोंगईगांव जी.आर.पी.एस. के अंतर्गत गोसाईगांव और चौटारा रेलवे स्टेशन के बीच अलकाझार में रेलवे ट्रैक पर।

3. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर।

4. गुवाहाटी जी.आर.पी.एस. के अंतर्गत नदी के पुल पर रेलवे ट्रैक पर।

1999

1. रांगिया जी.आर.पी.एस. के अंतर्गत सारुपेटा और बारपेटा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर।

2. रंगापाड़ा जी.आर.पी.एस. के अंतर्गत हुंगराजूली और मजबट रेलवे स्टेशन के बीच में पंचन्दी नदी के ऊपर रेलवे पुल पर रेलवे ट्रैक पर।

3. बोंगईगांव जी.आर.पी.एस. के अंतर्गत बिजनी और पतिलादाहा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर।

4. बोंगईगांव जी.आर.पी.एस. के अंतर्गत कोकराझार और सलाकटि रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर।

5. सिमालुगुड़ी आर.आर.पी.एस. के अंतर्गत के.एम. सं. 443/6-7 पर रेलवे ट्रैक पर।

फर्जी रेल-टिकट

3887. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने फर्जी रेल-टिकट का धंधा करने वाले एक गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे गिरोह किन-किन स्थानों पर काम करते रहे हैं; और

(घ) सरकार ने देश में ऐसी हरकतों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 7 फरवरी, 2000 को जामा मस्जिद थाने के एक पुलिस दल ने "इमरान गैस्ट हाउस", जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में स्थित है, से पंचिंग मशीन, तारीख लगाने वाली मोहर और पैड, इत्यादि सहित, 392 जाली रेलवे टिकट बरामद किए। दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा जामा मस्जिद थाने में उसी दिन एक मामला संख्या प्रथम सूचना रिपोर्ट 62/2000 दर्ज किया गया।

(ग) हाल ही में ऐसी कोई अन्य घटना दिल्ली पुलिस की जानकारी में नहीं आई है।

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है रेलवे टिकटों की बुकिंग करने वाली एजेंसियों/फर्मों की नियमित रूप से चैकिंग करना, ट्रैल एजेंसियों/एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना, टिकट चैकिंग स्टाफ को इस आशय के अनुदेश देना कि यात्रियों के टिकटों की जांच यह पता लगाने के लिए ध्यानपूर्वक करें कि कहीं वे जाली टिकट तो प्रयोग नहीं कर रहे, बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों पर जन-संबोधन प्रणाली द्वारा घोषणा करके यात्रियों को अनधिकृत व्यक्तियों, दलालों, इत्यादि से टिकट न खरीदने की सलाह देना।

नक्सलवादी समस्या

3888. श्री चिंतामन वनगा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवादी समस्याओं का सामना करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए कुछ राज्यों और क्षेत्रों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी वित्तीय सहायता अंतरग्रस्त है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) इस आशय से कि राज्य अधिक प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके उनकी सहायतार्थ, सरकार ने 1.4.1996 से 31.3.2001 तक की अवधि को कवर करते हुए वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए राज्यों द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की 50% प्रतिपूर्ति करने संबंधी एक योजना क्रियान्वित की

:। इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों ो निम्नलिखित धनराशि जारी की गई है:-

	(करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	30.46 रुपए
बिहार	9.00 रुपए
मध्य प्रदेश	5.00 रुपए
महाराष्ट्र	1.96 रुपए
उड़ीसा	3.58 रुपए

इसके अलावा, 1999-2000 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत इन राज्यों को निम्नलिखित निधियां भी जारी की गई हैं:-

	(करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	3.54 रुपए
बिहार	5.08 रुपए
मध्य प्रदेश	8.46 रुपए
महाराष्ट्र	5.68 रुपए
उड़ीसा	0.52 रुपए

अपराह्न 12.08 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत जारी सी.आर.पी.एफ. अधीनस्थ रैंक (सिगनल्स) भर्ती नियम, 2000 जो 11 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 83 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1613/2000]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई अनुपूरक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1614/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): महोदय, डा. मुरली मनोहर जोशी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल सेन्टर फार अंटार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार अंटार्कटिक एण्ड ओशन, रिसर्च, गोवा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1615/2000]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1616/2000]

(ख) (एक) पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1617/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निर्यात और आयात नीति (1 अप्रैल, 1997-31 मार्च, 2002) (इसमें 31 मार्च, 2000 तक किए गए संशोधन सम्मिलित हैं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1618/2000]

(2) प्रक्रिया पुस्तिका (खंड 1) (1 अप्रैल, 1997-31 मार्च, 2002) (इसमें 31 मार्च, 2000 तक किए गए संशोधन सम्मिलित हैं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1619/2000]

अपराह्न 12.09 बजे

विशेषाधिकार समिति

पहला प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09½ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2000-01) संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-01) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-01) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.10 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.11 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा से सर्वश्री ओंकार सिंह लखावत और संजय निरुपम की सेवा निवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को निर्वाचित करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को प्रेषित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

के लिए राज्य सभा से सर्वश्री ओंकार सिंह लखावत और संजय निरुपम की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को निर्वाचित करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को प्रेषित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का शासी निकाय

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): श्री एन.टी. षणमुगम की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नियमों, विनियमों और उप-नियमों के नियम 15 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नियमों, विनियमों और उप-नियमों के नियम 15 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13 बजे

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): महोदय, श्री एन.टी. षणमुगम की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13½ बजे

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 31 और 3.1.1. के साथ पठित भारतीय विज्ञान संस्थान की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए योजना के खंड 9(1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, योजना के और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन

भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित भारतीय विज्ञान संस्थान की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए योजना के खंड 9(1)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, योजना के और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14 बजे

(चार) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स की सामान्य परिषद, धनबाद

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

''कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 15 के खंड (3) के साथ पठित नियम 4 के खंड (ii) से (iv) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद की सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 15 के खंड (3) के साथ पठित नियम 4 के खंड (ii) से (iv) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद की सामान्य परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न $12.14^{1}/_{2}$ बजे

(पांच) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

''कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के नियम 2(1)(xix) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा इस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के नियम 2(1)(xix) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा इस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, जहाँ कहीं भी संसद सदस्यों को किसी निकाय में शामिल करने का प्रावधान है, मैं समझता हूँ, यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह सुनिश्चित करें कि, सभा की स्थापना के तुरंत बाद, इन प्रस्तावों को सभा में प्रस्तुत करें। छः महीने बाद, इन प्रस्तावों को सभा में लाया जा रहा है।

अपराह्न 12.15 बजे

(छः) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3(4)(ञ) और 4(ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3(4)(ञ) और 4(ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विशेष उल्लेखों पर चर्चा करेगी। अब श्री सुरेश कुरुप बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): श्री राजीव प्रताप रूडी के साथ जो घटना घटी है, वह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सबको बुलाएंगे। पहले बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आप सब बैठ जाइए। आपको बुलाएंगे। मैंने श्री सुरेश कुरुप को बोलने के लिए बुलाया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, केरल के मुख्य मंत्री और केरल के सभी राजनीतिक दलों के नेता आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि के विरोध में संसद भवन के आगे धरने पर बैठे हैं। जैसाकि सभी जानते हैं, केरल ऐसा राज्य है जिसने, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर को घटाने में, प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद भी, उल्लेखनीय कार्य किया है। इन सब उपलब्धियों का आधार यह है कि हमारे यहाँ आदर्श सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। राज्य में प्रत्येक दो किलोमीटर पर एक राशन की दुकान है जिससे राज्य का प्रत्येक गरीब परिवार दिन में एक समय का भोजन लेने का सामर्थ्य रखता है। यह अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि इस आदर्श सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विघटित कर देगा। संपूर्ण देश में इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाने के बजाय, सरकार, इस मूल्य वृद्धि द्वारा, इस आदर्श सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विघटित कर रही हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं इस सभा के सभी सदस्यों से, दलों का भेद किए बिना, विशेषकर एन.डी.ए. में शामिल, तेलगु देशम, डी.एम.के. और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सरकार पर इस अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए दबाव डाले, अन्यथा केरल का विकास रुक जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह अब आप बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप श्री सुरेश कुरुप की बात का ही समर्थन कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, केरल विधान सभा के विपक्ष के नेता और सभी राजनैतिक दलों के नेता धरने पर बैठे हैं। सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*। सरकार इस पर क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: आप भी श्री सुरेश कुरुप का साथ दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय सदस्य का समर्थन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को बुलाया है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास सदस्यों की सूची है। मैं सूची अनुसार सदस्यों को बुला रहा हूँ। कृपया समझिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप 'शून्य काल' में सभा में लगातार व्यवधान डालेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कृपया इसे समझिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हिन्दुस्तान का दो-तिहाई इतिहास बिहार का इतिहास है। लेकिन वहां पर भारत सरकार की फासीवादी हुकूमत द्वारा, गवर्नर से बहुमत का गला घुटवाया गया। विधान सभा में जब बहुमत साबित नहीं हुआ तब उस सरकार को हटना पड़ा और वहां बहुमत की हुकूमत कायम हुई। जब वहां जनतंत्र की स्थापना हुई तो फासीवादी हुकूमत बाज नहीं आई। अब सी.बी.आई. को उसमें लगाकर राजनैतिक द्वेष से, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। श्री लालू प्रसाद पहले क्यों थे, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्य मंत्री हैं, उनको कानून का गला घोंटकर, न्याय की हत्या करके जैसे-तैसे एक्यूज्ड बनाया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मामला न्यायालय में लंबित है। अदालत के विचाराधीन मामला आप यहाँ कैसे उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सी.बी.आई. पर इस संबंध में दबाव डाला गया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप राज्य से संबंधित सभी मामलों को इस सभा में कैसे उठा सकते हैं? यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। आप कैसे इसे यहाँ उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रक्रिया को जानते हैं। आप राज्य से संबंधित सभी मामलों पर यहाँ कैसे चर्चा कर सकते हैं, वह भी तब जब मामला न्यायालय में लंबित पड़ा हो? आप उस पर यहाँ चर्चा कैसे कर सकते हैं?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मामला कोर्ट में पैंडिंग है। ...*(व्यवधान)* सी.बी.आई. भारत सरकार की पिछलग्गू है। ...*(व्यवधान)* बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। ...*(व्यवधान)* तमान अखबारों में छपा है कि डिसप्रपोर्शनेट असैट वाले मामले में अभी तक कहीं भी कोई मामला नहीं चला है। अनबेलेबल वारंट नहीं निकला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रकार के मामले को कैसे उठा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह सरकार सी.बी.आई. का दुरुपयोग कर रही है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी से इस सभा के स्तर का निर्धारण किया हुआ है कि जिन व्यक्तियों पर आरोप पत्र दाखिल है वह भी सरकार में रह सकते हैं। वह यही कहना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सी.बी.आई. पर यह सरकार दबाव डाल रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बहुत ही गंभीर मामला उठा रहा हूं। इस सदन के सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी के साथ रविवार की रात कुछ बड़े पुलिस पदाधिकारियों के सुरक्षाकर्मी, उनके द्वारा शराब पीकर *...(व्यवधान)*

यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह सांसदों के अस्तित्व का मामला है। चाहे विपक्ष के लोग हों, या पक्ष के लोग हों *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल: यह रविवार की रात की घटना है। श्री राजीव प्रताप रूडी अपने परिवार और अपनी बच्ची के साथ जा रहे थे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोर्ट का मामला है न, आप कैसे उठा सकते हैं?

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल: वे अपनी गाड़ी में आ रहे थे, उनके साथ उनका सुरक्षाकर्मी था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल डा. एम.पी. जायसवाल का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल: कुछ दिल्ली पुलिस के बड़े पदाधिकारियों के सुरक्षाकर्मी, जो वहां नियंत्रण कक्ष में पदस्थापित हैं, वे लोग शराब पिये हुए थे। एक सुमो में चढ़कर उन लोगों ने राजीव प्रताप की गाड़ी को धक्का मारा। जब राजीव प्रताप रूडी ने उस गाड़ी का पीछा किया। मैं *...(व्यवधान)* आप तो बिहार में केन्द्र सरकार के मंत्री के ऊपर पत्थर फिंकवाते हैं, आप बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रैश करें।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल: अध्यक्ष जी, उसके बाद राजीव प्रताप रूडी जी ने उनकी गाड़ी का पीछा किया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सीनियर मैम्बर हैं, ऐसा नहीं बोलें प्लीज। आप बैठ जाइये।

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल: इनको चेयर पर्सन से हटा दिया जाये, जब हम लोगों की, माननीय सदस्यों की बात नहीं सुनते। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आपको यहाँ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा। इन टिप्पणियों को मैं कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल रहा हूँ।

[हिन्दी]

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल: जब राजीव प्रताप रूडी की गाड़ी द्वारा उनका पीछा करके उनकी गाड़ी रोकी गई तो उसके बाद उन सुरक्षाकर्मियों ने, जो शराब पिये हुए थे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या हो रहा है? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल: राजीव प्रताप रूडी के सुरक्षाकर्मी को पकड़कर, जिसका नाम कर्ण सिंह है, उसे बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): रघुवंश जी, एक सांसद की बात है, उन्हें कल पीटा गया है। यह आपके साथ या किसी के साथ भी हो सकता है। कम से कम उसे तो सुन लीजिए। यह

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

एक आदमी की बात नहीं है, यह पूरे सदन की बात है और इस सदन की बात की आप अवहेलना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें, प्लीज। सदन के बारे में हम देखेंगे, आप बैठ जाइये प्लीज।

श्री लाल मुनी चौबे: आप यह बात तो खत्म होने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भी बैठ जाइए। प्रभुनाथ सिंह जी, आप भी बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री नागमणि, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है? माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नागमणि, यदि आप अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे, मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है? सभा में एक प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य व्यवधान डालना चाहता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. एम.पी. जायसवाल के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष जी, उसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनके सुरक्षाकर्मियों को पकड़कर बुरी तरह पीटा। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी जी गाड़ी लेकर बगल के थाने पर गये। वहां से पुलिसकर्मी आये, लेकिन जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में आये, उन्हें भी उन पुलिस वालों ने पीटा और उसके बाद जब वायरलैस पर खबर हुई तो दो पुलिस वैन वहां पर आई। ये जितने सुरक्षाकर्मी थे, ये-शराब पिये हुए थे।

यह आमोद कंठ, आर.सी. कोहली और एस. रामाकृष्णन् का पर्सनल स्टाफ था। वे शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनके सुरक्षाकर्मी का रिवाल्वर छीन लिया गया। पुलिस ने ऐसा व्यवहार एक सांसद के साथ किया। इस सदन में चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी सांसद, माननीय सदस्य हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसी घटना घटती है तो यह गम्भीर मामला बनता है। मैं चाहूंगा कि ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं, और हम निवेदन करते हैं कि उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल : यह सांसद के विशेषाधिकार का मामला है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमें खेद है जिस प्रकार माननीय सदस्य के साथ व्यवहार किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमने भी इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपको माननीय मंत्री महोदय को निर्देश देना चाहिए क्योंकि यह मामला सभा के सम्मान से जुड़ा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): यह लोक सभा के माननीय सदस्य की मान्यता का सवाल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप कृपया संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय मंत्री महोदय को सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा नहीं होगी। समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय को सभा में आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमने भी आपको नोटिस दिया है। गृह मंत्री जी बराबर दावा करते हैं कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है। हम यह कहते हैं कि जहां गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी नाक के नीचे एक सांसद के साथ जिस ढंग की घटना घटी, आज रक्षक भक्षक बनता जा रहा है। उन पुलिसकर्मियों में से मात्र एक सिपाही को ही अभी तक गिरफ्तार किया जा सका है। गृह मंत्री जी को इस पर साफ बयान देना चाहिए। जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, उनको बर्खास्त करके जेल में बंद करना चाहिए। आज राजीव प्रताप रूडी के अंगरक्षक अस्पताल में भर्ती हैं। उनको सरकारी सहायता देकर इलाज कराना चाहिए। सरकार सदन में मौजूद है इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर बयान दे और दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करके जेल में बंद करे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय गृह मंत्री महोदय को सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : केवल गृह मंत्री जी के बयान देने का सवाल नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम विपक्ष की ओर से इस मांग का समर्थन करते हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय को सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, यह अत्यंद गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस सवाल पर गृह मंत्री जी से सदन में बयान कराना चाहिए। उन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करके जेल में बंद करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह सभा के सदस्य के सम्मान का मामला है। इसे गम्भीरता में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि सरकार उत्तर देने ज रही है। कृपया धैर्य रखें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। यह माननीय सदस्य के सम्मान से संबंधित है। महोदय, हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि माननीय गृह मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए और तत्काल उचित कदम उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): गृह मंत्री जी इस सवाल पर सदन में आकर बयान दें। पूरा सदन इस मुद्दे पर एकमत है। पुलिस जामिया मिलिया में आकर छात्रों के ऊपर लाठी चलाती है, इमाम के ऊपर फर्जी मुकदमा बनाकर जेल भेजने का काम करती है। आज एक सांसद राजीव प्रताप रूडी जी पर हमला हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): एफ.आई.आर. नोट नहीं की जा रही थी, जब हम लोगों की यह हालत है तो आम जनता की क्या होगी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री डी.पी. यादव का नाम पुकारा है। आप कैसे बोल सकते हैं? श्री चौबे, कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री डी.पी. यादव का नाम पुकारा है। कृपया बैठ जाइए। आप अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कैसे बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री डी.पी. यादव को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह मामला किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। राजीव प्रताप रूडी हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं। माननीय सदस्य के साथ जो भी घटना घटी है, उस पर सिर्फ गृह मंत्री जी का बयान देना ही मुनासिब नहीं होगा। पुलिस ने जिस तरह की हरकत की है यह सिर्फ माननीय सदस्य की मर्यादा का ही सवाल नहीं है, पूरे सदन की मर्यादा का सवाल है। इस घटना से पूरे सदन की मर्यादा को आघात लगा है। अध्यक्ष महोदय, आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं, यह देश के सर्वोच्च सदन का आसन है। हिन्दुस्तान में इससे बड़ा लोकतांत्रिक कोई दूसरा सदन नहीं है। इसलिए इस सर्वोच्च सदन के माननीय सदस्य के साथ अमानवीय व्यवहार, शर्मनाक व्यवहार किया जाता है और इस तरह की घटना घटती है तो यह लानत और दुख का विषय है। यह एक चिंता का विषय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा घट रही है। यह सम्पूर्ण लोकतंत्र की मर्यादा का भी सवाल है। गृह मंत्री जी न केवल बयान दें, बल्कि उन सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करके सदन को सूचित करें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन आपसे इस विषय पर व्यवस्था मांग रहा है, आप व्यवस्था दें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): आपने आश्वस्त किया था कि उनके बोलने के बाद मुझे भी अवसर देंगे। एक मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थिति को समझिए। सदस्यों द्वारा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों को उठाना चाहते हैं, 30 सूचनाएं दी गई हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : स्वाभाविक है क्योंकि इस सदन के माननीय सदस्य के साथ इस तरह की घटना हुई है, हम अपनी भावनाएं निश्चित रूप से व्यक्त करना चाहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक ही विषय पर बोलने की अनुमति मैं कितने सदस्यों को दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मेरा अनुरोध है कि एक मिनट मुझे कहने का मौका दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर उत्तर देने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इसके बाद सरकार रिप्लाई दे देगी।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, सरकार जवाब दे रही है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आज मैंने भी समाचार पत्र में इस सदन के सम्मानित सदस्य राजीव प्रताप रूडी के सम्बन्ध में जो घटना घटी, वह पढ़ी है। निश्चित रूप से हम सबके लिए यह चिंता का विषय है कि संसद सदस्य की गाड़ी को ठोक कर कुछ पुलिसकर्मी आगे चल जाएं और संसद सदस्य को उसका पीछा करना पड़े। यह अपने आप में बहुत ही गम्भीर घटना है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे। इसमें अपराधी को सजा दी जाएगी। मैं स्वयं इस बात को गृह मंत्री जी के पास रखूंगा। मुझे एक दिन का समय दीजिए, उसके बाद क्या हुआ, यह मैं कल आकर सदन में बताऊंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उनसे पूछें कि घटना कैसे घटी।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, सभा में खड़े होकर यह कहना कि ऐसी घटना मेरे साथ घटी है अत्यंत लज्जानक

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

स्थिति है। वास्तव में यह घटना रविवार की रात को घटी थी। मैंने सोचा कि मुझे इस बहस से बाहर ही रहना चाहिए क्योंकि इसमें मैं भी शामिल था। मैं समझता हूं अधिकांश सदस्यों की सहानुभूति मेरे साथ है।

सामान्य रूप से जब एक संसद सदस्य ऐसी घटना में संलिप्त होता है तो उंगलियां उसकी ओर उठने लगती हैं। यह कहा जाता है कि उसने उस स्थिति में लाभ उठाने के लिए अपने सरकारी ओहदे का प्रयोग किया है। इसी डर के कारण मैं स्वयं को इस बहस से दूर रख रहा था। उस घटना के समय मैं एक 'रिसेप्शन' से लौट रहा था। मैं उस रिसेप्शन में श्री चन्द्रशेखर जी से भी मिला था। वापस आते समय मेरे साथ मेरी आठ वर्षीय लड़की भी थी। उस समय कोई सज्जन, जोकि नशे की हालत में टाटा-सूमो में सवार थे, ने मेरी कार को जोर से टक्कर मारी।

क्योंकि मेरे गृह राज्य में पहले भी मेरे साथ ऐसी समस्याएं रही है, मेरा निजी सुरक्षा अधिकारी को संदेह था और उसने कहा कि हमें उस कार का पीछा करना चाहिए। वह सज्जन, जो उस कार को चला रहा था, और उसके साथी अत्यधिक तेज रफ्तार के साथ हर संभव लाल बत्ती पर रुकने के नियम को तोड़ते हुए तेज रफ्तार से पार करते गए और जिस जगह वे पहुंचे - क्योंकि हम उनको ओवर टेक नहीं कर पाए थे हमने अपनी कार रोक दी। वह अपने पुलिस स्टेशन के पास रुका जहां उसे सुरक्षा प्रदान की गई, वह लोगों पर चिल्लाया था और जो कोई भी वहां था उन पर हाथ चलाने लगा। और इसके बाद 12 से 14 लोगों ने जो लाठियों और लोहे की छड़ों से लैस थे, हमें तुरन्त घेर लिया।

इसी समय मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी ने मुझे जान बचाकर भागने के लिए कहा। मैं जख्मी नहीं था। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं अपनी लड़की को लेकर अपनी कार में कूदा और निकटतम पुलिस पिकेट पर गया जोकि आर.के. पुरम में स्थित है। वहां पर मैंने बीट कांस्टेबल से अनुरोध किया कि 'मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी पर हिंसक आक्रमण हो रहा है।' वह व्यक्ति अपनी छड़ी और अपनी पिस्टल को लेकर उस जगह गया था। इस बीच वे लोग मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी को घसीटकर एक कमरे में ले गये। वे पीटते हुए उसे लेकर गए। इस बीट कांस्टेबल को वहां से पीछा करके भगा दिया गया। जब मैं उसी पिकेट पर वापस गया तो मैं वायरलेस सिस्टम को अपने हाथ में लेकर वायरलेस स्टेशन का कोड लेकर वायरलेस सिस्टम के माध्यम से अपना संदेश भेजने लगा। इसके बाद पहली पी.सी.आर. वैन आई। उन लोगों ने इस पी.सी.आर. वैन को भी भगा दिया। इसके 15 मिनट बाद ही 10 से 15 जिप्सियां आई। परन्तु इस बीच वे उसे खींचकर ले गए और मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी को कमरे में बन्द रखा। मुझे चोट नहीं आई थी। परन्तु उस समय तक जब तक ये सब अधिकारी पहुंचे और लगातार मुझे घेरना शुरू किया मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे कितने बल का प्रयोग कर रहे थे। यह बात मुझे बाद में पता चली कि उनमें से सभी पुलिस कांस्टेबल या पुलिस कांस्टेबल के संबंधी या दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे तभी उन्होंने मुझ पर हमला करने का साहस किया।

महोदय, मेरा निजी सुरक्षा अधिकारी बहुत ही बुरी हालत में सफदरजंग अस्पताल में अभी भी भर्ती है। उसकी चार पसलियां टूटी हुई हैं। उसका बायां हाथ टूट गया है।

महोदय, मैं केवल एक ही बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं अपने आप को इसीलिए रोके हुआ था क्योंकि मैं संसद सदस्य हूं। यदि हम गोली चलाते या यदि हम कुछ करते तो पूरा दोष मुझ पर मढ़ा जाता कि भाजपा के संसद सदस्य के रूप में मैंने यह कार्रवाई की है। इसी कारण मैंने स्वयं को रोके रखा। मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं को बचाने की अनुमति भी मांगी थी। मैंने कहा, 'तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी।

महोदय, इस मामले में मैं सुबह 4.30 बजे तक पुलिस स्टेशन में था। सबसे अचम्भित करने वाला भाग तो यह है कि उस कांस्टेबल पर हमला करने वाले सभी लोग पुलिस स्टेशन में आए। जब मैं अपने निजी सुरक्षा अधिकारी को देखने के लिए सफदरजंग अस्पताल गया था तो वो भी मेरे साथ थे - और मुझे अपशब्द कह रहे थे। एस.एच.ओ. के उपस्थित होने के बावजूद भी यह सब जारी रहा। मैं सुबह 4.00 बजे अकेला आदमी था। मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। मेरा निजी सुरक्षा अधिकारी अभी भी भर्ती है।

महोदय, जो कुछ भी मैंने यहां कहा है उस घटना का सच्चा विवरण है। मुझे सभा में इस तरह का वक्तव्य देते हुए शर्म एवं पीड़ा की अनुभूति हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद, इस प्रकार की घटनाएं बहुत गम्भीर प्रकृति की हैं। यह खेदजनक है। सरकार को इस प्रकार की गम्भीर घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जे.एस. बराड़ जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ : महोदय, कल सदन में मुझे एक मामला उठाने की आपने इजाजत दी गई थी। यह मामला कश्मीर में चट्टीसिंहपुरा से संबंधित है, जहां 36 निर्दोष सिक्खों की हत्या कर दी गई। इस पर पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इस मुद्दे के ऊपर दो मिनट का मौन पार्लियामेंट की तरफ से रखा जाएगा। उस समय डिप्टी स्पीकर साहब हाजिर थे।

इससे सारे सदन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। चट्टीसिंहपुरा में जो घटना घटी है उसके लिए सदन में दो मिनट का मौन रखा जाए, यह मेरी आपके जरिए दरख्वास्त है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जे.एस. बराड़, कल भी आपने यह मामला उठाया था

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पता लगाइये यह किसका टेलीफोन है। हम इसे जब्त कर लेंगे। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर): महोदय, मैंने भारतीय संविधान की समीक्षा के बारे में बोलने के लिए आपको नोटिस दिया है। इस संबंध में कल भी मैंने और मेरी पार्टी के सदस्यों ने इस विषय पर कुछ कहना चाहा था, लेकिन आपने यह कहा कि आपको जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया जाएगा। दुख की बात है कि कल इस विषय पर बहुजन समाज पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन आज इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।

जिस विषय पर मैं सरकार के समक्ष कुछ बात रखना चाहती हूं, उसके बारे में हमारा यह मानना है कि भारतीय संविधान की समीक्षा का जो मुद्दा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की समीक्षा करने का जो फैसला सरकार ने लिया है, यह फैसला अपने आप में ही असंवैधानिक है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इसकी समीक्षा की जाए, लेकिन सरकार की ओर से यह कह कर समीक्षा करने का फैसला लिया गया कि भारतीय संविधान की समीक्षा करना देश के हित में बहुत जरूरी है। इस बारे में आपके माध्यम से मैं सरकार को यह अवगत कराना चाहती हूं कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय भारतीय संविधान को बनाने वाले लोगों ने बहुत सोच-समझ कर संविधान का निर्माण किया और देश के हित को भी ध्यान में रख कर, दूरदृष्टि को ध्यान में रख कर भारतीय संविधान बनाया था। इसे बनाने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसके कई मेम्बर थे और परम पूज्य बाबासाहेब डा. अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे। उन्होंने देश के हित को ध्यान में रख कर, दूरदृष्टि को ध्यान में रख कर भारतीय संविधान में अमेडमेंट की व्यवस्था की थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अपराह्न 3.00 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। हम इस बैठक में नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और एक हल निकालेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 29 सूचनाएं हैं। मैं सभी सूचनाओं को पूरा करना चाहता हूं।

अपराह्न 12.46 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए।]

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पता लगाइये कि यह किसका टेलीफोन है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सेल्यूलर फोन है। इसका ध्यान रखिए। आप टेलीफोन को ले लीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह बड़े लोगों के प्रेस्टीज का सवाल है, इससे ये बड़े आदमी बनते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास होगा तो भी हम कनफिसफेट करेंगे।

...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती: महोदय, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने और खास तौर से परम पूज्य बाबासाहेब डा. अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने के लिए देश के हित को, दूरदृष्टि को ध्यान में रख कर भारतीय संविधान में अमेडमेंट का प्रोविजन रखा था, वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि जब भारतीय संविधान में पहले से ही संशोधन की व्यवस्था है तो संविधान की समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे इसके पीछे एन.डी.ए. की सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आती है, लगता यह है कि वह अपने गुप्त एजेंडे को मनवाना चाहती है, पूरा कराना चाहती है। यह मामला मामूली नहीं है। अगर सरकार समीक्षा करना चाहती भी थी तो संसद में सभी पार्टियों की राय जानना उसके लिए जरूरी था। आज "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् श्री नारीमन का एक लेख छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि संसदीय प्रणाली का तकाजा है कि सरकार ऐसे किसी भी आयोग के गठन का प्रस्ताव सदन के सामने रखे, उसके ऊपर बहस कराये और सहमति होने के बाद इसे कार्यान्वित करे। हमारा मानना है कि यदि सरकार संविधान की समीक्षा करना चाहती थी तो सदन के दोनों सदनों की सहमति लेकर उसे इस बारे में सोच-विचार करना चाहिए था।

दूसरा, संविधान की समीक्षा के लिए जिस आयोग का गठन किया गया है और उसमें चेयरमैन और मैम्बर्स भी नियुक्त हुए हैं लेकिन इस आयोग ने न तो सदन के अंदर और न बाहर ही बताया है कि किन-किन मुद्दों को लेकर संविधान की समीक्षा की जा रही है। उन मुद्दों का जिक्र सरकार ने आज तक नहीं किया है। हमारा संविधान लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है। पिछले 9-10 सालों में दबे-कुचले लोगों में, बैकवर्ड क्लास में, धार्मिक अल्पसंख्यकों में जो राजनैतिक चेतना पैदा हो रही है और जिसके कारण केन्द्र और राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता पैदा हुई है। मैं यह महसूस कर रही हूं कि 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी कि उन्हें पूर्ण बहुमत हासिल हो जाये, लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उनकी मिली-जुली पार्टियों की सरकार चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एन.डी.ए. की सरकार चल रही है वह संविधान समीक्षा की आड़ में लोकतंत्र को खत्म करके कुछ सिस्टम ऐसा बनाना चाहती है जिससे वह अल्पमत में रहते हुए भी पांच साल तक टिकी रहे। ...*(व्यवधान)*

दूसरा, भारतीय संविधान में कमजोर तबके के लोगों को और खासतौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो हक मिले हुए हैं, रिजर्वेशन जैसी सुविधा मिली हुई है, संविधान समीक्षा की आड़ में यह सरकार उन हकों को खत्म करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह शून्यकाल है, आपको इतनी बड़ी तकरीर नहीं करनी है।

कुमारी मायावती: संवधान समीक्षा की आड़ में इन्होंने यह जो कदम उठाया है, यह गलत है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को नियंत्रित रखना है आपको नहीं।

कुमारी मायावती: उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करती हूं कि इस पर वह पुनः विचार करे। यदि संविधान समीक्षा की आड़ में आपने लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता को घात पहुंचाया, कमजोर तबके के अधिकारों का हनन किया तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी और आपकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अल्वी का भी इसमें नाम है। वह इसी विषय पर बोलना चाहते हैं। अब वह अपनी बात को रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मायावती जी ने यह मामला उठाया लेकिन सारा सदन चाहता है कि इस पर बहस कराई जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाएँ। यहां पर श्री राशिद अल्वी का नाम भी है। उन्हें केवल मामले से स्वयं को जोड़ना है। वे केवल एक वाक्य बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): मैं उनके द्वारा व्यक्त विचारों से स्वयं को जोड़ता हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। महोदय।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहन मायावती जी के लम्बे भाषण का लम्बा जवाब नहीं दूंगा लेकिन उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि संविधान की समीक्षा की व्यवस्था करते समय सरकार के मन में कोई खोट नहीं है। सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। ...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती : आपने सदन को विश्वास में नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी टोकाटोकी न करे।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: मुझे सम्माननीय सदस्या की यह बात समझ में नहीं आती कि सदन को विश्वास में लिए बिना संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है? संसद ही संविधान में संशोधन करती है। कोई कमेटी उसमें संशोधन नहीं करती। हम इस पर बहस कराने के लिए तैयार हैं। आपसे आग्रह है कि आप इसके लिए समय निर्धारित करें। इस पर बहस हो जाए। दूध का दूध और पानी कौ पानी हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है जो ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, बहुत से मैम्बर्स का नाम लिस्ट में है। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। रविवार न केवल भारत में सार्वजनिक अवकाश का दिन है अपितु पूरे विश्व में है। आने वाला रविवार, ईस्टर रविवार होने के कारण, पूरे विश्व में क्रिश्चियन समुदाय इसे मना रहा है। दुर्भाग्यवश इस रविवार अर्थात् 23 अप्रैल को कुछ बैंकिंग परीक्षाएँ होनी हैं। मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सरकार को 23 अप्रैल, जोकि 28 ईस्टर दिवस है, जोकि क्रिश्चियन समुदाय द्वारा मनाया जाता है, के दिन होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने के निर्देश प्राधिकारियों को दें।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैंने भी इस विषय पर सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हाँ, आपने भी एक सूचना दी है। आपको एक वाक्य में स्वयं को उससे जोड़ना होगा।

श्री पी.सी. थामस: मैं केवल एक वाक्य बोलूँगा। क्रिश्चियनों के लिए ईस्टर दिवस अत्यधिक महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। यह क्राइस्ट के पुनर्वातरण का दिन है और यह पूरे विश्व में और भारत में भी क्रिश्चियनों द्वारा मनाया जाता है। इसी दिन बी.एस.आर.बी. भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षा अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहा है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग भी कुछ डाक सेवा कर्मियों के चयन के लिए परीक्षा का संचालन कर रहा है। इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए क्योंकि कई क्रिश्चियन इन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाएँगे। यह एक बहुत ही उपयुक्त माँग है जो कि अनेक ईसाई संगठनों द्वारा उठाई गई है। कुछ संगठन धरने पर भी बैठे हुए हैं। अतः इस मामले में म. ीय ं त्री महोदय द्वारा एक सकारात्मक उत्तर दिए जाने की माँग की जा रही है ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (त्रिचुर): महोदय, ईस्टर डे के आने में केवल कुछ दिन ही शेष हैं। हम माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे विचार सरकार तक पहुँचायें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं केवल उनको पुकार रहा हूँ जिन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे इस बारे में सूचित करें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप माननीय मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं अथवा नहीं?

...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, यह एक भावनात्मक मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप माननीय मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया सुनना चाहते हैं? श्री जोस, वह प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए तैयार हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, इस रविवार को ईस्टर सन्डे है और उस दिन कोई भी परीक्षा आयोजित किये जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप माननीय मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: हम माँग का समर्थन करते हैं। बस यही ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री पी.सी. थॉमस: मैं इसे माननीय मंत्री महोदय के नोटिस में लाया हूँ। बैंकिंग विभाग के मंत्री इस बात से सहमत हैं और वे इस मामले में कुछ करेंगे लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, माननीय सदस्यों ने 23 अप्रैल, अर्थात् ईस्टर डे के दिन बी एस आर बी और डाक विभाग द्वारा आयोजित की जा रही कुछ परीक्षाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सामान्यत: परीक्षाएं रविवार को आयोजित की जाती हैं ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा देने में आसानी रहे। लेकिन इस रविवार ईस्टर सन्डे है इसलिए माननीय सदस्य चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित की जाए। माननीय सदस्यों के विचार उन तक पहुँचाने के अतिरिक्त मैं परीक्षाओं को स्थगित करवाने के लिए संबंधित प्राधिकरणों से बातचीत करूँगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे मुझे इस मामले के संबंध में कुछ और जानकारी दें।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को यदि वे कार्यवाही में व्यवधान न डालें तो बोलने का एक अवसर मिल सकता है। मैं सभी को अनुमति दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर में पहले तो सब अपने आपको एसोसिएट करते हैं लेकिन जब अपनी टर्न आती है तो फिर बोलते हैं। इससे बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, असंवैधानिक कदमों से सदन स्वत: ही एक्शन में आ जाता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन सब सदस्यों को देख रहा हूँ जो बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, वे अपनी जीविका तथा रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न भागों से आए हैं। वे दिल्ली तथा अन्य शहरों में झुग्गियों में रहते हैं। अब वे पुलिस अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। उन्हें अपनी झुग्गियों से निकाला जा रहा है। वे निर्माण कार्य तथा अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। उन्हें यहाँ तक कि झुग्गियों में रहने की अनुमति भी नहीं है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें पुन: बसाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जाने चाहिए। अन्यथा, वे कहाँ जायेंगे? सरकार को उन्हें आश्रय प्रदान करना चाहिए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। यह पता चला है कि भारत सरकार हमारे देश में समूचे कोयला विभाग का निजीकरण करने पर विचार कर रही है। इसके परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। इस वर्ष भी 70,000 कर्मचारियों से अधिक कर्मचारी ईस्टर्न कोलफील्ड से निकाले जायेंगे जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित है। उससे भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कारण मजबूत आर्थिक आधार को कमजोर करने की प्रक्रिया में तेजी आयेगी। कोयला उद्योग को स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी के शासन काल के दौरान देश कल्याण, कोयला उद्योग और कोयला विभाग के कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत किया गया था। सरकार एक के बाद एक सभी उद्योगों का निजीकरण कर रही है। उन्होंने पहले से ही बीमा तथा बैंकिंग क्षेत्रों, विजाग इस्पात संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र का निजीकरण कर दिया है। अब वे समूचे कोयला उद्योग का निजीकरण करने जा रहे हैं जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं भारत सरकार के इस निर्णय का विरोध करता हूँ। मैं माँग करता हूँ कि सरकार को देश हित, कोयला उद्योग और कर्मचारियों के हित में तत्काल इस निर्णय को रद्द करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में इस समय जो भयंकर अकाल की समस्या है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान राज्य के 26 जिलों में भयंकर सूखा और अकाल के कारण घोर पेयजल संकट और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वहां के 32 में से 26 जिलों में 25 हजार गाँवों की ढाई करोड़ जनता और साढ़े तीन करोड़ पशुधन घोर अकाल की विभीषिका से जूझ रहे हैं। वर्षा न होने के कारण सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, प्रचंड गर्मी के कारण सारे कुएं, बावड़ी, तालाब, हैंड पम्प, ट्यूब वैल सूख गये हैं और जमीन के पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। पेयजल और भुखमरी के कारण ग्रामीण अंचलों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। पशुधन चारे और पानी के अभाव में मौत का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने पशुओं को अपने

हाल पर छोड़ दिया है। रोजी-रोटी की तलाश में गांव के गांव खाली हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। 30-40 वर्षों में ऐसा घोर अकाल पड़ा है, लोगों को वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार सीमित साधनों के कारण अपने आपको असहाय पा रही है। इसलिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान के इस घोर अकाल और भयावह पेयजल संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर आविलम्ब युद्ध स्तर पर विशेष सहायता प्रदान की जाए जिससे कि जन, धन और पशुधन की रक्षा हो सके तथा वहाँ पेयजल की व्यवस्था हो सके।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आज सुबह, कांग्रेस दल की ओर से हमने एक नोटिस दया था जिसमें हमने कृषि मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री से सभा में उपस्थित रहने का अनुरोध किया था। इस समय देश बहुत ही गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। गुजरात, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के कुछ भाग गंभीर तथा अप्रत्याशित सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं। जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी रूप से विकसित जल प्रबंध संबंधी नीति पूर्णत: बेकार हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईजराईल में भारत की तुलना में दसवां हिस्सा वर्षा होती है, फिर भी, वे स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जल प्रबंध तकनीक को अपना सकते हैं लेकिन हम उसमें असफल रह जाते हैं।

गुजरात में स्थिति यह है कि पानी खरीदा जा रहा है। राजस्थान में एक इंच भूमि पर भी हरियाली नहीं है जहाँ कि पशु चराए जा सकें। हमें पिछले सप्ताह सूचना मिली थी कि उड़ीसा के समूचे भाग में कालाहान्डी से तटीय क्षेत्र तक और पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल जिलों, बांकुरा और पुरूलिया में गहरे नलकूपों से पीने के पानी का स्तर भी नीचे चला गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि मैंने सोचा था कि सरकार इस पर तत्काल चर्चा के लिए प्राथमिकता देगी, यदि आज नहीं तो कम से कम कल।

सरकार को यह देखना चाहिए कि दोनों केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाएं। मुझे डर है कि इस सूखे के कारण राज्य की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी क्योंकि एक ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोई आपूर्ति नहीं हो रही है और कीमतें भी बढ़ गई हैं और दूसरी ओर, सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रमों में भी कटौती हो गई है जिनका कार्य इन दिनों पंचायतों द्वारा देखा जा रहा है। हम हिन्दी में कहते हैं, हाहाकार मच गया है। गाँवों में बहुत खराब स्थिति है। मुझे राजस्थान तथा गुजरात से अपने दल के कार्यकर्त्ताओं से सूचना मिली है कि स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि जो लोग राहत की बात करते हैं, उनकी पिटाई कर दी जाती है।

मेरा संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि वे तत्काल हमारी भावनाओं को सरकार तक पहुँचाये। आज सुबह हमने कृषि मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री दोनों को इसी उद्देश्य से ही नोटिस दिया था ताकि वे आज ही स्थिति के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें और स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल करें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाकिस्तान की जेल से 26 साल के बाद छूटकर आने वाले श्री रूप लाल का गंभीर मामला सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं उससे मिला था, उसने मुझे विवरण दिये हैं कि पाकिस्तान की जेलों में 20-20, 30-30 और 35-35 सालों से भारतीय कैद हैं। उनके साथ वहां अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें अमानुषिक यातनाएं दी जा रही हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे इस सदन और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। हमने 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान के 91 हजार कैदी छोड़ दिये थे और जो कैदी हमारे पास थे उन्हें जिनेवा सिद्धांतों के अनुसार सारी सुविधाएं दी थीं।

परंतु जो उस समय के युद्धबंदी पाकिस्तान में हैं, उनको जिस तरीके से यातनाएं दी गईं, उसके कारण उनमें से अधिकांश पागल हो गए हैं और इस समय पागलखाने में चले गए हैं। उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है बल्कि टॉर्चर किया जाता है। श्री रूपलाल ने बताया कि वहां हर भारतीय कैदी को टॉर्चर करने के बाद उसको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वह इस बात को न माने तो उसको और ज्यादा यातनाएं दी जाती हैं। अभी पांच-छ: महीने पहले सुखवन्त सिंह और कुछ कैदी सात साल बाद छूटकर आए थे। उन्होंने बताया 43 कैदी केवल कोट लखपतराय में हैं। उनमें 1971-72 के युद्धबंदी भी हैं और उसके अलावा भी हैं। उनमें से एक कैदी ने जब साबुन मांगा तो उसको पीट-पीटकर मार डाला गया और उसकी हत्या कर दी गई। कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यू.एन.ओ. में और दूसरी जगह सवाल उठाए तथा जो मानवाधिकारवादी हैं, उनके सामने यह सवाल उठाए। वहां भारतीय कैदियों को उनके धार्मिक ग्रंथ भी नहीं मिलते हैं और इसलिए सरकार उनकी रक्षा पर भी विचार करे। श्री रूपलाल की क्षतिपूर्ति पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री शंकरसिंह वाघेला (कपड़वंज): उपाध्यक्ष महोदय, श्री दासमुंशी जी ने और रासा सिंह रावत जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कल ही भावनगर में 2000 लोग पीने के पानी के लिए सरकार के पास गए, तो उनको गोली मिली। मांगा पानी मिली गोली। कुछ समय पहले तीन किसानों को वहां की भा.ज.पा. सरकार ने फायरिंग करके मार डाला था। हाउस में 15 दिसम्बर, 1999 को प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सदन में पानी की समस्या पर विशेष चर्चा कराएंगे। मैं फिर से आप और माननीय मंत्री जी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पानी के बारे में इस सदन में चर्चा कब कराएंगे? यह सिर्फ पानी का ही सवाल नहीं है। वहां की सरकार को इस बारे में जो चिन्ता होनी चाहिए वह नहीं है। शहरों में चार दिन में आधा घंटा पानी मिलता है और गांवों में 10 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता है। आज तक करीब 2000 कैटल विशेषकर गायें पानी के अभाव से मर गई होंगी। सरकार पाइपलाइन के कॉन्ट्रैक्ट में जितना इंटरस्ट लेती है, उतना पानी प्रोवाइड करने में इंटरस्ट नहीं लेती है। करप्शन में इटरस्ट है। पानी पहुंचाने के लिए एक ही जगह जहां से पानी लाना है मुख्य मंत्री, जहाँ पानी पहुंचा होम मिनिस्टर और जहाँ से पानी वितरित करना है वहां के मेयर इनॉगरेशन करते हैं, तीन जगह से इनागोरेशन होता है। लेकिन जिन लोगों को पानी मिलना चाहिए उनको पानी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, दो लोग खाने और पानी के अभाव में मर गए। जहां अकाल पर काम चल रहा था, साबरकंठा जिले में, वहां पानी नहीं मिलने से एक आदमी ने दम तोड़ दिया। उसका पोस्टमार्टम वहीं जमीन पर रेत पर किया गया। वहां कोई डॉक्टर नहीं था। आठ किलोमीटर पर हॉस्पिटल था, वहां नहीं किया गया, यानी वह अकाल से मर गया, बिना खाना खाए और पानी पिये मर गया। उसकी भी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, वह यह पाप छिपाना चाहती है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसके अनुसार सदन में पानी की समस्या पर चर्चा होनी चाहिए।

नर्मदा योजना के बारे में प्रधान मंत्री जी ने चुनाव सभा में कहा था कि मैं पोलिटिकल पैचअप करके नर्मदा योजना साकार करूंगा। बिना पानी का यह वही इलाका है जहां नर्मदा का पानी जाता है। आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां पीने के पानी की चिन्ता सरकार करे, केन्द्र सरकार वहां मॉनीटरिंग करे, पैसे भी दे और लोग बिना पानी के न मरें। वहां वॉटर रॉयट्स होते हैं। फायरिंग होती है। इसमें गुजरात, राजस्थान और देश के अन्य इलाकों को जहाँ पानी नहीं है बचाया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस नहीं दिया। मैं इस तरह से सभा को नहीं चला सकता हूँ। जिन सदस्यों ने नोटिस दिए हैं, उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। यदि आपका नाम उसमें होता तो मैं आपको भी बोलने का अवसर देता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर): अध्यक्ष महोदय, गुजरात में पीने के पानी का संकट है, जब तक नर्मदा योजना नहीं बनेगी, तब तक समस्या नहीं सुलझेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार उस योजना को बनाने में दिक्कत डाल रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रामानंद सिंह (सतना): वे, जो नए सदस्य हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नए सदस्यों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री रामानंद सिंह: हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पाँच लोग गांव में बंदूक लेकर गए, मिट्टी का तेल लेकर घर जला दिए। हमारा नाम तेरह नम्बर पर था लेकिन आप हमें न बुलाकर दूसरों को बुलाए जा रहे हैं। स्पीकर साहब ने कहा था कि हमें भी बोलने का चांस मिलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यहाँ प्राथमिकता तय कर रहा हूँ। नए सदस्यों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं निष्पक्ष हूँ। आपको भी बोलने का चांस मिलेगा। लिस्ट में आपका नाम है। यदि इस तरह से होगा तो और ज्यादा विलंब होगा।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय हजयात्रियों की दु:खद एवं विषादयुक्त दुर्दशा को इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ, जिन्हें सऊदी अरब के जेद्दाह हज टर्मिनल पर असहाय छोड़ दिया गया है। इस बार भारत से कुल 1,10,000 हजयात्री थे, जिनमें से 72,000 केन्द्रीय हज समिति द्वारा भेजे गये हैं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

प्रत्येक वर्ष हज समिति, एयर इंडिया के परामर्श से हजयात्रियों के आने-जाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था करती है। पिछली बार उन्होंने एक एयरलाइन से विमान किराए पर लिए थे। इस बार भी उन्होंने उसी एयरलाइन के साथ यह व्यवस्था की है। हजयात्रियों की वापसी उड़ान 23 मार्च को आरंभ हुई। हमारे हज यात्रियों को वापस भारत लाने के लिए 33 दिन तक प्रतिदिन छह विमानों को जेद्दाह से उड़ान भरनी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस बार जब 23 मार्च से 30 मार्च तक उन्हें जेद्दाह से भारत के लिए कम से कम 48 उड़ानों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह एयरलाइन, हजयात्रियों को वापस भारत लाने में पर्याप्त रूप से सक्षम अथवा कुशल नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, पन्द्रह से अट्ठारह उड़ानों का विच्छेद हुआ था तथा 5000 हजयात्री अभी वहां फसे हुए थे।

जब यह मामला मेरे ध्यान में आया, मैं इसे माननीय प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया। प्रधानमंत्री ने उसी समय निर्देश दिया तथा एयर इंडिया हजयात्रियों को वापस लाने के लिए प्रतिदिन तीन अतिरिक्त उड़ानों के लिए सहमत हुई, क्योंकि सऊदी अरब के हज टर्मिनल पर अव्यवस्थित स्थिति थी। परन्तु, दुर्भाग्यवश एयर इंडिया अथवा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। हजयात्रियों को हज टर्मिनलों पर निरंतर असहाय छोड़े रखा गया तथा प्रतिदिन दो हजार हज यात्री मदीना से उड़ान पकड़ने के लिए हज टर्मिनल आ रहे थे। वे भी असहाय थे। मक्का से आने वाले हजयात्री भी असहाय थे।

अभी स्थिति यह है कि अन्य सभी देशों के हजयात्री वापस जा चुके हैं। केवल भारतीय हजयात्री वहाँ असहाय पड़े हैं। यह हमारे देश के लिए शर्मनाक है। हारे हजयात्रियों को इस तरह से असहाय छोड़ना एयरलाइनों की असंवेदनशीलता दर्शाता है। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? मुझे बताया गया है कि इस बार विमान अथवा एयरलाइन का चयन विवादास्पद है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री ई. अहमद: मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा हूँ। यह केवल हमारे हजयात्री ही हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किए बगैर दो-तीन दिनों से हज टर्मिनल पर असहाय पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सरकार से क्या करवाना चाहते हैं?

श्री ई. अहमद: एयरलाइन द्वारा इस मामले को हल्के-फुल्के तथा बड़े रूखे तरीके से लिया गया है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? ऐसा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साथ उड़ानों की व्यवस्था करने वाली एयर इंडिया की असमर्थता, अदक्षता तथा अनुत्तरदायित्व के कारण हुआ है। समाचार-पत्रों में कई रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं। मैं उनका यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता।

हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विश्व के अन्य इस्लामिक समुदायों और इस्लामिक देशों की दृष्टि में हम हँसी के पात्र बन गए। तुर्की ने भी कई हाजियों को भेजा था। तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईजिप्ट, पाकिस्तान, बंग्लादेश और अन्य देशों के लोग अपने देश वापस चले गए हैं। केवल हमारे हाजी ही वहीं रुके पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री ई. अहमद: मैं केवल आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से स्वयं इसमें ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ। उन्हें संबंधित एयरलाइन्स और नागरिक विमानन मंत्रालय से सम्पर्क करना चाहिए। हमारे हाजियों को वापस लाया जाना है क्योंकि मूल सपय सारिणी के अनुसार आखिरी हाजी को इस महीने की 26 तारीख को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा ही चलता रहा तो इसमें एक महीने का समय और लगेगा। इसीलिए मैं मंत्री महोदय से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूँ। यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। भारत के हाजियों को उस देश में अलग-अलग छोड़ दिया गया है।

हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें गहरी रुचि दिखाई है, मैं इस बात को मानता हूँ। परन्तु प्रशासन इस दिशा में कार्य नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं सरकार इसे गम्भीर मामले के रूप में ले। इन गरीब हाजियों को वहाँ पर अलग-थलग छोड़ दिया गया है और वे बिना बुनियादी सुविधाओं के मुसीबत भरा समय बिता रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी)**:** सरकार को हमें बताना चाहिए कि वे हाजियों को वापस लाने के लिए क्या करने जा रही है। सरकार को इस मुद्दे पर हमें आश्वासन देना चाहिए। आप हाजियों को वहाँ पर इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं। परन्तु प्रधानमंत्री के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांदोकर: उपाध्यक्ष जी, दो-तीन रोज से हज यात्री वहां पड़े हुए हैं, उनको वहां खाना नहीं मिलता है। एक बार खाना खाने के बाद दूसरी बार खाना मिलने में उनको एक दिन लग जाता है। एयर इंडिया की सर्विस वहां बिल्कुल खराब हो गई है। मेरी मांग है कि इसकी जल्दी से जांच करानी चाहिए और वहां जो हज यात्री हैं, उनको जल्दी से जल्दी यहां लाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे जेद्दाह से सम्पर्क किया है। अब माननीय मंत्री महोदय इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): मेरी पार्टी की ओर से, मैं श्री ई. अहमद द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से स्वयं को जोड़ना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभी पार्टियों का मामला है। इसीलिए, कृपया इसमें पार्टियों को बीच में मत लाइए।

श्री ई. अहमद: मैं चाहता हूँ सरकार इस बात की जाँच कराए कि कैसे यह हुआ, क्यों हुआ और किस प्रकार इस खामी को दूर किया जा सकता है। यह एक गम्भीर मामला है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप माननीय मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया नहीं चाहते हैं? अन्यथा मैं अगले वक्ता को बुलाऊँगा।

श्री पी.सी. थामस: यह एयर इंडिया की अक्षमता है। कुछ हाजी वापस लौट आए हैं और उनका सामान अभी भी वहीं पर पड़ा है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री महोदय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।

श्री प्रमोद महाजन: मैं कुछ मामलों में, जोकि दलगत संबंधित न हों, सभी की आम सहमति की अपेक्षा करता हूं। जब एयर इंडिया या सरकार हाजियों को भेजने की जिम्मेदारी लेते हैं तो आवश्यक रूप से उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। मैं नहीं जानता हूँ कि अन्य देश अपने वायुयानों का प्रयोग करते हैं और उन्हें प्रायोजित करते हैं या नहीं, इसलिए मैं उनकी तुलना अन्य देशों के हाजियों से नहीं करना चाहता हूँ। मैं वास्तव में इस बारे में नहीं जानता हूँ। इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि मलेशिया में क्या होता है।

परन्तु भारत में यह काफी दिनों से प्रथा चलती आ रही है कि हम हाजियों को भेजते हैं। हम वायुयान की व्यवस्था करते है सरकार राजसहायता देती है और हर साल यह बढ़ रही है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भी भारत ने हाजियों की संख्या बढ़ा दी है। इस विषय पर आम सहमति है। जब आपने इस बात को मेरे ध्यान में लाया है। तो मैं अवश्य ही नागरिक विमान मंत्री और एयर इण्डिया के अधिकारियों से बात करूंगा और यह सुनिश्चित करूँगा कि वहाँ पर फंसे हमारे भाईयों को यथाशीघ्र वापस लाया जाए। परन्तु आपको इस बात को समझना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री इस स्थिति में नहीं होता है कि वह अपने नियंत्रणाधीन जो मंत्रालय नहीं है उनके बारे में भी आश्वासन दे। परन्तु मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूँ। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया है।

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांदोकर: वहां जो हाजी लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है, वे लोग वहां भूखे मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने इन बातों को नोट कर लिया है और वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।

श्री प्रमोद महाजन: अगली बार हम सुनिश्चित करेंगे कि नेतागण की वापसी सबसे आखिर में हो ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस बात पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सतना जिले में अमरपाटा थाने के अंतर्गत ग्राम लामीकरहीं में होली के दिन दो समूहों में आपस में झगड़ा हुआ। उसमें एक आदमी की हत्या हुई, वह वकील था। हत्या के बाद दाहसंस्कार के बाद उनके गांव के कोई 300 से 500 लोग बन्दूक, रायफल, कट्टे, मिट्टी का तेल, कैरोसीन लेकर आये और लामीकरहीं गांव में उन्होंने सामूहकि रूप से आग लगाना शुरू किया। इस गिरोह को देखकर गांव के गरीब लोग, जो ज्यादातर हरिजन थे, कोटवार थे, धोबी थे, वे गांव छोड़कर भागने लगे। उनके जो बच्चे बचे, उनमें से एक बच्ची जल गई। उनके पूरे 40 घरों में से एक भी घर नहीं बचा, जिसमें कपड़ा, लकड़ी, चारपाई, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र कुछ नहीं बचा, इतना दयनीय, ह्रदयविदारक कांड हुआ। सबसे दुखद बात यह है कि करीब 350 लोगों पर एफ.आई.आर. है, मध्य प्रदेश के आई.जी., डी.आई.जी. सब वहां गये, लेकिन अभी तक कोई मंत्री वहां नहीं गया। वहां के कलैक्टर ने स्कूल में कैम्प लगाकर लायंस क्लब और रोटरी क्लब की मदद से सात दिन तक उन गरीबों को खाना दिया, लेकिन वह भी अब बन्द कर दिया गया।

उनके घर में एक दाना नहीं है। ओढ़ने तक के कपड़े नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर ने उनको दो-तीन दिन हुए हैं और बहुत लोग पेड़ों के नीचे पड़े हुए हैं। मुख्य मंत्री वहां नहीं गए हैं। मैं जातिवाद की बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुख्य मंत्री ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और जातिवाद को प्रश्रय दे रहे हैं। पूरा गांव एक जाति के लोगों का है। यही कारण है कि इतने भयंकर वीभत्स कांड के बाद भी वहां के एसपी और थानेदार द्वारा 350 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखने के बाद भी 21 मार्च से गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। जिला कलैक्टर ने चार हजार रुपए दिए हैं, जबकि एडिशनल कलैक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सात-आठ लाख रुपए की सम्पत्ति तबाह हुई है, जो गरीब लोगों और खेतिहर मजदूरों की थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। खाने तक की व्यवस्था नहीं है। तीन राजपूतों के परिवारों के ट्रैक्टर, साढ़े सात सौ क्विंटल अनाज, चना आदि जला दिया गया है। मध्य प्रदेश में ला-एंड-आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं, कैसे नक्सलियों द्वारा एक मंत्री की हत्या कर दी गई। पिछले तीन महीने में भिन्ड में 111 अपहरण हुए। वहां के मुख्य मंत्री को हटा देना चाहिए। उन्होंने अभी तक पीड़ितों की मदद नहीं की है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि नैना, गढ़ही के पीड़ित लोगों के लिए भारत सरकार आगे आए, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपनी बिरादरी के लोगों को कोई कष्ट नहीं देना चाहते हैं और वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा 91 प्रतिशत बजट इस्टैबलिशमेंट पर खर्च हो रहा है, हम कहां से पैसा देंगे। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि इन पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार आगे आए और इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दंडित किया जाए।

महोदय, इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से रियैक्शन आना चाहिए। मध्य प्रदेश में घटनायें हो रही हैं और ये 40 परिवार कहां जायेंगे, इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: शून्य काल में मंत्री महोदय से इनट्रैक्शन नहीं हो सकता है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, आपके माध्यम से मैं इस प्रतिष्ठित सभा और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक के कई हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसका कारण यह है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में एक निर्णय संयुक्त रूप से लिया गया था। परन्तु बाद में 16 मार्च को इन तीन बैंकों के चेयरमैन को वित्त मंत्रालय ने निर्देश भेजे जिसमें कहा गया कि जब तक वर्मा आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक संयुक्त रूप से लिए गए निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। यह बात सरकार की वर्मा आयोग की रिपोर्ट पर सोच को दर्शाती है। वर्मा आयोग की रिपोर्ट संसद सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं है। अभी तक हम यह जानते हैं कि वर्मा आयोग ने यह सुझाव दिया है कि इन बैंकों को बन्द कर दिया जाना चाहिए और बन्द किए जाने में विलम्ब हो तो इनके कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को पाँच वर्ष के लिए बन्द कर दिया जाए अन्यथा उन्हें एक विकल्प के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दी जाए। दूसरी तरफ अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इन बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी विशेषताओं के साथ काम जारी रखने दिया जाएगा। परन्तु इसके साथ-साथ हम पाते हैं कि 16 मार्च को, इन तीन बैंकों के चेयरमैन को निर्देश दिये गये कि वे किए गए वेतन समझौते को कार्यान्वित न करें; इन बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से रोजगार में 25 प्रतिशत की कमी की जाए या विकल्प के रूप में तुरन्त वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती की जाए। इसलिए इन बैंकों के कर्मचारी आन्दोलित हैं।

सरकार कुछ कह रही है और वित्त मंत्री कुछ और ही कह रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ बनाया जाएगा और उनके लिए बाजार पूँजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ माननीय वित्त मंत्री चेयरमेन को वेतन में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि के संबंध में निर्णय को कार्यान्वित नहीं करने का अनुदेश दे रहे हैं। यह अत्यंत गम्भीर मामला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह अनुदेश वापस लिए जाएं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य ने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है। इसीलिए वे भी स्वयं को श्री रूपचंद पाल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से जोड़ सकते हैं।

श्री रूपचंद पाल: भारत सरकार के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के विरुद्ध यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूनियन कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के हजारों कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। वित्त मंत्रालय ने अनुदेश भेजा है कि वेतन समझौता, जोकि पहले इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के साथ हुआ था और फिर 27 मार्च को आई.बी.ए. के साथ तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों की यूनियनों के साथ हुआ था, को तीन बैंकों अर्थात् यू सी ओ बैंक, यू बी आई और इंडियन बैंक के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाए। यह और कुछ नहीं बल्कि इन तीन बैंकों के संबंध में वर्मा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का कार्यान्वयन है। इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि इन तीन बैंकों को बन्द कर दिया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार का

[श्री रूपचन्द पाल]

वेतन समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा अनुदेश के संबंध में भेदभावपूर्ण रवैये और *अलोकतांत्रिक निर्णय के विरुद्ध* कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए अनुदेश को वापस लिया जाना चाहिए और अन्य बैंकों के संबंध में किए गए वेतन संशोधन को इन तीन बैंकों के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, महाराष्ट्र में, विशेषकर नासिक जिले में बिजली का बहुत संकट पैदा हो गया है। लोड शेडिंग तो एक दिन होती है, लेकिन वहां पांच-पांच दिन तक बिजली नहीं आती है। इसलिए किसानों में आग भड़क रही है और वह सड़कों पर आना चाहता है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि बिजली का संकट दूर करने के लिए तुरंत कोशिश की जाए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कानपुर दक्षिण में एकमात्र केन्द्रीय विद्यालय ओ.ई.एफ. नम्बर दो है जिसमें रक्षा विभाग से संबंधित तमाम कर्मचारियों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि यह केन्द्रीय विद्यालय बंद किया जा रहा है और इसकी शिफ्टिंग केन्द्रीय विद्यालय ओ.ई.एफ. नम्बर वन में की जा रही है और वहीं इसका समायोजन किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि उस स्कूल में लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं, अगर इस स्कूल को हटाकर 10 किलो मीटर दूर दूसरे किसी केन्द्रीय विद्यालय में समायोजित कर दिया गया तो उन 500-600 बच्चों का क्या होगा जो बेचारे उसमें पढ़ते हैं। उन्हें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मेरी समझ के अनुसार 90 फीसदी बच्चों का एक साल खराब हो जाएगा। इस साल उन्होंने फॉर्म भी बांट दिए। जो नई एडमिशन होनी थी, उन्होंने उसके लगभग 300 फॉर्म बेचे। इसके बाद अब डिसिजन ले रहे हैं, इस स्कूल को हटा कर किसी दूसरे स्कूल में समायोजित करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप मंत्री जी से कहें कि इस विद्यालय को उसी जगह कायम रखा जाए। ...*(व्यवधान)* वहां बच्चे पढ़ने को तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: ये कानपुर के हैं और मंत्री महोदय इलाहाबाद के हैं। वे एक ही राज्य के हैं और करीब के स्थानों ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह आपस में इस तरह तय करने की जगह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: उन्हें मुम्बई से होकर जाने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है। आज से 270 वर्ष पहले, सन् 1730 में, जोधपुर जिले में, जहां से मैं चुनकर आता हूं बिश्नोई जाति के 363 पुरुष और महिलाएं पेड़ों की रक्षा के लिए हंसते-हंसते शहीद हो गये थे। वन और वन्य जीव जब तक नहीं रहेंगे, तब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं जब राजस्थान सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री था, तब सितम्बर 1998 में एक सलमान प्रकरण हुआ था। सलमान खान ने चार अवैध शिकार किये थे और उनके खिलाफ चार मुकदमें भी दर्ज हुए। एक मुकदमा वन-विभाग में और तीन पुलिस विभाग में दर्ज हुए। दो वर्ष बीतने के बाद भी सरकार ने केवल दो मुकदमों में चालान पेश किया है और वह भी धारा 173(8) में आधा-अधूरा चालान पेश किया है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत उन अपराधियों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने गैर-कानूनी शिकार किया है। इस बात को लेकर बिश्नोई जाति के लोग बड़े उद्वेलित हैं कि अपराधियों के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले जोधपुर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के घर से एक चिंकारा हिरण और एक मोर बरामद हुआ है। चिंकारा तो बरामद कर लिया लेकिन मोर को उसने उड़ा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने वाइल्ड-लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बोलना है।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: उपाध्यक्ष जी, 1972 के वाइल्ड-लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की सूची (ए) के अनुसार वन्य प्रणाली मोर और हिरण का कोई शिकार नहीं कर सकता, न ही घर में रख सकता है। लेकिन जब इस जिले के एक एस.पी. के घर से चिंकारा बरामद हो रहा है तो क्या वह एस.पी. सलमान खान के

ख़िलाफ चालान पेश कर सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार सलमान खान के केस में चालान पेश करे और जिस एस.पी. को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके घर चिंकारा बरामद हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में इस समय ऑपरेशन पिंक और हैरिटेज सिटी बनाने की हवा चल रही है। जयपुर और अजमेर में यह ऑपरेशन बहुत तेजी से चला। जयपुर में पक्के मकानों को, मंदिरों को तोड़ दिया गया। गर्मी के दिनों में प्याऊ की थड़ियां हटा दी गयी तथा फुटपाथों पर खोमचा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, बूट-पॉलिश करने वाले, चाय बेचने वाले लोगों को सुदंरता के नाम पर हटा दिया गया। मेरा निवेदन है कि भविष्य में जहां कहीं कोर्ट या नगर-निगम का आदेश हो, ऐसे किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाना चाहिए और न ही किसी ठेले वाले को हटाया जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई को रोका जाना चाहिए। जिन लोगों को इससे नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाये। हैरीटेज सिटी के नाम पर या ऑपरेशन पिंक के नाम पर या सुंदरता के नाम पर जिनको हटाया गया है ऐसे लोगों को ठीक स्थानों पर दुकानें दी जायें और जिस आई.ए.एस. अधिकारी मनजोत सिंह ने जयपुर शहर में तांडव मचा दिया है उसे वापस बुलाया जाये। ऐसा रवैया अपनाना जयपुर शहर के लिए अन्याय है। इससे जयपुर शहर बर्बाद हो गया है।

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू): उपाध्यक्ष महोदय, पलामू मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। 12 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस में 11 हजार वोल्ट का तार गिरा। उसमें 40 लोग मर गए और 200 लोग घायल हो गए। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना घटी। दुर्घटना होने पर अफरा-तफरी मची और लोग भागने लगे। भागने पर वे लोग घायल हो गए। विभाग की लापरवाही के कारण हाई टेंशन वायर के नीचे वायर गार्ड नहीं लगाया गया था और न ही सुरक्षा का कोई अन्य प्रबंध किया गया था। तीन मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए थे लेकिन वे उस समय ड्यूटी पर नहीं थे जिससे घायल लोग तुरन्त राहत न मिलने से लाचार रहे। मेरा अनुरोध है कि वहां की तार को तुरन्त बदला जाए जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो सके। हम गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे वे उस क्षेत्र का दौरा करें और पीड़ित लोगों की क्षतिपूर्ति करें। आश्रितों के परिवार वालों को नौकरी और पांच लाख रुपए दिए जाएं। इस तरह की दुर्घटना दोबारा न हो, इसकी भी व्यवस्था की जाए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): उपाध्यक्ष महोदय, हवाई अड्डों में सुरक्षा की दृष्टि से कई उपाय किये गए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची में जो लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने या लेने जाते हैं, उनके बाहर बैठने और यहां तक कि खड़े होने के लिए भी कोई स्थान नहीं है जिससे आम नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। खतरा तो हवाई जहाज के अन्दर होता है। एअरपोर्ट में न कोई काउंटर है और न चाय-पानी की व्यवस्था है। बरसात का समय आने वाला है। अगर यही व्यवस्था रही तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। इस बात को आप खुद समझ सकते हैं। मेरा आग्रह है कि जो लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने और लेने जाते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ-साथ पीने के पानी और शौचालय की भी व्यवस्था की जाए। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होती तब तक उनके अन्दर बैठने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ। यह उस घटना से संबंधित है जो 9 अप्रैल को हुई थी।

यह संस्था एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस द्वारा ज्यादतियाँ, जोकि हुई थी, से सरकार को कड़ाई से निपटना चाहिए था। इस घटना से अल्पसंख्यकों की और देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। कल विश्वविद्यालय के माननीय उप कुलपति माननीय गृह मंत्री से मिले और गृह मंत्री महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन छात्रों जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो हवालात में बंद हैं, की रिहाई पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। परन्तु हम सरकार से इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लेने और तत्काल विश्वविद्यालय परिसर से पुलिस बल को हटाने का आग्रह करते हैं और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि जो छात्र अभी भी हवालात में बन्द हैं उन्हें बिना किसी विलम्ब के छोड़ दिया जाये।

परीक्षाएँ जल्द ही शुरू होने वाली हैं, परन्तु, इस समय व्याप्त परिस्थितियाँ इस विश्वविद्यालय और इस प्रतिष्ठित अकादमी से बहुत बड़ी संख्या में संबद्ध छात्रों के मन में चिन्ता उत्पन्न कर रही है। सरकार को बिना किसी विलम्ब के विश्वविद्यालय परिसर में सामान्य परिस्थिति की बहाली को सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त निर्णय लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज और देशभर के शेयर बाजारों में से 300 पाइंट्स टूटे। इसी प्रकार गत सप्ताह 371 पाइंट्स यह शेयर बाजार टूटा था। इस प्रकार पिछले 15 दिन में लगभग 1500 पाइंट्स टूटने के कारण दो लाख करोड़ रुपये का मार्किट कैपिटल

[श्री किरीट सोमैया]

कम हुआ है। इसमें लाखों स्माल इनवैस्टर्स को नुकसान हो रहा है। मेरा वित्त मंत्री जी से इसमें कार्यवाही करने का आग्रह है। मैं इस ओर सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.40 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.47 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.47 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्रीमती मारग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं)

सूती वस्त्र (निरसन) विधेयक*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूती वस्त्र अधिनियम 1918 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सूती वस्त्र अधिनियम 1918 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.48 बजे

सूती वस्त्र उपकर (निरसन) विधेयक*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सूती वस्त्र उपकर अधिनियम 1948 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 2, दिनांक 18.4.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश सं पुर:स्थापित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सूती वस्त्र उपकर अधिनियम 1948 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

सभापति महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

अपराह्न 2.49 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को पेंशन राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में निराश्रित व विधवा तथा वृद्धों को दी जाने वाली केन्द्रीय निराश्रित पेंशन राशि का भुगतान छ:-छ: महीने नहीं होता। सतना जिला व समूचे विन्ध्य संभाग के सीधी-शहडोल, रीवा-पन्ना, दमोह तथा कटनी जिलों में निराश्रित पेंशन राशि गत छ:-सात महीने से वितरित नहीं की गई।

इतना ही नहीं, यह निराश्रित पेंशन राशि जब बंटती भी है तो छ:-छ: माह की पेंशन राशि का भुगतान मास्टर रूल बनाकर कई पंचायतों में मात्र एक माह की पेंशन देकर अनपढ़ निराश्रितों व विधवाओं से छ: माह के भुगतान के वाउचर्स पर हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं।

अत: भारत सरकार से निवेदन है कि निराश्रितों की पेंशन प्रतिमाह बँटवाई जाए तथा प्रत्येक माह के वाउचर लिए जाएं तथा छ:-छ: माह के वाउचर पर हस्ताक्षर न कराये जायें।

(दो) खाद्य तेलों के आयात संबंधी नीति की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों से खाद्य तेलों के आयात शुल्क में निरंतर कमी किये जाने से भारतीय किसानों के सामने अत्यधिक गंभीर संकट खड़ा

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

हो गया है। भारत में वैसे भी इस वर्ष खाद्य तेलों, बीजों की अच्छी फसल हुई है। किन्तु आयात शुल्क में कमी किए जाने के कारण भारतीय किसानों को अपनी फसल का उत्पादन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। खाद्य तेल बनाने वाली कम्पनियों को भी भारी हानि हो रही है क्योंकि बाहर से खाद्य तेल आयात होने के कारण भारी घाटा उठाना पड़ रहा है तथा विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है और ऐसी दशा में कई सोयाबीन एक्सट्रेशन प्लांट तथा तेल बनाने वाली कम्पनियां भारी घाटे में होकर बंद होने के कगार पर हैं।

अत: मेरा अनुरोध है कि खाद्य तेल आयात के बारे में सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि भारतीय किसान जो उसका उत्पादन करते हैं उनका संरक्षण हो सके तथा खाद्य तेल उद्योगों में लगे औद्योगिक संस्थान बंद होने से बचाये जा सकें।

(तीन) इन्दौर-महू को कोटा से जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के इन्दौर महू से कोटा सड़क मार्ग जो स्टेट हाइवे है। उक्त मार्ग की लम्बाई 280 किलोमीटर है। यह मार्ग मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने के लिए अति महत्व का है। यह मार्ग इन्दौर, महू और कोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलता है। इस मार्ग पर भारी वाहनों, यात्री वाहनों तथा अन्य प्राइवेट वाहनों का अत्यधिक आवागमन होता रहता है। अत्यधिक आवक-जावक के कारण इस सड़क मार्ग पर भारी असुविधा होती है। इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना जनहित तथा देशहित में है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस इन्दौरा महू-कोटा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

(चार) पूर्व रेलवे के लालगोला-सियालदाह सेक्शन पर सियालदाह और लालबाग के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): महोदय, मुर्शिदाबाद एक ऐतिहासिक और पारम्परिक जिला है। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल राज्य की प्रांतीय राजधानी मुर्शिदाबाद में बनाई गई थी जो अब लालबाग के नाम से अधिक लोकप्रिय है। वास्तव में बंगाल के प्रांतीय शासकों ने मुर्शिदाबाद से विदेशियों के खिलाफ इस प्रान्त अथवा पूरे भारत के ब्रिटिश शासन के अधीन जाने से पहले अंतिम लड़ाई लड़ी थी। मुर्शिदाबाद का शहर, 18वीं शताब्दी के यूरोपीय पर्यटकों के अनुसार उन दिनों में लन्दन शहर से अधिक आबादी वाला शहर था। मुर्शिदाबाद के घने शहर, इसके अन्य और मंझे हुए राजमहल जिसे 'हजारद्वारी' पुकारा जाता था, इमामबाड़ा और गंगा नदी के साथ-साथ अन्य स्मृति स्थल देश भर से काफी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमारे देश भर के सभी हिस्सों से लगभग 15 लाख पर्यटन यहां घूमने आते हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल के भवनों को प्राचीन स्वरूप प्रदान करते और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि एक एक्सप्रेस गाड़ी शुरू की जाए जिससे कि भारी संख्या में पर्यटन सुविधा और आराम के साथ इस स्थान की यात्रा कर सकें। प्रस्तावित एक्सप्रेस गाड़ी, पूर्व रेलवे के लालगोला-सियालदाह सेक्शन पर सियालदाह और लालबाग के बीच चलाई जाएगी। यह सुबह सियालदाह से चलेगी और चार घंटे में लालबाग पहुंच जाएगी और दोपहर में लालबाग से चलेगी। इस गाड़ी के आरम्भ होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह इस समय की महान परम्परा और विरासत के प्रति एक समुचित सम्मान होगा। आशा की जाती है कि सरकार इस प्रस्ताव को हकीकत में बदलने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी।

(पांच) बिहार में सीतामढ़ी को पर्यटक स्थल घोषित करने और इसके विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): महोदय, बिहार में नेपाल सीमावर्ती जिला सीतामढ़ी देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जगतमाता सीता की प्रकाट्य स्थली होने से यह एक महान तीर्थस्थल है। यहां प्रतिदिन देश-विदेश से पर्यटक मां जानकी के दर्शन हेतु हजारों की संख्या में आते हैं। इन स्थानों पर दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की भीड़ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सीतामढ़ी में पर्यटकों को ठहरने के लिए पर्यटन भवन, होटल आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण पर्यटक चाह कर भी यहां नहीं रुक पाते हैं। मां सीता की जन्मस्थली होने से सीतामढ़ी जिले के चारों ओर ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के दर्जनों दर्शनीय तीर्थस्थल हैं जहां जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। सीतामढ़ी को केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण दिनोंदिन बिहार पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है। साथ ही पर्यटकों द्वारा होने वाली एक निश्चित आय से सरकार को वंचित होना पड़ रहा है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि सीतामढ़ी को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल कर विशेष राशि आबंटन योजना के

अंतर्गत विशेष राशि स्वीकृत कर सीतामढ़ी में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केन्द्र निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कराएं ताकि मां सीता की जन्मस्थली का विकास हो सके।

(छह) डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. चिन्नासामी (करूर): महोदया, मैं सरकार का ध्यान पूरे देश भर के साढ़े तीन लाख से ऊपर डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की अविलम्ब आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं।

वस्तुत: विभागेत्तर कर्मचारी डाक प्रणाली की रीढ़ है ये विभाग में वसूली और वितरण दोनों कामों को करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये कर्मचारी बहुत कम वेतन पर कई वर्षों से अस्थायी सेवा के आधार पर काम कर रहे हैं। काफी कर्मचारी बिना किसी काम के काफी साल की सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त हो गए है। यहां तक कि तलवार समिति की रिपोर्ट भी कार्यान्वित नहीं की गई है। कर्मचारियों द्वारा लम्बी हड़ताल करने के पश्चात् और कुछ वर्ष पहले संसद में यह मामला उठाए जाने के पश्चात् सरकार सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत हुई थी और आने वाले समय में बाकी सिफारिशों पर सकरात्मक रूप से विचार करने का वायदा भी किया था।

अभी तक मात्र 25 प्रतिशत सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। प्रमुख सिफारिशें अभी भी लम्बित पड़ी हुई हैं। कर्मचारी निराशा महसूस करते हैं। तथापि माननीय संचार मंत्री की हाल की आश्वासन कि सभी विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा ने उन्हें सांत्वना पहुंचाई है। विभागेत्तर कर्मचारियों द्वारा झेले जा रहे कष्ट को ध्यान में रखते हुए और उन्हें न्याय प्रदान करने की दृष्टि से मैं सरकार को बिना किसी विलम्ब के विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित सेवा प्रदान करने और तलवार समिति की सिफारिशों को समग्र रूप से लागू करने का अनुरोध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदया, संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। कोई भी केबिनेट मंत्री यहां नहीं है। नियम 377 के अधीन ये मामले अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक केबिनेट मंत्री को लोक सभा में उपस्थित होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): एक केबिनेट मंत्री उपस्थित है।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): महोदया, मैं यहां हूं।

सभापति महोदय : जी हां, धन्यवाद।

(सात) पड़ौसी देशों द्वारा निरुद्ध किए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री तिरुनावकरसू (पुडुक्कोट्टई): महोदया, तमिलनाडु राज्य के भारतीय मछुआरों को जब कभी भी वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं तो प्राय: उन्हें श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। हाल ही में आठ मछुआरों को श्रीलंका नौसेना प्राधिकारियों द्वारा बंदी बनाया गया। उनमें से एक मछुआरा हृदय आघात के कारण मर गया। इस संबंध में मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि 19 मछुआरे पाकिस्तानियों द्वारा बन्दी बनाए गए थे और वे अभी कई महीनों से जेल में पड़े हुए हैं। इस प्रकार की घटनाएं बारबार और नियमित रूप से घट रही हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए वह इस मामले को संबंधित देशों के साथ उठाए।

अपराह्न 3.00 बजे

(आठ) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बाह और सागर नदियों पर बांधों के निर्माण को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): महोदय, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की बाह एवं सगड़ नदियों पर बांध बनाने का प्रकरण केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा है। इन दोनों नदियों पर बांध बनने से विदिशा जिले की हजारों हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी, कृषि उत्पादन कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इन बांधों के निर्माण हेतु काफी राशि खर्च भी की जा चुकी है। केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग से आग्रह है कि वह बाह एवं सगड़ नदी पर बांध बनाने की परियोजना को अविलम्ब स्वीकृति दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए हमारे पास 40 वक्ताओं के नाम हैं और हमारे पास 5 घंटे और 2 मिनट बचे हैं। सरकार ने अनुरोध किया है कि वह चाहती है कि यह चर्चा आज समाप्त हो जाए ताकि प्रधान मंत्री कल जवाब दे सकें। अत: यदि सभा सहमत है तो हमें देर तक बैठना पड़ेगा और संक्षेप में अपनी बात कहनी होगी ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदया, काफी सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। यदि हम चर्चा आज समाप्त करते हैं तो वे अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ होंगे।

सभापति महोदय : यही बात है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जहां माननीय सदस्यों को कई अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दों, जिन्हें वे सभा में उठाना चाहते हैं, पर बोलने का अवसर मिलता है। अत: मैं अनुरोध करूंगा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी मेरे साथ सहमत होंगे कि चर्चा के लिए समय को एक दिन और बढ़ाया जाना चाहिए और यदि प्रधानमंत्री को कल जवाब देना है तो वह जवाब शाम को दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज बिहार): समय कम है तो अगले सत्र के लिए कर दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): पहले बोलने वाले सदस्यों को बोलने के लिए अधिक समय दिया गया था और अब बोलने वाले सदस्यों को कम समय दिया जा रहा है। अत: यह तो भेदभाव है।

सभापति महोदय : ठीक है, मैंने घोषणा कर दी है यदि हम आज चर्चा समाप्त नहीं करते तो मैं समझता हूं कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है? ·

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): महोदय, नेशनल कांफ्रेंस के संसद सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : सभी नाम सूचीबद्ध हैं। हम सदस्यों के नाम पुकारेंगे। अब तक हम केवल नियम 377 के अधीन .मामले ले रहे थे। अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आ रहे हैं।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): चूंकि इस समय कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक चल रही है अत:, यह बेहतर होगा कि हमारी भावनाओं को कार्य-मंत्रणा समिति और माननीय अध्यक्ष तक भी पहुंचाए ताकि वे कल शाम तक समय बढ़ाने का निर्णय ले सकें जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर भी दिया जाएगा।

सभापति महोदय : हम माननीय सदस्य श्री पी.एच. पांडियन से अनुरोध कर सकते हैं कि सभा की भावनाओं को कार्य-मंत्रणा समिति तक पहुंचाएं क्योंकि वे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं।

श्री एस. बंगरप्पा : श्री पी.एच. पांडियन, आपके माध्यम से हम कार्य-मंत्रणा समिति से अनुरोध कर रहे हैं।

अपराह्न 3.04 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–*जारी*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदया, मैं यहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषयवस्तु का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं हालांकि मुझे विश्वास है कि उस पक्ष के मेरे मित्रों सहित हम सभी उन्हें उच्च सम्मान देते हैं वे एक महान विद्वान और विवेकशील व्यक्ति हैं। मेरा मानना है कि जिस पद पर वे विराजमान है वे उस पर भव्यता से विराजमान हैं किंतु मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता कि अपने अभिभाषण में उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं हैं जिनमें वे विश्वास नहीं करते हैं और जो निरर्थक और अधकचरी हैं।

तथापि उन्होंने अपने वास्तविक विचार इस वर्ष 25 जनवरी को उस समय व्यक्त किए थे जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था, आपकी अनुमति से मैं उनके उस भाषण से उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि संपूर्ण सभा, संपूर्ण राष्ट्र का वही तरीका होना चाहिए कि मुख्य मुद्दों को समझा जाए ताकि उनके समाधान के लिए हम उन पर ध्यान दें न कि केवल उस पक्ष अर्थात् सत्तारूढ़ भाजपा से अधिक उसके सहयोगी दलों के सभी प्रस्तावों की प्रशंसा करें:

> ''हमारे जीवन काल में गणतंत्र के पचास वर्षों में हम पाते हैं कि न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हमारे— लाखों साथी नागरिकों के लिए एक ऐसा सपना है जो साकार नहीं हुआ है। हमारे आर्थिक विकास का लाभ

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अभी उन तक पहुंचना है। हमारे यहां विश्व के तकनीकी कर्मियों की सर्वाधिक संख्या है किंतु विश्व के सर्वाधिक निरक्षर भी हमारे यहां हैं; यहां विश्व के सबसे अधिक मध्यवर्गीय लोग हैं, किंतु गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले भी सर्वाधिक लोग हैं और कुपोषण के शिकार बच्चे भी सर्वाधिक हैं हमारे विशालकाय कारखानों के नीचे दरिद्रता दबी हुई है। हमारे उपग्रह गरीबों के मलबे से छोड़े गये। हैरानी की बात नहीं है जनता में अपनी दशा के प्रति मौन असंतोष है और देश के अनेक भागों में यह हिंसक रूप में उभर रहा है। दुखद तथ्य यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास एक समान नहीं रहा है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं रही हैं। अनेक सामाजिक उतार-चढ़ाव का कारण समाज के सबसे निचले तबके की उपेक्षा है जिनका असंतोष हिंसा के मार्ग की ओर बढ़ रहा है दलित और जनजातीय लोग इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं।''

अन्य कई ऐसे पैरा हैं जिन्हें स्थिति का बेहतर ढंग से समझने और हमारे अपने विचारों को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा जा सकता है। किंतु मैं केवल उनके भाषणों से उद्धृत करना नहीं चाहता हूं।

उस प्रसंग में उन्हें अपने पद की मजबूरियों के कारण क्या कहना पड़ा? वे एक संवैधानिक पद पर विराजमान हैं और हर कोई जानता है कि भाषण सरकार तैयार करती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार क्या कहती है?

''गौरवमय, खुशहाल भारत का एजेंडा'' में समानता व रोजगार सहित तीव्र विकास के लिए ढांचे की व्यवस्था की गई है। यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है।

महोदया, फिर पैरा 47 में सरकार कहती है:

''उच्च वृद्धि दर की प्राप्ति के संबंध में हमारी सोच केवल अमीर या मध्यवर्ग को लाभ पहुंचाने पर ही केन्द्रित नहीं है, बल्कि निर्धन वर्ग ही हमारे सभी विकास संबंधी प्रयासों का केन्द्र बिन्दु है।''

यह इस देश के लोगों के साथ किया गया सिर्फ एक मजाक है।

यह राजग क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कल श्री वैको राजग की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे कि राजग सत्ता में आएगी, निश्चित तौर पर मैं नहीं जानता कि लोग यह जानते हैं या नहीं कि किसी विशेष समय में राजग के घटक दल कौन हैं। यह एक परिवर्तनशील निकाय है। इसने 'खुला द्वार'' नीति अपनाई है अर्थात् कोई भी दल इसमें शामिल हो सकता है, यहां तक श्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी को भी राजग में शामिल होने का न्यौता दिया जा रहा है। राजग में भाजपा है और हम, विशेष रूप से गरीब लोग, प्रतिदिन अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे आपको भी न्यौता दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप मुझे राजग में शामिल होने का न्यौता दे रहे हैं? मेरे विचार से मैं दिवालिया था। आपके एक सहयोगी ने मुझे बौद्धिक रूप से दिवालिया कहा। आप लोगों को दिवालिया बना रहे हैं।

राजग के घटक इस प्रकार हैं: भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ—किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद, वानर सेना जिसे हनुमान सेना कहा जाता है या ऐसे अन्य संगठन क्या है। राजग के विचित्र घटक दलों को देखिए। राजग में तेलुगु देशम पार्टी के हमारे अच्छे मित्र भी हैं, एम.डी.एम.के. के श्री वैको और जनता दल(यू) भी है। हमारे जुड़वा भाई राम विलास और शरद पवार कहां हैं? उस पक्ष में वे सबसे दयनीय व्यक्ति हैं। राजग में तृणमूल कांग्रेस भी है जिसका प्रतिनिधित्व अब तेजस्वी डा. नीतीश सेनगुप्ता कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में मेरी स्मरण शक्ति कम हो सकती है किंतु उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी। डा. सेनगुप्ता की यात्रायें प्रभावी यात्रायें रहीं हैं। उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि वे हमारे पास समर्थन मांगने आए थे। ठीक है मैं उनकी यह बात मान लेता हूं। स्वाभाविक है कि उन्हें यह कहना पड़ा। उन्होंने दो बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोंटाई): मैंने केवल एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हो सकता है उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर एक बार ही चुनाव लड़ा हो और दूसरी बार चुनाव लड़ने का प्रयास किया हो किंतु टिकट न मिला हो। जब वे कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए तो दूधो दही नहाए थे।

डा. नीतीश सेनगुप्ता : यह सही नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दो वर्ष पूर्व उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और अब वे तृणमूल कांग्रेस में हैं। कांग्रेस से वे तृणमूल कांग्रेस में आए। अब हमें तृणमूल कांग्रेस के ऐसे माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं जिनके राजनीतिक दर्शन के बारे में कोई नहीं जानता है।

हाल ही में हमने देखा कि श्री येरननायडू इस सरकार का भारी समर्थन कर रहे थे, वे सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रबल प्रशंसक हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने सभा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाली वस्तुओं के लेवी मूल्यों में वृद्धि का विरोध किया।

डा. बी.बी. रामैया (एलुरू): हम अब भी इसका विरोध करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी बात को दोहराया है। आज मुझे श्री येरननायडू की याद आती है। वे सभा में खड़े हुए और उन्होंने उस पक्ष की हर बात को समर्थन दिया। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिलने वाली वस्तुओं की मूल्य वृद्धि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को छिन्न-भिन्न करने का विरोध किया। वे बाघ की तरह दहाड़े। किंतु फिर प्रधानमंत्री ने उनके नेता को बुलाया और उन्हें झिड़का। उनसे अवश्य कहा गया होगा, "मैंने क्लिंटन को हैदराबाद भेजा और तुम फिर भी यह शोर कर रहे हो। यह क्या है? मैंने उनका बंगलौर यात्रा कार्यक्रम बदलवाकर हैदराबाद किया फिर आपके लोग यहां चिल्ला रहे हैं।" कल मैंने श्री येरननायडू को देखा था। वे कागजी शेर या यूं कहें चूहे की तरह लग रहे अब यहां उनकी आवाज बामुश्किल ही सुन सकते हैं। ऐसा लगता है उन्हें फटकार लगाई गई है। वे सरकार से बाहर हैं किंतु वे सरकार का पूर्ण समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे सरकार से अतिरिक्त धन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* इसलिए वे उनका विरोध कर रहे हैं किंतु साथ ही उनका समर्थन भी कर रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस के श्री सुदीप बंद्योपाध्याय सभा में खड़े हुए और उन्होंने कहा उनकी पार्टी विनिवेश, निजीकरण और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों की बिक्री का विरोध करती है। कल डा. सेनगुप्ता इस प्रकार बोले कि मानो 'सरकारी क्षेत्र' उनके शब्द कोष में सबसे गंदे शब्द हों।

डा. नीतीश सेनगुप्ता : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र में सुधार लाया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : शायद हम बौद्धिक रूप से दिवालिए हैं इसीलिए हम आपकी बात नहीं समझ पाए। आजकल टीवी दिखने का सबसे आसान तरीका संसद भवन के प्रवेश द्वार पर जाना है। यदि आप वहां पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा हो जाता है क्योंकि आपके इस प्रकार के सहयोगी दल हैं जो अपने-अपने राज्यों में अपने मतदाताओं के लिए शोर करते हैं और यहां वे पद का भोग करते हैं। उसे जाना पड़ता है, वायदे करने होते हैं और प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी पड़ती है। आप बिल्ली की तरह म्यांऊ-म्यांऊ कर रहे हैं। प्रत्येक समाचार-पत्र में छपा था कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि "मूल्य वृद्धि में वापसी नहीं होगी। इसकी मांग मत करो।" फिर, वह उत्साह और जोश कहां गया? इसी उत्साह के साथ आप यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप सार्वजनिक हित के मामले उठा रहे हैं। आप इस सरकार को सजग रख रहे हैं। आपने इस सरकार की प्रतिष्ठा बना रखी है। आप अपने पदों का लाभ उठा रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह जी आपके सहयोगी दल समता पार्टी की भी यही स्थिति है। श्री जार्ज फर्नान्डीज! चाहे वे परेशानियों का निवारण करने वाले हों या सत्ता के दलाल हों, मैं नहीं जानता। वे वही जार्ज फर्नान्डीज हैं, ये 1974 के नायक, महान समाजवादी, जनता के महान नेता और इस देश के मजदूर आंदोलन के महान नेता थे हम लगभग उनकी पूजा किया करते थे।

सभापति महोदया, क्या आपने, समता पार्टी का 1998 का चुनाव घोषणा-पत्र पढ़ा था?

डा. श्रीमती बीट्रिक्स डिसूज़ा (नामनिर्दिष्ट): अब, वे महान रक्षा मंत्री हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे महान् चुनावकर्त्ता भी हैं उन्होंने इस सभा के लिए आपका सदस्य के रूप में चुनाव किया है ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं, किसने किसे चुना है ...*(व्यवधान)*

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूज़ा : वह मेरा विशेषाधिकार है ...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानती राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इसका क्या संबंध है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने यहां कितने वर्ष व्यतीत किए है, महोदया?

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): यह बात निरर्थक है कि उन्होंने यहां कितने वर्ष बिताए ...*(व्यवधान)* उन्हें यह सब नहीं कहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : व्यवधान मत डालिए ...*(व्यवधान)* आप भी उसी का ही भाग हैं।

श्री अनादि साहू : सभापति महोदया, यह उचित प्रकार की टिप्पणी नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसे व्यक्त करने जा रहा हूं। हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही एक आशा बची है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज-बिहार): सभापति महोदय, हमें आपत्ति है कि इन्होंने हमारी पार्टी और हमारे दल के नेता का नाम लिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने ऐसा कुछ भी असंसदीय नहीं कहा जिसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता हो।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम यह कहना चाहते हैं कि सोमनाथ बाबू समता पार्टी पर कमेंट्स कर रहे हैं। इनको यह अधिकार नहीं है। इन्होंने श्री जार्ज फर्नान्डीज के लिये दलाल शब्द का प्रयोग किया है। जो अंग्रेजों की दलाली करते आये हैं, वे लोग श्री जार्ज साहब पर कमेंट्स करने के अधिकारी नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदया, मैं केवल यही कहना चाहता हूं, इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि 'रा.ज.ग. ही इस देश के लिए अंतिम आशा है। रा.ज.ग. का कोई विकल्प नहीं।' मैं केवल यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि रा.ज.ग. कितना संघटित है। इसे जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होना चाहिए। जबकि यह केवल कुछ राजनैतिक दलों के 'नव तानाशाहों का सम्मेलन है। और कुछ नहीं है। मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, कि इनके घटक कौन है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी-जिनका इस दल में स्थान दूसरे नंबर पर है, उनका हमेशा प्रयत्न रहता है कि वह नंबर एक का स्थान प्राप्त कर लें। बी.जे.पी. टुडे पत्रिका के हाल के अंक के अनुसार कम से कम इस बार श्री प्रफुल्ल गोराडिया भी उन्हें नंबर एक की सीट पर बिठाना चाहते हैं-कहते हैं उनके अनुसार 'गठबंधन की राजनीति में, आदर्शवाद का प्रश्न ही नहीं उठता।' इस देश में राजनीति का आज यह हाल है कि राजनैतिक आदर्शवाद अप्रासंगिक हो गया है। केवल सत्ता में रहना, या सत्ता हथियाना ही प्रासंगिक रह गया है। श्री आडवाणी ने खुले तौर पर इस महाजोत के बनने की प्रशंसा की थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महाजोत रहने दीजिए। वे कहते हैं कि कांग्रेस का भी इसमें स्वागत है बी.जे.पी., टी.एम.सी. और कांग्रेस की महाजोत! यह वास्तव में चमत्कारिक महाजोत है। आप इसे रखिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : उन्होंने आपको भी आमंत्रित किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं चाहता हूं, ऐसा दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन हो ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता : आप घुटन महसूस मत कीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदया, मुझे विश्वास है कि होगा भी ऐसा ही ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): क्या आप 1989 में जब श्री वी.पी. सिंह इस देश के प्रधान मंत्री थे तब हमारे साथ नहीं थे? क्या आपने उस सरकार का समर्थन किया था या नहीं? क्या वह आपके जीवन का अंतिम दिन था?

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्हें दुःख है कि मैं जिन्दा हूं।

श्री खारबेल स्वाइं: आपको खेद होना चाहिए कि आप जीवित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री लाल कृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री, जो बी.जे.पी. और एन.डी.ए. के महानतम हस्तियों में से एक हैं, ने श्री गनी खां चौधरी और कांग्रेस का अपनी महाजोत में स्वागत किया था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजनैतिक पार्टियों की संख्या कितनी भी क्यों न हो। अब यह बी.जे.पी. जो कांग्रेस पार्टी की जब-तब आलोचना करती है, शायद उनके विचार बोध के आधार पर, बिहार में कांग्रेस के कार्यों की आलोचना कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यों की आलोचना कर रहे हैं तथा जहाँ तक पश्चिम बंगाल का संबंध है उसी कांग्रेस का वहाँ स्वागत किया जा रहा है। इस पार्टी का यह आदर्शवाद है। हो सकता है हम किसी दिन श्री गनी खां चौधरी को मालदा में पंडित सुदर्शन के साथ एक ही मंच से जन सभाओं को संबोधित करते देखें। अपने माथे पर तिलक लगाए हुए शायद एक दिन वह भी खाकी निकर पहन लें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परेड में शामिल हो जाएं। हमें किसी दिन यह नजारा देखने को मिल जाएगा। यही स्थिति है, तथा निःसंदेह, श्री गनी खां चौधरी कई अवसरों पर हमें बंगाल की खाड़ी में फिकवा चुके हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन हम पूर्ण ताकत, संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य से तैर कर वापस किनारे पर आ गए। मैं नहीं जानता हमारे मित्र श्री गनी खां चौधरी का क्या होगा उन्हें तो हरिद्वार ले जाकर उनके द्वारा इन सालों में किए गए सारे पापों को धोने के लिए उन्हें गंगा के ठंडे पानी में नहलाया जाना चाहिए।

देश की आज यह स्थिति है और यह है रा.ज.ग. और वे हमें भाषण दे रहे हैं और वे इस देश की गरीब जनता के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? कीमतें बढ़ गई हैं।

डा. बी.बी. रमैया हमारे अच्छे वाणिज्य मंत्री रहे हैं। अब उन्हें कोई भी मंत्री पद नही मिला है। मैं मूल्य वृद्धि पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभी बोलने वाला हूँ।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): आप केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोल रहे हैं।

सभापति महोदय: उन्हें पश्चिम बंगाल की चिंता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या पश्चिम बंगाल भारत से बाहर है?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: वह भारत में ही है। परन्तु आप केवल पश्चिम बंगाल पर ही क्यों बोल रहे हो।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप ममता जी की महाजोत से घबराते क्यों हैं, उसे बनने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू: इसका कारण है कि इनकी पार्टी केवल पश्चिम बंगाल में ही सीमित है, स्वाभाविक रूप से उन्हें जहर ही उगलना है।

सभापति महोदय: वे आपको उत्तेजित करना चाहते हैं और वे इसमें कामयाब भी हो रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: 'महाजोत' को हमारे राज्य में महाजोक' के रूप में लिखा जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यही 'महाजोक' है। मेरे अनुसार यह महाजोत नहीं है, 'महाजोक' है और कुछ नहीं।

मैं इन सब का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रकार के बेमेल मिश्रण से इस देश के भविष्य का क्या होगा। मूल्य वृद्धि के संबंध में उनकी क्या नीति है? मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि के संबंध में उनकी क्या नीति है? उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में उनकी क्या नीति है? क्या उनकी एक नीति है? खाद पर राजसहायता घटाने के संबंध में उनकी नीति क्या है? कैसे कोई भी इस प्रकार के लोगों के बेमेल सम्मिश्रण पर भरोसा कर सकता है जो या तो सत्ता के लिये या आर्थिक लाभ पाने के लिए एक साथ हैं? इसके पीछे अन्य कोई कारण नहीं है। उन्हें यह अपेक्षा है कि लोग यह स्वीकार करें कि वह अच्छे कार्य करेंगे। वे कहते हैं कि उन्हें गरीबों की भी उतनी ही चिन्ता है जितनी अमीरों और मध्यम वर्ग को। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जहाँ गरीबों की इन्होंने गंभीरता से चिंता की। मैं भी इसे जानना चाहूंगा। श्री प्रभुनाथ सिंह अब खड़े होकर यह बता सकते हैं कि कैसे यह मूल्य वृद्धि आम आदमी का भला करेगी। क्या आप मूल्य वृद्धि वापस लेने की माँग नहीं कर रहे हैं? इसलिए, मैं यही कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण इस देश के लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। वे कोई भी अच्छा कार्य करने में सफल नहीं हो पाए हैं। आज हमें सर्वाधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सभी मूल्यवृद्धि के संबंध में जानते हैं। हमने यह मुद्दा कल भी उठाया था। परंतु आयात-निर्यात नीति के संबंध में क्या हुआ? इसकी स्थिति क्या है? 2000-2001 में, 714 वस्तुओं में संख्यात्मक रूप से प्रतिबंध हटा दिया गया, जिनमें बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं और कृषि और डेयरी उत्पाद शामिल है। अगले वर्ष अप्रैल तक और 715 वस्तुओं पर से प्रतिबंध हट जाएगा। हमारे लघु उद्योगों की क्या स्थिति है? हमारे घरेलू उद्योगों का क्या होने वाला है?

चावल, दुग्ध उत्पाद, सब्जियों और भी सभी वस्तुओं को अब ओ.जी.एल. के अंतर्गत आयात करने की अनुमति मिल जायेगी। इससे किन लोगों को लाभ हुआ है? ...*(व्यवधान)* वे उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। किस उपभोक्ता को फायदा हुआ है? केवल संभ्रांत उपभोक्ताओं को ही इससे लाभ हुआ है। इस देश के किसानों को इससे लाभ नहीं मिलेगा; इस देश के उत्पादकों को लाभ नहीं पहुंचेगा। उनके पास कृषि-मजदूरों के लिए सभा में लाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। वे इससे आम आदमी, सामान्य किसान और खेतिहरों को ही प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट में एक तरंग उठती है, दलाल स्ट्रीट में उथल-पुथल मच जाती है, भूकंप आ जाता है। आज, इसका यह परिणाम हो रहा है। अमेरिका में नासदाक में थोड़ी सी उथल-पुथल से यहाँ सब कुछ ढह जाता है। क्या यह हमारी आर्थिक मजबूती दर्शाती है? हमारे वित्त मंत्री भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा अपने आर्थिक विशेषज्ञों के आगे करते रहते हैं। वे पूर्णतः उनके अधीन हैं। यही आज की स्थिति है। स्थिति और क्या हो सकती है जब हमारे विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह जी जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं, वे भारत के विदेशी मामलों से संबधित हितों को देखने के बजाय जोधपुर को पर्यटक स्थल के रूप में पेश करने में अधिक व्यस्त रहते हैं। जब हमारे मित्र देश के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तो वें उन्हें जोधपुर महल को एक गाईड के रूप में दिखाने के लिए अधिक व्यस्त थे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जसवन्त सिंह जी ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ थे, केवल घूमने नहीं गए थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: बातचीत तो यहां होनी थी। वहां बातचीत करने गए थे?

प्रो. रासा सिंह रावत: वहां बातचीत करने भी गए थे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमारे पास पहले ही समय की कमी है। आप जितना अधिक व्यवधान डालेंगे हम उतना ही अधिक समय लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं इस सरकार के बारे में बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उनकी बात का उत्तर न दें। कृपया आप सभापति को सम्बोधित करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं कोई महात्मा बुद्ध नहीं हूं जो कि हर बात को अनदेखा कर दूं। मैं निर्वाण की स्थिति में नहीं पहुंचा हूं ...*(व्यवधान)*

मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार आज यह देश विदेशी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के आगे झुक रहा है, कैसे प्रत्येक विदेशी चीज को यहां लाया जा रहा है और उसकी प्रशंसा की जा रही है तथा किस तरह हमारी अपनी ही कम्पनियों को समाप्त किया जा रहा है। हमारी 'नवरत्न' के शेयरों को मामूली से दामों पर बेचा जा रहा है। आज तक हम यह नहीं जानते कि 'गैल' के शेयरों के दामों का निर्धारण किस तरह किया गया था? उनको विदेशी कम्पनियों ने खरीदा था। इस देश का क्या होगा?

इस सभा में तृणमूल कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री सुदीप बंद्योपाध्याय विनिवेश का विरोध कर रहे थे। उनकी नेता ने कहा है कि वह रेलवे में विनिवेश या रेलवे को निजीकरण करने की अनुमति नहीं देगी। यह बहुत अच्छा है परन्तु आई टी आई, एच.टी.एल., वी.एस.एन.एल., ओ.एन.जी.सी. तथा इंडियन आयल कारपोरेशन जैसी कम्पनियों का क्या होगा? ये बड़े उद्योग हैं जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है।

विजाग इस्पात संयंत्र का क्या हुआ? श्री के. येरननायडू ने इसका विरोध किया। उसका क्या हुआ? क्या इसका पुनरुद्धार किया गया है? क्या इसे बी.आई.एफ.आर. से वापस ले लिया गया है? मेरे अच्छे मित्र श्री वैको कहाँ हैं? उन्होंने सेलम इस्पात संयंत्र के निजीकरण का विरोध किया था? वे पूरे जोर शोर से इस निर्णय का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि, 'हम इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे'। अब वे कहते हैं कि राजग फिर सत्ता में बार-बार आएगा। तब तक सेलम में कोई इस्पात संयंत्र नहीं होगा। हमें समाचार पत्रों से पता चला कि उन्होंने इस संबंध में कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

अब, हमारे यहां विनिवेश के लिए एक विशेष मंत्रालय है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? भारत जैसे देश में जहां सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को अधिक व्यवहार्य और मजबूत बनाने की आवश्यकता है वहां सरकार ने विनिवेश के लिए एक नया मंत्रालय बना दिया है? हम ऐसे क्षेत्रों में निजीकरण करने के खिलाफ नहीं है जहां देश का हित प्रभावित नहीं होता। परन्तु हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के उत्कृष्ट उपक्रम है। वे किन कारणों से रुग्ण हो चुके हैं यह हम सभी जानते हैं। उनका पुनरुद्धार करने की बजाय सरकार उन्हें बेचने की कोशिश कर रही है। इस देश के सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रमों के शेयर बेचने के लिए इस मंत्रालय का सचिव, संयुक्त सचिव इत्यादि को सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं।

इसलिए, महोदय, मेरा कहना यह है कि यह सरकार गरीब विरोधी है। इस सरकार की नीतियां पहले ही हमें प्रभावित कर चुकी हैं तथा इसकी नीतियों से हम भविष्य में और अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए, मैं यह मांग करता हूं और मैं आशा करता हूं कि राजग के सभी सदस्य इस बात की मांग के लिए मेरा साथ देंगे कि मिट्टी के तेल, रसोई गैस इत्यादि के दाम कम करके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहले वाली स्थिति में लाया जाए तथा यह भी कि उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को जारी रखा जाए। मुझे आशा है कि समझदार लोग या जिन्होंने अपनी आत्मा को भा.ज.पा. या बजरंग दल को नहीं बेचा है, हमारा समर्थन करेंगे।

इसके अलावा, संविधान की यह कैसी समीक्षा है? मैं यह चाहता हूं कि श्री राम विलास पासवान आज यहाँ होते। वे हमारे अच्छे मित्र हैं। हम एक साथ थे। ...*(व्यवधान)* डा. नीतिश सेनगुप्ता, आप दूर क्यों जा रहे हैं? आपने हम पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया है। कृपया यहां बैठ जाइए और बताइए कि आपने इस देश के लोगों को बुद्धिहीन कैसे कहा। आप एक नौकरशाह थे और आप सरकार में बहुत अच्छे-अच्छे पदों पर थे। आपने क्या किया था? आपने केवल भाषण ही दिये थे। आपने

नौकरशाही और राजनैतिक प्रणाली दोनों ही पदों का अच्छा लाभ उठाया है। कम से कम हमने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया।

अब मैं संविधान की समीक्षा की बात करूंगा। यह किसलिए है? संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया था कि संविधान में ही संशोधन किये जाने का प्रावधान भी होना चाहिए। फिर संविधान का संशोधन कौन कर सकता है? यह सभा ही, राज्य सभा के साथ ऐसा कर सकती है। हमने संविधान का संशोधन किया था कभी इसके प्रभाव अच्छे हुए, कभी खराब। जैसे ही 42वां संशोधन पारित हुआ था, श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार हार गई थी। सरकार संसदीय प्रजातंत्र की बात करती है तथा संसदीय प्रजातंत्र पर अपनी चिन्ता व्यक्त करती है। क्या आप संसद से अलग हट कर संसदीय प्रजातंत्र पर अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं? यह एक ऐसी संस्था है जो संविधान का संशोधन कर सकती है। यह चुपचाप क्या हो रहा है? संशोधन के लिए हम किस अच्छे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं? क्या सरकार ने किसी अच्छे संशोधन का प्रस्ताव किया था जिसकी इस देश को आवश्यकता है? क्या हमने उनका विरोध किया है?

महोदया, हमें महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के संबंध में सरकार की चिन्ता के बारे में बताया गया है। दुर्भाग्यवश, श्रीमती गीता मुखर्जी यहां हमारे बीच नहीं है। वह विधेयक कहां है? क्या यह सभा की कार्यसूची कार्य में शामिल है? मैंने इसका उल्लेख किसी बैठक में किया था। यह कार्यसूची में नहीं है। यदि वे महिला आरक्षण विधेयक का सही तरीके से समर्थन करते हैं तो हम इसका समर्थन करेंगे। इस सरकार को संविधान के उस उपबंध के बारे में बताना चाहिए जिसे वे बदलना चाहते हैं। आज तक किसी भी उपबंध का उल्लेख नहीं किया गया है। हमसे संघीय सिद्धांत को मजबूत करने के बारे में कहा जा रहा है। मेरे दल और अन्य विपक्षी दलों के अलावा किसी ने इस तरह लगातार मांग नहीं की थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हमारे मित्रों ने हमारा समर्थन किया है। परन्तु प्रस्ताव क्या है? अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। महोदया, क्या कोई जरा सी भी निष्ठा के साथ कह सकता है कि जब तक सभा के पूरे लोग इस संशोधन का समर्थन नहीं करते, क्या यह पारित हो सकता है? क्या कोई इस पर विश्वास कर सकता है? लोक सभा और राज्य सभा के वर्तमान गठन में क्या आप बिना सहमति के कोई संशोधन पारित कर सकते हैं? मैं बहुत ही आदरपूर्वक यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप संविधान में एक भी संशोधन कर सकते हैं? फिर संविधान की समीक्षा का क्या अर्थ है? ...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि सेलम इस्पात संयंत्र उनकी जेब में है। वास्तव में वे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वे 1996 में हमारे साथ थे। फिर वे जयललिता के पास गए। अब, अपने नए राजनैतिक रूप में वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल के माध्यम से जुड़े हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): अंत में, मैं सही जगह पहुँचा हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप ऐसा समझते हैं परन्तु आप नहीं जानते कि आपको कब जयललिता की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। उन्हें भी बाहर कर दिया गया है।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): क्या आप जयललिता का समर्थन कर रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी: जो मैं करता हूँ या जो मैं नहीं करता हूँ मैं उसका रहस्योद्‌घाटन आपके सामने नहीं करूँगा।

सभापति महोदयः श्री चटर्जी, आप एक ही भाषण के लिए पूरी दोपहर नहीं लगा सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसलिए, यह एक गलत कदम है। इसका उद्देश्य कुछ और है। वे जानते हैं कि विपक्ष की सहमति के बिना किसी संशोधन के पारित होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने जानबूझकर विपक्ष को नजरअंदाज किया है। उन्होंने अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावतः सभापति महोदया, मैं पूरे सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिन तथ्यों को तोड़-मरोड़कर विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, वह इनके जैसे नेता के लिए शोभाजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि सरकार बार-बार कह चुकी है कि संविधान संशोधन होगा तो हाउस के सामने लाया जाएगा, हाउस ही संविधान संशोधन करेगा। बार-बार कह रहे हैं कि मूल ढ़ांचे या उसके स्वरूप को नहीं बदला जाएगा। फिर भी वही बात कही जा रही है। यह गोएबल की थ्योरी नहीं तो और क्या है। बार-बार गलत बात को दोहराया जा रहा है। देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए। उनको भी अपने विचार प्रस्तुत करने का वैसा ही अधिकार है जैसा कि आपको। उन्होंने ऐसा कुछ भी असंसदीय नहीं कहा है कि आप उसका विरोध कर सकें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: कोई मुद्दा तो है नहीं, एक ही गलत बात को बार-बार दोहराया जा रहा है। विपक्ष को तो रचनात्मक लाइन पर चलना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब आप बोलेंगे तब आप उत्तर दे सकेंगे।

[हिन्दी]

जब आप बोलेंगे तो उसका उत्तर दे दीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं: 40 मिनट बोलने के बाद वे और 40 मिनट बोलेंगे क्योंकि वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चटर्जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने अपने दल के लिए निर्धारित समय ले लिया है। आप और नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदया, आप इन व्यवधानों को मेरे समय में शामिल नहीं कर सकतीं।

सभापति महोदय: परन्तु आप अपने दल का समय ले चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदया, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए मेरे मित्र श्री रासा सिंह रावत ने जो कुछ कहा है, वह संक्षेप में मेरी ही बात है कि इस सभा की सहमति के बिना आप कोई संशोधन पारित नहीं कर सकते। हम सभी यह जानते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: आपके सामने ही तो लाएंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं उनका हमें यह बताने के लिए आभारी हूँ कि यह सभा इस संशोधन पर विचार करेगी और इसे पारित करेगी।

इसलिए, संक्षेप में मेरा मुद्दा यही है।

श्री खारबेल स्वाइं: हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं अपना सुझाव उन सभी लोगों को कभी नहीं देता।

मेरा कहना यह है कि जब इस सभा के बिना किसी संशोधन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तब समूचे विपक्ष को अंधेरे में क्यों रखा गया है। यह उच्चाधिकार समिति किस लिए है? यदि समिति दो सौ अत्यंत मूल्यवान सुझाव भी देती है, जब तक सभा उन सुझावों पर अपनी सहमति नहीं दे देती आप उनको पारित नहीं कर सकते। अतएव, इसके स्थान पर, आप अपने सुझाव दे सकते थे, विभिन्न दलों की बैठक बुलाते तथा प्रस्तावित संशोधनों पर आम राय स्थापित करते। मान लेते हैं यदि आप मौलिक अधिकार के रूप में कार्य के अधिकार हेतु प्रस्ताव तैयार करते हैं, हम आपका समर्थन करेंगे। रोजगार के अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार पर हम आपका समर्थन करेंगे। यह स्थिति किस लिए है।

अपराह्न 3.41 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए]

जहाँ तक चुनाव सुधारों का संबंध है, कई समितियाँ हैं जिन्होंने सर्वसम्मत सिफारिशें की हैं। श्री एल.के. आडवाणी इसके सदस्य हैं तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1971 की समिति के सदस्य थे। परन्तु, सिफारिशों से अधिकांश कार्यान्वयन नहीं हुआ। श्री एल.के. आडवाणी ने गृह मंत्री के रूप में राज्यों का ऋण पोषण से संबंधित समिति का गठन किया था, जिसमें श्री इंद्रजीत गुप्त अध्यक्ष थे तथा डा. विजय कुमार मल्होत्रा सदस्य थे। उन्होंने सर्वसम्मत सिफारिशें की। परन्तु उन पर कार्यान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उन पर अलग से समिति बिठाए जाने की आवश्यकता है? यदि ऐसे प्रस्ताव थे, जिनसे संसदीय प्रजातंत्र को मजबूत करने में तथा सामान्य जनता को सहायता मिलती, तो क्या कभी आपने हमें पीछे पाया है? कृपया हमें यह बताएं। अतः इस समिति का प्रयोजन क्या है?

हम चिंतित क्यों हैं? यह कहना बहुत आसान है कि संविधान का मूलभूत स्वरूप प्रभावित नहीं होगा। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मूलभूत स्वरूप संसद की पहुंच से भी बाहर है। परन्तु, इस सरकार के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक गृह मंत्री ने कहा है:

> "मूलभूत स्वरूप का सिद्धांत हमें संसदीय प्रजातंत्र से नहीं जोड़ता।"

यह श्री एल.के. आडवाणी की टिप्पणी थी।

श्री एस. बंगरप्पा: इसका मतलब है वे संविधान के मूलभूत स्वरूप को भी संशोधित कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उनका कहना है कि मूलभूत स्वरूप का मतलब केवल संसदीय प्रजातंत्र नहीं है। मूलभूत स्वरूप अध्यक्षीय प्रकार का संसदीय प्रजातंत्र भी हो सकता है।

यही कारण है कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 27 जनवरी को सेंट्रल हाल में सम्भाषण दिया, उन्होंने यह उल्लेख किया कि केन्द्र तथा राज्यों में दोनों जगह, स्थिरता की आवश्यकता को गहराई से महसूस किया जा रहा है। अतएव, स्थिरता के प्रयोजनार्थ, वे सांवैधानिक परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं। हमें बताया जा रहा है कि केवल रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है। दूसरे ढंग से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि तेलगू देशम पार्टी अलग हो जाती है तथा यदि श्री वैको भी अपने दैदीप्यमान क्षणों में समर्थन वापस लेने का निर्णय लेते हैं, तो वे परवाह नहीं करेंगे। वे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे।

यदि ऐसा कोई संशोधन पारित हो जाता है तो अल्पसंख्यक सरकार बनी रह सकती है।

श्री वैको: परन्तु वह आपके समर्थन के बगैर पारित नहीं हो सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी: तब आप हमारी अभी क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? यह उच्चाधिकार प्राप्त समिति किसलिए? मुझे अफसोस है कि कुछ प्रतिष्ठित न्यायाधीशों को उनकी अवस्थिति स्वीकार करने में गुमराह किया गया है। इससे क्या लाभ होगा? मैं पूरी विनम्रता के साथ यह प्रश्न उनसे पूछना चाहूँगा। अतएव, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि यह, अगले चुनावी संग्ताम हेतु योजना की व्यवस्था के लिए मात्र एक चाल है तथा इसके अलावा कुछ भी नहीं। वे जानते हैं कि वर्तमान सभा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सहभागी उन सिद्धांतों और विचारधारा, जो कि श्री आडवाणी के अनुसार अप्रासंगिक हैं, के विरुद्ध उनके प्रति पूर्ण समर्थन रखते हैं। वे इसे पारित नहीं कर सकते। अतएव, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि, मेरे अच्छे मित्र श्री संगमा की सहभागिता के बावजूद प्रतिवेदन उनकी इच्छानुकूल होगा। ये विशिष्ट न्यायाधीश मुझसे रुष्ट होंगे, परन्तु दुर्भाग्य से, ऐसा होगा। और आज, हम पाते हैं कि न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, जो उप-समिति के सह-अध्यक्ष हैं, कहते हैं कि, कम से कम वह अपने प्रतिवेदन के माध्यम से एक बहुत विशाल श्रोता समुदाय को सम्बोधित करने का एक अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यही वह कहते हैं। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गया था। वे, अध्यक्षता स्वीकार करने को उचित ठहरा रहे हैं तथा वे कहते हैं कि वे अब बहुत व्यापक नेतृत्व प्राप्त करेंगे। वे कहते हैं: "मैं इस प्रतिवेदन के माध्यम से मानव अधिकारों पर भारतीय लोगों से अवश्य बात करूँगा।"

श्री वैको: वे एक उग्रवादी राजनीतिज्ञ हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यही हमारी वेदना है। यह कैसा विसर्पण है? इस देश के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गुमराह करते हुए जनता की तथाकथित बेहतरों हेतु यह संविधान की कैसी खोखली समीक्षा है? अतएव, ये भ्रामक चालें हैं।

कल, हमारे कई मित्रों ने इस सरकार की आर्थिक नीति के दबाव के बारे में संभाषण दिए थे। इस सरकार की विदेश नीति का बल किन बात पर है? कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ? सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट वहाँ है। कई लोगों को अब उत्तरदायी बनाया गया है। इससे कैसे निपटा जाए? दूसरी समिति नियुक्त करें। सुब्रमण्यम समिति के ऊपर, गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अन्य समिति नियुक्त की गई है। मैंने अभी मध्याह्न भोजनावकाश के दौरान इसे दूरदर्शन पर सुना है। आप एक के बन्द एक समितियाँ नियुक्त करते जाते हैं। यह इस मुद्दे को टालने का सबसे बढ़िया तरीका है। यह सरकार ऐसी है जिसने इस देश के लोगों का भारी विपदा में डाल दिया है। यह ऐसी सरकार है जिसने भारत के हितों तथा हमारे लोगों के हितों को बेच डाला है। हमारी आर्थिक सम्प्रभुता गायब हो चुकी है। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम से थोड़ी कृपादृष्टि प्राप्त करने में इतने व्यस्त हैं कि हम दक्षिण एशियाई देशों को भूल जाते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री की क्या भूमिका रही है? हम नेतृत्व पर रोक लगा रहे हैं, तथा हमारे सम्मानित विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह समूह-77 सम्मेलन हेतु क्यूबा जाने की कृपा नहीं कर रहे क्योंकि यह क्यूबा है तथा हो सकता है ऐसा करना अमेरिकी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप न हो। इसीलिए, डा. मुरली मनोहर जोशी अपनी टीका के साथ दिखते हैं। इस देश में यह सब हो रहा है। हम लोग रुढ़िवादियों द्वारा घेरे जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हावी होने का प्रयास कर रहा है। ऐसा उन्होंने गुजरात में क्यों किया, श्री वैको? तथा उन्होंने यहाँ प्रतिबंध को वापिस क्यों नहीं लिया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात में उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त है?

श्री वैको: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपनी वचनबद्धता पर स्थिर हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपनी वचनबद्धता पर स्थिर है। आपके अपने वरिष्ठ सहयोगी देश के अन्य राज्यों में ऐसा करेंगे। यह आपकी वचनबद्धता है। फिर आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटाने का भी समर्थन किया। कृपया इस मुद्दे पर हमें बताएँ।

श्री वैको: इसका अंतिम नतीजा क्या था?

श्री सोमनाथ चटर्जी: अंतिम परिणाम यह रहा कि इस सभा में सम्मिलित विरोध के कारण, इस सभा के बाहर लोगों की आपत्ति के द्वारा, उनके निरंतर आंदोलन के द्वारा इस सरकार को घुटने टेकने पड़े तथा उसे वापस लेना पड़ा था। अन्यथा, यह कभी नहीं हो सकता था।

श्री वैको: इसका श्रेय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एवं प्रधानमंत्री को जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जैसाकि मैंने कहा, यह सरकार इस देश के गरीब जन साधारण पर भारी विपदा लेकर आई है, जो सरकार की जन-विरोधी नीतियों का आघात झेल रहे हैं। हमारी आर्थिक सम्प्रभुता दाँव पर लगी हुई है। वे पूर्णतः असफल हैं। श्री राम विलास पासवान वहाँ नहीं थे।

अपराह्न 3.49 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, जैसा कि आप पीठासीन हुए हैं, मैं समाप्त करने से पहले एक मिनट और लूँगा। संविधान की समीक्षा ने दलितों के ... डा. अम्बेडकर के संविधान को रद्द करने के उद्देश्यों के ... शंकाएँ उत्पन्न कर दी हैं, तथा चूँकि श्री राम विलास पासवान का क्षेत्र दलितों का है, अचानक हम पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दलित रथ निकाले गए हैं तथा प्रधान मंत्री दलित रैलियों को सम्बोधित कर रहे हैं, जिसेक बारे में उन्होंने इन सारे वर्षों में कभी नहीं विचार किया, तथा यह बात बोधगम्य नहीं है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): कृपया इतना ज्यादा गलत उद्धरण न दीजिए। यहाँ तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अधिकांश संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी से है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, इसीलिए वे उस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ श्री राम विलास पासवान तथा अन्य कार्य कर रहे हैं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव आ गए हैं। वे अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि तथा खाद सब्सिडी में कमी की वकालत कर रहे हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अतएव यह एक बेमेल सम्मिलन है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम अब भी उसका विरोध करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आज, उन्होंने जन साधारण, इस देश के निर्धन लोगों के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा ही कर रहे हैं। अतएव, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि यद्यपि यह भाषण हमारे सर्वाधिक आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया है, मैं इसकी विषयवस्तु का पूरा विरोध करूँगा। इस देश की जनता, प्राप्त प्रथम अवसर पर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में अपना फैसला नहीं देंगी, जैसा कि वह कल तक के दिवास्वप्न देखते रहे थे। बल्कि हमारी राजनीतिक काया से इस कैंसर को हटाने के पक्ष में फैसला देगी।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी पार्टी तेलगु देशम की ओर से, राष्ट्रपति के अभिभाषण जो उन्होंने संसद के संयुक्त सत्र के समक्ष दिया था पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महामहिम, भारत के राष्ट्रपति को, संसद के संयुक्त सत्र के समक्ष इस नई सहस्राब्दि में पहली बार अभिभाषण दिए जाने पर अवश्य प्रसन्नता का अनुभव हुआ होगा। माननीय राष्ट्रपति ने सरकार के कार्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है। स्वाभाविक रूप से, नई सहस्राब्दी में, इस देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों के साथ ही कई देशों को यह आशा थी कि लोगों को विशेषकर देश को एक निश्चित आर्थिक दिशा मिलेगी। परन्तु अभिभाषण सुनने के पश्चात, सभी श्रेणी के लोगों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की कि अभिभाषण में देश को नई सहस्राब्दी के लिए व्यापक आर्थिक दिशा का अभाव है।

इस अभिभाषण में कई मुख्य मुद्दे जैसे राज्य को राजस्व का हस्तांतरण, सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने और दसवें वित्त आयोग की सूचना को लागू करने के बारे में भी कुछ नहीं कहा। अभिभाषण में चर्चित मुद्दे जैसे-चुनाव सुधार पर सुविधाजनक रूप से चुप्पी साध ली। इसके अतिरिक्त यह लोकतंत्र में व्याप्त सामूहिक संघवाद जिस पर भी चर्चा चल रही है के विषय में भी खामोश है। इसके साथ ही, हथकरघा बुनकरों की दशा पर भी, इसमें कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, इन सभी पहलुओं पर गौर करने के पश्चात् इस अभिभाषण में कोई निश्चित दिशा न मिलने पर लोग निराश हुए हैं।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपिता का उचित उद्धरण दिया है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमें यह उपदेश दिया था कि हम यह सुनिश्चित करें कि विकास का फल सर्वप्रथम गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को मिले। राष्ट्रपिता ने यही दिशा दी थी और हमारे माननीय राष्ट्रपति ने इसका उचित उद्धरण दिया।

जहाँ तक हाल ही में लिए गए इस सरकार के निर्णयों का **संबंध है, वह राष्ट्रपिता द्वारा दिए गए** उपदेशों से मेल नहीं खाता। दरिद्र **श्रेणी के लोगों की स्थिति को** सुधारने के लिए इस सरकार **ने एक भी कदम नहीं उठाया है।** जो कुछ भी निर्णय लिए गए, **विशेषकर हाल ही में,** उनसे गरीब लोगों, छोटे और मध्यम श्रेणी **के किसानों** और समाज के निर्धन लोगों पर आर्थिक बोझ ही पड़ा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने कई अवसरों पर यह इंगित किया है कि एक तरफ तो ते.दे.पा. रा.ज.ग. सरकार का समर्थन कर रही है, और दूसरी ओर ते.दे.पा. उसकी कुछ नीतियों का विरोध भी कर रही है। "जी हाँ, हमने आरंभ में भी हमारे आशय को और **हमारे विचारों को स्पष्ट किया था** कि ते.दे.पा. मुद्दों पर आधारित **समर्थन देगी। हम यह स्पष्ट करते हैं।** इसका अर्थ यह नहीं है कि **प्रत्येक मुद्दे पर हमें** सरकार की खिंचाई करनी है. हमें सरकार **को गिराना है। ऐसी बात नहीं है।** ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम चाहते हैं कि वे समर्थन जारी रखें और स्थिति को बिगाड़ दें ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: संपूर्ण राजनीति और लोकतंत्र की स्थिति को बिगाड़ने में, मार्क्सवादी पार्टियों ने भी कांग्रेस के समर्थन का जोखिम उठाया था, जो वास्तव में दो विपरीत दिशाएं हैं। अन्यथा, यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती ...*(व्यवधान)*

जहाँ तक गरीबों का प्रश्न है। प्रथमत: मैं कुछ मुद्दे जैसे कि आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। यह गंभीर विषय है जिस पर संसद में भी कई अवसरों पर चर्चा हो चुकी है। इस पर कल और आज भी चर्चा हुई।

किसी भी सुधार का मानवीय पहलू भी होना चाहिए। परंतु इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राजसहायता विशेषरूप से चावल से राजसहायता को वापस लेने में कौन सा मानवीय पहलू विद्यमान है? **चावल और गेहूँ से राजसहायता** वापस लेने से कई राज्य बुरी तरह **प्रभावित है। अधिकतर गरीबों** पर अब करों का बोझ पड़ेगा। **यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश जैसे** राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं, जिन्होंने **इस राजसहायता को 1983 में यह** योजना की हमारे संस्थापक **अध्यक्ष, श्री एन.टी. रामा राव की दूरदृष्टि के** कारण शुरूआत की थी। **अब, आंध्र प्रदेश को भी यह बोझ** गरीब लोगों पर डालना पड़ेगा। **कल तक, हम चावल 3.50 रुपये** प्रति किलो देते थे, अब **जब भारत सरकार ने इसकी कीमत को** अचानक 5.90 प्रति किलोग्राम **कर दिया है तो, हमें भी 22** प्रतिशत कार्ड धारकों जो गरीबी **रेखा के नीचे रह रहे हैं (बी.पी.एल.)** के लिए 5.90 रुपये प्रति **किलोग्राम चावल खरीदने के लिए** बाध्य होना पड़ेगा। जहाँ तक हमारे राज्य का सवाल है लाकड़ावाला समिति की रिपोर्ट अभी भी विवादास्पद है।

अपराह्न 4.00 बजे

आंध्र प्रदेश राज्य को केवल 9 लाख टन चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5.90 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है और राज्य बाकी बचा 14.5 लाख टन चावल जिसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण होना है को 11.80 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर खरीदता है। फिर भी हम 23 लाख टन चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को विपरीत कर रहे हैं। इसलिए,. राज्य पर और गरीबों पर काफी बोझ पड़ रहा है। अब, मूल्य 5.50 रुपये प्रति किलो बढ़ाने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश राज्य को 1,062 करोड़ रुपये की चावल पर ही राजसहायता का बोझा वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसलिए, इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले चावलों की कीमत को बढ़ाने में हमें कोई तर्क नजर नहीं आता। हम सुधारों के मामलों पर कई बातों पर चर्चा कर सकते हैं। परन्तु जहाँ तक गेहूँ और चावल पर राजसहायता वापस लेने का संबंध है, हमारी पार्टी भी यही चाहती है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए।

महोदय, कल ही माननीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने पैट्रोलियम पदार्थ जैसे कैरोसिन और एल.पी.जी. के मूल्य में वृद्धि के संबंध में घोषणा की थी। वे पड़ोसी देशों की कीमतों का यहाँ ब्यौरा दे रहे थे और कह रहे थे कि इनका उन देशों में भी मूल्य अधिक है। वे बार-बार यह भी उल्लेख कर रहे थे कि पैट्रोलियम पदार्थों की राजसहायता कटौती के तर्कसंगत निर्णय को संयुक्त मोर्चे की सरकार ने लिया था। जी हाँ, मैं भी मानता हूँ कि इसका निर्णय संयुक्त मोर्चे की सरकार ने लिया था। परंतु इसकी पहल बी.जे.पी. सरकार ने अपने 13-दिनों के कार्यकाल में की थी और इस निर्णय को अंतिम रूप संयुक्त मोर्चे की सरकार ने 1996 में दिया था।

जहाँ तक संयुक्त मोर्चे की सरकार का संबंध है। हम सभी उसमें सहयोगी थे और यहाँ तक सी.पी.आई. (एम.) ने भी इसका समर्थन किया था। उस सरकार ने और कई निर्णय भी लिए थे। यदि रा.ज.ग. सरकार यह इंगित करती है कि यह निर्णय उस समय लिया गया था, तो अन्य सभी निर्णय, जो उस समय लिए गए थे, उसको भी इस सरकार द्वारा अमल में लाना चाहिए। संयुक्त मोर्चे की सरकार को यह श्रेय जाता है कि उसने उर्वरक के मूल्य को प्रति 50 कि. बोरे पर 100 रुपये कम कर दिया था। जबकि इस सरकार ने राजसहायता को वापस लिया और उर्वरकों की कीमतों में 15 प्रतिशत वृद्धि की। यह समय नहीं है कि भारत उर्वरकों पर राजसहायता वापस ले।

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

महोदय, जब हम कृषि की स्थिति को अपने कुछ पड़ोसी देशों से जैसे छोटे से पड़ोसी देश, बांग्लादेश, से तुलना करते हैं तो, हमारे देश में खाद के उपयोग की मात्रा सबसे कम है। जापान में भारत से तीन गुनी अधिक मात्रा में खाद प्रयोग की जाती है, जर्मनी में दुगनी और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में खाद अधिक मात्रा में उपयोग की जाती है और वे अपनी भूमि से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। हमारी कृषि उत्पादन पिछले 10 सालों से बढ़ा नहीं है। हमारे कृषि उत्पादन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इन परिस्थितियों में, जब हमारी 39 प्रतिशत जनसंख्या को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता या उन्हें दिन में एक या दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं है, हम उर्वरकों पर राजसहायता हटा रहे हैं। यह अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, हमने अभी, कार्यमंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया है कि हम अगले सप्ताह मूल्य वृद्धि पर संसद में चर्चा करेंगे। सभा इस माह की 27 को इस पर चर्चा करेगी।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, मैं आपका आभारी हूँ ... आपने इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी। मैं इस मुद्दे का ...लेख करके और दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। मैं इस मुद्दे पर अब विस्तार से नहीं बोलूंगा।

इसलिए, मेरी पार्टी यह महसूस करती है कि यह उचित समय नहीं है राजसहायता हटाने का और किसानों को अपनी उपज को बढ़ाने के लिए अधिक खाद के उपयोग को निरुत्साहित करने का।

महोदय, सरकार ने भारत के संविधान की समीक्षा के लिए एक व्यापक आयोग का गठन किया है। माननीय राष्ट्रपति ने यह उल्लेख किया है कि संविधान की समीक्षा के लिए एक व्यापक आयोग का गठन किया गया है। जहाँ तक संविधान की समीक्षा का संबंध है, मुझे नहीं पता कि इस विषय को चर्चा के हद तक तानने की आवश्यकता क्या है और इसे राजनैतिक रंग देने की क्या आवश्यकता है। पहले भी संविधान में 80 से अधिक बार संशोधन किये गये, प्रत्येक बार संशोधनों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत किया गया। उन प्रावधानों का भी पुर्नमूल्यांकन किया जा चुका है। उन प्रावधानों का भी परीक्षण किया गया। संविधान की जटिलताओं पर पूर्ण चर्चा की गई फिर उसे संशोधित किया गया। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि संशोधन को लाने से पहले उसके प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया? अब, हमारे संविधान को लागू हुए 50 वर्ष बीत गए हैं और संविधान में 80 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं और जब समय के साथ मूल्य भी बदल चुके हैं। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि इसका पुर्नमूल्यांकन न किया जाए। हमारे पार्टी को कोई कारण नहीं दिखता कि इस विषय में इस हद तक चर्चा की जाए और इसको इस हद तक राजनैतिक रंग मिले कि संविधान के समीक्षा कराने का कोई तर्क नहीं है। जो भी समीक्षा की जाएगी, इन सभी सुझावों को पुनः एक बार संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन पर यहाँ पुनः चर्चा होगी जैसा कि प्रत्येक संवैधानिक संशोधन के समय किया गया और जो भी सभा में उस समय निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम होगा।

अपराह्न 4.06 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए]

जहाँ तक हमारी पार्टी का संबंध है, जब तक संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, जहाँ तक लोगों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, और जब तक धर्मनिरपेक्ष ढांचे को सुनिश्चित रखा जाएगा जहां तक संसदीय प्रजातंत्र को बनाए रखा जाएगा और जहाँ तक वंचित वर्ग की सुरक्षा ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तब तक हमें इसका विरोध करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। तो उस हद तक, हमारे दल की राय है कि पुनरीक्षा के नाम में इन मूलभूत मुद्दों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूं यह कृषि में निवेश के बारे में है। माननीय राष्ट्रपति ने जिक्र भी किया है कि कृषि में और अधिक निवेश देश को समृद्धि की ओर ले जाएगा। यदि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में किए गए कुल आवंटन को देखते है तो कृषि और इसे सम्बन्धित विषयों के लिए योजना आवंटन का 34.5 प्रतिशत रखा गया था। दुर्भाग्यवश समय दर समय, योजना दर योजना कुल आवंटन घटकर 18.5 प्रतिशत रह गया है। कृषि के साथ यह व्यवहार किया गया है। अब सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से कहती है कि कृषि को अधिक आवंटन किया जाना चाहिए। सिद्धांत के विरुद्ध हाल ही के वार्षिक बजट आवंटन में भी कृषि के आवंटन को और घटाया गया है। भारत में आजादी के 52 वर्षों के पश्चात् भी कृषि के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अतः कृषि उत्पादन कम हो रहा है अब कृषि उत्पादन पिछले 10 वर्षों से लगभग न बढ़ने की स्थिति में पहुंचा है। पिछले 52 वर्षों से प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों में 34 ग्राम प्रति दिन तक प्रति व्यक्ति की दर से आंशिक वृद्धि हुई है।

यह पिछले 52 वर्षों से मात्र 34 ग्राम बढ़ा है। हम न्यूनतम कलौरी प्राप्त करने में समर्थ है। इस देश में औसत नागरिक को अपेक्षित 2600 कलौरी के बजाय लगभग 2100 कलौरी प्राप्त हो रही है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में किसी और प्रकार की कटौती गम्भीर हो सकती है और केवल कहने मात्र से

कि कृषि को अधिक आवंटन की आवश्यकता है कुछ नहीं होगा बल्कि इस वास्तविक रूप से कुछ किया जाना चाहिए।

देश में सूखे की स्थिति जैसे अन्य पहलुओं पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह वास्तव में अत्यन्त अद्भुत मामला है। जहां तक देश में सूखे की स्थिति का सम्बन्ध है माननीय राष्ट्रपति ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम से कम करने पर जोर दिया है। सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है और इस समिति को सेवा शर्तों सहित कार्य सौंपा है। यह समिति प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रभावों से निपटने के लिए मौजूदा तैयारियों की समीक्षा करेगी। यह समिति संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाएगी और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन हेतु व्यापक मॉडल योजना तैयार करेगी।

महोदय, इस देश में इन योजनाओं की कमी नहीं है। इन्हें क्रियान्वित करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की इस देश में कमी है। यहीं हम अटक जाते हैं। आप हाल की घटनाओं को देख सकते है। हमारे लिए वास्तव में दुख की बात है कि कल अर्थात् इस सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन इस सम्बन्ध में सरकार कोई वक्तव्य सदन में नहीं दे पाई।

यह सरकार आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में अभूतपूव सूखे की स्थिति के बारे में अपनी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दे पाई। जहां हमें सड़क के किनारे मरे हुए जानवरों को अस्थियों के ढेर पड़े होने की रिपोर्ट दिखाई दे रही है। लोग भूख से मर रहे है और उनके पास पेयजल भी नहीं है! पशु पानी और चारे के अभाव में मर रहे हैं। औरतों को एक घड़ा पानी के लिए कई मील चलना पड़ रहा है।

जब स्थिति ऐसी है जब फसल नहीं हुई है जब पीने का पानी नहीं है, जब पशुओं के लिए चारा नहीं है यह सरकार संवेदनहीन है मैंने संवेदनहीन शब्द का प्रयोग किया है। ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं है जो इस देश के लोगों को तंग कर रही हैं।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): फिर भी वे इस सरकार का समर्थन कर रही है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, कांग्रेस दल को हर समय हमें यह स्मरण नहीं कराना चाहिए कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, हमने आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारा समर्थन मुद्दों पर आधारित समर्थन है। हम आलोचना करते है जब वह ठीक काम नहीं करते है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें बार-बार सरकार गिराने तक की सीमा तक जाना पड़ेगा। हमारा अभिप्राय यह नहीं है।

महोदय सूखे की स्थिति इतनी खराब है कि पिछले वर्ष केवल आंध्र प्रदेश में ही 1104 मंडलों में से लगभग 678 मंडल सूखे से अत्याधिक प्रभावित हुए। 2500 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि फसल नष्ट हो गई थी। लोगों के पास पीने का पानी नहीं था और भूमिगत जल खत्म हो गया था। हमें वहां न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिल रही थी।

जब ऐसी स्थिति थी तो राज्य सरकार ने लोगों की रक्षा करने के लिए सभी उपाय किये थे और उन्होंने 750 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार से मांग की थी और बाद में मात्र 75 करोड़ रुपए दिये गये थे और वह भी प्रदान नहीं की गई थी। इस वर्ष भी वहां भयंकर सूखा पड़ा है। लोग पानी के अभाव में मर रहे हैं। मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सक्रिय हो और आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में एक दल भेजे जो वहां हुए नुकसान का जायजा लें, लोगों की हालात की जानकारी लें और फिर इस सरकार द्वारा जो कुछ भी बेहतर हो सकता है वह किया जाए।

महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध समिति को संगठनात्मक ढांचे के लिए उपाय सुझाने के लिए कहा गया है। इसकी सिफारिशों पर संगठनात्मक ढांचे को बदलने का उपयोग क्या है अब, देश को इन आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर संसाधन आधार की आवश्यकता है। आपदा राहत कोष के अधीन ज्यादा धनराशि की आवश्यकता है जो इस देश जिसकी 100 करोड़ जनसंख्या और लगभग 7000 कि.मी. तटीय क्षेत्र है, के लिए 126 करोड़ रुपए रखे गए है। यह स्वाभाविक है कि सूखा, बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं होंगी और मात्र 126 करोड़ रुपए आपदा राहत के लिए है। महोदय, एन.एफ.सी.आर. के अधीन 140 करोड़ रु. प्रति वर्ष कुल राशि आवंटित की गई है। यह तो उड़ीसा राज्य में हुई बाढ़ स्थिति आन्ध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में सूखा स्थिति से निपटने के लिए अल्पमात्र है जबकि भारत सरकार कह रही है कि वह इन दो शीर्षों अर्थात् सी.आर.एफ. और एन.एफ.सी.आर. के अधीन दी गई धनराशि को पहले ही खर्च कर चुके हैं। आप समिति गठित करने से पूर्व इस राशि को बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचते और इन समितियों को संगठनात्मक ढांचे के लिए अपनी सिफारिशें देने के लिए क्यों नहीं कहते? इन समिति का गठन इसीलिए किया गया है कि यह सिफारिशें दे कि इन दो शीर्षों के अधीन अपेक्षित धनराशि कितनी होनी चाहिए ताकि राज्यों को आवश्यकता के समय उभारा जा सके।

महोदय, अगला मुद्दा साम्प्रदायिक सद्भावना के बारे में है। साम्प्रदायिक सद्भावना के बारे में राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में विचार व्यक्त किए गए है। अभिभाषण में कहा गया है कि ''सरकार हमारे देश के पंथनिरपेक्ष लोकाचारों को बनाए रखने तथा

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

उन्हें और सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। हमें उसके बारे में खुशी है यहां यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में, देश में साम्प्रदायिक सद्भावना में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिये है और कहा कि साम्प्रदायिक झगड़ों में 10 प्रतिशत की कमी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी विशेष वर्ष में 10 प्रतिशत की कमी आई है। इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि साम्प्रदायिक सद्भावना है और परिप्रेक्ष्य में सुधार हुआ है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देने के लिए मजबूर हूं कि गुजरात सरकार ने किस प्रकार स्वयं सेवक संघ में सरकारी कर्मचारियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया है। इस सरकार ने भी यहां चर्चा हेतु इसे रखने का प्रयास किया था। आरम्भ में इसने गुजरात राज्य सरकार को इसे वापस लेने की सलाह नहीं दी थी। लेकिन बाद में तेलगू देशम पार्टी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि यह महत्वपूर्ण होगा कि गुजरात सरकार को सलाह दी जाए कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सरकारी कर्मचारियों के प्रवेश की अनुमति देने वाले को वापस लें ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): तमूल कांग्रेस ने भी यह कहा था ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : जब तृणमूल कांग्रेस और तेलगू देशम पार्टी इस मुद्दे पर इसके विरोध में दृढ़तापूर्वक खड़ी रही तब अन्त में सरकार के पास इसके सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं रहा कि उसकी गुजरात की राज्य सरकार को इसे वापस लेने की सलाह दी और खेदजनक स्थिति से स्वयं को दूर रखे।

क्या इससे देश में अच्छा संदेश जाएगा?

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय भी अपने दूसरे रूप में।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैंने उनका उल्लेख नहीं किया है क्योंकि वे अध्यक्षपीठ पर विराजमान हैं। इसलिए क्या इससे देश में अच्छा संदेश जाएगा कि हमने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में प्रगति की है?

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सिलसिले में सभा के 12 दिन बेकार चले गए हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : यह एक अभूतपूर्व घटना है। जी हां, सभा के 12 दिन बिना किसी काम के बेकार चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी, सुधार किए जाने की शर्त के अध्यधीन, हमने हाल ही में सुना कि राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्हें केन्द्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे 1992 में हमारे कांग्रेस के और भाजपा के मित्र दोनों जुड़े हैं। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के समय भी, हम इसी सभा में बैठे हुए थे। सभी ने यह मुद्दा उठाया था कि वहां पर बाबरी मस्जिद गिरायी जा रही है। जब इस विषय पर इस प्रकार का विवाद है तो इस समय किसी एक वर्ग की भावना को भड़काने से क्या फायदा होगा? क्या इससे अच्छा संदेश जाएगा कि वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मैं केवल 2-3 मिनट लूंगा। महोदय, इस संबंध में मैं कुछ राज्यों में उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नक्सलवाद पांच राज्यों विशेष रूप से दक्षिण और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में व्याप्त है। यह सचमुच बर्बादी फैला रहा है। हमारे कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत सरकार को तत्काल एक योजना बनाकर आगे आने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजे हैं। हमारे मुख्य मंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने कई बार भारत सरकार से इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे आने के लिए कहा है। भारत सरकार ने वचन दिया है कि वे इन पांच राज्यों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि का पचास प्रतिशत लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। कुछ सांकेतिक धनराशि दी गई है। हाल ही में, हमारे मुख्यमंत्री ने भी इस समस्या से निपटने के लिए उनसे सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय बलों की दो बटालियनों को आंध्र प्रदेश भेजने का अनुरोध किया था। अभी तक बटालियनें नहीं भेजी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्दरूनी और सुदूर क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक योजना भी भेजी थी। जिसमें इन क्षेत्रों की अभी तक लंबित सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 1,299 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। दुर्भाग्यवश, सरकार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रही है।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): अभी भी आप समर्थन देना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे कहां जाएंगे? वे हमारे पास ही आएंगे। उन्हें समर्थन करने दीजिए।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): आपने दो बटालियनों की मांग की परन्तु आपको एक भी नहीं मिली।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने आपकी बात समझ ली है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : इस प्रकार अन्त में कई अन्य मुद्दे है परन्तु मैं विशेष रूप से केवल हथकरघा क्षेत्र का उल्लेख करूंगा। हमारी पार्टी सत्यम समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विरोध कर रही है क्योंकि यह हथकरघा कार्मिकों के हितों के प्रतिकूल है।

केवल आंध्र प्रदेश में ही, 780 कपास बुनकर सोसायटियां और 600 रेशम उत्पादक सोसायटियां है, यदि हथकरघा क्षेत्र पर से आरक्षण हटाया जाता है तो इन पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप मिलें और विद्युत चालित करघा क्षेत्र पारम्परिक हथकरघा से बनने वाली वस्तुओं को बनाने लगेंगे जिससे बुनकरों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जायेगा। इसीलिए सत्यम समिति की रिपोर्ट को वापस लिया जाना चाहिए।

अन्ततः, मैं पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकार द्वारा की गई सहायता की प्रशंसा करता हूं। अभिभाषण में पर्याप्त उल्लेख है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय को अभिभाषण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 86 के अंतर्गत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर मुझे देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय राष्ट्रपति महोदय ने मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया अनुसार अभिभाषण दिया। यह उनके अपने विचार या सोच नहीं हैं भाषण तैयार करने में उनके विचार नहीं लिए गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 86 के अंतर्गत मंत्रिमंडल ने माननीय राष्ट्रपति महोदय से अपने विचार कहलवाए।

माननीय राष्ट्रपति महोदय ने शपथ ली है कि वे संविधान और विधि की रक्षा करेंगे। लेकिन सरकार ने व्यापक आधार वाले संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है। अब, संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है परन्तु मंत्रिमंडल द्वारा एक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है और उन्होंने समीक्षा आयोग का गठन किया है। किस बात के लिए? क्या इस समय इसकी आवश्यकता है? यहां तक कि मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए गए टिप्पण के अनुसार यह बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। पिछले 50 वर्षों में संविधान ने बेहतर ढंग से कार्य किया है और यह बात मंत्रिमंडल द्वारा भी मानी गई है। सरकार ने कहा है कि वे संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं करेंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि वे ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो वे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। किसी सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करना चाहिए। वे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वे न्यायपालिका की अवहेलना कर बुनियादी ढांचे में बदलाव कर सकते हैं। वे यह नहीं कह सकते हैं कि वे मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। वे यह नहीं कह सकते हैं कि वे शासन की संसदीय प्रणाली में संशोधन करेंगे। वे यह नहीं कह सकते कि ये मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के पूर्ण संतुलन में संशोधन करेंगे। संविधान समीक्षा आयोग के गठन का उल्लेख अभिभाषण में क्यों होना चाहिए? यह सरकार की असफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया है।

वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। आर्थिक रूप से, वे सामान्य और गरीब लोगों के लिए आजीविका के साधन जुटा पाने में सफल नहीं रहे। वे समाज के गरीब तबके के लोगों को रोजगार और आवास मुहैया कराने में सक्षम नहीं रहे। वे अन्य क्षेत्रों में विदेशों से प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं रहे। यह केवल ध्यान को हटाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में समीक्षा आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि विधि के समक्ष समानता लोकतंत्र का सार है। यह संविधान की मूल विशेषता का सारतत्व है।

लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समानता का अर्थ है एक समान लोगों के मध्य समानता से है। एक लॉरी के मालिक की बराबरी दूसरे लॉरी के मालिक से की जा सकती है, एक रिक्शे वाले की बराबरी दूसरे रिक्शे वाले से की जा सकती है, एक सम्पन्न व्यक्ति की बराबरी दूसरे सम्पन्न व्यक्ति से की जा सकती है। इस प्रकार हमने हमारे भारतीय समाज के सभी वर्गों को पूरी समानता प्रदान नहीं की है। परन्तु राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में कोई उल्लेख किया गया था? भारतीय विधि और अमरीकी विधि का सार विधि के समक्ष समानता है परन्तु राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया। यह प्रत्याभूत है परन्तु उन्होंने कहा है कि पिछले पचास वर्षों से वे इस स्थिति को प्राप्त नहीं

[श्री पी.एच. पांडियन]

कर पाएं हैं। तो क्या लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली बेहतर ढंग से कार्य कर रही है या सरकारी कामकाज में संसद सदस्य भाग लेरहे हैं? नहीं। क्या सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है? नहीं। क्या वे सभी बातों को संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं? नहीं। मैं पिछले छह महीनों से यह देख रहा हूं। इन सब बातों से निराश होकर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कार्यपालिका संसद के प्रति बिलकुल भी जवाबदेह नहीं है। सरकारी कार्य अलग बात है और संसदीय काम काज अलग बात है। संसद के बाहर कुछ महीनों तक सरकारी कार्य करने के बाद वे रोजमर्रा के कार्य की तरह संसद को सूचित करते हैं। यह सरकार पर संवैधानिक बाध्यता है कि वह संसद से परामर्श करे और सब बातें संसद के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा चुनाव क्यों हो, संसद सदस्य क्यों हो और मंत्रिमंडल क्यों हो? पिछले छह महीनों में उन्होंने ऐसा बिलकुल भी नहीं किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि वो कम से कम अब नींद से जागे और अपने संवैधानिक कर्त्तव्य का निर्वहन करे। इस अभिभाषण की कोई प्रासंगिकता नहीं है यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया है। यह सब साधारण में है। इस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिए।

मैं सभा का ध्यान राष्ट्रपति महोदय द्वारा परिच्छेद 21 में उल्लेखित किए गए एक अन्य तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार का पर्दाफाश हुआ है। सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक है। कई राज्य दिवालिया हो चुके हैं। वे प्रशासन को चलाने में सक्षम नहीं है। मैं पिछले महीने स्टार टी.वी. देख रहा था जहां वे कह रहे थे कि जहां कहीं भी परिवहन व्यवस्था विफल हुई वहां राज्य सरकार भी विफल हुई है। उन्होंने महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों का उल्लेख किया। मैं सरकार से पूछता हूं कि उसने उन राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है जोकि प्रशासन चलाने में समर्थ नहीं है। सभी राज्यों का एकमुश्त वित्तीय घाटा 75,000 करोड़ रुपये हैं। क्या संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? नहीं। इसे नहीं लगाया गया क्योंकि उन राज्यों में शासन कर रहे दल राजग में शामिल हैं। यदि उन राज्यों पर अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो वे 'राजग' से बाहर चले जाएंगे। उन राज्यों पर वित्तीय आपातकाल आरोपित किया जाना चाहिए जो राज्य प्रशासन को चलाने में सक्षम नहीं है। कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है, वे नवयुवकों को भर्ती करने की स्थिति में नहीं है, वे ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य के लिए उनका भुगतान करने में समर्थ नहीं है, वे यहां तक कि पंचायतों को भी पर्याप्त अनुदान देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार क्यों होनी चाहिए? संविधान के अंतर्गत राज्यों और केन्द्र के बीच सत्ता का विभाजन हुआ है, परन्तु कुछ राज्य समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार कार्य कर ही नहीं रही है। मुझे सभी क्षेत्रों में भारत सरकार की अनुपस्थिति का अहसास होता है। यह एक व्यक्तिगत आकलन नहीं है, समाज का प्रत्येक वर्ग, लोगों का प्रत्येक तबका यह समझ चुका है कि केन्द्र में सरकार का अस्तित्व नहीं है।

संसद विद्यमान है। पर क्या कभी चर्चा होती है? सभी प्रकार के निर्णायक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है:

> ''राज्य सरकारों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति की प्रवृत्ति में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।''

आप ऐसा कैसे करेंगे? क्या आप वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे? नहीं। जब केन्द्र सरकार स्वयं वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रही है तो वह राज्य सरकारों की सहायता कैसे करेगी? हम केन्द्र में केन्द्रीय शासन लागू नहीं कर सकते हैं। हम केन्द्र में केन्द्रीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप चूक करने वाले राज्य के विरुद्ध वित्तीय आपात स्थिति लागू कर सकते हैं।

इस सभा ने जिन संशोधनों को संवीकृति प्रदान की है, उनके संबंध में कहूंगा कि मैंने 16 जनवरी, 2000 के एक दैनिक समाचार पत्र 'दि न्यू ऐज' में पढ़ा था, जिसमें भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने बैंक ऋणों के सभी चूककर्त्ताओं के नामों की सूची दी थी। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने जारी नहीं किया है। इसे भारत सरकार ने जारी नहीं किया है। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने इसे जारी किया है। एक बार मैंने एक व्यक्ति को इसका उल्लेख किया था। उसका उल्लेख यहां किया गया है। उस दिन मेरी निन्दा की गई थी। यह आपका अखबार है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह हमारा नहीं है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है।

श्री पी.एच. पांडियन : जी हां, मैंने धारा 176 का उल्लेख किया है। यह उसमें उल्लिखित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अन्तरात्मा को जवाब देना होता है। उस दिन, काफी शोर मच गया था। उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं इसे साबित कर सकता हूं। क्या आप उस राशि के बारे में जानते हैं? यह 28,26,31,908.70 रु. है। मैंने उस दिन भी यह मुद्दा उठाया था। वित्त मंत्री जी ने क्या किया? उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इसकी बजाय निन्दा की गई। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सच्चाई बताने का स्थान नहीं है। यह जनता के लिए लड़ने का स्थान नहीं है।

मैं अध्यक्षपीठ तथा अपने साथियों से अपील करता हूं कि हमें जनता की भावनाओं को अवश्य व्यक्त करना चाहिए। हमें जनता की आकांक्षाओं और आशाओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिए। यहां दलित निर्धन और पिछड़े हुए वर्ग भी हैं। उन लोगों की भूख और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उनका क्रोध यहां व्यक्त किया जाना चाहिए।

आज सुबह, शून्य-काल के दौरान श्री लालू प्रसाद यादव का उल्लेख किया गया था। यह कहा गया था कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने लालू के मामले में प्रधान मंत्री की उपेक्षा कर दी है। 16 अप्रैल, 2000 के 'दि एशियन ऐज' में यह कहा गया था। मैं शीर्षक उद्धरित करता हूँ:

"सी बी आई बाईपासड पी.एम. इन लालू केस"।

अब मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने इस मुद्दे को शून्य काल में उठाने के लिए सुबह नोटिस नहीं दिया था, अब मुझे मौका मिला है। संवैधानिक कार्यकर्त्ताओं का स्तर थोड़ा गिर गया है। राज्यपाल की स्वीकृति से मुख्य मंत्री पर सत्ता संभालने के अगले दिन ही मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या वह राज्यपाल स्वीकृति देने का अधिकारी है। नहीं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार नहीं है।

श्री अन्तुले का मामला भिन्न था क्योंकि वकील को छूट दी गई थी। श्री अन्तुले के मामले में भूतपूर्व कानून मंत्री, स्वर्गीय श्री ए.के. सेन, जब एक वकील थे, वह सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के लिए पेश हुए थे, उन्होंने इसका विरोध किया। बाद में जब वह भारत संघ के लिए पेश हुए तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि संविधान की धारा 163 के अंतर्गत राज्यपाल को यह विशेषाधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन राज्यपाल को धारा 163(3) के अंतर्गत यह विशेषाधिकार प्राप्त है। यह छूट है जो कि केवल उस मामले में लागू होती है।

अब सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने किसी भी विनिर्णय को पारित नहीं किया है कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की राय न मिलने पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है अथवा नहीं।

पूरे मंत्रिमंडल की बैठक होनी चाहिए। समूचे मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करने की सलाह देनी चाहिए। इस मामले में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा कोई ऐसी मंजूरी नहीं ली गई थी। अनेक तरीके हैं। यहाँ तक कि आरोपी के बच्चों अथवा पत्नी पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री की पत्नी के दर्जे के बारे में न्यायाधीश ने क्या कहा था। 5 अप्रैल के आदेश में, विशेष न्यायाधीश कहते हैं: इसमें विवाद नहीं है कि राबड़ी देवी लालू प्रसाद की पत्नी है और जाँच अवधि के दौरान वह एक घरेलू महिला थी।' क्या यह आवश्यक है? यदि यह नियम लागू होता है तो कोई मुख्यमंत्री, कोई संसद सदस्य और कोई केन्द्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। क्या इस मामले में ऐसा किया गया? नहीं। आज सुबह इस पर बहस नहीं की गई। इसलिए, मैं इस माननीय सभा के समक्ष यह कहना चाहूँगा कि संवैधानिक कार्यकर्त्ताओं का दर्जा कुछ कम हो गया है। एक पुलिस अधिकारी एक मंत्री को गिरफ्तार कर सकता है। मंजूरी लेना एक औपचारिकता है जो कि मुकदमे के दौरान किसी भी समय ली जा सकती है। मैं सिद्धांत रूप से कह रहा हूँ कि यदि किसी मुख्य मंत्री को गिरफ्तार करने के इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को दिए गए तो मैं नहीं जानता कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद सुरक्षित है अथवा नहीं। मामला सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष निर्णय हेतु लम्बित है कि क्या एक राज्यपाल स्वत: मंजूरी दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक न्यायपीठ गठित नहीं की है। यह पिछले दो वर्षों से लम्बित है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय न मिलने की स्थिति में, एक केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का अधिकारी गिरफ्तारी करता है। सामान्यत: सम्पत्ति संचित करने संबंधी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। मैं पिछले 30 वर्षों से एक वकील के रूप में पेश हो रहा हूं और मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन राजनीतिक कारणों से यह दोहरा वार है। आज वे उस पक्ष में हैं लेकिन कल वे इस पक्ष में हो सकते हैं।

यदि यह अधिकार किसी विशेष न्यायाधीश को दे दिया जाए, यदि यह अधिकार केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को दिया जाए और यदि यह गिरफ्तारी और जाँच का अधिकार एक पुलिस अधिकारी को दे दिया जाए तो आप इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग क्यों करेंगे? यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। क्या आप अपनी घड़ी के स्वामित्व के बारे में बता सकते हैं? क्या आप अपनी अंगूठी के स्वामित्व के बारे में बता सकते हैं? अत: मैं यह कहूँगा कि यह अधिकार संसद तथा संबंधित विधान सभा को सौंपने चाहिए।

संविधान में एक संशोधन किया जाना चाहिए। भारत के संविधान की धारा 368 में संशोधन करने का प्रावधान है। अमरीकी संविधान में संविधान की धाराओं की पुन: गिनती नहीं की जाती है। संयुक्त राज्य अमरीका में संविधान की मूल पुस्तक के साथ ही संशोधनों को भी छाप दिया जाता है। केवल भारतीय संविधान में ही इसकी दुबारा गिनती की जाती है। जब संविधान में संशोधन का प्रावधान है तो इस संवैधानिक प्रावधान की पुनरीक्षा के लिए

[श्री पी.एच. पांडियन]

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुन: नियुक्ति क्यों की जाए? क्या कोई कानूनी ज्ञाता नहीं है? क्या कोई अनुभवी मंत्री अथवा मुख्य मंत्री नहीं है? क्या कोई अनुभवी अध्यक्ष नहीं है? इस सभा को संविधान सभा में परिवर्तित होने दीजिए। हमें विचार-विमर्श करने दीजिए। यह सर्वोच्च निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान सर्वोपरि है, लेकिन वह संसद को सर्वोपरि नहीं बनने देना चाहते।

मैं इस अवसर पर संप्रभुता की परिभाषा की व्याख्या स्पष्ट करूँगा। यह राजनीतिक संप्रभुता है। संसद राजनीतिक संप्रभुता संपन्न है। आस्टिन ने कहा था और कानून के विद्यार्थी जानते हैं कि यदि एक दृढ़ संकल्प वाला श्रेष्ठ व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की तरह आज्ञाकारिता प्राप्त न करता हो बल्कि जिसे समाज का अधिकांश वर्ग आदतन मानता हो, वह उस समाज के लिए संप्रभुता सम्पन्न है।

इस संसद को समाज का अधिकांश वर्ग आदतन महत्व देता है अत: यह संप्रभुता सम्पदा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, "संविधान सर्वोपरि है।" वह संसद को सर्वोपरि नहीं बनाना चाहते हैं। अत: हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि यह सभा, जनता के निनिधि सर्वोपरि हैं। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूँकि एक सौ करोड़ लोग सभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं इसलिए 544 लोगों को उनके प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अत: यदि आवश्यक हो। इस सभा को संविधान की पुनरीक्षा के लिए संविधान सभा में परिवर्तित करना चाहिए।

सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि हालांकि यह वैस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है लेकिन यह यहाँ सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। जब हम न्यायालयों में जाते हैं तो हम अपने मामलों पर बहस करते हैं और फिर हम न्यायालयों से बाहर आ जाते हैं क्योंकि हमारा मामला समाप्त हो जाता है। मैं पिछले छ: महीनों से मंत्रियों को देख रहा हूं। वह आते है, जवाब देते हैं फिर वापस चले जाते हैं। वह बात नहीं सुनते हैं, वह किसी अन्य प्रक्रिया में भी भाग नहीं लेते हैं। मैं समझता हूँ उन्हें सत्र के दौरान सभा में रहना चाहिए, उन्हें दौरों पर भी नहीं जाना चाहिए। तमिलनाडु में हमें यह बात अच्छी लगी कि वहाँ मंत्री सत्र के दौरान दौरों पर नहीं जायेंगे। मंत्रियों को सभा में ही उपस्थित रहना चाहिए, उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए और उन्हें उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। संसद के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेवारी सुनिश्चित करने का यह तरीका है। जब सदस्य प्रश्न करते हैं अथवा नियम 377 के अंतर्गत मामलों को पढ़ते हैं, तो वह संबंधित मंत्रालय के पास जाते हैं और फिर हमें जवाब मिलते हैं। क्या यह सही तरीका है? यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी यदि कोई बिना कागजों के आता है, तो आप स्थगन आदेश देने के लिए कह सकते हैं और वे स्थगन आदेश दे देते हैं। इस तरह से, भारत में सरकार का मंत्रिमंडल प्रणाली सभा में ही कार्य क्यों न करे?

कोई भी उपस्थित नहीं है और मैं केवल प्रधान मंत्री जी को देख रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, वह व्यस्त हैं। फिर भी, अन्य मंत्रियों को सभा में आना चाहिए था, उन्हें सत्र के दौरान विदेशी दौरे पर नहीं जाना चाहिए। केवल आपात स्थिति में ही वे दौरों पर जा सकते हैं।

जब हम सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, जब संसदीय प्रणाली असफल हो जाती है तो न्यायपालिका प्रवेश करती है। इसलिए वे इतने अधिक सार्वजनिक हित के मुकदमों को दायर करने की अनुमति दे रहे हैं। यदि हम जनता के हित को ध्यान में रखे तो न्यायपालिका को बाहर रखा जा सकता है। वर्ष 1983 में, जब श्री चन्द्रचुड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तो ए आई आर बीना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, फांसी के मामले में, उन्होंने कहा था कि "यह न्यायालय इस विधान का तीसरा चैम्बर नहीं है। न ही यह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। इसका कार्य कानून की व्याख्या करना है। बस।" श्री सोमनाथ चटर्जी, क्या यह सही है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: बिल्कुल।

श्री पी.एच. पांडियन: अब, न्यायालय न्याय दे रहे हैं क्योंकि आप सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सही तरीके से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं।

मैं एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दूँगा। आवास समिति ने मुझे एक आवास आबंटित किया। लेकिन तीस हजारी न्यायालय ने आबंटन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि आवास समिति ने मुझे एक आवास आबंटित किया लेकिन एक साधारण न्यायालय ने उसे स्थगित कर दिया। यदि यह मामला तमिलनाडु में आता तो मैं उसे बाहर फेंक देता। लेकिन यहाँ, कोई भी संसद की कार्यप्रणाली की चिन्ता नहीं करता है।

मैं कहूँगा कि संविधान की पुनरीक्षा आवश्यक नहीं है बल्कि भारत में केन्द्र सरकार की संसदीय प्रणाली की कार्य प्रणाली की पुनरीक्षा की आवश्यकता है। हम चेन्नई से आकर दिल्ली में रहते हैं। हम बाहर नहीं जाते, यहाँ हमारा परिवार नहीं है। हम कार्यवाही में किसलिए भाग लेते हैं? ऐसा सार्वजनिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, वाद-विवाद करने तथा मंत्रिमंडल से बने-बनाए उत्तरों को प्राप्त करने हेतु करते हैं।

सुब्रमण्यम समिति तथा श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उल्लिखित अन्य समितियों तथा पाकिस्तान के मामले का जिक्र किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया मुख्य मुद्दे पर आएँ। आप पहले ही बीस मिनट ले चुके हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: इसमें कोई सांविधानिक बात नहीं है। यह कुछ साप्ताहिक पत्रिका की तरह है। समूचा देश भारत सरकार की ओर आशा एवं प्रत्याशा से देखता है। अमरीकी भारत से किसी चीज की उम्मीद नहीं करते। हम भारतीय भारत सरकार से काफी उम्मीद रखते हैं। हम संसद सदस्य चाहते हैं कि यह सरकार कार्य करें।

सरकार का मंत्रिमंडलीय ढाँचा सरकार का सर्वश्रेष्ठ प्रतिरूप है। इसकी समीक्षा किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव, समीक्षा समिति को समाप्त किया जाए। प्रथमत: सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रथा के कारण, न्यायाधीश उम्मीदों को पालना शुरू कर देते हैं तथा जैसे-जैसे वे सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ते हैं, वे सरकार के पक्ष में निर्णय देना आरंभ कर देते हैं। जब वाद-विवाद चल रहा था, उसमें गर्मागर्म बहस हुई। यह प्रजातंत्र है। यहाँ, आप इस तरफ या उस तरफ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली में सभी मुद्दों पर आम राय का होना जरूरी है।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विभिन्न संयोजनों एवं परिवर्तनों का एक विलक्षण रासायनिक सम्मिश्रण है। यह एकल तत्व नहीं हैं। इसके घटक जब सभा के अन्दर होते हैं तब एक स्वर में बोलते हैं, परन्तु जब वे बाहर जाते हैं, वे अलग-अलग स्वरों में बोलते हैं। उनका पर्दाफाश हो गया है। वे मतदाताओं को कैसे धोखा दे सकते हैं। अगर उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान जनता से यह कहा होता कि वे यही सब करेंगे तो जनता उन्हें नहीं चुनती। निर्वाचक समूह ने ऐसा जनादेश कदापि नहीं दिया होता। जनता को धोखा देना पाप है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहभागी यह महसूस करेंगे और देश तथा मतदाताओं के हित में कार्य करें।

हम, लोक सभा में, अखिल भारतीय अन्ना डी.एम.के. पार्टी के संसद सदस्यों की कुल संख्या मात्र दस है जनता के हित में हम कुछ करना चाहते हैं। हम सरकार के कार्यों पर निगरानी रखे हुए हैं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम वैकल्पिक सरकार नहीं बना सकते। हमसे दूसरी तरफ के सदस्य संख्या में हमेशा काफी ज्यादा हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर सरकार में भाग नहीं ले सकते। हम केवल राज्य स्तर पर ही भाग ले सकते हैं।

मैं राष्ट्रपति महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने संसद सदस्यों को सम्बोधित किया। मैं राष्ट्रपति की सत्ता का सम्मान करता हूँ। मैं, अपनी एवं अपनी पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। ...*(व्यवधान)*

यह सरकार सांविधानिक रूप से निर्वाचित सरकार है। सांविधानिक रूप से निर्वाचित सरकार सभा एवं देश की जनता के प्रति अपनी सांविधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): माननीय सभापति जी, इस विषय पर मेरे से पूर्व अनेक दल के वरिष्ठ नेतागण बोल चुके हैं। ये सब बड़े विद्वान नेता हैं। अच्छे वकील भी रहे हैं। हमें आश्चर्य हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे थे।

वे सदन को ही नहीं इस देश को भी गुमराह कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप पुराने सदस्य हैं। आप अपनी प्रतिभा से बात को पूरी तरह रखने में सक्षम हैं। इसलिए माननीय सदस्य का नाम लेकर न कहिए, आप अपनी बात कहिए।

श्री राम नगीना मिश्र: मैं सोमनाथ जी से जानना चाहूंगा कि वे और लोगों को तो बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं किन्तु जिस समय देश गुलाम था, भारत छोड़ो आन्दोलन था, उस समय आपका क्या नारा था। गांधी जी के बारे में आपके क्या आईडिया थे? क्या आप साहस के साथ कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के कितने आदमी जेल गए थे? ...*(व्यवधान)* बात तीखी लगेगी। क्या यह सही नहीं है कि उस समय आप आंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे? आज हमें उपदेश दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मिश्र जी, आप चेयर की तरफ मुखातिब होकर बोलें, मैम्बर की तरफ नहीं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे मेरी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र: हम लोगों पर कटाक्ष किया गया है। इसलिए जवाब देना भी जरूरी है। ...*(व्यवधान)* आपने तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण दिया। हमें वह दिन याद है जब ममता जी स्ट्रेचर पर लाद कर यहां लाई गई थीं। उनकी हत्या का प्रयास किसने किया था? आपके राज में उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। आज वे रणचंडी बनकर आपके सीने में दर्द दे रही हैं। इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। महाजोत का आयोजन किया गया है। आप श्री चौधरी की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मिश्र जी, पुराने समाजवादी रहे हैं इसलिए स्टाइल से बोल रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र: उन्होंने देश के हित में सोचा है। आप बीसों साल से बंगाल में राज कर रहे हैं। आप मेरी आलोचना करते हैं। आपने बंगाल की क्या दुर्दशा कर दी है? बंगाल के उद्धार के लिए एक नारा लगाया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी को हराओ और महाजोत गठबंधन बढ़ाओ। श्री चौधरी ने देखा कि यह बंगाल के हित में है कि सारे दल मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ रहें। इसलिए उन्होंने ममता बनर्जी का साथ देने का फैसला किया है, जो कि सराहनीय कार्य है। आपके सीने में दर्द इसलिए आपने उनका विरोध किया।

आप संविधान की बात करते हैं। मैं आपकी बात ही नहीं कह रहा, मैं अपने कांग्रेस साथियों से भी जानना चाहता हूं। मैंने अखबार में पढ़ा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष ने देश को गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि आज जो सरकार है, वह देश में तानाशाही लाना चाहती है, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। क्या यह बात सत्य नहीं है कि आपके राज में 80 संविधान संशोधन किये गये? क्या यह सत्य नहीं है कि आपात स्थिति लागू की गई? क्या श्री जयप्रकाश नरायण जैसे आदमी देश के गद्दार थे? उन्हें जेल में बंद किया गया। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने खुद बयान दिया है कि कोई भी संविधान संशोधन जब तक दो-तिहाई बहुमत से सदन में पास नहीं होगा, लागू नहीं होगा। जब आप यह जानते हैं कि समीक्षा की बात की गई है, विद्वानों की कमेटी बनाई गई है और उनसे राय मांगी गयी है कि इसमें क्या प्रबंध किया जा सकता है जिससे देश का भला हो सकता है। वे सारी चीजें सदन में आयेंगी। जब आप यह जानते हैं तो बौखलाये क्यों हैं? जब दो-तिहाई बहुमत होगा तब वह पास होगा। आप और कांग्रेस के लोग देश को गुमराह कर रहे हैं।

मैं साम्प्रदायिकता के बारे में निवेदन करूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी और हमारे साथी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक है-यह साम्प्रदायिक नहीं है, यह राष्ट्रीय पार्टी है। मैं चैलेंज करता हूं। 50 साल आपकी हुकूमत हुई, 50 साल की हुकूमत में कांग्रेस का राज रहा, श्री वी.पी. सिंह का राज रहा, आपकी भी मिली-जुली सरकार रही, कितने हिन्दू-मुस्लिम रॉयट्स हुए। जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में देश में हिन्दू-मुस्लिम रॉयट्स नहीं हुए। आप जिसे साम्प्रदायिक कहते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इफ्तार करते हैं, टोपी पहनकर इफ्तार करते हैं-

अपराह्न 5.00 बजे

यह सत्य नहीं है। आप उनकी प्रतिभा को देखकर घबरा रहे हैं। आज इस हुकूमत में एक भी हिन्दू-मुस्लिम रायट नहीं हुआ है। यह मिली-जुली सरकार है और मिली-जुली सरकार सिद्धांत के अनुसार चल रही है, सारे लोगों की राय को लेकर चल रही है।

इस देश में पचास साल आपने राज किया। आपके पास क्षमता थी, लेकिन अमरीका के डर की वजह से आपने एटम बम का परीक्षण नहीं किया। एक दफा इन्दिरा जी ने किया था। हमें गर्व है कि इस सरकार ने आते ही देश की रक्षा के लिए परमाणु बम का परीक्षण किया। अमरीका के आर्थिक प्रतिबंध के दबाव होते हुए भी, आज हम मजबूत है। साथ ही अमरीका के राष्ट्रपति जी ने भारत की महत्ता को स्वीकार किया है। यह साधारण गर्व की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं निवेदन कर रहा था, हमारे बगल में चाइना है और चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। पाकिस्तान से भी तीन-चार बार युद्ध हो चुका है और पाकिस्तान ने कहा है कि वह एटम बम का प्रयोग करेगा। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एटम बम का रखना बहुत जरूरी है। यह काम हमारी सरकार ने किया है। जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने किया और इसके पहले की सरकारों ने नहीं किया है।

एक अन्य बात मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं। जिस समय चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, उस समय आप चाइना और रशिया के इशारे पर काम कर रहे थे, लेकिन आपने उसका विरोध नहीं किया। आपकी चाइना और रशिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरी बातों के बारे में बात करनी चाहिए।

महोदय, एक बात मैं पार्टी के ऊपर उठकर कहना चाहता हूं। हमारे देश में भ्रष्टाचार कैन्सर की तरह फैल रहा है। इस समस्या का समाधान अगर सब लोग मिलकर नहीं करेंगे, तो चाहे जितनी भी शक्ति आप इसको दूर करने में लगायें, यह दूर नहीं हो पाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं-राजीव गांधी जी ने लाल किले से एक बार कहा था कि जितना रुपया हम गांवों में विकास के लिए देते हैं, उतना खर्च नहीं होता है। सिर्फ सौ रुपए में से 15 रुपए ही वहां पहुंच पाते हैं। आज जितनी भी सरकारें आई हैं, इसमें हमारी भी सरकार शामिल है, सब कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। ज्यों-ज्यों दवा की, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया—

कोई ऐसी जगह नहीं है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त न हो। मेरे विचार से हमें इस समस्या का समाधान मिलजुल कर करना चाहिए। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहा हूं, शायद इसका जिक्र इसमें भी नहीं है। सदन में सारे देश के चुने हुए लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक यह कैन्सर देश से नहीं जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। मैं जमीन का आदमी हूं, मुझे मालूम है, जितना रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है, वह दूसरी पाकेट में चला जाता है। जिस देश के नेता भ्रष्टाचारी हो जाए, जिस देश के अधिकारी भ्रष्टाचारी हो जायें, तो देश के किसानों का क्या होगा। सारे लोग किसानों का शोषण कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सदन में एक प्रस्ताव पारित हो, जिसके पास आय से अधिक धन है, उसके धन को जब्त कर लिया जाए और

एक माननीय सदस्य: इसका निर्धारण कौन करेगा?

श्री राम नगीना मिश्र: संसद, इस देश में संसद से बढ़ कर कोई संस्था नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: लोकपाल विधेयक क्यों नहीं आया है?

श्री राम नगीना मिश्र: आएगा। लोकपाल विधेयक में प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि विधेयक में प्रधान मंत्री को भी जोड़ा जाए। जितनी जल्दी हो सके, देश को इस कैन्सर से मुक्ति दिलाने के लिए लोकपाल विधेयक लाया जाए। मैं आपके माध्यम से सारे सदन से प्रार्थना करता हूं कि सारे दल के लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसान हूं। जितनी भी सरकारें आई हैं, सब आंसू बहाती हैं कि किसान की भलाई करनी चाहिए। यह बात सही है कि पहले की अपेक्षा एक आदत बन गई है, हम रोना रोते हैं। हमें भी याद है और आप सब लोगों को भी याद होगा कि जब देश गुलाम था तो उस समय देश की क्या हालत थी और आज क्या हालत है। पहले देश की आबादी 33 करोड़ थी। इसमें बंगाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा भी था।

"33 करोड़ थे भाई सेवक सपूत जिसके,
भारत के सिवाए वह दूसरा देश कौन सा है।"

आज हम एक अरब हो गए हैं, लेकिन उस समय दो वक्त की किसी को रोटी नहीं मिलती थी। आज यहां जो 70-72 के एम.पीज बैठे हैं वे बता दें कि उनकी शादी में क्या मोटर-गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था। इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। जब देश आजाद हुआ तो यह काम जवाहर लाल जी ने किया। देश में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों का सरकारी क्षेत्र में विस्तार किया गया और उनकी उन्नति हुई। लेकिन कुछ दिनों तक देश चला, जिस वक्त तक कांग्रेस मांग कर काम चला रही थी, उस समय तक विकास होता रहा। जब मांगना बंद हो गया तो विकास का काम बंद हो गया। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में जा रहे हैं। जवाहर लाल जी के समय में राष्ट्रीयकरण का नारा लगता था, क्योंकि उससे फायदा था। उनका कहना था कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां ही हमारे मंदिर हैं, लेकिन आज सब सरकारी उपक्रम घाटे में जा रहे हैं तो आज नारा लग रहा है कि निजीकरण करें। चाइना जैसे मुल्क को भी यह कबूल करना पड़ा है। हमें वह दिन याद है, जब वी.पी. सिंह जी की हुकूमत थी तो कितना खजाना खाली हो गया था। जब चन्द्रशेखर जी की हुकूमत आई तो देश कंगाल था और भारत का सोना इग्लैंड में गिरवी रखा गया तब जाकर कर्मचारियों को वेतन दिया गया और उदारीकरण की नीति चालू हुई। जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तो उदारीकरण की नीति लागू की गई। आज आश्चर्य है कि वही कांग्रेस उदारीकरण का विरोध कर रही है। आज 33 मिलियन अमेरिकी डालर खजाने में पड़ा हुआ है। आज उल्टा हो गया। आज से कुछ दिन पहले राष्ट्रीयकरण का नारा था और अब निजीकरण का नारा हो गया है। यह सत्य है कि बिना निजीकरण के काम चलने वाला नहीं है। हमारे जितने उपक्रम हैं वे सब बंद पड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि देश की प्रगति के लिए उदारीकरण की नीति लागू रहे, तभी देश का भला हो सकता है, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है उसे भी मजबूर होकर इसे कबूल करना पड़ा है।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और कृषि के बारे में हर सरकार हमदर्दी जाहिर करती हैं। हमें अन्य जगह तो मालूम नहीं है लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि कपास में घाटा था तो इस कारण कई किसानों ने आत्महत्या की। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान आत्महत्या करने की पोजिशन में हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी चीनी मिलें हैं और साथ-साथ बिहार की भी बहुत पुरानी हैं, जर्जर हो गई हैं और अधिकांश मिलें बंद होने के कगार पर हैं। अरबों रुपए के घाटे में मिलें चल रही हैं, जो 800-1000 टन क्षमता की मिलें हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जब तक उनकी केपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक मिलें घाटा देती रहेंगी। हमें आश्चर्य है कि इस युग में थोड़े से यूरिया के दाम बढ़े तो हल्ला हुआ, पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो हल्ला हुआ, किन्तु गन्ना किसानों के अरबों रुपए चार-पांच साल से बाकी हैं लेकिन कोई इसके लिए हल्ला नहीं करता है, केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 75 करोड़ रुपए बाकी हैं।

22 करोड़ रुपया सरदार नगर की चीनी मिल में बाकी है, 18 करोड़ रुपया कठकुईयां पडरौना चीनी मिल में बाकी है तथा

[श्री राम नगीना मिश्र]

14 करोड़ रुपया कप्तान गंज की सरकारी चीनी मिल में बाकी है। इस तरह से 74 करोड़ रुपया बाकी है और पूरे प्रदेश में अरबों रुपया बाकी है। सारी मिलें जर्जर पड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि देश में एक राष्ट्रीय चीनी नीति निर्धारित होनी चाहिए। कुछ प्रदेशों में जलवायु ऐसी हैं कि वहां गन्ना ही पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में किसानों की जर्जर अवस्था है, मिलें बंद हो रही हैं, इसलिए उनके उद्धार के लिए अलग से प्रावधान किया जाये। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के हजारों-हजार गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। देश मे कुल बिजली का जितना उत्पादन हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसके हिसाब से न के बराबर है। विदेशों से जो कंपनियां आ रही हैं उनसे और प्रदेशों का विकास हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश में भी बिजली के संयंत्र लगाये जायें, पावर-हाउस बनाये जाएं जिससे किसानों को बिजली मिले और उनका विकास हो। जब बड़े-बड़े गांव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे, उन्हें पानी, खाद और बिजली मिलेगी, तभी किसानों की भलाई होगी। कोरे नारों से किसानों की भलाई नहीं होगी। इन ...ों के लिए धन मुहैया किया जाना चाहिए। सरकार ने देश के ...ास के लिए राष्ट्रीय विकास योजना बनाई है तथा सड़कों का जाल बिछाने के लिए 54 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है जोकि एक सराहनीय कदम है। जितने भी राष्ट्रीय मार्ग हैं अगर उनका विकास हो जायेगा तो इससे देश का बहुत भला होगा।

इस सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। संयुक्त परिवारों के बिखराव के कारण वृद्ध लोगों की हालत आज बहुत खराब है। इस सरकार ने वृद्धों के लिए राष्ट्रीय वृद्ध परिषद बनाई है। गांव में वृद्ध महिलाओं और विधवाओं की हालत दयनीय है। इस काम के लिए जितना भी अधिक से अधिक धन मुहैया कराया जाये, वह सराहनीय होगा। यह काम पहले की किसी भी सरकार ने नहीं किया है।

साम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में बोलते हुए अभी हमारे भाई आर.एस.एस. की आलोचना कर रहे थे। आर.एस.एस. वह संस्था है जिसने हर राष्ट्रीय विपत्ति में साथ दिया। हमें याद है कि बनारस के डोमराज के यहां शंकराचार्य ने भोजन किया है। इससे बड़ा दूसरा कोई समरसता लाने का काम नहीं हो सकता है। दूसरे लोग तो केवल नारे देते हैं। हमारी धर्म-निरपेक्षता के गलत अर्थ लगाये जाते हैं। आज अनेक राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर विकसित हैं और वे जाति का संरक्षण करके देश को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं, यह आप सोच सकते हैं।

आज हिंदू-मुसलमानों की बात की जा रही है। हमें याद है कि लखनऊ में इरान के इमाम आये थे और उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमानों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वह विश्व के किसी कोने में नहीं मिल रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अयोध्या में सचमुच में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो ए देश के मुसलमानों, वहां पर राम मंदिर बनवाओ। यह बात सच है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अपने मन की बात कर रहा हूं। अगर सचमुच में सद्भावना चाहते हैं, देश को एकसूत्र में बांध कर रखना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान भाई-भाई बन कर रहना चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि देश का बंटवारा हो चुका है, हिन्दुस्तान पाकिस्तान बन चुका है। वहां हिन्दुओं की क्या दशा हो रही है, बंगाल में क्या दशा हो रही है? वह किसी से छिपी नहीं है। वाजपेयी जी द्वारा लिखित कविता "जंग नहीं होने देंगे" का जब पाकिस्तानी कवि ने अनुवाद किया तो उसे पाकिस्तान से निकाल दिया गया। सलमान रुशदी ने किताब लिखी तो उसे भी बंगाल से निकाल दिया गया। भारत में हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक समान हैं। इस सरकार में सब को समान अधिकार प्राप्त हैं। आज सबसे अधिक बहुसंख्यकों की हालत खराब है। विभिन्न दलों के लोग ईसाइयों, दलितों और मुसलमानों के हितों के लिए लड़ते हैं लेकिन हमें अफसोस है कि बहुसंख्यक हिन्दुओं के हितों की रक्षा के लिए कोई नहीं लड़ता। सच्चाई यह है कि हिन्दू-मुसलमान एकता तब कायम होगी जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा, भगवान शंकर का मंदिर काशी में बनेगा और मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा। मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वे स्वतः ये तीनों मन्दिर बनाने की सहमति दें। इससे देश में एक भी दंगा नहीं होगा और हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई बन कर रहेंगे।

अंत में, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, मैं राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। राष्ट्रपति का अभिभाषण किए गए दौरों, दौरे पर आए आगन्तुकों, पुनः बनाई जाने वाली नीतियों, पूरी की जाने वाली वचनबद्धताओं इत्यादि की एक सामान्य रिपोर्ट थी। परन्तु इसके साथ-साथ, मेरे विचार से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में चिंता की जानी चाहिए, और समझती हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर अन्य लोग तथा राजनीति से बाहर के लोग भी इन मुद्दों पर बातचीत करने लगे हैं। वे इस बारे में चिन्तित है। मेरे पास दो वक्तव्य हैं जिन्हें मैं पढ़ना चाहूँगी। पहला संविधान की 50वीं वर्षगाँठ पर संसद के केन्द्रीय सभागार में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण है। इसमें कहा गया है-

> "आज जबकि संविधान की समीक्षा किए जाने और यहां तक कि एक नया संविधान लिखे जाने की बात काफी चर्चा में है, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या

हम संविधान की वजह से विफल हुए हैं या कि संविधान को हमने विफल किया है।''

यह संसद के केन्द्रीय सभागार में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण था। उसी दिन, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। उन्होंने कहा,

''संविधान के लिए एक महान कसौटी है। किसी भी शासन पद्धति के लिए यह आवश्यक है कि वह कामयाब तथा टिकाऊ रहे। हमारा संविधान इस कसौटी पर खरा उतरा है। इसका कारण यह है कि इसमें व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामूहिक जीवन की जरूरतों के बीच राज्यों तथा केन्द्र के बीच, कठोर ढाँचे तथा लचीली व्यवस्था प्रदान करने के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन है। हमारे संविधान ने भारत की विविधता तथा इसकी स्वभाविक एकता, दोनों की जरूरतों को पूरा किया है। इसने भारत की लोकतांत्रिक परम्पराओं को शक्ति प्रदान की है।

यह संसद के केन्द्रीय सभागार में संविधान की 50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण था।

कुछ ही सप्ताहों के बाद, सरकार राष्ट्रपति के लिए एक अभिभाषण तैयार करती है। वही सरकार तथा उसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति से केन्द्रीय सभागार में अपने अभिभाषण में यह कहलवाता है कि संविधान की समीक्षा अनिवार्य है। किसी देश के राष्ट्रपति के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? उसी केन्द्रीय सभागार में, उसी प्लेटफार्म पर उनसे वह बात कहलवाना, जो कि कुछ सप्ताह पहले कहीं गई बातों के पूर्णत: विपरीत है। परन्तु यह एक व्यवस्था है और उन्होंने किया। अब, मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि लोग चिंतित क्यों है। मैं तीन प्रश्न पूछना चाहूँगी। पहला प्रश्न है क्या आप सरकार के आदेश के द्वारा किसी ऐसे निकाय का गठन करने हेतु सक्षम हैं, जो संविधान की समीक्षा करेगी?

कार्यपालिका संविधान की सर्जना है। संविधान में परिवर्तन का प्रावधान है। संविधान-निर्माताओं ने यह प्रावधान किया है कि समयोपरांत अगर हम चाहें, तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हम इस सभा में सरकार के रूप में आए हैं। हम विपक्ष के रूप में भी बैठें हैं जब अन्य सरकार संशोधन लेकर आई जिनमें से कुछ दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हो गए थे, जबकि अन्य संशोधन अस्वीकृत कर दिए गए थे। इन सब बातों पर निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति संविधान द्वारा संसद को दी गई है। यदि आप संसद को संविधान सभा में बदलना चाहते हैं। पूर्व में भी संसद को संविधान सभा में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव था। सभी पार्टियाँ बैठें एवं निर्णय लें। परन्तु यह प्रस्ताव संविधान में कुछ थोड़ा परिवर्तन करने के लिए ही नहीं है। यदि वह मात्र एक संशोधन होता, तो सरकार उसके साथ सभा में आती। हम सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण जैसे मुद्दों तथा ऐसे अन्य मुद्दों पर, जिनके बारे में हम सभी चिंतित है, समर्थन देने के लिए तैयार हैं। सरकार को संसद के समक्ष पेश होकर सामान्य तरीके से इसे करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि संविधान समीक्षा की इस अकस्मात् इच्छा के पीछे एक योजना है।

मैं पूरी विनम्रता से कहता हूँ कि यह साधारण संशोधन अथवा परिवर्तन से बहुत दूर कुछ और है। बहुसंख्यक समुदाय की देशभक्तिपूर्ण एवं राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में असफल मानकर, यह संविधान को निष्फल करने की एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध, सम्यक रूप से परिकलित प्रस्ताव है। मैं इसे तथ्य की स्वयं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई तथा परिचालित की गई ऐसी सामग्री से पुष्टि कर दूंगी। मैंने इसकी प्रतियाँ प्राप्त की हैं। मेरे कहना का तात्पर्य यह है कि इसके पीछे हिन्दू राष्ट्र स्थापित करने की पूरी मंशा प्रतीत होती है। मैं दो या तीन दस्तावेजों को उद्धृत करना चाहूँगा। मैं उन्हें सभा के पटल पर नहीं रख रही क्योंकि ये मुद्रित सामग्री है। पहला श्री एल.के. आडवाणी द्वारा लिखित 'दी कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल यूनिटी' है। इसे भारतीय जनता पार्टी के चिह्न के साथ परिचालित किया गया है। यह एक खुला दस्तावेज है। यह समीक्षा समिति का विचार आने से बहुत पहले परिचालित किया गया था। यह संविधान के विभिन्न मुद्दों का वर्णन करता है। मैं यहाँ दो या तीन का वर्णन करना चाहूँगी। ''अम्बेडकर कांसन्ड अगेन्स्ट स्ट्रेस ऑन डायभरसिटी''। वे इस पर डम्बेकर को उद्धृत करते हैं तथा मैं चाहूँगा कि कुमारी मायावती जैसी मेरी मित्र इस पर गौर करे। वे कहते हैं:

''भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व, हम सब ने एकता पर जोर देने का सचेतन प्रयास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विविधता पर जोर दिया जा रहा है। कभी कभी यह जोर खतरनाक हद तक पहुँच जाता है।''

वे एक राष्ट्र की आवश्यकता की बात करते हैं तथा इसे निर्मित करते हैं।

दूसरी विषय वस्तु, ''वन पीपुल वन कल्चर'' है। वे एक राष्ट्र, एक संस्कृति की बात करते हैं। यह दस्तावेज का एक भाग है। मैं इसे पढ़ नहीं रही क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। तीसरी बात जिसके बारे में वे बताते हैं, वह अनुच्छेद 370 का सवाल है जिसे वे कहते हैं इसे हटा देना चाहिए। वे संविधान के कई मुद्दों का उल्लेख करते हैं। यह एक दस्तावेज है, मैं आश्वस्त

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

हूँ आपमें से बहुतों ने इसे पढ़ा होगा जिन्होंने इसे नहीं देखा है, अच्छा होगा इसे देखें। दूसरा दस्तावेज जिसे मैंने पाया है, और भी अनर्थकारी है। "ड्राफ्ट ऑफ दी न्यू कांस्टीट्यूशन ऑफ भारत" जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह समिति द्वारा एक दस्तावेज के रूप में तैयार तथा परिचालित किया गया है। यह प्रस्ताव श्री अनिल चावला का है। प्रमुख मुद्दा हिन्दू राष्ट्र के लिए एक नए संविधान का है। वस्तुतः समूचे समीक्षा मामले के पीछे यही है। धारणा ऐसा नहीं है कि सरकार मात्र कहीं कुछ मौलिक अधिकारों अथवा अन्य कुछ अन्य बातों में परिवर्तन करना चाहती है। कुछ अन्य मुद्दे भी हैं।

मैं आडवाणी जी को उद्धृत करना चाहूँगी। यह लघु पुस्तिका (पम्पलेट) जनता पार्टी द्वारा निकाली गई, स्वर्ण जयंती यात्रा पर पुनः निकाली गई थीं। समय बचाने के लिए मैं इसमें से केवल एक वाक्य उद्धृत करना चाहूँगी, जोकि काफी महत्वपूर्ण है। "यह सत्य कि भारत एक देश है, एक लोग तथा एक संस्कृति है, हिन्दुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता एक सत्य एवं भारत की एकमात्र ... है तथा भारत धर्मनिरपेक्ष सिर्फ इसलिए है क्योंकि पिछले ...धान निर्माताओं द्वारा हिन्दू आचार को जानबूझ कर दबा दिया गया था।" क्या यह वही सत्य नहीं हैं जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के सभी महान नेताओं की दूरदर्शिता को मार्गनिर्देशन मिला था? धीरे-धीरे वह बातें सामने आ रही हैं जो कि संविधान को नया रूप देने के विचार के पीछे छिपायी जा रही है।

मैं कुछ और दस्तावेजों का विवरण दे सकती हूँ परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूं फिर भी मैं एक दस्तावेज, जोकि मेरी दृष्टि से गुजरा और जिसकी भूमिका श्री सिंघल जोकि परिवार के जाने माने व्यक्ति है, ने लिखी, का उद्धरण देना चाहती हूँ। इसमें पूरा एक अध्याय है कि सारा का सारा संविधान हिन्दू-विरोधी क्यों है। हिन्दू-विरोधी संविधान, हिन्दुओं की दुर्दशा, शैक्षणिक संस्थाएं, एक समान नागरिक संहिता 'धर्मांतरण से राष्ट्रीयता प्रभावित होती हैं' और अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान' ये सारी बातें नए संविधान में है जिसके लिए वे कार्य कर रहे हैं। सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों की चिन्ता का विषय इस समय यह है वे संविधान समीक्षा के नाम पर यह कर रहे हैं।

मैं जस्टिस वेंकटचलैया को जानती हूँ। वे उत्कृष्ट व्यक्ति है और वे सोचते हैं कि इस प्रकार की शक्तियों को निष्क्रिय करने में कामयाब होंगे। मैं उनसे मिली थी। उन्होंने कहा 'मार्ग्रेट चिन्ता मत करो, मैं उन्हें किसी भी बात से छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा।' मैंने कहा: 'आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते हैं कि आप किस प्रकृति का कार्य कर रहे हैं, और जब तक आपको पता चलेगा कि पहले क्या हो चुका है तब तक आपको कुछ भी करने के लिए काफी देर हो चुकी होगी।

मुख्य बात यह है, और मैं इसे बार-बार दोहरा रही हूं कि इसमें मूल विचार एक वाद-विवाद शुरू करना है, ऐसी जनभावना जगाना है कि संविधान विफल हो चुका है यह स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक विचारों के अनुसार राष्ट्र निर्माण में असफल रहा है और बहुसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में यह समर्थ नहीं रहा है। इनके बारे में और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में इसमें कई बार उल्लेख है।

जब मैं यह अनुसंधान कर रही थी तब मेरी दृष्टि में कई ऐसे उद्धरण आए जोकि श्री लालकृष्ण आडवाणी जो कहते रहते हैं उससे लगभग मिलते-जुलते थे। यह उद्धरण 'बंच ऑफ थॉट्स ऑफ गोवलकर' में से है। मैं केवल उसके उपशीर्षक ही ले रही हूँ। 'वर्तमान संघीय व्यवस्था से अलगाववाद उत्पन्न होता है।' इसीलिए आपको आखिरकार केन्द्रीयकृत व्यवस्था को ही अपनाना होगा। 'अल्पसंख्यक अवधारणा अनर्थकारी है। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें आगे कहा गया है 'धर्मान्तरण से राष्ट्र के प्रति वफादारी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।' अगली बात जिस पर मैं आऊंगी वह यह है: "अल्पसंख्यक समस्या का एकमात्र समाधान हिन्दू राष्ट्र है। केवल हिन्दू राष्ट्र ही सभी को समान अवसर प्रदान करता है। हिन्दू राष्ट्र को पुनः स्थापित करना हमारा पावन कर्त्तव्य है।"

नये संविधान को सृजित करने की प्रवृत्ति के पीछे यह सारी बातें हैं। मेरा विचार से यह उपयुक्त समय है कि सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों को इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैं केवल राजनीतिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन सभी लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारे संविधान के धर्म निरपेक्ष आधार और देश की एकता, अखण्डता को बनाए रखने के बारे में चिन्तित हैं। कृपया जागिए और एकजुट रहने की, तुच्छ सत्ता की राजनीति, सत्ता में रहने या मंत्रालयों में रहने की बात भूल जाइये। यदि यह राष्ट्र के लिए जो बात सही है उसके लिए संघर्ष है तो यह ऐसी बात है जिसे त्यागने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अन्य व्यक्तियों ने 24 पार्टियों की सरकार के बारे में बात की है। मैं किसी को भी उलझन में नहीं डाल रही हूँ। यह गठबंधन की राजनीति है। परन्तु मैं यह पूछ रही हूँ क्या एक ऐसी पार्टी जिसके पास बहुमत नहीं है भारी बहुमत की तो बात ही छोड़िए, एक ऐसी पार्टी जिसने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों-क्षेत्रीय, छोटी, एक-सदस्यीय, दो सदस्यीय को इकट्ठा किया है को क्या संविधान में बदलाव लाने का और भारत को एक हिन्दू राष्ट्र बनाने का या एक नया संविधान देने के लिए जनादेश मिला हुआ है। यही प्रश्न हम पूछ रहे हैं।

हम जानते हैं इसे इस सभा में सत्ता से बाहर किया जा सकता है क्योंकि इसे दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सकता है। यदि सरकार

गिर भी रही हो तो मैं जानती हूं कि राजग के अधिकांश सहयोगी दल, सभा में उन संशोधनों का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए धारणा क्या है? इसके पीछे मूल धारणा भारतीय संविधान की मूल अवधारणाओं में अविश्वसनीयता की भावना को पैदा करना है और मेरा मानना है कि संविधान निर्माण के नाम पर यह सरकार द्वारा उठाया अत्यधिक खतरनाक कदम है।

अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग चिन्तित है कि इस नये संविधान के क्या परिणाम निकलेंगे। एकसमान नागरिक संहिता और गोरक्षा जैसे निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार में बदलने की मंशा है और अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का इरादा है। वे लोग मुख्य रूप से 'एक राष्ट्र, एक व्यक्ति और एक संस्कृति' के बारे में बात कर रहे हैं।

मैं आज कह सकती हूँ कि कांग्रेस सड़कों पर, गाँवों में और अन्य सभी मंचों पर संघर्ष करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के अनिष्टकारी प्रयोजन पूरे न हो पाए।

हम आयोग का बहिष्कार करेंगे और हम यह देखेंगे कि जब तक देश में कांग्रेस की महिलाएँ और पुरुष सदस्य हैं तब तक आयोग को इस देश में कार्य करने नहीं दिया जाएगा। हम अन्त तक संघर्ष करेंगे। यह एक चुनौती है जिसे मैं आज सरकार को देती हूँ।

मैं कुछ दिन पहले श्री नारीमन द्वारा पिछले दिनों दिए गए भाषण का एक उद्धरण देना चाहती हूँ। जोकि प्रसिद्ध विधि-विशेषज्ञ और राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य है। यह 'एम.एन. राय मेमोरियल लेक्चर-2000' है। यह उत्कृष्ट विश्लेषण है कि क्यों संविधान समीक्षा एक खतरनाक बात है। वे कहते हैं:

> "मैं सत्तासीन अपने नेताओं से विनम्रतापूर्वक कहता हूँ-अपने निर्वाचन घोषणापत्र को एक ओर रखिए। जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की उनके आदर्शों का सम्मान कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक पूर्ण समीक्षा के द्वारा संविधान से छेड़छाड़ मत कीजिए-ऐसे जोखिम से केवल लोगों की आकांक्षाएं बढ़ेगीं, फिर असंतोष भड़केगा और फिर भ्रम टूटेगा जिसके बाद कुण्ठा और शायद (ईश्वर न करें) अंततः विखण्डन होगा।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप कितना समय और लेंगी?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मुझे और 10 मिनट चाहिए।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के और 12 मैम्बर्स हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मुझे तो अपना भाषण खत्म करने दीजिए।

[अनुवाद]

महोदय, यह चेतावनी श्री नारीमन ने आपको दी है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस विषय पर फिर से ध्यान दीजिए और एक गलत कदम मत उठाइए। महोदय, अन्य सदस्यों ने भी बहुत ज्यादा समय लिया है। मझे कुछ ही विषयों पर बोलना है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कांग्रेस पार्टी की सूची बहुत लम्बी है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: ठीक है।

[अनुवाद]

मैं केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे पास बिहार के राज्यपाल का मामला है। मैं जानती हूँ कि हमें यहाँ पर राज्यपालों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहूँगी। उन्होंने सरकारिया आयोग की सिफारिशों को मानने में क्या किया है, जिसको आप विपक्ष में रहते हुए दिन-रात उद्धरित करते रहते थे? घटनाएँ राज्यपाल के वश में नहीं रही और आप नहीं जानते थे कि बिहार में क्या हो रहा था और अन्ततः आपको स्थितियों को स्वीकार करना पड़ा। परन्तु जो कुछ हुआ उसके कारण राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है। वे कहते हैं केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं दी। श्री आडवाणी कहते हैं कि उन्हें नहीं जानकारी हैं। कोई भी नहीं जानता है कि किसने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की कार्रवाई, गिरफ्तारियों और उसके बाद बिहार में जो कुछ हुआ उसे किसने आरम्भ किया है। और फिर यह सरकार यह कहने की धृष्टता कर रही हैं कि जिससे वह खड़े होकर कह सके।

[हिन्दी]

वह चार्जशीट हो गया तो उनको रिजाइन करना चाहिए। चार्जशीट हुए मंत्री यहां बैठे हैं, रोज उत्तर दे रहे हैं इस सदन में। चार्जशीट हुए कैबिनेट मिनिस्टर सेन्ट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं और उधर एक महिला मिली आपको, दूसरा कोई नहीं मिला? यह तो हाउसवाइफ थी। कहते है कि जेल भेजो, रेजिग्नेशन दे दो। यहां पहले रेजिग्नेशन होने दीजिए उसके बाद आप उनका रेजिग्नेशन मांगिए।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

[अनुवाद]

किस आधार पर आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मैं भ्रष्टाचार को सही नहीं ठहरा रही हूँ। मैंने पाँच वर्ष तक केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का काम सम्भाला है। मैं जानती हूँ। परन्तु मेरी बात उसी मानदण्ड को अपनाए जाने के बारे में है। यदि ये आरोपी मंत्रीगण यहाँ पर बैठ सकते हैं और गृह मंत्रालय के प्रभारी हैं और उनके अधीन जाँच एजेंसियाँ कार्य कर रही हैं तो फिर श्रीमती राबड़ी देवी को इस्तीफा क्यों देना चाहिए?

[हिन्दी]

पूछ लीजिए क्या हो गया। उनके लिए एक राय है और आपके लिए दूसरी राय है। राजनीतिक आरोप पत्र और भ्रष्टाचार में अन्तर नहीं है। वह यादव हैं, वे दूसरे हैं, यही बात है न। उन लोगों के लिए दूसरी राय है। ...*(व्यवधान)*

श्री **प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): यह बोलने से ही कांग्रेस का सफाया हो गया। इसी तरह बोलते रहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आप कांग्रेस पार्टी के बारे में चिन्ता मत करिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): मस्जिद गिराना देशद्रोह का काम है। वह ज्यादा बड़ा अपराध है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: हमसे कांग्रेस के सफाये की बात मत करिये। सुखराम जी को अपने करप्ट बोला और 15 दिन तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया और बाद में सुखराम जी को अपनी गोद में बैठा लिया। तब करप्शन की बात कहां गई आप लोगों की?

जब आपने उनको अपने साथ बैठाया और उनके बेटे को राज्य सभा में बैठाया तब आपके हाई मोरल वैल्यू का क्या हुआ? जब कांग्रेस में हैं तो करप्ट हैं और जब आपके पास पहुंचते हैं तो सब संत बन जाते हैं। जब जयललिता जी आपके साथ बैठीं तब आपने उनको महारानी बनाया। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर जाते थे। जब उन्होंने आपको छोड़ दिया तब वे करप्ट हो गई और उन पर केसेस शुरू हो गये। क्या भ्रष्टाचार के बारे में बात करने को आपके पास नैतिक साहस है? आप लोगों की क्या बात है? एक राय आपके लिए है और एक राय दूसरों के लिए है। यह सब नहीं चलेगा। सब आपकी गेम को जानते हैं। आप इसको जल्दी से छोड़ देंगे तो यह आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। पूरे दिन हम देखते हैं कि कांग्रेस डूब रही है। हमारे बारे में आप सब यह कहते हैं कि कांग्रेस बर्बाद हो गई, चली गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप जो बात करते हैं।

[अनुवाद]

आप कृपया भाजपा के आँकड़ों की ओर देखें। मैं आपको चुनौती देती हूँ। प्रत्येक राज्य के संबंध में यहाँ आंकड़े हैं। भाजपा का भी प्रसार नहीं हो रहा है। मैं इसके बारे में अभी बात कर रही हूँ। आप क्षेत्रीय दलों पर सवारी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अकाली दल के बिना आप पंजाब में है ही कहां। सुश्री ममता बनर्जी के बिना आप बंगाल में है ही कहां? हरियाणा में आप है ही कहां। इस समय आपकी दो सरकारें चल रही हैं। हमारे रिबेल्स के बिना आपकी सरकार नहीं चलेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी सरकार कहां चल रही है? एक गुजरात में चल रही है और एक हिमाचल में चल रही है। यू.पी. की सरकार तो लंगड़ी सरकार है। वहां 110 मंत्री बने हैं। पता नहीं और कितने ऐड किये हैं? रोज चेंज करते हैं, नहीं तो वे छोड़कर चले जायेंगे।

[अनुवाद]

लोगों के द्वारा भाजपा को स्वीकार किये जाने और उसके प्रसार के बारे में आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? आप कृपया उत्तर प्रदेश की ओर देखिए। आप 425 में से 177 स्थान रखते हैं; पंजाब में 117 में से 18 रखते हैं। मध्य प्रदेश में 320 में 114 स्थान रखते हैं; राजस्थान में 200 में 30, हरियाणा में 90 में 6 हैं और बिहार में 324 में 7 स्थान रखते हैं। बी.जे.पी. एक्सपेंशन की बात आप आज जो करते हैं, तो वह कहाँ है?

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): भारत में हमारे सबसे ज्यादा विधायक हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे आपकी बात से सहमत नहीं हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं कह रही हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों ने आपको समर्थन दिया है और आपको सहारा दिया है। यहाँ पर मैं

भयंकर स्थिति को दर्शा रही हूँ। वास्तविकता यह है कि क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय एजेंडा बन गई है। जो रीजनल पार्टीज डिक्टेट करेंगी, वही आपको बोलना पड़ता है नहीं तो आपकी सरकार नहीं बचेगी। इसलिए आज आपके पास सशक्त केन्द्र सरकार नहीं है। आप चाहे वाजपेयी जी की क्षमता के बारे में कुछ भी कहते रहें, आप क्षेत्रीय दलों की दया पर निर्भर हैं जोकि अपनी शर्तें मनवाती है और आजकल क्षेत्रीय एजेण्डा ही राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बन गया है। वे जहाँ कहीं से चाहे वहीं से ऋण ले रहे हैं। वे अपनी मर्जी से जो चाहे उसका विनिवेश कर रहे हैं। वे जो चाहते हैं कर रहे हैं और केन्द्र कुछ भी नहीं कह सकता है। हालत यह हुई कि आज आपका स्टेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पांच-दस साल के बाद सैंटर में भी आपका पोलिटिकल कंट्रोल खत्म हो जायेगा। इसलिए मेरा यही कहना है। आप नहीं जानते हैं कि राज्यों में क्या हो रहा है। यदि कल श्री चन्द्रबाबू नायडू कहते हैं कि यदि आप विभिन्न मदों पर मूल्यवृद्धि वापस नहीं लेते हैं तो उनकी पार्टी के सदस्य भाजपा सरकार का समर्थन नहीं करेंगे और फिर आप सत्ता से बाहर होंगे।

[हिन्दी]

वे जो कुछ कहेंगे, उनको आपने नहीं किया तो आप गये।

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर आप श्री नायडू को प्रधानमंत्री मानेंगे तो सब हट जायेंगे। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस नायडू को प्रधान मंत्री मानेगी नहीं। आप भी जिम्मेदार हैं। ...*(व्यवधान)* अगर आप नायडू को प्रधान मंत्री मान लें तो हम मानते हैं कि सब हट जायेंगे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आगे के लिए किनको बनाना है या क्या करना है, वह आप देख लीजिएगा। वह दूसरी बात है। ...*(व्यवधान)* मैं केवल दो मिनट और बोलूंगी। ...*(व्यवधान)* आप डिस्टर्ब्ड मत करिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना भाषण पूरा करिए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ।

महोदय, मैं अब महिलाओं के मुद्दे पर आ रही हूँ। हमारे बिल के बारे में क्या हुआ? हमारे बिल को एड्रेस में लिया, उसमें लिखा, मेनिफेस्टो में लिखा। हम बोल रहे हैं कि ले आओ, हम सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं है।

[अनुवाद]

केवल उस संबंध में वह कहते हैं कि यदि सहमति हैं, तो वे इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं यह प्रश्न सत्ता-पक्ष से कर रही हूँ। आपने पहले संविधान पुनरीक्षा आयोग के संबंध में सहमति क्यों नहीं बनाई और फिर आयोग नियुक्त करते। उस संबंध में आपको किसी तरह की सहमति की आवश्यकता नहीं थी बल्कि आपने स्वयं इस संबंध में निर्णय ले लिया है। केवल महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में ही आपको सहमति चाहिए। आप इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे सदन में अस्वीकृत होने दीजिए। हम, पराजय के लिए तैयार हैं। अतः कृपया इसे सभा के सामने पेश करिए और इस पर मतदान करवाइए। संविधान (संशोधन) विधेयकों पर 1989 में मतदान हुआ था और वह अस्वीकृत हुए थे।

वर्ष 1992 में हमने उन्हें फिर पेश किया। लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ और उन्होंने इसे स्वीकार किया।

[हिन्दी]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): श्री मुलायम सिंह से पूछिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आप उनको ठीक करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि एन.सी.डब्ल्यू. कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। अब वे महिलाओं के मुद्दे पर विचार करने के लिए कृतिक बल की स्थापना करने जा रहे हैं। मैं महिलाओं के अधिकारों संबंधी समिति की अध्यक्ष हूँ।

[हिन्दी]

आप लोगों से कुछ पूछा नहीं है, अलग टॉस्क फोर्स बनाएंगे, महिलाओं के लिए नए प्रोग्राम बनाएंगे। जो प्रोग्राम हैं, उनमें से एक भी नहीं चल रहा है। जहाँ 10 करोड़ रुपये देते हैं वहाँ 2 लाख रुपये खर्च नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि नया टॉस्क फोर्स बनाएंगे। मुझे बुलाया था, मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है। यह महिलाएं कौन हैं? कुछ उच्चवर्गीय व्यक्ति इस बात का निर्णय लेंगे। जो लोग कुछ जानते नहीं है, उनको बिठाकर टॉस्क फोर्स बना दीजिए, बहुत कुछ चलेगा। महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है, उन्हें पेपर शीट मत बनाइए।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

[अनुवाद]

आप जो कुछ करें गंभीरता से करें। हमने प्रधान मंत्री जी को बता दिया है कि हमें एक अन्य कृतिक बल की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी है आप उसे ही कार्यान्वित करें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैडम, सदन के समय की सीमा के अंदर आपको अपना भाषण समाप्त करना है। आप चेयरमैन भी हैं। जब आपको अधिकार प्राप्त हैं तो आप कमेटी के थ्रू सदन में सारी बात ले आइए। आपकी पार्टी का मात्र 32 मिनट का समय था और 20 मिनट हो गए हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे का और [illegible] का ध्यान आकृष्ट कर रही हूं। पिछले चुनावों में, समाचार [illegible] विज्ञापन दिए गए थे–मुझे मुम्बई के एक सामाजिक संगठन [illegible] यह विज्ञापन प्राप्त हुआ है। विज्ञापन है "साम्प्रदायिक संघर्ष"। इन विज्ञापनों में उन्होंने समाज को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में बात की है और लोगों से कहा है कि वे "मतदान करने से पहले सोचे।" उसमें एक महिलाओं के बारे में था कि जो सती को सपोर्ट करते हैं, जो डाउरी को सपोर्ट करते हैं–उन्होंने अनेक बातें कही हैं। चौदह महिला संगठनों ने हस्ताक्षर किए और कहा "ध्यान रखिए। उन्हें समर्थन दीजिए जो महिलाओं संबंधी प्रयोजनों को समर्थन देते हैं।" अगले ही दिन, भा.ज.पा. के दो नेताओं की प्रैस विज्ञप्ति थी–दो वक्ता है जिन्होंने कहा

[हिन्दी]

ये फोरेन मनी पोलीटिकल परपस के लिए यूज कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने भुगतान नहीं किया है। उन्होंने केवल मुम्बई संगठन के एक विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसने यह कार्य किया। अभी उनके खिलाफ फेरा इन्क्वारी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें भारत की महिलाओं को कहा गया था कि वे उनके पक्ष में मतदान करें जो महिला संबंधी प्रयोजनों को समर्थन देंगे। आज गृह मंत्रालय के कर्मचारी अपने कार्यालय में बैठ कर उन्हें परेशान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आपके सब एकाउंट्स हम चैक करेंगे। आपने मिसयूज किया है।

[अनुवाद]

जो महिलायें इस देश में बुराई के विरुद्ध लड़ती हैं उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है। फिर वे यह बताने के लिए एक कृतिक बल स्थापित करते हैं कि महिलाओं की समस्याओं के संबंध में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। हमें मालूम है कि क्या किया जाना चाहिए। जो कुछ कागजों में है, आप उसे कार्यान्वित करिए, हमारी समस्याएं दूर हो जायेंगी। मैं देश की अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर अधिक कुछ नहीं कहूँगी। बजट यहाँ मौजूद है और अन्य सदस्य उस संबंध में बोलेंगे।

लेकिन मैं अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विशेषकर जो बंद होने जा रहे हैं, की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उनके पुनरुद्धार के लिए बी.आई.एफ.आर. है। बी.आई.एफ.आर. ने एक वर्ष के लिए काम करना बंद कर दिया था। मैंने बी.आई.एफ.आर. जाकर उनसे बार-बार पूछा। उन्होंने कहा "महोदया यदि वे बी.आई.एफ.आर. के लिए सदस्यों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे कार्य कर सकते हैं? अभी पता किया नहीं। मैंने फाइनैंस मिनिस्टर को तीन चिट्ठियाँ लिखीं। एक की भी ऐकनौलेजमैंट नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री में उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने चार वर्ष पहले फैक्ट्री बंद की थी लेकिन बी.आई.एफ.आर. ने कोई सुनवाई नहीं की और कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मैं जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों से उनका रोजगार छीना जा रहा है उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद हो रहे हैं। छंटनी होगी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। यह बहुत बुरी स्थिति है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आगे आ रही हैं। आप अपने घरेलू उद्योग बंद कर रहे हैं। कल कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं रह जाएगी जब माल देश में डंप किया जाएगा। अब आप कम दरों पर आयात के लिए घरेलू उद्योग को बंद कर रहे हैं। जब विदेशों में कीमतें बढ़ जायेंगी तो आपकी अपने देश में कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं रह जाएगी क्योंकि आपने अपनी पेपर मिलों को, स्टील मिलों इत्यादि को बंद कर दिया है। मैं सरकार को चेतावनी दे रही हूँ। यही स्थिति मैक्सिको तथा ईरान में भी हुई है और यही स्थिति अन्य अर्थव्यवस्थाओं में हुई है जिनका पतन हो गया। जब आई.एम.एफ. ने इतनी बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करनी बंद कर दी तो उद्योग बंद हो गए।

डा. मनमोहन सिंह ने सावधान किया था कि जब हम कुछ क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना बंद कर देंगे तो हमें वह धनराशि गरीबी दूर करने, शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि जैसे सामाजिक क्षेत्रों में उपयोग करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब बजट घाटे को कम करने के लिए धनराशि खर्च की जा रही है। यहाँ 72 मंत्रालय हैं, मंत्रालय बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी खर्च कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है।

[हिन्दी]

सब ग्रुप्स को मंत्री बनाना है तो 72 मंत्री बन गये हैं जो 50 थे, 50 से कम थे, सब मंत्रियों को गाड़ी, स्टाफ पी.ए., ट्रेवलिंग और सिक्योरिटी की सुविधा देनी है तो पैसे खत्म। अभी आप बोल जाएंगे, क्यों? कि पब्लिक सैक्टर के पैसे इसमें

[अनुवाद]

राष्ट्र की सेवा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। उन्होंने इतने वर्ष तक कार्य किया है। बिना सोचे-समझे इन सब को बंद नहीं करिए।

[हिन्दी]

स्वदेशी स्वदेशी की बात कर रहे हैं न, तो स्वदेशी तो पब्लिक सैक्टर भी है। हमारे देश के जो हैं, पहले उनको बचाइये उसके बाद क्लिंटन का विजन साइन करिए, उसके बाद आई.एम.एफ. के लोन्स लाइये, उसके बाद सब कुछ करिये।

[अनुवाद]

अन्त में, मैं आपसे अपील करती हूँ कि इन मुद्दों पर अपने ही नजरिये से न सोचें। देश का भगवाकरण न करें। इस देश में अनेक रंग हैं। हमें प्रत्येक को स्थान देने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल तभी भारत मजबूत बन सकता है और चुनौतियों का सामना कर सकता है जैसा कि हमने विगत में किया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, मदन लाल खुराना जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होने की एक परम्परा है और इस परम्परा के माध्यम से राष्ट्र की जनता को एक संदेश दिया जाता है कि जो सरकार केन्द्र में होती है, उसकी नीयत क्या है, उसकी नीतियां क्या हैं और देश के गरीबों के लिए, मध्यमवर्गीय लोगों के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए कौन-कौन से कार्य सरकार करने जा रही है, इसकी बहुत थोड़े में झलक दी जाती है। यह जो किताब है, जिसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, इसमें भी बहुत से बिन्दुओं का जिक्र किया गया है। इसमें संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, गरीबी उन्मूलन का जिक्र किया गया है, निरक्षरता मिटाने का, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने का, महिला पुरुष को समान न्याय प्रोत्साहित करने की बहुत सी बातों का जिक्र इसमें किया गया है। हम चाहते हैं कि कर्मबाद और बहुत थोड़े में हम सदन के सामने अपनी भावना रख सकें।

जितने भी विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, सब ने संविधान संशोधन कर बड़े जोर-शोर से आपत्ति की है और उन लोगों का कहना है कि यह साजिश है। इस किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसलिए सरकार ने व्यापक आधार वाला समीक्षा आयोग का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाएंगी, जो भारत की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। हम जानना चाहते हैं कि जब संविधान संशोधन के बाद 50 और 52 वर्षों के बाद जो 80 बार से ज्यादा संविधान में संशोधन लोक सभा और राज्य सभा के माध्यम से हुए हैं तो अभी हम पुनर्समीक्षा आयोग की बात कर रहे हैं। यह मेरी नजर में बुरा नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी सदस्य को, किसी दल को आपत्ति होगी तो राज्य सभा और लोक सभा में यह आना है और सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि मुलायम सिंह जी, आपके विरोध करने से भी इसमें अन्तर नहीं पड़ेगा, यह पास हो सकता है, जब कांग्रेस के लोग इसका समर्थन कर देंगे। बिना कांग्रेस के सहयोग के तो यह पास होना ही नहीं है, लेकिन यह राजनैतिक अनावश्यक हौवा खड़ा करना और देश में ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह तो विशिष्ट बात है, पाटिल साहब बताएंगे। ये कह रहे हैं कि अन्ततोगत्वा कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, जो समीक्षा हो रही है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: बिल्कुल नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप चुपचाप बैठे हो।

सभापति महोदय: वे ईल्ड नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: बिल्कुल नहीं। सोनिया जी ने 14 तारीख की रैली में खुद कहा है कि हम विरोध करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसको राजनीतिक स्टंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें त्रुटियां होंगी तो यह आपके सहयोग के बिना पास नहीं होगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): आप लोगों के मन में ऐसी भावना बनाना चाहते हैं जो बहुत जहरीली है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: आपका यह इश्यू जब जनता में जाएगा तो वे अपना मेनिफेस्टो लेकर आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको फिर इधर बैठना पड़ेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि बिना इनके सहयोग के यह पास होने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे मामले आए हैं, क्योंकि राज्य सभा में सरकार कमजोर है, जब इनके सहयोग से सफलता मिली है। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस अपनी पुरानी परम्परा को तोड़ेगी।

पैरा पांच में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। उसमें गरीबी उन्मूलन और निरक्षरता को हटाने की बात भी कही गई है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन क्या सिर्फ इस किताब में लिख देने से ही हो जाएगा, क्या गरीबी उन्मूलन नवरत्नों के शेयरों को बेचने से होगा या विदेशी कम्पनीज को और विदेशी पूंजी को यहां लाकर होगा? इसलिए सरकार बताए कि उससे गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया है। ...*(व्यवधान)* मैं जितना भी बोलूंगा कभी आपको अच्छा लगेगा और कभी इनको, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि वह गरीबी उन्मूलन किस तरह करना चाहती है। गरीबी उन्मूलन सिर्फ कागज पर लिख कर नहीं हो जाएगा। अगर इसी ढंग से किया ... तरह से सरकार कर रही है प्राइवेट सेक्टर को बेचकर ... मूल्य आंककर उसके शेयर बेच रही है तो इससे गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, लेकिन देश के गरीबों का उन्मूलन जरूर हो जाएगा। इसलिए इस पर सरकार को चिंतन करने की जरूरत है।

इसी तरह निरक्षरता हटाने की बात का जिक्र है। हमें अफसोस है कि आज सदन में एक माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि निधियों की कमी के कारण आठ लाख प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास प्रमाण है, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग का जो बजट होता है, वह खर्च नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य काफी तैयार होकर आए हैं, क्या वे बता सकते हैं कि शिक्षा के बजट पर कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है?

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं इस पर भी तैयार होकर आया हूं। लेकिन मेरा अधिकतर समय हंगामे में जाया हो जाता है। आप मेरे मित्र हैं और संयोग से आसन पर विराजमान हैं, आप मेरा ध्यान रखे। मैं पूरे आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। केवल कुछ ही बताना चाहता हूं। 1977-78 में 323.70 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन 143.23 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। एक तरफ तो बजटीय प्रावधान शिक्षा विभाग को मिलता है, वह खर्च नहीं किया जाता, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा कर सकें। सरकार बजट बनाने में लगता है गड़बड़ी करती है, अनुमान पर बजट बनाया जाता है। उसमें गैर योजना मद में भारी खर्च किया जाता है।

गैर-योजना मद में भारी खर्च करने से और बजटीय अनुपात में खर्च नहीं करने से, भारी गड़बड़ियां होती हैं। इसी तरह से हम बताना चाहते हैं, अभिभाषण में सामाजिक न्याय के सुदृढ़ीकरण की बात भी कही गई है। यह सरकार सामाजिक न्याय के प्रति बड़ी सतर्क है और बैकलाग पूरा करने के लिए कैबिनेट में बिल पास हो चुका है, जो इसी सत्र में आना है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सामाजिक न्याय सुदृढ़ कैसे होगा? सामाजिक न्याय प्रतियोगिता के माध्यम से सुदृढ़ होगा, लेकिन प्रतियोगिता को हम हर क्षेत्र में समाप्त कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी भी जिस ढंग से खड़े होकर...* करते हैं, जब महिलाओं के आरक्षण की बात आती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह शब्द असंसदीय है, इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं यह कहना चाहता था, वे अपनी बात जोर से रखते हैं। हम यह कहना चाहते हैं, जब तक प्रतियोगिता को कायम नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक न्याय की बात नहीं की जा सकती है। सामाजिक न्याय की बात जाति और धर्म के नाम पर सिर्फ आरक्षण देने से नहीं होगी। यदि सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ना है, तो बिहार में आरा जिले में जगदीशपुर में कुंवर बाबु सिंह का किला अभी भी मौजूद है। इस किले को वहां जाकर देखना चाहिए। उन दिनों उनके सेनापति जात के मुस्लिम थे और उनका दरबार का पंच अनुसूचित जाति का था। वे लोग मैरिट के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर और जिनमें शक्ति होती थी, वे लोग वहां हुआ करते थे। सामाजिक न्याय की बात आप जरूर कीजिए, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रतियोगिता के माध्यम से, जिनमें प्रतियोगिता की क्षमता हो, सामाजिक न्याय किया जाना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पर देश में सामाजिक न्याय की बात करना एक साजिश हो सकती है और उससे कभी भी सामाजिक न्याय सुदृढ़ नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच समान न्याय बढ़ाने की बात भी कही गई है। लेकिन समान न्याय कैसे बढ़ेगा। क्या समान न्याय सिर्फ आरक्षण से पूरा हो सकता है। मेरे विचार से समान न्याय आरक्षण से पूरा नहीं हो सकता है। हम कहना चाहते हैं कि समान न्याय की बात प्रतियोगिता की भावना से होनी चाहिए। कहीं भी आरक्षण के माध्यम से किसी के दिल को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

पैरा-9 में कहा गया है कि सरकार किसानों और कृषि के प्रति बहुत चिंतित है और किसानों की बड़ी हमदर्द है। चुनाव के दौरान जब भी दलों द्वारा अपना मेनिफेस्टो तैयार किया जाता है तो उसमें किसानों के हितों की बात लिखी जाती है। सत्ता में आने के बाद और दिल्ली में एयरकंडीशन्ड कमरों में बैठने के बाद किसानों के हितों को भूल जाते हैं। मुझे यह कहने में आश्चर्य

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

नहीं है, जिस सरकार के हम सहयोगी दल के सदस्य है, हमारी सरकार ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मुझे यह कहने में अफसोस नहीं होगा कि हमारी सरकार द्वारा भी अभी खाद का दाम बढ़ाया गया है, जिसने किसानों के गले पर चाकू चलाने का काम किया है, अभी कैरोसिन और डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। निश्चित तौर पर गांव की जनता से जिस विश्वास के साथ मत लिया गया है, उसके साथ धोखा किया गया है। कहा गया कि हम मूल्य नियंत्रण करेंगे, लेकिन मूल्य नियंत्रण न करके गांव के लोगों के कंधों पर महंगाई का बोझ लाद दिया गया है और गांव के लोगों की कमर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैनिफैस्टो के माध्यम से जनता से जो वायदा किया गया है, उस वायदे को निभाना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय दूर नहीं है कि इस सदन में भारतय जनता पार्टी की संख्या दो से इतनी बढ़ी है, कहीं शून्य न हो जाए। इसलिए जनता के साथ धोखा नहीं किया जाना चाहिए। हम हिम्मत के साथ इस बात को कहने के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)* सिर्फ किसानों के नाम पर रोना नहीं चलेगा, किसानों के हित की बात करनी पड़ेगी। आज देश के किसान पीड़ित हैं, आज देश के किसान रो रहे हैं, आज देश के किसानों में मन में बेचैनी है, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से सुविधायें मुहैया नहीं कराई गई हैं। किसान बाढ़ से ही नहीं, बल्कि जल-जमाव से भी प्रभावित होते हैं और फिर सही समय पर खाद और बीज न मिलने के कारण भी किसान मरमाहट होते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसानों के हितों की अनदेखी न की जाए, बल्कि किसानों के हितों की रक्षा की जाए। जब इस देश का किसान खुशहाल होगा, तो देश भी खुशहाल होगा। यदि इस देश के किसान दुखी होंगे, तो देश कंगाल हो जाएगा-यही मेरा मानना है।

अपराह्न 6.00 बजे

महोदय, मैं अपनी भावनाओं को आपके समक्ष बताना चाहता हूं। मुझे पैरा 11 पढ़ कर आश्चर्य हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि इसमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में लिखा गया है कि विशेषकर बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियां और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादनकारी मजदूरी रोजगार पैदा करने के विशिष्ट कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और पुनर्गठित सुनिश्चित रोजगार योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि अंधेर नगरी के चौपट राजा की कहानी यहां चरितार्थ होती है। हम जानना चाहते हैं कि इस योजना से बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा। अगर सरकार को रोजगार मुहैया कराना है, हम जानते हैं कि सरकार सब को नौकरी नहीं दे सकती। हम मानते हैं कि भारत सरकार में उनती रिक्तियां नहीं हैं, जितने देश में लोग बेरोजगार हैं, लेकिन व्यवसाय दे सकती है। सरकार बैंकों के माध्यम से धन मुहैया करा सकती है। योग्यता के आधार पर उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना का पैसा जो क्षेत्र में विकास के लिए जाता है, उसमें वे कहते हैं कि हम बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा कहना है कि इस तरह के भाषण करने वाले देश के गांव की पीड़ा को नहीं जानते हैं। वे एयरकंडीशन में बैठ कर सिर्फ मजा लूटने का काम करते हैं। गांव की भावना को नहीं समझते हैं, इसलिए इस तरह के वाक्यों को लिखा गया है। हमारा यह कहना है कि इन सब बातों से सरकार को अवगत कराना चाहिए।

महोदय, इसी तरह हम यह बताना चाहेंगे, पैरा 16 में लिखा गया है-"विश्व में वृद्ध व्यक्तियों की सर्वाधिक आबादी वाले देशों में भारत भी है। हाल के समय में संयुक्त परिवार प्रथा खत्म होती जा रही है जिससे वृद्ध लोगों की भावनात्मक उपेक्षा हुई है व उनकी देखभाल में कमी आई है। सरकार ने वृद्ध लोगों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई है।" ठीक ही लिखा गया है, लेकिन इसका क्या कारण है। हम यह मान कर चलते हैं कि इस देश पर पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है और इसके हावी होने से जो एक गांव का परिवार का रिश्ता था, समाज का रिश्ता था उसमें बदलाव आया है, उसमें टूट आ रही है। जब तक देश पर पश्चिमी सभ्यता पर रोक नहीं लगाई जाएगी, प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तब तक आपसी रिश्ते मजबूत नहीं होंगे और जब तक आपसी रिश्ते मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत की सभ्यता और संस्कृति बच नहीं पाएगी। आज भी गांव में चल कर देखिए, पुत्र अपने पिता को पिता के रूप में मानता है और बुढ़ापे में अपने माता-पिता की सेवा करता है। समाज का यह वर्ग, जो अपने को बहुत चातुर और बुद्धिजीवी समझता है, जो अपने को बड़े लोग समझते हैं उसके अपने परिवार से रिश्ते नहीं होते। उसका अपने माता-पिता से रिश्ता नहीं होता। इसलिए पश्चिमी सभ्यता उन पर हावी है, खास कर बड़े शहरों में पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि पश्चिमी सभ्यता पर अंकुश लगाना चाहिए और यह जो टीवी के द्वारा प्रचार चल रहा है यह भी पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देने का एक कारण बनता जा रहा है। यह जो गलत और अश्लील प्रचार हो रहे हैं, जो विदेशी मुल्कों के प्रचार करके भारत के लोगों को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है, यह भी एक विदेशी साजिश है। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसे प्रचारों पर भी रोक लगानी चाहिए। अगर ऐसे प्रचारों पर रोक नहीं लगाई गई तो निश्चित तौर पर भारत की सभ्यता और संस्कृति पर जो गंभीर रूप से हमला हो रहा है, वह खतरे में पड़ेगी।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

महोदय, पैरा 26 और 27 में लिखा गया है और बिल्कुल सत्य लिखा गया है। हम अपने देश के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जब भी देश पर संकट आता है तो जिस तरह से देश के बहादुर जवान अपनी बहादुरी और हिम्मत का परिचय देते हुए देश की रक्षा करते हैं उसमें कहीं संदेह नहीं है और सरकार ने भी बहादुर जवानों की विधवाओं को 140 गैस की एजेंसियां देकर उनके जीवन के भरण-पोषण के लिए जो कदम उठाया है, उसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं।

सेना में एक-दो बातें सुनने को मिली हैं कि कहीं से किसी सैनिक का तबादला हुआ और बीच रास्ते में वह लापता हो गया। चार-पांच साल से उसके परिवार के लोग रक्षा मंत्रालय का चक्कर लगा रहे हैं, हमने भी रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है कि उसका पता करके बताया जाये। अगर ऐसी बात हो जाती है और रक्षा मंत्रालय को पता नहीं होता है तो यह एक गंभीर बात है। रक्षा [illegible] पता करके उसके परिवार वालों को बताना चाहिए कि [illegible] कहां है और किस परिस्थिति में है?

पैरा 30 में लिखा है कि देश के कुछ भागों को छोड़कर कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी अच्छी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज इसी सदन के एक सदस्य राजीव प्रताप रूडी के संबंध में चर्चा चल रही थी। अभी हम बाहर निकले हुए थे तो इसी लोक सभा का एक कर्मचारी कह रहा था कि उनके बेटे को बिना किसी कारण के पुलिस ने मारा है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उसने कहा कि हम गृह मंत्री जी के यहां गये, उनसे पत्र लिखवाया, स्पीकर साहब से पत्र लिखवाया, रामविलास जी से पत्र लिखवाया है। जब थाने में गये तो उनसे कहा गया कि बहुत लोग पत्र लिखवाते हैं, अपनी चिट्ठी अपने घर में रखो, जो हमारे मन में आयेगा वही हम करेंगे। इसके बाद भी हम कानून और व्यवस्था की चर्चा करते हैं।

कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, वहां आतंकवाद है, लेकिन आज देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। मध्य प्रदेश में मंत्री मारे जाते हैं, बिहार में भूतपूर्व सांसद और विधायक मारे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं, बंगाल के बारे में ममता जी यहां खड़े होकर बोल रही थी कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं और दिल्ली की घटनाएं आये दिन सुनने में आती हैं। फिर भी गृह मंत्री जी कहते हैं कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हम इस पर कोई ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आज पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन गयी है, रक्षा करने की जगह अपराध में शामिल हो रही है। इसलिए पुलिस का प्रशिक्षण उच्चकोटि का होना चाहिए और उसे आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहिए ताकि वह अपराधियों का मुकाबला कर सके। केवल मुंह से कह देने से कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, काम चलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, विमान अपहरण का भी इसमें जिक्र किया गया है लेकिन हम इस पर कुछ चर्चा करना नहीं चाहते हैं। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी और दस दिनों के बाद विमान अपहरण हुआ था। आज हमारा सीमावर्ती देश नेपाल आई.एस.आई. का अड्डा बन चुका है। बिहार में सीतामढ़ी, मोतीहारी, छपरा, सीवान, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश में देवरिया और गोरखपुर जो नेपाल से लगते जिले हैं ये आई.एस.आई. के अड्डे बन चुके हैं। उनके हथियार और धन के बल पर आये दिन अपहरण और हत्याएं हो रही हैं और हमारा गृह मंत्रालय बिल्कुल सोया हुआ है। नेपाल टेलीविजन पर भारत के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है और पाकिस्तान की प्रशंसा की जा रही है। अगर इन बिंदुओं पर गंभीरता से चिंतन नहीं किया गया तो गंभीर परिस्थितियां पैदा हो जायेंगी। आज नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन पर खतरा बना हुआ है। इसलिए केन्द्र सरकार को इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। सदन में अगर पक्ष या विपक्ष का कोई सदस्य बोलता है तो यह केवल भाषण सुनने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन बिंदुओं की जांच करवाकर गंभीरता से कार्रवाई की जानी चाहिए और इन क्षेत्रों की चौकसी गंभीरतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि आई.एस.आई. की गतिविधियों का पर्दाफाश किया जा सके।

अभी 500 रुपये के नोट आई.एस.आई. के माध्यम से निकाले गये हैं। बैंकों से लोग पांच सौ रुपये के नोट लेने से घबराने लगे हैं कि कहीं आई.एस.आई. के माध्यम से बैंकों में तो ये नोट नहीं चले गये हैं। ऐसी परिस्थिति में इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

महंगाई के बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना और चिन्तन करना चाहिए। आज गांव के किसान परेशान है, गरीब लोग परेशान हैं और मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं। गांव के लोगों की परेशानी दूर करने का एकमात्र समस्या यही है कि किसानों को खुशहाल बनाया जाए। किसान उस समय खुशहाल होंगे जब उन्हें खेती की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अगर वह उपलब्ध नहीं कराई गई तो गांव टूटेंगे। गांव टूटेंगे तो देश टूटेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं खुराना जी द्वारा पेश किए गए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूचबिहार): माननीय सभापति महोदय, हालांकि मैं माननीय राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान करता हूँ फिर भी मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत और डा. नीतिश सेनगुप्ता द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूँ।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जब हम केवल विद्यार्थी थे, उस समय हम पढ़ा करते थे कि भारत की एकता उसकी विविधता में है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ अनेक धर्म हैं और अनेक जातियाँ हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। लेकिन अब यह संकल्पना समाप्त होने जा रही है। यह संकल्पना भारत के विभाजन के साथ 15 अगस्त, 1947 को आरम्भ हुई थी। कुछ सत्ता लोलुप लोगों ने भारत का विभाजन कर दिया। मैं इस समय उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन उस समय से भारत सही रूप से नहीं चल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 53 वर्ष बाद भी हमने यहाँ वहां साम्प्रदायिक दंगे होते देखे। हमने यहाँ वहाँ जातिवाद संबंधी दंगे होते भी देखे हैं। अब विशेषकर कि आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों जैसे कुछ क्षेत्रों में उग्रवाद बढ़ता जा रहा है।

अब, यदि आप उन भागों में जायें अथवा यदि आप समाचार-पत्र पढ़े तो आप देखेंगे कि उन भागों में निर्दयतापूर्ण शोषण हो रहा है। आज, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्या हो रहा है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों को तीन शब्दों जातीयता, आइडेंटिटी और उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। एन.एस.सी.एन., उल्फा, यू.एन.एल.एफ., पी.एल.ए, बोडो, एम एन ग्रुप जैसे ग्रुपों द्वारा अलगाववादी आन्दोलन किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ पृथक राज्य की माँग कर रहे हैं। उल्फा का लक्ष्य है। असम में एक पृथक संप्रभुत्व देश स्थापित करना। उल्फा नेता, डा. गोगोई ने जो कहा था, मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा:

> "वह यह सोचते हैं कि ब्रिटिश द्वारा असम को भारत में शामिल करने से पहले वह कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था।"

यह स्थिति है। हम भारतीय नागरिक हैं और हमें इन सब बातों को झेलना है। सरकार से मेरा प्रश्न यह है कि वह क्या कर रहे हैं? निश्चय ही, यह सही है कि यह सब अभी आरम्भ नहीं हुआ है। लेकिन पिछले दो वर्षों से आप सरकार में है। क्या आपने कुछ किया?

अपराह्न 6.14 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए]*

विगत में, हमने अनेक कार्यवाहियाँ होते देखी है। वह कौन सी कार्यवाहियाँ हैं? आपने नवम्बर, 1990 में आप्रेशन बजरंग, सितम्बर, 1991 में आप्रेशन रीनो और अप्रैल, 1995 में आप्रेशन गोल्ड डक जैसी कुछ कार्यवाहियाँ आरम्भ की है लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया? कृपया सभा को बताइए कि आप इस उग्रवाद और अलगाववाद आन्दोलन को कैसे समाप्त करेंगे। अन्य लोगों ने जो कुछ भी किया, लेकिन आप भी वही रास्ता अपना रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा के समय में सरकार ने घोषणा की कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री भी यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह अधिक धनराशि देंगे अर्थात् 1,200 करोड़ रु. दिए जायेंगे जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए खर्च किए जायेंगे। क्या आपने रिकार्ड की जाँच की है कि कहाँ से धनराशि आ रही है और कहाँ खर्च की जा रही है?

क्या उन्होंने इस बात की जाँच की है कि यह धनराशि देश के उस भाग में किस तरह से खर्च की जा रही है? उन्होंने इस बारे में कभी विचार नहीं किया। अलगाववादी गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। इसी तरह से आई.एस.आई. गतिविधियाँ भी जारी हैं। देश भर में 5,633 समुदाय हैं और इनमें से 635 आदिवासी जनजातियाँ हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन 635 जनजातीय समुदायों में से 300 से अधिक आदिवासी जातियां पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। जब यह स्थिति है, क्या सरकार ने इन आदिवासी जनजातियों के बारे में कभी विचार किया? उन्होंने यहाँ दिल्ली में देश के विभिन्न भागों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की एक बड़ी रैली आयोजित की थी, लेकिन क्या वे कभी देश के इस भाग में गए? क्या उन्होंने कभी देखा कि वे कैसे रह रहे हैं, उनके जीवन निर्वाह के साधन क्या हैं, उनकी आय क्या है? उन्होंने कभी इस बारे में विचार नहीं किया। यह लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं।

इस संबंध में, मैं एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहूँगा। प्रनती देवी के मामले से, जो कुछ वर्ष पूर्व घटित हुआ था, यह स्पष्ट था कि "टाटा टी कम्पनी" भी उग्रवाद में शामिल थी। क्योंकि उनके पास उस क्षेत्र में कई चाय बागान हैं, इसलिए, आपने चाय बागानों को बचाने के लिए, उनका उस क्षेत्र के उल्फा और अन्य विद्रोही ग्रुप के साथ संबंध होते हैं। यही स्थिति है।

सरकार ने उस क्षेत्र की आर्थिक पुनर्वास के संबंध में कभी नहीं सोचा। उन्होंने उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के संबंध में नहीं सोचा। यह सच है। मंत्री महोदय यहाँ बैठे हुए हैं। वे जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, पर क्या उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में

[श्री अमरराय प्रधान]

आए असम और अन्य भागों में रहने वाले लोगों की स्थिति का अध्ययन किया है? स्योटल और मुंडा समुदाय के लोगों को पूरे देश में जनजाति माना जाता है, परंतु असम में, जहाँ ये जनसंख्या का 50 प्रतिशत है, उन्हें जनजाति नहीं माना जाता। ओरान समुदाय को भी जनजाति नहीं माना जाता, हालाँकि वे उस क्षेत्र के मूल निवासी है। राजबंशी समुदाय को भी जनजाति नहीं माना जाता। यदि उन्हें जनजातीय समुदाय मान लिया जाता है तो क्या होगा? वे बहुसंख्या में आ जाएंगे। केवल उच्चवर्गीय लोगों को बचाने के लिए जो अल्पसंख्यक है, वे असम को जनजाति प्रदेश घोषित नहीं कर रहे हैं। यह करने में क्या हानि है? यदि राज्य की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातीय है तो, उस राज्य को जनजाति राज्य घोषित किया जाना चाहिए। परंतु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। पिछले 50 सालों में, उन्होंने यह नहीं किया और अब वर्तमान सरकार भी कांग्रेस द्वारा बनाई पुरानी नीतियों को ही अपना रही है। यदि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सच देना चाहती है तो, उन्हें खुले दिमाग से सामने आना चाहिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, विशेषकर पूर्वोत्तर भागों में रहने वालों को उनकी पहचान दी जानी चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, भूमि सुधार संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। यदि वे लोगों का भला करना चाहते हैं, तो उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का भला करना चाहिए क्योंकि वे पद-दलित और भूमिहीन लोग हैं। वे प्रत्येक राज्य में हैं। केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को छोड़ कर, अन्य राज्यों में क्या हुआ है? भूमि सुधार को ठीक से लागू नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके राज्य बिहार में भी, इसे ठीक से लागू नहीं किया गया।

आप कह रहे हैं कि पिपुल्स वार ग्रुप आंध्र प्रदेश में सक्रिय है। लेकिन वास्तव में, इसका मूल कारण क्या है? उनके विद्रोह का क्या उद्देश्य है? इसका कारण है भूमि सुधार को लागू नहीं करना और भूमि का हस्तांतरण। भूमि किसानों को मिलनी चाहिए और बची हुई भूमि वितरित होनी चाहिए। आप कई विषयों पर बोल रहे थे।

हाल ही में आपने एक पुस्तक प्रकाशित की है। मैंने उसे पढ़ा है। मुझे लगता है इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को वह पुस्तक मिल गई होगी और नहीं तो मुझे आशा है उन्हें मिल जाएगी। उसका शीर्षक है 'भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट-1999'। इसके पृष्ठ संख्या 121 पर स्पष्ट उल्लेख है कि:

> "भूमि और कृषि संबंधी सुधार पिछले पांच दशकों से समाप्त न होने वाला कार्य है।"

उस पुस्तक में यह कहा गया है कि पिछले 50 सालों से हमने कुछ नहीं किया और यह कार्य अधूरा है और सच्चाई भी यही है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने भूमि-सुधार का निर्णय लिया था। उसके बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, इलाहाबाद कांग्रेस में, समाज की समाजवादी पद्धति के संबंध में कहा था। उनके पश्चात, कई नारे दिए गए। उनमें से एक था "गरीबी हटाओ"। परंतु असलियत में क्या हुआ? आपको समस्या जड़ से हटानी है। गरीब हट गया, गरीबी नहीं हटी। यदि हम गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो, भूमि-सुधार अवश्य लागू होना चाहिए। पर यह कार्य नहीं किया गया।

आप पंचवर्षीय, छठी पंचवर्षीय योजना तक सभी योजनाओं का अध्ययन कीजिए। इस संबंध में कुछ योजना राशि का आबंटन हुआ है और इस पहलू पर कुछ जोर दिया है। परंतु तत्पश्चात जो भी सरकार बनी, उसने असाधारण रूप से चुप्पी साध ली। इसी तरह, वर्तमान सरकार ने भी चुप्पी साधी है। आप भूमि-सुधार के संबंध में इतने चुप क्यों हैं? यदि आप सच में गरीबों, भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो, आपको भूमिसुधार करना चाहिए।

लेकिन महोदय, इसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। बजट प्रस्ताव में भी यहाँ वहाँ पर कुछ राशि का आवंटन हुआ है। परंतु यह पूर्णतः पर्याप्त नहीं है। पूरे देश में भूमि-सुधार लागू नहीं हुए हैं जबकि इसकी घोषणा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1953 में की गई थी।

विशेष रूप से असम में, इस भूमि सुधार के संबंध में वही पुराने कानून हैं। इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? जब श्री पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री थे, मैंने यह प्रश्न इस सभा में उठाया था। मैंने कहा था कि माननीय प्रधान मंत्री स्वयं भूमि को हथियाने के लिए जिम्मेदार है। उस समय इस बात पर बहुत हल्ला-गुल्ला हुआ था। माननीय सदस्य, श्री शिवराज पाटील उस समय अध्यक्ष थे। यही स्थिति है। आंध्र प्रदेश में, भूमि-सुधार संबंधी उपायों को ठीक से आज तक लागू नहीं किया गया। बिहार में भी यही स्थिति है। अतिरिक्त भूमि का आबंटन नहीं किया गया था। ऐसा कुछ राजनैतिक कारणों से हुआ था।

उस भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट 1999 में इसका उल्लेख हुआ है:

> "इसका उद्देश्य है भूमि-जाति आधारित राजनैतिक अधिकार को तोड़ना, आपस में जुड़े हुए परिणाम जैसे बाजार के

आचरण, को तोड़ना, उधार और तकनीकी सुविधा की गारंटी और अधिकतम उत्पादन और अतिरिक्त उत्पादन के लिए बाजार की उपलब्धता जैसी परिस्थितियों का निर्माण करना।''

हम इन सभी पहलुओं पर गौर नहीं कर रहे हैं। इसी कारण, हमें बहुत भुगतना पड़ रहा है। विद्रोही गतिविधियां जारी हैं। यहाँ वहाँ मार-काट हो रही है। हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि आपको विद्रोही कार्यवाही को बंद करना है तो, अन्य समस्याओं को भी सुलझाना पड़ेगा।

माननीय विदेश मंत्री इस वक्त यहाँ नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी से एक बात का निवेदन करना चाहता हूँ। यह कहा गया है कि ये विद्रोही संगठन-चाहे वह बोडो हो, कामरापुरी या उल्फा हो-भूटान में इनकी बैठकें होती हैं जो हमारा पड़ोसी देश है। उनकी वहाँ बैठकें होती हैं और उनको वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त होता है। उन्हें वहाँ सैनिक प्रशिक्षण भी मिल रहा है। लेकिन हम इस मुद्दे को भूटान की सरकार के साथ नहीं उठा रहे हैं। इसका क्या कारण है?

इस संबंध में इतनी चुप्पी क्यों है? आपको इस मुद्दे को भूटान सरकार के साथ तुरंत उठाना चाहिए। यह समस्या नदी जल समस्या जैसी ही है। यदि आप विद्रोही गतिविधियों को रोकना चाहते हैं तो आपको भूटान और नेपाल के साथ इस संबंध में निर्णय लेना होगा। आपको उनके साथ बातचीत करके कुछ कानूनी समझौतों का प्रबंध करना चाहिए जिससे हम इस विद्रोही गतिविधियों को रोक सके, साथ ही देश के उस भाग में आई.एस.आई. गतिविधियों को रोक सके।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की मुझे अनुमति प्रदान की है।

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश के 75 प्रतिशत लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है। यह सरकार जब हुकूमत में आई थी तो इस देश के करोड़ों लोगों को इस सरकार से बहुत सी अपेक्षाएं थीं लेकिन इस सरकार ने पदारूढ़ होने के बाद क्रमश: अपने आचरण और कर्तव्य से देश के संपूर्ण जनमानस को निराश ही नहीं किया, बल्कि उनके मन में कुंठा और क्षोभ की भावना को जन्म दिया।

आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में यह सरकार कृषि क्षेत्र से सब्सिडी समाप्त करती जा रही है। जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का संचालन अमेरिका के हाथों में है, वह अमेरिका अपने राज्य में कृषि क्षेत्र पर ढाई सौ प्रतिशत से अधिक सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन उसी अमेरिका के दबाव में ये कृषि क्षेत्र से सब्सिडी समाप्त करते जा रहे हैं जिसके कारण आज उर्वरकों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। आज किसान को डीज़ल बढ़े हुए मूल्य पर खरीदना पड़ रहा है जिससे किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। संपूर्ण देश के किसानों में आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है। आज मंहगाई की मार किसान पर पड़ रही है। किसान के उत्पादन का उचित मूल्य इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अभी गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने 580 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है लेकिन उसी गेहूं को जब जनता के बीच में बेचेंगे तो 900 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक दाम पर बेचने का काम करेंगे और ये कहते हैं कि हम किसानों की भलाई कर रहे हैं।

आज आलू की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और कन्नौज जिलों में जाइए तो 80 पैसे प्रति किलो के भाव पर भी किसानों का आलू खरीदने को कोई तैयार नहीं है। किसान आलू घरों के बाहर फेंक रहे हैं और आलू के सड़ने की वजह से वहां महामारी फैलने की स्थिति हो गई है। आज किसान की स्थिति इस लायक नहीं है कि वह उस आलू को ले जाकर कूड़े के ढेर पर फेंकने का काम करे। अभी तक आलू की समस्या का निराकरण करने के लिए इनके द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया है। आज स्थिति यह है कि जब हमारे देश के अंदर चीनी का पर्याप्त भंडार था तो इन्होंने पाकिस्तान से चीनी मंगाने का काम किया जिसका नतीजा यह निकला कि आज गन्ना किसानों के सामने एक नयी तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। अकेले उत्तर प्रदेश में 20 चीनी मिलें बंद हो गई हैं, जब से यह सरकार हुकूमत में आई है। अभी राम नगीना मिश्र जी बोल रहे थे कि उनके क्षेत्र में तीन चीनी मिलें बंद हुई हैं। आप एफ.सी.आई. का रिकार्ड उठाकर देखें तो पता चलेगा कि पर्याप्त मात्रा में गेहूं का भंडार था फिर भी इन्होंने विदेशों से गेहूं मंगाने का काम किया जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। आज किसान की रीढ़ टूट चुकी है। किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, भुखमरी का शिकार हो रहा है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या अमरीका के इशारे पर, अमरीका की दया पर ये इस देश को चलाना चाहते हैं? अमरीका जिस तरह के दिशा निर्देश देगा, उन्हीं का अनुपालन करके ये देश की नीतियों का संचालन करने का काम करेंगे?

महोदय, मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने भाषा नीति के सवाल पर अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है। समाजवादी पार्टी देशी भाषाओं की पक्षधर है। समाजवादी पार्टी अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को किसी पर थोपने की पक्षधर नहीं है। हम तेलुगू के पक्षधर हैं, हम कन्नड़ के पक्षधर हैं, हम मलयालम के पक्षधर हैं, हम गुजराती के पक्षधर हैं, हम सभी राष्ट्रीय भाषाओं के पक्षधर हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तमिल के भी पक्षधर हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : हम तमिल के भी पक्षधर हैं और देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं के पक्षधर हैं। जब तक अंग्रेजी इस देश में रहेगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश में आती रहेंगी और इस देश को लूटती रहेंगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंग्रेजियत दोनों का चोली-दामन का साथ है। इसलिए समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, इस देश के सम्मान और स्वाभिमान को दुनिया में प्रतिष्ठापित करना है तो हमें राष्ट्रीय भाषाओं को देश के अंदर प्रतिष्ठापित करना होगा। मान्यवर, हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने भाषा के सवाल पर कोई स्पष्ट नीति नहीं

आज संविधान की समीक्षा के नाम पर इस सरकार के लोग अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हाय-तौबा मचाने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि संविधान समीक्षा के नाम पर आप क्या करना चाहते हैं? इस देश के संविधान का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राय में बाबासाहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इस देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रणी बुद्धिजीवियों ने किया था। दुनिया के सभी संविधानों से बेहतर संविधान हमारे देश का है। आज ये संविधान समीक्षा के नाम पर क्या करना चाहते हैं? क्या पिछड़ों को अधिक अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं? क्या दलितों को और ज्यादा संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं या अकलियतों को और ज्यादा संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं? मेरी अपनी खुद की मान्यता है, समाजवादी पार्टी की मान्यता है कि संविधान संशोधन के बहाने ये इस देश को हिन्दू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं लेकिन मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि जब तक समाजवादी पार्टी का वजूद कायम है तब तक हम इनके हिन्दू राष्ट्र को कायम नहीं होने देंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है और आने वाले दिनों में रहेगा।

आज संविधान समीक्षा के नाम पर देश की भावना के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है और इस देश को तोड़ने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज संविधान समीक्षा के सवाल पर इनके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों में ही एका नहीं है। हम स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि यह संविधान समीक्षा नहीं करा पायेंगे। संविधान समीक्षा करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक दिशा तय करनी होती है। राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य और दायित्व है कि वह कौन सी राजनीतिक दिशा तय करें। जब राजनीतिक दिशा तय कर ली जाती है तब विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। लेकिन इन्होंने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पहले ही मंगा ली। ये पूरी प्रक्रिया को ही पलट देने का कार्य कर रहे हैं।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये इस देश के जनतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो वर्तमान संसदीय प्रणाली है, संसदीय जनतंत्र है, उसको समाप्त कर इस देश में तानाशाही को थोपना चाहते हैं। ये पांच साल के लिए संसद को और विधान सभाओं को स्थायित्व प्रदान करने की बात करते हैं। पांच साल तक अगर देश के अंदर लूट होती रहे, देश के अंदर भ्रष्टाचार सुरसा की तरह मुंह फैलाता चले, देश के अंदर संसद सदस्य को सड़कों पर पीटा जाता रहे। क्या इस तरह पांच साल तक संसद रहेगी? जनता हमको पांच साल इसलिए चुनकर भेजती है कि हम पांच साल के अंदर जनता के अधिकारों का संरक्षण करें।

आज यू.पी. में क्या हो रहा है? आज इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को अपराधियों के हाथ में गिरवी रख दिया है। आज जिन अपराधियों को जेल में रहना चाहिए था, वे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में राज्य सभा का चुनाव हुआ है। वहां 15 से 20 लाख रुपये खुले आम लेकर एम.एल.ए. बिका है। क्या इसलिए पांच साल तक विधान सभायें और लोक सभा के सांसद और विधायक बिकने के लिए रहें।

आज संविधान समीक्षा के नाम पर ये देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संविधान समीक्षा के नाम पर ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वह बंद होना चाहिए। आज कारगिल के सवाल पर यह सरकार अपनी पीठ-थप-थपाने की कोशिश कर रही है। हम कहना चाहते हैं कि कारगिल का जो सच है, वह सच सामने आना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की घाटी के एक मुसलमान गडरिये ने सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की सूचना दी कि पाकिस्तानी घुसपैठिये हमारे देश की सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं लेकिन देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने उस सूचना को नजरअंदाज किया। जिसका नतीजा यह रहा कि पाकिस्तानी घुसपैठिये हमारे देश की सरजमीं को रौंदते रहे। हमारे देश के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को इस देश से खदेड़ने का काम किया। आक्रमण सुरक्षा की सबसे सफल रणनीति हुआ करती है। यदि हमारी सेना के हाथों को बांधा नहीं गया होता और पाकिस्तान से उस समय खुले आक्रमण की इजाजत दी गयी होती तो जैसे 1971 में हमने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाकर उनकी बोलती दुनिया के पैमाने पर बंद कर देने का काम किया था, वैसे ही आने वाले 25-30 सालों तक पाकिस्तान हमारे देश की सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इन्होंने देश की सेना के हाथों को बांधकर, देश की सेना को आक्रमण की खुली इजाजत

न देकर देश के प्रधान मंत्री ने कायरता का परिचय दिया। उसका कुफल आज तक हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज रक्षा बजट में जो अतिरिक्त धन का प्रावधान करना पड़ा है, यदि हमारी सेना को खुले आक्रमण की इजाजत दी गयी होती तो रक्षा बजट में इस अतिरिक्त धन का प्रावधान नहीं करना पड़ता। माननीय मुलायम सिंह जी जब इस देश के रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन हमारे देश की सीमा की तरफ आंख उठा कर देखेगा तो युद्ध हमारी धरती पर न होकर दुश्मन की धरती पर होगा। इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत हमारे देश की सीमा की तरफ आंख उठा कर देखने की नहीं पड़ी। लेकिन इनकी कायरता का परिणाम है। इन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। श्री नवाज शरीफ से पाकिस्तानी चीनी मंगाकर हमारे देश के लोगों को खिलाने का काम किया।

आज आई.एस.आई. का बड़ा भारी हौवा खड़ा कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि नेपाल के इलाके में आप जाइये और नेपाल और भारत के इतिहास और भूगोल पर दृष्टि डालिए। सुगोली की संधि में अंग्रेजों ने नेपाल की तराई का इलाका भारत से नेपाल को दिया था और बदले में गढ़वाल और कुमाऊं को लिया। आज नेपाल की तराई के इलाके में नेपाल की जनसंख्या के हिसाब से 52 प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। पूरी दुनिया में मात्र नेपाल ही हिन्दू राष्ट्र है। हम इस देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहते है कि अगर एक हिन्दू राष्ट्र के अंदर आपके देश के विरोध की भावनायें पनप रही हैं, आई.एस.आई. अपने अड्डे बनाती चली जा रही है, आप इस देश को जो हिन्दू राष्ट्र जनता के बीच में बनाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप इस देश को कहां ले जायेंगे? हम आपसे कहना चाहते हैं कि आई.एस.आई. के एजेंटों के नाम पर आप अकलियतों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में धर्मस्थल विधेयक लाया गया है और कहा गया है कि भारत और नेपाल की सीमा पर मस्जिदों और मदरसों का अधिकाधिक रूप से निर्माण हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि यहां से संसदीय समिति जाकर देखे, अगर मदरसों का निर्माण हुआ है तो मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। अगर आप मदरसों का विरोध कर रहे हैं तो मंदिरों का भी निर्माण नहीं होना चाहिए। उन मदरसों में जो निर्माण हुए हैं, चल कर देखिए कि वह धन कहां से आया है। उन लोगों ने किस तरह ईंट और गारे का इंतजाम करने का काम किया है। आप चिन्हित कीजिए कि कौन लोग आई.एस.आई. के एजेंट हैं। जो लोग भी आई.एस.आई. के एजेंट हैं, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और जिन लोगों द्वारा आई.एस.आई. गतिविधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। लेकिन आई.एस.आई. के नाम पर अगर आप एक कौम विशेष को लांछित करने का काम करेंगे तो यह देश को तोड़ने की कोशिश होगी, देश को जोड़ने की कोशिश नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश में धर्मस्थल विधेयक को पारित करके ये सरकार एक बार फिर उग्र हिन्दुत्व को बढ़ावा देना चाहती है। जिस तरह राम के सवाल पर, आज ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पूरे देश में हिन्दुत्व की भावना पैदा करके हिन्दू-मुसलमान, सिख-ईसाई के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की थी फिर उसी तरह की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कल चुनाव हो जाएं तो उत्तर प्रदेश के राजनैतिक पर्दे से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए आज ये फिर उग्र हिन्दुत्व की भावना को भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश धर्मस्थल विधेयक लाए हुए हैं और उसके द्वारा केवल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अभी तक उस धर्मस्थल विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हमारी समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिली और हमने आग्रह भी किया है कि अगर आप इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाना चाहते हैं तो इस धर्मस्थल विधेयक पर कदापि हस्ताक्षर न करेंगे।

आज इस सरकार में बैठे हुए लोगों को गरीब की चिन्ता नहीं है, गांव, खेत-खलिहान, किसान की कोई चिन्ता नहीं है। आज ये बुनियादी सवालों से हटते जा रहे हैं। उन बुनियादी सवालों को छोड़कर, नकली मुद्दों को उभारकर, एक बार फिर देश में भावनात्मक उभार पैदा करके आने वाले दिनों में सत्ता को हथियाने का येन-केन प्रकारेण प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मनिर्पेक्ष ताकतों को लामबंद करके इनके नापाक इरादों को कभी भी सफलीभूत नहीं होने देगी।

हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज इनकी गलत नीतियों से देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों को खतरा हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक की स्थिति पर नजर डालें। आज जम्मू कश्मीर में 36-36 सिखों की सामूहिक हत्या की जा रही है। सरकार मूकदर्शक बनकर खड़ी है। सुरक्षा एजेंसियां लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल हो गई हैं। पूर्वोत्तर भारत के अंदर उल्फा से लेकर तमाम अलगाववादी संगठन सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े हैं। आज केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को ही खतरा नहीं हैं, देश की बाहरी सुरक्षा को भी इनकी गलत नीतियों के कारण खतरा पैदा हो गया है। आज ये अमरीका से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अमरीका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आप अमरीका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उससे संबंध सुधारें, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन अपने पड़ोसी मुल्कों से भी आपके संबंध मधुर होने चाहिए, आपके पड़ोसी देशों से भी आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। दुनिया के एक हिन्दू राष्ट्र नेपाल में भी आज भारत विरोधी भावना पनप रही है। आप पता कर लें, आज जो लोग नेपाल में भारत के पक्षधर हैं, जो राजनैतिक पार्टियां भारत की

[कुंवर अखिलेश सिंह]

पक्षधर हैं, उनके खिलाफ माहौल पैदा करके नेपाल में वोट की राजनीति की जा रही है। अगर दुनिया के एक हिन्दू राष्ट्र से अपने संबंध बेहतर नहीं बना सकते तो आपको हिन्दुत्व की बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

आज लंका से हमारी क्या स्थिति है, बंगलादेश से हमारे किस तरह से संबंध है, यह जग जाहिर है। हम इनसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा और अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध सुधारने होंगे। जब हमारे पड़ोसी मुल्कों से संबंध सुधरेंगे तब दुनिया में हम अपने देश को एक नई प्रतिष्ठा प्रदान कर सकते हैं। आज यह सरकार पिछड़ों, अकलियतों पर एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत हमले करती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के 3,000 के ऊपर कार्यकर्ताओं की सुनियोजित तरीके से हत्या कराई जा चुकी है। जिस तरह यह सरकार उत्तर प्रदेश में तानाशाही को प्रतिष्ठापित करने के प्रयास कर रही है, इसकी दूसरी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। ढाई हजार से ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज जेलों के अंदर यातना की जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। आज फर्जी मुकदमों की स्थिति इस कदर है, आज अभी जब राजीव प्रताप रूडी जी के ऊपर हमला और उनके अंगरक्षक पर हुए हमले की पीड़ा का यहां पर बखान कर रहे थे तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब आपके संसद् सदस्य के ऊपर यहां दिल्ली के अन्दर हमला होता है तो आपके मन में बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर भी जो आपके विरोधी लोगों के ऊपर आपकी पुलिस जो अन्याय और अत्याचार कर रही है, जो जुल्म ढा रही है, उसके ऊपर भी तो आप नजर रखो। हम नहीं कहते कि हमारी बात को आप सच मान लो। आप एक संसदीय समिति का गठन कर लो, जिलेवार गठन कर लो। हम आपको सूची दे देंगे, एक-एक चीज की आप समीक्षा कर लो। अगर आपकी सरकार कठघरे के अन्दर खड़ी हुई नजर नहीं आयेगी, बदलने की भावना से उसकी कार्रवाई यदि प्रमाणित नहीं होगी तो मैं सदन के अन्दर चुनौती देता हूं कि संसद् सदस्य के पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आज स्थिति इस कदर हो गई है कि जब हम अपने संसदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए संसद में आते हैं, अभी 25 तारीख को मुझे कामर्स की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लेना था। 24 तारीख को मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र से आ रहा था तो हमारे ही निर्वाचन क्षेत्र के दरोगा ने हमारी जीप को जबरदस्ती रोका, हमारे ऊपर रिवाल्वर तानने का काम किया और उल्टे हमारे ऊपर ही फर्जी मुकदमा कायम करने का काम किया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कुंवर अखिलेश सिंह और राजीव प्रताप रूडी की ही यह बात नहीं है, आज इनकी गलत नीतियों के कारण पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि पुलिस ने जामिया मिलिया के अन्दर 67 छात्रों को बुरी तरह से पीटकर, उनके अंगों को तोड़कर, इमाम को बुरी तरह से अपमानित करके, पीटकर उन्हें जेल में बन्द किया और उनके ऊपर 307 का फर्जी मुकदमा कायम किया गया। अभी कल प्रमोद महाजन जी इसी सदन के अन्दर कह रहे थे कि हमारी सरकार ने एजेंसियों को निर्देश दे दिये हैं कि अदालत के अन्दर वे जमानत का विरोध नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार प्रथम दृष्टया यह मानती है कि जमानत का विरोध नहीं किया जाना चाहिए तो यह भी सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन लड़कों के ऊपर जो आपराधिक मुकदमे कायम किये गये हैं, वे आपराधिक मुकदमे प्रथम दृष्टया गलत हैं, उन लड़कों के ऊपर से वे आपराधिक मुकदमे वापस लेकर जिन लोगों ने जामिया मिलिया में बिना वाइस चांसलर की इजाजत के प्रवेश करके छात्रों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, छात्रों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

आज जिस तरह से पुलिस बर्बर रवैया अख्तियार करती चली जा रही है, अगर इस रवैये पर अंकुश नहीं लगा तो कल वह दिन दूर नहीं है, जब संसदीय कार्य मंत्री जी को, प्रधान मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी राजीव प्रताप रूडी की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इससे पहले कि अभिभाषण में इंगित मुद्दे का विस्तार से ब्यौरा प्रस्तुत करूं। मैं यहां संविधान समीक्षा समिति के संबंध में हुई गर्मागरम चर्चा का यहां उल्लेख करना चाहूंगा। विपक्षी दल ने इसकी शुरुआत अनिच्छा से की थी और इसका अंत भी वैसा ही होगा क्योंकि संविधान समीक्षा समिति संशोधन समिति नहीं है। यह केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। तिल का ताड़ बनाकर, वे ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा, उसका अंत भी उसी अनमने ढंग से ही होगा।

इस संबंध में, मैं इस माननीय सभा का ध्यान 1999 में दी गई राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गौरवशाली

और समृद्ध भारत के एजेण्डा को आगे बढ़ाना है। उस अभिभाषण में, उन्होंने कहा कि 'हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, सामाजिक न्याय, संघीय एकता, सत्यनिष्ठा और सामाजिक-आर्थिक समानता में अपनी आस्था को पुनः दृढ़ करते हैं।' यह 1999 में दी गई ललकार थी। अब, 2000 में भी, राष्ट्रपति ने दोनों सभा को संबोधित किया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के आठवें पैरा में, वही बात प्रतिध्वनित हो रही है। उसमें कहा गया है: 'गौरवमय, खुशहाल भारत को एजेन्डा' में समानता व रोजगार सहित तीव्र विकास के लिए ढांचे की व्यवस्था की गई है। यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि यह रा.ज.ग. सरकार धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है?

जो भी आशंका व्यक्त की गई उसका यह अर्थ है कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है।

इसका सार यही है कि मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पीछे के यथार्थ को कहना चाहूंगा।

इसका अधिकतर मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी हटाना और ग्रामीण जनता, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह समस्याओं का मूल है जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उल्लेख है। मैं केवल उन्हीं मुद्दों पर बोलूंगा।

इन मुद्दों पर आने से पूर्व, मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा कल व्यंग्यपूर्ण शब्दों के प्रयोग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण, हमें पता है, एक श्री नीरद-सी-चौधरी हुए हैं, जिन्हें अंग्रेजी चीजों से बहुत प्रेम था जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी "द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन" उनके लिए, सब कुछ अंग्रेजी अच्छा था और सब कुछ भारतीय बुरा।

कल मुझे आभास हुआ कि श्री मणि शंकर अय्यर जी को भारतीय परंपरा, धर्म, बोलियां और भाषाओं के प्रति बहुत कम सम्मान है। इसीलिए, उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के कार्य-निष्पादन बजट का दिखावे के तौर पर प्रदर्शन किया और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और अन्य बातों का मजाक उड़ाया, जैसे कि उस पुस्तक के उक्त शब्दों का ध्वन्यार्थ वह नहीं है जिनके वह पात्र है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें क्यों ऐसा महसूस होता है कि ग्राम समृद्धि शब्द के अर्थ और गुणवत्ता की परिभाषा को वह अन्य लोगों को सूचित और व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इस उपहास का पूर्ण विरोध किया जाना चाहिए।

उन्होंने 7वें पन्ने को फहराते हुए, यह कहा कि सरकार द्वारा कोई कार्य और विकास का कार्य नहीं किया गया है। मैं आपका ध्यान पृष्ठ संख्या 7 पर ही आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह इंगित है कि रोजगार आश्वासन योजना पिछले वर्ष 99.92 प्रतिशत थी। क्या यह उपलब्धि अच्छी नहीं है? इस वर्ष यह दिसम्बर 1999 तक 63.62 प्रतिशत हो गई है। हम लोगों में से जो भी सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि दिसम्बर, फरवरी और मार्च के मध्य, मार्च के अंत में आकलन किया जाता है और यह भी जान जाएंगे कि शत-प्रतिशत उपलब्धि निश्चित है। इस वर्ष, भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 12 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। संभवतः विपक्ष में बैठे मेरे मित्र नहीं जानते कि इसमें 25:75 की भागीदारी है और ग्राम सभा को निर्णय लेना पड़ता है कि इस इन्दिरा आवास के संबंध में कार्यवाही करेगा। इसके लिए लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और सब कुछ निर्णय अन्तिम क्षण में लिया जाता है। यह कहना कि पिछले वर्ष कुछ नहीं किया गया तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और गलत व्याख्या करना होगा।

जहां तक अब तक हुई प्रगति का सम्बन्ध है कृपया आप देखें कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि हमने कृषि के विकास, विशेष रूप से वर्षा पर आधारित क्षेत्रों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों, में अच्छी प्रगति की है।

जहां तक अच्छी प्रगति का सम्बन्ध है तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान "आर्थिक सर्वेक्षण" की ओर दिलाना चाहता हूं जो 1999-2000 में उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की दर से बढ़ रही है जबकि पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पादन की दर 6.8 प्रतिशत थी।

कृषि में, पिछले वर्ष के 200 मिलियन टन की तुलना में पैदावार में 203 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। दालों, चीनी और सभी अन्य चीजों में अच्छी उपलब्धि हुई है।

जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है पिछले वर्ष उद्योग मे 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अवसंरचना में विकास के कारण बिजली की आपूर्ति में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

दूरसंचार के क्षेत्र में 33.4 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य आधारभूत परियोजनाओं को आवधिक ऋणों की स्वीकृति के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को संचालनात्मक मार्गनिर्देश दिये गए हैं। इसीलिए अवसंरचना के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

[श्री अनादि साहू]

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1999-2000 में राजस्व घाटा 5 प्रतिशत ही रहा है। हमारा उद्देश्य 5 प्रतिशत अथवा 5.5 प्रतिशत से अधिक का नहीं है। मुद्रा स्फीति की दर चार प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। आपको देखकर प्रसन्नता होगी कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मुद्रा स्फीति की दर में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई है, राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत ही रहा है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): यह स्थिति प्रतिबन्धों और कारगिल लड़ाई के बावजूद है।

श्री अनादि साहू : धन्यवाद, डा. सेनगुप्ता, मैं कहने ही वाला था कि ऐसा कारगिल में और अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में हमारे सामने आई कठनाईयों के बावजूद हुआ। हमने अच्छी विकास दर बनाई हुई है राजस्व घाटा में वृद्धि नहीं हुई है और सकल घरेलू उत्पादन की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है।

विपक्ष में हमारे मित्रों का नकारात्मक रवैया है। और वे कहना चाहते है कि वृद्धि उचित नहीं है। मैं किए गए सामाजिक कार्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि माननीय सभापति महोदय मुझे ज्यादा समय नहीं देंगे। पैराग्राफ 11 में उत्पादनकारी मजदूरी, रोजगार पैदा करने के राष्ट्र कार्यक्रमों के बारे में कहा गया है। जहां तक उत्पादनकारी मजदूरी, रोजगार का सम्बन्ध है पिछले वर्ष स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यान्वित की गई थी। और इस वर्ष भी जारी रहेगी। इसमें पहले आरम्भ किए गए सभी विकासशील कार्यों को ध्यान में रखा गया है। डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए., एस.आई.टी.आर.ए. जैसी विभिन्न योजनाओं को मिला दिया गया है और एक शीर्ष नियंत्रण में लाया गया है ताकि एस.जे.जी.एस.वाई. को व्यवहार्य परियोजना बनाया जा सके। हमारे पास पर्याप्त धन है और लोग काम प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार यहां स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण गरीबी को दूर किया जा सकेगा।

एस.जे.जी.एस.वाई. के अलावा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी है। पिछले वर्ष इस योजना के द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज आधारभूत संरचना के विकास को कार्यान्वित किया गया था। यह इस वर्ष भी चालू रहेगी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य गांवों में मूलभूत सुविधाएं जुटाना है। यहां मुख्य उद्देश्य स्थायी परिसम्पत्तियां सृजित करना और ग्रामीण गरीबों के लिए निरन्तर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। निरन्तर रोजगार एक समस्या है। यही बात है जो सरकार के दिमाग में हलचल पैदा कर रही है। इसीलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया है कि हमारा उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की गरीबी को समाप्त करना है और इसके लिए निरन्तर रोजगार योजना होनी चाहिए।

जहां तक निरन्तर रोजगार का सम्बन्ध है मैं आपका ध्यान रोजगार आश्वासन कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहूंगा। नौवीं योजना में ही कहा गया है कि ग्रामीण गरीब के लिए कम से कम 100 कार्य दिवसों को सृजित किया जाएगा। 100 कार्य दिवस कोई छोटी चीज नहीं है और इसके लिए धन भी जुटाना होगा। उड़ीसा और बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोग दूसरे क्षेत्रों में काम की तलाश में जाते है। उन्हें अधिक काम नहीं मिलता है। माननीय सभापति जी को बिहार में उनके सामने आई कठिनाईयों और उड़ीसा में हमारी कठिनाइयों के बारे में भलीभांति पता है। कृषि कामगारों को मौसम के दौरान काम मिलता है। मौसम के दौरान उनके काम करने के पश्चात् यदि हम उनके लिए 100 कार्य दिवसों का सृजन करते हैं तो क्या यह गरीबी उन्मूलन नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि हम किसी और के बारे में न सोचकर गरीबों के बारे में ही सोचते है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं केवल गरीबी उन्मूलन की समस्या पर ही बोलूंगा। नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी बताया गया है। यह कहता है "सामाजिक न्याय और इक्विटी के साथ विकास" और कि "विकास दर सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत होनी चाहिए। नौवीं योजना में यह कहा गया है।

इसमें गरीबी उन्मूलन को वरीयता दी गई है। इसमें कहा गया है कि 1993 में अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे जिसे घटाकर 15-20 प्रतिशत किया गया है। नौवीं योजना में ही बताया गया है कि साक्षरता दर बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई है और यह छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कई चीजें करनी पड़ेगी। जब हम साक्षरता दर को बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन के बारे में सोच रहे हैं तो नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्यों लोगों के जीवन की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर रहे सामाजिक आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता को दूर करना और रोजगार क्षमता बढ़ाना होगा। इसीलिए माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार क्षमता के बारे में कहा गया है चाहे यह 100 कार्य दिवस अथवा कोई अन्य चीज आरम्भ करना हो।

लेकिन समस्या यह है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें पट्टे पर भूमि की समस्या का सामना करना पड़ता है। पिछले 50 वर्षों से कई सरकारें आई और गई पट्टे पर भूमि का विखंडन हुआ है। चकबन्दी का नामोनिशान नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और कृषि क्षेत्र में विकास की दर घटी है अथवा बाधा आई है। पहली चीज जो इस सरकार ने पिछले वर्ष की है वह है बजट में धनराशि प्रदान की है ताकि भूमि का विखंडन न हो सके। यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से महरूम किया गया है

फारवर्ड ब्लाक से मेरे मित्र इस बारे में कह रहे थे और मैं पूरी तरह उन से सहमत हूं। मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से हूं जहां 50 प्रतिशत लोग जनजातियों से हैं। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वन अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और लालची भूमि हथियाने वाले लोगों की हेराफेरी द्वारा उन्हें उनकी भूमि से महरूम किया जा रहा है।

भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल संकल्प पारित करेगा और विनियम बनाएगा ताकि जनजातियों से भूमि को छीना न जा सके। उड़ीसा में 1956 का भूमि विनियम है लेकिन इसे ठीक से लागू नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र में और साथ के निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय लोगों की भूमि को कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा छीन लिया गया है। मैं यह बात राज्यपाल महोदय के ध्यान में यह कहते हुए लाया था कि उन्हें स्वविवेकाधिकार है कोई किसी और सन्दर्भ में यह बात कह रहा था कि उन्हें स्वविवेकाधिकार नहीं है मैंने कहा उन्हें विवेकाधिकार है। संविधान में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां राज्यपाल महोदय को स्वविवेकाधिकार प्राप्त है। वे कोई और सन्दर्भ था जब कोई इसके बारे में कह रहा था।

संविधान की पांचवीं अनुसूची में अनुच्छेद 46 अथवा अनुच्छेद 342 में जो भी हो, राज्यपाल को संकल्प पारित करने का अधिकार है। और वह जनजातीय लोगों की भूमि के हस्तान्तरण को विनियमित कर सकता है। मैंने उड़ीसा के राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा था उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह कहते हुए यह पत्र मुख्य सचिव को भेज दिया कि इस मामले की छानबीन की जाए। मैंने यह कहते हुए मुख्य सचिव से बात करने से इन्कार कर दिया कि यह संवैधानिक प्रावधान का मामला है जिसे मैं राज्यपाल महोदय के ध्यान में लाया हूं कि वे स्थिति का जायजा लें। उड़ीसा में कोई जनजातीय परिषद नहीं है। वे जनजातीय परिषद का गठन कर उनकी शिकायतें क्यों नहीं सुनते। कुछ भी नहीं किया गया है। अन्य राज्यों में भी अवश्य ऐसा होगा।

जब तक वहां भूमि सुधार नहीं होते, तथा वंचितों, पददलितों तथा अल्प सुविधा प्राप्तों को उनकी भूमि नहीं दे दी जाती, वे उन्नति नहीं कर सकते। हमारी भू-व्यवस्थाएं हैं तथा मुख्य भू-व्यवस्थाओं में, भूमि जनजातियों अथवा निर्धनों से दूर चली जाती। कटक, जहां मुख्य न्यायालय स्थित है, से 300 किलो मीटर दूर रहने वाला व्यक्ति, वहां आकर अपने मामले की दलील पेश नहीं कर सकता। विशेष अधिकारी जनजातियों के पक्ष में निर्णय देता है, परन्तु दूसरे लोग उच्च न्यायालय आकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं।

नौवीं योजना में ही एक प्रावधान है। मुझे प्रसन्नता है कि नौवीं योजना के लेखकों ने उन कठिनाईयों पर विचार किया है जिनका सामना जनजातीय लोग कर रहे हैं। नौवीं योजना के उद्देश्य यह दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के भूमि के हस्तांतरण वाली कार्रवाइयों में दीवानी न्यायालयों का भी क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिए था। ऐसा पृष्ठ 39, खण्ड 2 में दिया गया है। न केवल अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, बल्कि अन्य क्षेत्रों की जनजातीय भूमि, जो कि चिन्हित क्षेत्र है, हस्तांतरण को रोकने और उसके प्रत्यावर्तन हेतु विधिक प्रावधान किए जाने होंगे।

अपराह्न 7.00 बजे

सरकार का यही उद्देश्य है जिसे सबके लिए निर्धारित किया गया है, ताकि जैसा मैंने कहा, पददलित अपनी भूमि से वंचित न हों, जो उन्हें अवश्य मिलनी चाहिए। यह सरकार के ध्यान में आया है। यही कारण है कि राष्ट्रपति ने भूमि-सुधारों को आरंभ करने का संकेत किया है। हमने सब्सिडी कम करने पर काफी शोर किया है। कृपया बजट दस्तावेजों का अवलोकन करें जिनमें आप पाएंगे कि कटौती उतना वृहत् नहीं है जितना इसे होना चाहिए। पिछले वर्ष राज सहायता 8,200 करोड़ रुपए थी, तथा पिछले वर्ष से पहले वाले वर्ष में यह 7,568 कराई रुपए थी, तथा इस वर्ष यह लगभग 8,500 करोड़ रुपए है। उर्वरकों पर राज सहायता को कम किया जाना अच्छा है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम के गलत अनुपात के कारण भूमि अपनी उत्पादन क्षमता खो रही है। आपने समाचार पत्रों में अवश्य पढ़ा होगा कि राज सहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध यूरिया के अंधा-धुंध प्रयोग के कारण भूमि की क्षमता में कमी आई है। खाद के लिए जो भी सब्सिडी हम देते हैं, वह उत्पादक को जाता है तथा वह भूमि की जुताई करने वाले को नहीं जाता। क्यों न हम निर्धनों की सहायता करें? हम उत्पादक की सहायता क्यों करें?

जहां तक खाद्य सब्सिडी की संबंध है, विगत वर्ष यह 8,200 करोड़ रुपए था तथा इस वर्ष यह 8,100 करोड़ रुपए होगा मात्र 100 करोड़ रुपए की कटौती है। लक्षित जन वितरण प्रणाली को सुधारा गया है। परन्तु हम इन राज सहायताओं में कटौती पर काफी शोर मचाते हैं। अन्य राज सहायताओं के संबंध में यह 27,929 करोड़ रुपए हैं। यह एक विशाल राशि है। चूंकि हम राज सहायता की भारी रकम प्राप्त कर चुके हैं, हमें वैशाखी पर चलना पड़ेगा। हम खुद के सहारे नहीं चल सकते क्योंकि राज सहायता का स्तर 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऋण स्तर 120,000 करोड़ रुपए का है जबकि राजस्व 205 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में, हम ऋणों का भुगतान तथा ब्याज का भुगतान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें ब्याज अथवा मूलधन के भुगतान हेतु अन्य

[श्री अनादि साहू]

लोगों से धन प्राप्त करने के लिए भीख मांगने वाले कटोरे के साथ निकलना पड़ेगा। इसीलिए इस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमें अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहिए तथा विश्व को यह बताना चाहिए कि हम एक स्वाभिमानी राष्ट्र हैं। भारतीय बनें एवं स्वाभिमानी भारतीय बने। यह इस सरकार का आदर्श वाक्य है। यह इस देश में रहने वाले सभी लोगों का आदर्श वाक्य होना चाहिए। कमर कसने तथा विभिन्न स्तरों पर राज्य सहायता में कटौती करके हम काफी प्रगति कर सकते हैं।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के परिच्छेद 24 का संदर्भ देता हूं। यह सीधा मुझसे और मेरे राज्य से संबंध है। केन्द्र सरकार ने हमारे राज्य की काफी सहायता की है। परन्तु यह बहुत उदार सहायता नहीं थी। मैं सरकार से उदार होने की विनती करता हूं। हमने काफी झेला है। हमारा आधार-स्तम्भ ढह चुका है। जब तक केन्द्र सरकार की ओर से उदारता नहीं बरती जाती, हम अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो सकते। सरकार इसे किसी भी संभव तरीके से करके, परन्तु हमें फिर से व्यवस्थित करने में सहायता ... करे। के बी के का मामला लें। पांच वर्षों में क्रियान्वित की 6,200 रुपए लागत की परियोजना की घोषणा करने पर प्रधानमंत्री का मैं कृतज्ञ हूं। अक्तूबर, 1999 के विनाशकारी चक्रवात ने अर्थव्यवस्था को अशक्त कर दिया है। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। आपने देखा होगा केवल जगतसिंहपुर जिले में 25,000 व्यक्ति मरे हैं। हमारे पास यह दिखाने के लिए कोई आंकड़ा नहीं है कि कुपोषण, गरीबी, अभाव तथा उपेक्षा के कारण कितने लोग मर रहे हैं। बच्चे बड़ी संख्या में मर रहे हैं। अब, मेरी मुख्य चिंता उनके जीवन को अर्थ-पूर्ण बनाने की है, खासकर मछुआरों की, जिससे कि वे इस सदमें से उबर सकें। सदमा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने काफी झेला है। अतः इस सदमें से ऊबरना है तथा इन कठिनाईयों से निपटने में हमारी सहायता में भारत सरकार को बेहतर तरीके से सामने आना है।

कारगिल के बाद जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अन्य समस्या है। हम देखते रहे हैं कि हमारी अर्द्ध-सैनिक बलों था जम्मू-कश्मीर तथा देश के अन्य क्षेत्रों के पुलिस बलों की मारक क्षमता पर्याप्त नहीं है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में आतंकवादियों तथा वाम उग्रवादियों के पास बेहतर संचार प्रणाली, बेहतर मारक क्षमता है। यद्यपि, पिछले वर्ष हमारी अतिरिक्त सतर्कता के कारण तथा विभिन्न व्यक्तियों की सहनशीलता के कारण हम शांतिपूर्वक रहे। कहीं भी ज्यादा साम्प्रदायिक तनाव नहीं था परन्तु फिर भी वाम उग्रवादी तथा आतंकवादी पूर्वोत्तर में यदा कदा कहीं-कहीं तबाही मचाते रहे हैं। यही समय है कि अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों को उपयुक्त आधुनिकीकृत तथा सुसज्जित किया जाए। इसमें सरकार का भी ध्यान आकृष्ट हुआ है। इस वर्ष के राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह संकेत दिया गया है। आप परिच्छेद 30 से सम्पूर्ण विधि-व्यवस्था तथा असामाजिक तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु उठाए जा रहे उपायों को पाएंगे। वे लोग, जिन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक ही आई.एस.आई. एजेंट कहा गया है – कल तीव्र उत्तेजना थी, उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस देश में आई.एस.आई. एजेंट हैं। बाजार में जाली मुद्रा कैसे जा रही है? आसूचना को कैसे संप्रेषित तथा एकत्रित किया जा रहा है? अतः हमें कुछ लोगों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को ध्यान में रखना है। इसके लिए हमें पुलिस बल को मजबूत प्रभावी तथा कार्यकुशल बनाना है। हो सकता है, छुट पुट पथभ्रष्टता हो। पथभ्रष्टता हो सकती है, कोई शक नहीं, परन्तु हमें इधर-उधर थोड़ी पथभ्रष्टता को सहना है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। कृपया अनुच्छेद 47 का अवलोकन करें जिसमें यह बताया गया है कि "हमारे सभी विकासात्मक प्रयासों का केन्द्र बिन्दु निर्धन ही हैं। इसके प्रति सरकार संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित मेरे अंतिम अभिभाषण में रेखांकित सामाजिक एवं आर्थिक कार्यसूची के कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है।" माननीय राष्ट्रपति ने वर्ष 1999 तथा वर्ष 2000 के दोनों अभिभाषणों को मिला दिया है। यह क्या है? यह कहता है, "अपने सामाजिक एवं आर्थिक कार्यसूची के कार्यान्वयन हेतु वचनबद्ध है।" मैं अपना भाषण ऋग्वेद के उद्धरण के साथ समाप्त करूंगा। जहां तक इस मामले का संबंध है, ऋग्वेद का अंतिम सुक्त तथा अंतिम ऋचा बहुत ही प्रासंगिक है। जब मैं इस बात को रखने का प्रयास करूं, कृपया यह बात ध्यान में रखें कि ऋग्वेद का श्लोक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है। यह धार्मिक नहीं है। यह स्वाभिमानी भारतीयों को एकजुट रखने का एक नीतिपरक तरीका है। इसमें कुछ भी धार्मिक नहीं है। अंतिम ऋचा कहती है:

समानो मंत्रः समितिः समानी।

समानी व आकूतिः सह चित्तमेषाम्।

सायं 7.09 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं]

यदि आप ऋचा का दूसरा भाग देखना चाहें तो कृपया कमरा सं. 62 में जाएं। वहां सारी बातें लिखीं हुई हैं। यह क्या सूचित करता है? यह बताया है-समानो मंत्रः हमारी प्रार्थना समान होनी चाहिए। हमारा प्रार्थना उदारती की अपेक्षा करते हुए, सहायता मांगते हुए, सांसारिक लाभ अथवा कुछ भी मांगते हुए समान होना चाहिए। समितिः समानी-जब आप इस सभा की तरह एकजुट होते

हैं आपका अभिगमन समान होना चाहिए। समानी व आकूतिः – हमारी प्रार्थना समान होनी चाहिए। हमें अपने अभिधानों पर विभाजित नहीं होना चाहिए। अंतिम है, सह चित्तभेषाम – हमारा मस्तिष्क भी समान होना चाहिए। हमें एक बेहतर भारत के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, भले ही हम सरकार के उस तरफ हों या इस तरफ।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, बी.जे.पी. के नेतृत्व में जो एन.डी.ए. की सरकार चल रही है, इस सरकार के कार्यों का जिक्र किया गया है। इनमें संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जायेंगी, निर्धन और शोषित वर्ग में आर्थिक सुधार को और महत्व दिया जायेगा, मुख्य हवाई अड्डों को लम्बे समय तक लीज़ पर दिया जायेगा, गैर-योजना खर्चे में वृद्धि रोकने के उपाय, आतंकवाद से ग्रस्त पूर्वांचल राज्यों को मदद, कारगिल मामले में सुब्रह्मण्यम समिति की रिपोर्ट की जांच के बाद उसके अनुसार उपाय होंगे और महिलाओं के हित में भी बातें कही गई हैं। मैं इन मुद्दों के विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, सरकार की तरफ से अभिभाषण में कहा गया है कि निर्धन और शोषित वर्ग के आर्थिक सुधार को और महत्व दिया जायेगा। यह बात सरकार ने उनके आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर कही है लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि इन वर्गों के आर्थिक सुधार के लिये सरकार कौन से कदम उठायेगी। सरकार के पास ऐसी कौन सी योजनायें हैं जिनको इंपलीमेंट करने के लिये सरकार कैसे सक्रिय रहेगी, इस बात का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। मैंने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पूरा पढ़ा है। इसमें सरकार की ओर से कहीं भी कमजोर वर्गों के लोगों-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर कोई ठोस बात उनके हित में नहीं कही गई है। खासकर यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दे को ही लिया जाये तो पूरे अभिभाषण में कहीं भी उनके आरक्षण के मुद्दे को टच नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, उसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पिछले वर्ष के आखिर में पांच दिसम्बर से लेकर सात दिसम्बर तक अनुसूचित जाति और जनजाति के एम.पीज. का तीन दिन का एक सम्मेलन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए था, पार्लियमेंट हाउस एनेक्सी में बुलाया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया था। उस मौके पर प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि यह सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा। आप एस.सी., एस.टीज. के एम.पीज. अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए क्या चाहते हैं, आप अपने सुझाव दें, उन सुझावों पर सरकार गंभीरता से सोच-विचार करेगी। पांच दिसम्बर को जब माननीय प्रधान मंत्री जी उद्घाटन भाषण दे रहे थे तो मैंने उसी मौके पर उन्हें बीच में टोकते हुए कहा था कि आप यह भी बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कुछ मुद्दों को लेकर आपने जो आश्वासन दिये हैं, उन आश्वासनों को आप कब तक पूरा करेंगे। उसके लिए आपका क्या टाइम बाउंड प्रोग्राम है, आप इसका भी खुलासा कर दे। उस मौके पर माननीय प्रधान मंत्री जी मेरी बात को टाल गये। पांच दिसम्बर से सात सितम्बर तीन दिन तक यह अधिवेशन चला, लेकिन आखिरी दिन सरकार ने यह कहा कि तीन दिन तक यह अधिवेशन चला है और अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए विभिन्न दलों के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो एम.पीज. यहां मौजूद हैं, जिन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए अपने विचार रखे हैं। उन्हें सरकार के सामने रखने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया जाए और वह ड्राफ्ट कमेटी इनका ड्राफ्ट बनाकर सरकार के पास भेजे। सात दिसम्बर को जिस ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था, उसमें विभिन्न दलों के एस.सी. और एस.टी. के एम.पीज. को लिया गया था। उसमें सात-आठ एम.पीज. थे, जिनमें मुझे भी शामिल किया गया था। तीन दिन तक यह सम्मेलन चला, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए विभिन्न पार्टियों के शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित मैम्बर पार्लियामेंट ने जो अपने सुझाव दिये, उन सुझावों को ड्राफ्ट में लिखा गया और वह ड्राफ्ट सरकार को दिया गया। उस पर सरकार ने सात दिसम्बर को यह आश्वासन दिया था कि जो ड्राफ्ट दिया गया है, उस पर सरकार जल्दी ही सोच-विचार करेगी और इनके विकास के बारे में सोचेगी। उसके बाद क्या हुआ, 22 दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में यह घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार की नौकरियों में एस.सीज. और एस.टीज. के कर्मचारियों के लिए प्रोमोशन में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया है और इसके लिए संविधान में संशोधन विधेयक की भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और यह विधेयक हम बहुत जल्दी पार्लियामेंट में लाने वाले हैं। यह बात माननीय प्रधान मंत्री जी ने 22 दिसम्बर को लोक सभा में कही थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पांच दिसम्बर से सात दिसम्बर तक जो अधिवेशन सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए एस.सी. और एस.टीज. एम.पीज. की राय जानने के लिए बुलाया गया और 22 दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी ने

[कुमारी मायावती]

लोक सभा में जो घोषणा की थी, उन सारी बातों का जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इस सत्र में भी जो अभी तक बिजनेस लिस्ट हमारे पास आई है, उसमें भी इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। एक तरफ कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले के मैदान से दलित संगम के नाम से एक महारैली बुलाकर इन बातों की घोषणा की लेकिन दूसरी ओर सत्र के कार्य में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के मामले में गंभीर नहीं है, आरक्षण के मामले पर गंभीर नहीं है। वह केवल कागजी कार्रवाई पूरी करना चाहती है। व्यवहार में अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजातियों का विकास सरकार नहीं चाहती है। आरक्षण के मामले पर प्रमोशन की जो पुरानी स्थिति थी, उसको बहाल नहीं करना चाहती है। इसके साथ-साथ जो बैकवर्ड क्लास है या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके उत्थान के मामले में भी सरकार मुझे गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त जब हम किसानों की बात करते हैं तो इस देश का किसान चाहे वह किसी भी राज्य का हो, वह हमें हर मामले में दुखी नज़र आता है क्योंकि सरकार की ओर से खेती करने के लिए जो साधन मुहैया कराने चाहिए, वे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जब उनकी फसल पककर तैयार होती है तो सरकार सस्ते दामों में उसको खरीदती है। साधन महंगे देती है और फसल सस्ते दामों पर खरीदती है जिससे किसान देश के बहुत से हिस्सों में दुखी होकर आत्महत्याएं भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी किसानों की स्थिति खराब है, खास तौर से गन्ना किसानों की और आलू उत्पादकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन मुद्दों के साथ-साथ चुनाव सुधार के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। आपको मालूम है कि राज्य सभा के अभी इलेक्शन हुए तो उसमें पैसा पानी की तरह बहाया गया और विभिन्न पार्टियों के एम.एल.ए. को खरीदा गया। यह राज्य सभा का हाल है, लेकिन जब लोक सभा और विधान सभा के लिए चुनाव होता है उसमें भी मनी, मीडिया और माफिया का बहुत दुरुपयोग होता है। उससे जो गरीब और दलित तथा कमजोर वर्ग के लोग हैं वह अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस देश में हम जिन दलितों, पिछड़ों और अकलियतों की बात करते हैं, उनकी आबादी लगभग 85 प्रतिशत है, लेकिन वे अपना वोट जब ढंग से नहीं डाल पाते हैं तो गलत लोग चुनकर आते हैं और कहा जाता है कि मुट्ठी भर माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों के पास बहुमत है। यदि चुनाव सुधार हो जाएं और केन्द्र सरकार चुनाव सुधार के मामले में गंभीर है तो उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर चुनाव सुधार लाने चाहिए। मैं दावे से कहती हूं कि फिर इस देश में चाहे वह केन्द्र सरकार हो या प्रदेशों की सरकारें हों, फिर केन्द्र और राज्यों में मुट्ठी भर लोगों की सरकारें नजर नहीं आएंगी। फिर बहुजन समाज के लोगों की सरकार नजर आएगी जिनके पास वोट बहुत ज्यादा हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संविधान की समीक्षा के बारे में मैंने जीरो ऑवर में बहुत कुछ बोल दिया है लेकिन नटशैल में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगी कि भारतीय संविधान में जब अमैंडमैंट की व्यवस्था है तो भारतीय संविधान की समीक्षा क्यों? इसके पीछे हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आती है। भारतीय संविधान की समीक्षा की आड़ में बी.जे.पी. की सरकार अपने गुप्त एजेंडे को लागू कराना चाहती है। इसे बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने अपने कार्यों का जिक्र किया है, इन कार्यों में गरीब और मजलूमों की उपेक्षा हुई है खासतौर से वीकर सैक्शन के जो लोग हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। इसी के साथ भारतीय संविधान की समीक्षा का जो जिक्र किया गया है, तो यह मामला भी काफी गंभीर है। मैं समझती हूं कि ओपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन बी.जे.पी. के जो सहयोगी दल हैं, उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है।

मैं एक बात और आपकी इजाजत से कहना चाहूंगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के बारे में जरूर जिक्र किया गया है। अभिभाषण के पेज नम्बर छः के पैरा नम्बर 15 में कहा गया है कि महिलाओं की आबादी देश में आधी है और महिलाओं के अधिकारों के बारे में सरकार गंभीर है, लेकिन पिछले सत्र के दौरान महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 'कि लोक सभा और विधान सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए', उस मौके पर हमने सरकार को लोक सभा में और ऑल पार्टीज मीटिंग में कहा था कि हम महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हमने सरकार से कहा कि आप 33 प्रतिशत आरक्षण की बात करते हैं, हम उसके फेवर में हैं लेकिन यदि आप 33 प्रतिशत से बढ़ा कर जब आप महिलाओं की आधी आबादी का जिक्र करते हैं तो हम चाहेंगे कि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती है तो उन महिलाओं के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए जो अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित हैं जिसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग आते हैं। जिनकी महिलायें सामाजिक, आर्थिक और राजनीकि क्षेत्र से पिछड़ी हुई हैं, ऐसी महिलाओं को यदि राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा देना है तो

महिला रिजर्वेशन बिल में इनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था होना चाहिए।

मैंने आपके माध्यम से जिन बिंदुओं, मुद्दों की तरफ खासकर वीकर सैक्शन के हित को ध्यान में रख कर, आरक्षण के मामले में, महिला आरक्षण के मामले में, बहुजन समाज की महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है, उन पर सरकार जरूर सोच विचार करने की कोशिश करेगी।

इसके साथ-साथ आपने कहा कि हम गरीब लोगों का भी ध्यान रखेंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम गरीबों का ध्यान रखेंगे, उनके उत्थान के बारे में सोचेंगे लेकिन दूसरी तरफ जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो गरीब और अमीर व्यक्ति दोनों के लिए जरूरी है, उनकी कीमतें बढ़ा रही है। जैसे गेहूं, चावल, गैस और मिट्टी का तेल है। आप आज भी इंटीरियर में चले जायें जहां बिजली नहीं है वहां मिट्टी के तेल से गरीब लोग अपने घरों में रोशनी करते हैं। यदि मिट्टी के तेल, रसोई गैस आदि आवश्यक वस्तुओं पर कीमतें बढ़ाई जायेंगी तो इससे निर्धन और निर्धन होते चले जायेंगे। उनका जीना दुर्लभ हो जायेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको केवल खोखली बात नहीं कहनी चाहिए बल्कि बात में कुछ दम होना चाहिए। यदि सही मायने में आपकी नीयत साफ है और आप इस देश में गरीब, कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों का हित चाहते हैं तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आपने जो वृद्धि की है, उसको आप वापिस लें। इसी तरह मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कीमतों में आपने वृद्धि की है, उसको भी आप वापिस लें अन्यथा आपका हाल बुरा होगा। आपको मालूम है जब आपने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई थीं तो दो राज्यों में अपनी सरकार खोनी पड़ी। दिल्ली और राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मूल्य वृद्धि के कारण उसे अपनी सरकार खोनी पड़ी। यदि आपने कीमतें वापिस नहीं लीं तो मुझे नहीं लगता कि आप केन्द्र में ज्यादा दिन बैठ पाएंगे। आपको दिल्ली और राजस्थान की तरह केन्द्र से भी बाहर जाना होगा। इसलिए आप जो कहते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। आपने आतंकवाद, देश की सुरक्षा, लॉ एंड आर्डर को ध्यान में रख कर बातें बहुत कहीं हैं लेकिन यदि उस पर इम्प्लीमैंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार की राजनीति का प्रदर्शन होता है। एन.डी.ए. की सरकार के कॉमन एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति जी ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं। मैं उनके कई मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

जो प्रादेशिक समतल की बात रखी गई है, इससे पहले भी जो सरकारें आई, उन्होंने भी यह बात रखी, आज भी यह बात आई है और कल भी आने वाली है। लेकिन आज तक प्रादेशिक समतल निर्माण नहीं हुआ, यह दुखद बात है। मैं जिस इलाके से चुनकर आया हूं, आजादी के 52 साल के बाद भी हम देखते हैं कि मूलभूत चीजें जैसे पीने का पानी, खेती के लिए पानी, आने-जाने के लिए रास्ते, स्कूल के बच्चों के लिए पाठशाला आदि भी बहुत से प्रदेशों में उपलब्ध नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए जब तक हम एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक उस हिसाब से राशि आवंटित नहीं करेंगे तब तक रीजनल बैलेंस की बात नहीं होगी, वह सिर्फ पेपर में ही रहेगी।

पिछड़े वर्ग, जनजाति के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई जाती हैं, बनाई गई हैं। लेकिन जो योजनाएं केन्द्र से बनाई जाती हैं, राज्य सरकार को जिस योजना के लिए राशि भेजी जाती है, वह उस योजना में खर्च नहीं होती। आज सुबह सवाल-जवाब के समय मानव संसाधन मंत्री के उत्तर से हमने जाना कि हम कोई ऐकाउंटेबिलिटी नहीं रखते, कोई मौनीटरिंग नहीं करते। इसलिए पिछड़े और जनजाति के लोगों के लिए जो योजना बनाई जाती है, वह पेपर में ही रहती है। इसके लिए ठोस पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ऐकाउंटेबिलिटी रखने की जरूरत है तभी हम पिछड़ों और जनजाति के लोगों का विकास कर पाएंगे।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से में कहा है-हमारे सभी विकासात्मक प्रयासों का केन्द्र निर्धन हैं। एक तरफ हम ऐसा कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ पी.डी.एस. के माध्यम से जो अनाज देते हैं, उसकी सब्सिडी निकाल कर कीमतें बढ़ाते हैं। यह कंट्रोवर्शियल लगता है। एक तरफ उनके विकास की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ अनाज महंगा कर देते हैं। यह राजनीति मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि विपक्ष वाले सभी लोग यह मुद्दा उठाकर हंगामा करते हैं, लेकिन विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बनी हुई महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी शुरूआत की और केन्द्र से भी पहले पी.डी.एस. के माध्यम से जो अनाज दिया जाता है, उसकी कीमतें बढ़ाई। चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजीशन पार्टी हो, वही बातें करते हैं। गरीब की बातें करते हैं, गरीब के विकास की बातें करती हैं, लेकिन जब अमल करने की बात होती है तो वही काम करते हैं। यहां हंगामा करते हैं, लेकिन वहां जो हमारी सरकार है, वहां हम क्या करते हैं, वह कभी सोचते नहीं, कभी बोलते नहीं। हम खाली राजनीति खेलते हैं, गरीब के लिए काम नहीं करते, यह मेरा विचार है।

[श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल]

मैं यहां एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। अगर हमको रूरल डवलपमेंट सही तौर पर करना है तो कोआपरेटिव मूवमेंट हमको डवलप करना होगा। हमें महाराष्ट्र का जो एक प्रैक्टीकल एक्सपीरियंस है, वहां का जो वैस्टर्न एरिया है, उस वैस्टर्न एरिया में अगर हम जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि कोआपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से डवलपमेंट कैसे होता है, बेरोजगारी कैसे मिटाई जाती है। एक शुगर फैक्टरी अगर कोआपरेटिव बेसिस पर खड़ी होती है तो क्या हो जाता है, खाली शुगर फैक्टरी ही नहीं होती, वहां अपने आप एल्कोहल फैक्टरी आती है, उसके साथ पेपर इंडस्ट्री आती है, जो एलाइड इंडस्ट्रीज बोली जाती हैं, वे आती हैं और उनके माध्यम से बेरोजगारी को हटाने में मदद मिलती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी तरफ किसान को गन्ने का अच्छा दाम मिलता है। तीसरी तरफ हम यह पाते हैं कि वह जनतंत्र की शिक्षा मिलती है। कोआपरेटिव मूवमेंट अगर हमें डवलप करना है तो हर एरिया में जो अनाज अच्छा पैदा होता है, वहां अगर उस अनाज को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्री कोआपरेटिव बेसिस पर बनाई जाये तो वह एरिया अपने आप डवलप हो जाता है, उससे रूरल [illegible]मेंट अपने आप हो जाता है। ...*(व्यवधान)* मैं आखिरी [illegible]ना चाहता हूं। मैं जूनियर सदस्य हूं, बहुत से सीनियर सदस्य चाहे जितना बोलते हैं और हम यदि आते हैं, बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आप दो मिनट के अन्दर बैल बजाती हैं। यह ठीक बात नहीं है। मैं अपने दल से अकेला बोलने वाला हूं। आप सब के ध्यान में आया होगा कि जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण चालू था तो हम सभी शिवसेना के सांसदों ने राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, इस मुद्दे के ऊपर कि अगर हमारे देश में एक स्मगलर राष्ट्रद्रोही, गुनहगार केवल मतदान ही नहीं करता, बल्कि चुनाव में खड़ा होता है, लेकिन हमारे जो माननीय शिवसेना प्रमुख और राष्ट्रप्रेमी हैं, हिन्दुत्व ही राष्ट्रत्व है, यह भावना जताते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, उनके मतदान का अधिकार छीना गया है तो सदन के माध्यम से मैं राष्ट्रपति जी से अपील करता हूं कि उनके मतदान का अधिकार सम्मानित करें।

इसके साथ मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): बालासाहेब ठाकरेजी को यह सम्मान मिलना ही चाहिए। यहां राष्ट्रद्रोहियों को मतदान का अधिकार मिलता है, लेकिन हमारे बालासाहेब ठाकरे जी को नहीं मिलता। कारगिल में जो लोग घुस रहे हैं, अगर उनको हमारे जवान नहीं मारते तो उन्हें भी मतदान का अधिकार प्राप्त होता। जिन्हें फांसी की सजा होती है, राष्ट्रपति जी उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमारे बालासाहेब ठाकरे जी ने क्या गुनाह किया है। मैं अपनी सरकार से, राष्ट्रपति जी से विनती करता हूं कि उनको मतदान का अधिकार वापस मिलना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर बहस चल रही है। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जी का भाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का विवरण है। मतलब आगे एक साल तक सरकार की नीति और कार्यक्रम क्या होगा, इसकी झलक राष्ट्रपति जी के मुंह से सरकार कहलाती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम लोगों ने सोचा था कि जो देश की समस्याएं हैं, उनके समाधान की तरफ कुछ झलक मिलेगी। सेंट्रल हाल की मीटिंग का आप जिक्र कर रही थीं। सेंट्रल हाल में राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी एक ही मंच पर थे और दो तरह का भाषण हुआ था। राष्ट्रपति जी ने सही कहा था कि संविधान में कोई खोट नहीं है। संविधान को लागू करने में त्रुटि है, इससे देश की जनआकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकी और देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। उसी जगह ये कहते हैं कि हम समीक्षा करेंगे इसीलिए संशोधन के लिए आयोग बिठाया है। संशोधन का प्रावधान तो पहले से ही है। लेकिन इन्होंने संविधान समीक्षा आयोग के प्रति देश भर में आशंका उत्पन्न करने का काम किया है। यह संसद सर्वोच्च संस्था है। मैं यहां तीन मिसाल देना चाहता हूं कि कैसे संसद को इन्होंने इग्नोर करने की, बाईपास करने की कोशिश की है। पहली तो यह है कि संसद को आपने विश्वास में क्यों नहीं लिया, सरकार को अलग से आयोग बनाकर संविधान समीक्षा करना ठीक है या नहीं, यह तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि जब नाचना नहीं आया तो कह दिया कि आंगन टेढ़ा है।

ये कहते हैं कि संविधान की समीक्षा करके उसे ठीक करेंगे। इससे देश भर में गहरी आशंका लोगों के मन में हो सकती है कि यह सरकार संविधान समीक्षा के नाम पर संविधान का भगवाकरण करना चाहती है। अभी एक माननीय सदस्य हिन्दुत्व की बात अपने भाषण में कर रहे थे, अब वे चले गए हैं। आर.एस.एस. के तीन सूत्र हैं, शायद आर.एस.एस. के चौधरियों को भी पता नहीं होगा। ...*(व्यवधान)* हिन्दुत्व राष्ट्र अगर हो गया तो क्या देश बचेगा. इसलिए इनसे देश को खतरा है। खतरा नम्बर दो यह है कि ये कहते हैं राष्ट्र ध्वज-भगवाध्वज हो। तीसरा खतरा यह है कि ये कहते हैं कि शासन एक सूत्र से संचालित होगा। लोकतंत्र में समूह से नहीं, एक से शासन चलेगा, यानी यह फांसीवाद का उदाहरण है। इसलिए संसद को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। सवाल उठा कि संसद में साल भर आगे क्या करेंगे, तो इनकी कथनी और करनी पर ध्यान देना चाहिए। देश में आज सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है। सन् 1991 की जनगणना के हिसाब से 34-35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। छः करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। अब यह संख्या बढ़कर सात करोड़ परिवार की हो गई है। गरीबों की आबादी वैसे भी ज्यादा बढ़ती है। इसलिए एक करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो गए। इनके लिए जो सहूलियतें दी गई, वे इनको नहीं मिली। मैं चुनौती देता हूं, इन्होंने

गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि गरीबों पर जुल्म बढ़ाने का काम किया है और खर्चा बढ़ाने का काम किया। यह भी सुनने में आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते पीडीएस को खत्म करने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी के प्रो. अरुण कुमार ने एक किताब लिखी है, जिसमें कहा गया है कि देश को सुदृढ़ करने के लिए कोई नीति अख्तियार नहीं की गई है। साढ़े चार लाख करोड़ रुपए काले धन पर कोई नियंत्रण नहीं है और साढ़े आठ लाख करोड़ रुपाय कर्जा है और एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपए का फिसकल डैफिशिट है। इतना होने पर भी कहा जा रहा है कि हम आर्थिक सुधार करना चाहते हैं। आर्थिक सुधार करने के लिए इन्होंने गरीबों पर खर्च बढ़ाया, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को काटा, पीडीएस में कीमतें बढ़ाई, मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाई, लेकिन अमीर लोगों की पूंजी पर कोई हमला नहीं किया। इस तरह से आप आर्थिक सुधार करने चले हैं, कौन से अर्थशास्त्र से आप देश को चलाना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं है। इन्होंने कहा था-करनी करे पाताल लोक की, कथनी कथ्य हिमालय की। इन्होंने शुरू में कहा था कि हम दस बरस में अनाज का उत्पादन दोगुना कर देंगे। सौ फीसदी वृद्धि कर देंगे। इस मतलब, एक वर्ष में दस प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि कर देंगे, जबकि उसका उल्टा हो रहा है और एक वर्ष में 40 लाख टन अनाज की कमी हुई है। कहां तो एक वर्ष में दस प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक साल में 40 लाख टन उत्पादन घट गया। इकोनोमिक सर्वे

सायं 7.49 बजे

*[**श्री पी.एच. पांडियन** पीठासीन हुए]*

में इसका कोई जिक्र नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): बिहार के मामले में खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार अनाज के मामले में आत्म-निर्भर है। इस सरकार की नीतियों की वजह से पंजाब और हरियाणा के किसान तो त्रस्त हैं ही और बिहार के पहले से ही त्रस्त हैं।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 58 हजार करोड़ रुपया नान-फार्मल एसैट है और बैंक से जो कर्जा लिया गया, वह डूब गया और तीस हजार करोड़ रुपया सीआईआई के जो सदस्य हैं, उनके यहां है। सीआईआई वाले फाइनेंस मिनिस्टर के खास मित्र हैं। ...*(व्यवधान)* उनकी आपस में बातचीत होती रहती है। 30,000 करोड़ रुपए वापस आ जाए, हमारा फिजिकल डेफिसिट घटे, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। आपने कौन सी कार्यवाही की है, गरीबों पर खर्चा बढ़ाया, यह तो प्रत्यक्ष है। लेकिन सीआईआई, जो पूंजीपति हैं, उसे आपने बढ़ावा देने का काम किया। उस पर आपने कोई हमला नहीं किया। आपने सेलुलर के दाम, कम्प्युटर के दाम घटाए, जिनको अमीर लोग इस्तेमाल करेंगे उनके दाम घटेंगे और जिन चीजों को गरीब व्यक्ति इस्तेमाल करेगा उनके दाम बढ़ेंगे, यह सरकार की नीति है। इससे आप सहमत हैं। इससे देश पर खतरा आने वाला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह जो विश्व व्यापार संगठन वाला है, इसकी 1 अप्रैल, 2000 को हम लोगों को जानकारी हुई कि 714 सामान विदेश से आ जाएगा। पहले उस पर नियंत्रण था, उस पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था थी लेकिन अब खुला छोड़ दिया गया, चाहे जितना सामान आए और कौन सा सामान आएगा, जो देश में उपलब्ध है-आटा, परमल, भिंडी, हिन्दुस्तान में जो सब्जियां पैदा होती हैं वे आएंगी। दूध का पाउडर आदि विदेश से आएगा और हिन्दुस्तान डम्पिंग ग्राउंड बन जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आपने ज्यादा समय ले लिया है। कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जब प्रैस वालों ने पूछा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में हम लोग मामला हार गए हैं, इसलिए 714 में घबरा रहे हैं। 2001 में 715 सामान का भी खुला दरवाजा कर दिया जाएगा, मतलब-खुले आम विदेश से सामान आएगा, तब किसान का क्या हाल होगा। यहां के लघु उद्योग का क्या हाल होगा, विदेश का हिन्दुस्तान का एक

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

बाजार हो जाएगा। जब सीमा पर लड़ाई होती है तो हमारे देश के लोग बलिदान होते हैं। हमारे गांव और हिन्दुस्तान की जनता उठ खड़ी होती है, लेकिन यहां कौन लड़े। आप हार गए और 714 सामान की खुलेआम इजाजत दे दी और अगले साल 715 सामान की इजाजत दे दी जाएगी। विश्व व्यापार संगठन में कहेंगे कि हम हार गए और पार्लियामेंट को जानकारी नहीं है। पार्लियामेंट को जानकारी क्यों नहीं है। हमारा पहला आरोप संविधान समीक्षा वाले मुद्दे पर था। नम्बर दो विश्व व्यापार संगठन के मामले में पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लिया गया। हम लोगों को प्रैस से पता चला कि हम लोग मामला हार गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आपको 6 मिनट का समय दिया गया है परन्तु आप 13 मिनट ले चुके हैं। कृपया अब समाप्त करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, देश नीचे जा रहा है, बिकने का खतरा है तो हम क्या करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः क्या मैं अन्य सदस्यों को बुला सकता हूँ। कृपया अब समाप्त करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

हमने सुना कि बासमती चावल, हल्दी, तुलसी, जो यहां की जड़ी-बूटियां थीं, उन सब में पेटेंट में अमेरिका की किसी कम्पनी से लिखा-पढ़ी कर दी। अब इस देश के हिन्दुस्तान का क्या होगा। हमें चिन्ता है कि ये अंतरराष्ट्रीय मामले कहां-कहां, क्या-क्या दस्तखत कर रहे हैं, लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। गांव में हमसे लोग पूछेंगे कि आप वहां पार्लियामेंट में बैठे थे और हिन्दुस्तान डम्पिंग ग्राउंड बन गया। मल्टीनेशनल के हितों का संरक्षण यहां पर होगा। ये सब आर्थिक मामले में और पार्लियामेंट को इग्नौर करने का, नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मायावती जी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों पर भाषण कर रही थीं। अनुसूचित जाति और जनजाति के ये लोग दुश्मन हैं, उनका कल्याण इनसे होने वाला नहीं है। एक दिखावटी दलित सम्मेलन अभी हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपने नौ मिनट ज्यादा लिया है। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः सरकार की नीति गरीब विरोधी है और इनके राज में पूंजीपतियों की पौ-बारह है। इनकी नीतियां जन-विरोधी हैं, इसलिए आर्थिक मामला नीचे जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमें अपेक्षा थी कि ये देश की समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति लायेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उनकी पार्टी के पास मात्र छह मिनट का समय है। महोदय, आप उन्हें पाँच मिनट ज्यादा दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः जी नहीं, उन्होंने नौ मिनट ज्यादा लिया है। माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब, श्री आदि शंकर अपना भाषण आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः हम सभी, सारे विपक्षी दल मूल्यवृद्धि के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन चलाएंगे और इनको अक्ल सिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): अध्यक्ष महोदय एवं संसद के आदरणीय सदस्यगण, मैं सदन को अपने देश द्वारा अर्जित की गई कुछ उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका वर्णन इस सहस्त्राब्दि में 23 तारीख को आयोजित संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण में है।

श्री मदन लाल खुराना द्वारा लाए प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों पर एक विशिष्ट भाषण है। इस महान देश में प्रजातंत्र के बेहतर रूप से कार्य करने हेतु संघवाद की संकल्पना को स्वीकार किया जाना चाहिए। संविधान की समीक्षा किये जाने की बहुत आवश्यकता है। संविधान जब से लागू हुआ, 90 संशोधन किये जा चुके हैं। अतः संविधान की समीक्षा करने में कोई हानि नहीं है।

विभिन्न परम्पराओं, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न भाषाओं तथा विभिन्न विविधताओं वाले एक अरब लोगों के बावजूद हमारे देश ने कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। मुझे गर्व होता है कि हमारे देश ने आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने के लिए कई सुधार किया है, जिसे मजबूत तथा अधिक प्रतियोगी उद्योगों तथा वित्तीय प्रणाली का भी नेतृत्व करना है।

महोदय, हमारे राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि आर्थिक सुधार में कृषि, उद्योग, लोक उपक्रम, वित्तीय समेकन, कर सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं विदेशी निवेश नीतियाँ शामिल हैं। वे प्रमुखतः अवसंरचनात्मक क्षेत्र नामतः विद्युत, सड़क, रेलवे, पत्तन, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार तथा पेट्रोलियम के निष्पादन में वृद्धि करने हेतु नीतियों को भी शामिल करेंगी।

महोदय, मैं, सरकार के अभी तक सुविधाहीन रहे क्षेत्रों तथा समुदायों में आर्थिक सुधारों के प्रभाव को लाने के ठोस एवं सटीक प्रयासों से गर्वित हूँ।

महोदय, यह व्यक्त करते हुए गर्वित हूँ कि आने वाले बेहतर कल के लिए सरकार बच्चों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन शीघ्र ही करेगी, तथा खेल-कूद तथा युवा मामलों के विद्यमान कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी।

हमारे राष्ट्रपति जी कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान् चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 से 14 वर्ष की उम्र का प्रत्येक बच्चा सन 2003 तक स्कूल, किसी शिक्षा गारंटी केन्द्र या स्कूल कैम्प जा सके।

यहां, मैं इस महिमामयी सदन को यह सूचित करना चाहूँगा कि तमिलनाडु सरकार हमारे महान नेता डा. कलाइनार करुणानिधि के नेतृत्व में प्लस टू (बारहवीं) तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। तमिलनाडु विधान सभा में, हमारे थलपति, युवा शाखा नेता, श्री स्टालिन ने निःशुल्क बस पास जारी करने की योजना के प्रश्न को उठाया था। इस प्रार्थना को सुनने के बाद तमिलनाडु सरकार ने उन विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए निःशुल्क बस पास योजना की घोषणा की।

हमारे राष्ट्रपति ने भी सरकार की उपलब्धियों और इसकी राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यसूची को इस वर्ष की 17 सूत्री मध्यावधि आर्थिक कार्यसूची में शामिल करने को कहा है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि अंतरराज्यीय परिषद पुनर्गठन से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर संबंधों के लिए प्रभावी मंच तैयार होगा। हम, महान नेता डा. कलाइनार करुणानिधि के नेतृत्व में तमिलनाडू सरकार तथा द्र.मु.क. केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों के लिए अभियान चलाने वाले प्रणेता हैं।

सायं 8.00 बजे

हम यह मांग करते रहे हैं कि आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इस देश की राजभाषा बनाया जाए। राजग ने पहली बार अपनी कार्यसूची में इसे शामिल करना स्वीकार किया है। तमिल, जो सभी द्रविड़ भाषाओं की जननी है, को केन्द्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि पूर्वोत्तर के उन सभी राज्यों को सभी सहायता दी जा रही थी जो आतंकवादी और असामाजिक गतिविधियों से प्रभावित हुए थे।

हमें अपने अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए काफी संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। सरकार को अपने अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए तैनात सुरक्षा कार्मिकों की संख्या को कम करना चाहिए। हमें लोगों की गरीबी दूर करने, निरक्षरता हटाने तथा सभी नगारिकों को न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करवाने में और अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने, लैंगिक न्याय के संवर्धन, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने तथा ग्रामीण और शहरी विभाजन समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

महिला और बाल विकास विभाग जल्दी ही सरकार के कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और बजटीय आवंटनों में महिलाओं को लाने के लिए महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने हेतु एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप प्रदान करेगा।

महोदय हमारी सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित की है और वृद्ध नागरिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए वृद्ध लोगों हेतु एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की है। हमारी सरकार ने वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए एक पेंशन योजना का भी प्रस्ताव किया है जो एक अच्छा कदम है।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्र विकास के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नवगठित भूमि संसाधन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक मजदूरी नियोजन के सृजन करने के लिए, विशेषकर स्थायी आधार अवसंरचना, स्वरोजगार अवसर इत्यादि पैदा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया है।

महोदय लगातार सतर्कता बरतने की आवश्यकता थी और सरकार स्वयं भारत की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को मिलने

[श्री आदि शंकर]

वाली सभी धमकियों के प्रति पूरी तरह सतर्क थी। हम अपने खुले और प्रजातांत्रिक जीवन के प्रति आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। कारगिल में पाकिस्तान को हराने से हमारी शान बढ़ी है।

माननीय राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि पाकिस्तान भारत के प्रति दुश्मनी की अपनी नीति को बदलेगा ताकि सामान्य संबंध फिर से स्थापित हों।

माननीय राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारा देश को अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस और युनाइटेड किंगडम के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए।

महोदय, एक बार फिर, मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय राष्ट्रपति ने हमारे देश की आर्थिक स्थिति का एक विस्तृत ब्यौरा दिया है।

...दायिक सद्भावना, विशेषकर अल्पसंख्यकों के प्रति चिंता, ...ंध में राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि यह सरकार हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष भावनाओं को कायम रखने और इसे मजबूत बनाने के प्रति वचनबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक सद्भावना में काफी सुधार हुआ है।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया है कि सरकार के ऋण भार पर ब्याज के भार को कम करने के लिए गैर महत्वपूर्ण वस्तुओं पर राज सहायताओं जो इस समय बहुत अधिक है को कम किया जाए तथा इसे धीरे धीरे समाप्त किया जाये।

माननीय राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि यह सरकार जल्दी ही कृषि के विकास से संबंधित राष्ट्रीय कृषि नीति को अंतिम रूप देगी। इससे गरीबों और कृषि से संबंधित बोझ ढोने वालों और सहकारी क्षेत्र को मदद मिलेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्थिरता की नई भावना का संकेत मिलता है जिससे राजनैतिक और आर्थिक प्रबंधन के विश्वास को बढ़ाने में मदद मिलती है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का इतना अच्छा अभिभाषण देने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मैं अपने दल द्रमुक तथा अपनी ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सभापति महोदय, आज लोक सभा देर तक बैठेगी, इसलिए सदस्यों के लिए सैंट्रल हाल में जलपान की व्यवस्था की गई है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह परम्परा रही है कि राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार द्वारा आगामी वर्षों की पूरी नीतियों का मन्तव्य पत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसलिए यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि यह अभिभाषण सार्थक हो, सोद्देश्य हो, संवेदनशील हो और कल्पनाशीलता के साथ-साथ सरकार की नीतियों का दिशासूचक बने, उसकी आगामी नीतियों का अवलोकन करने का साधन बने। इसके माध्यम से प्राथमिकताओं का निष्पादन किया जाता है। मैंने समूचा अभिभाषण पढ़ा भी है और सुना भी है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना लचर, इतना दिशाहीन, निरर्थक और भाषागत कलाबाजियों के अलावा इस पूरे अभिभाषण में और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं।

इस सरकार ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, वह न केवल इनके चिन्तन, कथन और कृतित्व तीनों के अंतर्विरोध को परिलक्षित करता है बल्कि सरकार की नीतियों का जो आइना पेश किया गया है, वह स्वयं में अंतर्विरोधों से भरा पड़ा है। एक तरफ सब्सिडी की कटौती करके गरीब आदमी पर आर्थिक रूप से बोझ लादा गया है, वहीं दूसरी तरफ अभिभाषण में इस बात का दावा किया गया है कि गरीबी को दूर करने और गरीब वर्गों के उत्थान के लिए नई योजनायें लागू की जायेंगी। इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही गई है लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले साल के मुकाबले 40 लाख टन अन्न का इस वर्ष उत्पादन घटा है। ग्रामीण विकास नकारात्मक दिशा में जा रहा है। इसमें घाटे को नियंत्रित करने की बात कही गई है। सच्चाई यह है कि पिछले वर्ष भी वित्त मंत्री जी ने इसे नियंत्रित करने की बात कही थी लेकिन इस वर्ष उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वे ऐसा करने में असफल रहे हैं। मैं इन सारी बातों के विस्तार में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की कमी है, मैं सिर्फ उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं।

मैं विशेष रूप से यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में जहां पंथनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया है, वहां यह दावा भी किया गया है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व

में जो सरकार गठित है, उसकी वजह से, उसके प्रभाव से इस देश में साम्प्रदायिक तनाव कम हुआ है। इससे पहले कि मैं इस दावे के बारे में कुछ कहूं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्वयं हिन्दू हूं और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं हिन्दू हूं। लेकिन हिन्दुत्व की जिस परिभाषा को आज प्रतिपादित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे मैं स्वयं को सहमत नहीं पाता हूं। इसलिए नहीं कि मेरी कोई अपनी परिभाषा है बल्कि परम्परागत रूप से इस देश की एक संस्कृति है जिसमें हिन्दू समान को परिभाषित किया गया है। दरअसल हिन्दू के नाम से कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, हिन्दुत्व तो जीवन की एक शैली है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब आस्था मानव की चेतना को आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाती है, तब धर्म का जन्म होता है और जब आस्था मनुष्य के संकीर्ण, निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन बन जाती है तो वह साम्प्रदायिकता का स्वरूप ले लेती है।

सभापति महोदय, मैं स्वामी विवेकानन्द के एक कथन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

> ''केवल वेदान्त ही सार्वभौमिक माना जा सकता है क्योंकि वह सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है व्यक्ति का नहीं। वेदान्त सागर में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी एक हैं''

यह स्वामी विवेकानंद का हिन्दुत्व है। दूसरी ओर मनु स्मृति में, जहां हिंदुत्व का जन्म हुआ है, हिन्दुओं की पूरी परिभाषा का उल्लेख है, हिंदू समाज की संरचना पर जिसने पूरा आधारभूत कार्य किया है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धैर्य, क्षमा, दम, अचौर्य, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, विवेकशीलता, विद्या, सत्य, अक्रोध धर्म के दस लक्षण है, यह मनुस्मृति कहती है। तुलसी दास जी कहते हैं-परहित सदिस धर्म नहिं भाई, परपीड़ा सम नहि अधमाई, यह हिंदुत्व है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे अनेक उद्धरण है, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, वे उपनिषदों से भी हैं, कुछ श्लोक भी हैं, परंतु समय की कमी के कारण मैं उन सभी चीजों को छोड़ना चाहता हूं। मेरा कहना यही है कि हिंदुत्व एक व्यापक जीवन शैली है, जिसमें सभी को समाहित करके साथ लेकर चलने की बात कही गई है।

रात्रि 8.11 बजे

*[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]*

लेकिन जिस हिन्दुत्व की आज यहां बात की जा रही है, जिस हिंदू राष्ट्र की आज कल्पना की जा रही है, उसके आधारभूत ढांचे के पीछे कौन है-आर.एस.एस.। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं-इटली की एक विदुषी मार्जिया कैसोलारी है, रिसर्च करने के बाद का उनका एक आलेख है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजनः इटली की विदुषी का ही नाम याद आया। इटली के सिवा और कुछ नहीं सूझता।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी रुचि उस ओर ज्यादा रहती है। इकोनोमिक एंड पोलीटीकल वीकली में 22 जनवरी को उनका पूरा आलेख प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने जो लिखा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हेडगेवार साहब के बहुत निकट के एक साथी श्री बी.एस. मुंजे थे, उन्होंने 19 मार्च, 1931 को पैलाजो वैनिन्जिया, रोम में मुसोलिनी से जाकर भेंट की थी और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मैं उसे कोट कर रहा हूं-

[अनुवाद]

फांसीवाद के सिद्धांत ने लोगों में एकता की भावना को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया। भारत और विशेषकर हिन्दू भारत को हिन्दुओं के सैनिक पुनरुद्धार के लिए कुछ ऐसी ही संस्था की आवश्यकता है।..... हेग्डेवर के नेतृत्व में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा ऐसा ही संस्थान है।''

[हिन्दी]

फासिज्म की आधारशिला, मैं गोलवलकर साहब के एक उद्धरण को भी पेश कर दूं, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री चतुर्वेदी जी, कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः महोदय, अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलना बंद करदूँ तो मैं कर दूंगा। मैंने तो अभी बोलना शुरू ही किया है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, नहीं। मैं चाहता हूँ कि इसे पूरा किया जाए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदीः महोदय, मैं समझता हूँ कि मैंने अभी अभी बोलना शुरू किया है। मैंने पांच या छः मिनट से अधिक का समय भी नहीं लिया है। मुश्किल से मैं पांच ही मिनट बोला होऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां वह कहते हैं—कासोलारी

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

ने माधव सदाशिव गोलवलकर का उल्लेख करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले नेता हैं, जो अपनी पुस्तक "हम या हमारा राष्ट्रवाद" परिभाषित में यहूदी लोगों को निर्दोष करारते हुए नाजियों की तारीफ करते हैं तथा इसे "राष्ट्र का सबसे बड़ा गर्व" कहते हैं और "हमारे लिए हिन्दुत्व में एक अच्छा सबक" कहते हैं। उन्होंने यही कहा है।

[हिन्दी]

जाहिर है कि आर.एस.एस. की विचारधारा से ये अपने आपको डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। मैं आज के संदर्भ में सीधे मुद्दों पर इस पृष्ठभूमि के बाद लौटकर आता हूं। आज क्या हो रहा है, पिछले दो-तीन वर्षों में इस देश के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और ये वे घटनाएं हैं जो अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर घटी हैं और यह एक जिगसा पजल, पहेली के एक छोटे-छोटे अंग के रूप में हैं। जब इन सारे हिस्सों को जोड़कर एक दृश्य बनता है, पहेली पूरी होती है तो वहां पर दृश्य उभरता है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में, गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में ईसाई और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो बर्बर हमले होते हैं, ये उसी पहेली के एक हिस्से का अंग है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): चतुर्वेदी जी क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में ग्राम स्टेन्स की हत्या में जिन पांच आदमियों को गिरफ्तार किया गया था, वे कांग्रेस के आदमी थे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आइ एम नॉट कंसीडिंग प्लीज, देखिये वैसे ही समय कम है, जब आप बोलें तब कहिये। दीपा मेहता की फिल्म 'वाटर' जब प्रदर्शित होती है तो उसके प्रति असहिष्णुता का जो प्रदर्शन होता है, वह भी इसका एक हिस्सा है। तीसरी तरफ गुजरात में शासकीय तंत्र का आर.एस.एसीकरण करने का जो असफल प्रयास इस बीच में हुआ था, यह भी इसका एक हिस्सा है। लोग इतिहास पर भी चोट करने से नहीं चूके।

आई.सी.एच.आर. के अंदर इतिहास के लेखन में भी हस्तक्षेप किया गया और उसे भी प्रभावित करने की कोशिश की गई। यह एक चौथा हिस्सा है। वैलेन्टाइन्स डे पर कानपुर में एक दम्पत्ति पर हमला हुआ। यह अलग हिस्सा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सांसद के बयान की ओर। उन्होंने यहां तक जाकर हद कर दी कि जिस दारा सिंह पर इल्जाम है और जो स्टेन मर्डर केस में अभियुक्त हैं, उन्होंने उसके पक्ष में सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर दिया। यह बिना सोचे-समझे की गई बातें नहीं हैं। इनमें से कोई भी घटना अपने आप में महत्वपूर्ण न दिखती हो लेकिन सामूहिक रूप से सारी बातों को देखें तो पाएंगे कि ये सारी योजनाबद्ध तरीके से समाज के विभिन्न हिस्सों पर हमला करके, सांप्रदायिक समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। यह खतरनाक मोड़ है। मैं इसके लिए सदन के द्वारा देश को और विशेष रूप से उन माननीय सदस्य को चेतावनी देना चाहता हूं।

आप आश्चर्य करेंगे कि इस देश की जो दो सबसे बड़ी सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन्होंने आज तक कभी एक दूसरे के विरुद्ध एक लफ्ज नहीं बोला। जमायतें इस्लामी और आर.एस.एस. ने कभी एक दूसरे के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, कभी उनमें आपस में टकराव नहीं हुआ। भोपाल के एक सम्मेलन का मैं उदाहरण देना चाहता हूं जहां आर.एस.एस. के सम्मेलन में जमायते इस्लामी के लोगों को एक ही मंच पर बुलाया गया और एक दूसरे की तारीफों के कसीदे पढ़े गए। ये दोनों एक दूसरे को पूरक है। जब एक हिंसा पैदा करती है तो दूसरे को महत्व मिलता है और जब दूसरी तरफ से हिंसा होती है तो पहले को महत्व मिलता है। यह सोची समझी रणनीति के तहत होता है।

गुजरात में क्या हुआ उसका इससे बड़ा उदाहरण क्या रखूं। गुजरात में बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दी गई। उन किताबों के अंदर भी ऐसे-ऐसे उद्धरण दिये गये हैं कि आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने जाकर इसकी जांच की और जांच में जब पूछा तो गुजरात के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि हां, हमने बहुत बड़ी गलती की है। उसमें हिटलर और मुसोलिनी को महान नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसमें हिन्दुओं के अलावा मुसलमानों, पारसियों और क्रिश्चियन्स को इस देश में बाहरी और विदेशी बताया गया है। यह पढ़ाया जा रहा है हमारे देश के बच्चों को उस राज्य में जहां पर आर.एस.एस. और भाजपाईकरण का प्रयास चल रहा था। मेरा निवेदन है कि यह बहुत खतरनाक विषय है। हम राजनैतिक रूप से चाहे जहां हों, किसी भी जगह हों, लेकिन एक बात हम कभी न भूलें कि जब सारा देश जियेगा तो हम सब जियेंगे, हमारी संतानें जियेंगी, लेकिन यह देश डूबा तो न हम बचेंगे, न आप बचेंगे और कोई भी बचने वाला नहीं है। इसलिए हम ऐसा खतरनाक खेल न खेलें। थोड़ा बहुत अपने राजनीतिक हितों और स्वार्थों के लिए यदि हम देश को दांव पर लगा दें तो बहुत गंभीर बात होगी।

संविधान पर यहां बहुत चर्चा की गई। मैं आज भी कहता हूं और आदरणीय रघुवंश जी अपने भाषण के समय कह रहे थे कि संविधान में संशोधन करके ये हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं

इनकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल बनाइए और हिन्दू राष्ट्र बनाइए। हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले समर्थन देने को मैं तैयार हूं लेकिन कौन सा हिन्दू राष्ट्र? मैं चाहता हूं कि स्वामी विवेकानन्द का हिन्दू राष्ट्र बने, मैं चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास का हिन्दू राष्ट्र बने, मैं चाहता हूं कि उपनिषदों और पुराणों में हिन्दुओं की जो व्याख्या की गई है जिसमें सारे विश्व को समाहित किया गया है, सारी वसुधा को कुटुम्ब के रूप में माना गया है, मैं उस हिन्दू राष्ट्र की कल्पना करता हूं। लेकिन वैसा हिन्दू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए जो घृणा के आधार पर पैदा होता है, जहां भाई-भाई का कातिल हो जाता है, जो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे हिन्दू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है जो हमें विभाजित कर दें क्योंकि आज हम उस कगार पर खड़े हैं जहां विश्व में भारत एक महान भूमिका अदा कर सकता है। आज वह वक्त है जब हमें यह विचार करना होगा कि हम भारत की आगामी भूमिका को नजर में रखते हुए नीतियां बनाएं तो चन्द निहित स्वार्थों के लिए इस देश की आपसी शक्ति को विच्छन्न कर दें। यह प्रश्न हमारे सामने हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर गंभीर चिन्तन और मनन होना चाहिए। यह प्रश्न हमारा अकेला नहीं है, आने वाली समूची पीढ़ियों का प्रश्न है। मेरा समूचे सदन से और सरकार से अनुरोध है कि इस पर एक बार गंभीर चिंतन हो, नीतियों का पुनर्निरीक्षण हो और उसके बाद ऐसी नीतियों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जाये जो कुल मिलाकर राष्ट्र के हित में हो, कल्याण में हो, व्यापक हित में हो। अगर ऐसी नीतियां प्रतिपादित की जाती हैं तो उसे समर्थन मिलेगा। लेकिन यदि कहीं आंकड़ों के पीछे, पर्दों के पीछे छिपकर इस तरह से कोई काम होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष की अपनी महती जिम्मेदारियां हैं और विपक्ष अपनी महती जिम्मेवारियों को पूरा करने में किसी कीमत पर नहीं चूकेगा और जिस हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी, इस देश का विपक्ष अपनी भूमिका में, अपने धर्म के निर्वाह में, अपनी कसौटी के ऊपर कभी किसी भी स्तर पर कम नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, यह मेरा दावा है।

इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर जो अभिभाषण दिया गया, वह अभिभाषण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता, यह अभिभाषण केवल लचर ही नहीं है बल्कि दिशाहीन है, निरर्थक है। इसलिए इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने में, अपना समर्थन देने में असमर्थ हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, हमने इस विषय पर चर्चा पूरी करने के लिए आठ घंटे का समय निर्धारित किया है। अब तक माननीय सदस्यों ने आठ घंटे से अधिक समय ले लिया है। और तीन वक्ता हैं और हमें इस विषय पर 9 बजे तक चर्चा पूरी करनी हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं परंतु बहुत खेद के साथ। मैं कई बातों पर विचार करना चाहता हूं जो मेरे दुख का कारण है। पहला महत्वपूर्ण कारण यह है कि माननीय राष्ट्रपति ने अभिभाषण में देश में क्षेत्रीय भेदभाव को दूर करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। ऐसे कई राज्य हैं जहां संपन्नता और विकास की काफी संभावनाएं हैं परंतु उन्हें पिछड़ा और अविकसित रखा गया है। प्रचुर प्राकृतिक तथा मानव संसाधन होने के बावजूद संविधान और नेताओं ने ऐसे राज्यों को गरीब और पिछड़ा बनाए रखा है। इसलिए नेताओं के मानसिक परिवर्तन और संविधान में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है। संविधान को बदल दिया जाना चाहिए या ऐसे राज्यों को देश से अलग होने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर संविधान को बदला नहीं जाएगा तो ऐसे पिछड़े राज्य देश से अलग होने के लिए निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। मुझे यह बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है।

रात्रि 8.23 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए]

महोदय, मैं लड़ाई नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं एक समस्या से परेशान हूं। मेरे दिल और दिमाग पर केवल एक ही समस्या छाई हुई है अर्थात् उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्या। इस संबंध में मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करता हूं। मैं अपने भाषण को अनुच्छेद 24-बल्कि पूरे अनुच्छेद को अपितु, उस अनुच्छेद की कुछ पंक्तियों तक ही सीमित रखूंगा। मैं उससे अधिक नहीं कहूंगा। लोग अभी भी दुख उठा रहे हैं और मैं सभी अविश्वासी लोगों से वहां जाने और यह देखने के लिए कहूंगा कि वहां किस तरह लोग बड़े चक्रवात के साढ़े पांच महीने बाद भी बिना छत के रह रहे हैं। अनुच्छेद 24 में माननीय राष्ट्रपति ने कहा है:

> "अक्तूबर के अंत में उड़ीसा में आए महाचक्रवात से हजारों लोग मर गए और राज्य की जनता का एक बड़े भाग (1 करोड़ से अधिक) का सामाजिक और आर्थिक जीवन नष्ट हो गया। पूरा देश प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास सामग्री जुटाने में सरकार के प्रयासों की मदद कर रहा है।"

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

सभापति महोदय, अंतिम वाक्य का पहला हिस्सा सही है। इसके लिए हम देशवासियों और केन्द्र सरकार के आभारी हैं। तथापि जहां तक राहत उपाय पुनर्वास और पुनर्स्थापना के काम का संबंध है बहुत कम ही काम हुआ है। इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उड़ीसा के महाचक्रवात का केवल हल्का सा उल्लेख किया था तथा बजट में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया।

मैं इस सभा के सामने कुछ विशेष सुझाव रखना चाहता हूं तथा एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरा अनुरोध इस सभा के लोगों के दिलों को छुएगा और इससे उन दुखी लोगों की मदद के लिए कुछ सकारात्मक कार्य हो सकेगा। उड़ीसा के महाचक्रवात के लिए न तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ही कुछ कहा और न ही वित्त मंत्री ने कोई विशेष प्रावधान ही किया। महाचक्रवात के दौरान उड़ीसा के 19 लाख परिवारों के घर मिट्टी में मिल गए। इन 19 लाख परिवारों के सर पर कोई [illegible] है। कम से कम एक परिवार के लिए एक घर दिए जाने [illegible]यकता है। फिर भी इसके लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। भारत सरकार ने उड़ीसा के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 50,000 घरों का निर्माण करने का प्रावधान किया है। यह प्रभावित लोगों के लिए मजाक की बात है। मेरा अनुरोध है कि इन 19 लाख परिवारों को कम से कम एक घर प्रत्येक को जरूर दिया जाना चाहिए। एक पक्के घर का क्षेत्रफल 12 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा कमरा होता है जिसकी छत आर सी सी की होती है। केन्द्र सरकार ने बताया है कि चालू वर्ष में पूरे देश में 25 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि एक ही वर्ष में उड़ीसा के लिए 19 लाख घरों का निर्माण नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: अपने भाषण को समाप्त करने के लिए मुझे कम से कम दस मिनट चाहिए। महोदय, मैं केवल महत्वपूर्ण सुझाव ही दे रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, आज की बिजनेस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आज रात तक जितना संभव हो, सब स्पीकर्स को बोलने का मौका दिया जाए ताकि कल सोनिया जी लीडर ऑफ औपोजीशन बोलें और प्रधानमंत्री जी सरकार की तरफ से जवाब देंगे। हम धैर्य रखकर बैठें। जो सदस्य मौजूद हैं, उनको बोलने का मौका दें, चाहे पांच मिनट दें चाहे सात मिनट दें, नहीं तो बहुत अन्याय होगा। बिजनेस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग के मुताबिक हमने सदस्यों को बोल दिया है कि आपको मौका दिया जायेगा। अगर आपने अभी बैल बजाकर कह दिया कि हाउस खत्म है तो वे सदस्य हमारे ऊपर गुस्सा होंगे।

सभापति महोदय: बोलने का मौका दिया जा रहा है लेकिन संक्षिप्त भाषण ज्यादा प्रभावकारी होता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है। आप घंटी बजाते रहिए, हम ऐलर्ट हो जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): महोदय, मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। जिन सदस्यों ने इससे पूर्व बोला, उन्होंने लगभग घंटे-डेढ़ घंटे का समय लिया। अब बहस के अंत में जिन सदस्यों को बोलने का मौका मिला है, उन्हें दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। यह सही नहीं है। यह मामला कार्य मंत्रणा समिति में उठाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: ऐसा पार्टी को आवंटित समय के अनुसार किया गया है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन 19 लाख नष्ट हुए मकानों में से कम से कम आठ लाख मकान उपलब्ध कराए जाएं, जिनका निर्माण चालू वर्ष अर्थात् 2000-01 में किया जाना है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित सभा के सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे।

मैं सभी राज्यों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे भीषण चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना में से अपने कुछ हिस्से का योगदान दें। इसमें से, आठ लाख मकान इस साल बनाए जा सकते हैं, छह लाख मकान अगले साल बनाए जा सकते हैं तथा शेष पांच लाख मकान आगामी वर्षों में बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार, 19 लाख खास-खास मकान—मैं सभी मकानों की नहीं अपितु केवल अधिक क्षतिग्रस्त मकानों की बात कर रहा हूं—तीन वर्ष की अवधि में दुबारा बनाए जा सकते हैं। यह मेरा विनम्र निवेदन है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि हमें उन प्रभावित एवं पीड़ित लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।

मुझे इस प्रतिष्ठित सभा के सामने यह कहते हुए दुखः होता है कि जहां तक पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यों का संबंध है, उड़ीसा के भीषण चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए अभी तक

. कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रतिष्ठित सभा में किसी ने भी चक्रवात प्रभावित उन लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सरकार की तरफ से भी बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है तथा माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा भी उनके अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा सांस्थानिक भवनों के बारे में है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों तथा कॉलेजों सहित सभी सांस्थानिक भवन नष्ट हो गए हैं। यह मेरा विनम्र निवेदन है कि उनका पुनर्निर्माण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। महोदय, इससे पूर्व कुछ राज्यों ने कहा था कि वे इसका पुनरुद्धार करने के लिए कुछ जिलों का चयन करेंगे। महाराष्ट्र ने कहा था कि वे कुछ जिलों को अपना रहे हैं। इसी प्रकार, कुछ अन्य राज्य भी कह रहे हैं कि वे फलां-फलां जिले अपना रहे हैं। परंतु उन्होंने इस दिशा में बहुत ही कम कार्य किया है। मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि इन सांस्थानिक भवनों का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाए ताकि अगले शैक्षणिक वर्ष में वहाँ पढ़ाई हो सके।

महोदय, मेरा तीसरा मुद्दा वृक्षारोपण के बारे में है। इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। सभी वृक्ष टूट कर नीचे गिर गए हैं। वे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इसलिए, इस बारे में, मैं यह निवेदन करूंगा कि विशेष रूप से इस वर्ष उड़ीसा राज्य में एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाए तथा इसके लिए केन्द्र पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए।

महोदय, मेरा चौथा मुद्दा आर्थिक सहायता प्राप्त चावल के बारे में है। भीषण चक्रवात से प्रभावित लोग 20 किलोग्राम चावल 4 रु. प्रति किलो की दर से प्राप्त कर रहे थे। महोदय, यहां मैं निवेदन करूंगा तथा आशा करता हूं कि आप मुझसे सहमत होंगे कि चक्रवात प्रभावित उन लोगों को नवम्बर, 2000 तक अर्थात् अगली फसल के समय तक इसी मूल्य पर चावल दिया जाना चाहिए। ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो वास्तव में हमें गरीब लोगों, पीड़ित लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जो भीषण चक्रवात से प्रभावित हुए हैं।

महोदय, मेरा पांचवां और आखिरी मुद्दा आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में है। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे प्रभावित राज्यों के किसानों को सभी किस्म के बीज, उर्वरक, ऊर्जा संयंत्र तथा ट्रैक्टर आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ताकि आगामी फसल खरीफ के समय के दौरान तैयार की जा सके।

अपनी बात खत्म करने से पहले, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ कांग्रेसी मित्र यह कह रहे थे कि चूंकि सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं, अतः वे भी अन्यत्र राज्यों में ऐसे ही आरोपी लोगों का समर्थन कर रहे हैं तथा उन्हें अपना रहे हैं। मेरा मुद्दा यह है कि यदि कांग्रेस के लोग इस बात का अनुसरण कर रहे हैं तो वे भा.ज.पा. के लोगों की अन्य बातों का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं?

महोदय, मुझे उड़िया की एक कहावत याद आ रही है। मैं इसका अंग्रेजी रुपांतरण नहीं देना चाहता। यह है:

''तु ता मुत्रि मुन ता मुत्रि, हेन्सा कहीं पे धोइबा''

वे वह नीति अपना रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें अन्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि आरोपी लोगों के सरकार में बने रहने का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। उनका न तो समर्थन ही किया जाना चाहिए और न ही उन्हें मंत्रालय प्रदान किये जाने चाहिएं।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: प्रधान मंत्री ने सदन में यह स्पष्ट किया है कि 'जिन मंत्रियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हैं, वे मंत्रालय में बने रह सकते हैं तथा इसमें कुछ भी गलत नहीं है।' सदन के नेता ने यह कहा था। अब आप यह क्यों कह रहे हैं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: और आप उसका अनुसरण कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं अनुसरण नहीं कर रहा हूं। आप उसका अनुसरण कर रहे हैं। आप प्रधान मंत्री जी से पूछें।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिया गया राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के अवबोधन, उसकी नीतियों, कार्य-योजना तथा उपलब्धियों का वक्तव्य है, लेकिन जो चीज मुझे कचोटती है तथा मेरे लिए वास्तव में चिंता का विषय है, वह यह है कि यह पहला मौका है जब सरकार द्वारा देश के राष्ट्रपति की उसके संसद को दिए गए स्वयं के अभिभाषण के माध्यम से उपेक्षा की गई है।

माननीय राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन एक अत्यंत योग्य राजनयिक हैं। वे हृदय से नेहरूवादी हैं तथा संभवतः आज देश में नेहरू युग के शेष रह गए कुछ नेहरूवादियों में से एक हैं।

[श्री पवन कुमार बंसल]

संसद के दोनों सदनों को दिए गए उनके अभिभाषण से लगभग एक माह पूर्व उन्होंने केन्द्रीय कक्ष में स्वयं एक विचार व्यक्त किया था कि पिछले 50 वर्षों के दौरान देश के संविधान ने भली-भांति कार्य किया है। संभवत: भाजपा ने इसे अपना घोर अपमान समझा तथा सरकार को राष्ट्रपति के अभिभाषण को ही संविधान की पूर्ण समीक्षा को उद्घोषणा के लिए इस्तेमाल करने का निदेश दिया।

यदि इसे संविधान की पूर्ण संवीक्षा करने की मांग करने संबंधी भाजपा अध्यक्ष के वक्तव्यों के साथ पढ़ा जाए, यदि इसे भाजपा परिवार के विभिन्न प्रकाशनों के साथ पढ़ा जाए तो आपको सरकार की वास्तविक मंशा के बारे में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा जो लोकतंत्र की बात तो करती है परंतु साथ ही तानाशाही के अशुभ संकेत भी संप्रेषित करती है। लोकतंत्र को कमजोर बनाने तथा उसे आहत करने के लिए लोकतंत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण गुजरात में बीजेपी सरकार के आदेश में प्रतिबिंबित होता है, जिसके तहत आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर लगा [illegible] पुराना प्रतिबंध उठा लिया गया। यह ऐसा संगठन है जो [illegible]त्रों को कहता है कि क्या सही है और क्या गलत, यह ऐसा संगठन है जो यह दावा करता है कि उसके पास देश के अंत:करण को कायम रखने का अधिकार है तथा इसमें भी आश्चर्य नहीं है कि माननीय गृह मंत्री ने भी तटस्थ भाव से यह स्वीकार कर लिया था कि आरएसएस सरकार पर नैतिक अधिकार का प्रयोग करता है। ऐसे वक्तव्यों तथा कार्रवाई से प्रोत्साहित आरएसएस की 'कल्चर पुलिस' विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करते हैं और इस प्रकार उन्हें अनेक वाक् एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों से वंचित करते हैं। यहां तक कि बालिकाओं के लिए वर्दी संहिताएं भी निर्धारित कर दी गई हैं, जो हमें पंजाब में आतंकवाद के दिनों की याद दिलाता है।

यह भली-भांति जानते हुए कि सरकार के पास संविधान में संशोधन को पारित कराने के लिए अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत नहीं है, जो अन्य दलों को स्वीकार्य नहीं है, इस संविधानेत्तर प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पीछे निहित मंशा हमारे स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी हस्तियों द्वारा तैयार किये गये संविधान की मर्यादा के प्रति अनादर का वातावरण तैयार करना है।

वर्ष 1977 में, तत्कालीन सरकार द्वारा योजना प्रक्रिया में फेरबदल करने के परिणामस्वरूप हमने बुरी तरह चरमरा गई अर्थव्यवस्था का कडुवा अनुभव किया तथा अर्थव्यवस्था की हालत को दोबारा मजबूत बनाने के लिए वस्तुत: ठोस एवं सूझबूझ भरा कार्य करने की आवश्यकता पड़ी। आज आर्थिक सुधारों के लिए भाजपा की कार्यप्रणाली आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमरतोड़ वृद्धि करने वाली तथा इस समय लागू मूल्य ढांचे को नष्ट करने के प्रति उत्सुक प्रतीत होती है। इसके अलावा, ऐसा दृष्टिकोण लोगों पर, विशेष रूप से गरीबों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।

आज, सार्वभौमिकरण सरकार का एक नया मंत्र है। वह भारतीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं में इसे समझे बिना तथा इसकी संवेदनशीलता का मूल्यांकन किए बिना इस मंत्र का जाप कर रही है। मैं एक क्षण के लिए भी किसी भी सेक्टर में निजी निवेश का विरोध नहीं करता, चाहे वह विदेशी निवेश हो अथवा भारतीय निवेश। मैं 'किसी भी सेक्टर' शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कुछेक क्षेत्रों में आगे विकास करना बहुत ही कठिन है। लेकिन, आज सरकार यह संकेत दे रही है कि वह भारत के लोगों के लिए नहीं है अपितु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए है तथा यही आज हमारा लक्ष्य है। वरना आप दूरसंचार सेक्टर में प्राइवेट आपरेटरों को प्रदान की जाने वाली नई रियायतों को कैसे स्पष्ट करेंगे जिनकी वजह से राज्य के राजकोष पर हजारों करोड़ रु. का बोझ आएगा। ऐसा प्राइवेट आपरेटरों पर कतिपय दायित्वों को पूरा करने का दबाव डाले बिना किया जा रहा है, जैसे उनके प्रचालन के तीन साल के भीतर अर्थात् सितम्बर, 2000 तक 20 लाख टेलीफोन कनेक्शन एवं 98,000 ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करना। इसके अलावा, यही काफी नहीं था, अब राज्य बिजली बोर्ड का विघटन करने तथा उन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गरीबों को अंधेरे और गन्दगी में ही रहने दिया जाए परंतु भा.ज.पा. की आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन संबंधी नीति है कि टैरिफ में कोई प्रति राजसहायता नहीं होनी चाहिए।

महोदय, यदि आप सरकार की सबसे महान उपलब्धियों के विषय में पूछेंगे तो, संभवत- उत्तर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। संसद के केन्द्रीय कक्ष में, उन्होंने हमें इसका विवेचन करने के लिए कहा था कि क्या हम अतिप्रचारित पोखरण-II परमाणु परीक्षण के बाद अधिक सुरक्षित और निर्भय है। उन्होंने यह भी बताया कि यह अमरीकी राजनयिक सफलता था जिसने पाकिस्तान को कारगिल में वास्तविक नियंत्रण रेखा तक वापस जाने के लिए कहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कारगिल घटना को बी.जे.पी. ने लोगों को इस बारे में पूर्ण सच्चाई बताए बिना चुनाव हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया, सच यह है कि जब प्रधानमंत्री वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री से गले मिल रहे थे, पाकिस्तानी वायुयान कारगिल में हेलिकॉप्टर द्वारा अपने आदमियों को सामग्री पहुंचा रहे थे। हालांकि, मुझे इस संबंध में अमरीकी मदद को स्वीकार करने में जरा भी हिचक नहीं है परन्तु हमें प्रधानमंत्री जी से यह आशा थी कि वे हमें बताएं कि उन्हें इस मैत्री के बदले क्या मिलने वाला था। हम जानना चाहते हैं कि क्या 1429 मदों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के समक्ष हमारा झुकना और शीघ्रातिशीघ्र अगले वर्ष के अप्रैल तक सभी प्रकार के आयात नियंत्रण हटाने के लिए किए गए बहुत से अल्पज्ञात समझौते तो नहीं है जो हमें अपने प्राकृतिक मित्र राष्ट्र

से मित्रता निभाने के लिए करने पड़े हैं। हम यह प्रधानमंत्री जी **से जानना चाहते हैं।**

आज के नवयुवकों के हाथों देश का भविष्य है। परन्तु खेद **है कि सरकार युवकों के लिए ऐसी नीति जिसमें शिक्षा,** रोजगार, **चरित्र निर्माण और खेलकूद** पर बल हो, के निर्माण के संबंध में **खामोश है। शिक्षा भी अब** उपभोक्ता वस्तु बन गई है जो पूर्ण रूप से गरीबों के पहुँच से बाहर है। 'अवसर की समानता' यह वाक्य जो भारत के संविधान में प्रतिष्ठित है आजकल एक मृत शब्द बन गया है। यह माँग की कार्य का अधिकार भी मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया जाए, पर भी कोई ध्यान नहीं देता। इसके विपरीत, नई भर्ती पर प्रतिबंध जारी है और सामान्य भारतीयों की के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे।

विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिए पेंशन योजना अधिकारियों के कारण विशाल रेगिस्तान का मृगजल बन गया है। यह मामूली माँग की 2001 की जनगणना में विकलांगों से संबंधित आँकड़ों को इकट्ठा किया जाए, भी स्वीकार नहीं की गई। वरिष्ठ लोगों को भी सरकार की अभिशप्त नीतियों की पीड़ा को भेजने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्हें अर्थपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का आधार देने के बजाय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की छोटी बचतों पर ब्याज की दर को कम कर दिया गया, जिससे आज की निरंतर परिवर्तनशील उपभोक्तावादी दुनिया में वे और भी अधिक कमजोर हो जाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, बहुत कम समय ले रहा हूं। मैं किसी चीज को दोहरा नहीं रहा हूं। मुझे सिर्फ एक मिनट और दे दीजिए।

[अनुवाद]

संविधान के 73वां और 74वां संशोधन से श्री राजीव गाँधी की निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की प्रतिबद्धता, चाहे बहुत समय के बाद ही, प्रभावित हुई है। परंतु आज हम क्या देखते है कि पंचायत और महानगरपालिका को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और वे केवल नौकरशाहों के मनमर्जी पर कार्य कर रही हैं। लोगों द्वारा निर्वाचित सरपंच से घमंडी मध्य श्रेणी का अधिकारी बड़ा ही गलत व्यवहार करता है और उन्हें मामूली आधार पर हटाया या बर्खास्त किया जाता है।

महोदय, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को काबू करने के लिए 'सक्रिय रूप से कार्य करने वाली' नीति जारी करने संबंधी साहसी घोषणा की, परंतु कैसे उस दुश्मन पड़ोसी ने इस वार्ता पर प्रतिक्रिया यह तब स्पष्ट हो गया जब 36 मासूम सिक्खों को कश्मीर के चाटी सिंगपुर में उनके घरों से खींच कर, गुरुद्वारे के दीवार से लाइन में लगा कर निर्ममता से मार डाला गया। क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया?

हम अभी तक उस अपमान से नहीं उभर पाए हैं जब स्वयं हमारे वित्त मंत्री कुछ आतंकवादियों को कंधार लेकर गए जो कि सरकार को स्थिति से निपटने में सरकार की असफलता के कारण करना पड़ा था। जब इंडियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरणकर्त्ता अमृतसर में उतरे थे। यह और कुछ नहीं सरकार की अक्षमता और अपराधपूर्ण लापरवाही थी, जिसकी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ी।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः अब आप समाप्त कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, कितना समय हुआ है।

सभापति महोदयः आपने एक मिनट मांगा था, अब तो डेढ़ मिनट हो गया है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कथनी और करनी में अंतर है। अगर वे लोगों की अपेक्षाओं पर पूर्ण उतरना भी चाहें, वे स्वयं को असमर्थ पाते हैं—और इसका कारण और कोई नहीं आर.एस.एस. स्वयं है।

ये उनकी त्रासदी है; चूँकि वे देश के प्रधान मंत्री है, उनकी त्रासदी पूरे देश की भी त्रासदी है, जिसकी कीमत सरकार की अपनी अप्रासंगिकता है।

महोदय, जबकि मैं भी राष्ट्रपति के संसद में दोनों सदनों के समक्ष दिए उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए सभी माननीय सदस्यों के साथ हूँ, मेरी यही आशा है और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके अनुभव और बुद्धिमत्ता, सरकार के मन में उद्देश्य की भावना, तत्परता का एहसास और लोगों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना और देश में बहुसंस्कृति वाद, बहुवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति जागृत करे।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यहां इस समय उमा भारती जी उपस्थित नहीं है, मैं उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जैसे वसंत ऋतु में कोयल गाती है वैसे ही बहन उमा जी ने मार्च महीने में बहुत अच्छा भाषण किया था। भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में एक सम्मेलन हुआ था और वहां बहुत लोग आए थे। उस समय ऐसा लगा कि हमारे आडवाणी राम बन गए थे और राम बन कर उन्होंने वाजपेयी साहब को गद्दी सौंप दी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस गद्दी पर बैठ कर उनके दिल में गरीबों के प्रति कोई दर्द नहीं है। आरएसएस वाले बोलते हैं कि मंदिर बनाना है।

विश्व हिंदू परिषद् फूट डालने की भाषा बोलता है। इसलिए यह घटना बनाई है। अलग-अलग विद्यार्थियों के जो ग्रूप बनते हैं, ये सब विघटन के लिए बनते हैं। सभापति महोदय, मुझे इस घटना पर शक है। मैं जनता दल सेक्यूलर का एक ही आदमी यहां हूं। [illegible] 35 सिखों की हत्या हुई है, यह षडयंत्र है। मालेगांव में [illegible] मुसलमान हैं और तीस प्रतिशत हिंदू हैं लेकिन कभी [illegible] झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन एक वहां आर.एस.एस. का आदमी था, वह मारूति के मंदिर में गाय का मीट डाल देता था जिससे हिंदू-मुसलमान में झगड़ा होता था।

श्री मोहन रावले: यह गलत है। ये आर.एस.एस. के लिए कुछ भी गलत बोलते जायेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे गलत संदेश देश में जायेगा, मैम्बर को इस बात को समझना चाहिए। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : मुझे मालूम है कि आर.एस.एस. ने आदिम-ज़ाति के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए मान-सम्मान बढ़ाने की बात नहीं की है।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। रा.स्व.सं. एक वनवासी कल्याण संगठन हैं जिसके जनजाति क्षेत्रों में 2000 केन्द्र है। हम आदिवासियों के उत्थान के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति जी, क्या मैंने बीच में टोका-टाकी की। आर.एस.एस. क्या चीज है, यह मुझे मालूम है। सभापति जी, उसने आदिम-जाति का मान-सम्मान तो नहीं बढ़ाया, कैसे बनवासी बन गया? हमारा मान-सम्मान बिगड़ गया। ये लोग जो राज कर रहे हैं ये घर का, प्रांत का, जिले का, देश का मान-सम्मान बढ़ाने का क्या विचार करेंगे? ये लोग जर्मनी से कुछ सीखेंगे। सभी जानते हैं कि दोनों जर्मनी देशों के बीच में जो दीवार थी वह उन देशों के लोगों ने तोड़ दी और वे इकट्ठा हो गये, इसलिए आज जर्मनी का मान-सम्मान है। अगर हमारा देश इकट्ठा रहेगा, देश का मान-सम्मान रहेगा तो देश ठीक चलेगा। मैं आदिम-जाति का पहला आदमी हूं, आप तो पीछे आये हैं। मेरी विनती है कि आपको गरीब के बारे में, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। आपने एक काम किया कि गरीब को गरीब रखा, किसानों को गरीब रखा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? उन्होंने एक फतवा पेयजल के बारे में निकाला। इन साहब को भी मालूम है। पेयजल का वहां पर कितना संकट है। केन्द्र से फतवा निकाला कि पेयजल के लिए 10 प्रतिशत पैसा जमा कराये बगैर यह पाइप लाइन नहीं होगी। इस बात को 15 दिन हो गये हैं। इस बारे में 16 तारीख को मैंने नियम 377 के अधीन यह सवाल उठाया था। आदिमजाति और जनजाति जोकि पिछड़ा वर्ग है, उसका कमिश्नर है। उन्होंने सिफारिश की है कि उनकी सर्विस में बढ़ोत्तरी की जाए लेकिन इस सरकार ने उसे ठुकरा दिया। आप उसकी रिपोर्ट पढ़िए। ये लोग कहते हैं कि वाजपेयी साहब ने इस काम को किया। कथनी और करनी एक होनी चाहिए। उन लोगों का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): माननीय, सभापति महोदय, मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया. जिसके कारण मैं भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग ले पा रहा हूँ। हम सब सौभाग्यशाली है कि हम तीसरी सहस्त्राब्दी में राष्ट्रपति के पहले भाषण को सुन रहे हैं। इसलिए. हमें स्वच्छ दृष्टि बरकरार रखनी चाहिए और हमें किसी भावावेश से स्वयं को मुक्त रखना है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से, देश और देश से बाहर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। 20 साल पश्चात, अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हमारे देश का यात्रा की। व्लादामीर पुतीन रूस के राष्ट्रपति चुने गए और सत्ता की बागडोर संभाल ली। कम्युनिस्ट चीन अपनी युद्धप्रियता प्रवृत्ति को तायवान जैसे छोटे टापू की तरफ बढ़ा रहा है। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष को गद्दी से उतार कर सैनिक शासन स्थापित हो गया। हालाँकि, मैं स्वयं को राष्ट्रपति के अभिभाषण तक सीमित रखता हूँ।*

इस सरकार के प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक प्रदर्शन से आम लोगों का ध्यान हटाये में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी...* संपूर्ण भाषण उच्च भाषण कला से पूर्ण और अव्यावहारिक वचनों से, जो सत्यता से परे है से भरा हुआ है। इसलिए, भाषण के लिए मेरी प्रथम प्रतिक्रिया, शेक्सपीयर के अनुसार*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। मिल-जुलकर रहना, एक साथ सोचना और एक साथ कार्य करना, इस सदी की पुकार है। हमें महान और प्राचीन सभ्यता उत्तराधिकार में मिली है जो नदी किनारे 5000 वर्ष पूर्व पनपी थी। प्रकृति ने हम पर, इस भूमि के रूप में, सम्पन्नता, पूँजी और सौन्दर्य और उदारता को लुटाया है, कल्पनाशीलता से उत्तेजित होकर सुदूर भूमि से लोगों ने अक्सर हम पर आक्रमण का प्रलोभन किया उसके बाद से यहाँ विभिन्न रीति-रिवाज, संस्कृतियों, परंपराओं का प्रबल आदान प्रदान हुआ है। जिसने, बदले में भारत को समन्वित संस्कृति की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। हमने विभिन्न परंपराओं से पोषक-तत्व लेकर समन्यवादी बदलावों से स्वयं को बचाते हुए अपनी संस्कृति का बचाए रखा। भारत की संस्कृति ने विश्व के लोगों में मूलभूत मानव मूल्यों का प्रचार किया। यह प्यार, स्नेह, धैर्य, बंधु भाव और वैश्वीय सहनशीलता ही थी जो बाद में किसी अन्य के नहीं अब्राहम-लिंकन के शब्दों द्वारा, 'सभी के लिए प्यार और मुहब्बत किसी के लिए युद्ध नहीं' प्रतिध्वनित हुई। हमने विश्व को 'जीयो और जीने दो' का सिद्धांत दिया। भारतीय सभ्यता की स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं कि उसने किसी भी प्रकार की अमानुषकता और विध्वंस का समर्थन नहीं किया। भारतीय सभ्यता ने मस्जिद का विध्वंस, पवित्र स्थानों को अपवित्र करना, मिशनरियों को जलाकर मारना, ननों का बलात्कार करना, वेलेनटाइन दिवस पर युगलों की पिटाई जैसे अन्य घृणित कार्य करना नहीं सिखाया। परंतु अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक भारत के अल्पसंख्यकों पर आतंक का साम्राज्य फैला रहे हैं।

रात्रि 9.00 बजे

महोदय, मैं सभा को यह चेताना चाहता हूँ कि बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता, सीमा के पार अल्पसंख्यक समुदायों में साम्प्रदायिक भावना को उत्तेजित करने में मध्यस्था का कार्य करने में मदद ही करेगी। इसका कारण है कि इस तरह के लक्षण अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और अपनी पहचान के संकट को स्थापित करेंगे और यह उन्हें किसी भी माध्यम द्वारा स्वयं के अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए उत्तेजित करेगी।

महोदय, यह स्वयं घोषित सांस्कृतिक पुलिस बौद्धिक आतंकवाद का साम्राज्य 'वाटर' फिल्म के शूटिंग को बंद करने के और स्वतंत्रता प्राप्ति पर श्रेष्ठ और प्रा. प्रवीण इतिहासकार, सुमित सरकार और पणिक्कर द्वारा लिखी पुस्तक के प्रकाशन को रुकवाने के रूप में प्रकट हुआ। परंतु, हालाँकि, हमें विश्वास है कि अच्छे लोग अपने सहयोगियों पर उनमें रंग, वंश और धर्म का भेद किए बिना देखभाल और स्नेह में कमी नहीं करते। इसलिए, समय आ गया है कि बुद्धिवादी तत्व आगे आए और जमा होकर भारत के विघटनकारी तत्वों की जघन्य कार्यवाहियों को विफल करें। हम नहीं चाहते कि हमारा इतिहास मध्यकालीन युग में वापस चला जाए। नौकरशाही का चतुराई से और जानबूझ कर भगवाकरण किया जा रहा है, और आम समाज का साम्प्रदायिकरण हो रहा है, सभी को घबराहट है कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है*

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): महोदय, सेना के बारे में टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आर्मी वाला पाइंट देख लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरीः महोदय, जहां तक हमारी सुरक्षा का संबंध है, इस मामले में देश आन्तरिक और बाह्य दोनों तरह से कमजोर है। जम्मू और कश्मीर घाटी में सुरक्षा कर्मियों तथा आतंकवादियों के बीच मृत्यु दर भयावह रूप से बढ़ती जा रही है। हमारे देश में चारों तरफ आई.एस.आई. ने अपने विषैले तन्तु फैला दिए हैं। हमने देखा कि हमारे हवाई जहाज का अपहरण किया गया और हमारे विदेश मंत्री खूंखार उग्रवादी मसूद अजहर के साथ कंधार हवाई अड्डे पर गए। वहां यह शर्मनाक प्रकरण और उलझ गया। तालीबान सरकार ने इन खूंखार उग्रवादियों का ऐसा शानदार स्वागत किया जिसे हमारे विदेश मंत्री देखते ही रह गए। उनकी तालीबान सरकार द्वारा उत्साहविहीन आगवानी करने के लिए उन्हें वहाँ 15 मिनट और प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर भी, इन्हीं विदेश मंत्री ने तालीबान सरकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देने की जरूरत समझी। जबकि दूसरी तरफ, रक्षा मंत्री ने तालीबान सरकार पर आरोप लगाया कि इस षडयंत्र में वह उग्रवादियों से मिली हुई है। महोदय, हमारी स्थिति इस तरह की है।

महोदय, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यह वही सरकार है जो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए अन्तरर्राष्ट्रीय समुदाय की दुहाई दे रही थी। तथापि इस सरकार ने पाकिस्तान को अभी तक भी दुष्ट देश घोषित नहीं किया है। और तो और यह सरकार इन्हीं के साथ व्यापार और वाणिज्य को निरन्तर बनाए हुए हैं और उन्हें ही परम अनुगृहीत राष्ट्र का दर्जा दे रही है।

महोदय, इस बजट भाषण में सरकार ने कहा था कि हमें अपनी गुटनिरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना चाहिए। लेकिन हाल ही में विदेश मंत्री ने कहा है कि गुटरनिपेक्ष आन्दोलन अपनी सार्थकता खो चुका है और वर्तमान संदर्भ में यह अनावश्यक है। महोदय, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के बहुप्रचारित साधना, शून्य सहनशीलता तथा सक्रियता-समर्थक उपाय वास्तव में झूठे साबित हुए हैं।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री अधीर चौधरी]

शीत युद्ध काल की संकल्पना थी कि एक आण्विक शक्ति दूसरी आण्विक शक्ति से सीधे सशस्त्र संघर्ष करने में परहेज करेगी। इसे तोड़ डाला गया क्योंकि हम पर पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया है। एक कहावत है एक ही पत्थर से दो बार टकराकर लड़खड़ाना भूल है लेकिन बार-बार टकराकर लड़खड़ाना अपमान है। यह सरकार कश्मीर से काठमांडू तथा काठमांडू से कंधार तक लड़खड़ाती रही है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु निवारक का वास्तविक अर्थ क्या है। भारत तथा अमेरिका दोनों के ही वैज्ञानिकों ने पोखरन-II परीक्षणों की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या चीन की तुलना में विश्वसनीय निवारक क्षमता की स्थापना के लिए पोखरन परीक्षण पर्याप्त हैं। ये प्रश्न अनुत्तरित हैं। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): सभापति महोदय, मैं सोचती हूँ कि कहीं यह मैराथन दौड़ तो नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बोलने के लिए समय पाने की कोशिश कर रहा है। हम सभी बोलने के इच्छुक हैं लेकिन हममें से अधिकतर अपने विचार उन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं।

जब राष्ट्रपति का भाषण चल रहा था तो उस समय मैं अपना ध्यान उस नए आयाम पर केन्द्रित करने का प्रयास कर रही थी जो आप नई सहस्त्राब्दि में इस देश को देने वाले थे। लेकिन मैंने पाया कि यहां बस एक भाषण देने की रस्म पूरी गई। इस भाषण में कोई नयापन नहीं था। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन से पहुंचना और एक साथ समवेत हुए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित करना तथा लच्छेदार भाषण में देश के लिए कई वादों और बहुत कुछ कर गुजरने के साथ यह घिसीपिटी बातों की पुनरावृत्ति मात्र की गई थी। लेकिन उन्होंने उन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जो कि भारत को अव्यवस्थित कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ कि भारत अत्यधिक खेदपूर्ण एवं दुःखद स्थिति में हैं। दुःखद स्थिति से मेरा मतलब है कि यह वर्तमान में अच्छी स्थिति में नहीं है।

अभिभाषण में सभी पहलुओं का खुलासा किया गया है लेकिन इनसे कहीं भी किसी का हाथ होने का जिक्र किया गया हो ऐसा नहीं लगता। उद्योग, रेलवे, सभी प्रकार के रोजगार की कोई ऐसी समस्या का नाम बताये जिससे कि नई सहस्त्राब्दि में भारत आगे बढ़ सके। ये पचास वर्षों का समय काफी लम्बा समय था। इस दौरान हम अपने घर को व्यवस्थित कर सकते थे। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जो भी इसका कारण रहा हो, चाहे वह बार-बार पाला बदलने वाले दलों में विभाजन या विभिन्न ताकतों के पुनर्संरेखण का क्रम-परिवर्तन और तालमेल हो जो कि एक समय इधर था और अब पथभ्रष्ट होकर दूसरी ओर चला गया के कारण कहना कि भारत में शासन नहीं किया जा सकता एक दुःखद स्थिति है।

जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का संबंध है मैंने उन कार्यों की काफी बड़ी सूची बनाई है। जिन्हें कि इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए था। लेकिन समयाभाव के कारण मैं चार उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही जाऊंगा जो कि देश को जकड़े हुए हैं। इनमें से पहला मुद्दा इस देश के लिए महत्वपूर्ण है और इसे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जोड़ना चाहिए था। यह मुद्दा भ्रष्टाचार का है। मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के कारण ही यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे कि देश अब मुद्दा नहीं बना रहा है। उच्च पदों में भ्रष्टाचार ही एकमात्र कारक है जिसके कारण भारत विकास प्रक्रिया में पिछड़ रहा है। ऊंचे स्थानों में भ्रष्टाचार कुछ ऐसा है जो कि एक व्यवस्थित व्याधि बन गया है। कोई भी नहीं चाहता कि उसे यह कहा जाए कि न तो उनके पास कार्य संस्कृति है और न ही सार्वजनिक जीवन में मूल्य। वे नौकरशाही तथा लोक सभा और राज्य सभा के मंचों में उच्च पद पर आसीन होते हैं और वे न्यूनतम उन सिद्धांतों का आचरण भी नहीं करते जिनके लिए सार्वजनिक जीवन धारक व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि जब तक भारत इस व्यवस्था संबंधित असफलता पर ध्यान नहीं देगा तथा जब तक भ्रष्टाचार का स्तर कम नहीं होता तब तक भारत कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। यही एक मात्र सबसे बड़ा कारण है। ...*(व्यवधान)*

इस देश को कचोटने वाली दूसरी महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी है। मैं उस दूसरे मूल मुद्दे के बारे में जिक्र कर रहा हूँ जिस पर राष्ट्रपति ने भी चर्चा की।

वे बिना रुके हुए, बड़ी शान तथा जोश के साथ कहते गए कि भारत के 10 करोड़ युवक बेरोजगार हैं। दुर्भाग्यवश, आप भी उसी राज्य से आए जहां से मैं आयी हूं वह राज्य बिहार है और ऐसी ही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी है। इन दो राज्यों में ही लगभग छः करोड़ बेरोजगार युवक हैं। तथा ये वही लोग हैं जो इस देश में बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि यह प्रतिष्ठित सदन इस अतिमहत्वपूर्ण कारक को रजिस्टर करें और सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। मेरे राज्य बिहार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद में हर प्रकार के अपहरण, हर प्रकार का नक्सलवाद तथा पी.डब्ल्यू.जी. वार फैल रहा है। इसका एक ही कारण है जो युवा शिक्षित है तथा योग्य

है और जो जन-जीवन की मुख्य धारा में शानदार योगदान दे सकते हैं वे बेरोजगार हैं। जब राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारे देश में 10 करोड़ बेरोजगार हैं तो मैं राष्ट्रपति से पूछना चाहूंगा कि इस बेरोजगारी का समाधान क्या है। क्या उन्होंने बिहार राज्य में कोई फैक्ट्री या उद्योग स्थापित करने का फैसला किया है? क्या उन्होंने मेरी उस मांग पर भी विचार किया है जिसके बारे में मैंने गृह मंत्री जी को लिखा कि केन्द्रीय बिहार के किसी एक क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों का कम से कम एक केन्द्र होना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि इस राज्य में जाना ठीक रहेगा। लेकिन मुझे खेद है कि मैं सफल नहीं हो सका। राष्ट्रपति चुपके से यह कहकर आगे बढ़ गए कि 10 करोड़ बेरोजगार लोग है और हमें उनके लिए इसका समाधान ढूंढना है। यह एक दु:खद कहानी है।

इस प्रतिष्ठित सदन में जिस तीसरी महत्वपूर्ण बात के बारे में मैं बात करना चाहूंगी वह है महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना। महिलाओं को अधिकार दिए जाने का यह विचार क्या है? इससे संबधित विचार है कि पिछले 10 वर्षों से हम महिला आरक्षण विधेयक के बारे में सुनते आ रहे हैं लेकिन हर बार हमें यही बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है यदि यह 33 प्रतिशत नहीं होता तो इसे 3 प्रतिशत या 10 प्रतिशत तक होने दीजिए। लेकिन इस दिशा में कुछ कार्य आरम्भ तो हो। बिहार और उत्तर प्रदेश में मात्र 16 प्रतिशत साक्षरता है जबकि ये सर्वाधिक जनसंख्या का योगदान देते हैं। अत: जनसंख्या समस्या का महिला अधिकारिता से सह संबंध है।

हमने पिछले चार वर्षों में कई विभागों की स्थापना की है। इनमें से मानव संसाधन विकास पर भी एक विभाग बनाया गया है। ये सभी विभाग आपस में समावेशित है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का कहना है कि महिलाओं की देखभाल परिवार कल्याण विभाग तथा प्रारम्भिक शिक्षा मानव संसाधन विकास विभाग करता है। ये सभी आपस में समावेशित हैं। क्या सरकार इस बारे में ध्यान देगी कि कृषि तथा अन्य विभाग भी अपने विभागों को बढ़ा रही है या नौकरशाही को कम किया जा रहा है। उसका आकार घटाया जा रहा है। ये दोनों ही पर्यायवाची है। सरकार को इस संबंध में पर्याप्त विश्वास रखना होगा कि जिन योजनाओं को केन्द्र ने लागू किया है, उनके लिए किसकी जवाबदेही और किसकी जिम्मेदारी है। हम हर बार केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में बात करते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि केन्द्र कुछ निश्चित कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों से कहता है तो उन्हें तार्किक आधार पर लाया जाना चाहिए तथा संसद और संबंधित सांसद को इस बारे में की गई प्रगति से अवगत कराया जाना चाहिए।

मैंने महिला अधिकारिता तथा उच्च पदों में भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात की। आज देश को जिस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है वह ये ही दो पहलू हैं।

अन्त में, बाल शोषण (अपचार) तथा कुछ ऐसे ही संदर्भ, जिनका हमारे राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है, के बारे में मैं कहना चाहूँगा। बाल अपचार को रोकने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए है और इस बारे में उसका क्या विचार है? दिल्ली के यातायात चौराहों पर पाते हैं कि बच्चे और अन्य भीख मांग रहे हैं और हम जानते हैं कि दिल्ली में एक बड़ा गिरोह है जो इस कार्य में संलिप्त हुआ है। यदि सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे सकती कि दिल्ली में क्या हो रहा है तो हम उससे अन्य राज्यों के बारे में क्या अपेक्षा करेंगे। यह एक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): माननीय सभापति जी, राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर श्री खुराना जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका सीधा कारण है कि वर्तमान में हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में सरकार द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे हमारे देश के नौजवानों के दिलों और दिमाग में कोई विश्वास और आशा जागे।

आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां का नौजवान बेरोजगार है, वह दिशा-विहीन हो गया है और उसके सामने अंधेरा है। वह न सोच पा रहा है और न समझ पा रहा है कि अपना भविष्य किस दिशा में ले जाये। यह जो बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या है, इसके बारे में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एन.डी.ए. थोड़ी भी चिंतित है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अगर हम आंकड़ें उठाकर देखें तो पायेंगे कि बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बेरोजगारी की वृद्धि में कतई कोई कमी नहीं आ रही है। हम लिब्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योगों की बात कर रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ हम इस पक्ष को छोड़ रहे हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या हमारे देश में है, उसका समाधान कैसे हो?

आधुनिक यंत्र, संयंत्रों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन हम इस दिशा को भूल रहे हैं कि हमारे देश में जो आधुनिक उद्योग लगेंगे, उनमें मानव शक्ति, श्रम शक्ति की आवश्यकता कम पड़ेगी, केवल कम्प्यूटराईजेशन और मशीन के माध्यम से उन उद्योगों का संचालन होगा। आखिर जो बढ़ती हुई समस्या हमारे देश में है, यह जो बीमारी हमारे देश में फैल रही है, उसका अंत कैसे होगा, यह वर्तमान सरकार बताने में अक्षम

[श्री सुन्दर लाल तिवारी]

है। हमारे यहां शासकीय नौकरियों की भी कमी है। हमारे देश में जो पुराने उद्योग थे या हैं, वे भी बंद होने के कगार में हैं। बहुत सारे बंद हो गये हैं। जो मजदूर उन उद्योगों में काम करने वाले थे, वे आज बेरोजगार हो गये हैं। सरकार बड़ी-बड़ी बातें कर रही है।

मेरा आपके माध्यम से इस सदन से यह कहना है कि आखिर जब हम निजीकरण की बात कर रहे हैं, हम आर्थिक शक्ति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो वह आर्थिक शक्ति मजबूत कैसे होगी? जब हम नौजवानों को कोई रोजगार या काम देने की संभावनाओं की तरफ कतई विचार नहीं कर रहे हैं तब हम इस देश को एक सही दिशा दे रहे हैं, इसकी कल्पना करना मेरे ख्याल से पूर्णतया गलत है।

आज पूरे देश में आतंक का वातावरण है। चाहे कश्मीर का मामला ले लिया जाये, बिहार के कुछ क्षेत्रों का मामला ले लिया [illegible] उत्तर प्रदेश का मामला ले लिया जाये, जो आतंकवाद [illegible]श के अंदर है, उसका एक मूल कारण यह है कि हमारे देश के नौजवानों के हाथ खाली हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों को काफी लम्बे अरसे से गलत दिशा देने का प्रयास किया है। इस देश के नौजवानों को कभी मंदिर-मस्जिद के नाम पर, कभी हिन्दुत्व के नाम पर भटकाने का प्रयास किया है। लेकिन वह समय दूर नहीं है जब इस देश का नौजवान यह समझने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास या वर्तमान सरकार के पास नौजवानों के लिए कोई नीति-रीति नहीं है, और उन्हें केवल एक भटकाव की दिशा दी जा रही है। मेरा कहना है कि यदि सरकार यह सोचती है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए केवल पुलिस सक्षम हो, तो यह पर्याप्त नहीं है।

मेरा कहना है कि आप इस देश में लाखों-करोड़ पुलिस इकट्ठी कर दें लेकिन यदि नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वह पुलिस आतंकवाद, हिंसा समाप्त करने में सफल होने वाली नहीं है।

अंत में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी उसका एक मूल कारण है। वर्तमान सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या के संबंध में विचार नहीं कर रही है या कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। स्वर्गीय इंदिरा जी जब इस देश की प्रधानमंत्री थीं तब उन्होंने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए इस देश में बहुत से कदम उठाए। लेकिन इन्हीं विरोधी दलों ने इस देश के अंदर उसका दुष्प्रचार [illegible]ा और आज देश इस समस्या को झेल रहा है। यह पूरे देश का समस्या है। बेरोजगारी और जनसंख्या की वृद्धि पर वर्तमान सरकार अगर ठोस कदम नहीं उठाती तो इस देश का भविष्य अंधकारमय है।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, मैंने भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना है। मैं अभिभाषण का पैरा 2 उद्धृत करता हूं:

> "हमारे गणराज्य की स्वर्ण जयन्ती उत्सव व चिन्तन दोनों का ही अवसर इसलिए है क्योंकि पिछले 50 वर्ष में हम सबको सफलताओं की खुशियों के साथ-साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों का भी अनुभव हुआ है।"

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन मुश्किलों अथवा कमियों को अपने दिमाग में छिपा कर न रखें वे यह स्पष्ट रूप से बता सकते है कि उन कमियों को किस प्रकार वे हल करना चाहते हैं। इस अवधि में उन्हें क्या-क्या कमियां दिखाई दी? वे स्पष्ट रूप से कहें ये कमियां हैं जिसको हमने पिछले 50 वर्षों में अनुभव किया है? अतः हम उन खामियों को दूर करना चाहते हैं और उस प्रयोजन के लिए हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। वह बेहतर तरीका है। वे इसके बारे में अपनी स्पष्ट राय व्यक्त कर सकते हैं।

यदि हम संशोधनों के इतिहास पर नजर डाले तो हम देखते है कि संशोधन तीन मौलिक अवधारणों पर किए गए है। पहला जब लोकप्रिय निर्णय के विरुद्ध न्यायिक पुनरीक्षा अथवा न्यायिक व्याख्या की गई तब भारत के संविधान में संशोधन किया गया है। उदाहरण के लिए प. जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत के संविधान में तब संशोधन किया गया जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई जब भूमि का मालिकाना हक समाप्त किया गया और उक्त जमीन उसे जोतने वाले को दी गई। उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और कल्याणकारी दृष्टिकोण को लेकर इसकी व्याख्या की। अतः संविधान में संशोधन किया गया। उस संशोधन का मुख्य कारण वही था। तदन्तर हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स को समाप्त करने को भलीभांति देख सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या करते हुए कहा गया कि यह व्याख्या लोगों के विरुद्ध है। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा संविधान को संशोधित करने के लिए एक संशोधन लाया गया। संशोधन केवल तभी लाए गए जब यह पाया कि व्यवस्था समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है। तंत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा हैं।

दूसरा संशोधन ऐसे किए जाते थे जिनमें दूरंदेशी हो, दिशा निर्देशन हो। उदाहरण के लिए इन्दिरा जी राज्य के नीति निर्देशक

सिद्धांतों के संबंध में संशोधन लायी थी। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन था। जब संसद के समक्ष एक अधिनियम पेश किया गया, एक और अन्य संशोधन लाया गया। वह मौलिक अधिकारों के बारे में था। न केवल मौलिक अधिकार बल्कि इसमें मौलिक कर्त्तव्यों को भी सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्त्तव्य समय की मांग थे इसलिए संशोधन लाया गया। इसलिए जब किसी विकास की आवश्यकता है अथवा जब कोई चिन्तन या दूरंदेशी की बात आती है और कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो संशोधन किये जा सकते है।

तीसरा पहलू साधारण संशोधन है। उदाहरण के लिए जब मद्रास प्रेजीडेन्सी का आन्ध्र और तमिलनाडु के रूप में विभाजन हुआ तो संशोधन लाया गया। संशोधन लाकर मद्रास को तमिलनाडु का नाम दिया गया। जब सिक्किम हमारे राष्ट्र में मिलने (विलय) के लिए आगे आया तो इसके लिए संशोधन लाया गया। जब उर्दू को भाषा के रूप में शामिल किया गया तो संशोधन लाया गया। इसके पश्चात् राज्य द्वारा कतिपय कानून बनाए गए तो संशोधन लाया गया ...*(व्यवधान)*

जब राज्य विधान सभाओं और संसद द्वारा न्यायालय की पुनरीक्षा से परे कुछ कानून बनाने की आवश्यकता हुई तो उन्हें भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संशोधन लाया गया। इस प्रकार जब कल्याणकारी उपायों को क्रियान्वित करने में बाधाएं आती हैं तो कतिपय संशोधन लाए जा सकते हैं।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब एक कार सड़क पर चलने के लिए ठीक है और अच्छी चलने की हालत में है और एक नया ड्राइवर आता है और कहता है कि यह चालू हालत में नहीं है और इसे वर्कशाप में भेजा जाना चाहिए तो हम उसकी यह बात स्वीकार नहीं कर सकते पहले उसे कार चलानी चाहिए यदि वह कार चलाने की क्षमता नहीं रखता है तो उसे कार से उतर जाना चाहिए लेकिन ड्राइवर को देखना चाहिए कि कार में क्या खराबी है उसके बाद ही कार वर्कशाप में भेजी जा सकती है। हम कार को केवल इसलिए वर्कशाप में नहीं भेज देंगे कि ड्राइवर कह रहा है कि कार चालू हालत में नहीं है कार एकदम ठीक है और सड़क पर चलने लायक है। यही बात सरकार ने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इसी तरह की बात कही हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के पैरा 3 में इस प्रकार कहा गया है:-

> "अगर विश्व भर में लोकतंत्र का प्रसार बीसवीं शताब्दी का प्रभाग चिह्न रहा है तो भारत ने न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में बल्कि सभी विषमताओं को झेलते हुए उत्साहपूर्वक इसे सम्भाल कर रखने के लिए भी समुचित सम्मान प्राप्त किया है। सम्पूर्ण विश्व की निगाहें भारत की तरफ आशा और प्रत्याक्षा के साथ उठी हैं।"

यहां उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि कार बिल्कुल ठीक है सड़क के लायक है तथा एकदम चालू हालत में है। लेकिन ड्राइवर इसे चला नहीं पा रहा है अतः मेरा अनुरोध है कि जब तक कल्याणकारी उपायों को क्रियान्वित करने में कोई अड़चन नहीं आती तब तक भारत के संविधान की पुनरीक्षा नहीं की जानी चाहिए।

पैरा 8 में राष्ट्रपति महोदय ने कहा है:

> "नीतिगत विषयों पर निर्णय लेने के कार्य में तेजी लाने तथा लंबित विधान को पारित करने का सरकार का रिकार्ड यह दर्शाता है कि वह इस एजेन्डा में किये गए वायदों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।"

लेकिन सच्चाई यह है कि लंबित विधान जल्दी-जल्दी पारित करवाए जा रहे हैं। कम से कम 21 विधान पारित करवा लिए गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक जल्दी-जल्दी पारित किया गया। अब क्या हो रहा है अब इस संशोधन के खिलाफ पूरे देश में वकील आन्दोलन कर रहे हैं। उनके इस आन्दोलन के दौरान संसदीय मार्ग पर महिला वकीलों सहित कई वकीलों को पीटा गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जांच आयोग इस घटना की छानबीन कर रहा है और उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है स्थिति इस प्रकार है। अतः जल्दी-जल्दी विधान पारित करवाने से कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ विधान जल्दबाजी में पारित करवा लिया है। लेकिन न्यायालय में उनका परीक्षण होने जा रहा है और आगामी समय में वे निरस्त किए जा सकते हैं।

महोदय, भारत का संघ अत्यन्त मजबूत होना चाहिए और हमें भारत के संघ की शक्ति को कम नहीं करना चाहिए। अब आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री आवश्यक वस्तुओं और उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि का विरोध कर रहे है और केरल के मुख्य मंत्री संसद के समक्ष आन्दोलन कर रहे हैं संघ सरकार राज्य सरकारों के कल्याण पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन राज्य सरकार आगे आ रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्यों को भी मजबूत होना चाहिए। इसके साथ-साथ पंचायती राज प्रणाली को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

अब श्रीलंका में आए दिन तमिल लोगों की हत्या की जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी। श्री राजीव गांधी ने तमिल लोगों की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमिल लोगों का ध्यान नहीं रख रही है ...*(व्यवधान)* उनकी राजनीति क्या है, उनकी विदेश नीति क्या है? वे वहां मारे जा रहे तमिल लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई दिशानिर्देश नहीं है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है जिसकी हमारे देश को आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, मैं आपसे एक विनंती करूंगा। मोहन रावले की बात करने के बाद हमारे स्पीकर [illegible] कल समिति में नौ बजे बुलाया जायेगा, वे पहले हाउस [illegible] बोले। वे पहले चुने हुए हैं, पंडित जी, उनको जरा [illegible] का मौका दें।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सभापति महोदय, मैं शिवसेना पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। पवन कुमार जी ने आर.एस.एस. की काफी आलोचना की है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सारा सदन, हिन्दुस्तान और विश्व जयप्रकाश नारायण जी को मानता है। उन्होंने आर.एस.एस. के बारे में कहा था कि अगर आर.एस.एस. कम्युनल है तो मैं भी कम्युनल हूं। इसी तरह से डा. अम्बेडकर जी, जिनका नाम वोटों के लिए ये लोग बार-बार लेते हैं, उन्होंने एक बार आर.एस.एस. के ट्रेनिंग कैम्प का विजिट किया था और कहा था कि आर.एस.एस. कम्युनल नहीं है। उन्होंने इसके काम की प्रशंसा भी की थी। यह भी कहा था कि अपर क्लास और एस.सी. से बराबर का व्यवहार होना चाहिए। स्वर्गीय नेहरू जी ने रिपब्लिक डे के अवसर पर आर.एस.एस. के लोगों को मार्च करने के लिए आमंत्रित किया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में घुस आए थे। आर.एस.एस. के लोगों ने उन्हें रोका था और हिन्दुस्तानी ट्रुप जब श्रीनगर एयरपोर्ट उतरे थे तो उनको उतारने में मदद की थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कृपया इसका औचित्य सिद्ध कीजिए। ...*(व्यवधान)* इस प्रकार चिल्लाते मत रहिए ...*(व्यवधान)* इन सब बातों की एक सीमा होती है। भारतीय सेना ने उन्हें नहीं हटाया। उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने हटाया ...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें भारतीय सेना ने नहीं हटाया ...*(व्यवधान)* भारतीय सेना ने आने से पहले वहां आर.एस.एस. थी ...*(व्यवधान)* आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं जो उन्होंने कहा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जो सत्य नहीं है उसे मत कहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : हिन्दुस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री शास्त्री जी ने 1965 की वार के बाद 22 दिन तक दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए आर.एस.एस. की मदद ली थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : लाल बहादुर शास्त्री जी और नेहरू जी के नाम से यह नया इतिहास बन रहा है।

सभापति महोदय : आप धीरज से सुनें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने जो अध्ययन किया है, वह आपने नहीं किया।

श्री मोहन रावले : आर.एस.एस. देशभक्तों का संगठन है। हमारे एक साथी ने मामला उठाया था वह बहुत गम्भीर मामला है। पूरे हिन्दुस्तान में एक आदमी जो देशप्रेम करता है, उन बाला साहब ठाकरे जी का मताधिकार छीन लिया गया है। मुम्बई से आदरणीय राम नाईक आते हैं, वे भी जानते हैं कि डा. रमेश प्रभु के बारे में इलेक्शन पीटिशन हुई थी। एक सभा में बाला साहब ठाकरे जी ने भाषण दिया था, उसके बाद उनका मताधिकार छीन लिया गया। जबकि उस भाषण के बाद कहीं भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार जब मुम्बई में थी तो उसके शासन के साढ़े चार साल में एक भी ऐसा दंगा नहीं हुआ। लोगों ने 1992-93 में जो दंगा हुआ था, उसके बाद जब चुनाव हुए तो मुम्बई से 34 में से 31 विधायक हमारे गठबंधन के विजयी बनाए थे। बाला साहब ठाकरेजी एक राष्ट्रभक्त और राष्ट्रप्रेमी हैं। किसी को अगर फांसी की सजा होती है तो उसको दया के लिए याचिका का अधिकार है। उस पर राष्ट्रपति जी विचार करते हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरेजी ने क्या गुनाह किया कि उनको यह भी अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने यहां आई.एस.आई. के लोगों को हटाने के लिए इनका विरोध किया, क्या इसलिए वे देशभक्त नहीं हैं? उनका क्या गुनाह था? उन्होंने कहा था कि जिसको हिन्दुस्तान से प्यार नहीं है, जो

पाकिस्तान को चाहता है, वह पाकिस्तान चला जाए। बालासाहिब ठाकरे जी ने देशभक्ति की भावना जताई, राष्ट्रभक्ति की भावना जताई, तो उनसे मताधिकार छीन लिया गया। उन्होंने कहा था कि वन्दे-मातरम् होना चाहिए। जिस गीत को राष्ट्र में दर्जा प्राप्त है, वह वन्दे-मातरम् होना चाहिए। उन्होंने कहा था, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यदि इसके बीच में कोई धर्म है, तो उसे हटाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र धर्म के बारे में बताया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी से विनती करता हूं कि उनको मताधिकार वापिस देना चाहिए। अभी कारगिल में युद्ध हुआ, अगर उन घुसे हुए टैरिस्टों को हमारे जवान नहीं मारते, तो शायद उनको भी वोटिंग राइट मिल जाता। इसी प्रकार बंगलादेश से आए हुए लोगों की है। ये करीब एक करोड़ लोग हैं और उनको बोगस राशन कार्ड उपलब्ध है। युनाइटेड फ्रन्ट की सरकार के गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने कहा था कि बंगलादेश से एक करोड़ लोग हिन्दुस्तान में हैं और उनको बोगस राशन कार्ड ही नहीं, वोटिंग राइट भी मिलता है, लेकिन हमारे बालासाहिब ठाकरे जी से वोटिंग राइट छीन लिया गया है। ऐसे लोग जो देश टुकड़े करने की बात कहते हैं, उनको वोटिंग राइट मिलता है और वह व्यक्ति जो कहता है कि देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए, उससे वोटिंग राइट छीन लिया जाता है। यह कैसा न्याय है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं रावले जी की मदद के लिए कह रहा हूं। सदन में श्री राम नाईक जी मंत्रिमंडल से सदस्य बैठे हैं। रावले जी की बात को समझने के बाद भारत सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दें। राम नाईक जी कह दें, ये खुश हो जायेंगे। आप लोग खामोश क्यों हैं, इस बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन : वह तो केवल अपील कर रहे हैं। वह अपने तर्क में सही है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। मैंने कहा कि वह सही थे *...(व्यवधान)* उनके सपोर्ट में भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इलैक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जाना चाहिए। मैं उनके प्रोटैक्शन के लिए बात कह रहा हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा-हम खामोश क्यों हैं? खामोश इसलिए कि जब कोई सदस्य भाषण करता है, तो बीच में रुकावट डालना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम खामोश बैठे हैं और नोट कर रहे हैं। यह बात बता देंगे, लेकिन आप सीनियर मैम्बर हैं, सदन में कई सालों से हैं, तो जब कोई सदस्य बोलता है, तो अध्यक्षपीठ की अनुमति से आप बोल सकते है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने बहुत अच्छी तरह से हमारी बात को टाल दिया। हमने उनके समर्थन में मांग की, लेकिन आप चुप हो गए। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : डा. रमेश प्रभु केस का फैसला पहले हुआ था और भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री मनोहर जोशी जी विद्यमान सरकार में उद्योग मंत्री हैं, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था - हिन्दुस्तान राष्ट्रीयत्व है, तो राष्ट्रपति महोदय ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? इसलिए हम आपसे मांग करते हैं और आपके द्वारा अपील करते हैं।

मैं एक बात राष्ट्रभाषा के बारे में कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रीय पंछी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय जानवर है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय ध्वज है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हम ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में बात करते हैं। स्व. राजेन्द्र बाबू, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ने कहा था, अंग्रेजी को आफिशियल लैंग्वेज स्वीकार करें, लेकिन हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करना चाहिए। मैं एक बात पवन कुमार बंसल जी को भी कहना चाहता हूं। वे संविधान के बारे में कह रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं शाहबानों के केस में क्या हुआ?

स्व. राजीव गांधी जी ने मुस्लिम महिलाओं को आश्वासन दिया था कि कॉमन सिविल कोड हो जाएगा। उसका क्या हुआ? *...(व्यवधान)* हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको तीन बार तलाक शब्द बोल कर छोड़ दिया जाता है। *...(व्यवधान)* हम जब पाकिस्तान में जाएंगे, बंग्ला देश, ईरान, इराक और अल्जीरिया में जाएंगे या किसी अन्य जगह जाएंगे *...(व्यवधान)* अगर किसी महिला को छोड़ दिया जाता है तो वह कोर्ट में जा सकती है। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं अंत में मुंबई के बारे में कहना चाहता हूं। मुंबई शहर से करोड़ों रुपया सरकार को मिला। मैंने एक बार सवाल पूछा था तो भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि 17944 करोड़ रुपया मुंबई शहर से आता है। वहां हर दिन एक हजार से ज्यादा लोग आते हैं और पानी, बिजली, सड़क और नागरिक सुविधा पर बोझ आ जाता है। *...(व्यवधान)* मेरी भारत सरकार से मांग है कि यह जो इतना रुपया मिलता है, उसमें से दस प्रतिशत मिलना चाहिए और दो हजार करोड़ रुपया मिलना चाहिए। *...(व्यवधान)* मैं 370 के बारे में, काश्मीर के बारे में बोलना चाहता था। *...(व्यवधान)* महोदय, कर्नाटक में मराठी जनता पीड़ित है। बेलगांव, कारवार, निपानी और बिदर के साथ

[श्री मोहन रावले]

महाराष्ट्र को जोड़ना चाहिए। वहां लोग रो रहे है। ...*(व्यवधान)* लोग महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को हल किया जाए। ...*(व्यवधान)* मैं एनटीसी की मिल के बारे में सरकार से अपील करता हूं कि रॉ-मेटीरियल, वर्किंग केपिटल और जो इसके लिए मदद चाहिए, वह इनको देनी चाहिए और एनटीसी मिल का माडर्नाइजेशन होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रेनीत कौर (पटियाला): सभापति महोदय, जब आपने पहले मेरा नाम पुकारा उस समय यहां उपस्थित न होने के लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं। चूंकि यह मेरा पहला अवसर है, मुझे आंशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे।

मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में भाग लेने के दौरान यह मेरा पहला भाषण है।

संबंध ऐसी पार्टी से है जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व ...ता आंदोलन की अगुआई की। आजादी के बाद मेरी पार्टी ने राष्ट्र को सुपरिभाषित, प्रगतिशील, सुसंबद्ध एवं सुसंगत नीतियां प्रदान कीं जिन्होंने भारत के घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को बदल दिया।

अन्य माननीय सदस्यों की ही भांति, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस सरकार द्वारा लिखा गया अभिभाषण 24 विभिन्न पार्टियों द्वारा समर्थित इस भाजपा गठबंधन की असंतुलित प्राथमिकताओं का एक चौंका देने वाला उदाहरण है जिनमें कुर्सियों को कसकर पकड़े रहने की सिवाए कोई और समानता नहीं है।

भाजपा का गुप्त कार्यक्रम आर.एस.एस. द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है जो आज सांप्रदायिक वैमनस्य के बीज बोने का प्रयास कर रहा है। इसे एक सांस्कृतिक संस्था बताते हुए 24 पैरों के गठबंधन वाली यह सरकार अब हमारे संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है।

विदेश मंत्री द्वारा खूंखार आंतकवादियों को अपने विभाग में अपने साथ कंधार ले जाने तथा अपहरणकर्ताओं को बचकर निकलते हुए देखने की घटनाओं से देश को घोर अपमान का सामना करना पड़ा है।

जिस सुब्रह्मण्यम रिपोर्ट का जिक्र राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया था, उसमें सरकार की घोर असफलताओं को उजागर किया गया है, जो बाघा बार्डर पर श्री वाजपेयी को पड़ोसी देश के प्रधान मंत्री द्वारा गले लगाने के तीन महीने बाद कारगिल विवाद में उलझ गई जिसके कारण 500 से अधिक जवानों को अपने अमूल्य जीवन से हाथ धोना पड़ा।

सभापति महोदय, अब मैं अपने राज्य पर आती हूं। मुझे इस प्रतिष्ठित सभा में महान पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। प्रतिभावान, साधन संपन्न, उत्साही, साहसी एवं मेहनती लोगों पर प्रगति-विरोधी एवं भ्रष्ट लोगों की अल्पतंत्रीय सरकार द्वारा शासन किया जा रहा है, जिसने राज्य का राजकोष इस हद तक खाली कर दिया है कि सरकारी भवन, परिसंपत्तियां तथा जमीनें जैसे फिरोजपुर की राय सिख्स की जमीन जो आज उन्हें पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से खाद्यान्न दे रही हैं, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए गिरवी रखी जा रही हैं और बेची जा रही हैं।

इस समय नवाशहर उप-चुनावों में उन्होंने अपना उम्मीदवार जिताने के लिए बिना किसी परेशानी के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लोकतंत्र के प्रत्येक मानदण्ड की धज्जियां उड़ाईं। पंजाब के लोग एक स्वच्छ प्रशासन की आशा कर रहे थे अब वे इस वजह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बीजेपी की केन्द्र सरकार आंखे मूंदे बैठी है तथा वह पंजाब में अकाली दल की कार्यप्रणाली को नजरअंदाज कर रही है।

सभापति महोदय, अब मैं कृषि से शुरूआत करती हूं। पंजाब हरित क्रांति का अग्रणी रहा है तथा हमारे अधिकांश लोग, लगभग 75 प्रतिशत, अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। वे केन्द्रीय खाद्य-भण्डार में 70 प्रतिशत गेहूं तथा 50 प्रतिशत चावल का योगदान देते हैं। हमारे भौगोलिक क्षेत्र के तिरासी फीसदी भाग पर फसल उगाई जाती है तथा इसका औसत पैदावार घनत्व 1.76 प्रतिशत है। आज पंजाब की स्थिति क्या है? पिछले दो सालों में 300 से भी अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पैदावार की मौजूदा व्यवस्था किसान को इतना लाभ भी प्रदान नहीं करती कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। हमारे राज्य में ऐसा कोई किसान नहीं है जो कर्ज के बोझ तले न दबा हो।

इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 580 रु. प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। यह पिछले वर्ष से मात्र 30 रु. अधिक है। वास्तविक स्थिति यह है कि एक वर्ष में दामों एवं मुद्रास्फीति ने किसानों को और भी अधिक निचोड़ लिया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा तथा पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार द्वारा की गई दामों में और अधिक वृद्धि, जिन्होंने डीजल तथा उर्वरक पर चार प्रतिशत बिक्री कर लगा दिया है, देश पर तथा पंजाब के कृषि क्षेत्र पर भयावह प्रभाव डालेगी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण

में कहा है:

> "सरकार इन मुद्दों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति को जल्द ही अंतिम रूप देगी।"

मुझे आशा है कि यह सरकार इस सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार करेगी। जब हम वर्ष 2002 के बाद से डब्ल्यूटीओ के शासन के तहत कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे, तो उस समय कृषि विकास के सामने गंभीर चुनौतियां पेश आएंगी। मुझे आशा है कि इस चुनौती पर सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा होगा।

महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से उद्योग तथा ऊर्जा क्षेत्रों की निराशाजनक हालत पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगी। पंजाब में उद्योग के क्षेत्र मे व्यापक निवेश की आवश्यकता है। आज पंजाब की जनसंख्या 2.2 करोड़ है जो प्रतिवर्ष 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। जब तक एक व्यापक रूप में राज्य में उद्योग-धंधों का समावेश नहीं कर लिया जाता, तब तक हम बेरोजगारों की रोजगार आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, जो प्रतिवर्ष 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। आज की स्थिति के अनुसार, प्रतिवर्ष 2,40,000 बच्चे 16 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं तथा रोजगार तलाशते हैं। हमारे पास इनके लिए केवल 30,000 नौकरियां हैं। यह समस्या प्रत्येक वर्ष और भी अधिक विषम होती जा रही है यहां तक कि 16 वर्ष की अवधि में इसमें 4.4 लाख की वृद्धि हो जाएगी। औद्योगिक विकास के लिए हमें आधारभूत ढांचे का विकास करना होगा। आज उद्योगों, कृषि तथा घरेलू सेक्टरों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंजाब को प्रत्येक वर्ष 400 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि आगामी पांच सालों के लिए 2000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी जबकि इस अवधि के दौरान पंजाब का योगदान केवल 900 मेगावाट होगा। इसमें रंजीत सागर परियोजना से प्राप्त होने वाला पंजाब का 450 मेगावाट का हिस्सा भी शामिल है, जिसकी आपूर्ति थेन बांध से होती है।

यदि थेन बांध की मरम्मत नहीं की जा सकी, तो हमारे पास आधे वर्ष की आवश्यकता की बिजली भी उपलब्ध नहीं होगी। यह स्थिति इस वजह से पैदा हुई है कि थेन बांध के सिवाय पिछले कई सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में कोई व्यापक निवेश नहीं किया गया है। थेन बांध के लिए हम प्रधान मंत्री स्व. श्री राजीव गांधी द्वारा उस समय दिए गए अनुदान के आभारी हैं।

मैं एक अन्य अत्यंत गंभीर समस्या का उल्लेख करना चाहूंगी, जिसका सामना पंजाब कर रहा है। यहां के शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। वे उपेक्षित महसूस करते है और कुंठा महसूस करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार और सत्ता में उनके सहयोगी अर्थात् पंजाब में अकाली दल इन योग्य युवा बालक एवं बालिकाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने के लिए क्या कर रहे हैं।

एक राष्ट्रीय मुद्दा होने के नाते संपत्ति के पुनर्वितरण को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। संपत्ति के वितरण के लिए हमें संपत्ति का सृजन करना होगा। मैं समझता हूं कि संपत्ति के सृजन के लिए वर्तमान में न तो केन्द्र सरकार ने ही कुछ किया है और न ही पंजाब सरकार ने कुछ किया है।

यह अनिवार्य है कि बजट में पंजाब पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तथा उद्योगों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। सभा इस बात से अवगत ही है कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित उग्रवादियों और आतंकवादियों ने पिछले 15 सालों में क्या-क्या किया है। इस वर्ष 21 मार्च को कश्मीर के चित्ती सिंहपुरा में 35 सिखों के भयावह नरसंहार के हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि पंजाब में सीमा पार से अत्याधुनिक हथियारों, आईएसआई एजेंटों तथा मादक पदार्थों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब को हजारों करोड़ रु. की धनराशि के वित्तीय पैकेज प्रदान करने के वायदे किए गए हैं, परंतु यह धनराशि अभी तक प्रदान नहीं की गई है। मैं आशा करती हूं कि माननीय वित्त मंत्री इसका निवारण करेंगे तथा पंजाब के लोगों को उनकी देय धनराशि दिलवाएंगे क्योंकि यह राज्य देश के एक बड़े भाग का पालन-पोषण करता है तथा श्रेष्ठ रक्षा कार्मिक प्रदान करता है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना (नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट प्लान) तैयार करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित करने का उल्लेख किया है। मैं इसे उद्धृत करना चाहूंगी:

> "यह राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए तथा उन्हें कम करने के लिए मौजूदा प्रबंधों की पुनरीक्षा करेगा। यह संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने के उपायों तथा राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों के लिए एक व्यापक आदर्श योजना तैयार करने की सिफारिश करेगा।"

मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहती हूं कि पटियाला का मेरा समूचा निर्वाचन-क्षेत्र तथा इसके विधान सभा के इलाके प्रत्येक वर्ष घाघर नदी की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

[श्रीमती प्रेनीत कौर]

यह नदी उन चार मुख्य नदियों में से एक है जो कि इस राज्य से तथा खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र पटियाला से होकर बहती हैं। इनमें बरसात में बाढ़ आने से फसलों, घरों, पशुओं की हानि होती है और बड़े पैमाने पर भूमि का क्षरण (कटाव) होता है। यह राष्ट्रीय हानि भी है क्योंकि पंजाब देश के अनाज भन्डारण में सबसे बड़ा योग देता है।

पटियाला जिला, भारत के सर्वाधिक दुधारू पशुओं के केन्द्रों में से एक है। इस नदी से तीन अर्न्तराज्यीय नहरें निकाली गई हैं जो कि बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयी है। इस घाघर नदी से होकर अर्न्तराज्यीय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाते हैं और बाढ़ से उन्हें भी क्षति पहुंची है। यह नदी 242 किलोमीटर तक बहती है जिसमें से 165 किलोमीटर पंजाब में, 77 किलोमीटर हरियाणा में आता है, इस नदी का 73 किलोमीटर बहाव जिसमें कि बाढ़ आती है अकेले पटियाला जिले में पड़ता है। पिछले पांच वर्षों में क्षतिग्रस्त फसलों, पशुधन तथा मकानों की कुल हानि का औसत 29.12 करोड़ रुपये के बराबर है। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और इस घाघर नदी को शीघ्र ही वश में करने का प्रयास कर बाढ़ नियंत्रण में सहायता

में, विश्व आपस में जुड़ता जा रहा है और इस तथ्य के बावजूद कि पंजाबियों का यूनाइटेड किंगडम, कनाड़ा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी बोल-बाला है फिर भी आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति क्लिंटन के दौरे के लिए पंजाब का नाम ऊपर नहीं था। कनाडा में यहां के लोग काफी संख्या में है और ब्रिटिश कोलम्बिया का प्रमुख चुने जाने में उज्जवल दुसन्न की सफलता एवम् विदेशों में बसे पंजाबियों की भावना का प्रतीक है। यह ट्रिब्यून के संपादक, हरि जय सिंह ने लिखा है और मैं इसे वहीं से उद्धृत कर रही हूं।

महोदय, इसके साथ ही, एक बार फिर, मैं आपको सदन में बोलने का मुझे पहला अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।

सभापति महोदय : डा. रंगपी, कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम): महोदय मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस बहस की समाप्ति पर जैसा कि आपने सुझाव दिया है मैं बहुत संक्षिप्त में ही कहूंगा। मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों को भी दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं भी अपने आपको उन सदस्यों की भावना से जोड़ता हूं जिन्होंने कि इस सरकार द्वारा संविधान संशोधन करने के पीछे की कुदृष्टि का सख्त विरोध किया है। मैं अपने आप को उन सदस्यों के साथ भी जोड़ना चाहता हूं जिन्होने कहा है कि इस अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई खास चीज नहीं है। क्षेत्रीय-असन्तुलन तथा भूमि-सुधारों के बारे में भी इसमें कुछ नहीं है।

महोदय आप मुझसे सहमत होंगे कि भूमि सुधारों के बिना कृषि अर्थहीन है।

भूमि सुधार के बारे में इसमें एक शब्द भी नहीं है। मैं इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 32 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कि सरकार ने कहा है कि वह तीन नये राज्य - उत्तरांचल, वनांचल तथा छत्तीसगढ़ बनाना चाहती है। यह इस सरकार का भेदभावपूर्ण क़दम है, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों के संबंध में। पूर्वोत्तर में एक स्वशासी राज्य बनाए जाने की मांग पिछले दो या तीन दशकों से चली आ रही है, वहां इसके लिए शांतिपूर्ण आन्दोलन भी चला। इस देश में यह प्रथा रही है कि जब भी पूर्वोत्तर से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है तो वह उल्फा या उग्रवादी संगठनों से संबंधित होता है। लेकिन असम और पूर्वोत्तर में यह ही नहीं है। पूर्वोत्तर में शांतिपूर्ण आन्दोलन हुए हैं। जनतांत्रिक आन्दोलन भी असम में हुए हैं जहां लोगों की अलग पहाड़ी राज्य की मांग तीन चार दशकों से चली आ रही है।

महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि झारखण्ड, उत्तरांचल तथा अन्य क्षेत्रों में कुछ विवाद हैं लेकिन संविधान के अनुच्छेद 244ए में कुछ खास प्रावधान है। अब सरकार अनुच्छेद 3 के तहत तीन नए राज्यों को बनाने जा रही है और इसमें इतना अधिक विवाद उत्पन्न हो गया है। महोदय, शायद आप भी इससे परिचित होंगे, क्योंकि आप भी उस बिहार के रहने वाले हैं जहां वनांचल या झारखंड बनाने का मुद्दा संबंधित है। लेकिन दुसरी तरफ संविधान में अनुच्छेद 244ए भी है जो कि खासकर असम के लिए है। इस प्रावधान के तहत असम को बिना बांटे हुए, उसके पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों को निहित करते हुए एक स्वशासी राज्य का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है। इस सदन के साधारण बहुमत से ही ऐसे स्वशासी राज्य बनाए जा सकते है। यह असम के पहाड़ी जिलों के लिए संसद की सच्ची प्रतिबद्धता भी है कि असम के पहाड़ी जनजातीय लोगों को तथा असम के पहाड़ी जिलों जिनमें कारबी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार पर्वत माला शामिल है को मिलाकर उन्हें असम को एकजुट रखते हुए अलग स्वशासी राज्य बनाकर दिया जा सकता है। यह विशेष व्यवस्था संविधान में है, वहां सीमा का विवाद, जनसंख्या का विवाद तथा बंटवारे का भी कोई विवाद नहीं है। इस अनुच्छेद 244ए को लागू करने के लिए वहां पिछले 15 वर्षों से

शांतिपूर्ण तथा जनतांत्रिक आंदोलन चला आ रहा है। मैं 1991 से इस सदन में इस बात पर आवाज उठाता रहा हूं लेकिन चाहे वह कांग्रेस सरकार हो या संयुक्त मोर्चे की सरकार हो या भा.ज.पा. की सरकार सभी ने इस मांग की उपेक्षा की है।

राजनीतिक अनिवार्यता के चलते ही सरकार ने उत्तरांचल, वनांचल तथा छत्तीसगढ़ जैसे तीन क्षेत्रों को चुना है। मैं इन तीन राज्यों को बनाए जाने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं मांग करता हूं कि सरकार को असम के पहाड़ी एवं जनजातीय लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि उसने अनुच्छेद 244ए की पूर्ण उपेक्षा की है और उसने शांतिपूर्ण जन आंदोलन की भी पूर्ण उपेक्षा की है जबकि स्वशासी परिषद ने यह संकल्प पारित कर लिए है कि उनकी स्वायत्तता का उन्नयन किया जाना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसे स्वशासी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। संवैधानिक सभा की भी असम के पहाड़ी लोगों के प्रति इस प्रावधान के तहत सच्ची प्रतिबद्धता थी कि भविष्य में उनके लिए स्वशासी राज्य बनाया जाएगा। अब सरकार को इस बारे में उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। उसने इस मांग की पूर्ण उपेक्षा की है क्योंकि वहां हथियार संस्कृति नहीं है, यह क्षेत्र 15 या 20 सांसदों वाला भी नहीं है जो कि सरकार बचाने के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र ने बन्दूक नहीं उठाई जैसे कि उल्फा या एन.एस.सी.एन. ने किया है इसीलिए सरकार ने यह मांग चुपचाप उपेक्षित कर दी। मैं प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से मिलता रहा हूं तथा इस बात की वकालत करता रहा हूं कि इन लोगों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जब तीन राज्य बनाए जा रहे हों तो एक और स्वशासी राज्य बनाए जाने में क्या रोक है वह भी मूल असम राज्य के अन्तर्गत ही और उसके लिए संविधान में प्रावधान भी है। अत: सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का अभाव रहा है। आप एन.एस.सी.एन. तथा अन्य भूमिगत संगठनों से कहते रहें है कि आप संविधान के अन्तर्गत उनसे वार्ता करना चाहते हैं। पूर्वोत्तर के लोग आप पर हंसते हैं। जो लोग पूर्वोत्तर के बारे में जानते हैं वे कह सकते हैं कि हां, यह सरकार भूमिगत लोगों से कह रही है कि आओ और संविधान के अन्तर्गत बात करो। लेकिन पूर्वोत्तर के लोग इससे परिचित हैं और वे सरकार पर हंस रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप संविधान के अन्तर्गत सब कुछ बातों का समाधान कर लेंगे। वहां एक मांग यह भी है, और संविधान के अन्तर्गत उसमें विशेष प्रावधान भी है और आप फिर भी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।

इन्हीं सब बातों के चलते मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और कारवी अंलोंग तथा उत्तरी कछार पर्वतमालाओं के जिलों को मिलाकर एक स्वशासी निकाय बनाए जाने को सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। महोदय मैं एक अंतिम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

डा. जयन्त रंगपी : धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आपका भाषण समाप्त हुआ। सदस्यों की सूची भी समाप्त हुई। अब सदन की कार्यवाही 19 अप्रैल, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

रात्रि 10.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 अप्रैल, 2000/30 चैत्र, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/5/19/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।